GL H 320.55
PRA V.2 C.1
122533
LBSNAA

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
L.B.S. National Academy of Administration
मसूरी
MUSSOORIE
पुस्तकालय
LIBRARY
अवाप्ति संख्या
Accession No. — 122533 ~~5511~~
वर्ग संख्या
Class No. GL H 320.55
पुस्तक संख्या
Book No. प्रार्थना Pra
भाग-2
प्रति-1

गांधी-साहित्य—२

प्रार्थना-प्रवचन

दूसरा खंड

●

दिल्लीकी प्रार्थना-सभाओंमें दिये गए
२७ अक्तूबर १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तकके
महात्मा गांधीके प्रवचन

●

१९४९

सस्ता साहित्य मंडल • नई दिल्ली

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

पहली बार : जनवरी १९४९
मूल्य
अजिल्द २) : सजिल्द २॥)

मुद्रक
जे० के० शर्मा
इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस
इलाहाबाद

प्रकाशककी ओरसे

पूज्य गांधीजी आगा खां-महलके कारावाससे मुक्त होनेके बादसे संध्याकी प्रार्थना-सभामें नियमित-रूपसे प्रवचन किया करते थे। यह परंपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहले यानी २९ जनवरी १९४८ तक बराबर चलती रही।

दिल्लीकी सभाओंमें दिये गये १ अप्रैल १९४७ से २६ अक्तूबर १९४७ तकके प्रवचन पहले खंडमें प्रकाशित हो चुके हैं। २७ अक्तूबर १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तकके प्रवचन इस संग्रहमें दिये जा रहे हैं।

ये गांधीजीके अंतिम उद्गार हैं और जिन समस्याओंपर व्यक्त किये गये हैं, उनमेंसे बहुत-सी आज भी मौजूद हैं। इन प्रवचनोंमें गांधीजीने संक्षेपमें सर्वसाधारणके समझने-योग्य भाषामें बहुत कामकी बातें कही हैं और बहुत जगह तो अपनी हार्दिक वेदना जनताके सामने रखी है। गांधीजीके अन्य लेखों और भाषणोंसे इनका एक अलग और महत्त्वका स्थान है।

अधिकांश प्रवचन गांधीजीकी भाषामें ही हैं। 'हिंदुस्तान'के उप-संपादकोंने समय-समयपर 'हिंदुस्तान'के लिए उनकी रिपोर्ट ली थी। बादके प्रवचनोंके रेकार्ड 'आल इंडिया रेडियो'ने लिये थे। उनमेंसे कुछ प्रवचन 'भाइयो और बहनो'के नामसे चार छोटी-छोटी पुस्तिकाओंमें सरकारकी ओरसे छपे हैं। इस संग्रहमें इन तथा जिन अन्य आधारोंकी सहायता ली गई है, उनके हम विशेष कृतज्ञ हैं।

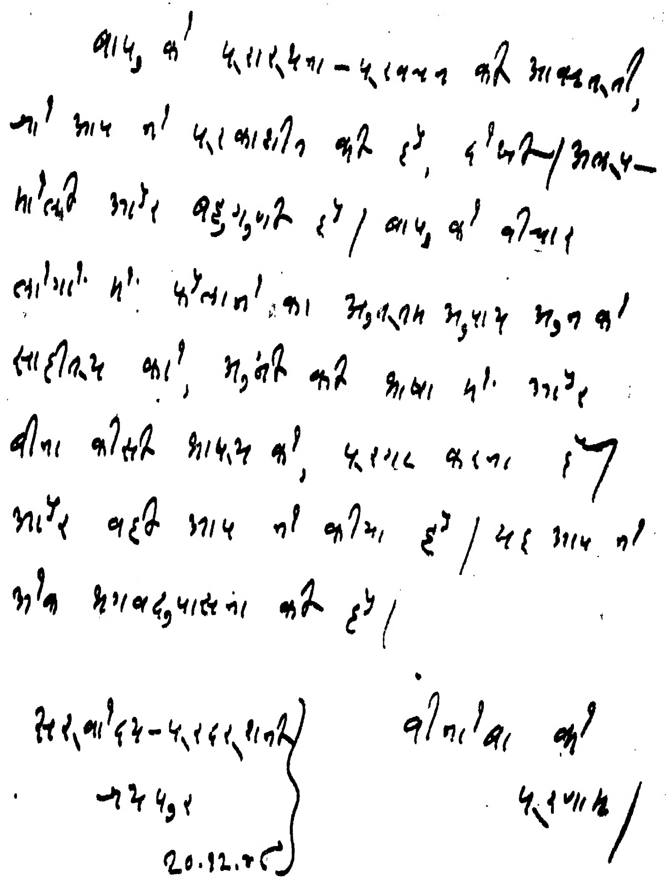

(बापूके प्रार्थना-प्रवचनकी आवृत्ति, जो आपने प्रकाशित की है, देखी। अल्प मोली और बहुगुणी है। बापूके विचार लोगोंमें फैलानेका उत्तम उपाय उनके साहित्यको, उन्हींकी भाषामें और बिना किसी भाष्यके, प्रगट करना है। और वही आपने किया है। यह आपने एक भगवद् उपासना की है।)

भाइयो और बहनो

प्रार्थना-प्रवचन

दूसरा खंड

: १३० :

मौनवार, २७ अक्तूबर १९४७

(लिखित संदेश)

मेरे पास बराबर इस बातकी शिकायतें आ रही हैं कि यूनियनके मुसलमानोंको अपने बाप-दादाओंके घरोंको छोड़नेपर और पाकिस्तान जानेके लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि उनको तरह-तरहकी तरकीबोंसे अपने घरोंको छुड़वाकर कैंपोंमें रहनेपर मजबूर किया जा रहा है, जहांसे उन्हें रेलद्वारा अथवा पैदल भेज दिया जाय। मुझे विश्वास है कि मंत्रिमंडलकी यह नीति नहीं है। जब मैं शिकायत करनेवालोंको यह बात सुनाता हूं तो वह हँसते हैं और जवाबमें कहते हैं कि या तो मेरी जानकारी गलत है या कर्मचारी उस नीतिके अनुसार चलते नहीं हैं। मैं जानता हूं कि मेरी जानकारी बिलकुल सही है। तब क्या कर्मचारी बेवफा हैं? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। फिर भी यह शिकायत आम है। कही जानेवाली बेवफाईके मुख्तलिफ कारण दिये जाते हैं। जो कारण सबसे संभव हो सकता है वह यह है कि फौज और पुलिसका अधिकांश रूपमें फिर्केवाराना बटवारा किया गया है और वह मौजूदा द्वेषभावमें बह जाते हैं। मैंने अपनी राय दे दी है कि अगर ये कर्मचारी जिनपर शांति और कानूनको कायम रखनेका भार निर्भर है, फिर्केवाराना प्रभावमें पड़ जायं तो सुसंगठित हकूमतकी जगह बदअमनी आ जाना लाजमी है

और यदि यह चलती रहे तो समाज नष्टप्राय हो जायगा। यह उच्च कर्मचारियोंका कर्तव्य है कि वह फिर्केवाराना जहनियतसे ऊपर उठें और फिर अपनेसे नीचे तबकेके कर्मचारियोंको भी उसी सद्भावनासे प्रभावित करें।

यह जोरके साथ कहा जाता है कि देशमें जनताद्वारा सरकारें कायम की गई हैं उनको वह वकार[1] हासिल नहीं हुआ है जो विदेशी हकूमतको अपनी तलवारके जरिये हिंदुस्तानी कर्मचारियोंको डराकर अपने काबूमें रखनेके लिए हासिल था। यह कुछ हदतक ही ठीक है। क्योंकि अवाम[2]की हकूमतके हाथमें एक नैतिक शक्ति है जो विदेशी हकूमतके शक्ति-बलसे, जिसे वह अपनी मददके लिए बरत सकती थी, निस्संदेह ऊंचे दर्जेकी है। इस नैतिक शक्तिके लिए यह पहलेसे माना जाता है कि अवामकी राय हकूमतके साथ है।

आज इसकी कमी हो सकती है। हमारे पास इसकी परीक्षाका और कोई साधन नहीं है सिवा इसके कि केंद्रीय सरकार इस्तीफा दे दे। इस जगह हम खास तौरपर यह जांच रहे हैं कि केंद्रीय शासनकी क्या हालत है। इसे किसी हालतमें भी कमजोर न बनना चाहिए और न कभी कमजोर लगना चाहिए। उसे तो अपनी शक्तिका अहसास[3] होना चाहिए। इसलिए यदि इसमें कुछ भी सचाई है कि कर्मचारी पूरी तरह आज्ञाका पालन नहीं करते हैं तो ऐसे नाफरमाबरदारोंको[4] तुरंत निकल जाना चाहिए या मिनिस्ट्री अथवा संबंधित मंत्रीको त्यागपत्र देकर ऐसी शक्तिको स्थान देना चाहिए जो सफलताके साथ कर्मचारियोंकी नाफरमाबरदारीको दूर कर सके। जब कि मैं उन शिकायतोंको, जो मेरे पास आती रहती हैं, संकोचके साथ आपको सुनाता हूं, मुझे यह आशा रखनी चाहिए कि इसकी तहमें कुछ नहीं है और यदि कुछ है भी तो उच्च अधिकारी यथाशक्ति कामयाबीके साथ उनको ठीक कर लेंगे।

यूनियनके उन नागरिकोंका, जो इसके प्रभावमें आते हैं, क्या फर्ज है? यह साफ बात है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी नागरिकको अपना मकान छोड़नेपर मजबूर करे।

---

[1] प्रभाव [2] जनता [3] अनुभव [4] आज्ञा न पालनेवाले।

अधिकारीवर्गको खास अधिकार अपने हाथमें लेने पड़ेंगे ताकि वह ऐसे हुक्म निकाल सकें, जैसा कि कहा जाता है, वे निकालते हैं। जहां-तक मुझे पता है, किसीको कोई लिखित हुक्म नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि मौजूदा मामलेमें हजारोंको जबानी हुक्म दिया गया है। ऐसे लोगोंकी मदद करनेका कोई साधन नहीं है जो डरके मारे किसी भी बावरदी[1] व्यक्तिके हुक्मके सामने अपना सर झुका दे। ऐसे सब लोगोंको मेरी जोरके साथ यह सलाह है कि वह लिखित हुक्म मांगे और यदि सबसे उच्च अमलदार भी उसको संतोष न दे सके तो शककी हालतमें वह अदालतसे उस हुक्मकी सचाई मालूम करे। आम जनताको, जो इस मामलेमें बहुसंख्यावाली है, अपनेको सख्तीके साथ कानूनको हाथमें लेनेसे रोकना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह अपने पैरोंमें खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। यह ऐसी गिरावट होगी जिससे उठना कठिन हो जायगा। ईश्वर करे जल्द-से-जल्द उनको समझ आ जाय। उनको बुरी घटनाओंकी खबरसे, चाहे वह सच ही हों, प्रभावित न होना चाहिए। उनको अपने चुने हुए मंत्रियोंपर भरोसा रखना चाहिए कि वह इन्साफके लिए, जो जरूरी होगा वह सब करेंगे।

: १३१ :

२८ अक्तूबर १९४७

भाइयो और बहनो,

दिल्लीके एक भाई खतमें लिखते हैं, "मैंने शरणार्थियोंके लिए थोड़े खेमे और कनात वगैरा एक मुसलमान भाईसे लिये थे। वह तो यहांसे चले गए। अब उनको कहां रखना चाहिए ?" ये कोई शरीफ आदमी हैं, इसीलिए पूछते हैं कि उनका क्या करना है। और बात भी ठीक है कि वह अगर यहांसे चले गए, तो क्या हम इनको हज्म

[1] वरदी वाले।

करके बैठ जाएं? लेकिन मेरे पास तो कोई इंतजाम है नहीं कि जो मैं रख सकूं। यह तो होम डिपार्टमेंट[१] की बात है। सरदारजीसे पूछ लेना चाहिए या और कोई जो इस कामको करता है, उससे या नियोगी साहब जो नियुक्त हो गये हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर उनको उस मुसलमान भाईका पता लग जायगा तो यह या इसकी कीमत उसको पहुंचा देनी होगी।

अलीगढ़में जो यूनिवर्सिटी है उसका एक लड़का मेरे पास आया था। वहां पश्चिमी पंजाब और सरहदी सूबेके भी कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। वे वहांसे वापस नहीं पहुंच पाए और जो यहां हैं वे जा नहीं सकते। वे क्यों न वहां जाएं और आएं? आखिर जो पाकिस्तान होना था वह तो हो गया। फिर आपस-आपसमें झगड़ा कैसा? क्यों यहांके इतने मुसलमान पाकिस्तानमें जायं और वहांके हिंदू और सिख यहां आएं? लेकिन उनका यह इरादा है कि हम मुसलमानोंके पाससे कंबल वगैरा लेकर उन हिंदू और सिख शरणार्थियोंको दें जो परेशान होकर कैंपोंमें रह रहे हैं। अच्छा है, उनको इसकी दरकार भी है और अगर उनको मिल जाय तो इससे उनकी मोहब्बत तो प्रकट होगी। लेकिन सच्चा काम तो यह है कि वे पाकिस्तानमें मुसलमानोंसे जाकर कहें कि हिंदू और सिखोंको वहांसे आना ही क्यों पड़ता है? मेरे पास तो ढेर पड़ा है कागजोंका, जिनमें शिकायतें ही भरी हैं। वे झूठी तो हैं नहीं। हां, उनमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन अतिशयोक्ति होने पर भी, उसमें जो मूल है, वह तो ठीक है। वे क्यों वहांसे भागें, उनको वापस बुलाओ, वे क्यों न अपने घरोंमें आकर रहें? ऐसा अगर वे कर सकें तो हम सारी दुनियाको यह बता सकेंगे कि हम आपस-आपसमें कभी लड़े ही नहीं। पीछे जो आज हमारी नाक कट गई है, वह कल फिर साबुत हो जायगी। ऐसा मैंने उन लड़कोंको कहा है। उन्होंने इसको मान भी लिया और पीछे कैसा वे करते हैं, यह तो ईश्वर ही जानता है।

लेकिन आज जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह तो एक बड़ी बात है। मेरा खयाल है कि मैं जब बिहारमें बैठा था तब वहां ऐसा

---

[१] गृह-विभाग।

चलता था कि लोगोंने यह सोच लिया कि चलो, स्वराज्य तो अब मिल ही गया, तो फिर रेलमें बैठकर जानेमें टिकटकी क्या दरकार है? यही नहीं, वे कभी-कभी तो बड़ी ज्यादती और जबर्दस्ती भी करते हैं। उस जमानेमें हम आपस-आपसमें तो नहीं लड़ते थे, लेकिन ऐसा मान लिया कि जब स्वराज्य मिल गया तो पीछे और क्या चाहिए? उसपर मैंने काफी लिखा, उसका असर हुआ और बादमें वहां वह बंद भी हो गया। लेकिन अभी कुछ दिनोंसे तो ऐसा हो गया है कि सारे हिंदुस्तानमें या कहो कि सारी यूनियनमें काफी लोग रेलोंमें बगैर टिकट चलते हैं। बड़े-बड़े लोग भी यह सोचते हैं कि चलो, अब तो रेलें हमारी हो गई हैं। रेलें तो हमारी हो गई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इस तरहसे करनेका नतीजा यह हुआ है कि हमारा ८ करोड़ रुपया बर्बाद हो गया है। ८ करोड़ रुपया किसको कहते हैं? एक करोड़ भी किसको कहते हैं? जब कांग्रेसमें हमें एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना था तो कितनी परेशानी हम लोगोंको हुई थी और कितने लोगोंको निकलना पड़ा था। मैं भी घर-घर घूमकर इकट्ठा करता था, और लोगोंको भी अपने साथ ले जाता था। तब जाकर बड़ी मुश्किलसे वह हुआ था। ऐसे हम गरीब लोग इस देशमें हैं। आज तो हम एक करोड़ रुपया खर्च कर लेते हैं और मिल गया है तो कुछ पता भी नहीं चलता। किस तरहसे हम उसको खर्च करें यह तो हम अभी जानते ही नहीं। लेकिन चूंकि काम ऊपर आ पड़ा है इसलिए कर रहे हैं। लोग अगर यह सोच लें कि चलो, रेलोंमें मुफ्त सैर करें या कहीं कामसे भी जायं तो उसमें किराया क्या देना, तो यह बड़ी ज्यादती है। मेरे हिसाबसे तो यह बिलकुल लूट है। इस तरहसे तो हिंदुस्तान कंगाल हो जायगा और न हमारे पास रेलगाड़ियां रहेंगी और न कुछ और होगा। पीछे हम लोग रोएंगे कि अब कैसे कहीं जायं। आठ करोड़ रुपया कोई कम थोड़े ही होता है। पहले जो हमें रेलोंसे मिलता था उससे तो रेलवे कंपनीको अपने रुपयेका ब्याज भी मिल जाता था। करोड़ों लोग रेलोंमें सफर करते हैं। अगर सब पैसा दें तो खासी कमाई हो सकती है। बिना टिकट तो लोग उस जमानेमें भी जाते थे, लेकिन आजकी तरह कोई हजारोंकी तादादमें

नहीं जाते थे। गाड़ियोंमें इंस्पेक्टर रहते थे और बाकायदा सारा हिसाब चलता था। आज तो ऐसा हो गया है कि गार्ड है तो उसको मारो और ड्राइवर आता है तो उसको मारो। रोज बरोज पैसेका खर्च बढ़ता ही जाता है। कोई रेलगाड़ियां तो मुफ्त चल नहीं सकतीं। उनमें जो नौकर लोग काम करते हैं वे ऐसा थोड़े ही मान लेंगे कि मुसाफिर बिना पैसा दिये सफर करते हैं तो वे भी अपने वेतन न लें; अगर वे ऐसा सोचें तो खाएंगे क्या? इसलिए रेलोंमें करोड़ों रुपएका खर्च है और करोड़ोंकी कमाई है। पहले तो इसमें नुक्सान होता नहीं था। तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंसे काफी पैसे मिल जाते थे, क्योंकि उनपर खर्च तो कम होता था और आमदनी अधिक थी। इसलिए कुछ पैसे नफेमें बच जाते थे। लेकिन कल जो मैंने ८ करोड़ रुपएका घाटा सुना तो मुझको बड़ा दर्द हुआ। इस तरहसे अगर हर तरफसे लूट-ही-लूट रही तो हमारा भला नहीं हो सकता। इसपर भी हम आपस-आपसमें लड़ें, एक-दूसरेको कत्ल करें और लूटें, क्योंकि इसमें भी तो हमें कोई फायदा तो होता नहीं, करोड़ोंका खर्च ही होता है। जब लोगोंको उनके घर छुड़वाकर पाकिस्तान भेजनेके लिए कहा जाता है तो वे कोई मुफ्त थोड़े ही चले जाते हैं। उनको खाना खिलाना और पहननेके लिए कपड़ा देना पड़ता है। यह सब खर्च मुफ्तमें हमें करना पड़ता है। हिंदुस्तान कोई धनिकोंका मुल्क तो है नहीं कि जो यह सब करता ही चला जाय। वह तो हो नहीं सकता। इसलिए अगर एक भी आदमी रेलमें मुसाफिरी करता है तो बिना पैसा दिये न करे। उसको पैसे देने ही चाहिए। जब अंग्रेजी हकूमत चलती थी तब पुलिसके सिपाही या दूसरे अमलदार भी काफी पैसे खा जाते थे। मैं चूंकि तीसरे दर्जेमें मुसाफिरी करता हूं इसलिए मुझको इसका पता तो चल जाता था। हरिद्वारमें कुंभ-मेलेके समय जब मैं गया था तो उस जमानेमें वहांके स्टेशनमास्टरको, पीछे तो बदलते रहते हैं, ऊपरके पैसे दिये बिना कोई जा नहीं सकता था। इस तरहसे हजारों रुपए रिश्वतमें उठ जाते थे। अब तो मेरे दिलमें ऐसा है कि हम सब शरीफ बन गए हैं। जो स्टेशनमास्टर, सिगनलर, इंस्पेक्टर या गार्ड लोग हैं, उन सबको अपने हक और सचाईसे जो

पैसा मिलता है, वही खाकर अपना जीवन बसर करना चाहिए। उन्हें लोगोंके पाससे पैसे नहीं छीनने चाहिएं। जो मुसाफिर हैं, उन्हें रेलोंको अपनी चीज समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। वे रेलोंको साफ-सुथरी रखें, उनमें थूकें नहीं, बीड़ी न फूंकें, बिना जरूरत जंजीर न खींचें और पैसे दिये बिना एक भी मुसाफिर न चले। तब तो मैं कह सकता हूं कि हमें सच्ची आजादी मिली है। मेरी बातको सुननेवाले कोई हजारों लोग तो यहां हैं नहीं और फिर रेलोंमें तो लाखों लोग सफर करते हैं, तो उनको कौन सुनाएगा? अगर मैं रेलवे मैनेजर या रेलवे मिनिस्टर होता तो मेरे मातहत जितने लोग काम करते, उनको यह हुक्म देता कि जितने लोग रेलोंमें तुम्हारे सामने चलते हैं उनको यह कह दो कि हम मारपीट तो करेंगे नहीं, रेल आपकी है, हम आपके नौकर हैं, लेकिन बिना पैसा दिये हम आपको ले जा नहीं सकते। अगर रेल जंगलमें भी जा रही है तो उसे रोककर वहीं खड़ी कर दे। अगर फिर भी वे न मानें तो एंजिन ड्राइवरको यह हुक्म देना चाहिए कि वह एंजिनको गाड़ीसे अलग करके ले जाय। तब न किसीको गाली देना है और न किसीको मजबूर करना है, सिर्फ गाड़ीको वहीं खड़ी रहने दें। जब-तक लोग मुफ्तमें सफर करें तबतक यही करना चाहिए। आखिर यह कोई शराफत नहीं है कि आप मुफ्त गाड़ीमें बैठ जाएं, मारपीट करें और जहां चाहा वहीं उसको रोक लें। यह तो मैंने आपको यहांकी बात सुनाई। लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तानमें भी लोग ऐसे ही मुफ्त रेलोंमें घूमते हैं। वहां भी क्यों न लोग मुफ्त चलें? आखिर हम एक ही हवामें पैदा हुए हैं, एक ही-जैसा नमक खाते हैं, तो पीछे वहां भी क्यों न वही हो जो यहां होता है। अगर यही हाल जारी रहा तो दोनों दिवालिया हो जायंगे। इस तरहसे किराया न देकर रेलोंमें सफर करें, जहां रिश्वत खाना है वहां रिश्वत खाएं और जिसको मारना है उसको मारें, तो पीछे हम बिल्कुल लुटेरे लोग बन जायेंगे। आजादीके आनेसे हमारी जो कीमत बढ़ गई थी, वह कीमत बिलकुल चली जायगी। इसलिए जितने लोग सुन सकते हैं, वे सुनें और मिनिस्टर भी सुन लें, क्योंकि एक जानकार आदमीकी हैसियतसे मैं कह रहा हूं कि अगर यह सिलसिला न रुका तो आपको गाड़ियां बंद करनी होंगी। गाड़ियां चलेंगी नहीं और जो चलेंगी उसमें कोई आदमी मुफ्त जा नहीं सकता।

: १३२ :

२६ अक्तूबर १६४७

भाइयो और बहनो,

आपने आजका बहुत मीठा भजन तो सुना। जिन्होंने हमको यह मीठा भजन सुनाया उन्हें आप लोग सब जानते तो होंगे नहीं। उनका नाम दिलीपकुमार राय है। उन्होंने हर जगहका भ्रमण किया है। उनके कंठका माधुर्य जैसा है वैसा हिंदुस्तानमें तो कम लोगोंके पास है। मैं तो कहता हूं कि शायद सारी दुनियामें भी बहुत कम लोगोंके पास है। मेरे पास ये दोपहरको आ गए थे। तब कोई अधिक समय तो मेरे पास था नहीं, सिर्फ १० मिनट थे। उस वक्त उन्होंने 'वन्देमातरम्' सुनाया, जिसको उन्होंने अपने मधुर स्वरमें बिठाया। क्योंकि वे बंगाली हैं इसलिए तो उन्हें जानना ही चाहिए। चूंकि वे मुझको सुनाना चाहते थे, इसलिए सुन लिया। लेकिन मैं कोई संगीत-शास्त्री तो हूं नहीं। उनको मुझसे मुहब्बत है, जो एक दूसरेके साथ बन जाती है। पीछे उन्होंने इकबालका 'सारे जहांसे अच्छा' भजन सुनाया। उसको भी उन्होंने एक नए स्वरमें बिठाया है। मुझको यह बड़ा अच्छा लगा। वे ऋषि अरविंदके आश्रममें, जो पाण्डूचेरीमें हैं, कई वर्षोंसे रहते हैं। वहां कोई तालीम तो उन्होंने ली नहीं। जब वहां गए तब भी वे संगीत-शास्त्री थे। पीछेसे अपनी कलाको बढ़ाते रहते हैं।

इस भजनका रहस्य तो यही है न, कि कबीर कहते हैं कि तुम्हारे पास तो यह हाथी, घोड़े तथा करोड़ोंकी दौलत पड़ी है, लेकिन मेरे पास तो केवल मुरारीका ही नाम है। मैं तो उसीसे धनपति हूं और तुम्हारे पास जो इतना धन पड़ा है वह निकम्मा है। वह आज है कल चला जायगा, लेकिन मेरे पास जो धन है, वह कभी जा नहीं सकता। राम-नामकी महिमा कितनी बड़ी है, यही इसमें बताया गया है। और जो चीजें भजनमें हैं वे तो आपने सुन ही लीं। लेकिन अरविंदका आश्रम क्या चीज है यह भी तो आपको जानना चाहिए। यों तो वहां लोगोंकी एक धारा चल रही है। वहां हमेशा काफी लोग जाते हैं।

उनके काफी भक्त हैं, हिंदू क्या, मुसलमान क्या किसीके लिए वहां घृणा तो है ही नहीं। सर अकबर हैदरी, अब तो वह मर गए, प्रतिवर्ष वहां जाते थे, उसका तो मैं गवाह हूं। श्रीअरविंद तो दीनभक्त हैं, किसीसे मिलते नहीं हैं। ऊपरसे उनका दर्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन लोग जाते थे। उनके पास यह रहते हैं। इनके दिलमें भी ऐसी कोई घृणा नहीं है। तो इतना तो हम सीख लें कि हमारे दिलमें क्यों घृणा होनी चाहिए।

लेकिन मैं तो आज काश्मीरमें जो हो रहा है उसके बारेमें कहना चाहता हूं। और कहना भी चाहिए। अखबारोंमें तो आप देख ही रहे हैं। वह तो एक अजीब बात है। तीन दिनकी बात है। किसीको पता नहीं था। मुझको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला था। लेकिन वह एक युगकी बात हो गई ऐसा हम कह सकते हैं। अभी कहते तो ऐसा हैं कि वहां अफ्रीदी और दूसरे लोग बंदूकोंके साथ घुस गए हैं और कोई तो यह भी कहते हैं कि यह तो पाकिस्तानकी कारस्तानी है। वह हो, उससे तो मुझे कोई वास्ता नहीं है। मैं तो जो वहां हो रहा है उसको देख रहा हूं। एक तरफ तो वे पुंछ तक चले गए और वहांसे भी आगे, श्रीनगरसे २२ मीलतक के फासलेतक पहुंच गए। वहांसे तो सीधी सड़क पड़ी है। कोई रुकावट हो नहीं सकती है।

जब काश्मीरके महाराजाने यह देखा तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय संघमें आ जाता हूं। महाराजाने लार्ड माउंटबैटनको खत लिखा, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि आप आ सकते हैं। पीछे जब आ गए तो शरणागत बने और उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन रक्षा करें कहांसे? रास्तेसे तो जा नहीं सकते, हवाई जहाजसे ही जा सकते हैं। लेकिन हवाई जहाजसे कितना लश्कर जा सकता है, चंद आदमी आ-जा सकते हैं। उनको अपने हथियार ले जाने हैं, खुराक ले जानी है, कपड़े भी ले जाने हैं और मोटे कपड़े भी होने चाहिए। एक रतल वजन हो गया तो वजन बढ़ गया। ऊपर पक्षीके माफिक चलना है तो कितने लोग जा सकते हैं। शायद आज भी कुछ गये हैं। कुल १००० गये होंगे, ज्यादा-

से-ज़्यादा १५०० गये होंगे। एक ओर तो ये १५०० आदमी और दूसरी तरफ कबाइली इलाकेसे बहुतसे लोग आ गये हैं। वे भी तो लड़नेवाले हैं, वे लड़ते हैं। उसमें आप क्या सोचें और मैं क्या सोचूं। आखिर मेरा जीवन तो ऐसे ही काममें चला गया है। मैं तो शस्त्र-युद्धको माननेवाला नहीं हूं, लेकिन मुझको समझना तो चाहिए कि वह क्या बात है। एक ओर तो वे १५०० आदमी और दूसरी तरफ इतने अफ्रीदी और दूसरे लोग। फिर वहां शेख अब्दुल्ला साहब हैं। शेरे काश्मीर उसको कहते हैं। याने बाघ है, सिंह है। वह बड़ा तगड़ा है। आपने उसका चित्र तो देखा ही होगा। मैं तो उसको पहचानता भी हूं। उसकी बेगमको भी पहचानता हूं। बेगम तो आज यहां पड़ी है। तो एक आदमीसे जितना हो सकता है वह वे कर रहे हैं। वे कोई लड़नेवाले तो हैं नहीं। यों तो काश्मीरमें तगड़े मुसलमान पड़े हैं, तगड़े हिंदू भी पड़े हैं, राजपूत और सिख भी पड़े हैं। तो उसने तय कर लिया है कि जितना हो सकता है वह करूंगा। वह तो मुसलमान है। काश्मीरमें मुसलमानोंकी बड़ी आबादी है। यहांसे तो ये लोग बंदूक लेकर जाते हैं, लेकिन वहांके मुसलमान क्या करें और क्या न करें। माना कि हम तो यहां जाहिल बन गए हैं, यहां कहो या पाकिस्तानमें कहो, कोई पागलपन बाकी नहीं रखा है। क्या वहां वे लोग भी जाहिल बन जायं और जिनको काटना है उनको काटें, औरतोंको काटें, बच्चोंको काटें, इस बुरे हालसे मरें, यह हाल काश्मीरका हो। तो पं० जवाहरलाल नेहरू और मंत्रिमंडलके सभी सदस्योंने सोचा कि कुछ-न-कुछ तो किया जाय, तो इतने आदमी भेज दिये। वे क्या करें? इतना ही करें कि आखिरी दमतक लड़ते रहें और लड़ते-लड़ते मर जायं। जो लड़नेवाले या शस्त्रधारी होते हैं उनका यही काम होता है कि वे आगे बढ़ते हैं और हमला करने-वालोंको रोक लेते हैं। वे मर जाते हैं, लेकिन पीछे तो कभी हटते नहीं हैं। इसका क्या परिणाम होगा, वह तो ईश्वर ही जानता है। जैसा भजनमें बताया गया है। हमारा धन तो मुरारी ही है। करोड़ोंकी दौलत हमारा धन नहीं है। शस्त्र हैं, वह भी हमारी दौलत नहीं है। जो कुछ करना है वह मुरारी ही करता है, लेकिन पुरुषार्थ करना तो

हमारा काम है। वह हम करें। तो इन १५०० आदमियोंने पुरुषार्थ किया। लेकिन कब, जब वे श्रीनगरके बचानेमें सारे-के-सारे कट जाते हैं। पीछे श्रीनगरके साथ काश्मीर भी बच जायगा। इसके बाद क्या होगा?

यही होगा न, कि काश्मीर काश्मीरियोंका होगा। शेख अब्दुल्ला जो कहते हैं वह तो मैं संपूर्णतया मानता हूं कि काश्मीर काश्मीरियोंका है, महाराजाका नहीं। लेकिन महाराजाने इतना तो कर लिया है कि उन्होंने शेख अब्दुल्लाको सब कुछ दे दिया और कह दिया है कि तुमको जो कुछ करना है सो करो। काश्मीरको बचाना है तो बचाओ। आखिर महाराजा तो काश्मीरको बचा नहीं सकते। अगर काश्मीरको कोई बचा सकता है, तो वहां जो मुसलमान हैं, काश्मीरी पंडित हैं, राजपूत हैं और सिख हैं, वे ही बचा सकते हैं। उन सबके साथ शेख अब्दुल्लाकी मोहब्बत है, दोस्ती है। हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला काश्मीरका बचाव करते-करते मर जाते हैं, उनकी जो बेगम है वह मर जाती है, उनकी लड़की भी मर जाती है और आखिरमें काश्मीरमें जितनी औरतें पड़ी हैं वे सब मर जाती हैं, तो एक भी बूंद पानी मेरी आंखोंमेंसे आनेवाला नहीं है। अगर लड़ाई होना ही हमारे नसीबमें है तो लड़ाई होगी। दोनोंको ही लड़ना है या किस-किसके बीच होगी, यह तो भगवान ही जानता है, हमलावरोंकी पीठपर अगर पाकिस्तानका बल नहीं है या पाकिस्तानका उसमें कोई उत्तेजन नहीं है, तो वे वहां कैसे टिक सकते हैं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन माना कि पाकिस्तानकी उत्तेजना नहीं है, तो नहीं होगी। जब काश्मीरके लोग लड़ते-लड़ते सब मर जायंगे तो काश्मीरमें कौन रह जायगा? शेख अब्दुल्ला भी चले गए, क्योंकि उनका सिंहपन, बाघपन तो इसीमें है कि वे लड़ते-लड़ते मर जाते हैं और मरते दमतक उन्होंने काश्मीरको बचाया, वहांके मुसलमानोंको तो बचाया ही, उसके साथ वहांके सिख और हिंदुओंको भी। वे ठेठ मुसलमान हैं। उनकी बीबी भी नमाज पढ़ती है। उन्होंने मधुर कंठसे मुझे 'ओज अबिल्ला' सुनाया था। मैं तो उनके घरपर भी गया हूं। वे मानते हैं कि जो हिंदू और सिख यहां हैं वे पहले मरें और मुसलमान पीछे, यह हो नहीं सकता। वहां हिंदू और सिखकी तादाद कम है,

तो भी क्या हुआ। अगर शेख अब्दुल्ला ऐसे हैं और उनका असर मुसलमानोंपर है तो हमारा सबका क्षेम है। आज जो जहर हममें फैल गया है वह होना नहीं चाहिए और काश्मीरके मारफत हमारा यह जहर भी चला जायगा। अगर उस जहरको मिटानेके खातिर काश्मीरमें इतनी कुरबानी हो जाती है तो उससे पीछे उनकी आंखें भी खुल जायंगी। जो कबाइली लोग हैं, उनका काम तो मारना ही है। वे चले तो गए, वहां अपनी शक्ति भी बता दी। वहां उनके साथ कौन-कौन हैं, उसका तो मुझे पता है, लेकिन उसका नतीजा तो यह आना है कि काश्मीरमें जितने हिंदू-मुसलमान पड़े हैं अगर वे सब-के-सब शहीद हो जाते हैं तो हमारी भी आंखें खुल जाती हैं। हम समझेंगे कि सब मुसलमान पाखंडी और पाजी नहीं हैं, उनमें भले भी रहते हैं। इसी प्रकार हिंदू और सिखों में भी सब अच्छे या फरिश्ते हैं, यह भी झूठ है, या सब निकम्मे हैं या काफिर हैं, वह भी गलत बात है। इसीपर मेरा तो खयाल है कि जो लोग भले हैं वे हिंदू-मुसलमान-सिख सभीमें हैं और इन्हीं भले आदमियोंपर दुनिया चलती है, न कि हथियार रखनेवालों पर।

यह जो मधुर कंठमें हमने भजन सुना है उसका भी निचोड़ यही है। काश्मीरमें अगर सारे लोग भी रक्षा करते-करते मर जायं तो मैं नाचनेवाला हूं। मेरे दिलमें तो कोई रंज नहीं होनेवाला है। दुनियाका काम चलता ही रहता है। यह तो सब ईश्वरका खेल है। लेकिन पुरुषार्थ तो है और वह यही कि हम सच्चा काम करते हुए मर जायं।

: १३३ :

३० अक्तूबर १९४७

(आज सायंकाल प्रार्थना-सभाके समय कुरान-शरीफकी आयत पढ़े जानेपर एक व्यक्तिद्वारा आपत्ति की गई जिसके कारण प्रार्थना न हो सकी। लोगोंने आपत्ति करनेवालेको अपना विरोध वापस ले लेनेको समझाया, लेकिन बाहर जाकर वह फिर भीतर आ जाया करता

था। इसलिए गांधीजीको प्रार्थना-सभाके लिए आते समय तीन बार लौटना पड़ा। अंतमें जब वह आदमी चला गया तब लोगोंके अनुरोध करनेपर गांधीजीने थोड़े समयके लिए भाषण करते हुए कहा—)

भाइयो और बहनो,

यहां क्या हो रहा था यह मुझे पता चलता रहता था। इससे मुझे दु:ख हुआ। मैं आज तो यह बता देना चाहता हूं कि यह एक निजी आदमीका घर[1] है। यहां गोलमाल नहीं होना चाहिए। जो लोग बाहरसे यहां आ जाते हैं वे आएं; लेकिन आनेके बाद शिकायत करना यह सभ्यता नहीं है। आज एक भाई कहते हैं कि आज प्रार्थना नहीं होने दूंगा। तब मुझे विचार करना पड़ा कि इस हालतमें मुझे प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं। शिकायत करनेवालेको आपने कहा तो वे चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए। यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसका दिल दु:खित होता है। यों तो मैं समझता हूं कि आप लोगोंमेंसे काफी लोग दु:खित होंगे कि प्रार्थनामें कुरान-का एक टुकड़ा होता है। लेकिन मैं लाचार हूं, क्योंकि वह मेरी प्रार्थना-का एक अविभाज्य अंग है। यहां प्रार्थना नहीं होगी, तो क्या मैं प्रार्थना नहीं करूंगा? एक तरफ धर्म बताता है कि मैं प्रार्थना करूं। मैं यहां प्रार्थना नहीं करूंगा, इसलिए घरमें प्रार्थना न करूं ऐसी बात नहीं है। दुनियामें मेरे साथ कोई भी न रहे तो भी प्रार्थना करूंगा। दिलमें ही प्रार्थना हो सकती है। मुझको यहां अहिंसाकी दृष्टिसे सोचना पड़ता है। उसी निगाहसे देखना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है? यदि वह भाई चला जाता है तो मैं प्रार्थना करूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आज प्रार्थना तो करना नहीं चाहता हूं, बहस भी नहीं करना चाहता हूं, तो भी कहूंगा, क्योंकि समय भी नाजुक पड़ा है। इसलिए लोग सुनना चाहते हैं कि गांधी क्या कहता है! मैं भी कहना चाहता हू कि लोग मुझे समझ तो लें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन मैं लाचार बन गया, इसलिए बहस नहीं करूंगा।

[1] बिड़ला-भवन।

मुझे सोचना है कि मैं जो प्रार्थना करता हूं उसे बंद कर दूं और क्या बहसमें ही रहूं ? यह बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्नपर मुझे सोचना पड़ेगा। आज मैं कहना नहीं चाहता और बहस भी नहीं करना चाहता। बहस ही करूं तो प्रार्थना छोड़ दूं। मैं इसके बारेमें एक प्रेस-वक्तव्य निकाल दूंगा।

जब देखा कि आप लोग हैं तो मैं आ गया। मेरी सभ्यता और अहिंसा बताती है कि मैं अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दूं और बता दूं कि मैं कौन हूं। मेरे पास इस जगतमें सत्य और अहिंसाके सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। आप सत्य और अहिंसाको पहचान लें तो दुनियामें बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। मैं कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता। दुनियामें बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ईश्वरका जो नियम है उसे कौन फेर सकता है और दुनियामें जो बड़े-बड़े नियम हैं उन्हें ईश्वर फेर नहीं सकता। मैं समझता हूं कि हम अभिमानमें पड़े हैं, अज्ञानमें पड़े हैं, इसलिए यह मान लेते हैं कि सत्य तो इतनी बड़ी चीज है कि वह व्यापारमें कैसे चल सकती है ? व्यवहारमें कैसे चल सकती है ? अहिंसा चलेगी कैसे ? मुझे लोग गाली देते हैं तो लोग कहते हैं कि जब कोई मुझे दो गाली देता है तो मैं एक गाली तो दूं। गालीके सामने थप्पड़ क्यों न लगा दूं। इसके पीछे क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हमको तो आगे बढ़ना ही है, यही मैं समझता हूं कि जन्म लेनेके मानी हैं। मैं स्थिर रह नहीं सकता हूं। स्थिर तो एक ईश्वर है; लेकिन स्थिर होते हुए उपनिषदमें बताया गया है कि वह स्थिर भी है और गतिमान भी है। हमेशा गति करता है—ऐसा जो गति करता है वह स्थिर है, ऐसा लगता है। हम कहां जानते थे कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है; लेकिन अब हम सीख गए कि गति-सी जो लगती है वह स्थिर है। ईश्वरकी ऐसी माया बन गई है। जो स्थिर और अस्थिर है, वह ईश्वर ही है। हममें स्थिरता-जैसी कोई चीज नहीं है; गति है, गति है तो हमको बढ़ना है। हम मांके पेटसे निकले और बढ़े। आगे जाते-जाते वृद्ध होते हैं। ऐसा काम दुनियामें चलता है। जो जन्मता है उसको आगे बढ़ना है, वह बढ़ता ही है। कुछ

लोग वृद्धावस्थाको गिरना मानते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं मानता। वृद्धावस्था पका हुआ फल है। तो शरीर छूटता है, आत्मा थोड़े छूटता है। वह न मरता है और न गिरता है। आत्माकी गति बढ़ती ही रहती है लेकिन दुनियामें सत्य और अहिंसाके बिना काम नहीं चलता। मैं अब भी दावेके साथ कहता हूं कि सत्य और अहिंसा ऐसी चीज है जिसे बच्चेको भी सीखना चाहिए। इसे अगर माता सीख लेती है तो अपने बच्चेको सिखा सकती है। माता आज-के-आज तो सीख नहीं सकती है, लेकिन कहते हैं कि हम तो आदिकालसे, करोड़ों सालसे हैं तो उस विकासको देखना है। इसके लिए हममें धैर्य तो होना ही चाहिए। मैं इसके बारेमें अधिक तो कहना नहीं चाहता; लेकिन सिवा सत्य और अहिंसाके कुछ नहीं हो सकता। हम विकास नहीं कर सकते।

मैं आज बहस तो करना नहीं चाहता। आप कल भी आएंगे। यदि कल भी किसीको कुरानकी आयत पढ़े जानेपर आपत्ति होगी तो उसपर मैं सोचूंगा कि मुझको बहस करना है या नहीं। यदि किसीको शिकायत होगी तो बोलेगा कि शिकायत है, नहीं तो बोलेंगे कि हम प्रार्थना सुनना चाहते हैं और बहस भी। लोगोंको समझ लेना चाहिए कि हम गुस्सेमें नहीं आयंगे। हां, पीछे कोई ठान लें कि हम किसीको सुनने न देंगे और चीखें तो मैं कहूंगा कि आपकी हिंसाकी कसौटी हो जायगी और मेरी अहिंसाकी परीक्षा हो जायगी? यह भी मालूम हो जायगा कि आप कहांतक जाते हैं? यदि आप मेरे साथ रहेंगे और अहिंसाका साथ देंगे तो अहिंसाके सामने हिंसा रह नहीं सकती, ऐसा मैं दावेके साथ कह सकता हूं। लेकिन शर्त यह है कि मैं जैसा कहूं वैसा आप करें। आप कहें कि हम अंकुशमें रहनेवाले हैं, निग्रहमें रहेंगे और दिलमें गुस्सा न करेंगे। वह भाई अज्ञानी है जो कुरानकी आयतपर आपत्ति करता है। कुरानशरीफने क्या गुनाह किया है? यहांके मुसलमान बिगड़े, इसलिए कुरान बिगड़े यह बात नहीं है। वह तो बुलंद है, सनातन है, अरबीमें है। जो उससे घृणा करता है उससे अधिक अज्ञानी मैं और किसीको नहीं समझता। इसी तरहसे शिकायत करनेवालेको आप समझा दें। हां, अगर कोई कहे कि वह प्रार्थना सुनना ही नहीं चाहता तो मैं प्रार्थना

करूंगा और बहस भी। लेकिन मैं प्रार्थना बंद करता हूं, इसके लिए किसीको आप मारें यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि मैं अकेला रहूं और पांच आदमी आवें और कहें कि हम आपको मार डालेंगे तो मैं कहूंगा कि मेरा सिर आपके सामने है। मैं कहूंगा कि पांच क्यों मारें, एक ही आदमी गला काट सकता है। लेकिन तो भी मैं प्रार्थना करूंगा। जब आपका दिल ऐसा हो जायगा तब आप न किसीको मारेंगे और न किसीपर गुस्सा करेंगे। शिकायत करनेवाला, जिसे हम असभ्य कह सकते हैं, अगर चीख-चीखकर भी शिकायत करेगा तो भी हम प्रार्थना करेंगे। कल प्रार्थना होगी और बहस भी। यदि कल कोई शिकायत करे तो वह शिकायत करके चला जाय। उसके पीछे मैं ख्वार नहीं होना चाहता। मैं गुस्सेको काबूमें रखूं, धीरज रखूं तब मेरी गाड़ी आगे चल सकती है। मैं आज इतना ही सुनाना चाहता हूं। अब आप शांतिसे घर जाइए और बहस न करें। घर जाकर इसपर विचार कीजिए।

: १३४ :

३१ अक्तूबर १९४७

(आज सायंकाल भी गांधीजीकी प्रार्थना-सभामें कुरानकी आयत पढ़ी जानेपर दो आदमियोंने आपत्ति की। फलस्वरूप प्रार्थना आरंभ करनेसे पहले गांधीजीने इस बारेमें कहा—-)

भाइयो और बहनो,

मेरे विचारसे दो या तीन आदमियोंकी खातिर बाकी करीब ३०० आदमियोंको निराश करना भी एक तरहकी हिंसा है। इन आदमियोंको विरोध करनेका तो हक है, लेकिन सभ्यता और शिष्टाचार कहता है कि उन्हें अपने इस हकको इस जगहपर, जो कि बिड़लाजीकी निजी मिल्कियत है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वे करते हैं तो कौन रोक सकता है? तो फिर सभाके शेष लोगोंको चाहिए कि वे बर्दाश्त करें, अपने दिलोंमें गुस्सा न करें और जो लोग विरोध करते

हैं, उनको यहां और बाहर भी कुछ न कहें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं अपनी प्रार्थना करूंगा और उसमें कुरानशरीफकी आयत भी रहेगी। आप लोग, जो बहुमतमें हैं, ऐसा न सोचें कि चूंकि हम इतनी बड़ी तादादमें हैं, इसलिए विरोध करनेवालोंकी दरकार ही नहीं है। यदि आप ऐसा सोचें तो वह हिंसा हो जाती है। जो अल्पमतमें हैं उनकी हमें ज्यादा दरकार होनी चाहिए, यही तालीम मैं अबतक देता आया हूं। आगे भी मैं ज्यादा-से-ज्यादा यही तालीम दूंगा कि अहिंसा किस तरहसे काम करती है।

सत्य और हिंसाके जो मौलिक सिद्धांत हैं उनमें कोई खास गुत्थी नहीं रहती। उनको सीखनेके लिए कोई खास डिग्री लेनेकी जरूरत नहीं होगी। अंग्रेजी तो क्या उसके लिए मादरी जबान[१] भी सीखनेकी जरूरत नहीं होगी। उनको जानने लायक चीज तो हम बचपनमें अपने मां-बापसे सीख लेते हैं। उसपर अमल करना तो इससे भी आसान है। इसलिए अगर आप लोगोंमें उनका विरोध बर्दाश्त करनेकी शक्ति है तो मैं उनका विरोध होते हुए भी प्रार्थना करूंगा। सभ्यताका नियम तो यह है कि जिन लोगोंको कुरानशरीफकी आयतपर आपत्ति है वे अपना विरोध प्रकट करके चले जाएं और बादमें मुझको समझाएं कि मैं इससे किस प्रकारसे हिंदू-धर्मको नुकसान पहुंचाता हूं। मैं समझदार आदमी हूं। इसलिए अगर वे मुझे समझा सकेंगे तो मैं उनकी बात मान लूंगा। मैं तो समझता हूं कि मैंने इससे हिंदू-धर्मको फायदा ही पहुंचाया है। यह मैं आजसे थोड़े ही करता हूं—एक अर्सेसे मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि उससे हिंदू-धर्मको कोई धब्बा नहीं लगा। उसके द्वारा जो मुसलमान मेरे दोस्त हैं उनको मैं और अधिक अपना सका हूं। यह तो मैंने कोई बुरा नहीं किया। इसी तरहसे मैं अगर सारी दुनियाको अपना सकूं और कोई मेरा दुश्मन या विरोधी न हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा तो कहांसे मैं परिपूर्ण आदमी हूं कि जिससे मेरा कोई विरोध न कर सके; लेकिन जो विरोध करते हैं उनको

[१] मातृभाषा।

में बर्दाश्त करना तो सीख लूं। अगर आप लोग भी उनका विरोध बर्दाश्त कर लें तो वे लोग भी सोचेंगे कि ये तो सब शरीफ आदमी हैं—हमको कोई कुछ कहता ही नहीं, सब सद्भावनासे हमको अपनाते हैं। अगर हम सब ऐसा कर सकें तो हिंदुस्तानकी शक्ल बदलनेवाली है, इसमें कुछ शक नहीं है। इसलिए मैं आपको पूछता हूं कि क्या आप इसे बर्दाश्त कर लेंगे? पुलिस भी उनको कुछ न कहे।

(गांधीजीके यह पूछनेपर सब लोगोंने रजामंदी प्रकट की। तब प्रार्थना हुई। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने भाषण करते हुए सबसे पहले शांति रखनेके लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और उन्होंने सभाके बाकी लोगोंको भी उन दो व्यक्तियोंके विरोधको बर्दाश्त करनेपर बधाई दी।)

अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिणाम हमको अच्छा ही मिलनेवाला है। 'मन-मंदिरमें प्रीति बसा ले'—श्रीदिलीपकुमार रायक, जिन्होंने इस भजनको आजकी प्रार्थना-सभामें गाया है, कंठमें जो माधुर्य है और उनके गानेमें जो कला है, वह मुझको मीठे लगे। वैसे तो यह मामूली चीज है, लेकिन उसे जिस ढंगसे सुंदर बनाया गया, उसीका नाम कला है। इस भजनमें यह चीज है कि अपने मनको मंदिर बनाओ और उस मंदिरमें प्रीति बसाओ। तो इसमें भी अहिंसाका शिक्षण है। इस भजनका कवि आदमीको कहता है कि तू मूर्ख और भोलाभाला क्यों बनता है! अगर तू केवल अपने मन-मंदिरमें ज्योति जगा लेगा तो तेरा सारा काम बन जायगा। उसके बाद तो सारी दुनियामें ज्योति या प्रकाश ही दीखेगा। अंधेरा कहीं रहेगा ही नहीं। इसी तरहका चमत्कार सत्य और अहिंसामें भरा है। यह बड़ी सीधी-सादी चीज है; लेकिन अगर हम इतनी चीज भी सीख लें तो दुनियामें हमारा सारा व्यवहार सरल हो जाता है।

नवाखालीमें मैंने देखा कि वहांके अमीर लोग गरीबोंको वहीं छोड़कर भाग गए। वहांके देहातोंमें वे लोग, जिनको कि हम मूर्खता-वश अछूत कहते हैं, भरे पड़े हैं। क्योंकि मैं उधर घूमा हूं, इसलिए मैंने देखा कि वे लोग बड़े परेशान थे। वहांकी स्त्रियां चूड़ियां पहनना तथा माथेपर सिंदूर लगानातक भूल गई थीं। पंजाब या दूसरे स्थानोंसे जो लोग

यहां आ रहे हैं उनमें भी मैं देखता हूं कि धनी लोग तो कुछ-न-कुछ अपना धंधा कर ही लेते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और दोस्त भी मिल जाते हैं। लेकिन गरीब क्या करें? वे कहां जायं? नवाखालीमें तो हिंदू ही थे, लेकिन बिहारमें मैंने देखा कि मुसलमान परेशान पड़े थे। मैंने उनको कहा कि आपमेंसे जो मर गए, वे मर गए और बाकी जो धनी हैं और वे जो बाहर जाना चाहते हैं वे चले जायं; लेकिन गरीबोंका बेली[1] परमेश्वर ही है। परतु ईश्वरको अपने हाथ या मुंहसे तो काम करना नहीं है, वह तो दूसरोंको प्रेरणा देता है और उनकी मारफत अपना काम करा लेता है। लेकिन क्या धनिक लोग इतने कठोर और नास्तिक बन जायं कि ईश्वरको भी भूल जायं और अपने धनको ही परमेश्वर मानकर बैठ जायं? लेकिन धनिक लोग तो वहांसे भाग गए और वहां जो गरीब लोग रह गए वे मुझको लिखते हैं कि हमारा कुछ तो करो। चूंकि मैं कई वर्षोंसे गरीबोंका काम करता आया हूं, इसलिए वे मेरी ओर देखते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास न तो कोई ताकत है और न सत्ता है। चूंकि वे मुझे लिखते हैं; इसलिए मुझे उनका ज्ञान तो हो जाता है।

अभी हमारे यहां दिल्लीमें जो शिविर चलते हैं उनमें भी काफी गरीब लोग पड़े हैं। धनी भी हैं और उन धनी व्यक्तियोंमें कुछ अच्छे भी हैं जो गरीबोंको खाना खिलाकर खाना खाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग यहां आ गए हैं वे अपने अंदर धनी और गरीबका भेद नहीं करें। अगर अमीर गरीबोंको घृणासे देखेंगे तो वह धर्म नहीं अधर्म हो जायगा। इसलिए मैं साफ कहूंगा कि जो धनी लोग हैं वे गरीबोंको अपने साथ लेकर चलें। तभी हम संगठित रूपमें रह सकते हैं।

अभी हालमें दो यूरोपियनोंने, जो पति-पत्नी थे, हमारे कुछ शिविरोंको देखा। वे उनको देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा कि गरीब और अमीरके विभाग तो हैं, लेकिन फिर भी सब लोग अच्छी

[1] सहायक।

तरहसे रहते हैं। वे यहां सेवा करनेके ही उद्देश्यसे आये हैं। अगर हम सब लोग ईश्वरका नाम लेकर काम करें तो जैसे दूधमें शक्कर मिल जाती है वैसे ही पंजाबके शरणार्थी भी दिल्लीके लोगोंमें मिल जायंगे।

दिल्लीमें अभी काफी मुसलमान पड़े हैं। मैंने आज एक फेहरिस्त देखी है, जिसमें अगर अतिशयोक्ति नहीं है तो मालूम होता है कि यहां सैकड़ों मुसलमानोंको जबरन हिंदू या सिख बनाया गया है। जिन लोगोंका इस तरहसे धर्म-परिवर्तन किया गया है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगरचे आपकी मुसलमानी शक्ल बदल दी है, लेकिन अगर खुदा सचमुच आपके दिलमें बैठा है तो आपको न तो दाढ़ी मुंडानेकी जरूरत है न चोटी रखनेकी। जो लोग स्वेच्छासे गीताजीको पढ़ना चाहें खुशीसे पढ़ सकते हैं, जैसे मैं कुरानशरीफ को पढ़ता हूं और मेरी आत्मा खुश होती है। लेकिन अगर कोई मुझको हुक्म करे कि तुम्हें कुरानशरीफ पढ़नी ही होगी, नहीं तो हम मार डालेंगे तो मैं कहूंगा कि मुझे आपकी कुरानशरीफ नहीं चाहिए, भले ही उसमें रत्न भरे हों। इसलिए जो मुसलमान हिंदू या सिख बन गए हैं उनसे कहूंगा कि उन्हें अपने धर्मपर कायम रहना है। अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करते हैं तो हम हिंदू-धर्मका नाश करते हैं। हिंदुस्तानमें ऐसा हमेशा हो नहीं सकता है और अगर होता है तो हम गिर जाएंगे और जो आजादी हमने ली है उसको हम खो देंगे। वह स्वप्नकी तरह हो जायगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए जितने मुसलमान यहां हैं उनको निडर होकर रहना चाहिए। जिन्होंने धर्म-परिवर्तन कर लिया है वे कहें कि तब तो हम डर गये थे, लेकिन अब हम समझ गये हैं कि जो खुदापरस्त या ईश्वर-भक्त होते हैं वे किसीसे नहीं डरते, अगर किसीसे डरते हैं तो केवल ईश्वरसे। ईश्वरसे डरना तो अच्छी बात है, क्योंकि वह प्रेमका धाम है, दयाका सागर है। उससे डरनेसे तो हम कृतार्थ हो जाते हैं। लेकिन इन्सानसे कभी नहीं डरना है। इसलिए वे कह देंगे कि हम धर्म-परिवर्तन करनेसे तो मरना अच्छा समझेंगे। चाहें तो आप हमें पाकिस्तान भेज दें,

लेकिन पाकिस्तानके जानेके लिए भी कोई मजबूर नहीं कर सकता।

लियाकतअली साहब और हमारे प्रधान मंत्रीमें भी यही समझौता हुआ है न, कि जो पाकिस्तान जाना चाहें वे पाकिस्तान चले जायं; लेकिन लियाकतअली साहब, सरदार और जवाहरलाल भी किसीको मजबूर नहीं कर सकते। कोई कानून नहीं है। इसलिए जो मुसलमान यहां रहते हैं उनको हमें प्रेमसे रखना चाहिए। अगर मैं जिंदा रहूं तो इसके सिवा कोई दूसरा दृश्य देखना नहीं चाहता। पहले मैं १२५ वर्ष जिंदा रहनेकी बात सोचता था, लेकिन अब वह भूल गया हूं। अगर हिंदुस्तानके नसीब खराब हैं तो मुझको तो ईश्वर उठा ले। और अगर उसका नसीब बुलंद है और पल्टा होनेवाला है और होना तो चाहिए तो तू मुसलमानके दिलको बदल दे और उनका दिल तेरेसे ही भर दे। खुदाका नाम तो वे लेते हैं, लेकिन खुदाका काम नहीं करते। इसी तरहसे हिंदू भी अगर कृष्ण या रामका नाम तो लें, लेकिन पीछे कत्ल करें और एक दूसरेको काटें तो वह रामका काम नहीं कहा जा सकता।

कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई तो छिड़ गई है, काश्मीरमें क्या होगा? मैं कहता हूं कि कुछ नहीं होगा। काश्मीरमें जो लोग हैं वे बहादुर हैं। वहां हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक-सा रहते हैं। जो हमला करने गये हैं उनको वे कह दें कि अपने घर वापस जाओ, अगर हमला करोगे तो हमारी लाशपर खड़ा होना है, श्रीनगर आपको वैसे नहीं मिल सकता। पीछे हमारा जो लश्कर वहां गया है उसको कोई छूएगा नहीं। अगर वे मर जाते हैं तो वे अमर हो जायंगे तब हम नाचकर गा सकते हैं और अगर किसी वक्त यहां भी ऐसा, मौका आ गया तो श्रीदिलीपकुमार रायसे कहूंगा कि ऐसा भजन सुनाओ कि जिससे लोग नाचने लगें; क्योंकि जो लोग मर गये वे तो अमर हो गये और जो बचे हैं वे तो मृतप्राय हैं। मुझको तो इसका कोई दर्द नहीं होगा। हां, दर्द तब होगा जब लोग पागल बनें और पाकिस्तान भी पागल बने। जो अफ्रीदी लोग हैं वे भी तो हमारे भाई हैं और जो कबायली इलाका है वह भी हमारा ही है, तो वे

क्यों ऐसा काम करें ? उनको इमदाद[1] कौन देता है यह समझनेकी बात है। मैं तो कहूंगा कि उन सबमें ईश्वरका वास हो और मन-मंदिरमें प्रीतिकी ज्योति हो। तो हमारा अंधेरा मिट जाता है और सब जगह प्रकाश-ही-प्रकाश दिखता है। यही मेरी प्रार्थना है और आप लोग भी मेरी इस प्रार्थनामें शामिल हों कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें ऐसा प्रकाश पैदा हो जाय जिससे आपस-आपसमें मोहब्बतसे रहें। पीछे हम खुराक और कपड़ा पैदा करनेमें लग जायं, जिसकी आज देशमें कमी है। और हम भूल जायं कि हममें दुश्मनी थी, और दोस्त बन जायं। बस यही मैं चाहता हूं कि हम सब इस काममें लग जायं।

: १३५ :

१ नवंबर १९४७

(आज भी गांधीजीकी प्रार्थना-सभामें उसी व्यक्तिने कुरानशरीफकी आयत पढ़नेपर आपत्ति की जिसने कल और परसों की थी। इसलिए प्रार्थना आरंभ करनेसे पहले गांधीजीने कहा--)

भाइयो और बहनो,

मुझको ब्रजकिशनजी कहते हैं कि जिस भाईने कल विरोध किया था उसीका आज भी विरोध है। उनका विरोध तो मुझे अच्छा लगता है और बुरा भी। अच्छा तो इसलिए कि कल जिस शांति और सभ्यतासे उन्होंने विरोध किया वैसा विरोध तो बराबर रह सकता है। जब उनके दिलमें विरोध है तब उसे बाहर क्यों न प्रकट कर दें। आप लोग भी यहां और बाहर, दोनों जगह शांत रहे और उनको कुछ नहीं कहा। इस लिहाजसे तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन दुःख इसलिए होता है कि जिस विनय और दृढ़तासे मैंने कल समझाया था उसको उन्होंने नहीं समझा। वह कोई गंभीर बात तो थी नहीं,

[1] मदद।

एक साधारण बुद्धि भी उसे ग्रहण कर सकती थी। मगर जब आदमीके दिलमें रोष हो जाता है तो मुझे प्रिय लगता है कि वे उस रोषको शांतिसे जाहिर करते हैं। इसलिए मुझे दुःख होता है और सुख भी। मैं समझ लेता हूं कि जैसे आप लोगोंने कल उत्साह बताया था और दिलमें उनके प्रति कोई रोष न रखते हुए मोहब्बत ही बताई, वैसे ही मुझको उम्मीद है कि आज भी आप वही करेंगे। तब तो मैं अपनी प्रार्थना शुरू करूंगा। अगर इस सभ्यतासे विरोध करें तब तो उसमें मैं कोई हानि नहीं समझता हूं। उससे तो हमें शांतिका ही पाठ मिलेगा और बुलंद अहिंसा कैसे काम करती है उसे हम सीख लेंगे। अगर ऐसा ही करते रहें तो हम समझ जायंगे कि इसमें कितना चमत्कार भरा है।

(इसके बाद प्रार्थना शांतिपूर्वक हुई और श्रीदिलीपकुमार रायने यह भजन गाया—'हम ऐसे देशके वासी हैं जहां शोक नहीं और आह नहीं।' बादमें गांधीजीने कहा—)

आज भी आपने उसी मधुर कंठसे मधुर भजन सुना। उसमें तो यही कहा गया है न कि 'हम ऐसे देशके वासी हैं, जहां शोक नहीं और आह नहीं।' पीछे उसमें और भी कहा है कि 'वहां मोह नहीं, लोभ नहीं' और भी हमारे जो इस प्रकारके रिपु हैं वे वहां नहीं हैं। लेकिन वैसा देश कहां हो सकता है? पहले जब सुचेतादेवीने यह भजन सुनाया था तब मैंने उस प्रार्थना-सभामें उसके दो अर्थ समझाए थे। एक तो मैंने यह बताया कि वह देश कविने हिंदुस्तानको कहा। उसकी एक इच्छा थी, स्वप्न था कि हमारा देश ऐसा हो, लेकिन आज तो वैसा है नहीं। वह भजन तो १५ अगस्तके पहलेका लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त भी देश तो ऐसा नहीं था। वहां शोक, लोभ, राग, मद, मोह, मत्सर, ये जो ६ हमारे दुश्मन माने गये हैं, सब वहां थे। इन छहोंमें और भी सब दुश्मन आ जाते हैं। तब तो उसमें भूख भी थी, भीख भी थी, कपड़े भी नहीं थे—ये सब विपत्तियां उस समय भरी हुई थीं, लेकिन कविको तो ऐसी आशा थी न, कि हमारा देश ऐसा बने। कैसे बने, इसमें दूसरा अर्थ आ जाता है। यह भी तो देश है न, कि भगवद्गीतामें जिसको कुरुक्षेत्र

भी कहा गया है और धर्मक्षेत्र भी। अगर मनमें भगवानका मंदिर है तब तो वह धर्मक्षेत्र हुआ और अगर मन स्वेच्छाचारी हो जाता है तब वह कुरुका धाम बन जाता है। कौरवरूपी दुश्मन तो कितने ही हैं, जिनके पिता अंधे हैं, लेकिन धर्मक्षेत्र तो युधिष्ठिरके रूपमें ही हैं न, इसलिए युधिष्ठिरका नाम धर्मराज हुआ। ऐसा जो हमारा देश है उसमें न आह है, न शोक है। वैसे हम सब हो सकते हैं, लेकिन शर्त भी बताई है न! तब हमारा देश कौन-सा है, जिसमें भगवान भरा है। कविने उसे पीछे स्वदेश भी कहा और स्वराज भी कहा। ठीक कहा उसने। जब हम स्वराज पा लेते हैं तब पीछे हिंदुस्तान ऐसा बन जायगा जिसमें न आह होगी, न शोक होगा। लेकिन देश आज जितना कंगाल है उतना तो मैंने कभी नहीं पाया। मैंने जो बचपनसे कुछ इतिहास पढ़ा है उसमें भी उसको ऐसा नहीं बताया गया है जैसा आज है। उस चीजको मिटानेके लिए ही यह भजन है। उसमें बताया गया है कि अगर हम अपने मनको मंदिर बना लें और उसमें भगवानकी प्रतिष्ठा कर लें तो सब खैर हो जाती है।

आज एक तरफ तो लोग भूखों मर रहे हैं और नंगे हैं। यहां तो हम सब कपड़े पहने हुए बैठे हैं। ठंड न लगे इसलिए मैंने भी चादर ओढ़ लिया। आज मेरे पास बेचारी एक डाक्टरनी आ गई। वह आज कुरुक्षेत्रसे आई थी। वह पंजाबमें बड़ा काम कर रही थी। वहां वह हिंदू, मुसलमान, सिख सबकी शुश्रूषा करती थी। वहांसे उसको भागना पड़ा। वहांसे निराश्रित होकर आ गई थी। सुशीलाजीने उनको कहा कि जब और कोई काम नहीं तब कुरुक्षेत्रमें काम करो तो वह उनको वहां अपने साथ ले गई। आज थोड़ा वहांका हाल सुनानेके लिए यहां आ गई थी। आज हमारे मुंशीजी यहां हैं। उनकी लड़की भी डाक्टर बन गई है। वह कहती है कि मैं कुछ तो करूं, खामखा यहां खाली बैठे क्या करूंगी। वह भी वहां चली गई। उस डाक्टरनीने आज मुझे यह भी सुनाया कि वहां लोगोंकी शुश्रूषा तो होती है, लेकिन डाक्टर काफी नहीं हैं। वहां इतने लोग भरे हैं, इतनी आपत्ति और व्याधि भरी है की जो दो-तीन महिला डाक्टर हैं वे काफी नहीं हैं। वहां

काफी डाक्टरोंकी जरूरत है। अगर डाक्टर जाते हैं तो वे सेवा कर सकते हैं—कोई मेरे-जैसे नीम-हकीम तो हैं नहीं, उनके पास तो विलायती दवा होनी चाहिए, क्योंकि वे विलायती डाक्टर होते हैं। उनके पास पूरी दवा नहीं है, लेकिन वह उन्हें मिल जानी चाहिए। औरतें पड़ी हैं, बच्चे पड़े हैं। वे हमेशा भिखारिन तो थीं नहीं। ऐसी भी औरतें हैं कि उनका एक बच्चा भीतर है और एक गोदमें। ऐसे हमारे हाल हैं।

इसमें हम किसको क्या दोष दें? कोई ऐसा कहे कि हकूमत नालायक है, लेकिन हकूमत क्या जानती थी कि इतनी परेशानी होगी। हमने तो कभी हकूमत चलाई नहीं थी। अभी तो हकूमतको चलाते दो ही महीने हुए। जब ऐसी आपत्ति आ पड़ती है तो हम कैसे उसको पहुंच सकते थे। इसको तो हमें बर्दाश्त करना ही है, लेकिन इसे बर्दाश्त करते हुए हम पागल बन जायं, रोषको कम न करें और कहें कि वहां उन्होंने एक मुक्का मारा तो हम दो मारेंगे, दो मारे तो हम चार लगायंगे, चार मारे तो आठ मारेंगे। तब तो यह सिलसिला कहीं मिटना ही नहीं है। पीछे हमको यह भजन गानेका अधिकार नहीं रहता है। अगर गायं तो सच्चे दिलसे गाना चाहिए। अगर हमारा मधुर कंठ है तो वह केवल मधुर गानेके लिए नहीं होना चाहिए। उसको भगवानकी भक्तिके लिए इस्तेमाल किया जाय। अगर उस माधुर्यसे किसीके दिलमें भगवान बैठ जाय और वहां उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो ठीक है।

एक तरफ तो हमारा यह हाल है और दूसरी तरफ काश्मीरका मामला है। यहांसे जितने हवाई जहाज जा रहे हैं, उनमें मुझको ऐसा लगता है कि फौजके आदमी ले जा रहे हैं। वहांसे कुछ लोग जो डरपोक हैं, भाग-कर आ रहे हैं। उनको भागना क्या था! और भाग कर जायंगे कहां? वे क्यों न वहीं बहादुरीसे मर जायं? इस तरहसे सारा काश्मीर भी जमींदोज[1] हो जाय तो मुझपर कुछ असर होनेवाला नहीं है। मैं तो हँसते-हँसते आपको यही सुनानेवाला हूं कि उसपर आप

[1] धराशायी।

सब नाचें। लेकिन शर्त यह है कि वहां सब लोग बहादुरीसे मर जाते हैं--बूढ़े और बच्चे भी। अगर कोई कहे कि बच्चे क्यों, तो मैं कहूंगा कि वे बच्चे कहां जाएंगे? आखिर वे अपने मां-बापके साथ रहते हैं। तो वे सब वहां पड़े हैं, लेकिन उन सबको हथियार कहांसे दें? मेरे-जैसेको तो हथियारकी दरकार नहीं रहती। आखिर जान है तो सब चीजपर फिदा करना है। तब तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो आत्मा है वह अमर है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसका मतलब यह है कि हम शरीरको ही आत्मा मान लेते हैं। और उसकी पूजा करते हैं; लेकिन शरीरको भी एक दिन तो मरना है ही। चूंकि बच्चा मांकी गोदमें रहता है, इसलिए अगर मां मर जाती है, तो बच्चेको भी मर जाना है। मरना ही है तब खुशीसे मरना चाहिए। वे कहें कि अगर अफरीदी लोग तबाह करने आए हैं तो हम खुद अपने-आप तबाह हो जाते हैं। जितने लश्करके लोग वहां गए हैं वे भी नाचते-नाचते मरेंगे। मरनेके लिए तो वे वहां गये ही हैं। जिंदा कब रहेंगे? तब जब कि यह मालूम हो जाय कि अब यहां खैर है, काश्मीरपर कोई चढ़ाई नहीं करता है, पूर्ण शांति हो गई है। अब तो काश्मीर शेख अब्दुल्लाके हाथमें पड़ा है। वह हिंदू, मुसलमान, सिख, सबको भाई-जैसा समझता है। बाहरसे भी जो लोग काश्मीरमें आकर रहते हैं, और अंग्रेज भी जो वहां जाते हैं, उन सबका वह दोस्त है। वह तो सबको बुलाता है कि आओ, और यहांकी खूबियां देखो, यहांके फल खाओ। वहांकी कारीगरी तो बहुत ही सुंदर है। लोग हाथसे बहुत खूबसूरत कपड़ा बुनते हैं और पेट भरके उसका दाम लेते हैं। लें क्यों नहीं, क्योंकि काश्मीर तो आखिर इसीपर जिंदा है। तो अब शेख अब्दुल्ला काश्मीरका मालिक बन गया है। महाराजा तो है, लेकिन उनके नामपर ही वह मालिक बना है। महाराजाने ही उनको कहा है कि कुछ करना है तो करो, अगर काश्मीरको रहना है तो रहेगा, और जाता है तो जायगा।

एक तरफ तो कुरुक्षेत्रमें, दूसरी तरफ काश्मीरमें क्या हो रहा है और तीसरी तरफ देखो तो हमको यहां इन चीजोंको भी बर्दाश्त करना

पड़ रहा है। पाकिस्तानमें इतने मुसलमान भाग गए हैं; जो बिना सबब भागते हैं वे जायं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन कुछ हमारे डरसे भी जाते हैं। कुछ मुसलमान भाई मेरे पास आते हैं तो मुझे शर्म आती है। वे कहते हैं कि हम अब खड़े नहीं रह सकते, पता नहीं कब मार दिये जायंगे। डरने उनके हृदयमें इस तरहसे प्रवेश कर लिया है। मुझको यह बुरा लगता है। इसी तरहसे एक औरत आती है और कहती है कि मुझे डर लगता है, वहां पठान मेरे पीछे पड़ा है। यह सुन कर मेरा हृदय रोता है। मैं कहता हूं कि जिसके पीछे भगवान है तो पठान या कोई भी हो, उसकी उसको परवाह क्या? लेकिन यह तभी हो सकता है जब उसको यह पता हो कि मेरे पास भगवान है। अगर कोई बदमाश आता है, चाहे वह पठान हो, हिंदू हो या सिख हो, क्योंकि बदमाशी पठानका ही क्षेत्र हो ऐसा थोड़ा ही है, बदमाश तो सब जगह पड़े हैं, वे भी ऐसे बदमाश और व्यभिचारी हो सकते हैं तो पतिव्रता स्त्री उसे देखकर कांप उठेगी। लेकिन वह क्यों कांप उठे? आप तो यह मानते ही हैं कि सीताजी कभी नहीं डरीं। रावणके कंधेपर रहते हुए भी वह नहीं डरीं। तब भी उसको सुनाती थीं कि राम मेरा पति है, वह मेरे पास पड़ा है। तो राम तो भगवान ही था न, इसलिए वह सुनाती थी कि खबरदार, यदि तूने मुझे छुआ तो भस्म हो जायगा। वह छोटी-सी लड़की थी, लेकिन उसमें पवित्रता थी, जिसकी वजहसे वह डरी नहीं। पवित्रता सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर हम इस बलासे मुक्ति पाना चाहते हैं तो जैसा कि अभी भजनमें कहा है वैसा हम सब बन जायं। हर एक स्त्री और पुरुष जो प्रार्थनामें आते हैं वे अगर सब ऐसे बन जायं तो वह गुलाबकी खुशबू-की मानिंद सारे हिंदुस्तानमें फैल जायगा। तो आज जो हम पागल-से बन गये हैं और जो विपत्ति आ गई है, वह पवित्रताके आनेसे कचरेकी तरहसे साफ हो जायगी। मैं तो ईश्वरसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम अच्छे बनें, काश्मीरमें जो हो रहा है उस भयसे मुक्त हो जायं और लोग जो निराधार होकर आ गये हैं, उनका भी भला हो।

कुरुक्षेत्रमें तो, जैसे डाक्टरनी मुझे बताती हैं, कुछ बदमाश आदि

भी आ गये हैं। जब एक दफा एक आदमीको कंम्बल मिल गया तो वही आदमी दूसरी तरहसे कंम्बल लेने आता है। वे इतना नहीं जानते कि सब लोगोंको ओढ़ने और पहननेको तो मिला ही नहीं। बहुत-सी औरतें ऐसी हैं जो वहांसे जो कपड़े पहनकर आई हैं वही उनके शरीरपर अबतक हैं। मुझको तो सुनकर भी यह बर्दाश्त नहीं होता—देखनेके पीछे न जाने क्या होगा? तो वे डाक्टरनी कहती हैं, अतिशयोक्ति तो वे कर नहीं सकतीं, कि मैंने अपनी आंखोंसे देखा है कि यह सब इसी तरहसे चलता है। इतनी बातें उसने मुझको सुनाईं।

मैं तो इतना ही कहता हूं कि हम समझ जायं कि हमारा अधर्म हमें कहां ले जा रहा है? हम कहींपर स्थिर होते हैं या नहीं और तब हम पीछे सोचें कि हम ऐसे देशके वासी हैं या नहीं कि जहां न आह है, न शोक है।

: १३६ :

२ नवंबर १९४७

(प्रार्थना-सभामें आज कई लोगोंने कुरानशरीफकी आयत पढ़े जानेपर आपत्ति की। फलस्वरूप गांधीजीने प्रार्थना आरंभ करनेसे पहले कहा––)

भाइयो और बहनो,

कुरानशरीफके कुछ टीकाकारोंने जो अर्थ लगाए हैं वे सही नहीं हैं। मैं तो उसे पढ़कर हिंदू-धर्मसे नीचे नहीं गिरता हूं; ऊंचा ही जाता हूं। मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तानमें या उससे बाहर भी सबसे आला दर्जेका जो हिंदू है उससे मैं कम नहीं हूं; क्योंकि मैं वेदको माननेवाला हूं, गीताको पढ़ता हूं और उसमें जो लिखा है उसपर अमल करता हूं। मुझको तो बचपनसे ही यह सिखाया गया है कि दुनियामें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर न हो।

ब्रजकिशनजी सुनाते हैं कि विरोध करनेवालोंका संघ आज कुछ

बड़ा है। वे कहते हैं कि हमको विरोध तो है, किंतु चूंकि मुझको सुनना चाहते हैं, इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि इसको बर्दाश्त क्या करना था। इससे न तो आपको फायदा होगा, न मुझको। अगर आपको मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करना है तब तो उस विरोधको बर्दाश्त करना ठीक है। आप इसलिए बर्दाश्त न करें कि मैं महात्मा हूं या मैंने हिंदुस्तानकी सेवा की है। आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या आप दिलसे प्रार्थना करना चाहते हैं।

(सब लोगोंद्वारा रजामंदी प्रकट करनेपर प्रार्थना आरंभ हुई और प्रार्थना शांतिसे हुई। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने भाषण करते हुए कहा—)

आप लोगोंने तो अखबारोंमें देखा ही होगा, लेकिन मुझको भी कुछ पता चल जाता है कि काश्मीरमें क्या हो रहा है। अब तो वहां खैर है, यही कहना चाहिए। खैरके माने यह कि काश्मीरमें श्रीनगर अबतक साबित पड़ा है। लुटेरे लोग अबतक उसपर कब्जा नहीं ले पाए और पीछे तो दिन-प्रतिदिन कब्जा करना उनके लिए मुश्किल ही होना चाहिए। लुटेरे जो होते हैं वे लड़ाकू तो होते नहीं। क्योंकि वे कोई हकसे तो वहां गये नहीं। इसलिए जगतमें उनकी निंदा ही होनेवाली है। ज्यों-ज्यों दिन जाते हैं त्यों-त्यों उनका दबदबा क्षीण होता जाता है। जो लश्कर जाता है उसको सुभीता रहता है, वक्त मिल जाता है। और वह वक्त मिल रहा है। हवाई जहाजसे अधिक लश्कर तो जा नहीं सकता, बहुत मुसीबत होती है, लेकिन हकूमतकी सब मदद कर रहे हैं ऐसा मैं सुनता हूं। वे सब शौकसे मदद करते हैं, इसलिए आरामसे सब हवाई जहाज जाते हैं। हवाई जहाज हकूमतके तो हैं नहीं, वे सब अपनी-अपनी निजी कंपनियोंके हैं और अच्छा काम समझकर अपने हवाई जहाज हकूमतको दे देते हैं।

एक बात और है—वह यह है कि जो आजाद हिंद फौज सुभाष बाबूने बनाई थी और उसके लिए हम सब सुभाष बाबूकी होशियारी, बहादुरीकी तारीफ करते हैं और तारीफ करनेकी बात है; क्योंकि जब वह हिंदुस्तानसे बाहर था तब उसने सोचा कि चलो,

थोड़ा फौजी काम भी कर लूं। वह कोई लड़वैया तो था नहीं। एक मामूली हिंदुस्तानी था। जैसे दूसरे वकील, बैरिस्टर रहते हैं वैसे सुभाष बाबू भी थे। फौजकी कोई तालीम तो पाई नहीं थी, हां, सिविल सर्विसमें जैसा आमतौरपर होता है, थोड़ी घुड़सवारी सीख ली होगी। लेकिन पीछे उन्होंने फौजी-शास्त्र थोड़ा पढ़ लिया होगा। इस प्रकार उनके मातहत जो सेना बनी थी, मैं सुनता हूं कि उसके दो बड़े अफसर, जिनसे मैं जेलमें तथा उसके बाहर भी मिला था, काश्मीरपर हमला करनेवालोंसे मिले हुए हैं; यह मुझको बहुत चुभता है। ये सुभाष बाबूके मातहत खास काम करनेवाले थे और हमेशा उनके साथ रहा करते थे। सुभाष बाबू लश्करसे कोई बात छिपाकर रख तो सकते नहीं थे क्योंकि उन्हें उनके मारफत काम लेना पड़ता था। वे आज लुटेरोंके सरदार होकर जाते हैं तो मुझको चुभता है। अगर उनको अख़बार मिलते हैं या जो मैं कहता हूं उसको वे सुन लें तो मैं अपनी यह नाकिस[1] आवाज उनको पहुंचाता हूं कि आप इसमें क्यों पड़ते हैं और सुभाष बाबूके नामको क्यों डुबाते हैं ? आप ऐसा क्यों करते हैं कि हिंदूका पक्ष लें या मुसलमानका पक्ष लें, आपको तो जातिभेद करना नहीं चाहिए। सुभाष बाबू तो ऐसे थे नहीं; उनके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, हरिजन आदि सब रहते थे। वहां न हरिजनका भेद था न इतर जनका। वहां तो हिंदुस्तानियोंमें जातपांतका कोई भेदभाव था ही नहीं। यों तो सब अपने धर्मपर कायम थे, कोई धर्म तो छोड़ बैठे थे नहीं। लेकिन सुभाष बाबूने कब्जा कर लिया था, उनके चित्तका हरण कर लिया था, शरीरका हरण नहीं किया था। ऐसा तो चलता नहीं था कि अगर आजाद हिंद फौजमें शामिल नहीं होता है तो काटो। लोगोंको इस तरह काटकर वे हिंदुस्तानको रिहाई दिलानेवाले नहीं थे। इस तरहसे बड़े हुए और बड़प्पन पाया। तब आप इतने छोटे क्यों बनते हैं, और इस छोटे काममें क्यों पड़ते हैं। अगर कुछ करना ही है तो सारे हिंदुस्तानके लिए करो। वहां जो मुसलमान हैं, अफरीदी हैं उनको

---

[1] अकिंचन।

कहें कि यह जाहिलपन क्यों करना ? लोगोंको लूटना और देहातोंको जलाना क्या ? चलो महाराजासे मिलें, शेख अब्दुल्लासे मिलें, उनको चिट्ठी लिखें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम यहां कोई लूट करने तो आए नहीं हैं। आप इस्लामको दबाते हैं, इसलिए आपको बताने आए हैं, यह तो मैं समझ सकता हूं। तब तो आप सुभाष बाबूका नाम उज्ज्वल करेंगे और उन अफरीदी लोगोंके सच्चे शिक्षक बनेंगे। अफरीदी लोग कैसे रहते हैं, उनमें भी लुटेरे हैं या नहीं हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरी निगाहमें वे भी इन्सान हैं। उनके दिलमें भी वही ईश्वर या खुदा है, इसलिए वे सब मेरे भाई हैं। अगर मैं उनमें रहूं तो उनसे कहूंगा कि लूट क्या करना, एक दूसरेपर गुस्सा क्या करना। मैं यह तो कहता नहीं कि तुम्हारे पास जो बंदूकें या तलवारें हैं, उन्हें छोड़ दो। उनको रखो; लेकिन जो दूसरे लोग डरे हुए हैं, मुफलिस हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं उनको बचानेके लिए। उसमें क्या है, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। तो मैं कहूंगा कि ये जो दो अफसर हैं, जिनका नाम मैंने सुन लिया है, वे सुभाष बाबूका नाम याद करें। वे तो मर गए, लेकिन उनका नाम नहीं मरा, काम तो नहीं मरा।

अब मेरा दिल आगे बढ़ता है कायदे आजम जिन्नाकी तरफ। उनको मैं पहचानता हूं। मैं तो उनके घर जाता था और एक दफा तो १८ बार गया था। मैं उसको तपश्चर्या मानता हूं। बादमें भी उन्होंने और मैंने एक चीजमें दस्तखत किये थे और उसमें भी हम दोनों हिस्सेदार बन गये थे। तब भी उनके साथ मीठी बातें होती थीं। इसलिए मैं तो उनसे, लियाकतअली साहबसे और उनके मंत्रिमंडलसे कहूंगा कि यह क्या बात है कि आप जवाहरलाल-जैसे आदमीको कहते हैं कि आप धोखेबाजी करते हैं। जवाहरलाल और उनकी सरकारको इसमें धोखेबाजी क्या करनी थी ! मैं कहूंगा कि जवाहर तो किसीसे भी धोखा करनेवाला नहीं है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका गुण है। उनकी सरकारमें सरदार या जो दूसरे आदमी हैं उनको भी मैं पहचानता हूं। वे भी कोई धोखेबाज नहीं हैं। अगर वे काश्मीरसे मशविरा करना चाहते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि वे फुसला रहे हैं। जवाहरलाल

तो पहले भी उनसे बात करता था और अकेला शेख अब्दुल्लाके लिए उनसे लड़ता था। तो उसको इसमें धोखा क्या करना था? धोखेबाजी करनेसे हिंदुस्तान या कोई और मुल्क बच थोड़े सकता है। तब वे ऐसा क्यों कहते हैं ? तो काश्मीरमें जो अफरीदी लोग चले गये हैं, उनको कुछ-न-कुछ उत्तेजना तो पाकिस्तानसे मिलती ही होगी तभी तो वे कोई काम कर सकते हैं, नहीं तो वे कैसे कर सकते थे? अगर मैं पाकिस्तानमें होता तो मैं उनको ऐसा काम करनेसे रोक देता। पाकिस्तानके उदासीन रहनेपर तो वे ऐसा काम कर नहीं सकते थे, लेकिन यहां तो उदासीन ही नहीं उससे ज्यादा है।

मेरे पास दो हिंदू—एक कराचीसे और दूसरे लाहौरसे, आये हैं। मुझको सुनाते हैं कि कराचीमें बुरा तो हुआ, लेकिन अब दिन-प्रति-दिन अच्छा होता जाता है। तब क्या तुम वहांके लोगोंसे कुछ कहोगे कि वे क्यों घबराते हैं? वहां जो सिंधी मुसलमान हैं, वे हिंदुओंके साथ मिल-जुलकर रहे हैं, बाज दफा झगड़ा तो हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर दोस्त बन गये हैं, उसका तो मैं गवाह हूं। वहां सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मंत्रिगण ऐसा चाहते हैं। दूसरे सज्जन बताते हैं कि लाहौरमें जितनी बड़ी-बड़ी हवेलियां थीं वे सब बेकार हो गई हैं। वहां हिंदू तो कोई ज्यादा हैं नहीं—केवल मुट्ठीभर रहे हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल है, वह चाहता है कि हिंदू-सिख सब रहें। हां, सिखोंके रहनेपर तो कुछ एतराज है; लेकिन तो भी वे काफी वहां हैं। मैंने वहां खूबीकी बात यह सुनी कि लाहौरमें एक मुसलमान, जो शरीफ आदमी हैं, किसी सिखको अपने यहां रखा हुआ है। तो उन्होंने जो आंखों देखा है वह सुनाया कि उसी मुसलमानके घरमें एक कमरा है, जहां उन्होंने गुरुग्रंथ साहब खोलकर रखा है और बड़ी अदबसे उसको रखता है। चूंकि वह मुसलमान उस सिखका दोस्त है, इसलिए उसको बचा लिया। यह मुझको अच्छा लगता है। पीछे एक सिख ही मुझको सुना गये हैं कि ऐसा बहुत जगह हुआ है, जहां मुसलमान दोस्तोंने हमें अपने घरोंमें रखा। दोनों ही जगहोंसे मुझे ऐसी ही खबरें मिली हैं। तो पीछे क्या वजह है कि यहांसे इतनी बड़ी

संख्यामें मुसलमानोंको पाकिस्तान भगाया जाय ? क्या वजह है कि हिंदू और सिख वहांसे भागकर यहां आते हैं ? इसका क्या नतीजा आना है ? यही न कि हम सब बरबाद होते हैं। जब लोग अपना घर-बार छोड़कर जायं तब ऐश-आरामसे तो वे रह नहीं सकते। ऐश-आराम तो अपने घरमें ही रहकर मिल सकता है। घर छोड़नेके बाद न तो अच्छा खाना मिलता है और न पहननेको मिलता है। अभी शिविरोंमें ठंडमें पड़े रहकर लोग थरथर कांपते हैं। तो वे कहते हैं कि हमारे साथ यह क्या हुआ ? हमारी हकूमतने यह क्या किया ? हमने क्या गुनाह किया कि जिस कारणसे हमें इस परेशानीमें पड़ना पड़ा है। उनको तो ऐसा लगता है कि वहां तो इर्दगिर्दमें मुसलमान पड़े हैं और यहां इर्दगिर्दमें हिंदू पड़े हैं। तब यह बर्बादी कहांतक चले और कबतक चले। इसका क्या नतीजा निकलेगा ? नतीजा तो भगवान ही निकाल सकता है, लेकिन मुझको तो यह बुरा ही लगता है।

पाकिस्तानके कायदे आजम ऐसा क्यों कहते हैं कि हिंदू और सिख तो हमारे दुश्मन हैं। मैले आदमी तो हिंदू, सिख, मुसलमान सबमें ही पड़े हैं, लेकिन सारी जातिको दुश्मन कहना बहुत बुरी बात है। मैं तो बड़े अदबसे सारे मंत्रिमंडल और लोगोंको कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद न हो और वह दूसरोंके हाथोंमें न चला जाय तो पीछे आपको शरीफ बनना है।

जिन आदमियोंने आज कुरानशरीफकी आयत पढ़नेपर जिस शराफतसे विरोध किया उसके लिए मैं उनको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। इससे वे भी अहिंसासे काम लेना सीख लेंगे। उन्होंने ठीक ही कहा कि हमको कुरानशरीफकी आयत तो पसंद नहीं है, लेकिन प्रार्थना निर्विरोध चलने दी, यह मुझे अच्छा लगा। इस तरहसे हम हिंदुस्तानके वास्ते दैवी शक्ति पैदा कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है, छूमंतर करनेसे तो पैदा हो नहीं जाती, लेकिन आखिरमें यह शक्ति पैदा हो जायगी। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि आजाद हिंद फौजके उन दो बड़े अफसरोंको सद्बुद्धि दे। और हिंदुस्तानका जहाज, जो आज डावांडोल हो रहा है, वह सीधे-सादे शांत पानीमें चले।

: १३७ :

३ नवंबर १९४७

(लिखित संदेश)

यदि एक जहर दूसरे जहरसे मिल जाय तो इस बातका निश्चय कौन करेगा कि उनमें पहले कौन-सा डाला गया था। और यदि इस बातका निश्चय हो भी जाय तो इससे फायदा क्या होगा ? लेकिन हम यह जानते हैं कि यह जहर तमाम पश्चिमी पाकिस्तानमें फैल गया है, लेकिन वहांकी हकूमतने शायद इसमें जहर नहीं माना है। ईश्वर करे कि यह जहर महदूद[1] रहे और काबूमें रहे। तब हम इस बातकी आशा कर सकेंगे कि समय आनेपर यह जल्दी ही दोनों हिस्सोंसे निकाल दिया जायगा।

डा० राजेंद्रप्रसादजीने प्रांतीय प्रधानों या उनके प्रतिनिधियों तथा और लोगोंकी जो मीटिंग उनको खुराक-कंट्रोलके मसलेपर मशवरा देने के लिए बुलाई है, मैं समझता हूं कि आज मुझे उसी बहुत जरूरी मामलेपर कुछ कहना चाहिए।

अबतक जो कुछ मैंने इन दिनोंमें सुना है उससे मैं तिलभर भी अपनी इस रायसे नहीं हटा हूं कि कंट्रोल जल्द बिल्कुल हट जाने चाहिए और यदि वह रहे भी तो छः माहसे अधिक तो हरगिज न रहें। एक दिन भी नहीं गुजरता जो मेरे पास तार या पत्र न आते हों और उनमें बाज-बाजमें तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके होते हैं, जो यह बड़े जोरके साथ कहते हैं कि दोनों कंट्रोल हटा देने चाहिए। मैं फिल-हाल दूसरे कंट्रोल अर्थात् कपड़ेके कंट्रोलको छोड़ देना चाहता हूं। कंट्रोलसे धोखा बढ़ता है, सत्यका दमन होता है, काला बाजार बढ़ता रहता है और बनावटी कमी बनी रहती है। सबसे ज्यादा तो यह लोगोंको कमजोर बना देता है, वह निरुत्साही हो जाते हैं, और उनमें अपने पैरोंपर खड़े रहनेकी शिक्षा जिसे एक पीढ़ीसे वह सीखते आये हैं,

---

[1] सीमित।

भुला बैठते हैं। वह सदा दूसरोंके मुंहकी ओर ताकते रहते हैं। इस दुर्घटनासे बढ़कर, यदि कोई दूसरी हो सकती है तो वह है, मौजूदा भाई-भाईका कतल, जो एक बड़े पैमानेपर चल रहा है, और पागलपनसे तबादला[1]-आबादी, जिसके कारण बिला जरूरत मौतें, भूखों मरना, रिहायश[2] और कपड़ेका न मिलना—खासकर इस आनेवाले जाड़ेके मौसममें—हो रहा है. शायद कंट्रोलकी दुर्घटना इसके बराबर हो।

दूसरी दुर्घटना देखनेमें बढ़ी-चढ़ी मालूम होती है, लेकिन हमें पहलीको भी भूलना नहीं चाहिए, जो इतनी दिखाई नहीं देती।

यह खुराकका कंट्रोल हमें पिछली बड़ी लड़ाईकी खतरनाक विरासतमें मिला है। उस वक्त कंट्रोल शायद जरूरी था, क्योंकि अनाज और दूसरी खुराक बहुत बड़ी मिकदारमें बाहर देशोंमें भेजी जाती थी। इस गैर-कुदरती निर्यातका परिणाम यह आना जरूरी था कि अनाजकी कमी हो जाय, और बहुत-सी बुराइयोंके होनेपर भी राशनिंग जारी करना पड़ा। अब अगर हम चाहें तो निर्यातको बंद कर सकते हैं। दुनियाके उन भूखे प्रदेशोंकी हम मदद कर सकते हैं, यदि हम बाहरसे हिंदुस्तानके लिए अनाज आनेकी उम्मीद छोड़ दें; क्योंकि इतना अनाज उनके लिए बच जाता है। मैंने अपने जीवनमें, जिसकी दो पीढ़ी गुजर गईं, कई कुदरती दुष्काल देखे हैं; लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कभी राशनिंगका खयाल भी आया हो।

ईश्वरकी कृपा है कि इस वक्त बरसात ठीक-ठीक हुई है। इसलिए खुराककी सच्ची कमी नहीं है। हिंदुस्तानके देहातोंमें काफी अनाज, दालें और तेलके बीज मौजूद हैं। कीमतोंपर जो बनावटी कंट्रोल होता है अनाज पैदा करनेवाले उसे समझ ही नहीं सकते, इसलिए वह खुशीसे अपना अनाज जिसकी कीमत खुले बाजारमें उनको अधिक मिल सकती है, देना पसंद नहीं करते। इस हकीकतको सब लोग जानते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई ऐदाद-ओ-शुमार[3] जमा किये

[1] परिवर्तन; [2] स्थान; [3] संख्या और अंक

जाएं या इसको साबित करनेके लिए कि अनाजकी कमी है, लंबे-लंबे लेख और मजमून लिखे जाएं। इतनी उम्मीद रहती है कि हमें कोई आबादी बढ़ जानेका भूत दिखाकर नहीं डरायगा।

हमारे मंत्री जनताके हैं और जनतामेंसे हैं। उनको इस बातका अभिमान नहीं करना चाहिए कि उनका ज्ञान उन अनुभवी लोगोंसे अधिक है जो हकूमतकी गद्दियोंपर नहीं बैठे हैं, लेकिन जिनका दृढ़ विश्वास है कि कंट्रोल जितनी जल्दी हटे उतना अच्छा होगा। एक वैद्यका कहना है कि खूराकके कंट्रोलके कारण, वे लोग जो राशनपर रहते हैं उनके लिए यह नामुमकिन कर दिया है कि खाने लायक अनाज उनको मिल सके, और इसलिए ये लोग गैर-जरूरी तौरपर ऐसी बीमारियोंके शिकार हो रहे हैं, जो सड़े अनाजके खानेसे पैदा होती हैं। बजाय कंट्रोलवाली खूराकके सरकार बड़ी आसानीसे उन्हीं गोदामोंको अच्छा अनाज बेचनेके काममें ला सकती है जिसे वह खुले बाजारमें खरीद सकेगी। ऐसा करनेसे कीमतें अपने-आप ठीक हो जाएंगी और जो अनाज, दालें तथा तेलके बीज छुपे पड़े हैं सब बाहर निकल आएंगे। क्या सरकार अनाज बेचने और पैदा करनेवालोंका विश्वास नहीं करेगी?

जमहूरियतमें[1] अगर लोगोंको मध्य हकूमतकी रस्सीमें बांधा जाय तो टूट पड़ेंगे। वे एतबार करनेसे ही बढ़ सकते हैं।

अगर लोग इस कारणसे मरने लगेंगे कि वे मेहनत नहीं करना चाहते और एक दूसरेको धोखा देते हैं तो ऐसे लोगोंके मरनेका स्वागत किया जाय। फिर लोग काहिल[2] और खुद-गर्ज रहनेके पापको नहीं दोहराएंगे।

[1] जनतंत्र; [2] आलसी।

: १३८ :

४ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज तो सिर्फ हमारे पुराने सभ्य मित्रने ही कुरानकी आयत पढ़नेपर एतराज उठाया है। इसलिए मैं एक पंजाबी हिंदू निराश्रितके दर्दभरे खतकी चर्चा करूंगा। उन्होंने पंजाबमें बहुत कुछ सहा है। कुरानकी आयत पढ़नेका उन्होंने विरोध किया है। मैं नहीं जानता कि वे भाई यहां मौजूद हैं या नहीं। वे यहां हों या न हों, लेकिन मैं उस खतकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह गहरे दर्दसे लिखा गया है। उसमें काफ़ी अच्छी दलीलें दी गई हैं। लेकिन वह अज्ञानसे भरा हुआ है, जो गुस्सेकी उपज है। उसकी हर लाइनमें गुस्सा भरा हुआ है। आजकल करीब-करीब मेरा सारा समय हिंदू या सिख निराश्रितों या दिल्लीके दुःखी मुसलमानोंकी दर्दभरी कहानियां सुननेमें ही जाता है। मेरी आत्माको भी उतना ही दुःख और उतनी ही चोट पहुंचती है। लेकिन अगर मैं रोने लगूं और उदास बन जाऊं, तो वह अहिंसाका सच्चा रूप नहीं होगा। अगर मैं अहिंसासे इतना कोमल बन जाऊं, तो दिन-रात रोता ही रहूं और मुझे ईश्वरकी उपासना करने, खाने-पीने या सोनेका भी समय न मिले। लेकिन मैंने तो बचपनसे ही अहिंसक होनेके नाते दुःखोंको देख-सुनकर, रोनेकी नहीं, बल्कि दिलको कठोर बना लेनेकी आदत डाल ली है, ताकि मैं दुःखोंका मुकाबला कर सकूं। क्या पुराने ऋषि-मुनियोंने हमें यह नहीं बताया है कि जो आदमी अहिंसाका पुजारी है, उसका दिल फूलसे भी कोमल और पत्थरसे भी कठोर होना चाहिए ? मैंने इस उपदेशके मुताबिक जीनेकी कोशिश की है। इसलिए जब इस खतकी शिकायतों-जैसी शिकायतें मेरे पास आती हैं, या जब मैं अपने मुलाकातियोंके मुंहसे गुस्से और रंजभरी कहानियां सुनता हूं, तो मैं अपने दिलको कड़ा बना लेता हूं। सिर्फ़ इसी तरह मैं मौजूदा सवालोंका सामना कर सकता हूं। वह खत उर्दू लिपिमें लिखा है। इसलिए मैंने श्रीब्रजकिशनजीसे कहा कि उस खतकी खासखास बातें मुझे लिख दें।

खतमें पहला इलजाम मुझपर अपना वचन तोड़नेका लगाया गया है। उन्होंने लिखा है, 'क्या आपने यह नहीं कहा है कि आपकी प्रार्थना-सभामें अगर एक भी आदमी कुरानकी आयत पढ़नेपर एतराज उठाएगा, तो आप उसका मान रखेंगे और उस शामको प्रार्थना नहीं करेंगे ?' यह आधा सच है, और पूरे झूठसे ज़्यादा खतरनाक है। जब मैंने पहले-पहल एतराज उठानेपर अपनी प्रार्थना बंद की थी, तब मैंने यह जाहिर किया था कि मैं प्रार्थना इस डरसे बंद करता हूं कि सभाके इतनी बड़ी तादादवाले लोग विरोध करनेवालेपर गुस्सा होकर उसके साथ मारपीटतक कर सकते हैं। यह कई महीने पहलेकी बात है। तबसे लोगोंने अपनेपर काबू रखनेकी कला सीख ली है। और, जब लोगोंने मुझे इस बातका वचन दिया कि विरोध करनेवालेके खिलाफ न तो वे अपने मनमें गुस्सा रखेंगे और न किसी तरहका वैर, तो मैंने फिर आम प्रार्थना करनेकी बात मान ली। और जैसा कि मैं जानता हूं, इसका नतीजा अच्छा ही हुआ है। विरोध करनेवालोंका बरताव बिलकुल सभ्यताका होता है और अपना विरोध दर्ज करानेके सिवा वे प्रार्थनामें किसी तरहकी रुकावट नहीं डालते। इसलिए मैं आशा करता हूं कि खत लिखनेवाले भाई यह देखेंगे कि मैंने अपना वचन भंग नहीं किया है, और विरोध करनेपर भी प्रार्थना चालू रखनेका नतीजा अभीतक बिलकुल अच्छा ही रहा है। मैं आप लोगोंको यकीन दिलाता हूं कि जहांतक मैं अपने बारेमें जानता हूं, मैंने जन-सेवकके नाते अपनी इतनी लंबी जिंदगीमें दिया हुआ वचन तोड़नेका कभी अपराध नहीं किया है।

खत लिखनेवाले भाईने मुझपर दूसरा यह इलजाम लगाया है कि 'जब आप कुरानकी आयतें पढ़ते हैं और यह भी कहते हैं कि सब धर्म समान हैं, तब आप जपजी और बाइबिलमेंसे क्यों नहीं पढ़ते ?' इस बातसे भी लिखनेवाले भाईका अज्ञान जाहिर होता है। वे मेरे उस बयानको नहीं जानते, जिसमें मैंने बताया था कि पूरी भजनावली किस तरह तैयार हुई। आश्रम-भजनावलीमें बाइबिल और ग्रंथसाहिबमेंसे भी काफ़ी भजन लिये गए हैं।

उन भाईकी तीसरी शिकायत यह है कि 'आपके बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता पश्चिमी पंजाब या पश्चिमी पाकिस्तानके दूसरे किसी हिस्सेको छोड़कर यहां आए हैं। लेकिन यूनियनमें वे निराश्रितोंकी तरह रहकर दूसरे निराश्रितोंकी कठिनाइयों और मुसीबतोंमें साथ नहीं देते। पाकिस्तानमें उनके पास जैसी हवेलियां थीं, उनसे ज्यादा अच्छी हवेलियां उन्होंने यहां ले ली हैं और उनमें मौजसे रहते हैं। ये कांग्रेसी नेता उन निराश्रितोंसे बिलकुल अलग रहते हैं, जिनके पास न तो रहनेके मकान हैं न सर्दीसे बचनेके लिए गरम कपड़े। गरम कपड़ोंकी बात तो दूर रही, बहुतसोंके पास बदलनेके दूसरे कपड़े ही नहीं हैं; न उन्हें अच्छा खाना मयस्सर[1] होता है।' अगर यह शिकायत सच है, तो यह हालत शर्मनाक है। मैंने तो अपनी प्रार्थना-सभाओंमें साफ शब्दोंमें उन धनी निराश्रितोंकी निंदा की है, जो गरीब निराश्रितोंके साथ मुसीबतें उठानेके बजाय उनका साथ छोड़कर मौज मारते हैं। यह धर्म नहीं, अधर्म है। धनियोंको अपने गरीब भाइयोंके सुख-दुःखमें साथ देना चाहिए।

इसके बाद उन भाईने मुझे यह ताना मारा है कि आप पाकिस्तान जानेका इरादा रखते थे, लेकिन अभीतक गए नहीं। यहां दिल्लीमें आपका क्या काम है? आप दुःखी हिंदुओं और सिखोंकी मदद करनेके लिए पाकिस्तान जानेके बजाय अपने मुसलमान दोस्तोंकी मदद करना क्यों ज्यादा पसंद करते हैं? लेकिन शिकायत करनेवाले भाई यह नहीं जानते कि दिल्लीके अपने फर्जको भुलाकर मैं पाकिस्तानके हिंदुओं और सिखोंके दुःखोंको कम करनेकी आशासे पाकिस्तान नहीं जा सकता। मैं कबूल करता हूं कि मैं मुसलमानों और दूसरोंका दोस्त हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं और सिखोंका भी वैसा ही दोस्त हूं। अगर मैं किसी आदमीकी सेवा करता हूं, तो इसी भावनासे प्रेरित होकर करता हूं कि वह सिर्फ हिंदुस्तानका या किसी एक धर्मका ही नहीं, बल्कि सारी मनुष्य-जातिका अंग है। दिल्लीके हिंदू और सिख

---

[1] प्राप्त।

निराश्रितों और दूसरोंको यहांके मुसलमानोंके दोस्त बनकर यह साबित कर दिखाना है कि दिल्लीमें मेरे रहनेकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब मैं इस पूरे विश्वासके साथ पाकिस्तानकी तरफ दौड़ जाऊंगा कि मेरा वहांका दौरा बेकार नहीं जायगा।

शिकायत करनेवाले भाईने कस्तूरबा-फंडको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूछा है कि कस्तूरबा-फंडका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे निराश्रितोंको राहत पहुंचानेके काममें क्यों नहीं खर्च किया जा सकता? पहली बात तो यह है कि वह फंड एक खास मकसदसे[१], तब इकट्ठा किया गया था जब मैं जेलमें था। यानी वह हिंदुस्तानके गांवोंकी औरतों और बच्चोंकी सेवाके लिए जमा किया गया था। उसका एक ट्रस्टी-मंडल है। हमेशा सावधान रहनेवाले ठक्कर बापा उसके सेक्रेटरी हैं। और उसका पाई-पाईका हिसाब रखा जाता है, जिसे जनता देख सकती है। इसलिए लिखनेवाले भाईके सुझावके मुताबिक वह फंड निराश्रितोंकी सेवामें नहीं खर्च किया जा सकता। और ऐसा करनेकी ज़रूरत भी नहीं है। निराश्रितोंकी राहतके लिए उदारतासे पैसा दिया जा रहा है और सब जानते हैं कि मेरी कंबलोंकी अपीलका जनताने कितनी उदारतासे स्वागत किया है। सरदार पटेलने इस बारेमें एक खास अपील निकाली है। लोगोंने उदारतासे उसका स्वागत किया और आज भी किया जा रहा है।

खत लिखनेवाले भाईकी आखिरी शिकायत है 'जब पाकिस्तानमें सूअरोंके कतलपर रोक लगा दी गई है, तब यूनियनमें गो-हत्या क्यों नहीं बंद की जा सकती?' मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि पाकिस्तानमें सूअरके कतलपर कानूनी रोक लगाई गई है। अगर शिकायत करनेवाले भाईकी सूचना सच है, तो मुझे दुःख है। मैं जानता हूं कि इस्लाममें सूअरका गोश्त खानेकी मनाही है। लेकिन ऐसा होनेपर भी मैं इसे ठीक नहीं मानता कि गैर-मुस्लिमोंको भी सूअरका गोश्त खानेसे रोका जाय।

क्या क़ायदे आज़मने यह नहीं कहा है कि पाकिस्तान ईश्वरशाही

[१] उद्देश्य।

राज नहीं है और उसमें धर्मको कानूनका रूप नहीं दिया जायगा? लेकिन बदकिस्मतीसे यह बिलकुल सच है कि इस दावेको हमेशा अमलमें सच साबित नहीं किया जाता। क्या हिंदुस्तानी संघ ईश्वरशाही राज बनेगा और क्या हिंदू-धर्मके उसूल गैर-हिंदुओंपर लादे जायंगे? मुझे यह आशा नहीं है: ऐसा हुआ तो हिंदुस्तानी संघ आशा और उजले भविष्यका देश नहीं रह जायगा। तब वह ऐसा देश नहीं रह जायगा जिसकी तरफ़ सारी एशियाई और अफ्रीकी जातियां ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया आशाभरी नजरसे देखती हैं। दुनिया यूनियन या पाकिस्तानके रूपमें हिंदुस्तानसे ओछेपन और धार्मिक पागलपनकी उम्मीद नहीं करती। वह हिंदुस्तानसे बड़प्पन, भलाई और उदारताकी आशा करती है, जिससे सारी दुनिया सबक ले सके और आजके फैले हुए अंधेरेमें प्रकाश पा सके।

मैं गायकी भक्ति और पूजामें किसीसे पीछे नहीं हूं, लेकिन वह भक्ति और श्रद्धा कानूनके जरिये किसीपर लादी नहीं जा सकती। वह मुसलमानों और दूसरे सारे गैर-हिंदुओंके साथ दोस्ती बढ़ाने और सही बरताव करनेसे पैदा हो सकती है। गुजराती और मारवाड़ी लोग गायकी रक्षा करनेमें सबसे आगे माने जाते हैं। लेकिन वे हिंदू-धर्मके उसूलोंको इतने भूल गए हैं कि दूसरों पर तो वे खुशीसे पाबंदियां लगाएंगे और खुद गाय और उसकी संतानके साथ बहुत बुरा बरताव करेंगे। आज दुनियामें हिंदुस्तानके मवेशी ही सबसे ज्यादा उपेक्षित क्यों हैं? जैसा कि माना जाता है, वे दुनियामें सबसे कम दूध देनेके कारण देशपर बोझ क्यों बन गए हैं? बोझ ढोनेवाले जानवरोंके नाते बैलोंके साथ इतना बुरा बरताव क्यों किया जाता है?

हिंदुस्तानके पिंजरापोल ऐसे नहीं हैं जिनपर गर्व किया जाय। उनमें बहुत पैसा लगाया जाता है, लेकिन वहां पशुओंका साइंसी और बुद्धिमानी-भरा पालन-पोषण शायद ही किया जाता हो। ये पिंजरापोल हिंदुस्तानके जानवरोंको नया जन्म कभी नहीं दे सकते। वे मवेशियोंके साथ हमदर्दी और दयाका बरताव करके ही ऐसा कर सकते

हैं। मेरा यह दावा है कि मुसलमानोंके साथ दोस्ती बढ़ा सकनेके कारण मैंने, कानूनकी मदद लिये बिना, दूसरे किसी हिंदूके बनिस्बत ज्यादा गायोंको कसाईके छूरेसे बचाया है।

: १३६ :

५ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज तो मुझे आप लोगोंसे कुरानशरीफकी आयतके विरोधके बारेमें कुछ कहना नहीं है। यह मैं हमारी धन्य घड़ी मानता हूं। एक भाईको आपत्ति है ही, लेकिन वे तो हमारे मित्र बन गए हैं। वे विरोध तो करते हैं, लेकिन सभ्यतासे। उसके बाद वे बिलकुल खामोश रहते हैं, इसको मैं विरोध मानता ही नहीं। ऐसा सब लोग भी विरोध करें तो हम कुछ खोते नहीं हैं। विरोध रहते हुए भी वे पीछे प्रार्थनामें मग्न रहते हैं ऐसा मैंने उनकी जबानसे सुना है। तो यह अच्छा ही है।

आज आपने जो भजन सुना है वह एक हरिजन बालकका है। उसका कंठ मधुर है यह तो आपने सुन ही लिया। रामधुन भी उसने अच्छी तरह चलाई। यह मेरा एक ही अनुभव नहीं है। मैं तो हरिजनोंके बीचमें रहता हूं और सारे हिंदुस्तानमें तो मैंने बहुत दफा यात्रा की है और सारे देशके हरिजनोंके संपर्कमें आया हूं। अगर हम खुद नहीं जानते हों और हमको कोई परिचय न दे तब तो हम हरिजनको किसी तरह पहचान नहीं सकते। जो गुण दूसरे इन्सानमें हैं वे सब उनमें भी हैं। कुछ दुर्गुण भी हैं, लेकिन वे उन्हींमें हों ऐसा थोड़ा ही है। और लोगोंमें भी हैं। सद्गुण और दुर्गुण आखिर सबमें भरे हैं। लेकिन हरिजनोंमें मुझको एक विशेषता तो लगती है, और वह यह है कि अगर किसी हरिजन बालकको थोड़ा संगीत-शिक्षण देते हैं तो वह आगे बढ़ जाता है। चूंकि हमने उनको अबतक गिराकर रखा है, इसलिए अब अगर उनसे कोई मोहब्बतसे बात करता है और

मोहब्बतसे काम सिखाता है तो पीछे वे ध्यान रखकर मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। धनी लड़के तो गुमानमें पड़े रहते हैं और यह सोचकर कि हमारे मां-बापके पास काफी पैसा है, अपने काममें ध्यान नहीं देते। लेकिन चूंकि हरिजन लोग आमतौरपर गरीब हैं और उनको अछूत मानते हैं, कोई उनको अपने नजदीक नहीं बैठने देता तब अगर कोई उनको अपने पास बिठाते हैं, साथ ही खाते-पीते हैं और सब कुछ करते हैं तब उनका हृदय भर जाता है। सब तो ऐसे नहीं हैं—मैंने ऐसे लापरवाह हरिजनोंको भी पाया है कि उनके लिए चाहे जितना करो, उसकी कोई कीमत ही नहीं करते। ऐसे दूसरे भी पड़े हैं—सब कोई ऐसे हरिजन थोड़े हैं। उनको हिंदू-धर्मने सैकड़ों वर्षोंसे गिरानेकी कोशिश की है, लेकिन तो भी वे अपने धर्मपर कायम रहते हैं और दूसरोंकी निस्बत[1] उनमें अधिक गुण पाये जाते हैं।

पंढरपुरका नाम तो आपने नहीं सुना होगा। महाराष्ट्रमें वह यात्राका एक स्थान है। वहां जो मूर्तियां हैं उनके लिए इतनी दंत-कथा भरी है कि मैं उन सबको सुनाना नहीं चाहता हूं। तो वहांका मंदिर हरिजनोंके लिए खुलता नहीं था। इसपर साने गुरुजी वहां जाकर बैठ गए और मंदिरके ट्रस्टियोंसे कहा कि जब सब जगहके मंदिर खुल गए हैं तो यह क्यों न खुले? जब नहीं खुला तब उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। साने गुरुजी तो भक्त पुरुष था, तो वे उसको कैसे मरने देते? उनके दिलमें ज्ञान आया, रहम आया; लेकिन कहा कि हम क्या करें, कैसे खोलें, उसमें काफी टेकनिकल रुकावटें हैं, जिन्हें दूर करना होगा। पीछे मावलंकरजी वहां पहुंचे और उनके कहने-सुनने-पर उन्होंने उपवास छोड़ दिया, लेकिन इस शर्तपर कि अगर वह नहीं खुला तो उनका फाका फिर चलेगा। अब मेरे पास तार आया कि जो बिल बननेवाला था वह बना लिया और वह मंदिर हरि-जनोंके लिए खुल गया। सबने राजी होकर खोला और हजारोंकी

[1] अपेक्षा।

तादादमें लोग वहां गए—कोई विरोध नहीं हुआ—एक-दोका रहा होगा शायद हजारोंमें। तो पंढरपुरका इतना भारी मंदिर इतनी मेहनतके बाद आखिर खुलकर रहा। जितनी ज़्यादतियां हमने हरिजनोंपर की हैं अगर वे हट जायं तो सारा हिंदुस्तान बहुत ऊंचे चला जाता है। लेकिन आज तो हम गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हममें वैमनस्य भर गया है। हिंदुस्तान कोई हमेशाके लिए तो दीवाना बना नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद करके मैं बैठा हूं—आगे भगवान जाने।

मेरे पास दो-चार प्रश्न आ गए हैं—वैसे तो वे अलग-अलग खतोंमें हैं, लेकिन उनको इकट्ठा कर लिया गया है। पहले प्रश्नमें तो एक मुसलमान भाई पूछते हैं। जैसा कि कल बताया था कि हम गोमांस छुड़वानेके वास्ते किसीको मजबूर नहीं कर सकते, उनसे विनय कर सकते हैं और समझा सकते हैं। अगर उनकी समझमें आ जाय और उसको छोड़ दें, फिर चाहे वे हमारे प्रति मोहब्बत दिखानेके लिए करते हों तो वह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी हिंदू बहुतसे हैं जो मांस खाते हैं चाहे वह मछली हो या और कोई दूसरा मांस हो। ऐसे तो बहुत थोड़े हिंदू हैं जो धर्म समझकर मांस नहीं खाते। तो क्या आप उनको मजबूर करेंगे और कहेंगे कि अगर मांस खाना नहीं छोड़ते तो हिंदुस्तानको छोड़ो नहीं तो मार डाले जाओगे? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मुसलमानोंने क्या गुनाह किया? उनको क्यों मजबूर किया जाय? मैं जानता हूं कि ऐसे पागल हिंदू भी पड़े हैं जो मुसल्मानोंको मजबूर करते हैं। मैं तो कहूंगा कि यह अत्याचार है जिससे हमें बचना चाहिए।

दूसरा प्रश्न एक और है जिसमें एक हिंदू लिखते हैं कि यह तो ठीक है कि सब हिंदू तो वैमनस्यसे नहीं भरे हैं लेकिन तुम बात तो करते हो कि मुसलमानोंको अपने घर नहीं छोड़ने चाहिए, अगर मरना है तो मर जायं। ऐसी ज्ञान-वार्ता तो तुम सुनाते हो, लेकिन इससे सबको ज्ञान तो नहीं मिल जाता है। एक तरफ तो यह ज्ञान-वार्ता चलती रहे और दूसरी तरफ मुसलमानोंको यहांतक परेशान किया जाय कि वे अपने घरोंसे बाहर कहीं जा नहीं सकते—उनको ये धमकियां

दी जायं कि यहांसे भागते हो या नहीं, नहीं तो मार डाले जाओगे। मुसलमान जिस मुहल्लेमें रहते हैं वहांसे अगर बाहर जायं तो कट जायं, लेकिन अगर मुहल्लेमें ही रहें तो खायं कहांसे? उनमें कारीगर या मजदूर लोग होते हैं। मान लीजिए कि एक जुलाहा है और वह कपड़ा बुनता है तो पीछे हिंदू कहें कि हम तो उसका कपड़ा नहीं लेंगे और अगर कोई लेनेकी जुर्रत[1] करे तो उसको भी काट डालेंगे तो फिर आपने अगर उसे यहां रहने भी दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मजदूरी करनेवाला अपने मुहल्लेके अंदर ही कैसे सीमित रह सकता है? वह तो गुलामसे भी बदतर हो जाता है। छोटा-सा तो मुहल्ला है और उसमेंसे बाहर नहीं जा सकता तो गुजारा कैसे करे? कोई धनी मुसलमान तो ऐसे छोटे मुहल्लेमें रहता नहीं है और गरीब लोग अगर बाहर न जायं तो गुजारा कैसे करें। एक ओर तो उनपर ऐसी ज्यादतियां करें और दूसरी ओर मेरे-जैसे आदमी कहें कि मर जाओ तो वह निकम्मी बात हो जाती है।

हम लोग गुमानसे ऐसा कहते हैं कि दिल्लीमें तो सब कुछ ठीक हो गया, कोई बड़ी घटनाएं तो होतीं नहीं; लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर थोड़ा-सा भी है तो वह हमें चुभना चाहिए। मुझे तो बार-बार यह कहना और सुनाना होगा कि जब हिंदुस्तानमें ऐसी बातें हो रही हैं तो हम किस मुंहसे मुसलमानोंको हिंदुस्तानमें रहनेको कहें। जितने मुसलमान हैं वे पाकिस्तान चले जायं और वहां जितने हिंदू और सिख हैं वे यहां आ जायं, तब तो हम हमेशाके लिए एक दूसरेके दुश्मन बन गए। और पीछे पेट भरकर हमको लड़ना है। ऐसी वाहियात चीजसे तो हम बच जायं।

एक तीसरा प्रश्न है—वह थोड़ा पेचीदा है। है भी और नहीं भी है। मुझको एक मुसलमान भाई लिखते हैं कि बता दो तो मुझको और सब मुसलमानोंको अच्छा लगेगा। इसी बीचमें ब्रजकिशनजीने कहा कि यह तो हिंदूका प्रश्न है। किंतु किसीने भी किया हो, प्रश्न

---

[1] हिम्मत।

तो वह है न। पूछने लायक है और नहीं भी। "तुमने तो अपनी यह अहिंसा अंग्रेजोंको भी बताई थी जब वे हार रहे थे और उनको हथियारोंसे लड़ाई न लड़कर अहिंसक होनेकी सलाह दी थी। वहां तो तुमने इतनी जुर्रत की, लेकिन यहांकी हकूमतको अहिंसाकी लड़ाई लड़नेको क्यों नहीं कहते!" मैंने तो बता दिया कि मैं हूं कहां, और कौन मेरी मानता है। कहते तो हैं कि सरदारजी तो तुम्हारे हैं, पंडितजी तुम्हारे नहीं हैं तो कौन हैं, मौलाना भी तुम्हारे हैं। मेरे हैं भी और नहीं भी हैं। मैंने तो अपनी अहिंसा छोड़ी नहीं है। मैं तो उसको सीखता ही आया हूं और वह तबतक चली जबतक आजादी नहीं मिली थी। अब वे कहते हैं कि अहिंसासे कारोबार कैसे चला सकते हैं, तो पीछे लश्कर तो है ही, और उस लश्करको लेकर बैठ गए हैं। अब मेरी कीमत नहीं रही है। जब मेरी कीमत ही नहीं है तब मैं लोगोंमें क्यों पड़ा हूं। लेकिन इसी आशासे कि शायद लोग मेरी सुन लें। आखिर आप-जैसे थोड़ेसे लोग तो आते ही हैं और सभ्यतासे बैठकर मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। जैसे आप हैं ऐसे शायद दूसरे भी हो जायं और पीछे सबमें ज्ञान हो जाय। मेरी बातका कुछ असर हो जाय। इसी लालचके वशमें पड़ा हूं और इतना कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि कहांतक ईश्वर मुझसे काम कराना चाहता है। वह चाहे तो आज भी मुझको बंद कर सकता है। अब अगर यहां बैठे-बैठे सांस उड़ा दे तो मैं खत्म हो जाता हूं। इसलिए जो चीज मैंने हिटलर-मुसोलिनी, चर्चिल तथा जापानको कही थी उसी चीज़पर मैं आज भी कायम हूं और अपनी हकूमतको भी वही कहता हूं। लेकिन काश्मीरमें तो शेख अब्दुल्ला हैं जो बड़ी बहादुरीसे लड़ रहे हैं—बहादुरीकी मैंने हमेशा तरीफ की है। यह ठीक है कि वे हिंसा करते हैं, लेकिन उसमें बहादुरी तो है, उसकी तारीफ तो मैं करूंगा। मैं तो सुभाष बाबूकी भी तारीफ करता हूं, कोई इसलिए थोड़े करता हूं कि मुझे उनकी हिंसा पसंद थी। जो आजाद हिंद फौज बनाई वह मेरेसे थोड़े बन सकती थी। जब मैं अच्छी चीज देखता हूं और अच्छीको अच्छी न बताऊं तो मैं अहिंसक नहीं हो सकता। अगर शेख अब्दुल्ला वहां आखिर-

तक लड़ता रहे और हिंदुओं और सिखोंको साथ रखे तो वह बुलंद काम हो जायगा। जो लोग यहां पड़े हैं उनपर भी इसका बड़ा असर होनेवाला है इसमें मुझे ज़रा भी शक नहीं है। लेकिन अगर मेरी अहिंसा चले और सब मेरी बात मानें तो जो लश्कर हम भेजते हैं वे भी न भेजें। अगर भेजें तो वे भी अहिंसक लश्कर भेजें। वे वहां जाते हैं, अगर अफरीदी लोग मार डालते हैं और वे खुशीसे मर जायं तो वह अहिंसक युद्ध हो जायगा; क्योंकि वे अहिंसक होकर मरते हैं। शेख अब्दुल्ला भी उन अफरीदियोंसे कहेगा कि आप श्रीनगर ले सकते हैं, लेकिन तब, जब हम सब मर जायं। किंतु वे तो हथियारोंसे लड़नेवाले हैं और बहादुरीसे लड़ते हैं। तब वे भी अहिंसक बन सकते हैं, हालां कि वह अहिंसाका रूप नहीं होता। मान लीजिए कि एक लाख अफ़रीदियोंका दल यहां आ जाता है और उन सबके पास हथियार हैं और मुट्ठीभर लोग मासूम बच्चों और स्त्रियोंकी रक्षाके लिए हथियार लेकर उनसे लड़ते हैं और लड़ते-लड़ते मर जाते हैं तब हथियारबंद होते हुए भी अहिंसक-जैसे बन जाते हैं। लेकिन मैं किसको बताऊं? आज तो आपस-आपसमें जहर फैल गया है और एक-दूसरेको बुरी तरहसे वहशियाना तौरसे काटते हैं। उसमें भी मैं यह अहिंसाका सरल पाठ नहीं बता सकता हूं। उस वक्त चर्चिल साहब तो नहीं कह सकते थे लेकिन आज शेख अब्दुल्ला तो कह सकते हैं और जो लश्कर गया है वह भी कह सकता है कि अगर तुम्हारी अहिंसा दिल्लीमें काम नहीं कर सकती, वहां तो वहशियाना काम हो रहा है; लेकिन हम जो करते हैं वह वहशियाना भी नहीं है तब उनको यह कहनेका हक मिल जाता है और मैं उसको कबूल करता हूं। अगर मैं यहांके सब हिंदू, मुसलमान, सिखोंको अपनी अहिंसा समझा दूं तो पीछे वे मुझको कुछ कह नहीं सकते। तब तो मैं खुद एक अहिंसक सेना लेकर काश्मीरमें या कहो पाकिस्तानमें या हर जगह जा सकता हूं और मेरा काम बहुत सरल हो जाता है और उस अहिंसाका प्रभाव इतना पड़े कि वह देखने लायक हो। लेकिन ऐसा अवसर कहांसे आए? मेरी अगर आप लोग सुनें और

जो कहता हूं उसपर अमल करें, मेरे शब्दोंमें ज़्यादा शक्ति, हृदयमें ज़्यादा बल हो, मेरी तपश्चर्या चाहे वह कितनी भी है और उससे भी आगे बढ़ जाय, और मेरे एक-एक शब्दोंमें इतनी शक्ति हो कि वह सारे हिंदुस्तानको पकड़ ले तो मेरा काम बन जाय। लेकिन आज तो मैं लाचार-सा हूं। अगर आप लोग भी ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वे मेरे शब्दोंमें प्रभाव डालें और जहांतक मुझे लाया है उससे भी आगे ले जाय और इस शरीरसे और भी ज़्यादा काम करा ले तो हिंदुस्तानका प्रभाव सारे जगतपर पड़ सकता है।

इन दिनों जो एशियाई प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन हो रहा है उसमें इंग्लैंड, चीन, अमरीका तथा पाकिस्तानके प्रतिनिधि आए थे और कहते थे कि तुमने तो बड़ा काम किया है। उनकी यह तारीफ मुझे चुभती थी। आज तो मैं दिवालिया बन गया हूं—आज तो मैं कुछ सुना नहीं सकता और कल सुनाया था उसकी अब कोई कीमत नहीं। आज तो मैं तारीफके लायक तभी बन सकता हूं जब लोगोंपर मेरा प्रभाव पड़े, लेकिन वह दिन तो आज है ही नहीं, मैं तो आज लाचारीका प्रदर्शन आपके सामने कर रहा हूं।

: १४० :

६ नवंबर १९४७

(प्रार्थनाके बाद गांधीजीने एक दोस्तद्वारा भेजी हुई अखबारोंकी दो कतरनोंका जिक्र करते हुए कहा—)

भाइयो और बहनो,

मैं लेखकका नाम जानता हूं। लेकिन मैं न तो उनका नाम बताना चाहता और न उन लेखोंका ब्योरा ही देना चाहता हूं। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे लेख हिंदू-धर्मकी सेवा करनेके ख्यालसे लिखे गए हैं। लेकिन उनमें जान-बूझकर झूठी बातें कही गई हैं। जब नई बातें नहीं कही जातीं, तो हकीकतोंको तोड़-मरोड़-

कर पेश किया जाता है। लेकिन मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि ऐसा करनेसे कोई मकसद पूरा नहीं होता—धर्मका तो बिलकुल नहीं। जब इलजामोंकी बुनियाद सचाईपर नहीं बल्कि झूठपर होती है, तब जिनपर इलजाम लगाया जाता है उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचती। इसलिए मैं जनताको चेतावनी देता हूं कि वह ऐसे अखबारोंका समर्थन न करे, भले उसके लेखक कितने ही मशहूर क्यों न हों।

खुराक-मंत्रीने ग़ैर-सरकारी लोगोंकी जो कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट उनके सामने पेश कर दी है। उस कमेटीकी सिफारिशोंपर कोई फैसला करनेमें डा० राजेंद्रप्रसादको मदद देनेके लिए सूबोंके जो मंत्री या उनके प्रतिनिधि दिल्ली आए थे, उनसे मैं मिला था। जब मैंने इस मीटिंगके बारेमें सुना, तो मैंने डा० राजेंद्रप्रसादसे कहा कि वे मुझे उन लोगोंके सामने अपनी बात रखनेका मौका दें, ताकि मैं उनके शकोंको दूर कर सकूं। क्योंकि मुझे इसका पूरा यकीन है कि अनाजका कंट्रोल हटानेकी मेरी राय बिलकुल ठीक है। डा० राजेंद्रप्रसादने तुरत मेरा प्रस्ताव मान लिया और मुझे मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियोंके सामने अपने विचार रखनेका मौका मिला। मुझे अपने पुराने दोस्तोंसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं यह कहता रहा हूं कि जहांतक सांप्रदायिक झगड़ोंके बारेमें मेरी रायका संबंध है, आज उसे कोई नहीं मानता। लेकिन यह कह सकनेमें मुझे खुशी होती है कि खुराकके सवालपर मेरी रायके बारेमें ऐसी बात नहीं है। जब बंगालके गवर्नर मि० कैसीसे मेरी कई मुलाकातें हुई थीं, तभीसे मेरी यह राय रही है कि हिंदुस्तानमें अनाज या कपड़ेपर कंट्रोल रखनेकी बिलकुल ज़रूरत नहीं है। उस समय यह मालूम नहीं था कि मुझे लोगोंका समर्थन प्राप्त है या नहीं। लेकिन हालकी चर्चाओंमें यह जानकर अचरज हुआ कि मुझे जनताके जाने और अनजाने मेंबरोंका बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। अनाजकी समस्याके बारेमें मेरे पास जो बेशुमार खत आते हैं, उनमें मुझे एक भी खत ऐसा याद नहीं आता जिसके लेखकने मेरी रायसे अलग राय जाहिर की हो। मैं श्री घनश्यामदास बिड़ला और लाला श्रीराम-जैसे बड़े-बड़े लोगोंकी राय नहीं जानता, न मैं यही

जानता हूं कि इस बारेमें मुझे समाजवादी पार्टीका समर्थन मिलेगा या नहीं। हां, जब डा० राममनोहर लोहिया मुझसे मिले, तो उन्होंने अनाजका कंट्रोल हटा देनेकी मेरी रायका पूरा-पूरा समर्थन किया। मुझे यह कहनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि आज देशको अनाजकी जिस तंगीका सामना करना पड़ रहा है, उसमें डा० राजेंद्रप्रसादकी रहनुमाई[१] उनकी कमेटीके एक या ज्यादा मेंबर करें न कि उनका पूरा स्टाफ।

अब मैं कपड़ेके कंट्रोलकी चर्चा करूंगा। हालां कि अनाजके कंट्रोलको हटानेके बनिस्बत कपड़ेके कंट्रोलको हटानेके बारेमें मेरा ज्यादा पक्का विश्वास है, फिर भी मुझे डर है कि कपड़ेके कंट्रोलके बारेमें मुझे उतना समर्थन प्राप्त नहीं है जितना कि अनाजके कंट्रोलके बारेमें है। कांग्रेसने मेरी इस रायका खुशीसे समर्थन किया था कि खादी देशी या विदेशी मिलके कपड़ेकी पूरी जगह ले सकती है। उसने स्व० जमनालालजीके मातहत एक खादी-बोर्ड कायम किया था, जिसे मेरे यरवदा जेलसे रिहा होनेके बाद अखिल भारत-चरखा-संघका विशाल रूप दे दिया गया था। हिंदुस्तानमें ४० करोड़ लोग रहते हैं। अगर पाकिस्तानका हिस्सा उसमें अलग कर दिया जाय, तो भी उसमें ३० करोड़से ऊपर लोग बचेंगे। उनकी जरूरतकी सारी कपास देशमें पैदा होती है। उनकी कपासको बुनने लायक सूतमें बदलनेके लिए देशमें काफी कातनेवाले मौजूद हैं। और उनके हाथकते सूतको बुननेके लिए हिंदुस्तानमें जरूरतसे ज्यादा जुलाहे भी हैं। बहुत बड़ी पूंजी लगाए बिना भी हम देशमें अपनी जरूरतके चरखे, करघे और दूसरा जरूरी सामान आसानीसे बना सकते हैं। इसलिए जरूरत सिर्फ इस बातकी है कि हम अपने-आपमें पक्का विश्वास रखें और खादीके सिवा दूसरा कोई कपड़ा न इस्तेमाल करनेका इरादा कर लें। आप जानते हैं कि देशमें महीन-से-महीन खादी तैयार की जा सकती है और मिलोंसे भी ज्यादा अच्छे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। अब चूंकि

[१] पथ-प्रदर्शन।

हिंदुस्तान विदेशी जुएसे आज़ाद हो गया है, इसलिए खादीका ऐसा विरोध नहीं हो सकता, जैसा कि विदेशी शासकोंके नुमाइंदे किया करते थे। इसलिए मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है कि जब हम अपनी मरज़ीका काम करनेके लिए पूरी तरह आज़ाद हैं, तब न तो कोई खादीके बारेमें चर्चा करते हैं, न खादीकी संभावनाओंमें श्रद्धा रखते हैं। और, हम हिंदुस्तानको कपड़ा पुरानेके लिए मिलके कपड़ेके सिवा दूसरी बात ही नहीं सोच सकते। इसलिए मुझे रत्तीभर शक नहीं कि खादीका अर्थ-शास्त्र ही हिंदुस्तानका सच्चा और फायदेमंद अर्थशास्त्र हो सकता है।

: १४१ :

७ नवंबर १९४७

(गांधीजी दिल्लीके पास तिहाड़ नामक गांवके मुसलमानोंसे मिलने गए थे। वहां उन्हें उम्मीदसे ज्यादा समयतक रुकना पड़ा। इसलिए वे लौटनेपर सीधे प्रार्थना-सभामें चले गए। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने अपने दौरेका जिक्र करते हुए कहा—)

भाइयो और बहनो,

मुझे दुःख होता है कि तिहाड़ और उसके आसपासके मुसलमानोंको बिला ज़रूरत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। उनमेंसे बहुतसे जमीनोंके मालिक हैं, लेकिन सताए जानेके डरसे वे अपनी जमीनें जोत नहीं पाते। उन्होंने अपने मवेशी, हल और दूसरा सामान बेच डाला है। फौज उनकी रक्षा कर रही है। दो हजारसे ऊपरकी तादादमें जो दुःखी लोग मेरे आसपास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपने अगुआकी मारफत मुझसे कहा कि 'हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां जीना असंभव हो गया है। हमारे बहुतसे दोस्त और रिश्तेदार पाकिस्तान जा भी चुके हैं। इसलिए, अगर सरकार हमें जल्दी-से-जल्दी लाहौर भेज दे, तो बड़ी दया होगी। हमें फौजके लोगोंके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।'

लेकिन आजका समय मैं तिहाड़की सभाका पूरा बयान करनेमें नहीं दूंगा। मैंने उन लोगोंसे कहा कि मेरे हाथमें कोई सत्ता नहीं है, लेकिन मैं आपका संदेशा खुशीसे प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री तक, जो गृहमंत्री भी हैं, पहुंचा दूंगा।

मुझसे कहा गया है कि निराश्रित लोग दिल्लीमें एक समस्या बन गए हैं। मुझे बताया गया है कि चूंकि पाकिस्तानमें निराश्रितोंके साथ जुल्म किये गए हैं इसलिए वे यह मानते हैं कि उन्हें कुछ खास हक हासिल हैं। जब वे दुकानपर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो यह आशा करते हैं कि दुकानदार कभी उन्हें जरूरतकी चीजें मुफ्त दे दिया करें और कभी काफी कम दामोंमें बेचा करें। कभी-कभी तो एक-एक आदमी सैकड़ों रुपएका सौदा खरीद लेता है। कुछ निराश्रित तांगेवालोंसे यह उम्मीद करते हैं कि वे उनसे बिलकुल भाड़ा न लें या मामूलीसे कम भाड़ा लें। अगर यह रिपोर्ट सच है, तो यह कहना मेरा फर्ज है कि निराश्रित लोग वह सबक नहीं सीख रहे हैं, जो मुसीबतें दुखियोंको आम तौरपर सिखाती हैं। ऐसा करके वे अपने-आपको और देशको नुकसान पहुंचाते हैं और काफी पेचीदा बने हुए सवालको और भी पेचीदा बना रहे हैं। अगर उनका ऐसा बरताव जारी रहा, तो वे दिल्लीके दुकानदारोंकी हमदर्दी जरूर खो देंगे।

साथ ही, मैं यह नहीं समझ पाता कि निराश्रित लोग, जिनके बारेमें यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तानमें अपना सब कुछ खो-कर यहां आए हैं, सैकड़ों रुपयोंका सामान कैसे खरीद सकते हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि कोई निराश्रित बिरले और जरूरी मौकोंको छोड़-कर घूमनेके लिए भगवानके दिये हुए पांवोंके सिवा दूसरी किसी चीज़का-उपयोग न करें। इसके अलावा मुझे यह बताया गया है कि दिल्लीमें जबसे लाखों निराश्रित आए हैं, तबसे तेज शराबोंसे होनेवाली आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल उन्हें यह समझना चाहिए कि जब केंद्र और सूबोंकी सरकारें कांग्रेसकी मांगोंको पूरा करेंगी, तो हिंदुस्तानी संघमें न तो तेज शराबें मिलेंगी और न अफ़ीम-गांजे-जैसी दूसरी नशीली चीजें देखनेको मिलेंगी। यही हाल पाकिस्तानका भी हो सकता

है। क्योंकि हमारे मुसलमान दोस्तोंको पूरी शराब-बंदीका ऐलान करनेके लिए कांग्रेसके ठहरावकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या निराश्रित लोग, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीबतें सही हैं, शराब और दूसरी नशीली चीजोंके इस्तेमालमें या ऐश-आराममें डूबनेसे अपने-आपको रोक नहीं सकते? मुझे आशा है कि निराश्रित भाई और बहन मेरी उस सलाहको मानेंगे, जो मैंने अपने पिछले भाषणोंमें उन्हें दी है। वह सलाह यह है कि निराश्रित जहां कहीं जायं, वहांके लोगोंमें दूधमें शक्करकी तरह घुल-मिल जायं और उनपर बोझ न बननेका पक्का निश्चय कर लें। धनी और गरीब निराश्रित एक ही अहाते या कैंपमें साथ-साथ रहें और पूरे सहयोगसे काम करें, ताकि वे आदर्श और स्वावलंबी नागरिक बन सकें।

: १४२ :

८ नवंबर १९४७

(आज हमेशाके विरोध करनेवाले सज्जनके सिवा दूसरे तीन भाइयोंने कुरानकी आयत पढ़नेका विरोध किया। इसलिए प्रार्थना शुरू करनेसे पहले गांधीजीने सभाके लोगोंसे पूछा——)

भाइयो और बहनो,

क्या आप लोग इस पहली शर्तको पूरा करेंगे कि आप अपने मनमें विरोध करनेवालोंके खिलाफ कोई गुस्सा या वैर नहीं रखेंगे और प्रार्थना खत्म होनेतक शांति और खामोशीके साथ एकाग्र मनसे बैठेंगे?

(लोगोंने तुरत एक आवाजसे कहा कि हम उस शर्तको पूरा करेंगे। विरोध करनेवाले पूरी प्रार्थनामें चुप रहे। प्रार्थना बिना किसी रुकावटके हुई। इसपर गांधीजीने अंतमें सबको बधाई दी। गांधीजीने बादमें कहा——)

मुझे एक सिख दोस्तका खत मिला है। उन्होंने लिखा है कि वे हमेशा प्रार्थना-सभामें आते हैं और उसे पसंद करते

हैं। वे प्रार्थनाके पीछे रही रवादारीकी[१] भावनाकी तारीफ़ करते हैं। खास तौरपर उन्होंने मेरी ग्रंथ साहब, सुखमणि, जपजी वगैराके बारेमें कही गई बातोंकी तारीफ़ की है। उन्होंने लिखा है कि 'अगर आप भजनावलीमें इकट्ठे किये गये सिख-धर्मग्रंथके हिस्सोंमेंसे कुछ चुन लें और अपनी प्रार्थना-सभामें रोज पढ़ें, तो इसका सिखोंपर बड़ा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं यह बात सारी सिख-जातिकी तरफ़से कह सकता हूं। वे चुने हुए हिस्से मैं आपके सामने पढ़कर सुना सकता हूं।' मुझे खत लिखनेवाले भाईकी वह बात मंजूर है। लेकिन इस बात पर मैं कोई फैसला तभी करूंगा, जब मैं खुद उन भाईके मुंहसे कुछ भजन सुन लूं। इसके लिए उन्हें श्री ब्रजकिशनजीसे समय ले लेना चाहिए।

मैंने एक बार यह बात कही थी कि निराश्रितोंको रूई, केलिको (छपा हुआ कपड़ा) और सुइयां मिलनी चाहिएं, ताकि वे खुद अपने इस्तेमालके लिए रजाइयां बना सकें। इससे लाखों रुपए बच सकते हैं और निराश्रितोंको आसानीसे ओढ़नेके कपड़े मिल सकते हैं। मेरी इस अपीलके जवाबमें बंबईके रूईके व्यापारियोंने लिखा है कि वे ये चीजें देनेके लिए तैयार हैं। इस तरीकेसे निराश्रित खुद अपनी नजरमें ऊंचे उठेंगे और वे सुंदर सहकारका पहला सबक सीखेंगे। लेकिन दिल्लीमें ही कपड़ेकी मिलोंकी कमी नहीं है। शहरमें कई मिलें चलती हैं, फिर भी मैं बंबईकी भेंटका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं मरजीसे दान देनेवालोंपर ग़ैर-ज़रूरी बोझ नहीं डालना चाहता। दान देनेवाले जितने ज्यादा होंगे, उतना ही निराश्रितों और देशको फायदा होगा। इसलिए मुझे आशा है कि बंबई के रूईके व्यापारी जितनी भी गांठें भेज सकेंगे जल्दी-से-जल्दी भेजेंगे। धनी लोगोंका ऐसा सहयोग सरकारके बोझको कम करेगा। जब हम आज़ाद हो गए हैं तब तो हर शख्स अपनी इच्छासे देशकी सरकारके काममें भागीदार बन सकता है, बशर्ते वह आज़ाद देशके नागरिककी पूरी-पूरी ज़िम्मेदारियोंको समझकर अपना फ़र्ज़ अदा करे।

---

[१] शुभचिंतना।

मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जब रूईकी गांठें आ जायंगी, तो मैं मिल-मालिकोंको रजाइयोंके लिए काफी छींट देनेके लिए राजी कर सकूंगा। रूईकी गांठोंकी बातपरसे कपड़ेका कंट्रोल याद आ गया। मेरी रायमें हिंदुस्तानके सारे लोगोंके लिए हाथसे काफ़ी खादी तैयार करना संभव है और आसान भी है। इसकी एक शर्त यही है कि देशमें काफी रूई मिल जाय। मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तानमें कभी रूईका अकाल पड़ा हो। हमारे यहां रूईकी तंगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम देशकी ज़रूरत से हमेशा ज़्यादा रूई पैदा करते हैं। देशके बाहर हजारों-लाखों गांठें भेजी जाती हैं, फिर भी हिंदुस्तानकी मिलोंके लिए कभी रूईकी कमी नहीं होती। मैं पहले ही इस सचाईकी तरफ आप लोगोंका ध्यान खींच चुका हूं कि हिंदुस्तानमें हाथसे धुनने, कातने और बुननेके सारे ज़रूरी औजार मिल सकते हैं। साथ ही, काम करनेवाले भी बड़ी भारी तादादमें मौजूद हैं। इसलिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि लोगोंके आलसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्हें यह सोचनेपर मजबूर करती हो कि देशमें कपड़ेकी तंगी है। आज देशमें कोई भी कपड़ेका कंट्रोल नहीं चाहता। न मिलें, न मिल-मज़दूर और न खरीदार जनता। कंट्रोल आलसी लोगोंकी फौजको बढ़ाकर देशको बरबाद कर रहे हैं। ऐसे लोग कोई काम न होनेसे हमेशा दंगे-फसादकी जड़ बने रहते हैं।

अगर निराश्रितोंने अपने-आपको फायदेमंद कामोंमें लगानेका इरादा कर लिया है, तो पहले वे अपने लिए रजाइयां तैयार करेंगे, और बादमें सब औरत और मर्द अपना एक-एक पल कपाससे बिनौले निकालने, रूई धुनने, कातने-बुनने वग़ैरामें खर्च करेंगे। लाखों निराश्रितों-द्वारा इस सहकारी काममें लगाई गई ताकत सारे देशमें बिजली-सी पैदा कर देगी। वे लोगोंको अपने पीछे चलनेकी और हर फालतू वक्तको ज़्यादा अनाज पैदा करने और अपने ही घरोंमें खादी बनानेमें खर्च करनेकी प्रेरणा देंगे। यह याद रहे कि अगर गांठें बनानेके बजाय कपास सीधे खेतोंसे ही पड़ोसके कातनेवालोंके घर पहुंचे, तो एक काम कम हो जायगा, रूई बिगड़ेगी नहीं, धुननेका काम आसान होगा

और गांवोंमें बिनौले भी बच रहेंगे।

लेडी माउंटबैटेन मुझसे मिलने आई थीं। वह दयाकी देवी बन गई हैं। वह हमेशा दोनों उपनिवेशोंका दौरा किया करती हैं, अलग-अलग छावनियोंमें निराश्रितोंसे मिलती हैं, बीमारों और दुःखियोंको देखती हैं और इस तरह जितना भी ढाढ़स उन्हें बंधा सकती हैं बंधानेकी कोशिश करती हैं। जब वह कुरुक्षेत्र-छावनी देखने गईं, तो उनसे लोगोंने पूछा कि गांधीजी कब आएंगे। लेडी माउंटबैटेनके सामने इतने लोगोंने मुझे देखनेकी इच्छा जाहिर की कि उन्हें पूरी उम्मीद हो गई कि मैं कुरुक्षेत्र-छावनीका मुआइना करने ज़रूर जाऊंगा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आपका ऐसी उम्मीद रखना बिलकुल ठीक है। सच पूछा जाय तो मैंने पानीपत जानेका बंदोबस्त कर लिया है, जहांके हिंदू और मुसलमान दोनों मुझसे मिलनेके लिए बड़े उत्सुक हैं। उसी दौरेमें मैंने कुरुक्षेत्रके दौरेको भी शामिल करनेकी बात सोची थी। लेकिन मुझे पता चला है कि पानीपतके दौरेमें कुरुक्षेत्र-छावनीको शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए ए० आई० सी० सी० (अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी) की अगली मीटिंगके खत्म होनेतक कुरुक्षेत्रका दौरा मुलतबी रखना ज़रूरी हो गया है। फिर भी मुझे यह सुझाया गया है कि कुरुक्षेत्र-जैसे बड़े भारी कैंपमें लाउड स्पीकरका बंदोबस्त करना कठिन काम है, लेकिन कैंपके लोगोंसे रेडियोपर बोलनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते ज़रूरी संबंध जोड़नेवाली मशीन कैंपमें लगा दी जाय। ऐसा बंदोबस्त हो जानेपर मैं मंगल या बुधको कुरुक्षेत्र-छावनीके लोगोंको अपनी बात सुना सकूंगा और बादमें उनसे मिलने भी जा सकूंगा। इसी बीच उम्मीद है कि मैं अपना पानीपतका दौरा खत्म कर लूंगा।

: १४३ :

मौनवार, ६ नवंबर १९४७

(लिखित संदेश)

"मुझे खेद है कि चूंकि मुझे कल पानीपत जाना है, इसलिए मुझे आज मौन जल्दी लेना पड़ा, ताकि मैं वहां पहुंचकर हिंदू और मुसलमानोंसे बात कर सकूं। मेरी आशा है कि मैं कल शामकी प्रार्थनाके समयतक वापस लौट आऊंगा और आकर बोल सकूंगा। अखबारोंमें यह समाचार गलत छपा है कि मैं कल कुरुक्षेत्र जा रहा हूं। मैंने यह साफ-साफ बताया था कि मेरा इरादा कुरुक्षेत्र जानेका है लेकिन ए० आई० सी० सी० की मीटिंगके समाप्त होनेसे पहले नहीं। मेरी उम्मीद है कि मैं वहांके शरणार्थियोंसे बुधके दिन रेडियोपर बोलूंगा। समयकी सूचना दे दी जायगी।

कुछ दिनों पीछे दीवाली आ रही है। एक बहन, जो स्वयं शरणार्थिन हैं, लिखती हैं—

"सविनय निवेदन है कि इस वर्ष दीपावली मनाई जाय या नहीं? मैं इस विषयमें आपके संमुख टूटे-फूटे शब्दोंमें अपना विचार प्रकट करना चाहती हूं। मैं भी पाकिस्तान[1]से आई हुई हूं। और हमारा भी सब कुछ वहांपर नष्ट हो चुका है, परंतु फिर भी हमारे हृदयोंमें इस बातका महान् हर्ष है कि हम स्वतंत्र हैं और यह दीपावली स्वतंत्र हिंदुस्तानकी पहली दीपावली है। अतः इस वर्ष हमें सब कष्टोंको भूलकर उत्साह और समारोहके साथ अपनी स्वाधीन मातृभूमिको दीपमालासे अवश्य ही अलंकृत करना चाहिए। आपके हम शरणार्थियोंके प्रति जो उदार भाव हैं कि हम दुःखित हैं, इसलिए स्वतंत्र भारतकी सब खुशियां हमारे लिए पीछे रख दी जाएं इसके लिए हम हृदयसे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब आप भी सब शरणार्थियोंको और यहांके निवासियोंको आज्ञा दें कि समस्त इंडियामें

[1] गुजरांवाला।

दीपमाला अवश्य मनाई जाय और जो लोग समर्थ हैं, वे शरणार्थियोंकी सहायता करें। ईश्वर हमें शक्ति दे कि स्वाधीनताका प्रत्येक त्यौहार हम उत्साहके साथ मनाकर अपनी स्वतंत्र माताकी शोभा बढ़ाएं।"

यद्यपि मैं इस बहन और उन-जैसे दूसरोंकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वह बहन और दूसरे जो उनके-जैसा विचार रखते हैं, गलतीपर हैं। इस बातको हर एक जानता है कि जब किसी घरमें मातम[1] हो जाता है तो जहांतक होता है वे लोग किसी मेले-तमाशेमें शरीक नहीं होते। यह इस बातका एक छोटा-सा नमूना है कि हम सब एक हैं। कूप-मंडूक बनना छोड़ो तो हिंदुस्तान एक कुटुंब बन जाता है; अगर सब बंधन गायब हो जाते हैं तो सारा संसार एक कुटुंब बन जाता है, जो वास्तवमें है। इन बंधनोंको पार न करनेका मतलब यह है कि हम उन सद्भावनाओंकी ओरसे, जो मनुष्यको मनुष्य बनाती हैं, कठोर बन जाते हैं। हमें अपना ही विचार नहीं करते रहना चाहिए, नहीं हमें भावुक बनकर असलियतको भुलाना चाहिए। मैं जो खुशी न मनानेकी राय देता हूं, उसका मूल कई पक्के विचारोंपर निर्भर है। यहां शरणार्थियोंकी समस्या हमारे सामने है जिसका प्रभाव लाखों हिंदू, मुसलमान और सिखोंपर पड़ रहा है। इसके अलावा खुराक और कपड़ेकी कमी, अगरचे यह मनुष्यकी बनाई हुई है, मूल कारण है। उन लोगोंकी बेईमानी जो जनताकी रायको निर्माण कर सकते हैं, पीड़ितोंकी जिद कि अपने कष्टोंसे पाठ नहीं सीखते और इन्सानकी इन्सानके साथ बेरहमी—मैं इस मुसीबतमें खुशी मनानेका कोई कारण नहीं देखता। यदि हम दृढ़ता और अक्लमंदीके साथ इस बातका निश्चय कर लें कि हम खुशी नहीं मनाएंगे तो इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम अंतर्मुख और पवित्र बनें। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम उस आशीर्वादको फेंक दें, जिसे

---

[1] शोक।

हमने इतनी मेहनत और मुसीबतके बाद प्राप्त किया है।

अब मैं अपने उन चंद मित्रोंका जिक्र करना चाहता हूं जो फ्रेंच भारतसे इस सप्ताह मुझसे मिलने आए थे। उनकी यह शिकायत थी कि मैंने चंद्रनगरके सत्याग्रहके संबंधमें जो कुछ कहा था उसका फ्रेंच भारतकी इन भावनाओंको कि वह हिंद यूनियनके नीचे रहते हुए और फ्रेंच संस्कृतिका प्रभाव रखते हुए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें, दबानेके लिए गलत इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने मुझे यह भी बताया कि अंग्रेजी राज्यकी तरह फ्रेंच भारतमें भी पंचम स्तंभवाले मौजूद हैं, जो अपने स्वार्थ-साधनके लिए फ्रेंच हकूमतका साथ दे रहे हैं और वहांकी हकूमत लोगोंकी कुदरती भावनाओंको दबानेका प्रयत्न कर रही है। यदि फ्रेंच भारतसे आए हुए मित्रोंका कहना सही है तो मुझे बड़ा दुःख है। ताहम,[1] मेरी राय साफ है। छोटे-छोटे विदेशी उपनिवेशोंके रहनेवालोंके लिए यह नामुमकिन है कि उनके करोड़ों देशवासी ब्रिटिश हकूमतसे आजाद हो जाएं और वह गुलाम बने रहें। मुझे आश्चर्य है कि चंद्रनगरकी ओर मेरा जो मित्र-भाव है उसका यह गलत अर्थ किया जाय कि मैं यह कभी बरदाश्त कर सकता हूं कि भारतके इन छोटेसे विदेशी उपनिवेशोंका नीचा दर्जा रहे। इसलिए मेरी यह उम्मीद है कि जो खबर मुझे दी गई है उसकी वास्तवमें कोई बुनियाद नहीं है। और महान् फ्रांसीसी जाति इस बातकी कभी हिमायत न करेगी कि लोगोंको चाहे वह काले हों या भूरे, हिंदमें हों या और कहीं, दबाकर रखा जाय।

[1] तथापि।

: १४४ :

१० नवंबर १९४७

(आज शामकी प्रार्थनामें गाये गए भजन का ज़िक्र करते हुए गांधीजीने कहा—)

भाइयो और बहनो,

अगर मीराबाईकी तरह हम सिर्फ भगवानके ही सेवक बन जायं, तो हमारी सारी तकलीफ़ोंका खात्मा हो जाय। इसके बाद जो कुछ मैं कहनेवाला हूं उसे सुननेपर आप इस संकेतको समझेंगे। आपने अखबारोंमें जूनागढ़के बारेमें सारी बातें पढ़ी होंगी। राजकोटसे मेरे पास आए हुए दो तारोंसे मुझे संतोष हो गया कि अखबारोंमें छपी हुई खबर बिलकुल ठीक है। जूनागढ़के प्रधान मंत्री भूटो साहब और वहांके नवाब साहब कराचीमें हैं। उप-प्रधान मंत्री मेजर हारवे जोन्स जूनागढ़में हैं। जूनागढ़के हिंदुस्तानी संघमें शामिल होनेके काममें इन सबका हाथ है। इसपरसे आप लोगोंको यह नतीजा निकालनेका अधिकार है कि इस काममें क़ायदे आज़म जिनाकी भी सम्मति है। अगर यह ठीक है तो आप इस नतीजेपर पहुंच सकते हैं कि काश्मीर और हैदराबादकी मुश्किलें भी खत्म हो जायंगी। और अगर मैं आगे बढ़ूं, तो कहूंगा कि अब सारी बातें शांतिकी तरफ झुकेंगी; दोनों उपनिवेश दोस्त बन जायंगे और सारे काम मिल-जुलकर करेंगे। मैं क़ायदे आज़मके बारेमें गवर्नर जनरलकी हैसियतसे नहीं सोच रहा हूं। गवर्नर जनरलके नाते क़ायदे आज़मको पाकिस्तानके कामोंमें दखल देनेका कोई क़ानूनी हक़ नहीं है। इस नाते उनकी वही स्थिति है, जो लॉर्ड माउंटबेटनकी है, जो सिर्फ एक वैधानिक गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड माउंटबेटन उस व्यक्तिकी शादीमें शामिल होनेके लिए गए हैं, जो उनके लिए अपने लड़केसे बढ़कर है और जिसकी इंग्लैंडकी भावी महारानीसे शादी हो रही है। वे अपनी कैबिनेटकी इजाज़त लेकर ही वहां जा सके हैं, और २४ नवंबर १९४७ तक यहां वापस आ जाएंगे। इसलिए जिना साहबके बारेमें मेरा खयाल है कि वे

मौजूदा मुस्लिम लीगके बनानेवाले हैं और उनकी जानकारी और इजाज़तके बगैर पाकिस्तानके बारेमें कुछ नहीं किया जा सकता। इस-लिए मैं सोचता हूं कि अगर जूनागढ़के हिंदुस्तानी संघमें शामिल होनेके पीछे जिना साहबका हाथ है, तो यह एक अच्छा शकुन है।

आप लोगोंको मैं पानीपतके अपने मुआइनेके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं। इस मुआइनेमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेरे साथ थे। राजकुमारी भी मेरे साथ जानेवाली थीं, मगर वह गवर्नमेंट हाउसमें थीं और मैं अपनी घड़ीके मुताबिक़ साढ़े दस बजेके बाद नहीं ठहर सकता था। मुझे खुशी है कि मैं पानीपत गया था। वहां मैंने अस्पतालमें मुसलमान मरीज़ोंको देखा। उनमेंसे कुछको बहुत गहरे घाव लगे हैं, मगर उन-पर जहांतक मुमकिन है, पूरा ध्यान दिया जाता है; क्योंकि राज-कुमारीने चार डॉक्टर, नर्सें और तबीबी[१] सहायक वहां भेजे हैं। इसके बाद हम मुसलमानों, मुकामी हिंदुओं और निराश्रितोंके नुमाइंदोंसे मिले। वहां निराश्रितोंकी तादाद २० हजारसे ऊपर बताई जाती है। हमसे कहा गया कि वे रोज़ाना ज़्यादा-ज़्यादा तादादमें आते जा रहे हैं, जिससे वहांके डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंटको भय मालूम होता है। मुझे यह बतलानेमें खुशी होती है कि इन अफसरोंकी हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत तारीफ करते हैं, और निराश्रितोंका तो कुछ कहना ही नहीं। वे तो उनसे संतुष्ट हैं ही।

म्युनिसिपल भवनके पास जमा हुए निराश्रितोंसे भी हम लोग मिल सके। पाकिस्तानमें और पानीपतके अव्यवस्थित जीवनमें निराश्रितोंको भयानक मुसीबतें उठानी पड़ीं और उठानी पड़ रही हैं—उनमेंसे कुछको रेलवे स्टेशनके प्लेटफार्मपर रहना पड़ता है और बहुतोंको आसमानके नीचे बिलकुल खुलेमें रहना पड़ रहा है,—फिर भी उनके मनमें और चेहरोंपर जरा भी गुस्सा न देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे वहां जानेसे वे लोग बड़े प्रसन्न हुए। पानी-पतके डिप्टी कमिश्नर या दूसरे लोगोंको पहलेसे सूचना किये बिना इतने

[१] चिकित्सक।

निराश्रितोंको पानीपतमें इकट्ठे कर देना मुझे अधिकारियोंकी बेरहमी मालूम हुई। पानीपतके अफसरोंको निराश्रितोंकी सच्ची तादाद तब मालूम हुई जब ट्रेनें स्टेशनके प्लेटफार्मपर आकर रुकीं। यह सबसे बड़ी बदकिस्मतीकी बात है। पानीपतके निराश्रितोंमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी हैं। मुझे यह बताया गया कि निराश्रितोंमें ऐसी औरतें भी हैं, जिन्हें स्टेशनके प्लेटफार्मोंपर बच्चे पैदा हुए हैं।

यह सब पूरबी पंजाबमें हो रहा है, जिसके प्रधान मंत्री डॉ० गोपीचंद हैं। डॉ० गोपीचंद मेरे साथी कार्यकर्ता हैं। मैं उन्हें बहुत मानता हूं। मैं बरसोंसे उन्हें एक योग्य संयोजकके नाते जानता हूं, जिनका पंजाबियोंपर बड़ा प्रभाव है। उन्होंने हरिजन-सेवक-संघ, अखिल भारत-चरखा-संघ और अखिल भारत-ग्रामोद्योग-संघके लिए काफी काम किया है। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरबी पंजाबका काम उनकी ताकतके बाहर है। लेकिन अगर पानीपत उनकी कार्य-कुशलताका नमूना हो, तो यह उनकी सरकारके लिए बड़ी बदनामीकी बात है। पहलेसे बिना सूचना दिये इतने निराश्रित पानीपतमें क्यों उतारे गए? उन्हें ठहरानेके लिए वहां नाकाफी बंदोबस्त क्यों है? अफसरोंको पहलेसे ही यह सूचना क्यों नहीं दी जानी चाहिए कि कौन और कितने निराश्रित पानीपत भेजे जा रहे हैं? उसके साथ ही कल मुझे यह भी सूचना मिली है कि गुड़गांव जिलेमें तीन लाख ऐसे मुसलमान हैं, जिन्होंने डरकर अपना घर-बार छोड़ दिया है। आम सड़कके दोनों तरफ खुलेमें इस आशासे पड़े हैं कि उन्हें अपने औरत-बच्चों और मवेशियोंके साथ पंजाबकी कड़ी सर्दीमें ३०० मीलका रास्ता तय करना है। मैं इस बातमें विश्वास नहीं करता। मेरा खयाल है कि मुझे दोस्तोंने जो बात सुनाई है उसमें कुछ गलती है। अभी भी मैं आशा करता हूं कि यह बात गलत है या बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है। लेकिन पानीपतमें मैंने जो कुछ देखा, उससे मेरा यह अविश्वास डिग गया है। फिर भी मुझे आशा है कि डॉ० गोपीचंद और उनकी कैबिनेट समय रहते चेत जायंगे और तबतक चैन नहीं लेंगे, जबतक सारे निराश्रितोंकी अच्छी देखभालका पूरा इंतजाम

नहीं हो जाता। यह बंदोबस्त दूरंदेशी[1] और हद दरजेकी सावधानीसे ही किया जा सकता है।

: १४५ :

११ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल मैंने आपको यह खबर सुनाई थी कि जूनागढ़के प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्रीकी विनतीपर वहांकी आरज़ी सरकारने जूनागढ़ रियासतमें प्रवेश किया है। यह खबर सुनाते हुए मुझे अचरज भी हुआ और खुशी भी हुई, क्योंकि जूनागढ़के लोगोंकी और उनकी तरफ़से लड़ी जानेवाली लड़ाईके इतने सुख दिखाई देनेवाले अंतकी मैंने आशा नहीं की थी। मैंने यह डर भी जाहिर किया था कि अगर जूनागढ़के अधिकारियोंकी विनतीके पीछे क़ायदे आज़म जिनाकी मंजूरी न हुई, तो अभीसे खुशी मनाना ठीक न होगा। इसलिए आपको यह जानकर दुःख और अचरज हुए बिना न रहेगा कि पाकिस्तानके अधिकारियोंने जूनागढ़की जनताकी तरफसे आरज़ी सरकारके जूनागढ़पर अधिकार करनेका विरोध किया है और यह मांग की है कि "हिंदुस्तानी फौजें रियासतकी सीमासे हटा ली जायं, जूनागढ़का राजकाज वहांकी अधिकारी सरकारको सौंप दिया जाय और हिंदुस्तानी संघकी जनताद्वारा रियासतपर किये गए हमले और हिंसाको रोका जाय।" उनका यह भी कहना है कि जूनागढ़के नवाब या वहांके दीवानको हिंदुस्तानी संघके साथ किसी तरहका अस्थायी या स्थायी समझौता करनेका कानूनी हक़ नहीं है। पाकिस्तानकी नजरमें हिंद-सरकारने यह कार्रवाई करके "पाकिस्तानकी सीमाको साफ-साफ लांघा है और इस तरह अंतरराष्ट्रीय कानून का भंग किया है।"

---

[1] दूरदर्शिता।

कल अखबारोंमें जो बयान निकले हैं, उनको देखते हुए इस मामलेमें न तो मुझे अंतरराष्ट्रीय कानूनका भंग मालूम होता और न यूनियन सरकारकी रियासतपर कब्जा करनेकी कार्रवाई दिखाई देती है। जहांतक मैं समझ सकता हूं, जूनागढ़की जनताकी तरफसे वहांकी आरज़ी हकूमतने जो आंदोलन किया, उसमें मुझे कोई ग़ैर-कानूनी चीज़ नहीं दिखाई देती। यह ज़रूर है कि काठियावाड़के राजाओंकी विनतीपर सारे काठियावाड़की सलामतीके लिए यूनियन सरकारने अपनी फौजकी मदद भेजी। इसलिए मुझे इस सारी कार्रवाईमें कोई ग़ैर-कानूनीपन नहीं दिखाई देता। इसके खिलाफ जूनागढ़के दीवानने जाहिरा तौरपर अपनी राय बदलकर जो कुछ किया वह ग़ैर-कानूनी था। इस सारे मामलेको मैं इस नजरसे देखता हूं——जूनागढ़के नवाब साहबको अपनी प्रजाकी मंजूरीके बिना, जिसमें मुझे बताया गया है कि ८५ फ़ीसदी हिंदू हैं, पाकिस्तानमें शामिल होनेका कोई हक नहीं था। गिरनारका पवित्र पहाड़ और उसके सारे मंदिर जूनागढ़का एक हिस्सा हैं। उसपर हिंदुओंने बहुत पैसा खर्च किया है और सारे हिंदुस्तानसे हजारों यात्री गिरनारकी यात्राके लिए वहां जाते हैं। आज़ाद हिंदुस्तानमें सारे देशपर जनताका अधिकार है। उसका जरा-सा भी हिस्सा खानगी तौरपर राजाओंका नहीं है। जनताके ट्रस्टी बनकर ही वे अपना दावा कायम रख सकते हैं, और इसलिए उन्हें अपने हर एक कामके लिए जनताके समर्थनका सबूत पेश करना होगा। यह सच है कि अभी राजा-नवाबोंने यह महसूस नहीं किया है कि वे प्रजाके ट्रस्टी और प्रतिनिधि हैं और यह भी सच है कि कुछ रियासतोंकी जाग्रत प्रजाको छोड़कर बाकी रियासती प्रजाने, कुल मिलाकर, अभीतक यह महसूस नहीं किया है कि अपने राजकी सच्ची मालिक वही है। लेकिन इससे मेरेद्वारा बताए गए उसूलकी[1] कीमत कम नहीं होती।

इसलिए अगर दो उपनिवेशोंमेंसे किसी एकमें शामिल होनेका

---

[1] सिद्धान्त।

किसीको कानूनी हक़ है, तो वह किसी खास रियासतकी प्रजाको ही है और अगर आरज़ी[1] सरकार किसी भी स्टेजपर जूनागढ़की रैयतकी नुमाइंदगी[2] नहीं करती, तो वह अन्यायसे रियासतपर कब्जा करनेवालोंकी टोलीमात्र है और उसे दोनों उपनिवेशोंद्वारा निकाल दिया जाना चाहिए। अगर कोई राजा अपनी ज़ाती[3] हैसियतसे किसी उपनिवेशमें शामिल होता है, तो वह उपनिवेश दुनियाके सामने इस चीज़को न्यायोचित साबित करनेके लिए खड़ा नहीं हो सकता। इस अर्थमें मेरा मत है कि जबतक यह साबित न हो जाय कि जूनागढ़की प्रजाने नवाबके संघमें शामिल होनेके फैसलेपर अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी है, तबतक नवाब साहबका संघमें शामिल होना शुरूसे ही बेबुनियाद है। जूनागढ़ आखिर किस उपनिवेशमें शामिल हो, इस मामलेमें झगड़ा खड़ा होनेपर उसे सिर्फ सारी प्रजाकी रायसे यानी रेफरेंडमके जरिए ही सुलझाया जा सकता है। यह काम ठीक तरहसे किया जाय और उसमें कहीं भी हिंसाका या हिंसाके दिखावेका उपयोग न किया जाय। पाकिस्तानकी सरकारने और अब जूनागढ़के प्रधान मंत्रीने भी जो रुख अख्तियार किया है, उससे एक अजीब हालत पैदा हो गई है। पाकिस्तान और संघ-सरकारमें से कौन सही और कौन ग़लत रास्तेपर है इसका फैसला कौन करेगा ? तलवारके जोरसे कोई फैसला करनेकी बात सोची भी नहीं जा सकती। एकमात्र सम्मानपूर्ण तरीका तो पंचोंके जरिए फैसला करनेका है। देशमें बहुतसे ग़ैर-तरफ़दार व्यक्ति मिल सकते हैं, और अगर संबंधित पार्टियां हिंदुस्तानियोंको पंच मुकर्रर करनेकी बातपर राज़ी न हो सकें, तो कम-से-कम मुझे तो दुनियाके किसी भी हिस्सेके किसी ग़ैर-तरफ़दार आदमीके चुनावपर कोई एतराज़ नहीं होगा।

जो कुछ मैंने जूनागढ़के बारेमें कहा है, वह काश्मीर और हैदराबादपर भी उसी रूपमें लागू होता है। न तो काश्मीरके महाराजा साहब और न हैदराबादके निजामको अपनी प्रजाकी सम्मतिके

[1] तात्कालिक; [2] प्रतिनिधित्व; [3] निजी।

बग़ैर किसी भी उपनिवेशमें शामिल होनेका अधिकार है। जहांतक मैं जानता हूं, यह बात काश्मीरके मामलेमें साफ़ कर दी गई थी। अगर अकेले महाराजा संघमें शामिल होना चाहते, तो मैं उनके ऐसे कामकी कभी ताईद नहीं कर सकता था। संघ-सरकार काश्मीरको थोड़े समयके लिए संघमें शामिल करनेपर सिर्फ़ इस वजहसे राजी हुई कि महाराजा, और काश्मीर व जम्मूकी जनताकी नुमाइंदगी करनेवाले शेख अब्दुल्ला—दोनों यह बात चाहते थे। शेख अब्दुल्ला इसलिए सामने आये कि वे काश्मीर और जम्मूके सिर्फ़ मुसलमानोंके ही नहीं बल्कि सारी जनताके नुमाइंदे होनेका दावा करते हैं।

मैंने लोगोंको यह कानाफूसी करते सुना है कि काश्मीरको दो हिस्सोंमें बांटा जा सकता है। इनमेंसे जम्मू हिंदुओंके हिस्से आएगा और काश्मीर मुसलमानोंके हिस्से। मैं ऐसी बंटी हुई वफ़ादारी और हिंदुस्तानी रियासतोंके कई हिस्सोंमें बंटनेकी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सारा हिंदुस्तान समझदारीसे काम लेगा और कम-से-कम उन लाखों हिंदुस्तानियोंके लिए, जो लाचार निराश्रित बननेके लिए बाध्य हुए हैं, तुरंत ही इस गंदी हालतको टाला जायगा।

: १४६ :

१२ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज दीवालीका दिन है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हमारे हिंदू सालका यह बहुत बड़ा दिन है। विक्रम-संवत्के मुताबिक नया साल कल गुरुवारसे शुरू होगा। आपको यह समझना चाहिए कि दीवालीका दिन हमेशा रोशनी करके क्यों मनाया जाता है। राम और रावणके बीचकी भारी लड़ाईमें राम भलाईकी ताकतोंके प्रतीक

थे और रावण बुराईकी ताकतोंका। रामने रावणपर विजय पाई, और इस विजयसे हिंदुस्तानमें रामराज्य कायम हुआ।

लेकिन अफसोस है कि आज हिंदुस्तानमें रामराज्य नहीं है। इसलिए हम दीवाली कैसे मना सकते हैं? वही आदमी इस विजयकी खुशी मना सकता है, जिसके दिलमें राम है। क्योंकि भगवान ही हमारी आत्मा को रोशनी दे सकता है, और ऐसी ही रोशनी सच्ची रोशनी है। आज जो भजन गाया गया, उसमें कविकी भगवान-को देखनेकी इच्छापर जोर दिया गया है। लोगोंकी भीड़ दिखावटी रोशनी देखने जाती है, लेकिन आज हमें जिस रोशनीकी जरूरत है वह तो प्रेमकी रोशनी है। हमारे दिलोंमें प्रेमकी रोशनी पैदा होनी चाहिए। तभी सब लोग बधाइयां पाने लायक बन सकते हैं। आज हजारों-लाखों लोग भयानक दुःख भोग रहे हैं। क्या आप लोगोंमेंसे हर एक अपने दिलपर हाथ रखकर यह कह सकता है कि हर दुःखी आदमी या औरत—फिर वह हिंदू, सिख या मुसलमान कोई भी हो—मेरा सगा भाई या बहन है? यही आपकी कसौटी है। राम और रावण भलाई और बुराईकी ताकतोंके बीच हमेशा चलनेवाली लड़ाईके प्रतीक हैं। सच्ची रोशनी भीतरसे पैदा होती है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जख्मी काश्मीरको देखकर कैसे दुःखी मनसे अभी-अभी लौटे हैं। वे कल और आज तीसरे पहरकी वर्किंग कमेटीकी बैठकोंमें शामिल नहीं हो सके। वे मेरे लिए बारामूलासे कुछ फूल लाये हैं। कुदरतकी यह भेंट मुझे हमेशा सुंदर मालूम होती है। लेकिन आज लूट-पाट और खूंरेजीने[1] उस सुहावनी धरतीकी सारी सुंदरता बिगाड़ दी है। जवाहरलालजी जम्मू भी गए थे। वहांकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है।

सरदार पटेलको श्री शामलदास गांधी और ढेबरभाईकी विनती-पर जूनागढ़ जाना पड़ा, जो उनकी रहनुमाई चाहते थे। जिना साहब और भूटो साहब दोनों नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि

[1] रक्तपात।

हिंद-सरकारने उन्हें धोखा दिया है और वह जूनागढ़को यूनियनमें शामिल होनेके लिए दबा रही है।

सारे देशमें शांति और सद्भावना कायम करनेके लिए हर एकका यह फ़र्ज़ है कि वह अपने दिलसे नफरत और शकको निकाल दे। अगर आप अपनेमें भगवानकी हस्ती[1] महसूस नहीं करेंगे और अपने सारे छोटे-छोटे आपसी झगड़ोंको नहीं भूलेंगे, तो काश्मीर या जूनागढ़की विजय बेकार साबित होगी। जबतक आप डरके मारे यहांसे भागे हुए सारे मुसलमानोंको वापस हिंदुस्तान नहीं लाते, तबतक सच्ची दिवाली नहीं मनाई जा सकती। अगर पाकिस्तानने वहांसे भागे हुए हिंदुओं और सिखोंके साथ ऐसा ही नहीं किया, तो वह भी जिंदा नहीं रह सकेगा।

(इसके बाद गांधीजीने अपने ब्राडकास्ट-भवन जानेका जिक्र किया, जहांसे उन्होंने रेडियोपर कुरुक्षेत्रके निराश्रितोंको संदेश दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी बैठकोंके बारेमें गांधीजीने कहा—)

कल मैं इनके बारेमें जो मुमकिन होगा, कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगले साल, जो गुरुवारसे शुरू होनेवाला है, आप और हिंदुस्तान, सुखी रहेंगे और भगवान आपके दिलोंको प्रकाशित करेगा; ताकि आप आपसमें एक दूसरेकी और हिंदुस्तानकी ही नहीं, बल्कि उसके ज़रिए सारी दुनियाकी सेवा कर सकें।

: १४७ :

१३ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल दिवाली थी और आज नए वर्षका पहला दिन है। मैंने सुना है और कल रातको तो और भी ज्यादा सुना कि दिल्लीमें

[1] अस्तित्व।

दिवालीके रोज बहुत रोशनी होती है, जैसी बंबईमें होती है और शायद उससे भी ज्यादा होती है। बंबईमें तो बहुत बड़ी रोशनी होती है। लेकिन कल मैं यह सुनकर खुश हुआ कि लोग समझ गए हैं कि आज दिवालीका उत्सव मनानेका दिन है ही नहीं। मगर तो भी एक भ्रमणा[1] पैदा हो गई है कि दिवालीपर कुछ-न-कुछ बत्तियां तो जलानी ही चाहिए, इसलिए किसी-किसी जगहपर थोड़े तेलके दीपक जल रहे थे और बिजलीकी बत्तियां भी थीं; लेकिन बहुत कम। मैं घरसे बाहर तो कहीं जाता नहीं, मगर पता तो चल ही जाता है।

आजसे नया वर्ष आरंभ होता है। मैंने कल इशारा तो किया था, लेकिन अच्छा है कि मैं आज फिर दुहरा दूं। नए वर्षके दिनमें कोई शुभ-चिंतन या कोई शुभ इरादा कर लेते हैं और पीछे ईश्वरकी कृपा बनी रहे तो सारे वर्षभर उसपर चलनेकी कोशिश करते हैं। ऐसा अगर हम करें और आज जो फिजा[2] है, वह बदल जाय और हिंदू-मुसलमान सब भाई-भाई बनकर रहते हैं, तब दूसरी जो दिवाली हमारे सामने आती है, उस वक्त हमें दिये-बत्तियां जलानेका अधिकार हो जाता है। अगर हम एक-दूसरेको दुश्मन मानकर बैठ जाते हैं तो पीछे कोई काम बनता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज तो बाहरकी दिवाली मनानेका अवसर है ही नहीं। लेकिन दिलमें जो ज्योति होनी चाहिए उसको प्रकट करनेकी कोशिश हमें करनी है। हमारे दिलमें राम विराजमान हैं और वहां भी युद्ध चलता है राम और रावणके बीचमें। अगर हृदयमें, उसके बाहर नहीं, रामपर रावणकी जीत होती है तो उसका मतलब है कि हृदयमें ज्योति नहीं है, अंधेरा है। अगर रामकी रावणपर जय होती है और रावण बेकार हो जाता है या परास्त हो जाता है, तब हमारे भीतर तो ज्योति है ही, बाहर भी दिये-बत्ती जलानेका हमको हक हो जाता है। इसलिए अगर बाहरकी रोशनी भीतरकी ज्योतिका ही नमूना

[1] भ्रमधारण; [2] हालत।

है तब तो खैर है और अगर भीतर अंधेरा है और बाहर हम दिये-बत्ती जलाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि यह तो सब चलता है, तब हम पाखंडी और झूठे बनते हैं। मेरी उम्मीद है कि हम झूठे तो कभी न बनें।

मैंने कल आपसे कहा था कि कांग्रेस-कार्य-समितिकी जो बैठकें हो रही हैं, उस बारेमें कुछ तो मैं आपसे कह सकूंगा। कल तो समय नहीं रहा था, क्योंकि १५ मिनटसे ज्यादा तो मैं लेना नहीं चाहता। आज कार्यसमितिकी बैठकका तीसरा दिन है और अभी भी वह बैठी हुई है। एक बात तो जो बहुत बड़ी मुझको आपसे कहनेका अधिकार है, वह यह कि आज तीन दिनसे कांग्रेसके ये लोग, जो कि कार्य-समितिमें हैं और दूसरे भी जिनको कि आचार्य कृपलानीने विशेष रूपसे बुलाया है, सब बैठे हैं। यह अच्छी बात है कि सब ऐसा मानते हैं कि कांग्रेसकी, जबसे वह बनी है तबसे, अर्थात् ६० वर्षसे, यही एक नीति रही है कि कांग्रेस कोई धर्मका प्रचार करनेवाली संस्था नहीं है। कांग्रेसमें सब धर्मोंके माननेवाले हैं या ऐसा कहो कि सब धर्मियोंकी है, इसलिए किसी एक धर्मकी नहीं है। वह आम लोगोंकी संस्था है और जो राज्य-प्रकरण है उसको मद्दे-नजर रखकर ही कांग्रेसको चलना है। ऐसे अगर वह चलती है तो पीछे वह धार्मिक संस्था नहीं रहती। मान लीजिए, राज्य-प्रकरणमें एक चीज यह है कि हमें सबको खाना देना है; तब अगर कांग्रेस सच्ची है तो उसे जितने इन्सान यहां रहते हैं उन सबको खाना देना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा करे कि जो लोग उसके साथ हैं या ऐसा कहो कि हिंदुओं और सिखोंको ही खाना दे, क्योंकि वे उसमें बड़ी तादादमें हैं और बाकी लोग भूखों मरें और ऐसा कहे कि हमको उनकी क्या पर्वाह पड़ी है, तब वह कहनेमें तो धार्मिक संस्था होगी, लेकिन असलमें अधर्मकी संस्था बन जायगी। अगर वह यह कहे कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी सेवा करो और दूसरोंको काटो, तो वह कोई धर्म नहीं, बल्कि धर्मके नामपर अधर्म करना हुआ।

लेकिन अगर मैं रामका नाम लेता हूं, और कोई दूसरा नाम नहीं

लेता, तो मुझे कोई कानून उसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है कि मैं खुद अपनेको मजबूर करूं या अपनेको ऐसा बुजदिल मानूं कि अरे, फलां आदमी है, उसके हाथमें तलवार है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरा गला काट देगा। अगर मैं बुजदिल नहीं हूं, तो जो यह कहता है कि खबरदार, तू रामका नाम इस जगहपर लेता है, तुझे अल्लाका ही नाम लेना होगा, तब मुझको यह हक होना चाहिए और हक है कि उसको यह कह दूं कि मैं अल्लाका नहीं, रामका ही नाम लूंगा। तब वह इतना ही कर सकता है न, कि मेरा गला काटे, तो काट डाले। वह धर्मकी बात हो गई, जिसे हम निजी धर्म या व्यक्तिगत धर्म कहते हैं। इस धर्मको मिटानेवाली कोई ताकत दुनियामें है ही नहीं। हां, आदमी अपने आप मिटाना चाहे तो मिट सकता है या तब मिटता है जब दिलमें ज्योति न होकर अंधेरा-ही-अंधेरा होता है। उस हालतमें उसे अपने दिलसे तो कुछ सूझता नहीं, किसी दूसरेका सहारा ले लेता है, या कोई दूसरा उसको कहता है कि ऐसे चल, इस वक्त चल, तो वैसे ही वह चलता है, क्योंकि वह अंधेरेमें पड़ा हुआ होता है। लेकिन जो आदमी धर्मको पकड़कर बैठा है, वह तो ईश्वरका ही आदेश मानेगा, किसी दूसरेका नहीं। ऐसे ही जब कोई संस्था चलती है और लोगोंकी भलाईके लिए चलती है तो वह चीज सबके लिए लागू हो सकती है जो धर्म-संगत होती है, कोई दूसरी चीज नहीं। इस तरहसे वह एक अधर्मकी संस्था नहीं, धर्मकी संस्था बन जाती है। यही राज्य-प्रकरणका मेरी निगाहमें सच्चा अर्थ है और जबसे कांग्रेसका जन्म हुआ है तबसे ही वह ऐसे चली है। इसलिए आपको खुश होना चाहिए, चाहे आप कांग्रेसमें हैं या नहीं। मैं भी तो कांग्रेसमें नहीं हूं, उससे क्या हुआ? आखिर मैं कांग्रेसका खिदमतगार रहा हूं, उसकी सेवा की है। तब चवन्नी नहीं देता हूं तो क्या? मुझको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो चवन्नी देनी चाहिए, लेकिन वह भी नहीं। ऐसे अगर आप सब मेरी तरहसे हैं तो बड़ी भारी बात है। अगर आपने कांग्रेसके दफ्तरमें रजिस्टर करा लिया है तो भी ठीक है, अगर बाहर हैं, और फिर भी कांग्रेसके भक्त हैं

और उसकी सेवा करते हैं तो भी ठीक है। तीन दिनसे मैं कांग्रेस-कार्य-समितिमें बैठा हूं। उसमें इख्तलाफ[1] राय है और काफी है। आखिर वे इन्सान हैं, कोई पत्थर तो हैं नहीं; एक एक बात कहता है तो दूसरा दूसरी। विचारका विरोध तो हो सकता है, लेकिन आचारमें विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विचार-विरोधमें ही उन्होंने तीन दिन काटे। लेकिन इतना तो सब चाहते हैं कि कांग्रेस जैसी आज-तक रही है, ऐसी ही रहनी चाहिए। ऐसा करनेमें अगर वह मिट भी जाती है, तो मिट जाय। मिट तो नहीं सकती, हां, अल्पमतमें हो सकती है, और आज वह बहुमतमें है, इसमें मुझको तो शक है। क्योंकि अगर वह बहुमतमें होती तो हिंदुस्तानमें जो पाकिस्तान-जैसी चीज बनी, बननी नहीं चाहिए थी। यहां हिंदुस्तानमें मुसलमानोंपर कितनी ज्यादतियां हुई हैं, उनके मैं तो आपको बहुतसे उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं ? मुझसे ज्यादा आप खुद जानते हैं। पाकिस्तानमें हिंदू और सिखोंपर क्या कम ज्यादतियां हुई हैं, इस बातको छोड़ दो। यह देखना हमारा काम नहीं है। दुनियाके दूसरे लोग धर्मका पालन नहीं करते, इसलिए क्या मैं भी अपने धर्मका पालन न करूं? इसलिए कांग्रेसको जो उसका मौलिक धर्म है, उसपर कायम रहना है, चाहे वह बहुमतमें रहे या अल्पमतमें। उसी निगाहसे वह अपना प्रस्ताव बना रही है। वह सीधी और सच्ची तरहसे बात करना चाहती है। तब सच्ची बात और क्या हो सकती है सिवा इसके, कि हम एक भी मुसलमानको मजबूर करके यहांसे बाहर नहीं भेजना चाहते। मुसलमान भले हैं या बुरे हैं, यह बात इसमें नहीं आती। क्या हम ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तानमें सब फरिश्ते[2] ही रह सकते हैं, या फरिश्ते भी न सही, तो क्या जो अच्छे और भले लोग हैं, केवल वही रह सकते हैं, तब क्या हिंदुओं और सिखोंमें कोई बुरे या बदमाश आदमी हैं ही नहीं और अगर हैं तो उनको आप क्या कहेंगे ? क्या यह कहोगे कि यहांसे चले जाओ,

---

[1] भिन्नता; [2] देवदूत।

नहीं तो तलवारसे गला कट जायगा। किसी आदमीको बदमाश मानने या उसका गला काटनेका आपको कोई हक नहीं है। हमने मुसलमानों-पर ज्यादतियां कीं। रोज-ब-रोज मेरे पास ऐसी चीजें आती रहती हैं, उनमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन आखिर निचोड़ में यही पाता हूं कि वे सब सच्ची बातें हैं। कांग्रेसकी तरफसे जब कोई चीज की जाती है तो फिर कांग्रेस महासमितिको बुलाना पड़ता है। कांग्रेसका आम अधिवेशन तो वर्षमें एक बार हुआ करता है। वह तो एक तमाशा-सा होता है, क्योंकि वह इतना हजूम[1] होता है कि कोई आदमी ठीक तरहसे सोच भी नहीं सकता। लेकिन वे लोग जानते हैं कि कांग्रेसकी जो महासमिति बनी है, वह सब सोच-विचारकर ठीक काम ही करती है, इसलिए वे सब उसपर दस्तखत दे देते हैं। सो कांग्रेस महासमिति हमेशा तैयार रहती है और वह परसों यहां मिलनेवाली है। उसके सामने जो कुछ सामान रखना है वह आपकी इस कार्यसमितिको ही रखना है। वह कांग्रेस महासमितिकी नौकर है। अगर वह कोई चीज बनाकर उनके सामने नहीं रखती है तो पीछे वे कह सकते हैं कि तुमने अच्छा काम नहीं किया है और तब उसको इस्तीफा देना पड़ता है। कांग्रेस महासमिति कार्य-समितिको बना सकती है और मिटा भी सकती है। अगर वह कार्य-समितिकी चीजको बहाल न करे या उसमें कोई बड़ी तब्दीली[2] कर दे तब भी उसको इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए कार्य-समिति कहती है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वह आपके नामसे ही करना है। अगर अपने नामसे ही वह कुछ कहती है तो उसका उतना असर नहीं होता। क्योंकि १५ आदमी जमा होकर यह कहते हैं कि किसी मुसलमानको कत्ल नहीं करना है तो १५ आद-मियोंके माननेसे क्या हुआ? अगर महासमितिके नामसे कहते हैं तो उसका असर बहुत बढ़ता है। इसलिए तीन दिनसे मैं तो कांग्रेस-कार्यसमिति-को यही सलाह दे रहा हूं कि वह बिलकुल साफ-साफ कह दे कि हमको यही करना है। लोग इसमें राजी रहते हैं या नाराज, इसकी हम

---

[1] भीड़; [2] परिवर्तन।

कोई फिक्र न करें। अगर हम कांग्रेसके सच्चे सेवक हैं तो हमको यही करना चाहिए। अगर कांग्रेस महासमिति उसको फेंकना चाहे तो फेंक दे। आखिर हमको जगतके सामने खड़ा होना है और पाकिस्तानको भी। हम बहुत-सी बातें इसलिए करते हैं कि हमको जगत क्या कहेगा। मैं तो कहता हूं कि जिस बातको आप सच मानते हैं वही करें और पीछे जगत भी उसको सच ही कहेगा। जो पंच कहता है वह परमेश्वरकी आवाज होती है, ऐसा कहते हैं। जो जगत है, वह पंचके समान है। इसलिए जो जगत कहता है, वही सही तरीकेसे ईश्वर-का न्याय है।

आज कार्यसमिति बैठी हुई है और कल भी बैठनेवाली है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि वह कांग्रेस महासमितिके सामने ऐसा प्रस्ताव रखे जिससे हिंदुस्तानकी जय हो और सब लोग यहां आरामसे रह सकें। इसके यह मानी नहीं हैं कि जो देशद्रोही हों उनको भी हम कुछ न कहें। लेकिन हम किसीको देशद्रोही मानकर ही न बैठ जायं। अगर कोई वास्तवमें देशद्रोही सिद्ध होता है तो उसको चाहे कत्ल कर दो, फांसीपर चढ़ा दो, गोली मार दो। पर मुसलमान वफादार हो नहीं सकता और केवल हिंदू व सिखोंने ही वफादारीका इजारा ले लिया है, तो मैं कहता हूं कि यह बड़ी गुनाहकी बात होगी। कांग्रेस तो ऐसा काम नहीं करेगी, मुझको ऐसा पूरा विश्वास है। आप भी यही प्रार्थना करें कि कांग्रेस जो हिदायत करे उससे हम भी ऊंचे जायं, सारा हिंदुस्तान ऊंचा जाय और उसके साथ दूसरे हिस्सों-को भी ऊंचा जाना है। कांग्रेस हिंदुस्तानको ऊंचा उठानेके लिए ही बनी है; लेकिन कांग्रेस किसीसे कुछ छीनकर या किसीका धन लूटकर ऊंचे नहीं जाना चाहती। सारे जगतके लिए कांग्रेस मरेगी, मगर वह किसीको मारेगी नहीं। मैं कांग्रेसमें आया तबसे ही नहीं, कई वर्षोंसे कांग्रेसका यह उद्देश्य रहा है। कांग्रेसने हमेशा इस बातकी कोशिश की है कि यूरोपसे जो लोग धन लूटनेके लिए इधर आते हैं, वह लूट बंद हो, ताकि एशिया और अफ्रीकाके लोग चैनसे रह सकें। यह काम करनेके लिए ही हिंदुस्तानको जिंदा रहना है और

इसी कामके लिए हिंदुस्तानकी आजादी है, किसी दूसरे कामके लिए नहीं है।

: १४८ :

१४ नवंबर १९४७

(आज शामके भजनको ही गांधीजीने अपनी चर्चाका विषय बनाते हुए कहा—)

भाइयो और बहनो,

जब मैं आगाखान महलमें, जिसे मुझे, देवी सरोजिनी नायडू, मीराबेन और महादेवभाईको बंद रखनेके लिए कैदखानेका रूप दे दिया गया था, उपवास कर रहा था, तब इस भजनने मुझपर अपना अधिकार कर लिया था। यहां मैं उपवासके कारणोंमें नहीं जाना चाहता।

उसके बारेमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन २१ दिनोंतक मैं जो टिका रहा, उसकी वजह वह पानी नहीं था, जो मैं पीता था, न वह संतरेका रस ही था जो कुछ दिनोंतक मैंने लिया था, जो मेरी गैरमामूली डाक्टरी देखरेख हो रही थी, वह भी उसका कारण नहीं थी, मगर मैंने अपने भगवानको, जिसे मैं राम कहता हूं, अपने दिलमें बसा रखा था, उसी वजहसे मैं टिका रहा। मैं इस भजनकी लकीरोंपर इतना मोहित था कि मैंने संबंधित लोगोंसे कहा कि वे तारके जरिए इसके ठीक-ठीक शब्द भेजें, जिन्हें मैं उस वक्त भूल गया था। मुझे जवाबी तारसे जब वह पूरा भजन मिला तो बड़ी खुशी हुई। भजनका भाव यह है कि रामनाम ही सब कुछ है और उसके सामने दूसरे देवताओंका कोई महत्त्व नहीं है। अपने जीवनकी यह उपदेश भरी कहानी मैं आप लोगोंको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि अगले दिन यानी शनिवारको नई दिल्लीमें ए० आई० सी० सी० का जो महत्त्वपूर्ण अधिवेशन होनेवाला है, उसमें उसके मेंबर अपने दिलोंमें

भगवानको रखकर सारे विचार और सारी चर्चाएं करें। यह उन्हें करना ही होगा, क्योंकि वे कांग्रेसियोंके नुमाइंदे हैं। और इसलिए अगर उनके मुखिया कांग्रेसी अपने दिलोंमें भगवानके बजाय शैतानको रखते हैं, तो वे अपने नमकके प्रति इन्साफ नहीं करते।

ए० आई० सी० सी० के सामने रखे जानेवाले प्रस्तावोंपर वर्किंग कमेटीने पूरे तीन घंटोंतक चर्चा की। चर्चामें यह सवाल उठा कि किस तरह ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जिससे सारे हिंदू और सिख निराश्रित इज्जत और हिफाजतके साथ पश्चिमी पंजाबमें अपने-अपने घरोंको लौटाये जा सकें। वे इस नतीजेपर पहुंचे कि बुराई पाकिस्तानसे ही शुरू हुई, मगर उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब बड़े पैमानेपर उस बुराईकी नकल की गई और हिंदुओं और सिखोंने पूरबी पंजाब और उसके नजदीकके यूनियनके हिस्सोंमें भयंकर बदले लिये, तो बुराईकी शुरूआत करनेका वह सवाल फीका पड़ गया। अगर ए० आई० सी० सी० विश्वासके साथ यह कह सकती कि जहांतक यूनियनका ताल्लुक है, पागलपनके दिन बीत गए और यूनियनके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक सब लोग समझदार बन गए हैं, तो कमेटी पूरे विश्वासके साथ यह भी कह सकती थी कि पाकिस्तान डोमिनियनको हिंदू और सिख निराश्रितोंको इज्जत और पूरी हिफाजतके साथ अपने यहां वापस बुलानेके लिए लाचार होना पड़ेगा। यह हालत सिर्फ तभी पैदा की जा सकती है जब आप लोग और दूसरे हिंदू और सिख रावण या शैतानके बदले राम यानी भगवानको अपने दिलोंमें स्थापित करें। क्योंकि जब आप शैतानको अपने दिलोंसे हटा देंगे और मौजूदा पागलपनको छोड़ देंगे, तब हर एक मुसलमान बच्चा भी यहां उतनी ही आजादीसे घूम-फिर सकेगा, जितनी आजादीसे एक हिंदू या सिखका बच्चा घूमता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि तब जो मुसलमान निराश्रित लाचार होकर अपने घर छोड़ गए हैं, वे खुशीसे लौटेंगे और तब हर एक हिंदू और सिख निराश्रितके हिफाजत और इज्जतके साथ पाकिस्तानमें अपने घर लौटनेका रास्ता साफ हो जायगा।

क्या मेरे शब्द आप लोगोंके दिलोंमें गूंज सकेंगे और ए० आई० सी० सी० समझदारी और इन्साफभरा फैसला कर सकेगी ?

: १४६ :

१५ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मैं महसूस करता हूं कि आप लोग स्वभावत: यह उम्मीद करेंगे कि दोपहरको ए० आई० सी० सी० की बैठकमें मैंने जो कुछ कहा है वह आप लोगोंको बतलाऊं। मगर मेरी उसे दोहरानेकी इच्छा नहीं होती। दर असल मैंने वहांपर वही बात कही थी, जो मैं आप लोगोंको इतने दिनोंसे कहता रहा हूं। अगर मुझे पूरी ईमानदारीसे राष्ट्रका पिता कहा जाता है, तो सिर्फ इसी अर्थमें सच है कि सन् १९१५ में मेरे दक्खिन अफ्रीकासे लौटनेके बाद कांग्रेसका जो स्वरूप बना, उसके बनानेमें मेरा बड़ा हाथ था। इसका मतलब यह है कि देशपर मेरा बड़ा असर था। मगर आज मैं ऐसे असरका दावा नहीं कर सकता। इससे मुझे चिंता नहीं है, कम-से-कम वह होनी नहीं चाहिए। सबको सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहिए और नतीजेको भगवानके हाथोंमें छोड़ देना चाहिए। भगवानकी मर्जीके बगैर कुछ भी नहीं होता। हमारा फर्ज सिर्फ कोशिश करना है। इसलिए मैं तो ए० आई० सी० सी०की बैठकोंमें इस फर्जको ध्यानमें रखकर गया था कि अगर बैठककी कार्रवाई शुरू होनेसे पहले मेम्बरोंसे कुछ कहनेकी मुझे इजाजत मिल गई, तो मैं उनके सामने वह बात रख दूं जिसे मैं सच मानता हूं।

आप लोगोंसे मैं कंट्रोलके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं। ए० आई० सी० सी०की बैठकमें चूंकि मैं मौजूदा अहमियत[1] रखनेवाले दूसरे

---

[1] महत्त्व।

मामलोंपर ज्यादा देरतक बोला, इसलिए कंट्रोलके विषयका सिर्फ इशाराभर कर सका।

मैं महसूस करता हूं कि कंट्रोल रखना गुनाह है। कंट्रोलका तरीका लड़ाईके दिनोंमें अच्छा रहा होगा। एक फौजी देशके लिए वह आज भी अच्छा हो सकता है। मगर हिंदुस्तानके लिए वह नुकसानदेह है। मुझे विश्वास है कि देशमें अनाज या कपड़ेकी कोई कमी नहीं है। इस साल बरसातने हमें धोखा नहीं दिया है। हमारे देशमें काफी कपास है और चरखे और करघेपर काम करनेवाले काफी लोग हैं। इसके अलावा, देशमें मिलें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों कंट्रोल बुरे हैं। हमारे यहां दूसरे कंट्रोल भी हैं, जैसे पेट्रोल, शक्कर वग़ैराका कंट्रोल। इन चीजोंपर कंट्रोल रखनेमें मैं कोई मौजूं[१] कारण नहीं देखता। इससे लोग आलसी और पराधीन बनते हैं। आलस और पराधीनता देशके लिए किसी भी दिन बुरी चीजें हैं। इन कंट्रोलोंके बारेमें मेरे पास रोजाना शिकायतें आती हैं। मुझे उम्मीद है कि देशके नुमाइंदे समझदारी-भरा फैसला करेंगे और सरकारको इन घूसखोरी, पाखंड और काले बाजारको बढ़ावा देनेवाले कंट्रोलोंको हटानेकी सलाह देंगे।

: १५० :

१६ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज शामको गाये गए भजनमें कहा गया है कि इन्सानका बड़े-से-बड़ा उद्योग भगवानको पानेकी कोशिश करनेमें है। वह मंदिरों, मूर्तियों या इन्सानके हाथों बनाई हुई पूजाकी जगहोंमें नहीं मिल सकता और न उसे व्रतों और उपवासोंके ज़रिए ही पाया जा सकता है। ईश्वर सिर्फ़ प्यारके ज़रिए मिल सकता है, और वह प्यार लौकिक नहीं अलौकिक

---

[१] उचित।

होना चाहिए। मीराबाई, जो हर चीज़में भगवानको देखती थीं, ऐसे प्यारकी ज़िंदगी बिताती थी। उनके लिए भगवान ही सब कुछ था।

रामपुर स्टेटके शासक मुसलमान हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वह एक मुस्लिम स्टेट है। कई साल पहले मरहूम[1] अलीभाई मुझे वहां ले गए थे और मैं वहां उनके घरमें ठहरा था। मुझे उस वक्तके नवाब साहबसे भी मिलनेका मौका मिला था। क्योंकि वे उस ज़मानेके मशहूर राष्ट्रीय मुसलमान मरहूम हकीम साहब अजमलखान और मरहूम डॉक्टर अंसारीके दोस्त थे। तब वहां हिंदू और मुसलमान आजके बनिस्बत ज़्यादा शांति और मेल-जोलसे रहते थे। मगर पिछले इतवारको जो हिंदू दोस्त वहांसे मुझे मिलनेके लिए आए थे, उन्होंने दूसरी ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि अगरचे वह स्टेट हिंदुस्तानी संघमें शामिल हो गई है, फिर भी मुस्लिम लीगका छल-कपटभरा असर वहां है। अगर वही एक रुकावट होती, तो उसपर आसानीसे काबू पाया जा सकता था। मगर वहां हिंदू महासभा भी है, जिसे राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघके आदमियोंसे मदद मिलती है, जिनकी इच्छा यह है कि सारे मुसलमानोंको हिंदुस्तानी संघसे निकाल दिया जाय।

सवाल यह है कि जो कांग्रेस-जन अपने कांग्रेसके मकसदके प्रति वफादार हैं, वे अपनी हालत कैसे अच्छी बनावें? क्या वे कामयाबीकी आशासे सत्याग्रह कर सकते हैं? यह जानकर उन लोगोंको खुशी हुई कि कांग्रेस महासमिति कांग्रेसके मकसदपर मजबूतीसे जमी हुई है और ऐसे हिंदुस्तानके बननेसे इन्कार करती है, जिसमें सिर्फ हिंदू ही मालिकों-जैसे रह सकें। कांग्रेसके उसूल और मकसद इतने उदार हैं कि उसमें देशकी सारी जातियां शामिल हो जाती हैं। उसमें ओछी सांप्रदायिकताके लिए कोई जगह नहीं है। वह सियासी संस्थाओंमें सबसे पुरानी है। लोगोंकी सेवा ही उसका एकमात्र आदर्श है। ए० आई० सी० सी० में जो कुछ हो रहा है, उससे उन्हें अपनी लड़ाईके लिए बल

---

[1] स्वर्गीय।

मिला हूं। फिर भी, इसके बारेमें वे मेरी राय चाहते थे। मैंने कहा कि मैं आपके वहांकी हालत नहीं जानता, इसलिए कोई नियम तो नहीं बना सकता। न मुझे उन सब बातोंका अध्ययन करनेका समय है। लेकिन इतना तो मैं विश्वासके साथ कह सकता हूं कि सत्याग्रह दुनियामें सबसे बड़ी ताकत है, जिसके सामने आपका बताया हुआ विरोधी संगठन लंबे समयतक टिक नहीं सकता।

आजकल हथियारबंद या दूसरी तरहके किसी भी विरोधको सत्याग्रहका नाम देना एक फैशन-सा हो गया है। इससे समाजको नुकसान होता है। इसलिए अगर आप लोग सत्याग्रहके पूरे अर्थको समझ लें और यह जान लें कि सत्य और प्रेमके रूपमें जीता-जागता भगवान सत्याग्रहीके साथ रहता है, तो आपको यह माननेमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि सत्याग्रहपर कोई विजय नहीं पा सकता। हिंदू-महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके बारेमें मुझे जो कहना पड़ा है उसका मुझे दुःख है। मुझे अपनी गलती जानकर खुशी होगी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके मुखियासे मिला हूं। मैं इस संघकी एक बैठकमें भी शामिल हुआ था। तबसे मुझे उसकी बैठकमें जानेके लिए डांटा जाता रहा है और मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके बारेमें शिकायतोंके कई खत आए हैं।

हालांकि हम सब अपने देशमें सांप्रदायिक झगड़ेकी आगको बुझानेमें लगे हैं, तो भी हमें हिंदुस्तानके बाहर रहनेवाले अपने भाइयोंको नहीं भूलना चाहिए। आप जानते हैं कि संयुक्त-राष्ट्र-संघके सामने हमारा हिंदुस्तानी प्रतिनिधि-मंडल दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंके अधिकारोंके लिए कितनी बहादुरी और एकतासे लड़ रहा है। आप सब श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडितको जानते हैं। वह हिंदुस्तानी नुमाइंदा-मंडलकी मुखिया इसलिए नहीं हैं कि पंडित जवाहरलालकी बहन हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वह इसके लायक हैं और अपना काम होशियारीसे करती हैं। उनके साथ बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं और वे सब एक रायसे वहां बोलते हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी ज़फरुल्ला साहब और इस्पहानी साहबके भाषणोंसे हुई, जो आजके अखबारोंमें छपे

हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र-संघके लोगोंके सामने साफ-साफ शब्दोंमें यह कह दिया कि दक्षिण अफ्रीकामें हिंदुस्तानियोंके साथ वही बरताव नहीं किया जाता जो गोरोंके साथ किया जाता है। वहां उनकी बेइज्जती की जाती है और उनके साथ अछूतोंकी तरह बरताव करके उनका बहिष्कार किया जाता है। यह सच है कि दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानी कंगाल और भूखे नहीं हैं। लेकिन आदमी सिर्फ रोटीसे ही नहीं जी सकता। मानव-अधिकारोंके सामने पैसा कोई चीज नहीं है। और ये हक दक्षिण अफ्रीकाकी सरकार हिंदुस्तानियोंको नहीं देती। हिंदुस्तानके हिंदू और मुसलमान विदेशोंमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोंके सवालोंपर दो-राय नहीं हैं, जो यह साबित करता है कि दो राष्ट्रोंका उसूल गलत है। इससे मैंने जो सबक सीखा है, और आप लोगोंको मेरे कहनेसे जो सबक सीखना चाहिए, वह यह है कि दुनियामें प्रेम सबसे ऊंची चीज है। अगर हिंदुस्तानके बाहर हिंदू और मुसलमान एक आवाजसे बोल सकते हैं, तो यहां भी वे जरूर ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते उनके दिलोंमें प्रेम हो। गलती इन्सानसे होती ही है। लेकिन वह चाहे तो अपनी गलतियोंको सुधार भी सकता है। यह भी इन्सानके स्वभावमें है। माफ करना और भूल जाना हमेशा संभव है। अगर आज हम ऐसा कर सकें और बाहरकी तरह हिंदुस्तानमें भी एक आवाजसे बोल सकें, तो हम आजकी मुसीबतोंसे पार हो जायंगे। जहां-तक दक्षिण अफ्रीकाका संबंध है, मुझे आशा है कि वहांकी सरकार और वहांके गोरे उस बातसे फायदा उठाएंगे जो इस मामलेमें मशहूर हिंदू और मुसलमान एक रायसे साफ-साफ कह रहे हैं।

: १५१ :

मौनवार, १७ नवंबर १९४७

(लिखित संदेश)

कल मैं रामपुर और अपने उन भाइयोंके बारेमें बोला था जो

दक्षिणी अफ्रीकामें हैं। मुझे लगता है कि आज मुझे इस विषयपर ज्यादा खुलकर कहना चाहिए। मैं १८९३ से १९१३ तक, २० साल दक्षिण अफ्रीकामें रहा हूं। उस लंबे अर्सेमें, जब कि मेरा जीवन घुल रहा था, शायद एक ही साल छूटा होगा, मैं हिंदुस्तानियोंके साथ ही गहरे संबंधमें नहीं आया, बल्कि उन सफेद लोगोंके साथ भी, जो कि इस बड़े देशमें आकर बस गए हैं। तबसे अबतक अगर दक्षिण अफ्रीका आगे बढ़ा है तो हिंदुस्तानने दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की की है। जो कल नामुमकिन मालूम होता था वह आज हो गया है। इसके कारणोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान बर्तानवी[1] कामनवेल्थ (राष्ट्रसमूह) में आ गया है, याने इसका दर्जा वही है जो दक्षिणी अफ्रीकाका। क्या एक उपनिवेशके लोगोंको दूसरे उपनिवेशमें गुलाम माना जाना चाहिए? एक एशियाई कौम बर्तानवी राष्ट्रसमूहके इतिहासमें पहली दफा सब सदस्योंकी मर्जीसे शामिल होती है। अब देखिए कि आरेंजियाकी हकूमत या वहांके डाक्टर एस० पी० बर्नार्डने हिंदुस्तानके बर्तानवी राष्ट्रसमूहमें दाखलेके पांच दिन बाद डरबनकी नेटाल इंडियन कांग्रेसको क्या संदेश भेजा। उन्होंने लिखा—"क्योंकि आप नए उपनिवेशकी नई आजादी मना रहे हैं जो आपके नजदीक हिंदुस्तानके इतिहासमें एक बड़ा दिन है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि दक्षिणी अफ्रीकाके सब हिंदुस्तानी अपने आप नए उपनिवेशमें चले जायंगे और वहां जाकर उस संदेश का प्रचार करेंगे जो उन्हें दक्षिणी अफ्रीकामें दिया गया है, याने शांति और अनुशासनसे रहना और उन मजहबी झगड़ोंसे बचना जिनकी वजहसे आज हिंदुस्तानमें हजारों मारे जा रहे हैं।" यह बात खास देखनेकी है। साफ जाहिर है कि डाक्टर बर्नार्डको इसमें शक है कि यह दाखिला एक बड़ा दिन था और फिर वह नेटाल कांग्रेसको बिन-मांगी सलाह देते हैं कि दक्षिणी अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंको हिंदुस्तान चला जाना

[1] ब्रिटिश।

चाहिए और उस संदेशका प्रचार करना चाहिए जो उन्होंने दक्षिणी अफ्रीकामें सीखा है, याने शांति और जब्तसे रहना और मजहबी दंगोंमें न पड़ना। मुझे बहुत डर है कि दक्षिणी अफ्रीकाका आम सफेद आदमी इसी तरह सोचता है, इसलिए हमारे देशवालोंके रास्तेमें तरह-तरहके अड़ंगे लगाए जाते हैं। उनका दोष यही है कि वे एशियाके हैं और उनका रंग काला है।

दक्षिणी अफ्रीकाके सबसे आला पश्चिमी लोगोंसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने इस तास्सुबपर[1] फिरसे सोचें जो उन्हें एशिया और काले रंगके बरखिलाफ बनाता है। उनके बीचमें हब्शियोंकी बहुत बड़ी आबादी पड़ी है। कुछ लिहाजसे उनके साथ बर्ताव एशियावालोंके साथके बर्तावसे भी बदतर है। मैं उन यूरोपियनोंसे, जो वहां जाकर बस गए हैं, जोरसे कहूंगा कि वे जमानेको पहचानें। या तो यह तास्सुब हर लिहाजसे गलत है या अंग्रेजोंने और बर्तानियाके बड़े राष्ट्रसमूहके दूसरे सदस्योंने एशियाई कौमोंको सदस्य बनाकर ऐसी गलती की है, जो माफ नहीं की जा सकती। बर्मा आजाद होनेको है और लंका भी राष्ट्रसमूहका जल्द सदस्य बन जायगा। इसका मतलब क्या है?

मुझे सिखाया जाता है कि राष्ट्रसमूहका सदस्य होना अगर आजादीसे ज्यादा अच्छा नहीं तो कम-से-कम उसके बराबर है। इन आजाद हकूमतोंके जिम्मेदार मर्द और औरतोंको इस बातपर खूब सोचना होगा कि आजादी लेनेके बाद वे क्या करेंगे। आज बहुत-सी आजाद हकूमतें बनानेका आंदोलन चल रहा है। यह ठीक और अच्छी चीज है, लेकिन क्या इसका अंत यह होगा कि एक और लड़ाई होगी जो पिछली दो लड़ाइयोंसे, अगर मुमकिन हुआ तो, ज्यादा खतरनाक होगी, या इसका नतीजा यह होगा, जैसा कि होना चाहिए, कि मनुष्य-जातिका भाई-चारा बढ़ेगा? एक उपनिषदका श्लोक है—"मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।" सियाने

[1] पक्षपात पर।

आदमियोंका तजर्बा इसकी सचाईकी गवाही देता है। इस तरह दुनिया वैसी ही बनेगी जैसी कि उसके सयाने आदमी सोचते हैं। एक फालतू विचार कोई विचार नहीं होता। अगर हम ऐसा कहें कि दुनिया मूढ़ जनताकी चाहके मुताबिक बनेगी तो बड़ी भूल होगी। वह कभी सोच नहीं सकती—वह तो भीड़की तरह पीछे ही चलती है। आजादीका मतलब होना चाहिए लोक-राज। लोक-राजका अर्थ है कि हर शख्सको बुद्धि पानेका मौका मिले। बुद्धिका अर्थ केवल जानकारीसे अलग है। दक्षिण अफ्रीकामें जैसे योग्य सिपाही हैं वैसे ही अच्छे किसान भी हैं। उसी तरह वहां बहुतसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष भी हैं। अगर वे लोग अपने खा जानेवाले वातावरणसे ऊंचे न उठें और अगर उन्होंने इस समस्यापर कि सफेद लोग सबसे ऊंचे हैं अपने देशको ठीक रास्ता नहीं दिखाया तो दुनियाके लिए बड़े दुःखकी बात होगी। क्या यह खेल खेलते-खेलते लोग थक नहीं गए ?

मैं आपको थोड़ी देर और रोकूंगा, ताकि कंट्रोलके बारेमें आपसे कहूं जिसपर आज खूब बहस हो रही है। क्या उन पंडितोंके शोरमें, जो दावा करते हैं कि कंट्रोलके फायदोंके बारेमें वे सब कुछ जानते हैं, जनताकी आवाजकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए ? कितना अच्छा हो कि हमारे मंत्री जो कि जनतामेंसे चुने गए हैं और जनताके हैं, जनताकी आवाज सुनें, बजाय उन दफ्तरी घिस-घिसके माहिरोंकी[1] जिनके बारेमें वे खूब जानते हैं कि उन्होंने सिविल नाफरमानीके वक्त उन्हें खूब नुकसान पहुंचाया था। तब इन पंडितोंने पूरी कड़ाईसे हकूमत की। क्या आज भी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए ? क्या लोगोंको कोई मौका नहीं दिया जायगा कि वे अपनी गलतियोंसे सीखें ? क्या मंत्री यह नहीं जानते कि उन नमूनोंमेंसे जो मैं नीचे दे रहा हूं (इतना ध्यान रहे कि उनमें सब कंट्रोलमें आ जाते हैं) अगर किसी एक उदाहरणमें कंट्रोल हटानेसे जनताको नुकसान पहुंचे तो वे इतनी ताक़त रखते हैं कि उसपर फिरसे कंट्रोल लगा दें ?

---

[1] तज्ञ।

कंट्रोलोंकी जो फेहरिस्त मेरे सामने है उससे मेरे-जैसा सादा आदमी तो हैरान हो जाता है। मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि अगर कंट्रोलोंके साइन्स नामकी कोई चीज है तो उसको ठंढे दिलसे जांचना होगा। इसके बाद लोगोंको इस बातकी तालीम देनी होगी कि सब चीजोंपर कंट्रोलका क्या मतलब है और खास-खास चीजों-पर कंट्रोलका क्या अर्थ है। जो फेहरिस्त मुझे मिली है उसमेंसे ऐसे ही कुछ नमूने निकालकर नीचे देता हूं—एक्सचेंजपर, रुपया लगानेपर, केपिटल, इंश्योरेंस, बैंकोंकी शाखाएं खोलनेपर, इंश्योरेंसमें पैसा लगानेपर, मुल्कसे बाहर जाने और अंदर आनेवाली हर किस्मकी चीजोंपर, अनाजपर, चीनीपर, गुड़, गन्ने और शर्वतपर, वनस्पतिपर, पेट्रोल और मिट्टीके तेलपर, सीमेंटपर, फौलादपर, अभ्रकपर, कोयले-पर, चीजोंके इधर-उधर ढोनेपर, मशीनरी लगाने और फैक्टरी खोलनेपर, कुछ सूबोंमें मोटरें बेचनेपर, चायकी खेतीपर, कपड़ेपर, जिनमें गरम कपड़े भी शामिल हैं, पावरपर, अल्कोहलपर, कागजपर।

: १५२ :

१८ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आप लोगोंने तो वे सब प्रस्ताव पढ़े ही होंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीमें पास हो गए हैं। उनमें काफी प्रस्ताव तो ऐसे हैं जो हमारे जीवनमें—और जीवनके बड़े हिस्सेमें, ऐसा कहो—हर एक आदमीके कामके हैं। वे ऐसे नहीं हैं जिनपर सिर्फ हकूमतको अमल करना है। उनपर जवाहरलाल, राजेंद्रप्रसाद—अब तो राजेंद्रबाबू निकल गए—और दूसरोंको भी अमल करना है; जैसे कि कंट्रोल। खानेपर, पहननेपर, हर चीजपर जिनपर कंट्रोल है उन्हें अमल करना है। ऐसे ही हमको भी करना है। अगर हम दगाबाजी करें और कानूनकी पाबंदी न करें तो इसका नतीजा खतरनाक होगा। जब हम एक

गज कपड़ेसे काम चला सकते हैं तो क्यों दस गज जमा कर रखें और सोचें कि ले तो लें, घरमें पड़ा ही रहेगा? जब हम ऐसे बन जायंगे कि हम अपना ही देखें और हिंदुस्तानके न हों तो हम बद-माश हो जायंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीके अभीके प्रस्ताव ऐसे हैं कि मैं चाहता था कि एक-एक प्रस्ताव सबको समझाऊं। अभी तो यहीं हूं, मौका मिल गया तो सुना दूंगा। लेकिन उनका क्या मतलब है यह तो आज कह दूं। जो लोग डरके मारे घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं उनको फिर उनके घरोंमें बसानेका जो प्रस्ताव है वह हर एक आदमीपर लागू होता है। हम कन्याकुमारीसे लेकर काश्मीरतक जितने रहनेवाले हैं वे सब हिंदुस्तानके हैं। हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो गए तो क्या, हम सब भाई-भाई हैं, इसलिए हम सबपर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर एक ही आदमी अपना पेट भरता जाता है और गरीबीकी परवाह नहीं करता है, चाहे वह स्वादके लिए ही खाता हो, तो वह चोरी करता है और हिंदुस्तानका गुनहगार बन जाता है। हिंदुस्तानको जितना अनाज चाहिए उतना उसके पास नहीं है तो क्या हुआ? ग़रीबोंको भी तो अनाज मिलना ही चाहिए। धनी लोगोंको अगर एक, दो, चार व छः छटांक मिले और तो भी वे उसीसे ही गुजर करें तब तो मैं समझूंगा कि धनी और गरीब सब एक हो गए। दूसरोंको छोड़कर मैं जिस धनीके घर पड़ा हूं उसकी बात तो कहूं। आप मुझसे पूछें कि घनश्यामदासको उनका जितना हिस्सा मिलता है, क्या उतनेसे ही उनका गुजर हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि नहीं होता। आखिर मुझे सच्ची बात तो कहना ही है। वह धनवान हैं तो उन्हें हर तरहसे सब मिल जाता है। मुझको पता नहीं चलता कि जितने लोग यहां आते हैं उन्हें दूध मिलता है या नहीं। मुझको दूध मिल जाता है, वह कहांसे आता है, कैसे आता है यह मैं थोड़े देखता हूं। एक बकरी रखो, दो बकरी रखो; वह महात्मा है न, तो उसे दूध दो, जितना गेहूं चाहिए उतना अच्छा-से-अच्छा गेहूं दो; क्योंकि वह महात्मा है न! मैं यह थोड़े पूछता हूं कि यह

कहांसे आता है—महात्माको भाजी चाहिए तो भाजी दो, फल चाहिए तो फल दो। कार्य-समितिके जितने सदस्य आते हैं उनको कुछ तो देना ही है तो फलका रस दो। करोड़ोंकी जायदाद लेकर बैठे हैं। ये तो धनी लोगोंके हाल हैं। यह सब करोड़पतियोंको मिल सकता है। लेकिन तब भी वे भूखे रहें तभी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो गरीब कहांसे लाएं ? धनी लोग तथा जो तिजारत करते हैं वे अनुचित मुनाफा न लें और सच्चे व्यापारी बनें। वे मुनाफा लें; लेकिन कितना? जितना पेट भरनेको चाहिए उतना ही लें। अगर सब एक ही तरह मुनाफा लें तो फिर क्या! अनाजपर कंट्रोल क्या ? कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। इसी तरहसे सब हो जायं तो अच्छा है।

आला दर्जेकी चीज यह है कि हम तवतक शांतिसे नहीं बैठ सकते जबतक सब शरणार्थी अपने-अपने घर नहीं लौट जाते। मुसलमान आया तो उसको काट डालें; वह पाकिस्तानसे डरके मारे जायदाद छोड़कर भागकर आया है, इसलिए यहांसे उसे हटा दें, ऐसा करना पागलपन है। अब तो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीने हुक्म दिया है कि जो भाई जहां पड़े हैं उनको वहीं रखना है और आरामसे रखना है और जो लोग खुशीसे घर लौटना चाहते हैं उन्हें लौटाना है। लोग खूबसूरत घर छोड़कर आ गए, लखपति, करोड़पति सैकड़ों और हजारों थे वे घरबार छोड़कर आ गए, लेकिन जो बेचारे गरीब थे वे तो अब भी पड़े हुए हैं। मैं आज तो सब सुनाना नहीं चाहता; लेकिन हमारा फर्ज क्या है, वह हमारा प्रस्ताव बताता है। वही आला दर्जेकी चीज है। वे जो मुसलमान रहते हैं वे निकम्मे हैं, ऐसा मानकर बैठे तो वह बड़ा गुनाह हो जाता है। यह सबका परमधर्म हो जाता है कि हम किसीको न निकालें। तीन-चार दिन पहले कार्य-समितिका प्रस्ताव भी लोगोंने देखा और अखबारोंमें जो इशारा आया था उसे भी देखा। तो भी मुसलमान जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि तुमने जोर दिया तो कांग्रेस महासमितिने उसे मान लिया। उन्हें—मुसलमानोंको—तो यहांसे चला ही जाना चाहिए, नहीं तो वे मारे जाएंगे। लोग पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें मरने दोगे ? मैं क्या करूंगा, यह

तो मैंने बता दिया है; मैं करूंगा या मरूंगा। जब मैं मरनेको तैयार हूं तो अगर मुसलमानोंको मरना पड़े तो वे भी मरें। वे जाड़ेके दिनोंमें ३०० मील चलकर जाएं, हम ऐसे निष्ठुर बन गए हैं! लोग कहते हैं कि कैंपोंमें ज्यादा आदमी नहीं मरते हैं—रोज दस-बीस मरते हैं। अब अगर मानो कि पांच हजार, दस हजार, पचास हजारमें इतने मरें तो इस हिसाबसे हिंदुस्तानमें कितने मरते हैं, क्या इसकी परवाह नहीं कि वे कैसे मरते हैं? किसीको खाना नहीं मिलता, किसीको हैजा हो जाता है, किसीको पेचिश हो जाती है, किसीको कुछ हो जाता है, इस तरहसे वे मरते हैं। लेकिन क्यों मरते हैं, क्या इसकी किसीको परवाह है? हम परवाह करते हैं कि हमारे लिए खाना है कि नहीं और सब कुछ है कि नहीं। हम देखते रहते हैं कि जहांसे मुसलमान भाग गया वहां हिंदू और सिक्खको बसाना है। हां, हर जगह तो ऐसा हुआ नहीं, तो भी हुआ तो है। इससे मुझको बहुत दुःख पहुंचा और मैंने कई बार आप लोगोंको बताया भी है। अब तो कांग्रेस महासमितिने भी कह दिया कि ऐसा जो हुआ है वह बहुत बुरा हुआ। यह बात करोड़ोंतक पहुंचाना है तो यह एक दिनमें तो हो नहीं सकता। हकूमतमें बड़े-बड़े पड़े हैं—जवाहर, सरदार, राजेंद्रबाबू, लेकिन अब तो राजेंद्रबाबू नहीं रहे—उनको क्या नाखुश करना! इसलिए कह दिया कि हां, करेंगे। मैंने सुना है कि अब तो कांग्रेसमैन भी ऐसे ही बन गए हैं कि वे समझते हैं कि यहां अब मुसलमानोंको रहना ही नहीं चाहिए। वे समझते हैं कि तभी हिंदू-धर्मका भला हो सकता है, हिंदू-धर्म ऊंचा जा सकता है। लेकिन वे जानते नहीं हैं कि दिन-ब-दिन हिंदू-धर्म नीचे जा रहा है। अगर वे दिलको नहीं बदलते हैं तो यह बहुत खतरनाक बात है। कांग्रेस-कमेटीमें जितने प्रतिनिधि आए हैं वे सारे हिंदुस्तानके प्रतिनिधि हैं। वे अगर सब एक ही दिलके हैं, और होना चाहिए, तो हिंदुस्तानकी शक्ल बदल जायगी। उनका यह धर्म हो जाता है कि वे दूसरा होने ही नहीं देंगे। हिंदुस्तानसे जितने चले गए हैं, उनको किस तरह लायें यही उनका बड़ा काम है। हम तबतक परेशान रहेंगे जबतक हिंदुस्तानसे जितने मुसलमान

गए हैं उन्हें यहां ले न आएं। ऐसा वातावरण पैदा करना है और यह मुश्किल काम नहीं है। यह तो खूबीकी बात है कि यहां अभी ३॥ करोड़ मुसलमान हैं—कोई जानता नहीं है कि कितने गए और कितने आनेवाले हैं। मान लो कि जितने गए हैं वे सब आ गए तो वे अपने घरमें रहें, उनका घर पड़ा है, उसमें हमको कोई खर्च तो करना नहीं पड़ेगा। उनका जो घर है वह हम दे दें, इतना ही हमारा काम है। लेकिन सब घर खाली कहां हैं? उनमें तो शरणार्थी घुस गए हैं। तो भी उनको बसाना तो होगा ही। अगर हम ऊटपटांग बातें कर लेते हैं, लेकिन दिल साफ नहीं रखते तो बाहरवाले कहेंगे कि जो हिंदुस्तानके नुमाइंदे आये थे वे क्या ऐसे खोटे थे? मैं समझता हूं कि वे ऐसे नहीं हैं। वे दिन चले गए जब हम गुस्सा रखते थे कि वे चले जाएं। आज हम सबको भाई-भाई समझते हैं।

मैं समझ लूं कि दिल्लीके लोग अच्छे हो गए हैं, गुड़गांवके लोग अच्छे हो गए हैं। मैं हालहीमें जब पानीपत गया था तब वहां सब ठीक रहते थे, लेकिन अब सुनता हूं कि वहां जो शरणार्थी आए हैं वे मुसलमानोंके घरमें चले गए हैं और अब मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं। वे कह सकते हैं कि हम खुशीसे पाकिस्तान तो जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां खीर या पकवान तो पड़ा नहीं है, पहननेको अच्छा कपड़ा भी नहीं है और यह हो भी कैसे सकता है, जैसे हम यहां हैं वैसे वे वहां हैं। और आखिर वहां बहुत इंतजाम है और यहां नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। वहां जो गए हैं वे लिखते हैं कि अगर हम हिंदुस्तानमें रहते तो अच्छा था। अब घरबार छोड़ दिया—कैंपोंमें पड़े हैं, बड़े परेशान हैं। ऐसा तो होगा ही। तो फिर क्या वजह है कि पानीपतके मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो पानीपत मेरे लिए कसौटी बन जाती है और मुझे भी शायद वहां जाना पड़ जाय। वह यहांसे ५० मील दूर-पर तो है। वह दूर नहीं कहा जा सकता, वह दिल्ली ही-जैसा है। अब अगर वहांके एक भी मुसलमानको पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो मुझे चुभेगा और आपको भी चुभेगा। हां, जब वे रहते हैं तो उन्हें

जो पैसा मिलता है उसका खाना भी मिलना चाहिए। वे मेहनती हैं—कमाते हैं और खाते हैं। अगर पैसे दे दें और खाना न मिले तब फिर कैसे रहेंगे ? अगर ऐसे कारीगरको जो भाई-भाई बनकर रहते हैं, जाना पड़े, क्योंकि वहां पंजाबसे दूसरे भाई आ गए हैं, तो इससे और खराब चीज कोई हो ही नहीं सकती। पानीपतमें जितने शरणार्थी पड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि वे मुसलमानोंका घर छोड़ दें और मुसलमान भी कहें कि हम रहेंगे—हिफाजतके लिए हमें पुलिसकी जरूरत नहीं है, हम आपसमें रहेंगे। पुलिसका यही काम रहे कि जितना अनाज आए उसे सबको दें, कपड़ा सबको दें, इससे ज्यादा काम करनेकी जरूरत नहीं। तब मैं कहूंगा कि कांग्रेस महासमितिने जो किया है वह अच्छा किया है और हम भी उसके साथ हैं। हम सब चाहे चार आनेके सदस्य हों या नहीं, कांग्रेसका अदब करते हैं। इतने दिनोंतक जिस संस्थाने देशकी सेवा की है तो आज भी, जब कि खिलाफ वातावरणमें जान-बूझकर जो चीज वह कह रही है उसकी ताईद करें और अमलमें लाएं ? बस, आज मैं इतना ही कहूंगा।

: १५३ :

१९ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल शामको मैंने हिंदू-मुस्लिम-संबंधोंके बारेमें पास किये गए ए० आई० सी० सी०के खास ठहरावका जिक्र किया था। लेकिन आज ही मुझे मिसाल देकर आपसे यह कहना पड़ता है कि दिल्लीमें उस ठहरावको कैसे बेकार बनाया जा रहा है। मुझे इस बातकी कल्पना भी नहीं थी कि जिस शामको मैं जनताके बरतावके बारेमें अपना शक जाहिर कर रहा हूं, उसी शामको पुरानी दिल्लीके केंद्रमें उसे सच साबित करके दिखाया जायगा। कल रात मुझसे कहा गया कि चांदनी चौककी एक मुसलमानकी दुकानके सामने हिंदुओं

और सिखोंकी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वह दुकान थी तो मुसलमानकी लेकिन उसका मालिक उसे छोड़कर चला गया था। वह इस शर्तपर एक निराश्रितको दी गई थी कि मालिकके लौट आनेपर उसे दुकान छोड़ देनी होगी। खुशीकी बात है कि दुकानका मालिक लौट आया। वह हमेशाके लिए अपना व्यापार नहीं छोड़ना चाहता था। जिस अफसरके हाथमें यह काम था, वह दुकानमें रहनेवाले निराश्रितके पास गया और उसे असल मालिकके लिए दुकान खाली कर देनेको कहा। पहले तो वह निराश्रित कुछ हिचकिचाया, लेकिन बादमें उसने कहा कि आप जब शामको दुकानका कब्जा लेनेके लिए आएंगे, तो मैं ज़रूर खाली कर दूंगा। अफसर जब शामको दुकान-पर लौटा, तो उसे पता चला कि वहां रहनेवाले निराश्रितने दुकानका कब्जा उसके मालिकको सौंपनेके बजाय अपने साथियों और दोस्तोंको इस बातकी सूचना कर दी, जो, कहा जाता है कि वहां धमकी दिखाने-के लिए इकट्ठे हो गए थे। चांदनी चौकके थोड़ेसे पुलिसवाले उस भीड़को काबूमें न रख सके। इसलिए उन्होंने ज्यादा मदद बुलाई। पुलिस या फौजके सिपाही आए और उन्होंने हवामें गोली चलाई। डरी हुई भीड़ बिखर तो गई, लेकिन साथ ही एक राहगीरको छुरेसे घायल भी करती गई। तकदीरसे वह घाव जानलेवा साबित न हुआ। लेकिन फिसादी लोगोंके प्रदर्शनका अजीब नतीजा हुआ! वह दुकान खाली नहीं की गई। मैं नहीं जानता कि आखिरमें उस अफ-सरके आदेशको ठुकरा दिया गया या इस वक्ततक वह दुकान खाली कर दी गई है। फिर भी, मुझे आशा है कि हिंदुस्तानको जो बहुमूल्य आज़ादी मिली है, उसमें अगर सरकारी सत्ताको सच्ची सत्ता बने रहना है, तो वह अपराधीको अपराधकी सज़ा दिये बिना न रहेगी। वर्ना सरकारकी सत्ता सत्ता ही न रह जायगी। मुझसे कहा गया है कि हिंदुओं और सिखोंकी वह भीड़ दो हज़ारसे कम न रही होगी।

यह खबर जिस तरह मुझे मिली, उसे कुछ कम करके ही मैंने सुनाया है। अगर फिर भी उसमें सुधारकी कोई गुंजाइश हुई और वह मेरे ध्यानमें लाई गई, तो मैं खुशीसे आपको बता दूंगा।

यही सब कुछ नहीं है। दिल्लीके दूसरे हिस्सेमें मुसलमानोंको अपने घरोंसे जबरन निकालनेकी कोशिश की जा रही है, ताकि वहां हिंदू और सिख निराश्रितोंको जगह दी जा सके। इसका तरीका यह है कि सिख लोग अपनी तलवारें म्यानसे निकालकर घुमाते हैं और मुसलमानोंको अपने घर न छोड़नेपर भयानक बदला लेनेकी धमकी देकर डराते हैं। मुझसे यह भी कहा गया है कि सिख शराब पीते हैं, जिसके नतीजोंका आसानीसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वे नंगी तलवारें लेकर नाचते हैं, जिससे रास्ता चलनेवाले लोग डर जाते हैं। मुझसे यह भी कहा गया है कि चांदनी चौकमें और उसके आसपास यह रिवाज है कि मुसलमान कबाब या गोश्तकी बनी दूसरी खानेकी चीजें नहीं बेचते, लेकिन सिख और शायद दूसरे निराश्रित भी बंद की हुई ये चीजें वहां आजादीमे बेचते हैं। इससे उस मोहल्लेके हिंदुओंको बड़ा दुःख होता है। यह बुराई यहांतक बढ़ गई है कि लोगोंको चांदनी चौकमें खड़ी भीड़मेंसे निकलना मुश्किल मालूम होता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके साथ बुरा या असभ्य बरताव न किया जाय। मैं अपने निराश्रित दोस्तोंसे अपील करता हूं कि वे अपने खातिर और अपने देशके खातिर इस तरहकी बातें न करें।

कृपाणोंके बारेमें थोड़े समयके लिए यह कानून बना दिया गया है कि सिख एक खास नापसे बड़ी कृपाण नहीं रख सकते। इस पाबंदीके दरमियान बहुतसे सिख दोस्त मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अपना असर डालकर एक खास नापसे बड़ी कृपाण रखनेपर लगाई पाबंदीको हटानेकी कोशिश करूं। उन्होंने कुछ साल पहले दिया हुआ, प्रिवी कौंसिलका वह फैसला मुझे कह सुनाया जिसमें कहा गया है कि कोई सिख किसी भी नापकी कृपाण अपने साथ रख सकता है। मैंने वह फैसला नहीं पढ़ा है। मैं समझता हूं कि जजोंने कृपाणका अर्थ किसी भी नापकी 'तलवार' लगाया है। उस समयकी पंजाब-सरकारने प्रिवी कौंसिलके फैसलेपर अमल करनेके लिए यह ऐलान किया कि हर आदमी तलवार रख सकता है। इसलिए पंजाबमें कोई भी आदमी किसी भी नापकी तलवार रख सकता है।

मुझे पंजाब-सरकार या सिखोंकी इस बातसे कोई हमदर्दी नहीं है। कुछ सिख दोस्तोंने मेरे सामने ग्रंथ साहबके ऐसे हिस्से पेश किये हैं, जो मेरी इस रायका समर्थन करते हैं कि कृपाण बेगुनाहों-पर हमला करने या किसी भी तरह इस्तेमाल करनेका हथियार नहीं है। सिर्फ ग्रंथ साहबके आदेशोंको माननेवाला सिख ही बिरले मौकोंपर बेगुनाह औरतों, मासूम बच्चों, बूढ़े और दूसरे असहाय लोगोंकी रक्षाके लिए कृपाणका उपयोग कर सकता है। इसी कारणसे एक सिख सवा लाख विरोधियोंके बराबर माना जाता है। इसलिए जो सिख नशा करता है, जुआ खेलता है और दूसरी बुराइयोंका शिकार है, उसे पवित्रता और संयमके धार्मिक प्रतीक कृपाणको रखनेका कोई हक नहीं है, जो सिर्फ बताए हुए ढंग और मौकोंपर ही काममें लाई जा सकती है।

मेरी रायमें कृपाणके मनमाने उपयोगको सही साबित करनेके लिए प्रिवी कौंसिलके गए-गुजरे फैसलोंकी मदद चाहना बेकार और नुकसानदेह भी है। हम हालमें ही गुलामीके बंधनसे छूटे हैं। आजादीकी हालतमें सारी अच्छी पाबंदियोंको तोड़ना बिलकुल गैर मुनासिब है। क्योंकि उनके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं अपने सिख दोस्तोंसे कहूंगा कि वे किसी भी ऐसे काममें, जिसके सही और मुनासिब होनेमें शक हो, कृपाणका उपयोग करके महान् सिख-पंथके नामपर धब्बा न लगावें। जिस पंथको ऐसे कई शहीदोंने, जिनकी बहादुरीपर सारी दुनियाको गर्व है, बनाया उसे वे मिटा न दें।

मैं एक दूसरी बातकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मुझे एक छावनीकी कहानी सुनाई गई, जिसमें फौजपर असभ्य बरतावका इलजाम लगाया गया है। छावनीका सारा जीवन भीतरी और बाहरी शुद्धता और सफाईका नमूना होना चाहिए। इसकी रक्षाके लिए दोनोंको एक-दूसरेसे बढ़कर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे आशा है कि जो सूचना मुझे दी गई है, वह कानून और व्यवस्था-के इन रक्षकोंपर आम तौरपर लागू नहीं की जा सकती—वह एक अपवाद ही है। फौज और पुलिसको सचमुच सबसे पहले आज़ादीकी

चमक और उत्साह महसूस करना चाहिए। उनके बारेमें लोगोंको यह कहनेका मौका न मिले कि ऊपरसे लादे हुए भयानक संयम और पाबंदियोंमें ही उनसे अच्छा बरताव कराया जा सकता है। उन्हें अपने सही बरतावसे यह साबित कर देना है कि वे भी दूसरोंकी तरह हिंदुस्तानके योग्य और आदर्श नागरिक हो सकते हैं। अगर ये कानूनके रक्षक ही कानूनको ठुकराएंगे, तब तो राज चलाना भी नामुमकिन हो सकता है। और अखिल भारत-कांग्रेस-कमेटीके ठहरावोंको ठीक तरहसे अमलमें लाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जायगा।

तस्वीरका धुंधला पहलू बतानेके बाद अब मैं आप लोगोंको उसका चमकीला पहलू भी खुशीसे बताऊंगा। मुझे आदर्श बहादुरीकी एक आंखोंदेखी कहानीका जो वर्णन मिला है, वह मैं आपको सुनाता हूं।

"मीर मक़बूल शेरवानी बारामूलामें नेशनल कान्फरेंसका एक नौजवान बहादुर नेता था। उसने अभी तीसवें बरसमें प्रवेश ही किया था।

"यह जानकर कि वह नेशनल कान्फरेंसका बड़ा नेता है, हमलावरोंने उसे निशात टॉकीजके पास दो खंभोंसे बांध दिया। पहले उन्होंने उसे पीटा और बादमें कहा कि वह नेशनल कान्फरेंस और उसके नेता शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्लाको छोड़ दे। उन्होंने शेरवानीसे कहा कि वह आजाद काश्मीरकी आरज़ी हकूमतकी, जिसका हेडक्वार्टर पालन्द्रीमें है, वफादारीकी सौगंध ले।

"शेरवानीने मजबूतीसे नेशनल कान्फरेंसको छोड़नेसे इन्कार कर दिया। हमलावरोंसे साफ कह दिया कि शेरे काश्मीर अब राजके प्रधान मंत्री हैं। हिंदुस्तानी संघकी फौज काश्मीरमें आ पहुंची है और वह थोड़े ही दिनोंमें हमलावरोंको काश्मीरसे निकाल बाहर करेगी।"

"यह सुनकर हमलावर गुस्सा हुए और डर गए। और उन्होंने १४ गोलियोंसे उसका शरीर छलनी बना डाला। उन्होंने उसकी नाक काट ली, उसके चेहरेको बिगाड़ दिया, और उसके शरीरपर एक इश्तहार लगा दिया, जिसपर लिखा था—'यह गद्दार है। इसका नाम शेरवानी है। सारे गद्दारोंका यही हाल किया जायगा।'

"मगर इस बेरहमीभरे खून और आतंकके बाद ४८ घंटोंके भीतर ही शेरवानीकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। हमलावर घबड़ाकर बारा-मूलासे भागे और हिंदुस्तानी फ़ौजने जोरोंसे उनका पीछा किया।"

यह ऐसी शहादत है जिसपर कोई भी अभिमान कर सकता है, फिर वह हिंदू, सिख, मुसलमान या दूसरा कोई भी क्यों न हो।

एक दोस्तने मुझे फ़ख्रकी एक ऐसी मिसाल सुनाई है, जिसका तेज दुःखदायी परिस्थितियोंमें भी कम नहीं होता, और दोस्तीका ऐसा उदाहरण बताया है, जो कड़े-से-कड़े वक्तमें भी खरी उतरती है। यह नारायणसिंह नामके एक पुराने अफसरकी कहानी है। उन्होंने पच्छिमी पंजाबमें अपनी बहुत बड़ी मिल्कियत खो दी है। अब वह दिल्लीमें हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए या तो उन्हें अब भीख मांगनेपर लाचार होना पड़े या मौतका शिकार होना पड़े। वह अपने एक पुराने दोस्तसे मिले, जिसे वह अपने साथ दुःखी नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि अपनेपर आए हुए दुर्भाग्यकी उन्हें बिलकुल परवाह नहीं थी। वह सिख अफसर अपने दोस्त और साथी अफसर अली-शाहसे मिलकर बेहद खुश हुए। अलीशाह भी अपना सब कुछ खो बैठे हैं। वे फ़िरकेवाराना पागलपनकी वजहसे नहीं, बल्कि किसी और कारणसे बदक़िस्मतीके शिकार हुए हैं। वह भी नारायणसिंहकी तरह ही बहादुर हैं, और दोनोंको एक-दूसरेकी दोस्तीका अभिमान है। वे दोनों अपनी पच्चीस सालकी जुदाईके बाद जब मिले, तो इतने खुश हुए कि अपने दुर्भाग्यको भूल गए।

: १५४ :

२० नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मुझे एक ही शख्सकी तरफसे दो चिटें मिली हैं, जिनमेंसे एकमें लिखनेवाले भाईने कहा है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और

वे मेरे मातहत काम करना चाहते हैं। दूसरी चिटमें उन्होंने प्रार्थनामें एक भजन गानेकी अपनी इच्छा जाहिर की है। उनकी पहली इच्छाके बारेमें मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर ग़लती की है। यह सच है कि अंग्रेजी हकूमतके दिनोंमें मैंने लोगोंको सरकारसे असहयोग करनेकी सलाह दी थी, मगर अब ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आदमी चाहे, तो वह अपनी रोजी कमानेके लिए कहींपर नौकरी करते हुए भी अपने देशकी सेवा कर सकता है। हर रोज़ी कमानेवाले शख्स, अगर वह ईमानदारीसे और किसी भी क़िस्मकी हिंसा किये बग़ैर ऐसा करता है, देशसेवा ही करता है। लेखकको यह भी महसूस करना चाहिए कि मेरे पास उनके लिए कुछ काम नहीं है। अगर वे कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें उस गोशालामें अपनी सेवाएं देनी चाहिए जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा।

प्रार्थनामें भजन गानेके बारेमें तो यह है कि हर किसीको उसमें गाने नहीं दिया जा सकता। सिर्फ़ वे ही लोग पहलेसे इजाजत लेकर गा सकते हैं, जो भगवानके सेवक कहे जाते हैं।

(इसके बाद गांधीजीने सुचेतादेवी और उनके साथी कार्यकर्ताओंके साथ किये गए ओखला छावनीके अपने मुआइनेका ज़िक्र किया। उन्होंने कहा—)

उस छावनीकी तारीफके लायक़ सफ़ाईको देखकर मुझे खुशी हुई। वहांपर जगह-जगह यात्रियोंके लिए धर्मशालाएं बनी हैं, जो मेलोंके वक्त वहां आते हैं। ये मेले एक निश्चित समयके बाद वहां भरते रहते हैं। ये धर्मशालाएं अब निराश्रितोंके काममें लाई जाती हैं। वहां पानीकी कुछ दिक्कत है, जिसे अधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि आज वहां जितने निराश्रित हैं उनसे कहीं ज्यादा निराश्रितोंको, अगर पानी पुरानेकी गारंटी दी जा सके, उस जगहमें आसरा दिया जा सकता है।

जब मैं निराश्रितोंके बारेमें बोल रहा हूं, तब कुछ ऐसे दोषोंके बारेमें उनका ध्यान खींचना चाहूंगा जो मुझे बताए गए हैं। मुझसे यह कहा गया है कि निराश्रितोंमें आपसमें ही काला बाजार चल रहा है। जिन अफ़सरोंके जिम्मे निराश्रितोंकी देखभालका काम है, वे भी

दोषी बताए जाते हैं। मुझसे कहा गया है कि जिन अफ़सरोंके हाथमें छावनियोंका इंतजाम है, उन्हें घूस दिये बिना वहां जगह पाना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरहसे भी उनका बरताव दोषसे परे नहीं माना जाता। यह ठीक है कि सभी अफ़सर दोषी नहीं हो सकते, लेकिन एक पापी सारी नावको डुबो देता है।

इसके बाद मुझसे कहा गया है कि निराश्रित लोग छोटी-मोटी चोरियां भी करते हैं। मैं उनसे पूरी ईमानदारी और खरे बरतावकी आशा रखता हूं। मुझे यह रिपोर्ट दी गई है कि निराश्रितोंको जाड़ेसे बचनेके लिए जो रजाइयां दी जाती हैं, उनमेंसे कुछ चीर दी जाती हैं, उनकी रूई फेंक दी जाती है और छींटके कमीज वगैरा बना लिये जाते हैं। मुझे इसी तरहकी दूसरी बहुत-सी बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं निराश्रितोंके सारे बुरे कामोंका वर्णन करके आपका वक्त नहीं बरबाद करना चाहता। मैं आज शामके विषयपर जल्दी ही आना चाहता हूं।

दिल्लीकी किशनगंज नामकी बस्तीमें एक गोशालाका सालाना जलसा हो रहा है। कल आचार्य कृपलानी उस जलसेके सभापति बननेवाले हैं और मुझपर यह जोर डाला गया कि मैं कम-से-कम १० मिनटके लिए तो भी जलसेमें जाऊं। मुझे लगा कि मुझे किसी जलसे या उत्सवमें सिर्फ शोभाके लिए नहीं जाना चाहिए। १० मिनटमें न तो वहां मैं कुछ कर सकता हूं और न देख सकता हूँ। और, मैं सांप्रदायिक सवालोंमें ही इतना उलझा रहता हूं कि मुझे दूसरी बातोंकी तरफ ध्यान देनेका समय नहीं मिलता। इसलिए मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की। जलसेका इंतजाम करनेवाले लोगोंने मेरी लाचारीको महसूस करके मुझे माफ कर दिया और कहा कि अगर आप गोसेवाके बारेमें—खास कर गोशालाओंके बारेमें—अपनी बात प्रार्थना-सभामें कह देंगे, तो हमें संतोष हो जायगा। मैंने उनकी यह बात खुशीसे मान ली। मैं साफ शब्दोंमें यह कह चुका हूं कि हिंदुस्तानके पशु-धनको संभालने व बढ़ानेका काम और गाय और उसकी संतानके साथ उचित बरताव करनेका काम सियासी[1]

[1] राजनीतिक।

आज़ादी लेनेके कामसे कहीं ज़्यादा कठिन है। मैं इस मामलेमें श्रद्धा और लगनसे काम करनेका दावा करता हूं। मेरा यह भी दावा है कि मुझे इस बातका सच्चा ज्ञान है कि गाय कैसे बचाई जा सकती है। लेकिन मैं यह कबूल करता हूं कि अभीतक मैं आम लोगोंपर किसी तरह ऐसा असर नहीं डाल सका जिससे वे इस सवालपर उचित ध्यान दे सकें। जो लोग गोशालाओंका इंतजाम करते हैं वे उनके लिए पैसा लगाना या फंड जमा करना तो जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तानके पशु-धनका वैज्ञानिक ढंगसे पालन-पोषण करनेका उन्हें बिलकुल ज्ञान नहीं होता। वे यह नहीं जानते कि गायको कैसे पाला जाय कि वह ज़्यादा दूध दे। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि गायके दिये हुए बैलोंका कैसे विकास किया जाय, या उनकी नसल कैसे सुधारी जाय।

इसलिए हिंदुस्तानभरमें गोशालाएं ऐसी संस्थाएं होनेके बजाय—जहां कोई शख्स हिंदुस्तानके ढोरोंको ठीक तरहसे पालनेकी कला सीख सके, जो आदर्श डेरियां हों, और जहांसे लोग अच्छा दूध, अच्छी गायें, अच्छी नसलके सांड और मज़बूत बैल खरीद सकें—सिर्फ़ ऐसी जगहें हैं, जहां ढोरोंको बुरी तरह रखा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हिंदुस्तान दुनियामें ऐसा खास देश होनेके बजाय, जहां बड़े अच्छे ढोर हों, और जहां सस्ते-से-सस्ते दामोंपर जितना चाहो उतना शुद्ध दूध मिल सके, आज इस मामलेमें शायद दुनियाके सारे देशोंसे नीचे है। गोशालावाले इतना भी नहीं जानते कि गोबर और गोमूत्रका अच्छे-से-अच्छा क्या उपयोग किया जाय; न वे यही जानते हैं कि मरे हुए जानवरका कैसे उपयोग किया जाय। नतीजा यह हुआ है कि अपने अज्ञानकी वजहसे उन्होंने करोड़ों रुपए गँवा दिये हैं। किसी माहिरने कहा है कि हमारा पशुधन देशके लिए बोझ है और वह सिर्फ़ नष्ट कर देनेके ही काबिल है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मगर यदि आम अज्ञान इसी तरह कुछ दिनोंतक और बना रहा, तो मुझे यह जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि पशु देशके लिए बोझ बन गए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस गोशालाके प्रबंध करनेवाले इसे हर दृष्टिकोणसे एक आदर्श संस्था बनानेकी पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

: १५५ :

२१ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

जब मैं आप लोगोंके सामने अपना भाषण दे रहा हूं, तब शायद जिस गोशालाके बारेमें मैंने कल शामको आपसे कुछ कहा था, उसका सालाना जलसा अभी हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। कल शामके अपने भाषणोंमें मैंने फौजियोंके लिए हिंदुस्तानमें चलाई जानेवाली विभिन्न डेरियोंका जिक्र नहीं किया था। डॉ० राजेंद्रप्रसाद-ने मुझे बतलाया है कि वे डेरियां अभी भी चल रही हैं। बरसों पहले मैं बंगलोरकी सेंट्रल डेरी देखने गया था। तब कर्नल स्मिथकी देख-रेखमें वह चल रही थी। मैंने वहां कुछ सुंदर ढोर देखे थे। उनमें एक इनाम पाई हुई गाय थी। वे लोग मानते थे कि एशियाभरमें वह सबसे अच्छी गाय है। वह हर रोज ७५ पौंड दूध देती थी या एक ही बारमें इतना दूध देती थी, यह मुझे बराबर याद नहीं है। वह गाय बिना किसी रोक-टोकके चाहे जहां घूम-फिर सकती थी। उसके लिए जहां-तहां चारा रखा रहता था, जिसे वह चाहे तब खा सकती थी। यह इस तसवीरका अच्छा पहलू है।

दूसरा पहलू मैंने नहीं देखा, मगर मुझे प्रामाणिक तौरपर कहा गया है कि बहुतसे नर बछड़ोंको मार डाला जाता है, क्योंकि उन सबको बोझ ढोने लायक बैल नहीं बनाया जा सकता। ये डेरियां, बहुत ज्यादा नहीं, तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन घेरे हुए हैं। ये सब खास तौरपर यूरोपियन सिपाहियोंके लिए हैं। इनमें कई करोड़ रुपया लगा है। अब चूंकि ब्रिटिश सिपाही हिंदुस्तानमें नहीं हैं, इसलिए मैं इनकी और ज्यादा ज़रूरत नहीं समझता। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हिंदुस्तानी सिपाहीको यह मालूम हो कि ये खर्चीली डेरियां उसके लिए चलाई जा रही हैं, तो उसे शर्म मालूम होगी। मुझे यह भी विश्वास है कि हिंदुस्तानी सिपाही ऐसे किसी खास बरताव का दावा नहीं करेगा जिसका मामूली नागरिक भी उतना ही हक़दार न हो।

गाय और भैंसके बारेमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और शायद पूर्ण साहित्य, खादी-प्रतिष्ठानके श्री सतीशचंद्रदास गुप्तद्वारा लिखे हुए एक बड़े भारी ग्रंथमें पाया जा सकता है। जहां-तहांके साहित्यके अवतरणोंसे इस ग्रंथको नहीं भरा गया है, बल्कि उसे निजी अनुभवके आधारपर, जब वे एक बार जेलमें थे, तब लिखा गया है। बंगाली और हिंदुस्तानीमें उसका अनुवाद हो चुका है। पुस्तकको ध्यानसे पढ़ने-वाले लोग इसे हिंदुस्तानके पशुधनको अच्छा बनाने और दूधकी पैदावारको बढ़ानेके काममें बहुत उपयोगी पाएंगे। इस किताबमें गाय और भैंसकी तुलना भी की गई है।

(इसके बाद गांधीजीने एक सवालका ज़िक्र किया, जो उनके पास श्रोताओंमेंसे किसीने भेजा था। सवाल यह था—हिंदू क्या है? इस शब्दकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या हिंदुत्व नामकी कोई चीज है? इसका जवाब देते हुए गांधीजीने कहा—) ये सब इस वक्तके लिए योग्य सवाल हैं। मैं इतिहासका कोई बड़ा जानकार नहीं हूं। मैं विद्वान होनेका दावा भी नहीं करता। मगर हिंदुत्वपर लिखी हुई किसी प्रामाणिक किताबमें मैंने पढ़ा है कि हिंदू शब्द वेदोंमें नहीं है। जब सिकंदर महान्ने हिंदुस्तानपर चढ़ाई की, तब सिंधु नदीके पूरबके देशमें रहनेवाले लोग, जिसे अंग्रेजीदां हिंदुस्तानी 'इंडस' कहते हैं, हिंदूके नामसे पुकारे गए। सिंधुका 'स' ग्रीक भाषामें 'ह' हो गया। इस देशके रहनेवालोंका धर्म हिंदू-धर्म कहलाया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह सबसे ज्यादा सहिष्णु (रवादार) धर्म है। इसने उन ईसाइयोंको आसरा दिया जो विधर्मियोंसे सताए जाकर भागे थे। इसके सिवा इसने उन यहूदियोंको, जो बेनिइज़राइल कहे जाते हैं, और पारसियोंको भी आसरा दिया। मैं इस हिंदू-धर्मका सदस्य होनेमें अभिमान महसूस करता हूं, जिसमें सभी धर्म शामिल हैं और जो बड़ा सहनशील है। आर्य विद्वान वैदिक धर्मको मानते थे और हिंदुस्तान पहले आर्यावर्त कहा जाता था। वह फिरसे आर्यावर्त कहलाए ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कल्पनाका हिंदू-धर्म मेरे लिए अपने आपमें पूर्ण है। बेशक, उसमें वेद शामिल हैं, मगर उसमें

और भी बहुत कुछ शामिल है। यह कहनेमें मुझे कोई नामुनासिब बात नहीं मालूम होती कि हिंदू-धर्मकी महत्ताको किसी भी तरह कम किये बग़ैर मैं मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी-धर्ममें जो महत्ता है उसके प्रति हिंदू-धर्मके बराबर ही श्रद्धा जाहिर कर सकता हूं। ऐसा हिंदू-धर्म तबतक जिंदा रहेगा, जबतक आकाशमें सूरज चमकता है। इस बातको तुलसीदासने एक दोहेमें रख दिया है—

दया धरमको मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छोड़िए, जब लगि घटमें प्रान॥

मेरे ओखला छावनीके मुआइनेके वक्त जो बहन मेरे साथ थीं, वे इस खयालसे घबड़ा गईं कि निराश्रितोंकी कुछ छावनियोंमें बुरा आचरण होनेकी मैंने जो बात कही थी, उसका संबंध कहीं ओखला छावनीसे तो नहीं है। ओखला छावनीको मैंने बहुत जल्दीमें देखा है, इसलिए उसके बारेमें ऐसी कोई बात कहना मेरे लिए नामुमकिन है। अपने भाषणमें मैंने आम छावनियोंमें होनेवाले बुरे आचरणका ही ज़िक्र किया है।

मैं इस बातका जिक्र किये बिना नहीं रह सकता कि मुझे जो सूचना मिली है उसके मुताबिक दिल्लीकी करीब १३७ मसजिदें हालके दंगोंमें बरबाद-सी कर दी गई हैं। उनमेंसे कुछको मंदिरोंमें बदल डाला गया है। ऐसी एक मसजिद कनॉट प्लेसके पास है, जिसकी तरफ किसीका भी ध्यान गए बिना नहीं रह सकता। आज उसपर तिरंगा झंडा फहरा रहा है। उसे मंदिरका रूप देकर उसमें एक मूर्ति रख दी गई है। मसजिदोंको इस तरह बिगाड़ना हिंदू और सिख-धर्मपर कालिख पोतना है। मेरी रायमें यह बिलकुल अधर्म है। जिस कलंकका मैंने जिक्र किया है, उसे यह कहकर कम नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानमें मुसलमानोंने भी हिंदू-मंदिरोंको बिगाड़ा या उन्हें मसजिदोंका रूप दे दिया है। मेरी रायमें ऐसा कोई भी काम हिंदू-धर्म, सिख-धर्म या इस्लामको बरबाद करनेवाला काम है।

(गांधीजीने इस बारेमें अखिल भारत-कांग्रेस-कमेटीका हालका ठहराव लोगोंको सुनाया।)

आज हमेशासे ज़्यादा समयके लिए प्रार्थना-सभामें ठहरनेका खतरा उठाकर भी मैं अंतमें एक बात कह देना अपना फर्ज़ समझता हूं। मुझसे यह कहा गया है कि गुड़गांवके पास रोमन कैथोलिकोंको सताया जाता है। जिस गांवमें यह हुआ है, उसका नाम कन्हाई है। वह दिल्लीसे करीब २५ मीलपर है। एक हिंदुस्तानी रोमन कैथोलिक पादरी और एक गांवके ईसाईप्रचारक मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे वह खत दिखाया जिसमें कन्हाई गांवके रोमन कैथोलिकोंने हिंदुओंद्वारा अपने सताए जानेकी कहानी बयान की थी। ताज्जुब यह है कि वह खत उर्दूमें लिखा था। मैं समझता हूं कि उस हिस्सेके रहनेवाले हिंदू, सिख या दूसरे लोग केवल हिंदुस्तानी ही बोल सकते और उर्दू-लिपिमें ही लिख सकते हैं। सूचना देनेवाले लोगोंने मुझे बताया कि वहांके रोमन कैथोलिकोंको यह धमकी दी गई है कि अगर वे गांव छोड़कर चले नहीं जायंगे, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि यह धमकी झूठी है और वहांके ईसाई भाई-बहनोंको बिना किसी रुकावटके अपना धर्म पालने और काम करने दिया जायगा। अब हमें सियासी गुलामीसे आजादी मिल गई है। इसलिए आज भी उन्हें धर्म और कामकी वही आजादी भोगनेका हक है, जो वे ब्रिटिश हकूमतके दिनोंमें भोगते थे। मिली हुई आजादीपर यूनियनमें सिर्फ हिंदुओंका और पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमानोंका ही हक नहीं है। मैं अपने एक भाषणमें आप लोगोंसे कह चुका हूं कि जब यूनियनमें हिंदुओं और सिखोंका मुसलमानोंके खिलाफ भड़का हुआ गुस्सा कम हो जायगा, तो संभव है वह दूसरोंपर उतरे। लेकिन जब मैंने यह बात कही थी तब मुझे यह आशा नहीं थी कि मेरी भविष्यवाणी इतनी जल्दी सच साबित होने लगेगी। अभीतक मुसलमानोंके खिलाफ बढ़ा हुआ गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। जहांतक मैं जानता हूं, ये ईसाई बिलकुल निर्दोष हैं। मुझे सुझाया गया कि उनका गुनाह यही है कि वे ईसाई हैं। इससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह यह है कि वे गाय और सूअरका गोश्त खाते हैं। मैंने उत्सुकतासे मिलने आए हुए पादरीसे पूछा कि इस बातमें कोई सचाई है? तब उन्होंने कहा कि इन रोमन कैथोलिकोंने अपनी मरजीसे बहुत पहले ही

गाय और सूअरका मांस खाना छोड़ दिया है। अगर इस तरहका नादानीभरा द्वेष चालू रहा तो आज़ाद हिंदुस्तानका भविष्य अंधेरा ही समझिए। वह पादरी जब रेवाड़ीमें थे, तब उनकी खुदकी साइकिल उनसे छीन ली गई और वह मौतसे बालबाल बचे। क्या यह दुःख सारे ग़ैर-हिंदुओं और ग़ैर-सिखोंको मिटाकर ही मिटेगा ?

: १५६ :

२२ नवंबर १९४७

(गुड़गांवके नज़दीक एक गांवमें ईसाइयोंके साथ होनेवाले बुरे बरताव-का फिरसे जिक्र करते हुए गांधीजीने अपने आजके शामके भाषणमें कहा—)

भाइयो और बहनो,

मुझे खबर मिली है कि कुछ-कुछ ऐसा ही बरताव सोनीपतके ईसाइयोंके साथ हुआ है। मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहां ईसाइयोंसे प्रार्थना की गई कि वे निराश्रितोंको अपने मकानोंका उपयोग करने दें। ईसाइयोंने खुशीसे इसकी इजाज़त दे दी और इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। मगर यह धन्यवाद अभिशापमें बदल गया; क्योंकि उनके दूसरे मकान भी जबरदस्ती निराश्रितोंके काममें ले लिये गए और उनसे कह दिया गया कि अगर वे सोनीपतमें अपनी जिंदगीको बहुत दुःखी नहीं देखना चाहते, तो वहांसे चले जायं। अगर यह बात ऐसी ही हो, जैसी कि वह कही गई है, तो साफ जान पड़ता है कि यह बीमारी बढ़ रही है और कोई नहीं बता सकता कि यह बीमारी हिंदुस्तानको कहां ले जानेवाली है।

जब मैं कुछ दोस्तोंसे चर्चा कर रहा था, तब मुझसे कहा गया कि जबतक पाकिस्तानमें होनेवाली इसी किस्मकी बुराइयां कम नहीं होतीं, तबतक हिंदुस्तानी संघमें ज्यादा सुधारकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस बातके समर्थनमें मेरे सामने लाहौरके बारेमें जो कुछ अख-बारोंमें छपा है, उसका उदाहरण रखा गया। मैं खुद अखबारोंकी

खबरोंको सोलह आने सच नहीं मानता और मैं अखबार पढ़नेवालोंको भी चेतावनी दूंगा कि वे उनमें छपी कहानियोंका अपने ऊपर आसानीसे असर न पड़ने दें। अच्छे-से-अच्छे अखबार भी खबरोंको बढ़ा-चढ़ाकर कहने और उन्हें रंगनेसे बरी नहीं हैं। मगर मान लीजिए कि जो कुछ आपने अखबारोंमें पढ़ा वह सब सच है, तो भी एक बुरे नमूनेकी कभी नकल नहीं की जानी चाहिए।

एक ऐसे समकोण चौखटकी कल्पना कीजिए, जिसमें स्लेट नहीं लगी है। अगर उस चौखटको ज़रा भी बेढंगे तरीक़ेसे पकड़ा जाय, तो उसके समकोण न्यूनकोण और अधिककोणमें बदल जायंगे और अगर चौखटको एक कोनेपर फिरसे ठीक ढंगसे पकड़ा जाय, तो दूसरे तीन कोने अपने आप समकोण बन जायंगे। इसी तरह अगर हिंदुस्तानी संघकी सरकार और लोग सही बरताव करें, तो मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करने लगेगा और सारा हिंदुस्तान फिरसे समझदार बन जायगा। ईसाइयोंके साथ किये गए बुरे बरतावको, जिन्होंने, जहांतक मैं जानता हूं, कोई अपराध नहीं किया है, इस बातका संकेत समझा जाय कि इस पागलपनको और ज़्यादा बढ़ने देना ठीक नहीं है। और अगर हिंदुस्तानको दुनियाके सामने अपना अच्छा लेखा-जोखा रखना है, तो एकदम और तेज़ीके साथ इस पागलपनका मुक़ाबला किया जाय।

(इसके बाद निराश्रितोंकी समस्यापर बोलते हुए गांधीजीने कहा—)

उनमें डाक्टर, वकील, विद्यार्थी, शिक्षक, नर्सें वग़ैरा हैं। अगर उन्होंने ग़रीब निराश्रितोंसे अपने आपको अलग कर लिया, तो वे अपने ऊपर पड़े हुए एकसे दुर्भाग्यसे कोई सबक़ नहीं ले पायंगे। मेरी राय है कि सब व्यवसायी और ग़ैर-व्यवसायी, धनवान और ग़रीब निराश्रित एक साथ रहें और जिस तरह लाहौरके धनवान लोगोंने लाहौरको आदर्श शहर बनाया—और जिसे हिंदुओं और सिखोंको लाचार होकर खाली करना पड़ा—उस तरह वे भी आदर्श शहर बसाएं। ये शहर, दिल्ली-जैसी घनी आबादीवाले शहरोंका बोझ हलका करेंगे और इनमें रहने-वाले लोगोंकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी और उनकी तरक्की होगी। अगर कुरुक्षेत्रकी

बड़ी छावनीमें रहनेवाले दो लाखसे ऊपर निराश्रित बाहरी और भीतरी सफाईके मामलेमें आदर्श बन गए, अगर व्यवसायी और धनवान ग़रीब निराश्रितोंके साथ बराबरीके आधारपर रहे, अगर उन्होंने तंबुओंकी इस बस्तीमें अच्छी सड़कें बनाकर संतोषकी ज़िंदगी बिताई, अगर वे सफ़ाईसे लगाकर सारे काम खुद करते रहे और दिनभर किसी-न-किसी उपयोगी काममें लगे रहे, तो वे सरकारी बजटपर बोझ नहीं रह जायंगे। और उनकी सादगी और सहयोगको देखकर शहरोंमें रहनेवाले लोग सिर्फ उनकी तारीफ करके ही नहीं रह जायंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवनपर शर्म मालूम होगी और वे निराश्रितोंकी सारी अच्छी बातोंकी नकल करेंगे। तब मौजूदा कड़ुवाहट और आपसी जलन एक मिनटमें गायब हो जायगी। तब निराश्रित लोग, चाहे वे कितनी ही बड़ी तादादमें क्यों न हों, केंद्रीय और मुक़ामी सरकारोंके लिए चिंताके विषय नहीं रह जायंगे। लाखों निराश्रितोंद्वारा बिताई गई ऐसी आदर्श जिंदगीकी दुःखी दुनिया तारीफ करेगी।

अंतमें मैं कंट्रोलोंको हटानेके बारेमें, खासकर अनाज और कपड़ेका कंट्रोल हटानेके बारेमें चर्चा करूंगा। सरकार कंट्रोल हटानेमें हिचकिचाती है, क्योंकि उसका ख़याल है कि देशमें अनाज और कपड़ेकी सच्ची तंगी है। इसलिए अगर कंट्रोल हटा दिया गया तो इन चीज़ोंके दाम बहुत बढ़ जायंगे। इससे गरीबोंको बड़ा नुकसान होगा। गरीब जनताके बारेमें सरकारका यह खयाल है कि वह कंट्रोलोंके जरिए ही भुखमरीसे बच सकती है और तन ढकनेको कपड़ा पा सकती है। सरकारको व्यापारियों, अनाज पैदा करनेवालों और दलालोंपर शक है। उसे डर है कि ये लोग कंट्रोलोंके हटनेका बाजकी तरह रास्ता देख रहे हैं, ताकि गरीबोंको अपना शिकार बनाकर बेईमानीसे कमाये हुए पैसेसे अपनी जेबें भर सकें। सरकारके सामने दो बुराइयोंमेंसे किसी एकको चुननेका सवाल है। और उसका खयाल है कि मौजूदा कंट्रोलोंको हटानेके बदले बनाए रखना कम बुरा है।

इसलिए मैं व्यापारियों, दलालों और अनाज पैदा करनेवालोंसे अपील करता हूं कि वे अपने प्रति किये जानेवाले इस शकको मिटा दें

और सरकारको यह यकीन दिला दें कि अनाज और कपड़ेका कंट्रोल हटनेसे कीमतें ऊंची नहीं चढ़ेंगी। कंट्रोल हटानेसे काला बाजार और बेईमानी जड़से भले ही न उखाड़ी जा सकें, लेकिन इससे गरीबोंको आजसे ज्यादा सुख और आराम मिलेगा।

: १५७ :

२३ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाई लिखते हैं कि अगर हक नहीं मिले तो क्या हिंसाका मार्ग नहीं लेना चाहिए? हिंसासे हम हक ले नहीं सकते। मैं तो कहूंगा कि हिंसासे कुछ मिल ही नहीं सकता। लगता तो है कि मिल सकता है, लेकिन कैसे? हां, एक बच्चा है, उसके हाथमें रुपया है, उसको दो-चार तमाचा मार दूं और रुपया ले लूं, तो मीठा तो लगेगा कि रुपया तो ले लिया लेकिन मैंने गुमाया कितना! बच्चा बेचारा करे क्या? लेकिन मेरा दिल चुभेगा कि बेचारे बच्चेका रुपया ले लिया, मारपीट करके। लेकिन ऐसे पाजी दुनियामें भरे पड़े हैं। मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। ऐसा छीननेका मेरा हक नहीं है। छीन लिया तो नतीजा बुरा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंसासे हक ले नहीं सकते। हक लेनेका एक ही तरीका है और वह मैंने प्रकट कर दिया है। वह सबको पसंद पड़ा। उसमें लिखा है कि लोगोंका हक क्या है और कैसे मिल सकता है। मैं तो कहूंगा कि हक है ही नहीं। जिसके पास फर्ज नहीं है तो उसका हक नहीं है, अर्थात् सब हक अपने फर्जमेंसे निकलता है—फर्ज नहीं तो हक नहीं। मैं फर्ज अदा करता हूं तो उसका नतीजा मिलता है, वही हक है। जैसे मैं खाता हूं, खानेका धर्म है तो खाता हूं, शौकसे लिया तो कुछ-न-कुछ रोग पैदा होगा। अगर खाता हूं धर्म समझकर, ईश्वरका नाम लेता हूं, दुनियाकी सेवा करता हूं तो मुझे हक मिल जाता है। क्या मिलता है? सेवा

करनेका हक मिलता है। आप कहेंगे कि इसको हक कैसे कहेंगे ? आप विचार करेंगे तो यह मालूम हो जायगा। मैं तो कहूंगा कि वही हक हो जाता है। मानो कि मैं दिनभर काम करता हूं तो आठ आना कमा लेता हूं—वह आठ आना हकसे मिलता है। हक कैसे आया ? काम किया तब। काम न करूं और आठ आना पैसा लूं तो हकसे नहीं लिया, छीन लिया। हक तो तभी होता है जब मजदूरी करनेका इकरार कर दिया और वह दिलसे किया अर्थात् मनसे, वचनसे, कर्मसे किया। लेकिन अगर दिलसे काम नहीं करता हूं, सरदारका बिगाड़ता हूं, सरदार देखता नहीं है, इसलिए धोखा दूं तो वह पाप है। और जब देखता हूं कि दूसरेको तो एक रुपया मिल रहा है तो मैं भी एक रुपया ले सकता हूं, लेकिन कब ? सरदारको कह-कर। उनको कहूं सबको तो एक रुपया मिलता है तो मैं कैसे आठ आनेमें काम करूं—एक रुपया नहीं तो पंद्रह आने तो दे दो। वह कहे कि आठ आनेमें काम करो तो करो नहीं तो चले जाओ। तब मैं क्या करूं ? क्या माल जला दूं, उसका काम रोक दूं, धरना दूं, फाका करूं, क्या करूं ? मैं कहूंगा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन आठ आनेमें तो मजदूरी नहीं कर सकता हूं—यह तो शराफत हुई। मैं तो कहूंगा कि जो कुछ करना चाहो वह शराफतसे करो। शराफतमें यही आता है कि हम धर्मका पालन करें, फर्जको अदा करें और फर्ज-करके अहिंसासे हक पैदा करें। हिंसाके मारफत कुछ भी लेनेकी कोशिश न करें—इसीसे दुनिया चलती है, नहीं तो दुनिया बिगड़ती है।

तो क्रिस्तियोंके बारेमें तो कह दिया था। आज मैं आप लोगोंको हरिजनोंके बारेमें कहूंगा। वह तो हमारे लिए शर्मकी बात है कि रोह-तकमें, रोहतक जिलेमें कहो, हर जगह हरिजन पड़े हैं—पहले भी थे, अब भी हैं। तो वहां भी हरिजन पड़े हैं। वहां तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहीर भी पड़े हैं। उनके दिलमें ऐसा हुआ कि हरिजन हैं, वे हमारे गुलाम हैं, जो कुछ काम लेना है लेंगे—वहां फिर हककी बात आ गई—वे तो जन्मसे गुलाम पैदा हुए हैं। पानी चाहिए तो दें, खाना खाए तो ठीक है, नहीं तो हकसे ले नहीं सकते।

इसको मैं तकबरी[1] मानता हूं। जब अंग्रेजी सल्तनत थी तब चलती थी और अब वह चीज ज्यादा बन गई। बेचारे हरिजन गरीब हैं तो मेरे पास आए और कहा कि हमपर ऐसी गुजर रही है तो क्या हम गुलामीमें रहें, कि मर जायं या रोहतक छोड़ दें या क्या करें? अभी वे छोड़ भी नहीं सकते, यह समझने लायक बात है। यदि वे रोहतक छोड़ते हैं तो दूसरे लोग मरेंगे, क्योंकि उनका काम बिगड़ता है; लेकिन हरिजनको गुलामी ही करना है तो ऐसा हो जाता है। तो वे बेचारे आ गए—मदरसेमें पढ़ते हैं, कोई आगे पढ़ता है, कोई पीछे है, उद्योग भी सीखते हैं; लेकिन वे लोग जो नाराज कर रहे हैं उनको क्या कहें। अब तो हम ऐसे हो गए हैं कि हम सोचते नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब डरते थे कि हमको मारपीट डालेंगे। अब वह सल्तनत चली गई तो कौन क्या कर सकता है! जजके सामने पेश किये जाएंगे तो जजको भी डरा सकेंगे। जज क्या कर सकता है? अब ऐसी तकबरी पैदा हो गई है। इसका नतीजा यही आता है कि हरिजन तबाह हो जाता है। तो मैंने उन लोगोंसे कहा कि आप बापा साहब[2]के पास जाइए—उन्होंने तो हरिजनों और आदिवासियोंकी सेवा करनेके लिए जन्म लिया है, वे हरिजनोंके लिए सब कुछ करते हैं। तो वे गए और पीछे मेरे पास आए और मुझको सुनाया कि बापा साहब कुछ नहीं करते हैं। मैं तो समझ गया कि वे क्या चाहते हैं। वे यहीं बैठे हैं। मैंने कहा कि आप डाक्टर गोपीचंदके पास जाइए। वे प्रधान मंत्री बन गए हैं तो क्या, पहले तो हरिजन-सेवक-संघका सब काम करते थे। आज आनेवाले थे तो मैंने कहा कि उनसे मिलूं। मिला। लेकिन वहां जो लोग जालिम बन गए हैं, मजबूर करते हैं, हठीले बन गए हैं तो क्या करना? आज अंग्रेजी सल्तनत तो है नहीं, वैसा कर भी नहीं सकते हैं, तो वे करें क्या? तो मैंने सोचा कि आज मैं हरिजनोंकी करुण कथा सुनाऊं। हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? आज हमारा धर्म क्या है?

[1] तकब्बुर=अभिमान। [2] श्री ठक्कर बापा।

आजतक हम उन्हें अछूत, गुलाम मानते आए हैं, वह अधर्म किया। गलती की और पाप किया, उसके प्रायश्चित्तके रूपमें हरिजन-सेवक संघ बना, संघने बहुत काम भी किया है। सब हिंदूने ऐसा नहीं किया—करोड़ोंकी संख्यामें हिंदू, सब हिंदूने तो उसे अपनाया भी नहीं है। अगर सब हिंदुओंने अपना लिया होता तो मुझे यह करुण कथा क्यों सुनानी पड़ती। अंग्रेजोंके राज्यमें तो करते थे—उनको गाली देते थे कि अगर ये नहीं होते तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अब तो वे चले गए—हम अब अच्छे हैं या बुरे? मैं तो कहूंगा कि पहलेसे ज्यादा बुराइयां आ गईं। हम ज्यादतियां तब करते थे और अब भी करते हैं, पहले तो मुसलमानोंपर ज्यादतियां कीं, यह भी पाप किया—पाकिस्तान है यह भूल जाओ, उसका खयाल मत करो। समझो कि अगर एक आदमी पाप करता है तो क्या हम भी करें। सोचोगे तो मालूम होगा कि वह बुरा है—एक बुराईसे दूसरी बुराई पैदा होती है। हमने काफी लोगोंको मार डाला है, हमारे दिलमें झूठी हिम्मत आ गई है कि मारो क्रिस्तियोंको, पीछे हम जाटिस्तान, अहीरिस्तान, हर एक अपना-अपना स्थान बनाएंगे; लेकिन हिंदुस्तान कोई नहीं बनाएगा। हरिजनोंको तो अपनाना ही चाहिए—वे तो हम जैसे हिंदू हैं, वह पंचम जाति तो है नहीं। पंचम वर्ण तो हिंदूमें है नहीं, चार वर्ण हैं—उनमें एक नीचा और दूसरा ऊंचा तो है ही नहीं। इन चारोंमें ऐसा है कि एक धर्म सिखाता है, दूसरा रक्षा करता है, तीसरा तिजारत करता है—घर भरनेके लिए नहीं, अपने लिए करोड़ों रुपया पैदा करनेके लिए नहीं, प्रजाके लिए भले ही पैदा करे—और चौथा प्रजाकी सेवा करता है। लेकिन चारों साथ-साथ खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर शूद्र है, वह बैरिस्टर बन जाय तो वह बैरिस्टरी नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वह बैरिस्टर होकर भी सेवा कर सकता है। जो धर्म सिखाता है वह भी सेवा करता है, तिजारत करता है, नौकरी करता है वह सेवा करता है और झाड़ू लगाता है वह भी सेवा करता है—ये चारों सेवा हैं, सेवाक्षेत्र बन गया है। पीछे जो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है—इसका मतलब

यह नहीं है कि वह अगर उस कामको छोड़कर दूसरा काम करता है तो पाप करता है। वह उस कामको नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं है। इसी तरह हमने अनेक जातियां पैदा कीं और अब पंचम वर्ण पैदा करते हैं तो हमारी गलती है, दुष्टता है। अगर हम अपने-अपने धर्मके मुताबिक चलें तब तो हो सकता है। आज हमारे हाथमें बागडोर आ गई है तो हिंदू-सिख सब अपने-अपने धर्मके अनुसार चलें तो मैं समझता हूं कि सबका काम चल सकता है। मैंने भी समाप्त कर दिया और यह भी समाप्त हो गई।

: १५८ :

२४ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

जब मैं प्रार्थनामें आता हूं आप लोग मेहरबानी करके मेरे और मेरी लड़कियोंके लिए काफी जगह गुजरनेके लिए छोड़ देते हैं, मगर जानेके समय लोग चरण छूनेके लिए मेरे इर्द-गिर्द भीड़ कर देते हैं। वह अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रार्थना है कि जानेके समय भी आप लोग मुझे शांतिसे रास्ता दें। आपकी मुहब्बत मैं समझता हूं, और उसकी मुझे कदर है। मगर मैं चाहता हूं कि यह मुहब्बत बाह्य उभारकी जगह किसी रचनात्मक कार्यका रूप ले। इस बारेमें मैं बहुत बार कह चुका हूं और लिख चुका हूं। रचनात्मक कार्यक्रममेंसे मुख्य तो आज कौमी मेल-जोल है। पहले भी झगड़ा होता था मगर उसमें किसीको बर्बाद करनेकी बात नहीं होती थी। अब तो मारनेकी ही बात है। जहर फैल गया है। एक तरफसे हिंदू और सिख, दूसरी तरफसे मुसलमान एक दूसरेके दुश्मन बन गए हैं। इसका शर्मनाक नतीजा आप देख ही चुके हैं।

प्रार्थनामें आनेवालोंका अपना हृदय वैरभावसे खाली हो, यह बस नहीं। उन्हें सांप्रदायिक मेलजोल फिरसे कायम करनेमें सक्रिय

भाग लेना है। खिलाफतके जमानेमें हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यका हमें गर्व था। उन दिनोंमें मिली-जुली बड़ी-बड़ी सभाओंमें जाना मैं भूला नहीं। उस ऐक्यको देखकर मेरा हृदय आनंदसे उछलता था। क्या वे दिन फिर कभी वापिस नहीं आवेंगे?

हिंदुस्तानकी राजधानीमें कल ही जो दुःखद घटना हुई उसका विचार कीजिए। कहा जाता है कुछ हिंदू और सिखोंने एक खाली मुस्लिम घरका कानूनके विरुद्ध कब्जा लेनेकी कोशिश की। उसपरसे झगड़ा हुआ और कुछ लोगोंको चोट पहुंची। मगर किसीकी मृत्यु नहीं हुई। यह घटना बुरी थी। मगर उसे और भी बढ़ाया-चढ़ाया गया। पहली खबर यह थी कि चार सिख मारे गए हैं। नतीजा वही हुआ जो ऐसी चीजोंमें होता है। बदलेकी भावना भड़की और कई लोग छुरेसे घायल हुए।

सुनता हूं कि अब एक नया तरीका इस्तेमाल होने लगा है। छोटी कृपाणकी जगह सिख लोग बड़ी तलवार रखने लगे हैं। तलवार खींचकर हिंदुओंके साथ या अकेले मुसलमानके घरोंमें जाते हैं, और उन्हें मकान खाली करनेको धमकाते हैं। अगर यह खबर सच्ची है तो राजधानीमें ऐसी चीज असह्य पशुपन है। अगर यह सही नहीं है तो इसकी तरफ और ध्यान देनेकी जरूरत नहीं। सही है तो न सिर्फ सत्ताधारियोंको, बल्कि जनताको भी फौरन इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जनताके पीठ-बलके बिना सत्ताधीश कुछ नहीं कर सकते।

मैं नहीं जानता कि ऐसी हालतमें मेरा धर्म क्या है? इतनी बात स्पष्ट है कि हालत ज्यादा बिगड़ रही है। जल्दी ही कार्तिककी पूर्णिमा आनेवाली है। मेरे पास तरह-तरहकी अफवाहें आती हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे दशहरा और बकरीदके समय हुआ, उसी तरह अब भी ये अफवाहें झूठी सिद्ध होंगी।

इन अफवाहोंसे एक पाठ तो हम सीख ही सकते हैं। आज हमारे पास शांतिकी कोई मिल्कियत जमा नहीं। हमें रोजकी कमाई रोज करना है। यह स्थिति किसी राष्ट्र या राज्यके लिए अच्छी नहीं। देशके हरेक सेवकको ध्यानपूर्वक सोचना है कि वह इस खा जानेवाले

जहरको मिटानेके लिए क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए।

यहांपर लायलपुरके सरदार संतसिंहजीके एक लंबे पत्रकी चर्चा करना अच्छा होगा। वे पहले सेंट्रल असेम्बलीके सदस्य थे। उन्होंने सिखोंका जबर्दस्त बचाव किया है। उन्होंने मेरे पिछले बुधवारके भाषणका जो अर्थ किया है, वह उस भाषणके शब्दोंमेंसे नहीं निकलता। मेरे मनमें तो वह था ही नहीं। शायद सरदार साहब जानते होंगे कि १९१५ में दक्षिण अफ्रीकासे लौटनेके बाद मेरा सिख मित्रोंके साथ घनिष्ट संबंध रहा है। एक समय था कि जब सिख, हिंदुओं और मुसलमानोंकी तरह मेरे वचनोंको वेद-वाक्य मानते थे। अब समय बदल गया है, उसके साथ लोगोंके ढंग बदल गए हैं। मगर मैं जानता हूं कि मैं नहीं बदला। शायद सरदार साहब नहीं जानते, सिख आज किस तरफ बहे जा रहे हैं। मैं उनका पक्का मित्र हूं। मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना। सो मैं सब चीज देख सकता हूं। मैं उनसे साफ-साफ दिल खोलकर बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं उनका सच्चा मित्र हूं। मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि कई बार सिख भाई मेरी सलाहको मानकर कठिनाइयोंमेंसे बच निकले हैं। इसलिए मुझे कभी यह खयाल भी नहीं आया कि मुझे सिखोंके बारेमें, या तो किसीके भी बारेमें, सोच-समझकर बोलना चाहिए। सरदार साहब और हरेक सिख जो सिख-जातिका भला चाहता है और आजके प्रवाहमें बह नहीं गया, इस बहादुर और महान् जातिको पागलपन, शराबखोरी और उसमेंसे निकलनेवाली बदियोंसे बचानेमें मदद करें। जिस तलवारका वे काफी प्रदर्शन कर चुके हैं, और बुरी तरह इस्तेमाल कर चुके हैं, उसे अब वापस म्यानमें रख दें। अगर प्रिवी कौंसिलके फैसलेका यह अर्थ है कि कृपाणका मतलब है किसी भी मापकी तलवार, तो भी, वह उससे मूर्ख न बनें। किसी भी बेउसूल शराबी आदमीके हाथमें जानेसे, या उसका मनमाना इस्तेमाल करनेसे कृपाणकी पवित्रता जाती रहती है। पवित्र चीजका पवित्र और बाकानून मौकेपर ही इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शक नहीं कि कृपाण शक्तिका

प्रतीक है। कृपाण रखनेवालेको वह तभी शोभा देती है जब वह अपने आपपर आश्चर्यजनक काबू रखे और बहुत ही भारी विरोधी ताकतके सामने उसका इस्तेमाल करे।

सरदार साहब मुझे यह कहनेके लिए माफ करेंगे कि मैंने सिख-इतिहासका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और ग्रंथ साहबके तत्त्वोंका अमृतपान किया है। उन वचनोंके हिसाबसे देखा जाय तो जो सिखोंने किया बताया जाता है, उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। वह अपने आपको बर्बाद करनेका रास्ता है। किसी भी हालतमें सिखोंकी बहादुरी और ईमानदारीका इस तरह नाश नहीं होना चाहिए। वे सारे हिंदुस्तानके लिए भारी संपत्ति हो सकते हैं, आज तो वे भयरूप बन गए हैं। सो नहीं होना चाहिए।

यह कहना कि सिख इस्लामके पहले नंबरके दुश्मन हैं, बिल्कुल वाहियात बात है। मुझे भी तो यही अल्काब[1] दिया जा चुका है न! क्या यह अल्काब मुझे सिखोंके साथ बांटना पड़ेगा? मेरा सारा जीवन इस इल्जामको गलत सिद्ध करनेवाला है। सिखोंपर यह इल्जाम लगाया जा सकता है क्या? शेरे-काश्मीरको जो सिख आज मदद दे रहे हैं, उनसे तो वे पाठ सीखें। उनके नामसे जो मूर्खताके कार-नामे किये जा रहे हैं, उसका वे पश्चात्ताप करें।

मैं जानता हूं कि एक बुरी और भयानक बात यह चलती है कि हिंदू सिखोंको छोड़ दें तो उन्हें पाकिस्तानमें कोई खतरा नहीं। सिखोंको पाकिस्तानमें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे भाई-भाईको मारनेवाले सौदेमें मैं तो कभी हिस्सेदार नहीं बन सकता। जबतक हरेक हिंदू और सिख बाइज्जत और सुरक्षित रूपसे पश्चिमी पंजाबमें अपने घर वापस नहीं जाता, और हरेक मुसलमान यूनियनमें अपने घर उसी तरह नहीं लौट आता, तबतक इस बदकिस्मत देशमें शांति होनेवाली नहीं। जो लोग अपनी खुशीसे खास कारणोंसे अपने घरोंको न लौटना चाहें उनकी बात अलग है। अगर हमें शांतिसे, एक-दूसरेको

[1] उपाधि।

मदद देनेवाले पड़ोसी बनकर रहना है तो जनताके तबादलेके पापको धोना होगा।

पाकिस्तानकी बुराइयोंको यहां दुहरानेकी जरूरत नहीं, उससे हिंदू और सिख दुखियोंको कोई फायदा पहुंचनेवाला नहीं। पाकिस्तानको अपने पापोंका बोझ उठाना है। और मैं जानता हूं वह भयानक है। मेरी क्या राय है, यह जानना सबके लिए काफी होना चाहिए। अगर उस रायकी कोई कीमत है तो वह यह है कि १५ अगस्तसे बहुत पहले मुस्लिम लीगने शरारत शुरू की थी। मैं यह भी नहीं कह सकता कि १५ अगस्तको उन्होंने नई जिंदगी शुरू कर दी और शरारतको भूल गए। मगर मेरी यह राय आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। महत्त्वकी बात यह है कि यूनियनमें हमने उनके पापोंकी नकल की, और उनके साथ हम भी पापी बन गए। तराजूके पलड़े करीब-करीब बराबर हो गए। क्या अब भी हमारी मूर्च्छा छूटेगी और हम अपने पापोंका प्रायश्चित्त करेंगे? या फिर हमें गिरना ही है?

: १५६ :

२५ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मैं आपसे पाकिस्तानसे आए हुए शरणार्थियोंके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अभी मुश्किलकी बात यह है कि उनको शरणार्थी कहना चाहिए कि नहीं। कल चंद भाई मुझको कहते थे कि आप हमको शरणार्थी क्यों कहते हैं? एक तरहसे तो उनकी बात सच्ची है, क्योंकि शरणार्थी तो उनको कहते हैं जो शरण चाहते हैं। वे वहांसे कष्टके मारे आ तो गए, लेकिन यहां किसीकी शरण क्यों चाहें? और शरण भी किसकी, जब सारा हिंदुस्तान है और वह सबका है! यहां तो मैं पाकिस्तानको भी उसमें मानता हूं। लेकिन आज अगर वह नहीं है और

ऐसा कहो कि हमारे दो टुकड़े हो गए हैं, तो भी यूनियन तो सबका है और होना भी चाहिए। तब वे यहां आते हैं तो अपने हकसे आते हैं। इसलिए उनकी बात मुझको सच्ची लगी। जब आदमीको किसी जगह कष्ट होता है और वह वहांसे भागता है और आकर अपनी मांकी गोदमें छिप जाता है, तब उसको हम शरणार्थी कहेंगे या हकसे आया है, ऐसा कहेंगे? मैंने उनको कहा कि आप यह तो मानेंगे कि मुझे कोई द्वेष-भाव तो हो नहीं सकता कि जो मैं इस कटु भाषाका इस्तेमाल करूं। हकीकतमें यह पहले अंग्रेजीका शब्द 'रिफ्यूजी' था, और हम तो अंग्रेजी भाषाके अबतक ऐसे गुलाम रहे हैं कि गुलामीमेंसे छूट नहीं सकते हैं। इसलिए 'रिफ्यूजी' शब्द तो पहले बना और उसका एक ही मानी हो सकता था जो कि पीछे अखबारवालोंने शरणार्थी या निराश्रित किया। तब उन्होंने कहा कि अंग्रेजीमें और भी तो शब्द बहुत हैं, जैसे 'सफरर्स'[1] है कि नहीं, तो फिर उनको 'सफरर्स' क्यों नहीं कहते? मैं तो अंग्रेजी इतनी जानता हूं, इसलिए 'सफरर्स' कैसे कहूं! तो फिर क्या कहूं उनको? पीछे मेरे दिलमें ऐसा हुआ कि दुःखी तो वे हैं ही, इसलिए दुःखी कहो। वैसे तो हम सभी यहां दुःखी पड़े हैं; लेकिन जो लोग लाखोंकी तादादमें अपने घरबार छोड़कर यहां आए हैं, वे दरअसल दुःखी हैं। इसलिए उनके बारेमें मैं आज कुछ कहना चाहता हूं।

मेरे पास आज तीन किस्मके लोग मिलने आए। एक किस्मको तो मैं छोड़ देना चाहता हूं। लाहौरमें उसका एक बड़ा सारा कबीला था। कुछ होटल वगैरह उसका चलता था, तो वहां उसका सब घरबार और मालमता छूट गया और अपनी बीबी-बच्चोंको लेकर यहां आ गए। सबको तो यहां नहीं लाए। लेकिन मुझको सब हाल सुनाया और पीछे कहने लगे कि मुझको यहां कहीं घर दिलवा दो। मैंने कहा कि मेरे हाथमें कोई हकूमत तो है नहीं, और अगर हकूमत भी होती तब भी मैं घर दिलवानेवाला नहीं था। एक तो दिल्ली शहरमें वैसे ही घर कम हैं और यहांके लोग ही काफी परेशानीमें पड़े हैं, इसपर भी उनसे हकूमत घर छुड़वा लेती है।

---

[1] पीड़ित।

जब कोई अमलदार या राजदूत आ गया तो उनको तो तंबूमें नहीं रख सकते हैं। इसलिए उनको किसीका घर या कोठी खाली कराकर दे देते हैं। जो लोग उसमें पहलेसे रहते हैं, वे जब कहते हैं कि हम कहां जाएं तो कहा जाता है कि कहीं भी जाओ। हकूमत यहांतक तो नहीं जाती, लेकिन जा सकती है, और कई लोगोंको इस तरहके नोटिस मिले हैं कि तुम्हें अपना घर खाली करना पड़ेगा। जब यह हालत है तो जो ये लाखों लोग दुःखी पड़े हैं, उनको घर कहांसे दिया जाय? उसने कहा कि हम सत्रह आदमी खोकर यहां आए हैं। मैंने कहा कि आप सत्रह आदमी खोने लायक तो थे। ऐसे भी कबीले हैं जिनमें एक मर्द और औरतके सिवा दूसरे कोई हैं ही नहीं। अगर आप यह मानें कि यह सारा हिंदुस्तान हमारा है तो जो सत्रह गए वे तो गए, लेकिन बाकी हिंदुस्तानके लोग तो हैं। खैर, यह तो एक ज्ञान-वार्ता हो गई, उसको तो छोड़ो। तब मैंने उनको कहा कि जो कैंप यहां चल रहे हैं उनमें आपको चले जाना चाहिए। वहां सब किस्मके लोग रहते हैं और वहां रहना कोई बुरी बात नही है। उसने कहा कि क्या मैं कोई भिक्षार्थी हूं। मैंने कहा, हर्गिज नहीं। अगर मैं कैंप चलानेवाला बनूं तो किसी भिक्षुकको अन्न दूंगा ही नहीं। आप सब लोग तगड़े हैं, काम करो और खाओ, कपड़े बनाओ और पहनो। हां, रातमें कुछ कपड़ा ऊपर तान लो जिससे कि ऊपरसे जो ओस गिरती है, उससे बच जाओ। दिनमें उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती। आकाश साफ होता है और सूर्यनारायण जो गर्मी देता है वह गर्मी लेनी चाहिए। मैं तो दिनके समय घरमें रहता नहीं। बाहर सूर्यनारायणकी धूप मुझको अच्छी लगती है। उसने कहा कि हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारे तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमें तो रहनेके लिए मकान ही चाहिए। मैंने कहा कि क्या आपके ही बच्चे हैं और किसीके हैं ही नहीं? मैं तो जिस कैंपमें गया वहीं देखा कि माताएं और उनके बच्चे सभी वहां रहते हैं। कोई उनमें गर्भवती भी हैं और वहीं बच्चे पैदा करती हैं। तब आपको वहां रहनेमें क्या आपत्ति है? वहां जो दूसरे लोग खाते हैं वह खाओ और वे जो मेहनत करते हैं वह करो। तुम तो काफी चुस्त और तगड़े हो, होटल वगैरह भी चला सकते हो। तो फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते जिससे दूसरोंको भी राहत मिले?

उन्होंने कहा कि यहां जो मुसलमान रहते हैं वे खाली करके क्यों नहीं जाते ? वे अबतक क्यों यहां बैठे हैं ? यह सुनकर मुझे काफी चोट लगी। मुसलमान एक तो पहलेसे ही डरके मारे हट रहे हैं और जो बाकी रहे हैं उनमेंसे भी रोज कुछ-न-कुछ हलाक[१] हो जाते हैं। हर कोई जाकर उनको कहता है—यहांसे हटो, हमको तुम्हारे घरमें रहना है। इस तरह हरेक आदमी अगर हाकिम बन जाए तो फिर रैयत कौन रहेगा और देश किसका होगा ? हर आदमी तो हकूमत चलानेवाला हो नहीं सकता। दुनियामें किसी जगहपर भी ऐसा नहीं होता। हां, जहां बिल्कुल जंगली लोग रहते हैं वहां कहते हैं कि कोई हाकिम नहीं होता। लेकिन लुटेरोंका भी कोई हाकिम रहता ही है। जैसे अलीबाबा और चालीस चोरकी वार्ता चलती है तो वहां भी उनका एक सरदार तो था ही। इस तरहसे दुनियामें कोई जगह नहीं जहां सब आदमी हाकिम हों या कोई भी हाकिम न हो। हम हाकिम बनना और अपने ऊपर हकूमत चलाना तो जानते ही नहीं। तभी तो आज इस झंझटमें पड़े हैं। आप उन लोगोंके घरोंपर, जो कि डरके मारे उन्हें छोड़ गए हैं या मारे गए हैं या पुलिसने पकड़ लिए हैं, ऐसी नजर करें, यह बहुत बुरी बात है। यह बात आपके लायक नहीं। आप अगर कह सकते हैं तो मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वह एक महल-जैसा घर है। मुझे कह सकते हो कि तू यहांसे हट जा और किसी कैंपमें चला जा। तुझको क्या है ? न तेरे पास पत्नी है, न लड़के हैं और न लड़की हैं, ये कोई दूसरी-तीसरी लड़कियां लेकर बैठ गया है और कहता है कि मेरी लड़कियां हैं। वहां कैंपमें जा। वे भी तेरी ही लड़कियां हैं। मैं तुम्हारी यह बात सुनूंगा। हां, हँसूंगा तो सही, क्योंकि अगर मैं भाग भी गया तब क्या आप यहां रह जायंगे ? यह घर तो दूसरेका है, मेरा नहीं है। हां, इस घरका मालिक ऐसा है कि उसने मुझको ही मालिक बना रखा है और यह कह रखा है कि जिसको तुझे रखना है रख और न रखना हो मत रख। मुसलमान तो अपने घरोंसे हटने लायक हैं कहां, उनसे बहुत लायक तो गांधी है। उसको यहांसे उठाकर कहीं भी पटक देंगे

[१] माराजाना।

तो उसको तो इस तरहसे कोई पड़ने देगा नहीं। उसे तो कोई दूध देगा, कोई फल देगा और कोई खजूर दे देगा, इस तरह उसका निर्वाह तो हो ही जाएगा। नंगा वह रहनेवाला नहीं है, कपड़े भी उसको मिल जायंगे। जब इस तरहसे मैंने उनको कहा तो वे शर्मिंदा बन गए।

इसके पीछे मेरे पास जो लोग आए वे सिख भाई थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे सिख नहीं हैं जैसे यहां हैं। खूबीकी बात यह थी कि उनके पास कृपाण नहीं थी। मैंने पूछा तो नहीं कि उनके पास कृपाण क्यों नहीं है, लेकिन हाथोंमें कड़ा पहना हुआ था और मेरा खयाल है कि दाढ़ी भी थी। उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशानीमें पड़े हैं। हम हजारा जिलेके हैं। मैंने पूछा कि वहां आप क्या करते थे? उन्होंने कहा कि वहां हमारे खेत थे और उनमें खेती किया करते थे। यहां भी हम खेती चला सकते हैं, अगर हमें जमीन और खेती करनेका सामान दे दिया जाय। मुझको दर्द हुआ कि वे बात तो ठीक ही कहते हैं। मैंने कहा कि आप पूर्वी पंजाबमें क्यों नहीं जाते? उन्होंने बताया कि पूर्वी पंजाबकी हकूमत हमें कहती है कि जो लोग पश्चिमी पंजाबसे आए हैं उन्हींको हम ले सकते हैं। सब जगहसे अगर लोग आए तो उतनी जगह हम कहांसे दे सकते हैं? चूंकि तुम लोग सरहदी सूबेके हो इसलिए केंद्रीय सरकारके पास जाओ। यह जवाब हमको वहांसे मिलता है।

केंद्रीय सरकारके पास तो जमीन रहती नहीं है, लेकिन वह अगर इन लोगोंको जमीन दे दे और खेतीका काम ये करने लगें तो बहुत ही अच्छा हो। उनके लिए बैल, हल और बीज वगैरहका भी प्रबंध सरकारको करना चाहिए। दिल्ली प्रांतमें इतनी जमीन है या नहीं, इसका मुझको पता नहीं है। लेकिन जो लोग हल जोतना चाहते हैं उनको कहीं भी बसा देना चाहिए। अगर हकूमत मेरे हाथमें होती तो मैंने उनके लिए एक अलग कैंप खोल दिया होता। वहांपर वे सब अपने लिए खानापीना पैदा करें। अगर वैसे नहीं तो हकूमत उनके खातेमें लिखकर इस कामके लायक पैसा दे दे। वे कहते हैं कि आज तो पैसे हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हम मेहनती आदमी हैं और अगर हमें खेतीका काम मिल गया तो हम सब कुछ पैदा कर लेंगे, हम कोई शौकसे तो बैठेंगे नहीं। मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे खेतिहर-

लोग जो इधर-उधर पड़े हैं उससे हमारे मुल्कका नुक्सान होता है। वे हमारे ही भाई हैं, इसलिए उनके लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए। हकूमत-में मैं किससे मिलूं, मुझको पता नहीं। मगर मैं आपकी मार्फत हकूमतको सुनाना चाहता हूं कि ऐसे लोगोंकी मदद करना हमारा काम हो जाता है। वे कहते हैं कि हम कहां रहें और क्या खाएं ? मैं तो कहूंगा कि उनके लिए कोई अलग कैंप होना चाहिए और जबतक वह न हो तबतक वे इन्हीं कैंपोंमें रहकर अपना गुजारा करें। अगर यहां उनको जगह नहीं मिलती है तो सारे हिंदुस्तानमें कहीं कोई खाली जगह मिलती हो वह हमारी ही जगह है। वे यह नहीं कहते कि हमें इसी जगहपर रखो, वे यह भी नहीं कहते कि हमें किसी मुसलमानका घर दिलवा दो। वे कहते हैं कि हमने जो मुसीबत भुगती वह हम दूसरोंको देना नहीं चाहते। हम तो गरीब लोग हैं। वैसे तो तगड़े हैं, लेकिन हमारा तगड़ापन किसीको डरानेको नहीं है। हमें तो यहां ईश्वरसे डरकर बैठना है और जिस तरहसे जीवन बसर हो सकता है वैसे करना है। लेकिन मैंने कहा कि ये सब चीजें केवल चंद दिनोंके लिए हैं। उन्होंने पूछा कि यह कैसे ? जैसा कि यहां भी एक भाईने पूछा है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तानसे आनेवालोंको वहीं जाना होगा और यहांसे गए हुए मुसलमानोंको यहां आना होगा,यह कैसे होगा ? मैंने कहा कि यह आज नहीं तो कल होकर रहेगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले हम लोग यहां अच्छे बनें। हम ऐसा मान लें कि हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, मुसलमान भी हमारे दुश्मन नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान यहां भी फिफ्थकालम[1] हैं। बेचारे क्या 'फिफ्थकालम' हो सकते हैं ! हम यहां ऐसे पड़े हैं कि हमको कोई सता नहीं सकता और अगर सताएगा भी तो भगवान उसको देखेगा या हमारी हकूमत ही उसको मार डालेगी। आज अगर हम यहां ठीक हो जाते हैं तो कल सब काम ठीक हो सकता है। तब तो मैं भी आजाद हो जाऊंगा। आज तो मैं परेशान पड़ा हूं, मेरे लिए अब जीना भाररूप बन गया है। मैं सोचता हूं कि क्यों मैं यहां पड़ा हूं। अगर दिल्ली मान जाए तो मैं तगड़ा

[1] पंचम स्तंभ।

बन जाता हूं और तब मैं भागता हुआ चला जाऊंगा पश्चिमी पंजाबमें, और जो मुसलमान यहांसे गए हैं उनको कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए सब सामान तैयार करके यहां आया हूं, आप अब जहां चाहें और जब चाहें तब वापिस जा सकते हैं। अगर ऐसा मौका आ गया, और कभी-न-कभी तो यह मौका आना ही है, क्योंकि करोड़ों आदमी कैसे एक दूसरेके दुश्मन बनकर रह सकते हैं ? हमारे यहां जो ३॥ या ४ करोड़ मुसलमान हैं, उनको मारो या यहांसे भेज दो, यह कोई बननेवाली बात नहीं है। यह तो ख्वाबमें भी नहीं आ सकता और न मैं ऐसा ख्वाब चाहता हूं। लेकिन आज तो मैं भारस्वरूप पड़ा हूं। एक दिन वह था जब मेरी चलती थी, मगर आज नहीं चलती। तो क्या मैं भाग जाऊं ? मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन जितने ये दुःखी लोग हैं उनको कभी-न-कभी अवश्य अपने-अपने घरोंको वापिस लौटना है और पूरी शान तथा मर्दानगीके साथ, किसीसे लड़नेके लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयोंसे भेंट करनेके लिए। उसी तरहसे, मुसलमानोंको यहां आना है। केवल वही चीज हमको जिंदा रख सकती है और दूसरी तरहसे हम जिंदा रह नहीं सकते।

: १६० :

२६ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाईने मुझे खत लिखा है। उसमें बंबईके एक अखबारकी कतरन भेजी है। उस कतरनमें लिखा है, गाँधी तो कांग्रेसका ही बाजा बजाता है। लोग वह सुनना भी नहीं चाहते। इस तरहसे कांग्रेस रेडियो वगैराका अपने ही प्रचारके लिए इस्तेमाल करेगी तो आखिरमें यहां हिटलरशाही कायम हो जायगी। मैं कांग्रेसका बाजा बजाता हूं, यह बात सर्वथा गलत है। मैं तो किसीका बाजा बजाता ही नहीं या फिर सारे जगतका बजाता हूं। उस कतरनमें यह भी कहा है कि अहिंसाकी बात तो यों ही ले आते हैं, हेतु तो यही है कि हकूमतको अपना ही गान

करना है। मैं यह कहता हूं कि जो हकूमत अपना गान करती है वह चल नहीं सकती। और, मैं तो धर्मकी ही सेवा करना चाहता हूं। धर्मसे संबंध रखनेवाली बातें ही आप लोगोंको सुनाता हूं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातें सुनना पसंद न करते हों, मगर, दूसरे लोग मुझे लिखते हैं कि मेरी बातोंसे उनका कितना हौसला बढ़ता है। जिन्हें मेरी बातें नापसंद हों उन्हें कोई सुननेके लिए मजबूर नहीं करता। और, अगर आपका मन कहीं और है तो यहां बैठकर भी आप मेरी बात बिना सुने जा सकते हैं। आप लोग मुझे छोड़ देंगे, तो मैं यहां प्रार्थना भी नहीं कराऊंगा और भाषण भी नहीं होगा। मैं खास तौरसे रेडियोपर बोलने जानेवाला नहीं, मुझे वह पसंद नहीं है। यहांपर भी मुझे क्या कहना है, यह मैं सोचकर नहीं आता।

हमारी काफी औरतें पाकिस्तानमें पड़ी हैं, लोग उन्हें बिगाड़ते हैं। वे बेचारी ऐसी बनी हैं कि उसके लिए शर्मिंदा होती हैं, मेरी समझमें उन्हें शर्मिंदा होनेका कोई कारण नहीं। किसी औरतको मुसलमान जबर्दस्ती पकड़ लें और समाज उसको निकम्मी मानने लगे और भाई, मां, बाप, पति सब छोड़ दें तो यह घोर निर्दयता है। मैं मानता हूं कि जिस औरतमें सीताका तेज रहे उसे कोई छू नहीं सकता। मगर आज सीता कहांसे लावें? और सब औरतें तो सीता बन नहीं सकतीं। जिसे जबर्दस्ती पकड़ा गया, जिसपर अत्याचार हुआ, उससे हम घृणा करें क्या? वह थोड़े ही व्यभिचारिणी है। मेरी लड़की या बीबीको भी पकड़ा जा सकता है, उसपर बलात्कार हो सकता है, लेकिन मैं कभी उससे घृणा नहीं करूंगा। ऐसी कई औरतें मेरे पास नोआखालीमें आ गई थीं। मुसलमान औरतें भी आई हैं। हम सब बदमाश बन गए हैं। मैंने उन्हें दिलासा दिया। शर्मिंदा तो बलात्कार करनेवालेको होना है, उन बेचारी बहनोंको नहीं।

एक भाई कहते हैं कि मान लीजिए कि कंट्रोल मिट जाय, देहातोंमें लोग अपने लिए अनाज पैदा करने लगें, गांवके लोग फसल वगैरा काटनेके लिए एक दूसरेकी अपने आप मदद करें तो अनाज सस्ता होगा; लेकिन अगर किसानको दाम देकर मजदूर लगाने पड़ेंगे तो दाम बढ़ेगा। पहले तो यह रिवाज था ही, एक किसान दूसरे किसानोंको निमंत्रण देता था

फसल काटनेका और साफ करके घरमें ले जानेका काम हाथोंहाथ खतम हो जाता था। आज हम वह रिवाज भूल गए हैं, मगर उसे वापस लाना चाहिए। एक हाथसे कुछ काम नहीं हो सकता।

फिर वह भाई यह भी कहते हैं कि मंत्रियोंमेंसे कम-से-कम एक तो किसान होना ही चाहिए। हमारे दुर्भाग्यसे आज हमारा एक भी मंत्री किसान नहीं है। सरदार जन्मसे तो किसान हैं, खेतीके बारेमें कुछ समझ रखते हैं, मगर उनका पेशा बैरिस्टरीका था। जवाहरलालजी विद्वान् हैं, बड़े लेखक हैं, मगर वह खेतीके बारेमें क्या समझें! हमारे देशमें ८० फीसदीसे ज्यादा जनता किसान है। सच्चे प्रजातंत्रमें हमारे यहां राज्य किसानोंका होना चाहिए। उन्हें बैरिस्टर बननेकी जरूरत नहीं। अच्छे किसान बनना, उपज बढ़ाना, जमीनको कैसे ताजी रखना, यह सब जानना उनका काम है। ऐसे योग्य किसान होंगे तो मैं जवाहर-लालजीसे कहूंगा कि आप उनके मंत्री बन जाइए। हमारा किसान-मंत्री महलोंमें नहीं रहेगा, वह तो मिट्टीके घरमें रहेगा, दिनभर खेतोंमें काम करेगा, तभी योग्य किसानोंका राज्य हो सकता है।

: १६१ :

२७ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आपने देखा होगा, शायद देखोगे, क्योंकि देखा तो अभी कैसे होगा कि मैं आज गवर्नर जनरलके पास चला गया था, अभी अखबारोंमें आ जायगा। और बादमें लियाकतअली साहबसे भी मिलने गया। ऐसा मौका आ गया दोनोंके पास जानेका। काफी बातें हुईं और कुछ काम भी वे कर रहे हैं। लियाकत साहब बीमार तो हैं और मैंने देखा कि बिस्तरमें ही उनको पड़ा रहना पड़ता है। छातीका दर्द उनको हो गया था और धड़कन भी होती है। वह तो अब ठीक हो गई है, लेकिन बहुत दुबले हो गए हैं। वे गवर्नर जरनलके मकानमें ही ठहरे हुए हैं, इसलिए

में वहां उनके पास भी चला गया था। जैसे जवाहरलालजी यहांके प्रधान मंत्री हैं वैसे वे पाकिस्तानके प्रधान मंत्री हैं। तो वे, और वहांका जो अर्थमंत्री है उनका नाम मैं भूल गया हूं, सरदार पटेल और पीछे दो और, ये सब एक साथ मिले और उन्होंने कुछ-न-कुछ कर भी लिया है। पूरा-पूरा तो उसका बयान मैं नहीं दे सकता हूं। अगर वह सब हो जाय तो मुमकिन है कि आज इतनी भीड़में जो हम लोग पड़े हैं और जिस परेशानीमेंसे हम गुजर रहे हैं उसमेंसे कुछ तो निकल पाएं। लेकिन सब तो ईश्वरके हाथमें है कि क्या होनेवाला है और क्या नहीं। आखिर इन्सान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है।

आपने यह भी देख लिया होगा कि शेख अब्दुल्ला साहब भी यहां आ गए हैं। जितने काश्मीरके लोग हैं वे तो सब उनको 'शेरे काश्मीर' कहते हैं। और वह है भी ऐसा ही। बहुत काम उन्होंने कर लिया है और सबसे आला दर्जेका काम तो उन्होंने यह किया कि काश्मीरमें जितने हिंदू, मुसलमान और सिख रहते हैं उन सबको अपने साथ ले लिया है। तादादमें तो मुसलमान बहुत अधिक हैं और हिंदू और सिख तो मुट्ठीभर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन तो भी उनको अपने साथ लेकर वे चलते हैं। वे खुश न रहें ऐसा कोई काम वे नहीं करते। पीछे हमने देखा कि वे यहां आते हुए जम्मू भी चले गए थे। जम्मूमें हिंदुओंकी तरफसे ज्यादतियां हुई हैं और काफी ज्यादतियां हुई हैं। उनका पूरा-पूरा बयान तो हमारे अखबारोंमें नहीं आया। महाराजा साहब भी वहां चले गए थे और उनके नए प्रधान-मंत्री भी। तब वहां दो प्रधान मंत्री हैं क्या, या कुछ और हैं, मजाकमें मैं उनसे पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझको भी यह पता नहीं, मगर इतना तो है कि मैं वहांका इंतजाम कर रहा हूं। दो हों या एक हो। तो वे भी जम्मूमें चले गए थे। जम्मूमें जो कुछ हुआ वह महाराजाने करवाया या उनके जो नए प्रधान मंत्री हैं उन्होंने करवाया, इसका तो मुझको पता नहीं। लेकिन वहां हुआ और हमारे लिए यह बड़ी शर्मनाक बात है कि हम ऐसा करें। शेख अब्दुल्लाने यह सब देखकर भी अपना दिमाग बिगड़ने नहीं दिया और जम्मूमें जो हिंदू पड़े हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया। पीछे उसमें उनको कहना भी क्या था? यह होते हुए भी

उनको तो बताना है, काश्मीरको, और सारे हिंदुस्तानको भी, कि यही तरीका है जिससे हिंदू, मुसलमान और सिख सब मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरेपर एतबार कर सकते हैं। तभी काश्मीर और हिंद दोनों एक साथ रह सकते हैं। उनकी तरफसे कोशिश तो ऐसी ही हो रही है; लेकिन उसमें एक रुकावट है। वह पहाड़ी मुल्क तो है ही, चौदह हजार फुट तो शायद नहीं, लेकिन दस हजार फुट ऊंचा तो है। बहुत बर्फ वहां पड़ती है। इसीलिए एक जगहसे दूसरी जगह आना-जाना आरामसे नहीं हो सकता। आरामसे तो पाकिस्तानमेंसे ही होकर जा सकते हैं। लेकिन कौन कह सकता है कि वे जाने दें या न जाने दें। इसके अलावा जो अफरीदी हमलावर हैं, या उनको पाकिस्तानके कहो, उनके साथ कुछ लड़ाई तो चल ही रही है। तब इस हालतमें काश्मीरके लोग वहांसे होकर कैसे आवें ? यों तो हिंद सरकारने उनको मदद भी भेज दी है। तब उनको सीधा रास्ता तो यूनियनमेंसे ही मिल सकता है। काश्मीरमें वैसे कोई बड़ी तिजारत[1] तो नहीं है, लेकिन वहांके लोग उद्यमशील हैं और हाथके कारीगर हैं। फलोंका तो काश्मीर एक बड़ा बगीचा है। लेकिन ये सब चीजें कौन वहांसे यहां लाए और कैसे लाए ? हवाई जहाजसे तो सब चीजें आ नहीं सकतीं, और जो बेचनेवाले हैं वे भी कैसे हवाई जहाजसे आएं ? ऐसे तो काम नहीं बन सकता। इसलिए वहां एक ही रास्ता है जो पूर्वी पंजाबमें पठानकोटकी तरफसे है। है तो वह छोटा-सा ही रास्ता, लेकिन है। तब पूर्वी पंजाबमें जो हिंदू रहते हैं, वे इतने बदमाश हो गए हैं कि उस रास्तेसे कोई मुसलमान आ नहीं सकता। शेख साहब कहते हैं कि यही सबसे बड़ा खतरा है। शेख अब्दुल्ला तो एक बड़ा आदमी है, लेकिन वह कहते हैं कि हम भी अगर उधरसे जाते हैं, तो हमको भी बहुत दुश्वारी होती है। यह जरूरी नहीं कि कोई सिपाही ही हो, बल्कि आम लोग भी वहांके, यह पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो, लाओ, तुम्हारी पगड़ी उतारकर देखें तो कि चोटी भी है कि नहीं, और इसके बाद दूसरी-तीसरी चीजें भी पूछ लेते हैं। अगर वह हिंदू या सिख हैं तो खैर है और अगर

[1] व्यवसाय।

मुसलमान निकला तो बस फिर खत्म हुआ। ऐसी हालत है वहां !

तब गवर्नर जनरल और ये जो चार लोग इकट्ठे बैठ गए हैं वे अगर कुछ कर लें तो अच्छा ही है, और कुछ कर भी लिया है। मगर उनके करनेसे क्या ? जब जनता बिगड़ी हुई है तो फिर कोई काम बनता नहीं है। मैं तो पूर्वी पंजाबकी जनताको यह कहूंगा कि अब बहुत हो चुका, हमने कितनी खराबियां कीं, मगर अब तो भूल जाओ। या हमेशाके लिए यही होनेवाला है ? मैं कहता हूं कि यह रास्ता बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। उसमें हकूमतको भी पूरा काम करना है। अगर यह काम न कर सकी और हवाई जहाजोंसे थोड़ा-बहुत लश्कर वहां भेज दिया तो उससे क्या हुआ ? उससे क्या काश्मीरका व्यापार चलनेवाला है ? अगर नहीं तो क्या हिंद यूनियन काश्मीरियोंका पेट भरता रहेगा ? यह तो हो नहीं सकता है। आज अगर हमारी हकूमतके पास करोड़ रुपये आ गए हैं तो क्या वह उनको इधर-उधर उड़ाती रहेगी ? सुनता हूं कि अब हकूमतमें हरएक आदमीको एक-एक सेक्रेटरी मिलनेवाला है। क्या होगा उसका, और क्या दरमाहा[1] उस सेक्रेटरीको मिलनेवाला है, मुझको तो कुछ पता नहीं चलता। अगर इस तरहसे हम पैसे उड़ाते रहे तो हमारा जल्दी ही खात्मा होनेवाला है। हमारा मुल्क करोड़पतियोंका नहीं है, एक गरीब मुल्क है, जहां लोग तांबेके पैसे भी बड़ी मुश्किलसे पैदा करते हैं। यहां जो करोड़पति या ताजिर[2] लोग हैं, वे तो केवल मुट्ठीभर हैं। उनके पास भी जितना पैसा पड़ा है वही क्या है ? इस तरह अगर पैसा उड़ाया जाय तो वह भी एक मिनट-में खत्म हो सकता है। पीछे तो सारा हिंदुस्तान पड़ा है, उसका खर्च भी हमें चलाना है। हम पैसेका दुरुपयोग तो कर ही नहीं सकते। तब हकूमतको यह देखना होगा कि किस तरहसे यह रास्ता सुरक्षित हो सकता है जिससे कि कोई भी आदमी उस रास्तेसे आ-जा सके। काश्मीरमें बहुत खूबसूरत कपड़े बनते हैं, वे आ सकते हैं, शाल आ सकते हैं, और भी जो चीजें कारीगर लोग बनाते हैं वे सब उस रास्तेसे आ सकती हैं। काश्मीरकी मेवा यहां आ सकती है। आज तो अगर काश्मीरका सेब खाना हो तो बहुत मुश्किल-

---

[1] मासिक; [2] व्यापारी।

से ही मिलेगा। काश्मीर भारतीय यूनियनमें आ तो गया; लेकिन इस तरह-से वह कहांतक हमारे साथ रह सकता है ? अगर काश्मीरको सुरक्षित रास्ता न मिले तो फिर क्या होगा यह मुझको भी पता नहीं है। अब एक तीसरी बात और कहकर आजका मामला तो मैं खत्म करता हूं।

अभी मेरे पास पाकिस्तानके 'डान' और 'पाकिस्तान टाइम्स' दोनों अखबार आ गए हैं। ये दोनों पाकिस्तानके अच्छे बड़े अखबार हैं। जब 'डान' में या 'पाकिस्तान टाइम्स' में कुछ निकलता है तो हम यह नहीं कह सकते कि अरे, यह तो कुछ अखबार नहीं है। तब तो वहांके लोग भी कह सकते हैं कि 'हिंदुस्तान टाइम्स' में जो लिखा है, वह क्या है, 'बंबई क्रानिकल' में जो लिखा है वही क्या है ? यह तो एक निकम्मी बात हो जाती है। मैं तो यह मानता हूं कि वे भी अच्छे अखबार हैं, उनको मुसलमान लोग पढ़ते हैं और अच्छे-अच्छे मुसलमान उनको चलाते हैं। तो उनमें वे काठियावाड़के मुसलमानोंके बारेमें लिखते हैं। जब सरदार जूनागढ़में चले गए थे तब तो मुझको बहुत अच्छा लगता था यह देखकर कि वहांके मुसलमानोंने भी उनका इस्तकबाल[1] किया। वे कहने लगे, आप तो भले आए, हम सब परेशान हो रहे थे, अब शायद आराम-से रह सकेंगे। जब काठियावाड़के सब राजा और प्रजा एक तरफ मिल गए हैं तब जूनागढ़ कहांतक अलग जा सकता था ! इसलिए मुझको अच्छा लगा कि कुछ मारपीट भी न हुई और सारा मामला निपट गया। वे बिल्कुल अहिंसापर तो कायम नहीं रहे, मगर जो हिंसा उन्होंने अख्तियार की थी उसमें उन्होंने बहुत सोच-विचारकर काम लिया। मैं तो यह सब देखकर खुश हुआ था। लेकिन अभी सुनता हूं और 'डान' अखबारमें भी है कि काठियावाड़में मुसलमान आज आरामसे नहीं बैठ सकते हैं। ठीक मौकेपर एक मुसलमानका भेजा हुआ मुझको तार भी मिल गया है। काठियावाड़ ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान बहुत आरामसे रहते थे और उनको कोई छूता भी नहीं था। वहां अच्छे और तगड़े मुसलमान भी थे और बलवाखोर भी थे। बलवा वे कोई आपस-आपसमें नहीं करते थे, बल्कि

---

[1] स्वागत।

जीविकाके लिए कुछ कर लेते थे। आज उसी काठियावाड़में उनको ऐसा लग रहा है कि वे वहां रह सकेंगे कि नहीं। तब क्या काठियावाड़से सारे-के-सारे मुसलमान चले जाएं या उनको हिंदू लोग काट डालें? हैरान हैं वे सब-के-सब और मेरे लिए तो यह एक बहुत बड़ी दुश्वारी है, क्योंकि मैं काठियावाड़में पैदा हुआ हूं, वहांके सब राजाओंको जानता हूं और हजारों लोगोंको भी मैं वहां जानता हूं। वहांपर तो जो मेरा लड़का-सा ही सांवलदास गांधी है वही जूनागढ़का सब कुछ होकर बैठ गया है। उसने एक आरजी[1] हकूमत भी बना रखी है। इन लोगोंकी हकूमतके होते हुए काठियावाड़में ऐसा हो कि जिस मुसलमानने कुछ भी नहीं किया है उसको भी लोग मार डालें तो फिर यह आरजी हकूमत क्या हुई? जब लोग इस तरहसे कानूनको अपने हाथमें ले लेते हैं तो फिर मुसलमान कैसे वहां सही-सलामत रह सकते हैं? अगर यह पीछे सब जगह फैल जाए तब क्या हो, मैं जानता नहीं। यह सब वहां हुआ है या नहीं यह भी नहीं जानता, लेकिन 'डान' में जो लिखा है वह मैंने पढ़ा है और तार भी मेरे पास आ गए हैं। बादमें मैंने चंद हिंदुओंसे भी पूछा और उन्होंने भी कहा कि हां, कुछ आग लगानेके मामले तो हुए हैं, कुछ लूट भी हो गई है, मगर किसीका खून भी हुआ कि नहीं यह हम नहीं जानते और मुसलमानोंकी औरतें भी छीनी गई हैं कि नहीं यह भी हम नहीं कह सकते। लेकिन 'डान' तो लिखता है कि ये चारों बातें हुई हैं और अच्छे बड़े पैमानेपर हुई हैं। बहुत-से तार मेरे पास आ गए थे, लेकिन मुझको एक ही तार बताया गया और दूसरे तार गफलतसे नहीं बताए गए। शायद ऐसे पचास तो आ गए होंगे, मुसलमानोंने इधर-उधरसे भेजे होंगे। और उनको हक है मुझसे यह कहनेका, कि तुम्हारा लड़का वहांका सब कुछ बना हुआ है। लड़का जो कुछ करे उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूं? लेकिन इससे तो मैं दुनियाको या उन मुसलमानोंको क्या समझा सकता हूं? वे तो ठीक ही मुझको लिखते हैं। लेकिन मैं लड़केको सुनाता भी कब? आज ही तो मैंने यह सब पढ़ा है। इसलिए मैं आपकी मार्फत,

[1] तात्कालिक।

अपने लड़केको ही नहीं, सारे काठियावाड़को सुनाना चाहता हूं कि अगर हिंदू वहांके ऐसे पाजी हो गए हैं— हिंदू ही हो सकते हैं, क्योंकि सिख तो वहां हैं ही नहीं, क्या हुआ अगर एक-दो वैसे काम करनेके लिए चले गए हों—तब काठियावाड़ सही-सलामत नहीं रह सकता। हमने जूनागढ़ लिया तो सही, मगर इस तरहसे हम उसको खोनेवाले हैं, ऐसे ही, जैसे कि हमने अपने मुल्ककी आजादी ली तो सही, लेकिन खोनेके लिए ली। पीछे वे सुनाते हैं कि याद है सरदारने जूनागढ़में क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर मुसलमानका एक बच्चा भी होगा तो उसके एक बालको भी कोई छू नहीं सकेगा, बशर्ते कि वह काठियावाड़, यानी हिंद यूनियनके प्रति वफादार बनकर रहा। अगर मुसलमानकी एक भी छोटी लड़की है और उसको कोई छूता है तो मैं देख लूंगा। वह तो ऐसा कह सकते थे, क्योंकि एक तो सरदार, और दूसरे हिंदुस्तानके गृहमंत्री थे। उनको तो कहनेका हक था। उन्होंने कहा तो, लेकिन वह अब कहां गया, मैं पूछता हूं। मेरे दिलमें चुभता है कि काठियावाड़में ऐसा हो सकता है और वहांके लोग इस तरह दीवाने बन सकते हैं। हमारा धर्म गया, कर्म गया और इस तरहसे हमारा मुल्क भी चला जायगा। मेरा तो यही धर्म था कि मैं आप लोगोंको यह सब बता दूं। हमारे अखबारोंमें तो ऐसी चीजें आती नहीं हैं। मेरे पास ये सब आ जाती हैं। मेरा धर्म तो था कि मैं इतनी तहकीकात करता, लेकिन मेरे पास कहां इतना वक्त है! इसलिए जैसे मैंने सुना वैसे ही मैंने आपको कह दिया। मैं तो जब लियाकतअली साहबसे मिला तब भी मैंने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पूछो। तब मैंने कहा कि क्या आप काठियावाड़के बारेमें कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा वहां हुआ है और यही चारों बातें हुई हैं, लेकिन कितने पैमानेपर हुईं, यह मैं नहीं कह सकता। वे तो पाकिस्तानके प्रधान मंत्री हैं। इसलिए उन्होंने तो सब साफ-साफ कहा, हालांकि मैं तो दबी जबानसे ही बात कर रहा था। तब मैंने सोचा कि आज शामको मैं इसको जरूर कह दूंगा। मेरे दिलको इस बातसे कितनी चोट पहुंची है।

काठियावाड़ मेरा घर है। जब घर ही इस तरहसे जल जाता है

तो फिर किसीको कहनेका क्या मौका रह जाता है ! तब दिल्लीवालोंको मैं क्या सुना सकता हूं ? मेरे पास तो कुछ ऐसा बन गया है कि इर्द-गिर्द चारों ओर यही चलता है । तब फिर उसमें मैं कैसे साबूत[1] रह सकता हूं । जो इन्सान है और समझदार है वह इस तरहके वातावरणमें साबूत रह नहीं सकता । यह मेरी दुःखकी कथा है या कहो सारे हिंदुस्तानके दुःखकी कथा है, जो मैंने आपके सामने रखी है ।

: १६२ :

२८ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आप जानते हैं कि आज गुरु नानक साहबका दिन है । मुझको भी किसीने निमंत्रण तो भेज दिया था, मगर उस वक्त तो मैंने कह दिया था कि आनेके लिए तो मुझे आप माफ करेंगे । लेकिन आज बाबा विचित्र-सिंह मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि आपको तो आना ही चाहिए। वे १० बजे मिले थे और एक घंटेमें ही जाना था । तो फिर मैंने समझा कि अब मुझको जाना ही चाहिए । अपनी ओरसे मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन आज सिख भाई मुझसे नाराज तो हैं । हां, मैंने उनको एक कड़वी घूंट पिलानेकी चेष्टा की है । यह तो है, लेकिन ऐसे ही बनता है दुनियामें । तब उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, आपको तो वहां आना ही चाहिए । वहां हजारों सिख भाई-बहनें होंगी और उनमें काफी दुःखी सिख भी पड़े होंगे, जो आपकी बात सुनना चाहते हैं । तब मैंने कहा कि अच्छा, मुझको ११ बजे ले जाइए । ११ बजे शेख अब्दुल्लाको भी अपने साथमें लेकर आए । उनको भी वे वहीं ले जानेवाले थे । मैंने कहा कि शेख अब्दुल्ला कैसे वहां जा सकता है; क्योंकि आज तो ऐसा बन गया है न कि सिख और मुसलमान तो एक दूसरेको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ; लेकिन

[1] साबित ।

कुछ भी हो, शेख अब्दुल्लाने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। काश्मीर-में उन्होंने हिंदू, सिख और मुसलमानको एक साथ रखा है और एक साथ मरना और एक साथ जीना, ऐसा कर लिया है। तब मैंने सोचा कि शेख अब्दुल्लाको भी ले जाना चाहिए। इसलिए मैं उनको अपने साथ ले गया। मुझको यह बड़ा अच्छा लगा। हजारों सिख भाई-बहनें वहां थीं। मैंने कुछ थोड़ा-सा ही कहा, लेकिन शेख अब्दुल्ला तो काफी बोला और सब लोगोंने बहुत ध्यानसे सुना। आंखसे भी कोई कुछ बताता नहीं था, आवाज तो कौन करनेवाला था! क्योंकि हम लोगोंको तो निमंत्रण देकर वे ले गए थे। आखिर सिख बहादुर तो हैं ही, इसलिए यह सब अच्छी तरहसे हो गया। मैंने सोचा कि आपको इतनी खबर तो देनी ही चाहिए।

मेरे पास बंगालसे एक खत आ गया है। वहां जो मुस्लिम चेंबर आव कामर्स है उसका वह खत है। जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन सोच लिया है और पीछे घनश्यामदासको भी मैंने पूछा कि आप कुछ इस बारेमें जानते हैं। उसने बताया कि यह जो मुस्लिम चेंबर आव कामर्स है उसको गवर्नमेंटके साथ ताल्लुक करना है, गवर्नमेंटके साथ खतोकिताबत करना है। लेकिन हकूमत तो सबकी है, हिंदू, मुसलमान, पारसी सबकी। तब मुसलमान एक चेंबर बनाए, हिंदू दूसरा, पारसी तीसरा और अंग्रेज चौथा, तो ऐसा कैसे बन सकता है। इसलिए सरकारने इन्कार कर दिया। तब वे लिखते हैं कि कैसा गोलमाल करते हैं कि मारवाड़ी चेंबर रह सकता है, यूरोपियन चेंबर रह सकता है, लेकिन मुस्लिम चेंबर है, वह नहीं रह सकता। मुझको उनकी यह बात अच्छी लगी और मेरे दिलको चोट लगी। अगर सरकार मुस्लिम चेंबरके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती तो पीछे मारवाड़ी चेंबरके साथ भी नहीं रख सकती और यूरोपियनके साथ भी नहीं होना चाहिए। अबतक यह सब था और यूरोपियन चेंबरका तो इसलिए भी बन गया था कि वे लोग हकूमतमें थे। यहां यूरोपियनोंकी हकूमत चलती थी, तभी तो वाइसराय उनके प्रेसिडेंट बनते थे। पीछे तो ऐसा बन गया था कि बड़े दिनोंके अवसरपर उनको कलकत्ता तो जाना ही होता था, तो वहां यूरोपियन चेंबरमें एक बड़ा व्याख्यान भी दे देते थे।

लेकिन अब वह सिलसिला रह नहीं सकता। जो यूरोपियन हैं वह अलग करें, मुसलमान अलग और मारवाड़ी अलग, इस तरहसे कैसे हो सकता है! केवल एक इंडियन चेंबर हो बन सकता है। अगर हिंदू, मुसलमान और पारसी सब अलग-अलग अपने व्यापारिक चेंबर बनाने लगें तो फिर हिंदुस्तानकी आजादी किसके लिए होगी? और यूरोपियनोंको तो खसूसन[1] आज झुक जाना चाहिए। उनको अलग रहकर कोई चीज करनी ही नहीं चाहिए। वे कहें कि हमको कोई अलग हक नहीं चाहिए। जो दूसरोंके हक हैं वही हमारे हक हैं। तब आजाद हिंदुस्तानकी यह एक बड़ी भारी निशानी बन जाती है। यूरोपियन चेंबरवाले हर साल वाइसराय साहबको बुला लेते थे, लेकिन आज मेरी निगाहमें तो वे यहांके प्रधान मंत्रीको, या उप-प्रधानमंत्रीको या ऐसा कहो कि लार्ड माउंटबेटन साहबको भी अपने यहां बुला नहीं सकते हैं। हां, एक यूरोपियनकी हैसियतसे वे वहां यूरोपियनोंसे मिलने जा सकते हैं। मगर चेंबरकी हैसियतसे वे माउंटबेटन साहबको नहीं बुला सकते। मैं तो बहुत अदना आदमी हूं, लेकिन मेरी राय यह है कि इसमें मुझको कोई शक नहीं। इसी तरहसे जो मारवाड़ी चेंबरके लोग हैं वे हकूमतमेंसे किसी आदमीको बुला नहीं सकते हैं, वैसे मारवाड़ी मारवाड़ियोंकी हैसियतसे किसीको भी बुला सकते हैं, मगर चेंबरकी तरफसे नहीं। उन सबकी हस्ती सारे हिंदुस्तानकी हस्तीके साथ है। मुसलमान भी यहां कोई अलग कौमकी हैसियतसे नहीं रह सकते। हिंदी होकर रहें। इसी तरहसे जो सिख हैं वे, जो हिंदू हैं वे, और यूरोपियन हैं वे भी यहां हिंदी होकर ही रह सकते हैं। वे सब हिंदुस्तानके वफादार होकर रह सकते हैं। दूसरा कोई स्थान मैं उनके लिए नहीं पाता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि जो अहम[2] बात है उसको तो मैं उनको कह दूं। मैं यहांसे लिखूं और पीछे वह उनके पास पहुंचे, इससे पहले अच्छा है मेरी आवाज उन तक पहुंच जाय। मुसलमान अगर ऐसा कहें कि वे राजनैतिक दृष्टिसे भी अलग रहेंगे और दूसरी तरहसे भी, तो यह कोई चलनेवाली बात नहीं है। जो यूरोपियन हैं, वे क्रिस्टी बनकर रह सकते हैं

[1] विशेषतः; [2] जरूरी।

और क्रिस्टी धर्ममें जो खूबियां हैं उनका वे पालन कर सकते हैं। यह तो उनका सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र हुआ। लेकिन जहांतक राज्य-व्यवहार या राज्य-प्रकरणका संबंध है उसमें वे सब एक ही-जैसे माने जा सकते हैं। उसी तरह व्यापार तो सबके लिए है ही। तब उसमें मारवाड़ी कहें कि हम सब खा जाएं, गुजराती कहें हम खा जाएं और पंजाबी कहें हम खा जाएं, तो पीछे बाकी सारा हिंदुस्तान क्या खाएगा? ऐसे हमारा काम निपटता नहीं है।

एक चीज तो कहनी मैं भूल गया, जो भूलनी नहीं चाहिए। वहां सिख-सभामें तो मैंने कह दिया था, लेकिन यहां भी जो सिख हैं या हिंदू भी हैं, क्योंकि जो बात एकके लिए सत्य है, वह दूसरोंके लिए भी है, तो मैं कहूंगा कि आज सिखोंका नया दिन है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए आजसे ही सिखोंका यह धर्म हो जाता है कि वे सब लोगोंको अपना भाई-भाई समझें। गुरु नानक साहबने कोई दूसरी बात सिखाई ही नहीं। वे तो मक्का शरीफ भी चले गए थे और गुरु ग्रंथ साहबमें भी काफी लिखा है। गुरु गोविंदने क्या किया था? बहुतसे मुसलमान उनके शागिर्द थे और उनको रखनेके लिए या उनकी हिफाजतके लिए उन्होंने कई अन्य लोगोंको मारा भी। ऐसा वह नहीं करते थे कि एक सिखको बचानेके लिए दूसरोंको मारा हो। तलवार उन्होंने ली तो थी, लेकिन उसमें एक मर्यादा रख दी थी। तब मुसलमानोंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन हमें उनकी नकल नहीं करनी। हम लोग सब शरीफ रहें और अपने धर्मका पालन करें। आज जब मैं वहां सिख-सभामें बोलने गया तो मुझको तो इस बातका बहुत ही दर्द हुआ कि रास्तेमें मुझको एक भी मुसलमान नहीं दिखाई दिया। चांदनी चौकमें एक भी मुसलमान न दिखाई देता हो, इससे बड़ी शर्मकी बात हमारे लिए और क्या होगी? मैंने देखा कि वहां आदमियोंकी बहुत भीड़ थी और मोटरोंकी तो लंबी-लंबी कतार चलती थी। लेकिन उनमें कोई मुसलमान नहीं था। सिर्फ एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला मेरे पास बैठे थे। जब ऐसी हालत है तब हमारा काम कैसे निपट सकता है?

एक भाई मुझको लिखते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर था उसका

जीर्णोद्धार होगा। उसके लिए पैसा चाहिए और वहां जूनागढ़में जो आरजी हकूमत सांवलदास गांधीने बनाई है, उसमेंसे वे ५० हजार रुपया उसके लिए दे रहे हैं। जामनगरने एक लाख रुपया देनेको कहा है। सरदारजी आज जब मेरे पास यहां आए तो मैंने उनसे पूछा कि सरदार होकर क्या तुम वहां ऐसी हकूमत बनाओगे कि जो हिंदू धर्मके लिए अपने खजानेमेंसे जितने पैसे चाहे निकाल कर दे दे। हकूमत तो सब लोगोंके लिए बनाई गई है। अंग्रेजी शब्द तो उसके लिए 'सेकुलर' है, अर्थात् वह कोई धार्मिक सरकार नहीं है, या ऐसी कहो कि वह किसी एक धर्मकी नहीं है। तब वह यह तो कर नहीं सकती है कि चलो, हिंदुओंके लिए इतना पैसा निकालकर दे दे, सिखोंके लिए इतना और मुसलमानोंके लिए इतना। हमारे पास तो एक ही चीज है और वह यह कि सब लोग हिंदी हैं। धर्म तो अलग-अलग व्यक्तिका अलग-अलग रह सकता है। मेरे पास मेरा धर्म है और आपके पास आपका।

एक भाईने और लिखा है, एक पर्चेमें, और अच्छा लिखा है। वह कहते हैं कि अगर जूनागढ़की हकूमत सोमनाथके जीर्णोद्धारके लिए पैसा देती है या यहां की मध्यवर्ती हकूमत कुछ देती है तो वह एक बड़ा अधर्म होगा। मैं मानता हूं कि वह बिलकुल ठीक लिखा है। तब मैंने सरदारजी-से पूछा कि क्या ऐसी ही बात है? उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए यह बननेवाली बात नहीं है। सोमनाथके जीर्णोद्धारके लिए जूनागढ़की तिजोरीसे एक कौड़ी नहीं जा सकती। जब मेरे हाथसे यह नहीं होगा तो सांवलदास बेचारा क्या करनेवाला है! सोमनाथके लिए हिंदू काफी पड़े हैं जो पैसा दे सकते हैं। अगर वे कंजूस बन जाते हैं और पैसा नहीं देते तो वह ऐसे ही पड़ा रहेगा। डेढ़ लाख तो हो गया है और जामसाहबने उसके लिए एक लाख रुपया दे दिया है। रुपयेका इंतजाम तो हो जायगा।

एक बात और मेरे पास आ गई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान-में हमारी लड़कियोंको मुसलमान छीन ले गए हैं। उनको छुड़ानेके लिए कोशिश तो हो रही है, और वह होनी ही चाहिए। हरएक लड़कीको जो कि वहां अबतक जिंदा पड़ी है, वापिस लानेकी कोशिश की जाय। अगर

जुल्म और जबर्दस्ती करके उसे उन्होंने बिगाड़ दिया है, तो क्या उसका धर्म और कर्म सब खत्म हुआ ? मैं तो ऐसा मानता नहीं हूं और कल मैंने आपको इस बारेमें बताया भी था। जबर्दस्तीसे किसीका धर्म नहीं बदला करता। लेकिन उस लड़कीको लानेके लिए कुछ पैसे दो, ऐसी भी बात आज चलती है। कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि लाओ, एक-एक हजार रुपया फी लड़की दे दो, हम उनको ला सकते हैं। तब क्या यह कोई व्यापार बन गया है ? अगर मेरी इन तीन लड़कियोंमेंसे एकको कोई उठा ले जाता है और वह पीछे मेरे पास आकर कहे कि एक हजार या एक-सौ ही दे दो, मैं वापस ला दूंगा, तो मैं जवाब दूंगा कि तू उसको मार डाल। अगर ईश्वर उसको बचाना चाहते हैं तो मेरी लड़की मेरे पास आ जायगी। लेकिन क्या तू उसके लिए सौदा करना चाहता है ? एक तो लुटेरा बनता है और फिर दंगाबाजी करता है। अपने धर्मको तो तूने छोड़ दिया और चूंकि मेरी लड़की है, इसलिए अब मुझको दबानेके लिए आया है। मैं एक कौड़ी नहीं देनेवाला हूं। इसी तरहसे कोई भी मां-बाप अपनी लड़कियोंके लिए ऐसा सौदा न करें। उनकी लड़की खुदाके पास पड़ी है। ईश्वर सब जगह है। अगर एक लड़कीका पति मर जाता है तो वह लड़की कहां जायगी ? हां, यह बात दूसरी है कि अगर लड़कीको वहांसे आना है और किराया नहीं है, तो किराया दे देते हैं। लेकिन अगर यह गुंडा आता है और कहता है कि इतने पैसे दे दो तो वह कोई बननेवाली बात नहीं है। इसी तरहका एक दृष्टांत मैं दे देता हूं वहांका, और यहांका भी; क्योंकि यहां हमने भी तो ऐसा ही किया और मुसलमान लड़कियां छीनी हैं। तब पूर्वी पंजाबकी सरकार या यह मध्यवर्ती सरकार जिन्ना साहबसे कहे कि एक लाख रुपया दे दो, जितनी मुसलमान लड़कियां हमारे कब्जेमें हैं सब दे देंगे, तो क्या हमारी हकूमत ऐसा पाजीपनका काम करेगी ? मैं तो हकूमतको एक कौड़ी भी नहीं दूं। एक तो उसके यहां ऐसा नीच काम हुआ है और पीछे उस नीचताके बदलेमें वह पैसा भी मांगे ! हकूमतको तो मेरे पास आकर तोबा करनी चाहिए और मुझको लड़की भी वापिस करें और उसके साथ ही कुछ इनाम भी दें। ऐसे अगर हम शुद्ध न रहे और हम बहादुर न बने तो फिर हमारा काम अच्छी तरहसे होनेवाला नहीं है।

कल काठियावाड़की बात मैंने कही थी। मैंने तो जो पाकिस्तानके अखबारोंमें पढ़ा और पीछे कुछ हिंदुओंने भी सुनाया वही आपको कह दिया था, लेकिन आज जब सरदारजी मेरे पास थे तब मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा कि जब आप वहां गए थे तब तो आपने बड़े-बड़े व्याख्यान दिए थे कि वहां एक भी मुसलमान लड़के या लड़कीको कोई छू भी नहीं सकेगा। मगर अब मैं सुनता हूं कि उनको लूटा गया, मारपीट भी हुई, उनकी जायदाद वगैरा जला दी गई और उनकी लड़कियोंको भी उठा ले गए। उन्होंने कहा कि जहांतक मैं जानता हूं और ठीक जानता हूं कि वहां एक भी मुसलमानको मारा नहीं गया और एक भी मुसलमान-का मकान जलाया नहीं गया और लूटा भी नहीं गया। हां, इतना तो कुछ हो गया, लेकिन वह तो उनके पहुंचनेसे पहलेकी बात हुई, जब कि वहां यह सब गोलमाल चल रहा था। तब कुछ लूटमार भी हुई और शायद एकाध मकान जलाया भी गया है, लेकिन ये दो बातें तो तब भी नहीं हुईं, न तो किसी-को मारा गया और न किसी लड़कीको उठाया गया। वहां तो मध्यवर्ती सरकारका एजेंट या कोई कमिश्नर वगैरा भी रहता है। तो उसको हुक्म चला गया है कि इस तरहकी चीज नहीं हो सकती, तुमको पूरा बंदोबस्त करना है। कोई भी, मुसलमानको वहां छू नहीं सकता, लूटना और मारना तो दूर रहा। बादमें वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि क्या मैं इस बातको शामकी सभामें कह सकता हूं। उसने कहा कि बड़ी खुशीसे तू कह सकता है, अगर कुछ हुआ है तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा। उसने यह भी कहा कि वहां जो कांग्रेसी हिंदू हैं उन्होंने अपनी जान खतरेमें डालकर भी मुसलमानोंको और उनकी मिल्कियत वगैराको बचाया। वहां कोई गुंडाबाजी चल नहीं सकती। जबतक मैं वहां पड़ा हूं और गृह-विभाग मेरे हाथमें है तबतक मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं तो यह सब सुनकर राजी हुआ और मैंने पूछा कि क्या मैं यह सब लोगोंको बता दूं। उसने कहा कि बड़ी खुशीसे, और मेरा नाम लेकर तू कह सकता है। मुझे कितनी खुशी हुई इस बातकी कि कल ही हमने ऐसा कहा था और आज मुझको यह खबर मिल गई।

: १६३ :

२६ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मैंने आपसे कल कहा था कि सिखोंके लिए तो कलका दिन एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन हमको भी वह ऐसा ही मानना चाहिए। अगर सचमुच कलसे उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया है और जो गुरु नानक सचमुच हमारे सबके लिए रख गए हैं, उसके मुताबिक वे चलना चाहते हैं तो जो चीजें आज दिल्लीमें बन रही हैं, वे होनी नहीं चाहिएं।

मैंने आज तो अखबारोंमें भी पढ़ लिया है और यों भी मैंने सुन लिया था कि दिल्लीमें काफी लोग शराब पीते हैं। शराब पीनेवाले क्या-क्या कर सकते हैं, यह तो हम जानते ही हैं। तो वे कहते हैं कि अब तो शराबका मामला बड़ा कठिन हो गया है और दिल्लीमें वह बहुत फैल गया है, यहां-तक कि उसको काबूमें लाना बहुत मुश्किलकी बात हो गई है। अगर कल-से एक नया पन्ना खुल गया है तो यह होना चाहिए कि जो शराबका दौर पहले चलता था वह अब कम हो जाना चाहिए। शराब पीकर तो हम दीवाने ही बन सकते हैं। तब शराब क्या पीना था! सब चीजें तो मैं आपको बताऊं भी क्या, मेरे पास तो न जाने क्या-क्या आ जाता है।

एक तो यह चीज हुई और दूसरी, उसमें कुछ तो हुआ है, ऐसा कहते हैं—वह यह कि जिन मस्जिदोंमें हमने नुकसान किया था, वह तो है, लेकिन जहां मस्जिदको मंदिर बना लिया था, वहां अगर पुलिस या मिलटरी-की चौकी पड़ी है तब तो वह जैसी थी वैसी ही बंद रहती है। लेकिन मुझको तो वह भी चुभेगा, क्योंकि अगर नया पन्ना हमने कल खोल लिया है तब यह कैसे बन सकता है? जिन मस्जिदोंको मंदिर बना रखा है, उसमें सिखोंका काम तो नहीं हो सकता। लेकिन सिख एक बड़ी कौम है, और वे अगर यह निश्चय कर लेते हैं कि हमको तो आजसे पाक ही बनना है और पाक काम ही करना है तो पीछे उसका हिंदुओंपर भी असर पड़ता है, इसमें मुझे थोड़ा-सा भी शक नहीं है। तब सिख लोग तो सचाई और हकके फैलानेवाले बन जाते हैं और उनका पेशा ही यह बन जाता है कि हम

तो हर जगह अमन[1] चाहते हैं, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर शक्ल दूसरी ही बदलनेवाली है। अतः जिन लोगोंने मस्जिदोंको मंदिर बनाया है उन्हें वहांसे मूर्तियां उठा लेनी चाहिए और जो मस्जिद है, उसको मस्जिद-जैसी ही रखना चाहिए। अगर ऐसा बन जाए तो फिर जो पुलिस या मिलटरी हम वहां रखते हैं उसकी दरकार भी क्यों रहेगी। जब सब लोग भले हो जाते हैं तो पुलिसकी दरकार ही नहीं रहती।

एक तीसरी चीज और है और वह यह कि हमारी काफी लड़कियोंको पाकिस्तानमें लोग उड़ा ले गए हैं। कहां ले गए हैं वे, इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कल मैंने कहा था कि एक कौड़ी भी हम किसी लड़कीको खरीदनेके लिए न दें। जिन्होंने हमारी लड़कियोंको उड़ानेका गुनाह किया है वे उनको वापिस दे दें और उनके साथ-साथ पश्चात्ताप भी करें। हम उसके लिए पैसा दें यह बन नहीं सकता है। लेकिन एक बयान हमारे लिए भी मेरे सामने आता है और वह तो बहुत खतरनाक बयान है। वे कहते हैं कि पूर्वी पंजाबमें हम जिन मुस्लिम लड़कियोंको अपने पास रखकर बैठ गए हैं, उनका हम बेहाल करते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि हम इन्सानियतसे यहांतक गिर गए हैं! मुझसे तो यह बर्दाश्त होता नहीं है, यह मैं कबूल करता हूं। उन लड़कियोंको तो हमें अपनी मां या अपनी लड़कियों-जैसी ही समझना चाहिए। जो मुसलमानकी लड़की है तो वह मेरी ही लड़की है। तब मेरी जो ये लड़की हैं, इनका कोई बेहाल करे, और मैं मौज उड़ाऊं, जिंदा बना रहूं और खूब खाऊं-पीऊं तो यह कैसे कर सकता हूं। जिन भाईने यह खबर दी है उसमें मुझको लगता है कि कुछ-न-कुछ अतिशयोक्ति है। लेकिन अतिशयोक्ति मानकर उसे भूलना तो नहीं चाहिए और पीछे अगर उसमें अतिशयोक्ति है भी तो अच्छा ही है, क्योंकि उससे हमको सोचना तो पड़ेगा कि क्या इन्सान यहांतक भी गिर सकता है। वह चीज तो ऐसी है कि जो हमारे अंदर कंपन पैदा कर दे। तो कलसे हमने एक नया पन्ना खोल दिया है, क्योंकि जब सिखोंने खोल दिया

---

[1] शांति।

तो हिंदुओंने भी खोला और कहो कि मुसलमानोंने भी । लेकिन मुसलमानों-को तो भूल जाओ, क्योंकि यूनियनमें तो हमने उनको लाचार बना दिया है। लेकिन हिंदू और सिख तो लाचार नहीं हैं । तब उनको बराबर यह सोचना है कि क्या करना चाहिए । हां, यहां तो हम ऐसा करते नहीं हैं । लेकिन कहीं भी अगर कोई गुनाह करता है तो मैं गुनहगार बन जाता हूं, ऐसा मुझको लगता है और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए । मैंने अगर कुछ गुनाह किया है तो आप भी यही सोचें कि गांधीने गुनाह किया तो हम लोग भी गुनहगार हैं । हम ऐसे ओतप्रोत बनें कि जैसे एक समुद्रके बिन्दु होते हैं । अगर समुद्रके बिन्दु अलग-अलग होकर रहें तो वे सूख जाते हैं, मगर जब वे समुद्रमें ही रहते हैं तो वे सब मिल जाते हैं और बड़े-बड़े जहाजों-को भी अपनी छातीपर उठा लेते हैं । जैसे समुद्रका हाल है वैसे हमारा है । आखिर हम भी तो मनुष्योंका समुद्र हैं। अगर एकने बुरा किया है तो सबने किया। पीछे, ऐसा होनेसे वह बुराई मिट जाती है। हम सबको जाग्रत हो जाना चाहिए । इसलिए मैंने आपको इतनी चीजें तो कहीं, लेकिन मैं अब इसके बाद कंट्रोलपर आना चाहता हूं ।

चीनीपरसे तो कंट्रोल हट गया और मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है कि कपड़ोंपर और खुराकपर जो दूसरे-तीसरे कंट्रोल हैं, वे भी सब छूटने ही चाहिएं। लेकिन वे कैसे छूटें और उनके छूटनेके बाद हमारा धर्म क्या हो जाता है ? चीनीका तो कंट्रोल छूट ही गया, इसलिए पहले तो मैं उसकी बात कर लूं । अभी तो चीनीके बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनके लोग ऐसा न करें कि चलो, अब तो हमें छुट्टी मिल गई है, इसलिए हम जितने पैसे लोगोंके पाससे छीन सकते हैं उतने छीन लें । अगर वे चीनीका दाम बढ़ा दें तो पीछे सब लोग कंगाल हो जायंगे । यह तो अच्छी बात है कि चीनी खानेवाला सारा हिंदुस्तान तो नहीं है । उनको कुछ खाना है तो गुड़ खाना चाहिए और गुड़पर तो कोई अंकुश वगैरा है ही नहीं । गुड़को तो देहाती लोग आरामसे अपने-अपने घरोंमें बना सकते हैं, लेकिन चीनी तो वे नहीं बना सकते । उसके लिए तो हिंदुस्तानमें बड़े-बड़े यंत्रालय बने हैं और जो लखपति-करोड़पति लोग हैं, वे कुछ मजदूर रखकर उनमें

चीनी बनाते हैं। लेकिन गुड़ तो जहां भी गन्ना पैदा होता है वहां आम[1] बन सकता है। और फिर गुड़ तो बड़ा खाने लायक होता है, अगर वह शुद्ध बना है तो। बचपनमें मेरे पिता मुझको ले जाते थे या पिताके पास जो दूसरे नौकर रहते थे, उनके साथ मैं चला जाता था उन देहातोंमें, जहां गन्ना पैदा होता है। तो वहांके लोग हमें बिल्कुल ताजा और स्वच्छ गुड़ खानेके लिए देते थे। तब तो वह एक खुराक जैसा बन गया, मगर चीनी खुराक नहीं बन सकती। तब गरीब लोग तो गुड़ खाएं, लेकिन आज उनमेंसे कुछ चाय पीनेवाले भी तो बन गए हैं और पीछे चायमें वे गुड़ नहीं, बल्कि चीनी डालते हैं। मैं तो लोगोंको यह सिखा दूं कि उसमें गुड़ डालो, लेकिन मेरी वे माननेवाले थोड़े ही हैं! तब अगर चीनीका दाम बढ़ता है तो वे सोचेंगे कि चीनीपर भी अंकुश रहता तो ही अच्छा था, हमें इतने दाम तो नहीं देने पड़ते। ऐसी हालतमें जितने चीनीके व्यापारी या कारखानेदार हैं उनका यह परम धर्म हो जाता है कि वे आपसमें मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान यह देखे कि आज हमको आजादी मिल गई है तो इस आजादीमें हम केवल शुद्ध कौड़ी ही कमाएंगे। इस आजादीमें हम लोगोंको दगा नहीं देंगे और धोखाबाजी भी नहीं करेंगे, जो भी सड़ांद या गंदगी है उसको निकाल बाहर करेंगे। अगर वह नहीं होता है तो मुझको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर काफी काम मैंने इसपर-से कंट्रोल हट जानेके लिए किया है और अभी भी कर रहा हूं। चीनीके व्यापारी और कारखानेदार अगर अपने मुनाफेके टके बढ़ा देते हैं तो फिर चीनीका दाम बढ़ना ही है। अगर वे सौमेंसे पांच लेते हैं, तब तो वह शुद्ध कमाई ही मानी जायगी और अगर दस या बीस फी सदी अपनी जेबमें डालते हैं, तो वह शुद्ध कौड़ी नहीं कही जा सकती। सौमेंसे पांच बहुत काफी है, उससे अधिक तो लेना नहीं चाहिए। तब जो दूसरे कंट्रोल हैं वे तो अपने आप ही उड़ जाते हैं। हकूमतको यह न कहना पड़े कि तब तो सब कहते थे कि अंकुश उड़ा दो और अब वह उड़ा तो दिया, लेकिन जो गरीब लोग हैं वे क्या खायंगे? गरीबोंको तो वह मिलती ही नहीं है। ऐसा

---

[1] साधारणतः।

नहीं होना चाहिए। जो कारखानेवाले पड़े हैं उनको स्वच्छ बनना है और आपसमें मिलकर एक मंडल बना लें और एक ही भाव बांध दें। उससे ज्यादा कोई भी कारखानेदार न ले। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो गन्ना बोनेवाले किसान लोग हैं उनको गन्नेका दाम कम दें। अगर किसानोंको ज्यादा दाम दें और उसकी वजहसे कुछ भाव बढ़ता है, तब तो वह शुद्ध कौड़ीकी ही बात हो गई। वे सच्चा हिसाब करें और वह हिसाब सबको बता दें कि कल किसानोंके पास इतना जाता था और आज उनको इतना मिलता है जो सीधा किसानोंकी जेबमें जाता है और बीचमें उसे कोई खा नहीं सकता। हम लोग तो कल जो दो रुपये फी सदी या पांच रुपये फी सदी लेते थे, आज सवा पांच भी नहीं लेते हैं। मान लीजिए, मिलवालोंने तो पांचसे ज्यादा नहीं लिए, लेकिन जो बीचमें छोटे-छोटे ताजिर लोग आ जाते हैं, वे अगर ज्यादा दाम लेते हैं तो फिर चीनीके खानेवाले तो मर जाते हैं। तब कारखाने-दारोंको चाहिए कि वे चीनी सीधी खानेवालोंको ही बेच डालें। अगर यह हो जाता है तब तो काम सीधा-सीधा चलता है, इसमें मुझको शक नहीं है।

एक भाईने लिखा है कि देखो तो सही, जो लोग तीसरे दर्जेमें सफर करते हैं उनके रेल-किराये भी बढ़ा दिए हैं, हालांकि दूसरे और पहले दर्जेके किरायोंसे तो वे कुछ कम बढ़े हैं। लेकिन वह लिखते हैं और ठीक लिखते हैं कि तीसरे दर्जेके किरायेमें इतनी-सी वृद्धि भी हमको क्यों करनी पड़ी? माना कि हमको अब ज्यादा काम करना है और उसके लिए हमको पैसे चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत-सी चीजें हैं, जैसे तंबाकू है, बाहरसे कई चीजें ऐसी आती हैं और यहां भी बनती हैं कि जो हरएक आदमीके जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक नहीं हैं। इन चीजोंपर चाहो तो कुछ कर बढ़ा दो। उसमेंसे कुछ बन सकता है। तब जो हकूमतमें हमारे बड़े-बड़े लोग पड़े हैं उनको देखना और हिसाब करना है कि इस तरहकी वृद्धिसे क्या कुछ निकल सकता है। लेकिन यह समझने लायक बात तो है ही, और हकूमतको भी यह देखना है कि ऐसे लिखनेवाले भी मेरे पास पड़े हैं। वे कोई निकम्मे नहीं, बहुत समझदार आदमी हैं। आज अगर करोड़ों

रुपये हमारे हाथमें आ गए हैं तो करोड़ों ही हम खर्च कर डालें, ऐसा नहीं है। करोड़मेंसे एक-एक कौड़ी लेकर भी हम आहिस्ता-आहिस्ता और फूंक-फूंककर चलें। एक कौड़ी हम खर्च तो करें, लेकिन वह हिंदुस्तानकी झोंपड़ियोंमें जाती है कि नहीं, मेरे लिए तो यही हिसाब काफी रहता है। जो करोड़ों रुपये हिंदुस्तानकी झोंपड़ियोंमेंसे खिचकर आते हैं, उनमेंसे कितना हम उनको वापिस भेज सकते हैं? जो सच्चा पंचायती राज्य या लोकराज्य होता है उसे लोगोंके पाससे पैसा तो लेना पड़ता है, लेकिन उसका दाम दस गुना उनके घरोंमें चला जाना चाहिए। जैसा कि मैं तालीमके लिए लोगोंसे पैसा लेता हूं तो मैं ऐसी तालीम उनके लड़कोंको दूं और इस तरहसे खर्चका अंदाजा करूं कि जिससे दस गुना पैसा उनको वापिस मिल जाय। मान लीजिए, मैं देहातोंमें सफाईका काम करूं, लोगोंके लिए सड़कें और रास्ते बनवाता हूं तो देहातके लोग यही सोचेंगे कि जो पैसा हम देते हैं वह हमारे ऊपर ही खर्च होता है। नतीजा यह होगा कि आज मिलिटरीके पीछे हम जो इतने दीवाने बन गए हैं, तब उतने नहीं रहेंगे। हमारे दिलमें पीछे यही विचार पैदा होगा कि मिलिटरीपर तो कम-से-कम खर्च करें और आम लोगोंपर ज्यादा-से-ज्यादा। तब तो लोग मिलिटरी भी खुद ही बन जाते हैं और उसका काम सीख लेते हैं। इस तरहसे जब वह अपनी और अपने पड़ोसीकी भी रक्षा कर लेते हैं तो फिर हिंदुस्तानकी रक्षा तो अपने आप हो जाती है। ऐसे तो हिंदुस्तानपर कोई गंदी नजर डाल भी नहीं सकते हैं।

आज तो ऐसा है कि अंग्रेजी राज तो यहांसे गया, लेकिन अंग्रेजी हवा अभी नहीं गई है। हम उस हवाको बदल दें। वे तो यहां एक बड़े पैमानेपर खर्च करते थे और ऐसा खर्च कि जो लोगोंके पास वापिस नहीं आता था; लेकिन आज तो सब-का-सब खर्च हमको वापिस आना चाहिए, तब तो हमारे लिए खैर हो जाती है। बस, आज तो इतना ही मैं आपसे कहूंगा।

: १६४ :

३० नवंबर १६४७

भाइयो और बहनो,

कल ही मैं तो आपसे कहना चाहता था, लेकिन चूंकि और बहुत कुछ कहना था, इसलिए रह गया। आपने देखा होगा कि ये लड़कियां जो बैठती हैं तो फर्शपर ही बैठ जाती हैं और उससे ठंड लगती है। मैंने तो कह दिया था कि हमारे पास इतने कागज पड़े हैं या अखबार हैं जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है, उनपर बैठो। लेकिन आज तो किसी भाईने चद्दर बिछा दी है तो अच्छा किया। हम बेदरकार रहते हैं यह एक तरहसे तो अच्छा भी है। हम क्यों ऐसे नाजुक बनें कि हम अगर कहीं बैठ गए तो हमको ठंड लगे। फिर भी घासपर अगर हम बैठते हैं तो एक कागजका टुकड़ा अच्छा-सा मिल जाय और वह गीला नहीं हो जाता है तो वह ठंडसे बचा लेता है। ऐसा नहीं हो तो पीछे हमारा तो एक पुराना तरीका भी है कि जहां भी कहीं जाना है, सबको आसन अपने साथ ही लेकर चलना है और पीछे जहां भी बैठना होता है वहीं आसन बिछाकर बैठना है। आज तो हम यह सब भूल गए हैं और ऐश-आराममें पड़ गए हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कागजका टुकड़ा भी छोड़ो, ले लो अगर लेना ही है तो, और वह भी एक खासा अखबार है तो, मगर जो आसन होता है, या तो ऊनका या फिर जूटका या दोनोंमेंसे किसीका, नहीं तो फिर कपड़ेका या सूखी घासका ही हो, वह एक बड़ी चीज है। जहां बैठना है, उसे बिछाया और बैठ गए और पीछे उसको बगलमें रखकर चले गए। क्योंकि मुझको ठंड लगती है, इसलिए सबको ठंड तो लगती ही होगी। पीछे डाक्टरोंका भी बताया हुआ है कि भीगी जमीनपर या कि वहां जहां ठंड लगती है, नहीं बैठना चाहिए। जो भाई धोती पहनते हैं या जो बहनें सिलवार या घाघरी पहनती हैं, वे अगर भीतर मोटा कपड़ा पहना हुआ है तो आसनका काम दे देता है। लेकिन वे भी तो नाजुक बन गई हैं तो फिर उनके पहननेको भी मुलायम चीज ही होनी चाहिए। वे मोटा कैसे पहनें और भीतर जो कपड़ा पहनते हैं वह मुलायम होना चाहिए। तब वह

यहांकी जो सर्दी है, उससे बचा नहीं सकते।

अभी मेरे पास तो बहुतसे तार आ गए हैं काठियावाड़से। उनके बारेमें मैंने सुना तो दिया है जो कुछ भी मैंने सुना था और पीछे जो पाकिस्तानके अखबारोंमें लिखा था। उनको भी वहांके हजारों लोग पढ़ते हैं, शायद दस हजार पढ़ते हों। कितने पढ़ते होंगे, इसका तो मुझे कुछ पता नहीं; लेकिन उनमें जो चीजें आती हैं, उनके बारेमें मैं ऐसा सोचूं कि क्या पता ऐसा हुआ है कि नहीं, तो ऐसे काम नहीं निपटता। इसलिए मैंने बड़ा अच्छा किया कि जो कुछ उनमें पढ़ा था वह आपके सामने रख दिया। मैं नहीं जानता कि वह सब सही है या नहीं। अगर वह सही है तो सारे काठियावाड़के लिए बड़ी शर्मकी बात है और अगर सही नहीं है तो पीछे जो अखबारोंमें लिखनेवाले हैं उनके लिए शर्मकी बात है। तब एक या दूसरोंके लिए वह शर्मकी बात तो हो ही गई। उस बारेमें सरदारजी क्या कहते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया था। आज भी वे आ गए थे और मुझको सुनाते थे कि वहांसे जो बातें आती हैं वे तुम्हारे कहने लायक नहीं होतीं। वे तो बहुत बनी-बनाई आती हैं।

लेकिन राजकोटसे जो तार आ गया है वह तो आपके समझने लायक है। काफी लंबा तार है, उसका थोड़ा-सा बयान मैं आपको दे देता हूं। आखिर मैं तो काठियावाड़के मुसलमानोंको पहचानता हूं। उनमेंसे एक-एकको तो नहीं पहचानता, लेकिन वहां जो खोजा लोग रहते हैं, मीना हैं, बाघेर हैं और किसानोंमें भी कुम्बिय हैं, महेर हैं इन सबको मैं जानता हूं। आखिर मैं तो वहां पैदा हुआ हूं और करीब-करीब १७ साल वहां रहा हूं। करीब-करीब क्या, पूरे १७ साल रहा हूं; क्योंकि कहीं बाहर तो पढ़ने मैं गया ही नहीं। मेरे बापने मुझको कहीं भेजा ही नहीं। मेरा पढ़ना तो वहीं पूरा हुआ और कालेजमें तो क्या हुआ, कोई दो-चार महीने पढ़ा था और वह भी भावनगरमें। इम्तहान भी मेरा अहमदाबादसे आगे नहीं जा सका। यह मेरे हाल थे। पीछे वहां कुछ था तो मैं सब चीजें देख लेता था, और बादमें भी आता-जाता सबसे मिलता रहा। तो वे लिखते हैं कि तुमको तो हमारी तरफसे बड़ी चिंता हो गई है और तुम्हारी चिंता पीछे हमारी चिंता बन गई है। यह ठीक है कि काठियावाड़में हिंदू कुछ बिगड़ गए

और आज तो कहां ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने कुछ मारपीट भी की, मुसलमानोंको कुछ रंज भी पहुंचाया, उनके कुछ घर ढाए और जलाए भी; लेकिन हमने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जितने कांग्रेसके लोग थे और उनके मुखिया तो ढेबर भाई थे। उनको तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। वे उनको बचाने गए और उनको काफी कामयाबी भी मिली। सब लोगोंका तो इस लूटमारमें हाथ नहीं था, क्योंकि अगर सबका हाथ होता तो फिर राजकोटमें जितने मुसलमान थे, उन सबके मकान जल जाते, मारपीट भी बहुत होती और कोई खून भी हो गया होता। लेकिन यहांतक तो नौबत नहीं पहुंची। कांग्रेसवालों और दूसरे लोगोंने वहां बहुत एहतियात-से[1] काम लिया। ढेबर भाईके साथ तो यहांतक भी हुआ, हालांकि वह तो खासा बड़ा आदमी है और वकील भी है, लेकिन भीड़को जब इस तरहसे गुस्सा आ जाता है तो फिर छोटे-बड़ेकी बात ही छूट जाती है, उन्होंने कहा कि अच्छा, इनको बचाने आता है, गालियां दीं और बहुत परेशान भी किया। ढेबर भाईके साथ जो दूसरे लोग हैं, वे लिखते हैं कि कुछ नुक्सान तो किया, लेकिन ढेबर भाईको तो दूसरे लोगोंने बचा लिया। तब तारमें तो यह भी लिखा है कि वहांके जो ठाकुर साहब हैं उन्होंने भी हमारे साथ हाथ बटाया और वहांकी जो पुलिस है, उसने भी। तब वहां दंगा करनेवाले रहे कौन? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा वे कहते हैं। इन लोगोंने कुछ-न-कुछ तो किया भी, लेकिन इनकी कोशिश तो यह थी कि मुसलमानोंको, कम-से-कम राजकोटसे, तो निकाल ही दें। मगर वह कर नहीं सके। लेकिन अब हम निश्चित हो गए और मुसलमानोंके लिए कोई खतरा अब नहीं रहा है। और आप भी अब निश्चित रहिए। दूसरी जगह भी हम देखनेकी कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद एक दूसरा तार हम भेजेंगे।

वहींसे एक मुसलमान भाईका भी तार आ गया है। वे लिखते हैं कि हम तो कांग्रेसवालों और दूसरे लोगोंके बहुत अहसानमंद हैं। हमारी जान-मालकी रक्षाके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन बंबईसे

[1] खबरदारीसे।

एक दूसरा तार आया है, वह भी मुसलमानका ही है। वे लिखते हैं कि पहले जो आपने कहा था वह तो ठीक कहा था, लेकिन अब जो तुमको काठियावाड़के बारेमें सुनाया गया है, वह ठीक नहीं है। वहां काफी हुआ है और अभी भी हो रहा है।

मुझको नहीं मालूम कि मैं बंबईसे जो तार आता है उसको सच मानूं या इस दूसरे मुसलमानके तारको। लेकिन जो बंबईसे तार आता है उसमें मुझको शक हो जाता है, क्योंकि वे तो बंबईमें बैठे हुए लिखते हैं और दूसरा तार तो उनका है जो खुद काठियावाड़में पड़े हैं। और पीछे जो काठियावाड़में हैं वे मुझको धोखा भी नहीं दे सकते, धोखा देकर वे जायंगे कहां! इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि जो बंबईसे तार आया है उसमें कुछ अतिशयोक्ति या मुबालगा[1] है। क्या है और क्या नहीं, यह तो मुझको पीछे पता चल जायगा, लेकिन अभी तो मैं उसे सबके सामने रख दूं।

एक तार भावनगरसे भी आया है। वह वहांके महाराजाका है। उनको भी मैं पहचानता हूं, क्योंकि मैं तो वहां तीन-चार महीने रहा हूं। इसलिए महाराजाको मेरे लिए यह लगा कि वह परेशान क्यों होता है। उन्होंने लिखा है कि तुम फिक्र क्यों करते हो। हम यहां सब जाग्रत हैं और यहांके हिंदू भी जाग्रत हैं। मुसलमानोंको कोई नुक्सान नहीं होने देंगे। तुमको इस बारेमें कुछ शक मनमें नहीं लाना चाहिए।

लेकिन जूनागढ़से अभी एक तार आ गया है। वह मुसलमानोंकी तरफसे है और वे लिखते हैं कि ये लोग तो तुमको धोखा दे रहे हैं। तुम एक कमीशन बिठाकर इसकी तहकीकात कराओ कि हम लोगोंको परेशान किया जाता है कि नहीं। यह तार जवाहरलालजी, सरदारजी और दूसरे लोगोंको भी भेजा है और उनमें एक मैं भी आ गया हूं। मैं कहता हूं कि हरएक चीजके लिए इस तरहसे कोई कमीशन नहीं बैठ सकता है। कमीशन बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। हां, अगर कोई चीज ऐसी है कि सचमुच इतना नुक्सान हुआ है तो फिर इसमें कमीशन बिठानेकी क्या दरकार है? काठियावाड़के लिए तो मैं ही कमीशन-जैसा पड़ा हूं। अगर मेरे ध्यानमें

[1] अतिशयोक्ति।

कुछ आता है तो मैं दबा सकता हूं, वहांके राजा लोगोंको और रैयतको भी। मैं यह दावा तो नहीं करता हूं कि मैं हर चीजमें कामयाब रहता हूं और वह मेरी हर बातको मान ही लेते हैं; लेकिन काठियावाड़के लिए तो ऐसा है न, कि जैसा बिहारके लिए कहो। बिहारमें अगर कोई कहे कि तू कमीशन बिठा दे तो मैं क्या कमीशन बिठाऊंगा? मैं तो खुद ही वहां पड़ा हूं। वहांके सब लोग मुझको चाहते हैं और मेरी मान भी लेते हैं। तब वहांके लिए कोई कमीशन बिठाना तो ठीक नहीं हुआ।

मेरे पास तो राजकोटसे काफी खत भी आए हैं मुसलमानोंके। वे लोग काफी हिंदुओंके दोस्त हैं और कांग्रेससे भी खुश हैं। तब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमें कौन है? उनसे मुझको कोई अदावत[1] तो हो नहीं सकती। वे सोचते हैं कि हिंदू-धर्मको बचानेका वही तरीका है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नहीं होगी। वे मानते हैं कि अगर एक आदमीने कुछ कर लिया है तो उसके साथ मारपीट करना। मगर मैं यह कहता हूं कि बुराईका बदला बुराईसे क्या देना! हमारी जो हकूमत पड़ी है उसको सताओ और उससे कहो कि ऐसा क्यों होता है। और फिर हमारी हकूमत तो जाग्रत पड़ी है और जितना भी हो सकता है कोशिश कर रही है। तब हिंदूमहासभाको मैं कहूंगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघको भी—ये दोनों हिंदुओंकी संस्था हैं और अच्छे बड़े और पढ़े-लिखे आदमी इनमें हैं, जैसे कि और संस्थाओंमें भी हैं—आप हिंदू-धर्मको ऐसे नहीं बचा सकते, अगर यह बात सही है कि इन्होंने ही मुसलमानोंको सताया है और अगर यह सही नहीं है तो फिर किसने उनको सताया है? कांग्रेसने नहीं सताया, वहांकी हकूमतने नहीं सताया और यहांकी हकूमतने नहीं, तो पीछे और कौन हिंदू है जिसने किया? आज तो यह इल्जाम सारे हिंदुओं और सिखोंपर पड़ता है जैसा कि पाकिस्तानमें सारा इल्जाम मुसलमानोंपर पड़ता है, और वह ठीक तो पड़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो बेगुनाह हैं और जिनके खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं उनको अपना नाम साफ करना चाहिए। जूनागढ़में जो मुसलमान

---

[1] दुश्मनी।

भाई पड़े हैं वे अगर इन्साफ चाहें तो वह मिल सकता है, फिर कमीशन हम किसलिए बिठाएं ?

वहांकी बात मैंने आपको कह दी, लेकिन अब यहांके बारेमें भी तो आपको कुछ सुनाऊं। सरदारजीने कुछ इंतजाम तो कर लिया है और जितनी मस्जिदें हमने यहां रखी हैं उनकी वे रक्षा करने जा रहे हैं। आपने अखबारोंमें उनका यह नोटिस तो देख लिया होगा कि सात दिनके अंदर जितनी मस्जिदोंपर कब्जा किया हुआ है वे खाली कर दें, नहीं तो पुलिसको भेजकर खाली कराई जायंगी। मैं तो कहता हूं कि वे पुलिस भेजकर क्या करेंगे ? वहां अगर मस्जिदमें किसी हिंदूने मूर्ति रख दी है, पीछे वह मूर्ति तो सोनेकी हो सकती है, चांदीकी भी, पीतल, मिट्टी या पत्थरकी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि जबतक उसमें प्राण-प्रतिष्ठा नहीं की गई है और जबतक लोग पाक हाथोंसे उसकी पूजा नहीं करते हैं तबतक वह मेरी दृष्टिमें तो मूर्ति नहीं, बल्कि पत्थर या सोनेका टुकड़ा है। ऐसी कुछ मूर्तियाँ कनाट प्लेसके कोनेवाली मस्जिदमें भी बिठा दी गई हैं और उनमें अभी तो हनुमानजी नहीं हैं। मेरे नजदीक तो वह नहीं हैं। मेरे नजदीक तो वह एक पत्थरका टुकड़ा है जिसे हनुमानजीकी शक्ल दे दी है और कुछ सिंदूर भी लगा दिया है। मेरी दृष्टिमें तो वह कोई पूजाके लायक नहीं है। पूजाके योग्य तो वह तभी बन सकता है जबकि उसको कहीं हकसे बिठाया जाय, और उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाय। वह सब तो नहीं हुआ। इसलिए जिन लोगोंने उनको वहां बिठाया है उनका यह धर्म हो जाता है कि वे दिनके आरंभके साथ उसको वहांसे उठा ले जायं और पीछे जहां भी उसको रखना है वहां रखें। इस तरहसे वे एक तो मस्जिदको बिगाड़ते हैं और दूसरे उस मूर्तिका अपमान करते हैं। हिंदू-धर्ममें हम मूर्तिपूजक होकर भी इस तरहसे किसी मूर्तिकी पूजा करें तो वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है। तब सरदारजीको क्या पड़ी कि वह वहां पुलिस भेजें ! आप जितने हिंदू हैं वे सब पहरेदार बन जाएं और जिन मस्जिदोंमें मूर्तियां रखी हैं वहांसे उनको हटा दें। जो मस्जिदें बिगड़ी हुई हैं हमको कहना चाहिए कि हम उनकी मरम्मत कर देंगे। लेकिन आज तो सरदारजी कहते हैं कि हकूमत अपने खर्चपर उनकी मरम्मत कर

लेगी। हकूमत क्यों करेगी, इसीलिए न कि हम नहीं कर रहे हैं। उसको तो सबकी रक्षा करनी है। लेकिन यह हमारे लिए शर्मकी बात हो जायगी। आज जितने हिंदू या सिख हैं, लेकिन सिखको तो मैंने कहीं मूर्ति बिठाते हुए सुना नहीं, उनकी तो एक ही मूर्ति या पुस्तक कहो, वह गुरु ग्रंथ साहब ही हैं। मैंने तो देखा नहीं कि किसी सिखने गुरु ग्रंथ साहबको मस्जिदमें लाकर रखा हो। अगर किसीने ऐसा किया भी है तो उसने गुरु ग्रंथ साहबका अपमान किया है। गुरु ग्रंथ साहबको तो गुरुद्वारेमें ही रखा जा सकता है। जो पवित्र सिख हैं वही उसको ऊंची जगहपर सजाकर रखते हैं। मेरे-जैसा अगर कोई हो तो वह तो बहुत सुंदर खादी बिछाकर उसको रखे। लेकिन आज यदि देसी-परदेसीका तो खयाल नहीं है, फिर भी बड़े खूबसूरत ऊनी और रेशमी वस्त्र हम हाथोंसे तैयार करते हैं। उस रेशमको हम वहां बिछाएं और गुरु ग्रंथ साहबको रखें तब तो वह पूजाके लायक है और अगर कोई सिख उसे मस्जिदमें ले जाकर रखता है तो वह गुरु ग्रंथ साहबकी तौहीन[1] करता है और वह पूजाके लायक नहीं हो सकता।

आज एक मुसलमान मेरे पास आया। मैं समझा नहीं कि वह क्या कहना चाहता था। लेकिन उसके हाथमें एक कुरानशरीफ थी, जो आधी जली हुई थी। लेकिन उसके लिए तो वह भी पाक थी। इसलिए उसने उसको बहुत साफ कपड़ेमें लपेटा हुआ था। उसने आरंभसे वह कपड़ा खोला और मुझको दिखाया। वह कुछ बोला तो नहीं, लेकिन रोने-जैसी उसकी शक्ल बन गई और पीछे चला गया। बृजकिशनजीसे तो कुछ बातें भी कीं, लेकिन मैं तो काममें पड़ा हुआ था। इसी तरह अगर एक मुसलमान यहां आकर कुरानशरीफ बिठा जाता है और मुझको और आपको मारता है तो मैं कहूंगा कि वह कुरानशरीफकी तौहीन करता है। कुरानशरीफ यह नहीं कहती कि किसीको मजबूर करके उसे रखो।

इसलिए मैं तो बड़े अदबसे कहना चाहता हूं हिंदू-महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे तथा और भी लोगोंसे, जो मेरी सुनना चाहते हैं और साथ-साथ सिखोंको भी, क्योंकि सिख तो बड़े हैं और अगर वे सीधे

---

[1] अपमान।

हो जाते हैं और गुरु नानकके सच्चे अनुयायी बन जाते हैं तो हिंदू भी आप-ही-आप सीधे हो जाते हैं। मेरे दिलमें सिखोंकी कद्र है। लेकिन आज क्या हिंदू और क्या सिख, सब बिगड़ते जा रहे हैं और हिंदुस्तानको धूलमें मिला रहे हैं। जिस हिंदुस्तानको हमने ऊंचे चढ़ाया है, क्या उसको नीचे खींचकर हम मटियामेट करेंगे ? क्या हम अपने धर्म, कर्म और देशको इस तरहसे धूलमें मिला देंगे ? ईश्वर हमको इस चीजसे बचा ले।

: १६५ :

मौनवार १ दिसंबर १९४७

(लिखित संदेश)

भाइयो और बहनो,

कई मित्र नाराज होते हैं कि मैं 'अगर यह सही है तो' कहकर क्यों कोई निवेदन करता हूं। मुझे पहले तय कर लेना चाहिए कि बात सही है या नहीं। मैं मानता हूं कि जब-जब मैंने 'अगर' इस्तेमाल किया है मैंने कुछ गमाया नहीं है। जो काम उस समय मेरे हाथमें था उसे फायदा ही हुआ है।

इस वक्तकी चर्चा काठियावाड़के बारेमें है। मित्र लोग कहते हैं कि मैंने काठियावाड़के बारेमें मुसलमानोंपर ज्यादतियोंके झूठे बयानको मशहूरी[1] दी है। अधिकतर इल्जाम सरासर झूठे थे। जो थोड़ी-बहुत गड़बड़ी हुई थी उसे फौरन काबूमें लाया गया। मेरे 'अगर' के साथ उन इल्जामोंका जिक्र करनेसे सचाईको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काठियावाड़के सत्ताधीश और कांग्रेस, जिस हदतक सचाईपर खड़े रहे हैं, उतना ही उन्हें फायदा होगा। मगर मित्र लोग कहते हैं कि सचाई आखिरमें जाहिर होकर रहती है। इसमें भले शक न हो, मगर उससे पहले नुक्सान तो हो ही जाता

---

[1] प्रसिद्धि।

है। जिन्हें सच-झूठकी कुछ पड़ी नहीं, ऐसे बेईमान लोग मेरे कथनको अपनी बात सिद्ध करनेके लिए काममें लाते हैं। इस तरहसे झूठको फैलाया जाता है। मैं इस तरहकी चालबाजीसे आगाह[1] रहूं। जब-जब इस तरहकी चालाकी खेलनेकी कोशिश की गई है वह निष्फल हुई है और ऐसा करनेवाले बेईमान लोग जनतामें झूठे बने हैं। मैं 'अगर' कहकर इल्जामोंका जिक्र करता हूं तो उससे किसीको घबरानेकी जरूरत नहीं, शर्त सिर्फ यह है कि जिनपर इल्जाम लगाया जाता है वे सचमुच इल्जामसे सर्वथा मुक्त हों।

इससे उल्टी स्थितिका विचार कीजिए। काठियावाड़की ही मिसाल लीजिए। अगर पाकिस्तानके बड़े-बड़े अखबारोंमें लिखे इल्जामोंकी तरफ मैं ध्यान न देता, खास करके जब पाकिस्तानके प्रधान मंत्रीने भी कहा कि इल्जाम मूलमें सही है, तो मुसलमान उन इल्जामोंको वेद-वाक्य माननेवाले थे। मगर अब भले मुसलमानोंके मनमें उनकी सचाईके बारेमें शक है।

मैं चाहता हूं कि इसपरसे काठियावाड़के और दूसरे मित्र यह पाठ सीखें कि हम अपने घरमें तो किसी तरहकी गड़बड़ होने नहीं देंगे, टीकाका स्वागत करेंगे, चाहे वह कड़वी टीका ही क्यों न हो; अधिक सच्चे बनेंगे और जब कभी भूल देखनेमें आवे उसे सुधारेंगे। हम यह सोचनेकी गलती न करें कि हम कभी भूल कर ही नहीं सकते, कड़वी-से-कड़वी टीका करनेवालेके पास हमारे विरुद्ध कोई-न-कोई सच्ची, काल्पनिक शिकायत रहती है। अगर हम उसके साथ धीरज रखें, जब कभी मौका आवे उसकी भूल उसे बतावें, हमारी गलती हो तो उसे सुधारें, तो हम टीका करनेवालेको भी सुधार सकते हैं। ऐसा करनेसे हम कभी रास्ता नहीं भूलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि क्षमता तो रखनी ही होगी। समझदारी और शनाख्तकी[2] हमेशा जरूरत रहती है। जान-बूझकर शरारतकी ही खातिर जो बयान दिए जाते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं कि लंबे अभ्याससे मैं शनाख्त करना थोड़ा बहुत सीख गया हूं।

---

[1] परिचित; [2] पहचान।

आज हवा बिगड़ी हुई है, एक दूसरेपर इल्जाम-ही-इल्जाम लगाए जाते हैं। ऐसी हालतमें यह सोचना कि हम गलती कर ही नहीं सकते, मूर्खता होगी। हम ऐसा दावा कर सकें वह खुशकिस्मती आज कहां! अगर मेहनत करके हम झगड़ेको फैलनेसे रोक सकें और फिर उसे जड़मूलसे उखाड़ फेंकें तो बहुत हुआ। यह हम तभी कर सकेंगे अगर हम अपने दोष देखने और सुननेके लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। कुदरतने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपनी भूल नहीं देख सकते, वह तो दूसरे ही देख सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जो दूसरे देख सकते हैं उससे हम फायदा उठावें।

कल प्रार्थनामें जाते समय मुझे जो जूनागढ़से लंबा तार मिला उसकी बात कल पूरी नहीं हो सकी। कल मैंने उसपर सरसरी नजर ही डाली थी। आज उसे ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूं। तार भेजनेवाले कहते हैं कि जिन इल्जामोंका मैंने पहले दिन जिक्र किया था वे सब सच्चे हैं। अगर यह सही है तो काठियावाड़के लिए बहुत बुरी बात है। अगर जो इल्जाम साथियोंने स्वीकार किए हैं और मैंने छापे हैं उनको बढ़ानेकी कोशिश की गई है तो तार भेजनेवालोंने पाकिस्तानको नुक्सान पहुंचाया है। वे मुझे निमंत्रण देते हैं कि मैं खुद काठियावाड़में जाऊं और अपने आप सब चीजोंकी तहकीकात करूं। मैं समझता हूं कि वे जानते हैं कि मैं आज ऐसा कर नहीं सकता। वे एक तहकीकाती कमीशन मांगते हैं। मगर उससे पहले उन्हें केस तैयार करना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि उनका हेतु जूनागढ़को या काठियावाड़को बदनाम करना नहीं है। वे सच निकालना चाहते हैं और अल्पमतकी जान-माल और इज्जतकी रक्षाका पूरा प्रबंध करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि हरएक आदमी जानता है कि अखबारी प्रचार, खास करके जब वह पूरी-पूरी सचाईपर न हो, न जानकी रक्षा कर सकता है, न मालकी, न इज्जतकी। तीनों चीजोंकी रक्षा आज हो सकती है, उसके लिए तार भेजनेवालोंको सचाईपर कायम रहना चाहिए और हिंदू मित्रोंके पास जाना चाहिए। वे जानते हैं कि हिंदुओंमें उनके मित्र हैं। वे यह भी जानते हैं कि अगरचे मैं काठियावाड़से बहुत दूर बैठा हूं, मगर यहांसे भी उनका काम

कर रहा हूं। मैंने जान-बूझकर यह बात कह दी और मैं सब सच्ची खबरें इकट्ठी कर रहा हूं। मैं सरदार पटेलसे मिला हूं और वे कहते हैं कि जहांतक उनके हाथकी बात है, वे कौमी झगड़ा नहीं होने देंगे और कहीं कोई मुस्लिम भाई-बहनोंसे बदतमीजी करेगा उसे कड़ी सजा दी जायगी। काठियावाड़के कार्यकर्ता, जिनके मनमें कोई पक्षपात नहीं, सच ढूंढ़नेकी और काठियावाड़के मुसलमानोंको जो तकलीफ पहुंची हो, उसको दूर करनेकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मुसलमान उतने ही प्यारे हैं जितनी अपनी जान। क्या मुसलमान उनकी मदद करेंगे ?

: १६६ :

२ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मैंने तो आपको कहा था कि आज मुझको पानीपत जाना है। इरादा ऐसा था कि ४ बजे वापस आ जाऊंगा। लेकिन काम इतना निकल गया था कि बड़ी मुश्किलसे ५॥ बजकर ५ मिनट हो गई थी—३ मिनट तो हो ही गई थी—आया। तब प्रार्थनाकी आवाज सुनी। प्रार्थना तो शुरू हो ही जानी चाहिए थी, मैं रहूं चाहे न रहूं। मैंने तो कह दिया है कि प्रार्थना शुरू हो ही जानी चाहिए, नियमके मुताबिक चलना ही चाहिए। पीछे मुंह धोने चला गया, इसलिए देर लग गई। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

मैं क्यों पानीपत गया, इसका थोड़ा-सा तो इशारा कर दिया था। मेरी उम्मीद तो थी और अब भी उम्मीद नहीं छोड़ आया हूं कि किसी-न-किसी तरह पानीपतके मुसलमानोंको रख सकें तो अच्छा है। हमारे लिए तो अच्छा है ही, सारे हिंदुस्तानके लिए भी अच्छा है और जो हिंदुस्तानके लिए अच्छा है वह पाकिस्तानके लिए भी अच्छा है।

वहां आज लोग मुसीबतमें पड़े हैं। वहांसे जो दुःखी लोग आए हैं—

दुःखीको शरणार्थी कहते हैं—वे भी दुःखमें हैं और रहनेवाले हैं, जबतक अपने घर नहीं चले जाते हैं। वैसे ही मुसलमान मजबूर होकर जो पाकिस्तान गए हैं वे भी दुःखमें ही रहनेवाले हैं। इसमें आप कोई शक न रखें।

मैं धर्मका पालन करता हूं तो वहां चला गया, यह अच्छा हुआ। डाक्टर गोपीचंद भार्गव भी आ गए थे, गृह-मंत्री सरदार स्वर्णसिंह भी आ गए थे। मुझको पता नहीं था कि डाक्टर गोपीचंद आनेवाले थे। सरदार कर्णसिंहने तो कहला भेजा था कि मेरी दरकार हो तो मैं आ सकता हूं। मैंने कहा कि दरकार तो नहीं है; क्योंकि जो कुछ करना है, वह मैं करूंगा; लेकिन वे आ गए। पूर्वी पंजाब उनका इलाका है तो उनका तो वह हक है, इसलिए वह भी आ गए। देशबन्धु गुप्ताने कहला भेजा था कि मैं बीमार हूं सो नहीं आऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है; लेकिन वहां तो उनका घर पड़ा है, इसलिए वह भी आ गए। तो अच्छा हुआ सब आ गए। मौलाना हैं वह जो यहां हमेशा आते हैं, वह भी आए। पीछे उन लोगोंसे बातचीत की। मुसलमानोंसे अकेलेमें बातचीत की; लेकिन दोनों मंत्री तो साथ थे। उन लोगोंने कहा कि मंत्री तो रहें। जो बात मंत्रीसे अलहदा है, जिसे मैं इस्तेमाल न कर सकूं तो वह किस कामकी है! उन लोगोंने कहा कि वहां उस वक्त जो बात हो गई थी तब तय किया था कि रहेंगे और आपको कहा भी था। बादमें हालत बिगड़ गई। जैसा तुम कहते थे, कुछ भी हो ही नहीं पाया, इसलिए हम परेशान हो गए। हमारी इज्जतकी कोई परवाह नहीं की गई। जब इज्जत, माल और जान, तीनोंकी रक्षा नहीं हो सकी तो कैसे रहेंगे? जो कुछ भी हो, घर गिरा तो क्या, आग लगी तो क्या, जानको जाने देंगे, मालको जाने देंगे, लेकिन मानकी हिफाजत[1] करना अपना काम है। उसकी हिफाजत कर सकेंगे तो रहेंगे। तो मैंने कहा कि मरनेकी बात कहते हैं वह तो ठीक है, लेकिन मनमें जगत-प्रेम है वही ईश्वरकी भक्ति है।

पीछे वहां जो दुःखी शरणार्थी हैं उनसे बहुत बातें हुईं। यह करते-ही-करते ३॥ बज गए। यहांसे १०॥ बजे निकल गया था और

---

[1] रक्षा।

करीब ११॥ बजे वहां पहुंच गया। ३ बजेतक बातें चलती रहीं—बातें काफी थीं। पीछे दुःखी लोगोंसे मैंने कहा, पीछे डाक्टर गोपीचंद भार्गव थे उन्होंने कहा, सरदार स्वर्णसिंह खड़े हुए तो गोलमाल शुरू हो गया, लोगोंने चीखना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वे लोग उनका अपमान करना चाहते थे, लेकिन वे लोग अब गवारा[1] नहीं कर सकते थे। वह क्या बताएंगे हमको, इसलिए वे लोग गुस्सा हो गए।

काफी लोग थे— करीब २० हजार होंगे। मैदान भर गया था। छत सब भर गई थी। इस तरहसे लोग भरे थे। मेरी बात तो शांतिसे सुनी। पीछे उन्होंने शुरू किया तो लोग खड़े हो गए। हमारेमें तो रिवाज हो गया है कि गुस्सा बता दें। सब खड़े हो गए, चीखना शुरू कर दिया कि मुसलमानोंको हटा दो। मैंने कहा कि मुसलमानोंका जाना अच्छा नहीं है, उनका घर है तो रहने दो, मजबूर करनेसे क्या होगा? यहां ऐसा करोगे तो वहां हमारा काम बिगड़ जायगा। तो यह सब समझाया। मैं तो बैठनेवाला था, लेकिन स्वर्णसिंह गृह-मंत्री हैं, बहादुर आदमी हैं, वे माननेवाले नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा? उन्होंने बोलनेकी बड़ी चेष्टा की; लेकिन काम चला नहीं। लोग चीखते ही रहे, सब खड़े रहे। तो दुःखी लोगोंके जो प्रमुख हैं, नुमायंदा हैं, वह उतरे। पीछे उन्होंने शुरू किया। मुझको पता नहीं था कि वे शायर हैं, पंजाबीमें शुरू किया, पहले तो भजन शुरू किया— वे लोग तो जानते हैं कि पंजाबियोंमें ऐसा है कि उनको भजन अच्छा लगता है—पीछे पंजाबीमें ही डांटा और कहा कि मैं तो आपका नुमायंदा हूं, आप क्यों नहीं सुनते, चीखनेसे क्या होगा? सभा बिगाड़नेसे आपका क्या फायदा होगा? आपका नुकसान ही है। तो पीछे शांति हुई, मेहनतसे। लोग बैठ गए तो पंजाबीमें सब बातें हुईं।

मैं पंजाबी बोल तो नहीं सकता, लेकिन समझ लेता हूं। उन्होंने जो कहा वह मुझको अच्छा लगा था। मुसलमानोंके साथ बैठे थे तब भी कहा था कि हम दो चीज जरूर करनेवाले हैं, पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी हो, हम वहशी[2] नहीं बनेंगे। हम आजादीकी सल्तनत चलाते हैं तो ऐसा

---

[1] बर्दाश्त; [2] जंगली।

थोड़े होने देंगे। मुस्लिम लड़कीको जो भगा लिया है उसको हम हर हालतमें वापस करेंगे। हां, कोई भी आदमी बता दे, कह दे कि वह लड़की वहां है, क्योंकि हमको पता तो है नहीं, तो वह जहां होगी वहांसे हम लाएंगे। और दूसरी बात यह कि जिन मुसलमानोंको मजबूरीसे हिंदू और सिख बनाया गया है वे मुसलमान ही हैं; धर्म-परिवर्तन हुआ है उसे हम बाकानून नहीं समझेंगे; क्योंकि यह नीतिके विरुद्ध है। ऐसे जो लोग पड़े हैं उनकी हम हिफाजत करेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ही उनकी हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान चाहे करे या न करे। स्वर्णसिंहने तीसरी बात भी कह दी कि मस्जिदोंकी भी हिफाजत करेंगे। ये तीन चीज तो हर हालतमें हम करनेवाले हैं।

हां, जान-मालके बारेमें कौन क्या कह सकता है! हकूमत है, पुलिस है, वह पूरी कोशिश तो करेगी; लेकिन अगर सब-के-सब लोग लूट-मार करने लगें तो क्या गोलीसे उड़ा दें? क्या करें? हम लाचार हैं, हमारी आजादी लूली है, हम लाचारी कबूल करते हैं। हां, लोगोंको डांटेंगे; लेकिन लाचारी तो कबूल करनी ही चाहिए। उन्होंने लोगोंको खूब समझाया, मिन्नत की कि हमारी लाज, आबरू, शर्म सब आपके हाथमें है, उसकी आप रक्षा करें। हकूमत हमारी थोड़ी है, हकूमत आपकी ही है, आपने ही हमें भेजा है तो हम पड़े हैं। जब हम पड़े हैं तो हम काम तो करें और आप इसमें मदद दें। यह सब समझाया। इसमें काफी समय लग गया। गोलमाल हो गया, उसे शांत करनेमें काफी देर लगी। हमेशा ऐसा रहा है कि ऐसे मौकेपर जब लोग बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तब मैंने देखा है कि थोड़ी देर बाद जब वे लोग ठंडे दिलसे सोचते हैं तो समझने लग जाते हैं। मैं जब आजादीकी लड़ाई करता था तब भी देखा था। ऐसी भी नौबत आ जाती थी कि सभाको खत्म कर देंगे; लेकिन देखता था कि बादमें समझ जाते थे। तो पीछे नुमायंदे आए। मैंने कहा था तो वे मेरे पीछे आए। मैंने उनको गाड़ीमें ले लिया। अगर न लूं और वहां बैठ जाऊं तो यहां समयमें पहुंच नहीं सकता था, इसमें भी समय लगता, मिनट-मिनटका हिसाब करना पड़ता था, जब यहां आना था।

मैंने आराम करना छोड़ दिया, जब सब दुःखी हैं तब मैं क्या आराम

करूं ! उनसे तो मुझको बहुत आराम है ही। तो वे सुनाते हैं कि जो यहां दुःखी पड़े हैं वे खुद बहुत रंजमें पड़े हैं। कुछ तो हुआ ही है, जैसा मैंने देखा था वैसा ही है, ऐसी बात नहीं है। कुछ इंतजाम तो हुआ ही है, कुछ छतें लगाई गई हैं, वे अब तंबूमें रहते हैं, ऐसा तो है, लेकिन खाना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, पूर्वी पंजाबके गवर्नरने भी देखा और कबूल किया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कपड़ेके बारेमें ऐसा होता है कि अच्छे कपड़ेको भीतरसे ही कोई ले जाता है—कौन लेता है, क्या कहूं। उसको छोड़ देता हूं, लेकिन पीछे उनको टूटे-फूटे सड़े कपड़े मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज उनके लिए भेजी जाती है वही मिलनी चाहिए। वहां लोग मरते भी हैं, मृत्यु तो होनी ही है। दो मरनेवालोंको जलानेके लिए लकड़ी मिली ही नहीं। सारा दिन चला गया। कोई डाक्टर महाशय हैं, उनका नाम भूल गया, उनके हाथमें इसका इंतजाम है। वे एक जगह नहीं मिले, दूसरी जगह गए, वहां नहीं मिले तो तीसरी जगह गए, वहां भी नहीं मिले। इस तरह दिनभर चला गया, शामको ७ बज गया तो कुछ लोगोंने उनके रिश्तेदारको कहा कि वहांसे लकड़ी नहीं मिली तो क्या हुआ। हम आठ-आठ आना देते हैं। इस तरहसे १०) या १५) हो गए। लेकिन वह तो तगड़ा आदमी था। उसने रुपये लेना मंजूर नहीं किया। उसने कहा कि लकड़ी नहीं मिलती है तो मेरा नसीब, मैं दफना दूंगा। हिंदू दफन नहीं करते, लेकिन उसने दफना दिया। तो मुझको दुःख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

पीछे मुझको सुनाया कि कोई भी चीज हो, वह बड़े शरणार्थीको तो मिल जाती है, गरीबको नहीं मिलती है; क्योंकि वे अफसरोंके हाथमें नहीं हैं। रखें भी कैसे, कहांतक रखें, वहां जो लोग पड़े हैं, उनको ले लिया, उनकी मारफत करते हैं। अगर वे भले हैं, परमार्थी हैं, सेवाभावी हैं तब तो हो जाता है, लेकिन जब सेवाभावी नहीं रहते हैं तो दुश्वारी हो जाती है। मैं सब चीज जाहिर कर देता हूं। हम मारपीट तो न करें, इससे जहर पैदा होता है। हमारे पास दूसरा तरीका है, वह यह कि साफ-साफ कह देना चाहिए। ढांकनेसे कोई फायदा तो होता नहीं है। मैं कहता हूं कि जो चीज बनी है वैसा कह देना चाहिए। जो बुरा करते हैं उनपर इल्जाम लगाया जाय तो उसमें बुरा क्या है ! इल्जामके लायक है तो कहना ही

चाहिए। ऐसा समझकर मैं सुनाता हूं कि यह बुरी बात है। एक तो हम दुःखी हैं, लाखों लोग घर-बार छोड़कर आए हैं, फिर ऐसा करने लगें यह बहुत दुःखकी बात है। आज मुझको एक छोटा-सा लड़का मिला, वह स्वेटर पहने था, उसे निकालकर खड़ा हो गया। मेरे सामने आंखें तो बहुत करता था मानो कि खा जायगा। लेकिन बच्चा था, क्या करनेवाला था! कहने लगा कि आप बात करते हैं कि आप हिफाजत करने आए हैं; लेकिन मेरा बाप मर गया है तो मुझे मेरा बाप तो दे दो। वह तो मर गया, मैं कहां-से लाऊं? आखिर उस लड़केको गुस्सा आ गया। मैं समझ सकता हूं कि अगर इतनी ही उम्रका मैं रहता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। यह सुनना पड़ता है, मुझको गुस्सा नहीं आया, दया आई।

आजका नजारा देखा। ऐसा था तो पीछे वे कहते हैं कि इतना तो करो कि हम जो शरणार्थी हैं वे सब खराब थोड़े हैं, उनके हाथमें इंतजाम दे दो, ऊपरमें मजिस्ट्रेट वगैरा तो हैं ही, वहांके लोगोंके ऊपर भी तो देखना पड़ता है, मजिस्ट्रेट वगैरा हमारे ऊपर भी देख-रेख करें; लेकिन कंबल बांटने हैं तो हमको दे दो। बच्चोंको दूध तो मिलना चाहिए, फिर भी मिलता नहीं, वह तो ऊपरके अमलदारोंके लिए है। वे या सेवा-भावके लिए जो कमेटी बनी है उसके सदस्य पी जायं, इससे बेहतर तो यह है कि हमको दे दो। चोरी होती है तो क्या, जैसा करते हैं वैसा भोगेंगे। पीछे वे कहते हैं कि उनके पास और दुःखी भाई लोगोंने चिट्ठी भेजना शुरू किया। चिट्ठियोंमें वे लिखते हैं कि महात्माको तो कहो कि वह हमारी भी सुने। वे सुनाते थे कि उनमें ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं चला गया तो अच्छा हो गया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप शांतिसे रहें और आप मुसलमानोंको कहें कि आप भाई हैं, यहीं रहो, पानीपतमें तो बहुत-सी लड़ाई हो गई है, तो यह सबसे आला दर्जेकी चीज हो जायगी।

आप २८००० आदमी डेरेमें रहते हैं, दूसरे आते हैं तो इससे क्या। आपको खाना मिल जाय, पहनने और ओढ़नेको कपड़ा मिल जाय, छत हो या तंबू ही मिल जाय तो ठीक है। कहीं भी रहोगे तो अभी चौथी चीज तो मिल नहीं सकती। इन तीनों चीजोंसे आप बहुत-सी चीजें पैदा

कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यह आप लोगोंको सुना दूं। आप भी समझें कि हमारे हिंदुस्तानमें कैसे-कैसे खेल चल रहे हैं और उसपर हम कैसे काबू पा सकते हैं। आज तो हकूमत है। हकूमत आपपर जबरदस्ती तो कर नहीं सकती। आजादी हमने पाई है तो क्या ऐसा होना चाहिए? कल जवाहरलालने सुंदर कहा है। आज देख लिया, मैं हमेशा कहां पढ़नेवाला था, पढ़नेका मौका कहां आता था। जवाहर कहता है कि मुझको प्रधान मंत्री कहते हैं तो मुझको चुभता है, मैं प्रधान मंत्री कब बना था? हां, यह कहो तो अच्छा लगेगा कि मैं अव्वल दर्जेका खादिम हूं, सेवक हूं। अगर सब ऐसे बन जायं कि प्रधान सेवक हैं तो उनको २४ घंटे लोगोंका खयाल करना है। पीछे उनके नीचेके नौकर ऐसा करेंगे तो हमारा देश सचमुच स्वर्णभूमि बन सकता है, रामराज्य हो सकता है, खुदाई राज्य बन सकता है। तब हमारी आजादी मुकम्मिल[1] बन सकती है। अगर हम आजादीके बाद ऐसा करेंगे जैसा आज हो रहा है तो ऐसी आजादी मुझको चुभती है। क्या हमारी आजादी ऐसी होगी? ऐसी कभी नहीं होगी।

: १६७ :

३ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मेरे पास काफी लोग आते हैं, सबका हिसाब तो मैं आपको देता नहीं हूं, कोई ऐसी चीज होती है तो कह देता हूं। तो आज भी कुछ भाई लोग मेरे पास आए। उनका कोई ताल्लुक हमारी हकूमतके प्रधान जो हैं उनसे हुआ होगा। तो वे कहते हैं कि प्रधानने एक समय तो एक चीज कही थी, लेकिन अभी अपनी प्रतिज्ञा, वचनको भंग कर रहे हैं। वह कैसे, मैं तो कह नहीं सकता हूं। उनके पास लिखित खत था कि उन्होंने एक बार कल या तीसरे दिन—ऐसा कहा था और अब ऐसा कहते हैं।

[1] पूर्ण।

तो मैंने कहा कि लिखित चीज हो तो बताइए। आखिर मैं भी वैसा ही हूं जैसे आप हैं। मैं हकूमत तो हूं नहीं, मेरे पास कोई अधिकार तो है नहीं; लेकिन मैं सेवक हूं, उनका दोस्त हूं, उनके साथ काम किया है, इसलिए उनके साथ बात कर सकता हूं, लेकिन ऐसी बात कैसे कहूं ? इसपर मुझको लगा कि ऐसा क्यों होता है, हमसे कहें एक बात और करें दूसरी बात। ऐसा होता है तो मुझपर बीतती है न ? मैं समझता हूं कि मैंने कभी इरादा करके, समझके किसीको धोखा नहीं दिया है। हां, हो सकता है कि आदमीको जानकारी नहीं है, सद्भावसे कहता है, बुरा हेतु नहीं है, उसे धोखा मानें और दुःख मानें तो ऐसी बहुत-सी चीज दुःखकी होती है। बहुत-सी चीज बगैर समझे होती है और उससे भी वचन भंग हो जाता है; लेकिन अगर कोई जान-बूझकर अपना वचन भंग करता है तो बुरा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जहांतक हो सके वहांतक मौन ही रखना चाहिए। कभी बेकार एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए, और अगर एक बार दिलकी बात निकाल दी तो उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तभी हम एक-वचनी बन सकते हैं। और अभी जब सारे देशकी हकूमत चलाते हैं तो हमको सावधानीसे काम करना चाहिए, उसमें मर्यादा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए और नम्रता होनी चाहिए, उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। ये सब हो तब हमारा काम आखिरतक पहुंच सकता है और लोगोंको कुछ कहनेकी गुंजाइश नहीं रहेगी। हां, एक बार कह दिया कि अमुक चीज मुफ्तमें बांटेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मानो कि हुआ, बादमें कहा कि दो पैसे लेंगे तो वह वचन-भंग हुआ। इस तरहसे वचनका भंग करना ही नहीं चाहिए। आज हम ऐसे बन गए हैं कि हमारे पास वचनकी कोई कीमत ही नहीं रही। आज बोल दिया और कल अलग हो जाते हैं। आज मैं कह देता हूं कि कल कोई ४ बजे आपके पास आता हूं, लेकिन उस वक्त नाचमें चला गया या और कहीं चल देता हूं तो वह वचन-भंग होता है। मैं तो कहूंगा कि हमें बड़ी सावधानीसे काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कह तो दूं कि वह हकूमतपर लागू नहीं होता, व्यक्तिपर लागू होता है। सब वचनपर कायम रहें, बोलें तो तौलकर बोलें, आवेशमें तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए।

जैसे हम एक चीजका बयान देते हैं कि मारपीट हो गई, पीछे उसमें रंग डालनेके लिए कह देते हैं कि खून हुआ। ऐसी बात तो छिप नहीं सकती, अभी नहीं तो बादमें, कभी-न-कभी तो मालूम हो ही जायगी। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए।

अभी मुझे एक डाक्टर सिंधसे लिखते हैं कि वहां जितने हरिजन रहे हैं वे बेहाल हैं। हरिजन अगर अकेले वहां रह गए और कोई दूसरे नहीं रहते तो वे कहते हैं कि उनको वहां मरना है। अगर मरना नहीं है तो गुलामीमें रहना होगा और आखिरमें मुसलमान बनना होगा। यह बहुत बुरी बात है। आज तो ऐसा हो गया है कि पाकिस्तानकी हकूमत जो कहती है उसको उनके मातहत जो आदमी हैं, वे करते नहीं हैं। आज हिंदुस्तानमें भी ऐसा हो गया है। जवाहरलाल कह देंगे, सरदार कह देंगे कि हम तो मुसलमानोंकी हिफाजत करेंगे, हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती एक भी मुसलमानको पाकिस्तान जाना पड़े; लेकिन चलती नहीं है, उनके पास ऐसे करनेवाले नहीं हैं; क्योंकि उनके मातहत करते नहीं हैं, पीछे प्रजा तो करती ही नहीं है।

मैंने कल सुनाया ही था कि मैं पानीपत चला गया था। वहां २८००० हिंदू सिख दुःखी पड़े हैं। उनके साथ पाकिस्तानमें अच्छा सलूक नहीं हुआ। तभी तो उनको भागना पड़ा, दुःख पड़ा तभी तो भागे, नहीं तो भागनेकी क्या गरज पड़ी थी ! जब वे ऐसा दुःख उठाकर आए हैं तो क्या वे दूसरेको भगाएं ? लेकिन ऐसा होता है। मैं पाकिस्तानको किस मुंहसे कहूं ? तो भी कहना पड़ता है। वे लिखते हैं—लंबा-चौड़ा खत लिखा है, मेरे पास पड़ा है—वहां कोई हरिजन रहना नहीं चाहता। वे अगर एक जगह बैठना चाहते हैं तो बैठकर रह नहीं सकते, उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता है। कहा जाता है कि पैखाना साफ करो, झाड़ू निकालो। यह सब हमको करना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा करनेको कहते हैं तो आज भंगी पैखाना ही साफ करे, ऐसी बात थोड़ी है। एक भंगी हमेशा पैखाना साफ करनेका काम करे, ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर वह बैरिस्टर बन सकता है तो वह क्यों न बने ? हम ऐसा क्यों कहें कि तुम यही काम करो—उनके दिलकी बात होनी चाहिए। अगर उनसे ऐसा

कहा जाय कि मुसलमान बनके रहो, नहीं तो ठीक नहीं है तो बेचारे हरिजन जायं कहां ? क्या करें ? आपने देखा ही होगा कि जगजीवनरामने एक लंबा बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हरिजनोंको वहांसे आ जाना चाहिए। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके लिए सब सहूलियत पैदा करनी चाहिए। जबतक वे पाकिस्तानमें भी रहते हैं तबतक उनको उनकी खुशीके मुताबिक करने देना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो हमेशाके लिए हिंदू और सिखको चुभनेवाली बात है हिंदुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी बने, तो भी हम एक दूसरेको भूल नहीं सकते। हमको तो एक शराफतसे काम करना है, किसीको रंज पहुंचाना नहीं है, किसीको मजबूर करके मुसलमान भी नहीं बनाना है, किसीकी लड़कीको या औरतको मजबूर करके, छीनकर भाग नहीं जाना है। कल डाक्टर गोपीचंद भार्गव और सरदार स्वर्णसिंहने भी कहा था कि इसको हम बर्दाश्त करनेवाले नहीं हैं। आजकल अगर कोई मुसलमान कहे कि मैं हिंदू बन गया हूं तो उसे मानना नहीं चाहिए, हरिजन कहें कि हम मुसलमान बन गए हैं तो वह मानने लायक चीज नहीं है। डरके मारे ऐसा कह देते हैं; लेकिन उसे मानने लायक चीज नहीं समझना चाहिए; क्योंकि वह बेकानून चीज है।

अभी एक बात और रह गई है—काठियावाड़से दो किस्मकी चीजें आती हैं। एक किस्मकी तो ऐसी आती है कि जो तुमने लिखा था वैसी ही चीज बन गई है। आज भी ऐसा तार आया है। दूसरी किस्मकी कांग्रेसकी चीज है कि नहीं ऐसा नहीं बना है। कांग्रेसवाले ऐसा करते ही नहीं हैं, हिंदूमहासभावाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवाले करते हैं। वे कहते हैं कि मुसलमानोंको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा है। हिंदू-महासभा-वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवाले कहते हैं कि हमने तो किसीका मकान जलाया ही नहीं है। मैं किसकी बात मानूं ? कांग्रेसकी या मुसलमानों-की या हिंदूमहासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघकी ? हमारे मुल्कमें ऐसा हो गया है कि ठीक-ठीक पता लगाना मुश्किल हो गया है। गलती हो गई तो मान लेना चाहिए। हिंदुओंसे गफलत हो गई, हिंदुओंने

कीं तो कह देना चाहिए। इसमें क्या है ? अगर नहीं हुआ है और मुसलमान अतिशयोक्ति करते हैं कि उनका मकान जला दिया गया है, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है, उनकी लड़की भगा ली गई है तो डंका पीटकर संसारको बता देना चाहिए कि बात क्या है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसी तरहसे अगर हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे कुछ नहीं हुआ है तो मैं धन्यवाद देनेवाला हूं। बड़ी अच्छी बात है। सही क्या है वह मैं नहीं जानता हूं। इसे जाननेकी मेरी कोशिश तो चल रही है। मैं वहां जिनको जानता हूं उनको मैंने लिखा है। मुसलमानोंको लिखा है कि क्या हुआ है, उसका हवाला दो, तब तो मैं समझूं कि किस तरहसे काम चल रहा है। इसका आखिर अंजाम क्या आएगा, वह नहीं जानता हूं।

अभी दक्षिण अफ्रीकाकी बात है। आपने देखा होगा कि पंडित विजयालक्ष्मीने क्या कह दिया है। वह कहती है, हम यहां हार तो गए, क्यों ? क्योंकि दो-तिहाई मत नहीं मिले। दो-तिहाई मत मिले तब अमरीकामें काम हो सकता है, लेकिन काफी लोगोंने मदद दी और कहा कि आप जो कहती हैं वह सही है। दूसरी बात यह कि सच तो हमारे साथ है, पीछे हमारी एक प्रकारकी विजय तो हो ही गई है। इसलिए दक्षिण अफ्रीकावालोंको मायूस[1] नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहूंगा। वह विजयालक्ष्मी बहन तो कह नहीं सकती; क्योंकि वह तो यहांसे सरकारकी ओरसे गई थी—आपके पास उपाय नहीं है तो मेरे पास तो है, मैंने तो जनूबी[2] अफ्रीकामें शुरू किया था, तो मैं कहूंगा कि हारना-जीतना क्या है, चाहे दक्षिण अफ्रीकाके अंग्रेज कहें, स्मट्स कहे कि वह वहां हमको नहीं चाहते, जाओ, नहीं तो मारेंगे, खाना-पीना नहीं देंगे जैसे पाकिस्तानमें होता है और यहां भी ऐसा होता है कि हम मुसलमानोंको खाना नहीं देंगे। पाकिस्तानसे हिंदू और सिखको भगा दिया गया, उनसे कहा गया कि नहीं जाओगे तो मारेंगे। जैसे अभी बन्नूमें काफी हिंदू, सिख पड़े हैं, उनका क्या हाल होगा, मुझे पता नहीं है। आज ही मेहरचंद खन्ना आए थे तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह भी पड़े तो हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता

---

[1] निराश; [2] दक्षिण।

कि जिंदा रहेंगे; और अगर जिंदा रहना है तो इस्लाम कबूल करना ही है; लेकिन बन्नूमें तो बहुतसे हिंदू सिख पड़े हैं, वे क्या करें ? जैसे जेलमें रहते हैं वैसे पड़े हैं, बाहर निकल नहीं सकते; भीतर रहते हैं तो खाएं क्या, ऐसी बड़ी आपत्तिमें पड़े हैं। हकूमत क्या करे? वह भी पेचीदगीमें पड़ी है । मैं जो यहां कहता हूं, वैसे ही वहां दक्षिण अफ्रीकामें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब पड़े हैं। उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि हार-जीत तो चलती है । लेकिन सच्ची हार-जीत तो आप ही खानेवाले हैं, नहीं तो आप कहें कि हम इज्जतसे रहेंगे, हटेंगे नहीं। यहांसे सब गए, ऐसी बात नहीं है। हमको बुलाया गया था। जो गिरमिटमें गए थे, फिर वहां हमारे बाल-बच्चे पैदा हो गए। तो यदि वहां किसीको रहनेका हक है—हब्शीको छोड़कर, क्योंकि वह तो उनका देश है—तो सबसे पहले इनका है। बोर लोगोंको भी हमारे-जितना हक नहीं है।

अमरीकामें सब देशके नुमायंदे[1] गए थे। जमा हो गए थे, तो हमारे देशके नुमायंदेको भी जाना था। वह बुरा नहीं, अच्छा किया। वहां तो इन्साफ करने जमा होते हैं, इन्साफ नहीं कर पाते या कर नहीं सकते यह बात दूसरी है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि दक्षिण अफ्रीकामें हम लड़ें, तलवारसे नहीं, बाहुबलसे नहीं, आत्मबलसे। आत्मबल तो छोटी लड़की जो मेरे पास बैठी है उसके पास है, और बैठे हैं उनके पास है, सिपाहियोंके पास है। तलवारको तो कोई छीन सकता है, हथियारको छीन लेगा, हाथको काट डालेगा; लेकिन आत्माको तो कोई छीन नहीं सकता—वह तो सनातन सत्य है, आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा। बिना आत्माके शरीर निकम्मा है। शरीर तो दफन होनेवाला है। मेरी पत्नी मर गई तो उसे मैं रख नहीं सका, जला दिया उसी रोज। दो दिन भी नहीं रख सका। महादेव मर गया, वह तो मेरा सब काम करनेवाला था। तो मैं उसको रख थोड़े सका! जो काम करता था वह चला गया तो उसके शरीरको जला दिया। तो मैं तो यही कहनेवाला हूं कि अगर दक्षिण

---

[1] प्रतिनिधि।

अफ्रीकावालोंमें अपनापन है और मैं मानता हूं कि वह है, अगर हिम्मत-वान हैं तो उन्हें नम्रतासे कहना है कि अमरीकामें दो-तिहाई मत तो नहीं मिले, लेकिन काफ़ी तो मिले। दक्षिण अफ्रीकाके लोगोंसे कहें कि हम नम्रतासे कहते हैं कि आप इतना तो करें कि हमें इज्जतसे रहने दें। हम इज्जतसे रहेंगे। वहां मुहकमोंमें हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आप हमें मदद न करें, लेकिन हमें हवा तो खाने दें, पानी पीने दें, जमीनमें रहने दें, जिस जगह हम रहना चाहते हैं, पैसे देकर रहना चाहते हैं, मुफ्तमें नहीं, हमें आपका मत नहीं चाहिए, मिले तो जैसे अंग्रेजोंको मिलते हैं वैसे मिले, नहीं तो नहीं मिले। उसके लिए हम सत्याग्रह नहीं चलाएंगे; लेकिन हमें अपनी इज्जत रखनी है और हमें पानी चाहिए, रोटी चाहिए और जमीन चाहिए, और हमारे लड़कोंको तालीम चाहिए, इसके लिए पैसे न दें उसे तो समझ सकेंगे। हम इधर घूमते हैं तो लड़कोंको तालीम तो दें। यह हमारा हक है और इन चीजोंके लिए इस तरहसे लड़नेका हमारा हक है। हारनेकी बात तो है नहीं, मरनेकी बात है। करना या मरना इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर दुनियामें हमें इज्जत रखनी है तो करना या मरना है। इसमें कोई बेहालकी बात नहीं है। यह सीधा धर्म है। यह मैं दक्षिण अफ्रीकावालोंको बताता हूं और आपको भी बताता हूं। दूसरा मेरे पास है ही नहीं।

: १६८ :

४ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

काठियावाड़की बात मैंने कल भी की थी। आज मेरे पास सामलदास गांधीका तार आया है। कल श्री ढेबरभाईका तार आया था। दोनों कहते हैं कि मेरे पास बहुत अतिशयोक्तिभरी खबरें आई हैं। वहां औरतें उड़ाई ही नहीं गईं और जहांतक वे जानते हैं, एक भी खून वहां नहीं हुआ। सरदार पटेलके जानेके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके

पहले थोड़ी लूटपाट और दंगा हुआ था। सामलदासको मेरे कहनेकी चोट लगी, लगनी ही चाहिए थी। वह खुद बंबईसे काठियावाड़ चले गए हैं। वहां और तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर देंगे।

इधर अमेरिका, ईरान और लंदनसे मेरे पास तार आते रहे हैं, जिनमें लिखा था कि काठियावाड़में मुसलमानोंपर बड़ा अत्याचार किया गया है। इस तरहका प्रचार करना सच्चे लोगोंका काम नहीं। इस बारेमें ईरानका हिंदुस्तानके साथ क्या ताल्लुक?

सामलदास गांधी कहते हैं कि 'मेरे पास हिंदू-मुसलमानका भेद नहीं।' तो जो मुसलमान भाई मुझे लिखते हैं उनका मैं पूरा-पूरा साथ देना चाहता हूं। मगर शर्त यह है कि वे सचाईकी राहपर हों। वे अतिशयोक्तिभरी खबरें विदेशोंमें भेजें, सारी दुनियामें शोर मचावें, यह मुझे बुरा लगता है। हिंदुस्तानमेंसे भी मेरे पास तार आते हैं, उन्हें तो मैं बरदाश्त कर लेता हूं, लेकिन जब विदेशोंसे तार आते हैं तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत हुआ। उससे मुझे चोट लगती है।

होशंगाबादसे एक मुसलमान भाईका खत आया है। उन्होंने लिखा है कि वहां गुरु नानकके जन्म-दिनपर सिखोंने मुसलमानोंको बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मुझे यह जानकर खुशी हुई। होशंगाबाद वही जगह है, जहां स्टेशनपर एक घटना हो गई थी। होशंगाबादमें गुरु नानकके जन्म-दिनपर सिखोंने जैसा किया, वैसा सब जगह लोग करें, तो आज हमपर जो काला धब्बा लग गया है उसे हम धो सकेंगे।

व्यापारी-मंडलवाली बात आगे चल रही है। मैंने इशारा तो किया था कि मारवाड़ी और यूरोपियन व्यापारी-मंडल रहें, तो मुसलमान-चेंबर क्यों न रहे? एक मारवाड़ी भाईने मुझे लिखा है कि हम हैं तो मारवाड़ी, मगर हमारे चेंबरमें दूसरे भी आ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि आपके चेंबरमें गैर-मारवाड़ी कितने हैं और हिंदू कितने हैं। उनका खत अंग्रेजीमें है, मुझे यह बुरा लगता है। उनकी रिपोर्ट भी अंग्रेजीमें है। क्या मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता हूं? मेरा दावा है कि जितनी मैं अपनी जबान जानता हूं, उतनी अंग्रेजी कभी नहीं जान सकता। मांका दूध पीनेके समयसे

जो जबान सीखी, उससे ज्यादा अंग्रेजी—जिसे १२ बरसकी उमरसे सीखना शुरू किया—मुझे कैसे आ सकती है ? एक हिंदुस्तानीके नाते जब कोई मेरे बारेमें यह सोचता है कि मैं अपनी जबानसे अंग्रेजी ज्यादा जानता हूं, तो मुझे शर्म मालूम होती है।

हम अपने आपको धोखा न दें। यूरोपियन चेंबरवाले भी ऐसा दावा कर सकते हैं कि हमारे चेंबरमें सब लोग आ सकते हैं। मगर इससे काम नहीं चलता। अगर सब कोई आ सकते हैं तो अलग-अलग चेंबर रखनेकी जरूरत क्या ? यूरोपियनोंसे मेरा कहना है कि वे हिंदुस्तानी बनकर रहें, अगर वे हिंदुस्तानी बनकर रहें और हिंदुस्तानके भलेके लिए काम करें तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे बड़े होशियार व्यापारी हैं। उन्होंने अपना सारा व्यापार बंदूकके जोरसे नहीं, बल्कि बुद्धिकी शक्तिसे बढ़ाया है।

बर्माके प्रधान मंत्री मुझसे मिलने आ गए थे। वह बड़े नम्र और सज्जन हैं। उनसे मैंने कहा, आप हमारे यहां आए, यह अच्छी बात है। हमारा मुल्क बड़ा है, हमारी सभ्यता प्राचीन है। मगर आज हम जो कर रहे हैं, उसमें आपके सीखने-जैसा कुछ नहीं है। हमारे देशमें गुरु नानक हुए, उन्होंने सिखाया कि सब दोस्त बनकर रहें, सिख मुसलमानोंको भी अपना दोस्त बनावें और हिंदुओंको भी। हिंदुओं और सिखोंमें तो फर्क ही क्या है ? आज ही मास्टर तारासिंहका बयान निकला है। उन्होंने कहा है, जैसे नाखूनसे मांस अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदू और सिख अलग नहीं किए जा सकते। गुरु नानक खुद कौन थे ? हिंदू ही थे न ? गुरु ग्रंथ साहब वेद, पुराणों वगैराके उपदेशोंसे भरा पड़ा है। बातें तो कुरानमें भी वही हैं। हिंदू-धर्ममें 'वेदके पेट' में सब धर्मोंका सार भरा हुआ है। वर्ना कहना पड़ेगा कि हिंदू-धर्म एक है, सिख-धर्म दूसरा, जैन-धर्म तीसरा और बौद्ध-धर्म चौथा। नामसे सब धर्म अलग-अलग हैं, मगर सबकी जड़ एक है। हिंदू-धर्म एक महासागर है, जैसे सागरमें सब नदियां मिल जाती हैं वैसे हिंदू-धर्ममें सब धर्म समा जाते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान और हिंदू अपनी विरासतको भूल गए मालूम होते हैं। मैं नहीं चाहता कि

बर्मावाले हिंदुस्तानसे भाई-भाईका गला काटना सीखें। आज हम अपनी सभ्यताको नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन बर्मावालोंको हमारे इस काले वर्तमानको भूल जाना चाहिए। उन्हें यही याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानकी ४० करोड़ प्रजाने बिना खून बहाए आजादी हासिल की है। हो सकता है कि अंग्रेज थके हुए थे। मगर उन्होंने कहा है कि 'हिंदुस्तानियोंकी लड़ाई अनोखी थी। उन्होंने हमसे दुश्मनी नहीं की, बंदूकका सामना बंदूकसे नहीं किया। उन्होंने हमें नाराज नहीं किया। ऐसे लोगोंपर क्या हम हमेशा मार्शल ला चलाते रहें ? यह नहीं हो सकता। सो वे हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नहीं उठाया। अहिंसा कमजोरोंका हथियार नहीं, वह बहादुरोंका हथियार है। बहादुरोंके हाथमें ही वह सुशोभित रह सकता है। तो आप हमारे जंगलीपनकी नकल न करें, हमारी खूबियोंका ही अनुकरण करें। आपका धर्म भी आपने हमसे लिया है। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बर्मा और लंका भी आजाद हुए। जो हिंदुस्तान बिना तलवार उठाए आजाद हुआ उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि बिना तलवारके वह उसको कायम भी रख सके। यह मैं इसके बावजूद कह रहा हूं कि हिंदुस्तानके पास सामान्य फौज है, हवाई फौज है, जल-सेना बन रही है, और यह सब बढ़ाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि अगर हिंदुस्तानने अपनी अहिंसक शक्ति नहीं बढ़ाई तो न तो उसने अपने लिए कुछ पाया और न दुनियाके लिए। हिंदुस्तानका फौजीकरण होगा तो वह बरबाद होगा और दुनिया भी बरबाद होगी।

: १६८ :

५ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मुझको यहां जो खत दिए जाते हैं वे लंबे-लंबे मिलें तो उनको मैं पढ़ूं और उत्तर दूं, ऐसा तो नहीं बन सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे जो पत्र आते हैं वे अगर जवाब देने लायक हैं तो

दूं; लेकिन उनको पढ़नेमें समय लगता है। उनको यहां पढ़ तो नहीं सकता हूं, क्योंकि उनमें मेरा समय जाता है और आपका भी। एक खतमें लिखा है कि आप लियाकत अली खां साहबसे मिले और बातचीत की। क्या अब भी पता नहीं चला है कि काठियावाड़में कुछ भी नहीं हुआ? वह भाई अगर यहां हैं तो सुन लें, नहीं हैं तो भी इसके (रेडियोके) मारफत सुन ही लेंगे कि काठियावाड़में कुछ भी नहीं हुआ है। सामलदास गांधीने कहा है कि जैसा बयान आपको मिला है वैसा नहीं हुआ। हां, हुआ है; लेकिन उतना नहीं हुआ है। वह पाकिस्तानके अखबारोंमें आ गया और तार भी छूटा। वह भयानक चीज है, लेकिन भयानक चीज नहीं हुई। आज सामलदासका दूसरा तार आया है। वह लिखते हैं कि मैंने तहकीकात की तब पता चला कि ऐसा हुआ नहीं है और सरदारके आनेके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले जो मुझे खबर दी गई थी उसका कहनेका मतलब यह है कि सरदारने लोगोंको भड़काया तब हुआ, लेकिन उनके जानेके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं तो शक्ल बदल जाती है। तो सामलदास गांधीने कहा कि मैं मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि आप ऐसे तार क्यों भेजते हैं। तो मेरे पास उन्हीं लोगोंने, जिन मुसलमान भाइयोंने शिकायत की थी, तार भेजे हैं कि उसमें गलती थी, उसमें अतिशयोक्ति थी। वे लिखते हैं कि पाकिस्तानके अखबारोंने जो लिखा है वह गलत है। जितना नुकसान हुआ बताया जाता है वह भी गलत है। उसमें यह भी है कि मुसलमान लोग भड़क उठे हैं, सब दहशतमें हैं—यह भी गलत है। तो मुझको अच्छा लगा। क्यों? मैंने तो कह दिया है कि मुसलमान भाइयोंके लिए जितना मुझसे हो सकता है करूंगा। जो गिरे हैं उन्हें हमें लात नहीं मारनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए। यह हमारी इन्सानियत बताता है, हमारी मोहब्बत बताता है; हम सभ्य हैं, शरीफ हैं, यह बताता है। किसीको नीचे गिराना तो मेरेसे कभी हो ही नहीं सकता। मेरा दुश्मन भी हो—मेरा दुश्मन तो कोई है नहीं—तो उसको भी मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हां, लोगोंका जो बड़ा ख्वाब था कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहां सब कुछ हो जायगा। ऐसा क्या होगा? ऐसा थोड़ा है कि जो पाकिस्तानमें रहेंगे वे जिंदा रहेंगे और जो बाहर रहेंगे वे जिंदा नहीं रहेंगे। पाकिस्तान क्या

बचा सकता था ? पाकिस्तानमें तो समुंदर भरा है हिंदू और मुसलमानोंका। क्या वहां जो हिंदू सिख भरे हैं उनको भगाएं ? वे हटना तो चाहते नहीं थे; लेकिन नहीं होने लायक चीज हो गई। वे हटना थोड़े चाहते थे। सिखोंके पाससे मेरे पास खत आया है कि वे वहां जाना चाहते हैं और उनको उनके बिना चैन नहीं। मानो कि लायलपुरके नजदीक किसीकी हजार एकड़ जमीन पड़ी है, वहां उसने खेत बना लिया है, बगीचा बना लिया है, केले पकाता है, गेहूं पकाता है, कपास पकाता है, फल पकाता है तो वह उसको कैसे छोड़ सकता है। जबतक वह वहां लौट नहीं जाता है तबतक उसको चैन मिल ही नहीं सकता। तो वहां तो ऐसा हुआ और यहां क्या हुआ ? सिखोंको गुस्सा आया कि हम तो वहांसे भागकर आए और वे लोग यहां आरामसे रहते हैं तो बदला लें। तो मैंने कहा कि यह इन्सा-नियत नहीं है, हैवानियत है। ऐसा करना नहीं चाहिए। बुरेका बदला अच्छा ही देना चाहिए। बुरेकी नकल नहीं करनी चाहिए। अच्छेकी नकल हो सकती है। यह इन्सानका काम है। तो मुझको अच्छा लगा कि काठिया-वाड़से तार आया। मैं तो मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि एक चीज बन गई है तो उसका आधा बताओ; पाव बताओ, उसका दुगुना, दस गुना क्या करना था, और बाहर क्या भेजना था ! दुनियामें फैलाएं, ऐसा क्या करना था ! पीछे हिंदू, सिख—सिख तो हैं नहीं, हां अभी थोड़े चले गए हैं—बिगड़ जाएं तो दुनिया क्या बचा सकती थी ? हां, वे कहते कि क्या तुमने इसलिए आजादी पाई ? हम उसे छीन लेते हैं। वह सब बन सकता है; लेकिन जो मर जाय वह थोड़े आ सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हम कोई चीज बढ़ाकर न कहें। जो दुःख है वह दुःख तो है ही, उसको कोई बाहरवाला हटानेवाला नहीं है। उसको छोटा करके कहें। दूसरोंका जो भला काम है उसको बढ़ाकर बताएं और बुरेको छोटा करके बताएं तब तो हम दुनियामें काम कर सकते हैं। तो आपको यह खबर देनी थी, दे दी। एक भाईने लिखा था, वह भी आ गया। उसमें और क्या लिखा है, देखूंगा। कहना होगा तो वह खबर कल दे दूंगा।

अभी एक बात और आपको कहनी है। उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है; लेकिन आपके मारफत कह तो दूं। मैंने बृजकिशनजीको कह दिया

है कि मेरेसे जो मिलने आते हैं उनको ६ तारीखसे १३ तारीखतक वक्त न दें। नहीं मिलना चाहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बीमार हूं या शौक करता हूं। वह तो कई महीनेसे बात चल रही है। मैं सेवाग्राम जा नहीं सकता हूं। इसलिए वे लोग सेवाग्रामसे यहां आ रहे हैं। कलसे कस्तूरबा ट्रस्टकी बैठक शुरू होती है, उसके बाद चर्खा-संघ, फिर नई तालीम, पीछे ग्राम-उद्योगसंघकी बैठक होगी। इन दिनोंमें चार बैठक हो जायंगी। अच्छी तरहसे हो सकें तो इसमें वक्त तो जायगा। तो इनको वक्त दूं या मिलनेवालोंको वक्त दूं? तो मैंने कह दिया कि मेहरबानी करके इन दिनोंमें वक्त न मांगें। हां, बादमें मिल सकते हैं। मैं यहां अपना काम नहीं करूंगा ऐसी बात नहीं है। बाहरसे आते हैं तो कितना चाहते हैं; क्योंकि मैं तो सूखा जानवर-सा बन गया हूं। जब घर रहता है तब कहते हैं कि देखनेके लिए तो चले जाएं। बाहरसे आते हैं तो कहते हैं कि सूखा जानवरको तो देख लें, लेकिन समझ लें कि थोड़े दिन घर के भीतर बैठा हुआ है। तो इतना मैंने कह दिया।

अभी एक बात आपको और कह देनी चाहिए। कह तो चुका हूं। बातें भी चल रही हैं कि कपड़ोंपर जो अंकुश है, कंट्रोल है, वह छूट जायगा। खुराकपर है वह भी छूट जायगा—कल छूट जायगा, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन प्रवाह चल गया है तो कहते हैं कि तुमने अच्छा किया। सब जगहसे खत आते हैं कि अंकुश छूट जाय तो अच्छा है। तब मुझे कहना चाहिए कि अंकुश छूट जाता है तब हमारा कुछ फर्ज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब छूट जाता है तो जो इस बारेमें व्यापार करते हैं उनका पहला फर्ज हो जाता है। मैं घनश्यामदासको भी कहूंगा कि आप ज्यादा कपड़े क्यों नहीं पैदा करते? वह कह सकते हैं कि मैं तो एक मजदूरी कर लेता हूं। जो हुकम होता है वे कपड़े हम बनाते हैं, जो दाम होता है वह दाम ले लेते हैं, लेकिन जब अंकुश उठ जाता है तब घनश्यामदास क्या करें, दूसरे मित्र लोग क्या करें? छूट मिल गई तो लोगोंको लूटना है? तब तो मेरी हजामत होनेवाली है। ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं कि यह मैंने हटाया। हकूमतमें मेरे भाई-बंद हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको कहा तो छूट गया, ऐसी बात थोड़ी है। मैंने तो हिंदुस्तानकी खिदमत की है। मैं कितना भी बड़ा होऊं, कितना

भी कहूं; लेकिन अगर हकूमतको नहीं जचती है, लोगोंको, जिनकी हकूमत है, नहीं जचती है तो मैं कितना भी कहूं, उससे क्या? मैं भगवान थोड़े हूं कि जो कहूं वह अच्छा है। मैं तर्क करता हूं, अनुमान करता हूं, तब कहता हूं कि कपड़े और दूसरी चीजोंपर जो अंकुश है वह हट जाय। इसका मतलब यह है कि अगर आज हमारे पास ५ मन अनाज पड़ा है तो कल १० मन होना चाहिए; क्योंकि मैं समझता हूं कि दबाकर बैठ गए हैं। अगर आज किसानके पास नहीं है और तब भी मैं कहूं कि अंकुश हटा लो, लोग भूखे मरेंगे तो क्या? मैं इतना बेवकूफ थोड़े हूं कि कहूं कि लोगोंको भूखे मरने दो! मेरे लिए तो घनश्यामदास बकरीका दूध तैयार करा देते हैं, फल दे देते हैं, भाजी-तरकारी दे देते हैं, मैं थोड़े भूखा मरता हूं। मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि लोग भूखे मरें? मैं तो मान बैठा हूं कि किसानोंके पास अनाज पड़ा है, लेकिन उतना दाम नहीं मिलता है जिससे वे खाना भी खा सकें। मजबूर करके सरकार उनसे जितना लेती है उतना दे देते हैं और कहते हैं कि जब छूट हो जायगी तब बता देंगे कि हमारे पास कितना अनाज है। दूसरे व्यापारी हैं, जब हमारे पास हकूमत नहीं थी तब वे नखरा करते थे और हरएक किस्मका पैसा लोगोंसे ले लेते थे, लेकिन अब वैसे एक कौड़ी भी लेना हराम है। मैं तो समझता हूं कि किसान अनाज निकाल देंगे, उसको अच्छे दामपर बेच देंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। माना कि हमारे पास उतना अनाज नहीं है जितना चाहिए, तो क्या जिसके हाथमें जितना अनाज आए उतना सब खा जाय और पड़ोसी भूखा मरे? अगर हम इतने नालायक बन गए तो उसका इलाज नहीं है। तब भी मैं कहूंगा कि उसका इलाज अंकुश नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी हकूमतको जिसमें आला दर्जेके हमारे लोग हैं, हट जाना है। लोग चालाकी करते हैं, सचपर नहीं रहते हैं, जिन व्यापारियोंको लोगोंके लिए व्यापार करना है वे अपना ही घर भरते हैं, अपने लड़के-लड़कीके लिए व्यापार करते हैं तो हमारी जो सल्तनत है उसे हट जाना चाहिए। हकूमत क्या करे? गोली मारे, मजबूर करे? हमारी ऐसी ताकत है नहीं और ऐसी ताकत हमें चाहिए भी नहीं। पुलिस रखना है तो रखें, लेकिन गोली मारनेके लिए थोड़े रखना है! व्यापार करते हैं उनको मारना है तो किसके लिए मारें? किसानों-

को मारें तो कौन रहेगा ? मैं तो कहूंगा कि ३० वर्षसे तालीम ली वह कहां गई ? इन्सानियत कहां चली गई ? ऐसा चल नहीं सकता। यह तरीका तो जो आजादी मिल गई है उसको खोनेके लिए है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि अंकुश हट जाय। अगर हकूमत कहे कि अंकुश हटा लेंगे तो लोग मर जाएंगे तो मैं कहूंगा कि पंचायत राज नहीं बना, लोगोंका राज नहीं हुआ, रामराज्य तो हुआ ही नहीं। मैं तो उसीके खातिर जिंदा रहना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि जो अंकुशसे बरी हो जाते हैं वे अपनेपर अंकुश रखकर दूसरोंको खुश करें। पीछे हकूमत चलानेमें जो सिविल सर्विसके लोग हैं वे कहें कि यह गांधी कहांसे निकला, यहां क्यों कूद पड़ा, उसको हकूमत चलाने का अनुभव कहां है। बादमें अंकुश लाना और खाना खिलाना मुश्किल हो जायगा। तो मैं कहूंगा कि हां, ठीक है, मैं सिविल सर्विसमें नहीं गया हूं, हकूमत नहीं चलाई है; लेकिन हजारों करोड़ों लोगोंमें मैं घूमा हूं, उनके दिलको जानता हूं, इसलिए मैं समझता हूं। मैं सिविल सर्विसवालोंसे, जो हकूमत चलाते हैं उनके पाससे प्रमाणपत्र मांगूंगा कि वे ऐसा ही कहें, गांधीकी बात सुन ली और नतीजा यह आया कि अबतक हमारेमें जो काला-बाजार चलता था वह मिट गया। जो ताजिर करते हैं वे अपना ही काम नहीं करते हैं—वे लोगोंको साथ रखकर चलें।

पीछे कपड़ेका भी आ जाता है। अनाज निकालना तो एक अलग बात भी है। आप कह सकते हैं कि हमारे यहां अनाज पूरा नहीं है, लेकिन अभीतक किसीने ऐसा नहीं कहा है कि कपास काफी नहीं है। कपास तो यहांतक ज्यादा है कि बाहर जाता है। तो कहोगे कि हमारे पास इतनी मिलें कहां हैं ? मैं कहूंगा कि मिल मेरे घरमें है, आपके घरमें है, यहां जितनी माताएं बैठी हैं उनके घरमें हैं। दो हाथ तो सबके पास हैं। कपड़ा पहनना है तो चर्खा चलावें, नहीं तो नंगे रहें। हां, तो ताजिरको कहोगे कि खबरदार, जितना पैसा चाहो लोगोंसे ले नहीं सकते, और कहोगे कि मिल हम चलाएंगे तो मैं कहूंगा कि वह तो हकूमतके पास है, वह ले सकती है। हमारे पास इतनी मिलें हैं फिर भी उम्मीद है कि कम पड़ेगा तो हमें हाथसे कातना और बुनना तो पड़ेगा। बुनना आसान है। हमारे यहां इतने जुलाहे, बुनकर पड़े हैं कि जितना चाहिए उतना बुन सकते हैं। लेकिन

हमारे यहां शौकीन बड़े हैं, मिलका सूत मिले तो बुन सकते हैं, हाथका सूत नहीं चाहिए। हाथ जब दबावमें आता है कि नहीं बुनेंगे तो नंगा रहना पड़ेगा तब लाचारीसे हाथके सूतको ही बुनेंगे। अगर हाथके सूतको बुनने लगें तो नंगा रहनेकी कोई दरकार नहीं। तो हमारा खूबसूरत मुल्क, जिसमें इतने करोड़ लोग रहते हैं, जो धंधा जानते हैं, जिनको इतना इल्म है कि कपड़ा किस तरह तैयार किया जाता है, नंगा नहीं रह सकता। इस कारण कपड़ेपर अंकुश रखना कि २ गज कपड़ा मिलेगा, ४ गज मिलेगा, ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं लगता। कपड़ेपर अंकुश रखना मेरी निगाहमें अज्ञानताकी सीमा है। आज छूट सके तो आज छूट जाय। हां, अनाजकी बात है तो मैं कहूंगा कि किसान और व्यापारी कहें कि हमें तो लोगोंके लिए पैदा करना है, कोई दगाबाजी नहीं करना है। किसान समझें कि अनाज बोना है तो अपने ही पेटके लिए नहीं, सब लोगोंके लिए। मैं यह भी कहूंगा कि हमारे मुल्कमें आधा सेर पैदा होता है तो हम अपनी जमीनसे एक सेर क्यों न पैदा करें, लेकिन इसके लिए लोगोंको बताना तो चाहिए, उत्तेजन तो दें, हमारे पास जो यंत्र[1] पड़ा है उसे रोक लें और इसमें लगा दें कि क्यों ज्यादा नहीं होता है।

हमारा मुल्क ऐसा है कि भूखे मरने, नंगे रहनेकी कोई दरकार नहीं। हम अपनी अज्ञानतासे नंगे रहते हैं, जितना अनाज चाहिए उतना पैदा नहीं करते, जितना दूध चाहिए उतना दूध पैदा नहीं करते, हमारे यहां इतनी भैंस पड़ी हैं तो भी हमारा यह हाल है! इससे ज्यादा मूर्खता मैं समझ नहीं सकता हूं।

: १७० :

६ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आप लोगोंने लक्ष्मी बहनका भजन सुना, रामधुन भी सुनी।

[1] कंट्रोलमें लगी हुई मशीनरी।

वे तो यहां नई हैं, जलसामें चली जाती हैं। रामधुन तो ऐसी है, भजन भी ऐसी चीज है जिसमें लीन होना पड़ता है। आज आपने समझ लिया कि उनका गाना सुननेके लिए क्यों आतुर रहते हैं—सुर अच्छी रहती है। उन्होंने उसके लिए जब पैगाम भेजा तब मुझको अच्छा लगा।

हां, तो आज १५ मिनटसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। कल २५ मिनट लग गए, वह ज्यादा हो गया। यह मेरे लिए शर्मकी बात है। में नहीं चाहता हूं कि मैं २५ मिनट लूं। १५ मिनट करना है तो मैं १५ मिनट बोलनेका अभ्यास कर लूं। बाकी छूट जाय तो छूट जाय। आज १५ मिनटमें पूरा कर दूंगा।

कल एक भाईने पत्र भेजा था उसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, थोड़ा पढ़ा है। आज दूसरा पत्र आया है। उसको पढ़ नहीं सका हूं। इसके लिए माफी मांग लूंगा। एक ढेर पड़ा है, उसमें कहीं पड़ा होगा। वह खत जिसे पढ़कर आया हूं उसमें लिखा है कि मैं तो भोला-भाला हूं, पीछे दुनिया कैसी चलती है उसको मैं नहीं जानता हूं। उसका उत्तर कैसे दूं, यह भी नहीं जानता हूं। इसलिए धोखा दे सकते हैं। जो धोखा है उसका तात्पर्य भी बताता है। तो वह खबरदार करता है कि मैं सावधानीसे रहूं। वह लिखता है कि देखो, पाकिस्तानमें क्या हो रहा है, हम भी ऐसा ही करें और बदला लें। अगर सावधान रहते हैं तो कुछ होनेवाला नहीं है—हम बदला लें, हमारे मकान वगैरा तो सब गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ऐसा समझकर मुसलमानोंके मकानोंको, थोड़ा या ज्यादा, जलाए तो जिसका मकान जलता है उसके लिए तो उस मकानकी उतनी ही कीमत है जैसे करोड़पतिका मकान जल जाय; क्योंकि उसीमें उसका गुजारा होता है। यह बड़ा मकानवाला है तो ज्यादा खाता है, ऐसा थोड़ा है। जितना आप खाते हैं, मैं खाता हूं उतना करोड़पति खाता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मुसलमानको मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ता है तो उसको भी नुकसान पहुंचता है।

वह पूछते हैं कि हिंदू, सिख पाकिस्तानमें सब छोड़कर यहां चले आए तो वह कब मिलनेवाला है? मुझे कहना है कि हां, यह ठीक शिकायत

है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मैं संतुष्ट होकर बैठनेवाला नहीं हूं जबतक सब हिंदू, सिख--मर गए वह बात दूसरी है--अपने मकानपर जाकर बैठ नहीं जाते हैं। जबतक एक भी हिंदू, सिख ऐसा रह जायगा जिसे उसका मकान वापस नहीं मिला हो तबतक मैं शांतिसे नहीं रह सकता हूं। हां, जो मकान जल गया है उसको कहे कि ऐसा-का-ऐसा बना दो, तो ऐसा तो कोई हकूमत नहीं कर सकती, न आपकी हकूमत ऐसा कर सकती है। हकूमतसे ऐसी आशा करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मांडल टाउनमें हिंदू सिख सब जाकर रहें तो यह काफी है। लाहौरके हिंदू, सिख हैं वे अपने घरपर, जमीनपर जाकर बैठें और कहें कि जो मकान जैसा है दे दो, जो जमीन है वैसे दे दो। इसी तरह सब अपने घर चले जायं और अपने घरमें जाकर रह सकते हैं तो मेरे लिए काफी है। हां, इतना होना चाहिए कि जिन मकानोंपर मुसलमानोंने कब्जा कर लिया है वहांसे उनको हटा दें और जिस हालतमें वह मकान है, दे दें। उनको हवेली बनाकर, दें, ऐसा थोड़ा है। जमीन है, उसे ही लौटा दें, बस इतना काफी है। लेकिन हां, इस यूनियनमें जितने हैं वे सच्चे बनें, अच्छे बनें, शरीफ बनें तो दूसरा नतीजा बन नहीं सकता। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं तो यह भी कहूंगा कि वे जैसा करें, हम भी वैसा ही करें, ऐसा थोड़ा है। वे नाक कटाकर बैठ गए हैं तो क्या हम भी नाक कटाकर बैठ जायं ?

यह भाईका जो खत है उसके जवाबमें मैं कहता हूं जो हमारी गलती हो गई--गलती सब करते हैं, उसमें क्या, लेकिन जब गलतीपर कायम रहते हैं तब हम जो करते हैं उसको शैतानियत मानता हूं, उसीपर हम कायम रहें तो वह इन्सानियत नहीं है। आदमी तो गलतीका पुतला है, वैसे धर्मका भी पुतला है। जिस जगह गलतियां कर लेता है उसको दुरुस्त कर लेता है तो वह धर्मका ही पुतला रह जाता है। तो हम अपने धर्मपर कायम रहें तो पीछे सारी दुनियाको सुनानेकी जरूरत नहीं है।

काठियावाड़के मुसलमानोंको जितना नुकसान हुआ है उसके बारेमें मुझको लिखना पड़ा, और यह ठीक भी है, वहांके हिंदुओंको उनके बारेमें कहना अच्छा है, वहांकी हकूमतको कहना अच्छा है, यहां हमारी जो हकूमत पड़ी है उसको कहना चाहिए। यह हमारा हक है। हमने ऐसे थोड़े माना

है कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहां सब हिंदू-सिखका मकान जला दें, सब वहांसे चले जायं, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन गलती हो गई तो गलतीको दुरुस्त करो। उसमें वक्त लगता है। हमको भी कह सकते हैं कि तुम भी गलतीको दुरुस्त करो। वे कह सकते हैं कि जितने मुसलमान पड़े हैं, जिनको मजबूरन वहां जाना पड़ा है, उनको ले लो। ऐसे ही पाकिस्तानसे यहां जितने हिंदू सिखोंको आना पड़ा है वे वहां चले जायं तो हम दोनों शरीफ बन जाते हैं, पाक बन सकते हैं। नहीं तो पीछे दुनियामें भारी मुंह काला होनेवाला है। हमारा मुंह सब दिन सफेद रहा है। हां, हम गुंडे रहते हैं और गुंडेपनसे आजादी लें तो बात दूसरी है। दुनिया कहती है कि हमने शराफतसे आजादी ली। मैं कहूं तो बात दूसरी है, हिंदू मुसलमान कहें तो बात दूसरी है, बाहरकी दुनिया कहती है हमने जो आजादी ली है, मिल गई है, वह शराफतसे ली है, शराफतसे मिली है। तो शराफतसे उसे हमें रखना भी चाहिए; गुंडेबाजीसे नहीं, गुंडेबाजीसे हम उसे गंवानेवाले हैं। उसी तरहसे हम अपना आचार रखें, बर्ताव रखें तो दुनिया देख ले कि हमने गलती दुरुस्त कर ली। पीछे आप कहें कि दुनिया पाकिस्तानका क्या करती है, देखना है। मैं तो कहूंगा कि दुनिया क्या करेगी, दुनियाको कहनेकी दरकार नहीं। उसे साफ होना ही पड़ेगा। मुझको कहते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें मेरा हाथ था, तो सुनाते हैं कि तुमने करा तो लिया, लेकिन लोगोंके दिलमें है नहीं—पाकिस्तानसे जो हिंदू, सिख आए हैं वे जाना नहीं चाहते। तो मैं थोड़े कहता हूं कि वे मिस्कीन होकर जायं। यह ठीक है कि पाकिस्तानसे जितने हिंदू, सिख आए हैं वे लाचारीसे आए हैं; लेकिन मैं कहता हूं कि लाचारीसे जानेकी जरूरत नहीं, शानसे जायं। पाकिस्तानके मुसलमान कहें कि हम सब मुसलमान ठीक हो गए हैं, आप आइए। ऐसा हम मुसलमानोंसे कहें कि आप मेहरबानी करके आइए, आपका मकान, आपकी जमीन जैसी-की-तैसी पड़ी है, उसपर कब्जा लीजिए। हमारा दीवानापन मिट गया है। हम शराफतसे चलनेवाले हैं तो आज अच्छा हो जाता है। इसमें धोखा देनेकी बात क्या है? मैं तो जानता नहीं हूं कि धोखा कैसा है, किस तरह धोखा दिया जाता है। इसमें दुनियाको धोखा माननेकी बात नहीं है। अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटीने प्रस्ताव पास किया है कि जितने हिंदू, सिख यहां आए हैं उन सबको आदरसे, मोहब्बतसे अपने घरोंपर, जमीनपर जाना है, लायलपुरमें जाना है। जैसे हमारे सिख भाई वहां खेती वगैरह चलाते थे तो उनको तो वहां जाना ही है। ऐसा मेरा ख्वाब है। यही देखनेके लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूं। ईश्वर मेरे ख्वाबको पूरा नहीं करना चाहता है तो मुझे उठा ले। दिल्लीमें मैं रह इसीलिए रहा हूं, दिल्लीमें न कर सकूं तो दूसरी जगह क्या करनेवाला हूं ! हम शरीफ हो जायं तो यह चीज बननेवाली है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। पाकिस्तानवाले भले बन जाते हैं और भलेपनसे कहते हैं कि हमारी गलती हो गई, अब हम शराफतसे पेश आएंगे, आप आइए। इस तरहसे हो जायं तो ठीक बन सकता है। तभी हम अच्छे पड़ोसी बनकर रह सकते हैं।

: १७१ :

७ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मैं आपको बहुत गूढ़ बात कहना चाहता हूं। बात तो हमेशा रहती है; लेकिन यह बहुत नाजुक चीज है। अखबारोंमें तो आ गई है। आप लोगोंने देखा है कि कल लाहौरमें यहांसे चंद हिंदू बहनें चली गई थीं और लाहौरमें चंद मुसलमान बहनें थीं। वे आपसमें मिलीं—इस कारण कि जिन बहनोंको मुसलमान उठा ले गए हैं और जिन बहनोंको हिंदू और सिख उठा ले गए हैं, पूर्वी पंजाबमें, उनका क्या किया जाय ? यहांसे काफी मुसलमान चले गए और हो सकता है कि अभी और जायं। अगर हम हिंदू और सिख समझ जायं कि हम एक भी मुसल-मानको मजबूर करके यहांसे भेजना नहीं चाहते हैं, अपने आप चले जायं, यह बात दूसरी है। लेकिन ऐसा है कि अपने आप कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जायं अपना घरबार छोड़कर? वहां पाकिस्तानमें उनके लिए घरबार तैयार है, ऐसी बात तो है नहीं। इच्छासे वहां जानेका तय कर लिया है

या नौकरीवाले वहां जा रहे हैं तो यह बात दूसरी है। लेकिन ऐसे कम हैं। और, लोगोंको वहां क्या जाना था ! वहां पाकिस्तानमें उनके लिए काम खाली है, ऐसी बात भी नहीं है। पहलेके व्यापारमें यहां उनका कोई हर्ज नहीं होता है तो वे क्यों जायंगे ?

यह तो हुआ, लेकिन औरतोंका क्या ? यह मामला गूढ़ है, पेचीदा है। कोई कहते हैं कि बारह हजार औरतोंको हिंदू और सिख उठा ले गए और उससे दुगुनी पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए। कोई कहते हैं कि यह बहुत कम तादाद है, इससे भी ज्यादा है। मैं तो कहूंगा कि बारह हजारकी तादाद कम नहीं है, एक हजार भी कम नहीं है, एक भी कम नहीं है मेरी निगाहमें। ऐसा क्यों हो कि किसी औरतको कोई उठाए ? कोई हिंदू औरत है या सिख औरत है उसको मुसलमान उठाए और मुसलमान औरत है उसको हिंदू और सिख उठाए, यह तो बड़ा अत्याचार है। कुछ लोग जो कहते हैं कि बारह हजारको उठा ले गए, यह कम-से-कम तादाद बताई जाती है। मैं तो कम-से-कम लेना चाहता हूं। मेरे लिए यह बहुत ज्यादा है। बारह हजार औरतोंको पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए और बारह हजार औरतोंको पूर्वी पंजाबके हिंदू, सिख ले गए। इनको कैसे लाना एक पेचीदा प्रश्न है। इसको हल करनेके लिए वे बहनें चली गई थीं। मुसलमान बहनें हैं, उन लोगोंने भी सोचा। जितनी हिंदू और सिख बहनोंको उड़ा ले गए हैं उनको वापस लाना चाहिए, इसके लिए ये गई थीं। उसी तरह जितनी मुसलमान बहनें हैं उनको भी उनके घर पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वे आकर ले जायं। हमें ही पहुंचा देना चाहिए। उसमें वहांके प्रधान गजनफर अली और वहांके पुलिस अफसर भी थे— नाम तो भूल गया— और दूसरे भी थे जो इसमें काम कर सकते थे। मृदुला बहन, रामेश्वरी बहन चली गई थीं। दोनोंने मुझे अलग-अलग सुनाया कि सबने मिलकर तय किया कि बहनोंको घर वापस पहुंचाना चाहिए। लेकिन बात यह हुई कि यह कैसे हो सकता है ? अगर आज उनको निकालनेके लिए ऐसा करना पड़े कि पुलिस भेजनी पड़े, फौज भेजनी पड़े, उसके साथ बहनें भेजनी पड़ें तो यह काम करनेका कोई तरीका नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है, तो वहां हिंदू, सिख बहनें चली जायं, पुलिस

अफसर चले जायं, शायद पूर्वी पंजाबके अफसर भी चले जायं, उन बहनोंको लानेके लिए, और उन बहनोंको ले आएं। लेकिन दोनोंमेंसे एक भी जगह ऐसा हुआ नहीं है। कह सकते हैं कि वे बहनें आना नहीं चाहतीं तो भी लाना है। उसी तरहसे यहांसे भी वहां पहुंचाना है। कोई कह सकता कि हिंदू और सिख बहन मुसलमान बन गई हैं, उनके साथ निकाह कर लिए हैं। हां, हुआ है; लेकिन वे आनेको तैयार नहीं हैं, यह मैं माननेके लिए तैयार नहीं हूं। मैं इसे गलत बात समझता हूं। उसी तरहसे यहां है। वे बहन खुशीसे रहती हैं, यह माननेके लिए मैं तैयार नहीं।

दूसरी बात भी मैं सुना चुका हूं। हमारा व्यवहार वहशियाना तौरसे चलता है, पूर्वी पंजाबमें, और ऐसे ही पश्चिमी पंजाबमें। उसमें एक ज्यादा हैवान है और दूसरा कम, ऐसा कहोगे? हैवानमें ज्यादा और कम क्या हो सकता है? राजा गजनफर अलीने कहा है कि दोनोंने काला काम किया है। किसने ज्यादा किया और किसने कम, इसे जाननेकी जरूरत नहीं। काफी तादादमें हुआ, किसने पहले की यह तहकीकात करनेकी जरूरत नहीं, इसके निर्णयकी जरूरत नहीं। जरूरत यह है कि जिन बहनोंको जबरदस्ती उठा ले गए हैं, जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, उनको उनके घर पहुंचाना है। तो उनको कैसे लाना? यह काम कैसे हो सकता है? मुझको कहना चाहिए कि यह काम पुलिससे नहीं बन सकता है, फौजसे नहीं बन सकता है। चंद बहनोंको पूर्वी पंजाब भेज दो और चंद बहनोंको पश्चिमी पंजाब—तो यह काम हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह तरीका नहीं है। मैं नहीं कहता कि जान-बूझकर करना नहीं चाहते; लेकिन मैं तजुर्बेकार होनेके नाते कहता हूं कि इस तरहसे काम होता नहीं है। यह काम हकूमतका है। मैं यह नहीं कहता कि औरतोंको उड़ानेका काम हकूमतने कराया—पूर्वी पंजाबका काम हकूमतने थोड़े कराया—पूर्वी पंजाबमें हिंदू और सिखोंने किया और पश्चिमी पंजाबमें मुसलमानोंने किया। इसमें तहकीकात क्या करनी है? वह तो हुआ है। संख्या कितनी ही हो, मैं कम-से-कम बारह हजार मानता हूं। तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब इतनेको तो दे दें।

कुछ ऐसा सवाल उठा है कि उनके घरवाले उनको लेना नहीं चाहते। जंगली मां-बाप या पति होंगे जो कहते हैं कि हम अपनी लड़कीको या बीबीको नहीं लेंगे। उनको तो लेना ही है। उन बहनोंने बुरा काम किया, यह मैं माननेको तैयार नहीं। उनके साथ जबरदस्ती की गई तब हुआ। उनपर काला तिलक लगा देना और कहना कि यह समाजमें रहने लायक नहीं हैं, अधर्म है। मुसलमानोंमें ऐसा नहीं होता है। उसमें, इस्लाममें, तो उदारता है कि वह निकम्मा नहीं बनाता है। यहां निकम्मे बन जाते हैं ऐसा थोड़ा है। निकम्मे बनानेवाले ही निकम्मे बन जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि यह काम हकूमतका है। हकूमतको पता लगाना है कि वे कहां-कहां हैं—दो-चार थोड़े हैं; बारह हजार हैं। उनको निकालना है और घर पहुंचाना है। अगर हम समझें कि पुलिसको भेजें, औरतोंको भेजें उन बहनोंको लानेके लिए, तो यह तरीका नहीं है। इस तरीकेसे वे आनेवाली नहीं हैं। यह पेचीदा सवाल है। इसका मतलब यह है कि लोकमत तैयार नहीं है। बारह हजार औरतें उड़ा ले गए हैं तो कहोगे कि बारह हजार आदमी ले गए होंगे, और वे गुंडे लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि ऐसी बात नहीं है। शरीफ ही गुंडे बन गए हैं। गुंडे तो कोई दुनियामें पैदा होते नहीं। मौका मिलनेपर वे बन जाते हैं और इस तरहसे ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं कहूंगा कि दोनों हकूमत इस काममें पंगु हैं। दोनों हकूमतोंने अपना अधिकार यहांतक नहीं जमाया है कि अधिकारके जरिये उन औरतोंको लावें। अगर इतना अधिकार होता तो पूर्वी पंजाबमें जो हो गया है वह होनेवाला नहीं था, इसी तरहसे पश्चिमी पंजाबमें होनेवाला नहीं था। हमें तो तीन महीने पहले आजादी मिली है। हमारी आजादी तो अभी बच्चा है।

मेरी निगाहमें पाकिस्तानने यह जहर फैला दिया। लेकिन उसको क्या कहूं? कहनेसे क्या बन सकता है? बहनोंको तो बचानेका एक ही तरीका है—वह यह कि हकूमत अब भी समझ जाय, जाग्रत हो जाय, इसको पहले दर्जेका काम बनाकर इसमें सारा वक्त लगा दे और इसके लिए मरनेतकको तैयार हो जाय। तब इन औरतोंको बचाया जा सकता है, नहीं तो कितनी ही बहनोंको पूर्वी पंजाब भेजो व पश्चिमी पंजाब भेजो

इससे वे बचनेवाली नहीं हैं। बचानेका एक ही तरीका है जो मैं कहता हूं। हां, मदद मांगें तो मदद दें, यह बात दूसरी है। इतनी बड़ी बात मैंने सुना दी।

मैंने कल कह दिया था कि मुझे पंद्रह मिनटसे ज्यादा नहीं लेना है। इसलिए इतना ही कहकर खतम कर दूंगा। दो-तीन मिनट रह गई हैं, उन्हें मैं छोड़े देता हूं।

: १७२ :

मौनवार, ८ दिसंबर १९४७

(लिखित संदेश)

एक मुस्लिम सोसायटी मुझे चेतावनी देती है कि मुझे हिंदू या मुसलमानोंकी बातें मानकर दलीलमें नहीं उतरना चाहिए। बेहतर यह होगा कि मैं पहले तहकीकात करूं और बादमें जो करना हो सो करूं। सोसायटी आगे चलकर मुझे सलाह देती है कि मुझे काठियावाड़ जाकर खुद सब कुछ देखना चाहिए। मैं कह चुका हूं कि आज मैं वह नहीं कर सकता। मुझे दिल्लीमें और दिल्लीके आस-पास अपना धर्म-पालन करना चाहिए। यह सलाहकार भूल जाते हैं कि मेरे मिठासके तरीकेसे, जहांतक आवश्यक था वहांतक, उनकी शिकायत वापिस खिंचवा सका हूं। इसमेंसे सीखनेको तो यह है कि जहां सचाईकी खातिर सचाई निकालनेका प्रयत्न रहता है वहां परिणाम अच्छा ही आता है। इस बातको बहुत बार आजमाया जा चुका है। ऐसी बातोंमें धीरजकी और लगकर काम करनेकी बहुत जरूरत रहती है।

सिंधसे दुःखी पत्र आया ही करते हैं। सबसे आखिरका खत कराचीसे है। उसमें लिखा है, "खून तो नहीं हो रहे, पर हिंदू इज्जत व आबरूसे यहां रह नहीं सकते। यूनियनसे आए हुए मुसलमान जब चाहें हिंदुओंके घरोंमें आ घुसते हैं और आरामसे कहते हैं—'हम यहां रहने आए हैं।' उनके हाथमें सत्ता नहीं, पर हम उन्हें 'ना' कहनेकी हिम्मत

नहीं कर सकते। ऐसे किस्से काफी संख्यामें देखनेमें आते हैं। चंद महीने पहिलेका कराची आज स्वप्न-सा हो गया है।" यह एक लंबे खतका सारांश है। मैं जानता हूं कि यह खत विश्वास करनेके लायक है। यह बताता है कि वहां अंधाधुंधी मची हुई है। यह तो आदमीका लहू सुखाकर मारनेकी बात हुई। साथ ही इसमें आत्माका भी हनन होता है। पाकिस्तानवालोंसे मेरा अनुरोध है कि वे इस अंधाधुंधीको रोकें। यह एक बीमारी है। उससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाय उतना ही अच्छा है।

चीनीपरसे अंकुश उठ गया है। अन्नपरसे, दालों और कपड़ेपरसे जल्दी ही उठ जाएगा। अंकुश उठानेका मूल हेतु यह नहीं है कि कीमतें एकदम कम हों। आज तो असल हेतु यह है कि हमारा जीवन स्वाभाविक बने। ऊपरसे लदा हुआ अंकुश हमेशा बुरा होता है। हमारे देशमें वह और भी बुरा है; क्योंकि हमारी करोड़ोंकी आबादी है और वह एक विशाल देशमें फैली हुई है, जो १९०० मील लंबा और १५०० मील चौड़ा है। यहां देशके बटवारेको सामने रखनेकी जरूरत नहीं। हम फौजी कौम नहीं हैं। हम अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं, या यों कहिए कि कर सकते हैं, और हमारी जरूरतके लिए काफी कपास पैदा करते हैं। जब अंकुश उठ जायगा, लोग आजादी महसूस करेंगे, उन्हें गलतियां करनेका अधिकार रहेगा। यह प्रगतिका पुराना तरीका है, आगे बढ़ना, गलतियां करना और उन्हें सुधारते जाना। किसी बच्चेको रुईमें लपेटकर ही रखा जाय तो या तो वह मर जायगा, या बढ़ेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वह तगड़ा आदमी बने तो आपको उसे सिखाना होगा कि वह सब किस्मके मौसमको बर्दाश्त कर सके। इसी तरहसे हकूमत अगर हकूमत कहलानेके लायक है तो उसे लोगोंको सिखाना है कि कमीका सामना कैसे करना। उसे लोगोंको बुरे मौसमका और जीवनकी दूसरी मुसीबतोंका अपनी संयुक्त कोशिशसे सामना करना सिखाना है। बिना अपनी मेहनतके जैसे-तैसे उन्हें जिंदा रखनेमें मदद नहीं करना है।

इस तरहसे देखा जाय तो अंकुश निकालनेका अर्थ यह है कि हकूमतके चंद लोगोंकी जगह करोड़ोंको दूरंदेशी सीखनी है। हकूमतको जनताके प्रति नई जिम्मेदारियां उठानी होंगी, ताकि वह जनताके प्रति

अपना फर्ज पूरा कर सके। गाड़ियों इत्यादिकी व्यवस्था सुधारनी होगी, उपज बढ़ानेके तरीके लोगोंको बताने होंगे। इसके लिए खुराक-विभागको बड़े जमींदारोंके बजाय छोटे-छोटे किसानोंकी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। हुकूमतको एक तरफसे तो सारी जनताका भरोसा करना है, उनके काम-काजपर नजर रखना है और हमेशा छोटे-छोटे किसानोंकी भलाईका ध्यान रखना है। आजतक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, मगर करोड़ोंकी जनतामें बहुमत इन्हीं लोगोंका है। अपनी फसलका उपयोग करनेवाला भी किसान खुद है। फसलका थोड़ा-सा हिस्सा वह बेचता है और उसके जो दाम मिलते हैं उनसे जीवनकी दूसरी जरूरी चीजें खरीदता है। अंकुशका परिणाम यह आया है कि किसानोंको खुले बाजारसे कम दाम मिलते हैं। इसलिए अंकुश उठानेसे किसानोंको जिस हदतक अधिक दाम मिलेंगे उस हदतक खुराककी कीमत बढ़ेगी। खरी-दारको इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतको देखना है कि नई व्यवस्थामें कीमत बढ़नेसे जो नफा होगा वह सब-का-सब किसानकी जेबमें जाय। जनताके पास रोज-रोज या हफ्ते-के-हफ्ते यह चीज स्पष्ट करनी होगी। बड़े-बड़े मिल-मालिकों और बीचके सौदागरोंको हुकूमतके साथ सहयोग करना होगा और हुकूमतके नीचे काम करना होगा।

मैं समझता हूं कि यह आज हो रहा है। इन चंद लोगोंमें और मंडलोंमें पूरा मेल-जोल और सहकार होना चाहिए। आजतक उन्होंने गरीबोंको चूसा है। उनमें आपसमें जो स्पर्धा चलती आई है यह सब दूर करना होगा। खास करके खुराक और कपड़ेके बारेमें इन चीजोंमें नफा कमाना किसीका हेतु नहीं होना चाहिए। अंकुश उठानेसे अगर लोग नफा कमानेमें सफल हो सके तो अंकुश उठानेका हेतु निष्फल हो जायगा। हम आशा रखें कि पूंजीपति इस मौकेपर पूरा सहकार देंगे।

: १७३ :

६ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मैं चर्खा-संघके ट्रस्टियोंकी सभामें गया था। बहनोंके साथ तो आध घंटे बात करना ही था। अगर समय रहा, क्योंकि मैं १५ मिनटमें तो खतम करता हूं, तो उसके बारेमें कहूंगा, नहीं तो कल कहूंगा।

आज एक चीज तो अखबारोंमें यह आ गई है कि सरदार पटेल और मैं पिलानी जा रहे हैं और वह किस कामके लिए ? हवा खानेके लिए। यह बात बिल्कुल निकम्मी है। सरदारके दिलमें क्या है यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि यह हवा खानेका समय नहीं है। सरदार सारा दिन काम करते हैं और रातको आराम करते हैं, वही हवा खाना है। वही हाल मेरा भी है। हां, मेरा काम इतना नहीं है, क्योंकि मेरे हाथमें हकूमत नहीं है। लेकिन मेरे पास लोग आते-जाते हैं इसलिए थकान हो जाती है, तो भी आराम तो करता ही हूं। आजकल हवा तो यहां भी अच्छी है। इस वक्त हवा क्या खाना था ! आजकल तो यहांकी हवा ठंढी है। पिलानीमें है क्या ? मेरा तो ऐसा है कि करना या मरना। यह भी नहीं कर पाया हूं। अखबारवाले इस तरहकी हवाई बातें क्यों छापते हैं, यह मैं नहीं समझ सकता हूं। मैं यही समझूंगा कि अखबारोंमें जो कई बातें आती हैं, वे गलत हैं। पीछे मैंने सुना कि— वह अखबारमें नहीं है—क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं, इसलिए जयपुरसे हुकम निकला है कि इतनी चीनी चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, क्या-क्या चाहिए। पीछे आदमी तो दो रहे, इसलिए इतना चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा हो गया कि वहांके बाजारमें सन्नाटा हो गया। यह सुनी हुई बात है, देखी हुई नहीं। यह कितनी बुरी चीज है कि जो चीज होनेवाली नहीं, वह भी हो गई। हम ऐसे हैं कि बाजारपर भी असर हो गया। बाजारमें ऐसा हो गया कि इतना दूध चाहिए, इतना सेर चीनी चाहिए, जैसे हम खानेके लिए ही जिंदा रहते हैं या हमारे साथ इतना बड़ा रिसाला जाता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सरदार

मिस्कीन है, मैं भी मिस्कीन हूं। यह है कि वह आलीशान मकानमें रहते हैं, आलीशान मकानमें तो मैं भी पड़ा हूं। नहीं तो कहां ढूंढू। तो इस तरहसे है। आलीशान मकानमें रहते हुए भी मिस्कीनकी तरह अच्छा है। बड़ा अच्छा तो यही है—मैं कबूल करूंगा—कि वह मिट्टीके झोंपड़ेमें रहें और मैं भी मिट्टीके झोंपड़ेमें रहूं। कुछ भी हो, मैं तो यही बात बताना चाहता हूं कि इस तरहसे गप्प उड़ती है। मैं तो यहीं पड़ा हूं तो पूछ लेना चाहिए था कि क्यों भाई, तुम पिलानी जाओगे? हमारे पास तार आ गया है और वह भी एसोशियेटेड प्रेसका—उसकी तो एेजेंसी यहां है, सो मुझको और चुभा। सरदार तो ज्यादा काममें रहता है। उसको नहीं मुझको तो पूछ सकते थे कि क्या कहीं जानेवाले हो?

दूसरी बात यह है कि एक सिंधी भाईका पत्र आ गया है। उसने तो अपना नाम दिया है; लेकिन मैं उसका नाम देना नहीं चाहता हूं। उनकी तरफसे कोई मनाही नहीं है। सिंधके एक डाक्टरकी बात तो मैंने बताई ही थी। नाम नहीं दिया था। उन्होंने बताया था कि वहां हरिजनोंको कितनी तकलीफ है। वह पकड़ लिए गए। इसी कारण पकड़ लिए गए या दूसरे कारण, यह मैं नहीं जानता हूं। कई आदमी जो हरिजनोंकी सेवा करते हैं वे पकड़ लिए गए हैं। ऐसा सिलसिला आज सिंधमें चलता है। हां, इतना है कि खून नहीं होता है, लेकिन जैसा मैंने कल बताया, वह खूनसे बदतर है; क्योंकि खून तो एकका हुआ, वह खतम हुआ, पीछे सब समझ जाएंगे कि इतना हुआ। लोगोंको परेशान कर मारना, यह तो बदतर बात है। एक आदमीको पकड़ लिया और छोड़ दिया, मुमकिन है दूसरोंको भी छोड़ दें। लेकिन तो भी इस तरह लोगोंको पकड़ना बुरी बात है। मैं पाकिस्तानकी हकूमतपर इल्जाम नहीं लगाता हूं; लेकिन मैं पाकिस्तानको सावधान करता हूं कि अगर वे इस तरह करते हैं कि कोई हरिजनोंकी सहायता करता है, इसलिए गिरफ़्तार कर लें तो सिंधमें कार्यकर्ता कैसे रहेंगे? हरिजन लोग कैसे रह सकते हैं? हां, यह चीज पहले अंग्रेजोंके जमानेमें तो चलती थी। क्या हम भी ऐसा करेंगे?

अभी चंद मिनट बाकी हैं तो चंद मिनटमें वहांकी एक बात सुना

दूं—वह औरतोंकी बात है। कस्तूरबा स्मारकका सिलसिला है, वह तो इस कारण है न कि हमारे यहां सात लाख देहात हैं, वहां बच्चे और बहनें पड़ी हैं, उनकी जाग्रति करना, उनकी सेवा करना कस्तूरबा स्मारकका काम है। लेकिन यहां तो एक बड़ा मामला हो रहा है कि एक तरफसे हिंदू और सिख औरतोंको, लड़कियोंको मुसलमान भगा ले गए हैं और दूसरी तरफसे हिंदू और सिख मुसलमान लड़कियोंको भगा ले गए हैं। यह बात छोड़ दो कि कौन ज्यादा भगा ले गए और कौन कम। कुछ भी हो, एक-एक हकूमतमें बारह-बारह हजारसे ज्यादा लड़कियोंको भगा ले गए हैं। इसमें कस्तूरबा स्मारक क्या करे? मेरे हाथमें है तो जो होना चाहिए वह तो करूंगा ही। लेकिन यह एक बात साफ है कि कोई नामके लिए तो कर नहीं सकते हैं। जो सेवक हैं तो उन्हें काम करना है—काम किया, खतम हुआ, भूल गए— अखबारमें आए चाहे न आए, इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरहसे दूसरा काम भी है—यह काम भी औरतोंका ही है। दूसरे भी मदद करेंगे। एक बात यह भी है कि औरतोंके लिए क्या-क्या किया जाय वह तो बताओ। वह थोड़ा-सा मैं यहां बता देना चाहता हूं। इसमें जितनी सेविकाएं हैं, वे शहरोंसे हैं—बहुत-सी सेविकाएं देहातोंसे नहीं मिलीं, दैवयोगसे मिलीं तो बहुत कम मिलीं और जो देहातोंसे मिली हैं वे भी शहरोंसे ताल्लुक रखती हैं। शहरोंसे ताल्लुक रखना बुरा है, गंदा है, ऐसा नहीं है; लेकिन ऐसा सिलसिला बन गया है—१५० वर्षोंसे भी अधिक समयसे—कि शहर है वह देहातियोंसे पैसे लेनेके लिए है, देहातोंसे कच्चा माल ले, देश-विदेशोंमें व्यापार करे और करोड़ों रुपये कमाये। लेकिन करोड़ों रुपया देहातियोंको नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज्यादा रुपया करोड़पतियों, धनिकों तथा मालिकोंको मिलेगा। शहर देहातियोंको चूसनेके लिए है। इसलिए शहरकी जो सभ्यता है वह देहातोंके ढांचेमें नहीं है। एक बहन शहरकी है तो उसे किस दृष्टिसे देहातको जाना है, तो मैंने तो बता दिया है कि उसे शहरोंकी आबहवा व सभ्यता लेकर नहीं जाना चाहिए। माना कि उसके पास पैसे पड़े हैं, शौककी चीजें पड़ी हैं, मोटर पड़ी है, रंग-रागकी चीजें हैं, मखमल है, ऐसी कीमती चीजें पड़ी हैं। दांत साफ करनेका—बाहरसे या यहांका हो—मंजन पड़ा है तो ले लें,

टूथ ब्रुश ले लें, और अच्छे, खूबसूरत लगते हैं वैसे बूट ले लें, जूतियां ले लें, चप्पल ले लें—ये सब चीजें पड़ी हैं, इनको लेकर देहात जायं तब देहातकी सेवा कैसे कर सकती हैं? यह देहातके लिए आदर्श है, ऐसा हुआ तो ये चीजें देहातको खा जायंगी। होना तो ऐसा चाहिए कि शहर है वह देहातके मारफत समृद्ध बननेके लिए है, पैसे भेजनेके लिए है, देहातकी सभ्यताको जितना बढ़ा सके उतना बढ़ानेके लिए है, लेकिन वैसे हुआ तो उल्टा हो जायगा। अभी मैंने सब बातें तो बताई नहीं हैं; लेकिन इतना तो कह दूं कि जिन बहनोंको सच्ची सेवा करना है, चूसना नहीं है, तो उनको विवेकशक्ति रखनी होगी और विवेककी दृष्टि रखकर जो चीजें देहातोंमें जा सकती हैं वहां ले जायं। जो सुधार करना है वह भी देहातों-के ढांचेमें करें। तब तो हमारे सात लाख देहात, जो गिरी हुई हालतमें हैं, ऊपर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देहातोंमें जंगली पड़े हैं, वहां कला नहीं है, वहांके जीवनमें कुछ भी अच्छापन नहीं है। देहाती जीवनमें तो बहुत कुछ खूबसूरती भरी है, ऐसा मेरा मत है। यहां बहुत कला भरी है, यहां अनेक प्रकारके उद्योग पड़े हैं, जो सारी दुनिया जानती है। यहांके ही उद्योग पश्चिममें नमूना बनकर गए। तो मैं आज इतना ही बता देना चाहता हूं कि जिन बहनोंको वहां सेवा करनी है उनको समझना चाहिए कि शहरों-की चीज शहरोंमें ही छोड़ दें। शहरकी जो उत्तम चीज है, नीति-वर्धक है, उसे ही ले जायं, बाकी शहरमें ही रख जायं। तभी करोड़ों बहन और बच्चोंको ऊपर ले जानेमें मदद दे सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं।

: १७४ :

१० दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल तो मैंने आपको कह दिया था कि मैं चर्खा-संघकी सभा-में गया था और औरतोंसे थोड़ी बात कर ली थी, पर आज भी वहां तालीमी संघकी बैठकमें जाना पड़ा, लेकिन शायद आज यह बात

छोड़ दूंगा। आज मुझे चर्खा-संघकी बात करनी चाहिए। चर्खासंघ क्या चीज है, आप जानते ही हैं। वह तो खद्दरका काम करता है और चर्खासे (चर्खीसे) शुरू होता है, माने यह कि पहले कपासका बिनौला निकालना पड़ता है, पीछे धुनाई करनी होती है, पीछे पूनियां बनानी पड़ती हैं, फिर कातना, फिर बुनाईकी बात आती है। मैं उस सबमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो इतना बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानमें करोड़ों लोग पड़े हैं। अगर वे यह काम करें—यह आसान काम है, बुढ़िया औरत भी कर सकती है, ६, ७ वर्षका बच्चा भी कर सकता है, हम चर्खा-संघमें ऐसे बच्चोंको भी सिखाते हैं—तो कपड़ेका खर्च करीब-करीब बच जाता है। अगर देहातोंमें कपड़े बन जाते हैं तो मुफ्त-सा हो जाता है—मेहनत की और हो गया। अगर देहातमें कपास बो ली तो करीब-करीब सब खर्च बच गया, दुगुना पैसा बच गया—एक तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और दूसरा कुछ उद्योग करते हैं, कला भी भूलते नहीं, और आगे बढ़ते हैं। इस कारण, मैं तो कहूंगा कि अगर हम पागल नहीं बनते हैं तो कपड़ेका घाटा तो हमारे यहां होना ही नहीं चाहिए। कोई भी मिल न रहे तब भी घाटा नहीं होना चाहिए। आज तो हम मिलका मुंह ताकते हैं, मिलका ही कपड़ा अपनाते हैं। आज हम चर्खेको, खद्दर-गाढ़ेको अपनाना भूल गए हैं। आज कोई खद्दरकी टोपी पहन लेता है, क्योंकि कुछ अभ्यास हो गया है, उसको साथ लेकर आजादीकी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वह चीज हमारे जीवनमें जिंदा नहीं है। यह हमारे लिए दुःखकी बात है। इतने वर्षोंसे चर्खा-संघने काम किया और लोगोंको करोड़ों रुपये दिए, लेकिन फिर भी हम ऐसे-के-ऐसे रह गए हैं, तो इसके लिए सोचना चाहिए। कल सोचते थे तो बताया गया कि चर्खाके मारफत क्या काम होता है, वह क्या बताता है। चर्खा अहिंसा बतानेवाली चीज है। अगर सब लोग चर्खामय बन जाते हैं और सब देहात सचमुच समृद्ध बन जायं तो आज जो हालत देखते हैं, करुणा-मय है, वह बननेवाली नहीं थी। वहां बहस चलती थी। वहां बताया गया कि किस तरह चर्खेके मार्फत—खादीके मार्फत—कपड़ेका घाटा आरामसे पूरा कर सकते हैं, करोड़ों रुपए देहातोंमें दाखिल कर सकते हैं। नगद नहीं, लेकिन करोड़ों रुपये जो मिलके कपड़े खरीदनेमें खर्च करते हैं, वह

बच जाते हैं। लोग कह सकते हैं कि खादी तैयार करनेमें भी तो कपास-का दाम पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि कपासका दाम तो कम पड़ेगा। आज यहां जिस तरहसे कपास निकलता है उसे लगा दो तो उसमें करीब-करीब ऐसा बन जाता है। लेकिन यह हिसाब सच्चा नहीं है। इसलिए नहीं है कि कपड़ोंका दाम मिलमें जो होना चाहिए उससे कममें दिया जाता है। सल्तनतकी मदद नहीं हो तो दाम तो बहुत बढ़ जाय, लेकिन उसको सब मदद सरकारसे मिलती है। मिलके लिए सब सुविधा पैदा की जाती है। हम राज चलाते हैं, उसमें धनपति हैं, उनकी तो चलती है और जो हलपति हैं उनकी नहीं चलती है। यह एक बड़े दुःखकी बात है। धनपतिसे मेरा द्वेष तो है नहीं, क्योंकि मैं एक धनपतिके घर पड़ा हूं। धनपतिका जो रवैया रहा है उसे जानता हूं। धनपति मिल चलाते हैं, तो मैं थोड़े हिस्से लेता हूं, या काम करता हूं! कर भी नहीं सकता और हिस्सा भी नहीं लेना है। हां, उनके मार्फत चर्खाका काम निकाल लूं तो अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाया हूं। ये सब सुविधाएं धनपतियोंने सरकारके मार्फत पैदा कर ली हैं। अगर वे कहते हैं कि गरीबोंके लिए हैं तो वैसा तो अंगरेज भी कहते थे। लेकिन सच बात यह है कि गरीबोंका काम नहीं होता है। इस हकीकतको दीनतासे कबूल कर लेना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो बुरी बात है। कह तो सभी देंगे कि हां, गरीबोंका काम होना चाहिए, लेकिन हमारे जितने मंत्री हैं वे कहें कि हम तो देहातोंमें जाकर कहने वाले हैं। अगर समाजवादी हैं, और मेरी चले तो यही आवाज निकलवा लूंगा कि सब समाजवादी बन जायं। अगर समाजवादी सच्चे हैं, लोगों-की सच्ची सेवा करते हैं—मजदूरोंकी ही नहीं, हलपतियोंकी भी, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, और, हमलोगोंको ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनसे यही कहलाऊंगा कि हमको तो यही सिखाना है कि तुम कपड़ा खादीका ही पहनो। तुम घरमें खद्दर बना लो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब यह है कि वे क्या कर रहे हैं, यह मैं लोगोंको बता दूंगा। जबसे मैं आया हूं तबसे मैं यही कह रहा हूं, तो भी मुझसे कुछ हुआ नहीं है। मुझसे यही हुआ कि कई करोड़ रुपये देहातोंको दे दिए, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि हरएक देहातके घरोंमें चर्खा गुंजन करे और गाढ़ेके सिवा दूसरा दीखे ही नहीं।

ऐसा बना सकूं तो जो दीनता है वह रहनेवाली कहां है ! ऐसा अभीतक हो नहीं सका, यह बहुत दुःखकी बात है।

आजकल यहां सब ठीक चल रहा है, गोलमाल नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमानोंके बारेमें एक तरहसे सुनता हूं कि ऐसे व्याख्यान भी चलते हैं—अभी नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा-पूरा नाम अभी नहीं आया है—कि यहां चंद मुसलमान पड़े हैं उनको रहने नहीं देंगे। जो मस्जिदें रह गई हैं उनपर कब्जा करेंगे और उनमें हिंदू रहेंगे। फिर क्या करेंगे, दैव जानता है, मैं नहीं जानता हूं। मैं समझता हूं कि अगर उनमें हिंदू रहेंगे तो उससे हिंदू-धर्म मिट जाता है। यह दिल्लीकी बात है।

अभी अजमेरकी बात भी आ गई। अजमेरमें भी ऐसा हो रहा है। वहां तो मैं कई बार गया हूं। वहां मुसलमान पड़े हैं, हिंदू पड़े हैं। वहां तो बड़ी भारी दरगाह है। उस दरगाहमें हिंदू भी जाते हैं और हिंदू जाकर मानता भी करते हैं। इसी तरहसे मुसलमान भी जाते हैं। तो सब एक ही बन गए हैं, ऐसा चलता है। धर्मसे नहीं, कर्मसे। हिंदू और मुसलमानके बीच वहां कभी झगड़ा नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। होता था; लेकिन आज ज्यादा हो गया है। ऐसा थोड़ा-सा अखबारमें आया है, उससे जानता हूं वहां काफी मुसलमान मारे गए। पहले तो वे डरे, डरके मारे भागे। पीछे थोड़े रह गए। फिर झगड़ा हो गया। सुनता हूं कि इर्द-गिर्दके देहातोंमें यही हो रहा है। पूरी खबर मिल जायगी तो सही-सही बता दूंगा। इतना तो कहूंगा कि यह शर्मनाक बात है। हम अभी इतना तो करें कि ईश्वरसे प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सुबुद्धि दे कि हम ऐसे न बिगड़ जायं कि हम हिंदू-धर्मका भी नाश करें। मुसलमानोंका नाश करनेके बहाने हिंदू-धर्मका भी नाश करें, यह तो कुछ अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें सबको जिंदा रखना है, तभी हम भी रह सकते हैं। ईश्वरने ऐसा नहीं बताया है कि एकको मारकर दूसरेको जिंदा रखें। पाकिस्तानमें सब हिंदू और सिखोंको मार डालें और हिंदुस्तानमें मुसलमानोंको मार डालें और जो बाकी रहें उनको गुलाम बनाकर रखें, यह हो नहीं सकता। तो मैं कहूंगा कि हम विनाशका काम कर रहे हैं। जैसे संस्कृतमें है, 'विनाश-काले विपरीतबुद्धिः,' ऐसी हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है। मारो, काटो,

निकाल दो मुसलमानोंको, यह पागलपनकी बात है। बहुत-सी बातें ऐसी हो गई हैं, लेकिन सब नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कर लिया है कि घड़ी निकालकर रखता हूं, जिससे १५ मिनटसे ज्यादा न बोलूं।

: १७५ :

११ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

पहले तो जिस भाईने बड़ी नम्रतासे पूछा था तो कहा कि कुरानशरीफमेंसे यहां जो आयतें पढ़ी जाती हैं, उसके माने अगर समझा दिए जायं तो अच्छा हो, माने पुराने हों या नए। नया तो कोई हो नहीं सकता। कुरानशरीफ तो मुहम्मदसाहबने उतारा। उनकी जबान है, ऐसा कहते हैं। इसे १३०० वर्ष हो गए, इतना पुरातन है। उसमेंका जो हिस्सा हम पढ़ते हैं वह बड़ा बुलंद माना जाता है। जैसे हमारे मंत्रमें है, वह विभूति मानी जाती है, उसे पढ़नेमें ही पुण्य मिल जाता है, वैसे ही यह भी जानो। अर्थ जाने चाहे न जाने, शुद्ध उच्चारणसे ही उसका पुण्य मिल जाता है। मैं उसका अर्थ, निचोड़ दे सकता हूं, क्योंकि मैं अरबी या फारसी तो जानता नहीं हूं। मेरे पास शब्दार्थ है। अभी तो नहीं है, कल दे दूंगा। उसका अर्थ यह है कि हम ईश्वरकी प्रार्थना करते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उसे चाहे किसी नामसे पुकारो। उसका नाम अल्ला भी है। वह कैसा है, उसके विशेषण दिए हैं। वह रहीम है, रहमान है, दयावान है, दयाका भंडार है। उसमें यही आता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है। उसमें यह भी है कि तू ही हमें शैतानसे बचा सकता है, शैतान तो हमको नीचे गिराता है, शैतान पाप-कर्म कराता है तो तू ही उस बलासे बचा सकता है। उसमें एक आदमीने इकरार किया है कि वह पुरुषार्थका काम नहीं करता है, दैव कराता है, ईश्वर कराता है। पीछे कहता है कि हे ईश्वर, तू ही शैतानसे बचा सकता है। हम छोटे इन्सान तो समुंदरमें एक बिंदुके समान हैं। तू नहीं बचाएगा तो शैतान हमको खा जायगा।

तू महान् है, तू सब कुछ है, तेरी मेहरबानी रहे तो हम बच सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि हम उसका जितना उच्चारण करें, उसका मनन करें और उसके मुताबिक चलें, कम है। इसीसे दुनिया चलती है। तब आप कहेंगे कि फिर मुसलमान ऐसा मिथ्या आचरण क्यों करते हैं? उसका जवाब यही हो सकता है कि क्रिस्टी आला बन गए हैं, शास्त्रज्ञ बन गए हैं; लेकिन बाइबिल-के मुताबिक चलते कहां हैं? उसके मुताबिक चलनेवाले क्रिस्टी कहां हैं? हिंदू गायत्री मंत्रके मुताबिक कहां चलते हैं? वह कितना बड़ा मंत्र है। हम सदा पढ़ते हैं—"ईशावास्यमिदं सर्वम्" उसके माने यह हैं कि सारा जगत ईश्वरसे भरा है। सब चीज वही देता है। तो आदमी कहता है कि हमारे पास सारा जो कुछ है वह तेरा है। वह हम सब त्याग देते हैं और जो हमें भोगना चाहिए भोगते हैं। हमारी कोई चीज नहीं है, घरबार सब ईश्वरके अर्पण कर दिया। यह तो बड़ी चीज है। पीछे ऐसा है कि दूसरेका धन है, दूसरेकी दौलत है, उससे द्वेष न करें। उसकी इच्छा तक न करें। उसमें यह सब चीज है। एक ही मंत्रके मुताबिक सब हिंदू चलें, सारा संसार चले, हिंदूके लिए ही थोड़े है, हिंदूका नाम भी नहीं है—सिख चलें, सिख नहीं मानते हैं, ऐसा थोड़ा है। तो हम आज दुनियामें जो करुणामय दृश्य देखते हैं वह थोड़े होनेवाला था। तो कहोगे कि उसके मुताबिक नहीं चले तो कैसे यह दुनिया चलती है? तो मैं कहूं कि सब-के-सब बदमाश हैं, ऐसे थोड़ा है। सब हिंदू फरिश्ता थोड़े हैं। सब सिख बदमाश हैं, ऐसा थोड़े है। सब हिंदू देवरूप हैं और सब मुसलमान फरिश्ता हैं, ऐसा भी नहीं है।

दूसरा मंत्र पारसियोंका है। पहला मंत्र जो होता है वह गुरुदेवको नमस्कार है। पीछे संस्कृतमें है वह है। पीछे भजन गाते हैं वह है। इतना होते हुए भी मनको साफ नहीं करते हैं, यह दुःखकी बात है।

अब हरिजन-बस्तीमें जो चल रहा है, उसकी एक चीज समझा दूं, लेकिन आज मैं उसको छोड़ देता हूं, क्योंकि दूसरा काम करना है। सात मिनट हो गए और १५ मिनटमें खतम करना है।

आज मेरे पास कुछ मुसलमान भाई आए। पहले भी आए थे, आज दुबारा आए। उन लोगोंने मुझसे कहा कि अभी हम पाकिस्तान,

पंजाबमें गए थे। यही काम करनेके लिए युक्तप्रांतके मुसलमान वहां गए थे। पीछे वहां दूसरे मिले। उनके दिलमें हुआ कि वहां सुलह करा सकेंगे तो यहां सुभीता हो जाएगा और पीछे कोई बात नहीं रहेगी। मुझको पूछकर गए थे। तो मैंने कह दिया था कि जाओ। सच्चे दिलसे जाते हो तो अच्छा है। तो आज वहांसे आए। मेरे पास आए और कहा कि हम तुम्हारे पाससे एक चीज चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि हिंदुओंको कहो, सिखोंको कहो—पहले हिंदूको कहो कि वे लाहौर जायं और हम उनके साथ जाएंगे। पहले हम मरेंगे, फिर कोई दूसरा मर सकता है। पर ऐसा तो होगा नहीं। हमने वहांकी हकूमतके साथ बात कर ली है। वह गैर-मुसलमानोंको बसानेके लिए राजी है। तो मैंने कहा कि यह सब लिखकर तो दो। आज-के-आज तो ऐसा होता नहीं है। यह बड़ी बात है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। पीछे उन लोगोंने कहा कि करो तो सही, हम जो कहते हैं उसकी जितनी परीक्षा करते हो करो। तो उन लोगोंने लिखकर दिया। उसमें लिखा है—

"युक्तप्रांतके शांति-दलने दो मर्तबा पश्चिमी पंजाबका दौरा किया। पहली मर्तबा एक महीना और दूसरी मर्तबा एक हफ़्ता घूमा। अब वहांकी हालत पहलेसे अच्छी है। पहलेके मुकाबले अवाम[1] और हकूमत दोनों अमनके लिए कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे पश्चिम पंजाबकी सरकार ख्वाहिशमंद[2] है कि जो गैर-मुस्लिम वहां इस वक्त रहते हैं तो रहें और जो वहांसे चले गए हैं वे वापस आएं, सरकारने यह हिदायत जारी की है कि जो गैर-मुस्लिम पश्चिम पंजाब वापस जाएंगे उनको उनकी मिल्कियत और जायदादपर कब्जा दिया जायगा और जो गैर-मुस्लिम भाई आएंगे और रहेंगे उनकी पूरी हिफाजत की जायगी और उनको कारोबारकी हर तरहसे सहूलियत दी जायगी। अगर बावजूद[3] मिन्नत[4]-के कोई गैर-मुस्लिम वहां रहने या वापस जानेका ख्वाहिशमंद न हो तो उसको अपनी जायदादको बदलने या फरोख्त[5] करनेका पूरा हक है। बलवा-फसाद करनेवालोंको हकूमत सख्त सजा दे रही है और आनेवालोंकी

[1] जनता; [2] इच्छुक; [3] तिसपर भी; [4] प्रार्थना; [5] बेचना।

हिफाजतके लिए हर तरहकी तदबीर एहतियात[1] बरत रही है। शांतिदलने वहांके अवाम और सरकारको इस बातके लिए आमादा और तैयार कर लिया है कि पाकिस्तानकी हकूमतका यह फर्ज है कि गैर-मुस्लिमकी इज्जत-आबरूकी पूरी जिम्मेवरी ले। चुनांचे सरकार और अवाम दोनों इसके लिए तैयार हैं। युक्तप्रांतीय शांति-मिशनके सदस्य गैर-मुस्लिम भाइयोंसे गुजारिश करते हैं कि जो भाई पश्चिमी पंजाबमें बसना चाहते हैं हम उनके साथ चलकर उनको वहां बसानेके लिए तैयार हैं। हम अपनी जानसे ज्यादा उनकी जिम्मेवरी लेते हैं और उनको पूरा इतमीनान कराके हम वापस आएंगे।"

चार मुस्लिम भाइयोंने इसमें दस्तखत किए हैं। इसे मैं अच्छी खबर मानता हूं अगर यह सही है। ये शरीफ आदमी हैं, तो मैंने कहा कि लिखकर दे दो तो काम करूं, मैं सारी दुनियाको बताऊंगा। और अगर ऐसी बात नहीं होगी तो बुरी बात है। पीछे मैंने कहा कि माडल टाउनसे काफी हिंदू, सिख आए हैं, लाहौरमें भी हिंदुओंकी बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, सिखोंकी भी इमारतें हैं, उनका वहां गुरुद्वारा भी है, क्या वहां जा सकते हैं? उन लोगोंने कहा कि जरूर जा सकते हैं। वहां सब अवाम ठीक हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जहर तो भरा ही है, वह जल्दी नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन हकूमतने तय कर लिया है कि वहां किसीको हलाक नहीं किया जाय।

अगर सचमुच ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी चीज है। मेरी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी काम हो जायगा। कितना सही है, वह मैं नहीं जानता हूं; लेकिन हम कम-से-कम दिलमें समझें तो सही कि ऐसा करनेवाले मुसलमान भी पड़े हैं। ऐसा समझें कि सब मुसलमान बदमाश हैं तो वह इन्सानियत नहीं है। उनमें भी शरीफ पड़े हैं। पीछे उनके साथ एक हिंदू आया। वह भी खत लाया। अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसे पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसमें भी यही चीज है। वह वहां होटल, विश्रामगृह चलाता है। वहां करीब एक हजार आदमी हमेशा आते हैं। मुसलमान ज्यादा आते होंगे; लेकिन कुछ हिंदू भी आते होंगे। उनके आनेमें कोई रुकावट

---

[1] सावधानी।

नहीं होती है। उस खतमें उन्होंने लिखा है और कहते हैं कि हिंदू भाइयोंको वहां जानेमें कोई रुकावट नहीं है। इतना मैं आजके तजुर्बेसे कहता हूं। लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं कि कल चले जाओ। मैं ऐसा भी नहीं कहनेवाला हूं कि न जाओ, जाओ तो अच्छा है।

: १७६ :

१२ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाईने खत लिखा है। उसमें लिखा है कि मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान जाना शुरू करें। मैंने तो कहा था कि मैं उस बातकी जांच करूंगा, निश्चय हो जायगा तो कहूंगा। मैं देख लूं कि जिन भाइयोंने कहा है वह ठीक है या नहीं। तब कहूंगा कि जाओ या नहीं जाओ। तो वह भाई कहता है कि मैं अभी जाना चाहता हूं, क्योंकि यहां लूटमार चल रही है, आते हैं तो कोई पूछता नहीं है, तन ढाकनेको कपड़ा और खानेको अनाज नहीं मिलता, हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। हां, मैं जानता हूं कि ऐसा है। ऐसा हो गया है कि सबको पूछ नहीं सकते, सब चीज पहुंचनेवाली भी नहीं है। मेरा खयाल है कि जितनी तजवीज हो सकती है, कर रहे हैं। लेकिन अगर तजवीज नहीं है तो भी मैं कह नहीं सकता कि आज जाओ। नहीं आए थे तो बात दूसरी थी, लेकिन जब आ गए हैं तब ठीक-ठीक हो जाय तब जायं। मैं अभी खुद यह कहनेको तैयार नहीं हूं कि आप अभी जायं। हां, तैयारीमें रहें तो अच्छा है। जितनी जल्दी जाने लायक हो सकें उतना अच्छा है।

मैंने कल कहा था कि कुरानशरीफकी जो आयत पढ़ी जाती है उसका तर्जुमा सुना दूंगा। उसका सार तो बता दिया था। मेरे पास आज तर्जुमा पड़ा है। उसमें यह है कि मैं अल्लाहकी शरण लेता हूं, वह भी शैतान पापात्मासे बचनेके लिए। पीछे कहा है कि मैं शुरू करता हूं ईश्वरके नामसे ही। मैं जो कुछ भी करता हूं उसीके लिए, क्योंकि सब कुछ

बख्शनेवाला[1] वही है। जो रहीम है, रहमान है, दयालु है वह सब वही है। पीछे कहा है कि अल्लाह एक है, वह जन्म नहीं लेता और जन्म नहीं देता है। जन्म नहीं देता है, यह गलत है, गलत तर्जुमा हुआ है। सबको जन्म देने-वाला तो वह ही है। उसकी बराबरीका कोई नहीं है—वह तो अकेला है। इसीलिए हम कहते हैं कि वह निरंजन है, निराकार है। गुणका भी आगार है—गुणकी थाहको बता नहीं सकते। ऐसी चीज उसमें है।

आज मेरे पास चार-पांच खत आ चुके हैं। एक तो काठियावाड़से है। मैंने कहा था कि काठियावाड़से मुसलमान भाइयोंने लिखा, लेकिन चंद मुसलमानोंको वह भी चुभा है। क्यों, मैं जानता नहीं हूं; क्योंकि जिन लोगोंने शिकायत की थी वे खुद लिखते हैं कि कुछ हुआ नहीं है और जो हुआ भी तो उसे मिटानेके लिए कांग्रेसियोंने पूरा जोर लगाया, इस-लिए हम आरामसे घरमें हैं।

एक खत ब्रह्म देशसे आया है और दूसरा शायद बंबईसे। उनमें किसीके दस्तखत तो हैं नहीं, तो जवाब किसको दूं? बंबईसे लिखते हैं कि तुम्हें कुछ करना तो है नहीं। वह कहते हैं कि आप गोलमाल करते हैं। मैं यहां गोलमाल करता हूं या क्या करता हूं, वह तो जो सुनते हैं वे जानते हैं, और मैं जानता हूं। जो भाई खतमें नाम नहीं देते हैं तो किसको कहूं? वह कहते हैं कि काठियावाड़में हुआ है, तो पीछे उस खतमें अपना नाम-धाम तो देना चाहिए, तब मैं तहकीकात करूं। तहकीकात करना मेरे हाथ-में तो है नहीं। हकूमतको कहूंगा कि तहकीकात करो। यह कैसी बात है कि आप बैठे हैं और लोग शिकायत करते हैं।

एक खत अजमेरके बारेमें भी है। वह हिंदुओंका खत है। उसमें लिखा है कि जो तुमने कहा वैसा नहीं हुआ है। हुआ है सही; लेकिन हिंदुओं-की तरफसे शुरू नहीं हुआ, मुसलमानोंकी तरफसे शुरू हुआ। ऐसे तो चलता ही आया है। तो मुझको ऐसा लगा कि ऐसे कहनेवाला पक्ष भी है। ईश्वर ही जानता है कि क्या सही है। मेरे पास तो वहांसे कोई चीज आई नहीं है। अखबारमें जो चीज आई उसको पढ़कर मैंने बताया। कुछ दूसरोंने भी

---

[1] देनेवाला।

कहा कि वहां क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर हम ऐसा करते रहें तो यहांकी हकूमतको कायम नहीं रख सकेंगे।

पीछे एक भाई लिखते हैं कि सोमनाथके मंदिरके जीर्णोद्धारके लिए पैसे निकालने हैं। सरदारने कहा कि इस मंदिरका जीर्णोद्धार किया जाय, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जूनागढ़की तिजोरी या यहांकी हकूमतकी तिजोरीसे पैसा नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं कि यह ठीक है; लेकिन वह कहते हैं कि क्यों न निकले, मैं इसके बारेमें ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना तो कहूंगा कि अगर इसके वास्ते पैसे निकलें तो सबके लिए निकलें। तो यह बड़ी बात हो जायगी।

कलकत्तेमें जो हुल्लड़ हो गया उसकी काफी चीजें अखबारोंमें आ गई हैं। उस परसे लगा कि आज हमारे यहां एक वायुमंडल पैदा हो गया है कि किसी-न-किसी तरहसे हम हुल्लड़से ले सकते हैं। यह खतरनाक बात है। मैंने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं। ३० वर्षतक अंग्रेजोंसे लड़ाई चली; लेकिन यह ठंडी ताकतकी लड़ाई थी। किसीसे मारपीट करनेकी लड़ाई नहीं थी—किसीके पाससे जबरन[1] छीननेकी नहीं थी। बंगालमें जो हकूमत है वह हमारी है, उसमें कांग्रेसके आदमी हैं। उनके साथ ऐसा क्या करना था! मानो कि गलती की, मैं तो जानता नहीं हूं कि क्या गलती की, लेकिन मानो कि की है, तो जबरदस्ती क्या करनी थी! हम वहशियाना तौरसे क्यों पेश आएं? अखबारोंमें जब ऐसी चीज आती है और मैं उसे पढ़ता हूं कि इस तरहसे हुआ तो मैं आपके सामने निचोड़ रखता हूं। वहांके हुल्लड़में विद्यार्थीगण भी हैं। वे अच्छे लिखे-पढ़े हैं, तो उनका यह मार्ग तो हो नहीं सकता है कि असेंबलीमें उसके जो सदस्य जाना चाहते हैं उनको रोकें और हर एक जगहसे सब दरवाजे रोक दें, इतना ही नहीं, भीतर भी चले जायं। लेकिन उन लोगोंने ऐसा किया। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस तरहसे हम हकूमत चलानेवाले नहीं हैं। इस तरहसे मजबूर करना है कि जो हम नहीं चाहते हैं, उसको कानून न बनाओ। बंगालकी हकूमतने जो कानून बनाया है उसमें यही है कि जो तूफान वगैरा करते

---

[1] जबरदस्ती।

हैं, उनको रोका जाय। मानो कि यह भद्दा कानून है, तो जब हमारी हकूमत है तब उसका बाकानून इलाज कर सकते हैं, तूफान नहीं कर सकते हैं। तूफान क्या करना था ! हम अंग्रेजोंके विरुद्ध भी ऐसा नहीं करते थे और जब कोई ऐसा करता था तब मैं डांटता था । हम शरीफ-जैसे काम करते थे—मैं तो उपवास भी कर लेता था।

आज जो हमारी हकूमत है उसके सामने बहुतसे काम पड़े हैं। इस कामके लिए सब काम रोकना, पीछे सिपाही जाते हैं, डंडा चलाते हैं तो उसकी शिकायत करना, गोली चलाते हैं तो उसकी शिकायत करना, अश्रुगैस चलाते हैं तो उसकी शिकायत करना—दोनों चीजें हो नहीं सकतीं। आजादीका यह अर्थ हो नहीं सकता कि तूफान करें और अगर उनपर डंडा चलाया जाय तो शिकायत करें। तो क्या हकूमत ऐसे लोगोंको सजा भी न दे? इसलिए इसकी शिकायत करना ठीक नहीं। हां, बाकानून करो और जितना कर सको करो । लोगोंको समझाओ, अखबारोंमें लिखो, वहांकी पार्लमेंटमें शिकायत करो, वहां न हो तो यहांकी मरकजी[1] हकूमतको कहो। हमारे पास ऐसे सब सामान हैं। उसे निकम्मा नहीं कह सकते। तीन महीनोंमें उसे क्या कह सकते हैं ? हम तीन महीनेके बालक हैं, तीन महीनेकी आजादी है। इसलिए हम संपूर्ण हो गए, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिए जो गोलमाल कर रहे हैं उनसे नम्रतासे कहूंगा कि वे ऐसा न करें।

गोलमाल करनेवालोंमें गुंडे पड़े हैं, ऐसा नहीं है, या अनपढ़ पड़े हैं, ऐसा नहीं है। उसमें पढ़े-लिखे हैं। वे अगर ऐसा करें तो सब काम रुक जायगा। जो काम हम करना चाहते हैं वह रुक जायगा। लोगोंको खुराक पहुंचाना है, लोगोंको हर तरहकी मदद देनी है यह सब काम रुक जायगा। सब काम रोक देना क्या हमारा पेशा बन गया है ? ऐसा होना नहीं चाहिए। ईश्वरका शुक्र है कि कलकत्तेके जितने आदमी हैं उन सबने यह काम नहीं किया, लेकिन अगर सब-के-सब भी करें तो भी यह शराफतकी चीज हो नहीं सकती। मुझको लगा कि ऐसी चीज रोकी जानी चाहिए तो

---

[1] केंद्रीय।

मैंने कह दिया। लोगोंको समझना चाहिए कि हकूमत हमारी है। अगर हकूमतसे इमदाद नहीं मिलती है तो कानूनके मुताबिक लड़ना चाहिए।

: १७७ :

१३ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

जब मैं हरिजन-निवास जाता था तब वहांकी बातोंके बारेमें रोज थोड़ा-थोड़ा आपको बताना चाहता था। पर मैं ऐसा कर न सका। आज आपको फिरसे चरखेकी बात सुनाना चाहता हूं। वहांपर यह संवाद चला था—चरखेका क्या महत्व है? मैं क्यों उसपर इतना जोर देता हूं?

जब मैंने पहले-पहल चरखेकी बात शुरू की थी तब मुझे यह पता नहीं था कि पंजाबमें चरखेका काफी प्रचार था। लेकिन जब मैं गया, तो वहांकी बहनोंने मेरे सामने सूतके ढेर लगा दिए थे। बादमें पता चला कि गुजरात-काठियावाड़में भी एकाध जगह चरखा चलता था। गायकवाड़की रियासतोंमें बीजापुर नामक एक गांव है। वहां गंगा बहन भटकती हुई जा पहुंची थीं। इन्हें पता था कि मैं चरखेके पीछे दीवाना हूं। वहां परदेवाली चंद राजपूत औरतें चरखा चलाती थीं। गंगा बहनने उन्हें पूनी देकर उनसे सूत खरीदना शुरू किया। उस समय बहुत कम दाम दिए जाते थे। बादमें तो हमने काफी प्रगति कर ली। उस समय हमें इतनी ही कल्पना थी कि खादीके जरिये हम बहनोंका पेट भर सकेंगे। उनका पेट कहां बड़ा होता है? दो पैसेकी जगह तीन पैसे मिल गए कि वे खुश हो जाती थीं।

बादमें मैंने समझ लिया कि चरखेमें तो बड़ी ताकत भरी है। वह ताकत अहिंसाकी ताकत है। एक तरफ तो हिंसाकी, मिलिटरीकी ताकत और दूसरी तरफ़ बहनोंके पवित्र हाथोंसे चरखा चलानेसे पैदा

होनेवाली अहिंसाकी जबरदस्त ताकत ! इसीलिए मैंने चरखेको अहिंसाका प्रतीक कहा है। अगर सब लोग इस चीजको समझते तो चरखेको जला न देते।

एक समय सारी दुनियामें चरखा चलता था। कपासका जितना कपड़ा बनता था सब हाथका बनता था। हिंदुस्तानमें ढाकाकी मलमल और शबनम सब जगह प्रसिद्ध हो गई थीं। सबकी आंखें उनपर लग गई थीं। कपासमेंसे इतना खूबसूरत कपड़ा पैदा हो सकता है, इसपर सबको ताज्जुब होता था। उस रोचक इतिहासको मैं छोड़ देता हूँ। मगर उस वक्त चरखा गुलामीका प्रतीक था। बहनोंको मजबूर किया जाता था कि इतना सूत तो देना ही होगा और अपने मालिकोंसे वे यह नहीं कह सकती थीं कि इतने कम दामपर हम सूत नहीं कातेंगी। तंगीसे पेट भर जाय, इतना दाम भी तो उन्हें नहीं मिलता था। औरतोंको लूटा जाता था। उस करुण इतिहासको भी मैं छोड़ देता हूं। मगर जो चरखा गुलामीका प्रतीक था, वही आजादीका प्रतीक बना, हिंसाके जोरसे नहीं, बल्कि अहिंसाके जोरसे। अली भाई चरखेकी कुकड़ीको अहिंसक बम कहा करते थे। अपने हाथोंसे सूत कातना, कपड़ा रुपया बचाना और चरखेमेंसे ताकत पैदा करना—यही चरखेका बनाना, रहस्य है।

१९१७ में चरखा शुरू हुआ। १९१७ में मेरा पंजाबका दौरा हुआ। आजादी तो हमने ले ली, पर जो आंधी और तूफान आज देशमें चल रहा है, उसका क्या ? हमने चरखा चलाया, पर उसे अपनाया नहीं। बहनोंने मुझपर मेहरबानी करके चरखा चलाया। मुझे वह मेहरबानी नहीं चाहिए। अगर वे समझ लेतीं कि उसमें क्या ताकत भरी है तो आज जो हालत है वह होनेवाली नहीं थी। अगर हमें अहिंसक शक्ति बढ़ानी है, तो फिरसे चरखेको अपनाना होगा और उसका पूरा अर्थ समझना होगा। तब तो हम तिरंगे झंडेका गीत गा सकेंगे। आज हमारे तिरंगे झंडेमें चरखेका चक्र ही रह गया है। उसमें दूसरा अर्थ भी भर दिया गया है। वह अच्छा है। मगर पहले जब तिरंगा झंडा बना था, तब उसका अर्थ यही था कि हिंदुस्तानकी सब जातियां मिल-जुलकर काम करें और चरखेके द्वारा

अहिंसक शक्तिका संगठन करें। आज भी उस चरखेमें अपार शक्ति भरी है। अंग्रेज चले गए हैं, मगर हमारा लश्करका खर्च बढ़ गया है, यह शर्मकी बात है। इतने साल अहिंसासे काम लिया, अब हमारी आंखें लश्करपर लगी हैं। क्योंकि हम चरखेको भूल गए हैं, इसीलिए हम आपसमें लड़ते हैं। अगर सब भाई-बहन दुबारा चरखेकी सच्ची ताकतको समझकर उसे अपनावें तो बहुत काम बन जाय। जब मैं पंजाब गया था, तब वहांके सिख और मुसलमान भाइयोंने मुझसे कहा था— 'चरखा चलाना तो औरतोंका काम है। मर्दोंके हाथमें तो तलवार रहती है।' बादमें कुछ पुरुषोंने चरखा चलाया था, मगर उसे अपनाया नहीं। आज अगर सब भाई-बहन चरखेको जला दें, खादीको फेंक दें, तो मुझे उसकी परवा नहीं। लेकिन अगर उसे रखना है तो समझ-बूझकर रखें। अहिंसा बहादुरीकी पराकाष्ठा, आखिरी सीमा है। अगर हमें यह बहादुरी बताना हो, तो समझ-बूझसे, बुद्धिसे चरखेको अपनाना होगा। ४० करोड़की आबादीमेंसे छोटे बच्चोंको छोड़ दीजिए, फिर भी, अगर ५–७ बरससे ऊपरके बच्चे और बड़ी उमरके सब तंदुरुस्त लोग कातें, तो हिंदुस्तानमें कपड़ेकी कमी कभी नहीं हो सकती और करोड़ों रुपये बच जाते हैं। मगर वह सब भूल जाइए। सबसे बड़ी चीज यह है कि करोड़ोंके एक साथ काम करनेसे जो शक्ति पैदा होती है उसका सामना कोई शस्त्र-बल नहीं कर सकता। मैं यह सिद्ध न कर सकूं तो दोष मेरा है, अहिंसाका नहीं। मेरी तपश्चर्या अधूरी है, अहिंसाकी शक्तिमें कभी कमी नहीं आ सकती। उस शक्तिका प्रदर्शन चरखे द्वारा हो सकता है, क्योंकि चरखा करोड़ोंके हाथोंमें रखा जा सकता है और उससे किसीको नुकसान नहीं हो सकता। करोड़ों आदमी मिल नहीं चला सकते, दूसरा कोई धंधा नहीं कर सकते। चरखेमें नीतिशास्त्र भरा है, अर्थशास्त्र भरा है और अहिंसा भरी है।

: १७८ :

१४ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मुझे एक खत मिला है। उसमें एक भाई लिखते हैं कि 'एक मुसलमान भाईको मजबूर होकर पाकिस्तान जाना पड़ा है। वह अपनी मेहनतकी कमाईका कुछ सोना-चांदी मेरे पास छोड़ गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह सोना-चांदी असली मालिकके पास कैसे भेजा जाय ?' अगर वह लिख भेजें तो मैं हकूमतसे कहूंगा कि वह मालिकके पास उसकी मिल्कियत भेजनेका इंतजाम कर दे। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि हम जान लें कि हममें अब भी ऐसे शरीफ़ आदमी पड़े हैं। इस भाईके दिलमें ख्याल भी नहीं आया कि चलो, दोस्त तो गया, उसका माल हड़प कर जायं। उसे अमानतको लौटानेकी फिक्र है। अगर हम सब भले बन जायं तो सब अच्छा ही होनेवाला है।

मैंने आपसे वायदा किया था कि हरिजन-निवासमें जब मैं जाता था तब वहां जो चर्चा होती थी, उसके बारेमें आपको थोड़ा-सा बता दूंगा। आज मैं आपको नई तालीमके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं। नई तालीमको शुरू हुए आठ साल हुए हैं। इस संस्थाका उद्देश्य राष्ट्रको नए आधारपर शिक्षा देना है। उसके लिए यह कोई लंबा समय नहीं है। बुनियादी तालीमका आमतौरपर यह अर्थ किया जाता है कि दस्तकारीके जरिये शिक्षा देना। मगर यह कुछ अंशतक ही ठीक है। नई तालीमकी जड़ इससे गहरी जाती है। उसका आधार है सत्य और अहिंसा। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, दोनोंमें ये ही उसके आधार हैं। विद्या वह जो मुक्ति दिलानेवाली हो—'सा विद्या या विमुक्तये'। झूठ और हिंसा तो बंधनकारक हैं। उनका शिक्षामें कोई स्थान नहीं हो सकता। कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि बच्चोंको असत्य और हिंसाकी शिक्षा दो। सच्ची शिक्षा हर एकको सुलभ होनी चाहिए। वह चंद लाख शहरियोंके लिए ही नहीं, मगर करोड़ों देहातियोंके लिए उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा कोरी पोथियोंसे थोड़े मिल सकती है! उसका

फिरकेवाराना मजहबसे भी कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वह तो धर्मके उन विश्वव्यापी सिद्धांतोंकी शिक्षा देती है, जिनमेंसे सब संप्रदायोंके धर्म निकले हैं। यह शिक्षा तो जीवनकी किताबमेंसे मिलती है। उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता और उसे ताकतके जोरसे कोई छीन नहीं सकता। आप पूछ सकते हैं कि बुनियादी तालीमका काम करनेवाले भाई क्या ऐसे सत्य और अहिंसामय बन चुके हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं यह थोड़े ही बता सकता हूं कि किसके दिलमें क्या है। हिंदुस्तानी तालीमी संघके अध्यक्ष डॉ० जाकिरहुसैन हैं। श्री-आर्यनायकम् और आशादेवी उसके मंत्री हैं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे सत्य और अहिंसामें विश्वास नहीं रखते। अगर उनका सत्य और अहिंसामें विश्वास न हो तो उनका तालीमी संघसे हट जाना ही मुनासिब होगा। नई तालीमके शिक्षक सत्य और अहिंसाको पूरी तरह माननेवाले हों, तभी वे सफलता पा सकेंगे। तब वे कठोर-से-कठोर व्यक्तियोंको चुंबकके मानिंद खींच सकेंगे। उनमें वे सब गुण होने चाहिएं, जो स्थित-प्रज्ञके बताए गए हैं, और जो आप रोज प्रार्थनाके संस्कृत श्लोकोंमें सुनते हैं। तालीमी संधको कांग्रेसने जन्म दिया, मगर अभी वह कांग्रेस-जैसा कहां बना है ? कांग्रेसमेंसे मैं निकल गया, सरदार भी निकल जायं, जवाहरलाल भी चले जायं, जितने वहां आज काम करते हैं, वे सब मर जायं, तो भी कांग्रेस थोड़े ही मरनेवाली है ? वह तो जिंदा ही रहनेवाली है। मगर तालीमी संघके बारेमें आज ऐसा नहीं कह सकते। उसे ऐसा बनना है। हर संस्थाको ऐसा बनना चाहिए कि व्यक्ति निकल जायं, तो भी उसका काम बंद न हो, बल्कि बराबर बढ़ता और फैलता जाय।

: १७६ :

मौनवार, १५ दिसंबर १९४७

(लिखित संदेश)

भाइयो और बहनो,

अखबारोंमें पढ़कर मुझे दुःख हुआ कि शरणार्थियोंने ६ म्यूनिस्पल स्कूलोंके मकानोंपर कब्जा कर लिया है और दिल्ली म्यूनिस्पल कमेटीकी पूरी कोशिशोंके बावजूद उन्हें खाली नहीं किया। कमेटी इन मकानोंको खाली करवानेके लिए पुलिसकी मदद लेने जा रही है ।

यह रिपोर्ट विश्वासके लायक लगती है । यह किस्सा शर्मनाक अंधाधुंधीका एक नमूना है । यूनियनकी राजधानीमें ऐसी चीजें हरएकके लिए शर्मका कारण हैं । मैं आशा करता हूं कि कब्जा करनेवाले अपनी बेवकूफीके लिए पछताएंगे और अपने आप स्कूलोंके मकान खाली कर देंगे । अगर ऐसा न हुआ तो आशा है, उनके दोस्त उनको समझा सकेंगे और सरकारको अपनी धमकीपर अमल नहीं करना पड़ेगा। शरणार्थियोंके सामने यह आम शिकायत है कि इतना दुःख सहन करनेके बाद भी वे समझदार, गंभीर और मेहनती कार्यकर्ता नहीं बने । हम सब आशा करते हैं कि आम तौरपर सब शरणार्थी और खास तौरपर यह स्कूलोंका कब्जा लेनेवाले भाई प्रायश्चित्त करके इस शिकायतको गलत साबित कर देंगे ।

शनिवारको मैंने कलकत्तेकी दंगा-खोरीका जिक्र किया था। वहां शरारत करनेवाले शरणार्थी नहीं थे । उसकी भूमिका भी अलग थी। सब नेताओंका, चाहे वे किसी भी खयालों या पार्टीके क्यों न हों, यह फर्ज है कि वे हिंदुस्तानकी इज्जतकी दिलोजानसे रक्षा करें । अगर हिंदुस्तानमें अंधाधुंधी और रिश्वतखोरीका राज चले तो हिंदुस्तानकी इज्जत बच नहीं सकती । मैंने रिश्वतखोरीका यहां जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि अराजकता और रिश्वतखोरी दोनों एक ही कुटुंबके हैं । कई विश्वासपात्र जरियोंसे मुझे पता लगा है कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है । तो क्या हरएक अपना ही खयाल करेगा और हिंदुस्तानकी भलाई कोई नहीं सोचेगा ?

एक भाई लिखते हैं: "मैंने अभी आपकी कलकी प्रार्थनाका भाषण

रेडियोपर सुना। उसमें आपने कहा है कि यू० पी० के कुछ मुसलमान भाइयोंने जो लाहौर जाकर आए हैं, पाकिस्तानकी हकूमतकी तरफसे आपको विश्वास दिलाया है कि गैर-मुस्लिम, खास करके हिंदू, वहां जाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदुओंको ही बुलाना और सिखोंको नहीं, यह चालाकी है, और सिखों और हिंदुओंमें फूट डलवानेकी चाल है। इस तरहके आश्वासन धोखाबाजी है, मजाक है। शायद आप-जैसे ही ऐसे मुसलमानोंकी बातोंमें आ सकते हैं। मैं आपको ११ दिसंबरके 'हिंदुस्तान टाइम्स'की एक कतरन भेजता हूं। उससे आपको पाकिस्तान सरकारकी सचाई और साफदिलीका पता चल जायगा। यह पढ़कर भी क्या आप यह मानते हैं कि जो मुसलमान आपके पास आते हैं वे ईमानदार हैं? वे सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार अल्पमतवालोंके प्रति न्याय करती है और पाकिस्तानमें सब ठीक-ठाक चल रहा है, अगरचे वाकयात[१] इससे उल्टे हैं। अगर वे मुसलमान दुबारा आपके पास आवें तो कृपा करके उन्हें यह कतरन दिखाइएगा। मैं विश्वास रखता हूं कि आप भूले नहीं होंगे कि २० नवंबरको जो हिंदू और सिख अपनी कीमती चीजें बैंकसे निकलवाने लाहौर गए थे, उनका क्या हाल हुआ था। हिंदुस्तानी मिलिटरीपर, जिसकी रक्षामें ये लोग गए थे, मुसलमानोंने हमला किया। पाकिस्तानी अफसरोंके सामने यह वाकया बना। मगर उन्होंने दंगाखोरोंको रोकनेकी कोई कोशिश नहीं की।" कतरनमें लिखा है :

"लाहौर 'सिविल और मिलिट्री गजट' अखबारमें हालहीमें एक रिपोर्ट छपी थी कि गैर-मुस्लिम व्यापारी और दुकानदार 'जो दंगेके दिनोंमें भाग गए थे, धीरे-धीरे महीनोंका बंद पड़ा अपना कारोबार फिरसे चलानेकी आशासे वापिस आ रहे हैं। मगर उनकी दुकानें वगैरा वापिस करनेसे पहले उनसे ऐसी नामुमकिन शर्तोंपर दस्तखत कराए जाते हैं कि कई निराश होकर वापिस चले गए हैं। फिर बसानेवाला कमिश्नर इन शर्तोंपर दुकानें खोल देता है :

[१] घटनाएं।

१—बिक्रीका पूरा हिसाब रखा जाय ।

२—बिना इजाजत मालिक कुछ भी माल या रुपया दूसरी जगह न ले जाय ।

३—अपनी दुकानका चालू धंधा रखनेका वचन दे ।

४—बिक्रीसे जितनी कमाई हो रोज-की-रोज बैंकमें जमा की जाय, बिना इजाजत उसमेंसे कुछ भी निकाला न जाय ।

५—दुकानदार कायमी तौरपर लाहौरमें ही रहेंगे ।

मुसलमानोंपर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो हिंदुओंपर क्यों ? हिंदू कहते हैं कि इन शर्तोंका वे पालन न कर सकेंगे । सो निराश होकर वापिस जाते हैं ।"

तो निराशाकी बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं । यह खबर सही हो तो भी जरूरी नहीं कि उन मुसलमान भाइयोंने मुझे जो कहा वह सर्वथा रद्द हो जाता है । उन्हें न सिर्फ अपना नाम रखना है, मगर यूनियनमें, जिनके वे नुमायंदे हैं, उनका और पाकिस्तानका, जिन्होंने उन्हें वह सब आश्वासन दिया उनका नाम भी उन्हें रखना है । मैं यह भी कह दूं कि वे भाई मुझे मिलते रहते हैं । आज भी आए थे । मगर मेरा मौन था और मैं अपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, इसलिए उनसे मिल न सका । उन्होंने मुझे संदेशा भेजा है कि वे निकम्मे नहीं बैठे हैं । इस मिशन-का काम कर रहे हैं । पत्र लिखनेवाले भाईको मेरी सलाह है कि जरूरतसे ज्यादा शक न करें और बहुत ज्यादा नाजुक बदन न बनें । विश्वास रखनेसे वे कुछ खोनेवाले नहीं हैं । अविश्वास आदमीको खा जाता है । वे संभलकर चलें । मेरी तरफसे तो इतना ही है कि मैंने जो किया है उसका मुझे अफसोस नहीं । मैंने तो सारी जिंदगी खुली आंखोंसे विश्वास किया है । मैं इन मुसलमान भाइयोंका भी विश्वास करूंगा जबतक कि यह साबित नहीं हो जाता कि वे झूठे हैं । विश्वासमेंसे विश्वास निकलता है । उससे दगाबाजी-का सामना करनेकी ताकत मिलती है । अगर दोनों तरफ लोगोंको अपने घरोंको वापिस जाना है तो उसका रास्ता यही है जो मैंने अख्तयार किया है और जिसपर मैं चल रहा हूं । पत्र लिखनेवाले भाईकी शंका कि यह निमंत्रण हिंदुओं और सिखोंमें फूट डलवानेकी चाल है, ठीक नहीं ।

मैंने मुसलमान भाइयोंसे कहा भी था कि उनकी बातका ऐसा खतरनाक अर्थ भी निकल सकता है। उन्होंने जोरोंसे इन्कार किया कि ऐसा कुछ मतलब उसमें है ही नहीं। वापिस जानेवालोंके लिए रास्ता साफ करनेमें में कोई बुराई नहीं देखता। इस बातसे इन्कार नहीं हो सकता कि पाकिस्तानमें सिखोंके सामने जहर ज्यादा है, मगर इसमें भी शक नहीं कि हिंदुओं और सिखोंको साथ तैरना है या डूबना है। उनके मनमें कोई बुरे इरादे नहीं होने चाहिएं। साजिशबाजोंके[1] बीच ईमानदारीका भाई-चारा नहीं हो सकता।

पूर्वी पाकिस्तानसे एक भाई लिखते हैं: "हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो जानेके बाद भी आप अपने आपको एक हिंदुस्तानका बाशिंदा कैसे कहते हैं? आज तो जो एक हिस्सेका है, वह दूसरेका हो नहीं सकता।" कानूनके पंडित कुछ भी कहें, वे मनुष्योंके मनपर राज नहीं कर सकते। इस मित्रको भी यह कहनेसे कौन रोक सकता था कि वह सारी दुनियाका बाशिंदा है। कानूनकी दृष्टिसे ऐसा नहीं है और हरएक मुल्कके कानूनके मुताबिक कई मुल्कोंमें उसे कोई घुसने भी नहीं देगा। जो आदमी मशीन नहीं बन गया, जैसे कि हममेंसे कई लोग नहीं बने, उन्हें कानूनन हमारी क्या हस्ती है उसकी फिक्र क्या? जबतक नैतिक दृष्टिसे हम सही रास्तेपर हैं हमें फिक्र करनेकी जरूरत नहीं। हम सबको जिस चीजसे बचना है वह तो यह है कि हम किसी मुल्कके प्रति या किसी मुल्कके लोगोंके प्रति वैर-भाव न रखें। मिसालके तौरपर मुसलमानोंके प्रति या पाकिस्तानके प्रति वैर-भाव रखकर कोई भी पाकिस्तानका और यूनियनका बाशिंदा होनेका दावा नहीं कर सकता। अगर ऐसा वैर-भाव आम तौरपर फैल जाय तो दोनोंमें लड़ाई ही होनेवाली है। हरएक मुल्क ऐसे बाशिंदोंको, जो मुल्ककी तरफ दुश्मनी रखता है और दुश्मन-मुल्ककी मदद करता है, दगाबाज और बेवफा करार देगा। वफादारीके हिस्से या टुकड़े नहीं किए जा सकते।

[1] षड्यंत्रकारियों।

: १८० :

१६ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

ऐसा कहा जाता है और कुछ अंशमें ठीक भी है कि जो खाने और पहननेकी वस्तुओंपर अंकुश रखा है वह कुछ तो चला गया है और कुछ और चला जायगा। लेकिन जा रहा है इसमें तो कुछ शक नहीं है और उसका परिणाम भी मेरे सामने है, जो बृजकिशनजीने रख दिया है। मैंने सोचा कि अच्छा है वह भी मैं आपको बता दूंगा। अभी गुड़का भाव एक रुपये सेर था और अब अंकुश हटनेके बाद वही गुड़ आधे रुपयेमें मिलता है। यह तो एक बड़ी बात हुई। इससे भी कम दाम होना चाहिए। मुझको तो पता नहीं कि वह क्यों कम नहीं होना चाहिए। मैं जब जवान था तब तो गुड़का इतना दाम क्या होनेवाला था! एक सेर गुड़ ले लिया तो बस उसका एक आना दे दिया और शायद उससे भी कम। इसलिए आशा तो ऐसी ही है कि वह कम होता जायगा। हां, मुफ़्त तो वह मिलेगा नहीं, लेकिन हमें जो पुराने ढंग थे, उनपर पहुंचना चाहिए, अगर पहुंच सकते हैं तो। शक्करका भाव भी जो ३२ रुपए मन था वह २० रुपए हो गया। बड़ा अच्छा लगता है कि इतना भाव उतर गया। मूंग, उड़द और अरहरकी दाल है वह एक रुपयेकी डेढ़ सेर हो गई है। कितना बड़ा फर्क हो गया? इसी तरहसे चनेका हाल है। मेरी नजरमें तो चना भी एक प्रकारकी दाल ही है। लेकिन उसका इस प्रदेशमें बहुत उपयोग होता है, इसलिए उसे अलग रखा है। वह २४ रुपए मन था उसके अब १८ रुपए हो गए हैं। और गेहूं चोर-बाजारमें ३४ रुपए मन था वह अब २४ रुपए हो गया है। इस तरहसे यह सब है। मुझको तो पहले सब डरा रहे थे कि तुम कहते तो हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि बाजार कैसे चलता है और किस तरहसे भाव चढ़ते-गिरते हैं। तुमको अर्थ-शास्त्रका पता ही नहीं। बस महात्मा हो, इसलिए कह रहे हो। उसका नतीजा तुम्हें तो उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोग मर जायंगे। मगर जो परिणाम मैं देख रहा हूं उससे गरीबोंको मरना नहीं, बल्कि तरना है। इसलिए

में तो यह कहूंगा कि मक्का और बाजरा वगैरापर जो अंकुश है उनपरसे भी वह हट जाना चाहिए; क्योंकि बाजरा खानेवाले बाजरा ही खाते थे, गेहूं उनको हज्म भी नहीं होता। इसी तरहसे मक्का खानेवाले भी बहुत हैं। उनको पसंद भी वही आएगा। इसलिए अंकुश जारी रखनेकी कोई वजह मुझको तो लगती नहीं है। डा० राजेंद्रप्रसादने भी तो यही कहा था कि सब अंकुश आहिस्ता-आहिस्ता हटा देंगे। कुछ तो हट गए हैं और दूसरे भी जो हैं वे भी हट ही जायंगे। उसका शुभ परिणाम भी हमारे सामने आ गया है। यही दियासलाईका हाल है। अभी तो उसपर बहुत दाम देना पड़ता है। चोरबाजारमें तो क्या, खुले बाजारमें, उसको चोरबाजार कहें भी कैसे, लेकिन होता है, और इसलिए लोगोंको बहुत दाम देने पड़ते हैं। उसपरसे भी अगर अंकुश निकल गया तो बड़ा अच्छा परिणाम हो सकता है, मुझको तो इसमें कुछ शक नहीं है। दियासलाईपरसे कंट्रोलको जाना ही है और उसका दाम भी गिरना ही है। दियासलाईका इतना दाम तो पहले कभी भी नहीं था। मेरे जमानेमें तो उसकी कुछ गिनती ही नहीं थी। आज तो एक दियासलाईकी पेटी कोई एक आनेमें देगा, लेकिन तब एक आनेमें १२ पेटी मिलती थीं। ऐसा भी एक जमाना था और आज ऐसा जमाना हो गया है! आज तो सब चीजोंके दाम बढ़ गए हैं। अगर लोगोंका दरमाहा बढ़े तब तो वह अच्छा लगता है, लेकिन चीजके दाम बढ़ते हुए देखकर मुझको कभी अच्छा नहीं लगनेवाला है। अगर दाम कुछ बढ़ना है तो वह मेहनत करनेवालेके घरमें चला जाए, लेकिन उनके घरमें जाए तब भी इतना दाम नहीं बढ़ सकता है। इतना दाम तो तब बढ़ता है जब तिजारत करनेवाले लोग पाजी बन जाएं, उनकी नीयत बिगड़ जाए और वह सब पैसा उनकी जेबोंमें जायगा। हम आजादी पाकर तो बैठ गए और हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति भी आई, लेकिन हम शुद्ध काम करना नहीं सीखे। हमारे जो ताजिर लोग हैं वे अगर शुद्ध कौड़ी कमाएं तो मुझको तो जरा भी शक नहीं है और जिनको शक है उनको भी यह नहीं है कि अंकुश हटा दें तो चीजोंके दाम बढ़ जायंगे। वे कहते हैं कि दाम बढ़ जायंगे, क्योंकि हम लोग पाजी और दगाबाज हैं। ताजिर शुद्ध कौड़ीका व्यापार नहीं करते और जो किसान वगैरा हैं, या जो पैदा करनेवाले हैं, वे भी अपना

१४

पेट भरना जानते हैं और प्रजाकी कोई खबर ही नहीं लेते। तब मैं कैसे यह मानूं कि हमारे यहां लोकराज्य है ? मुझको तो यह मानते हुए शर्म आती है। लोकराज्य या पंचायत राज्यमें यह कैसे हो सकता है ? उसमें तो हकूमतका यह पूरा-पूरा धर्म हो जाता है कि वह लोगोंपर एतबार करे। वह साफ-साफ कह दे कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हम करते हैं, लेकिन उससे अगर कोई तकलीफ होती है तो हम जिम्मेदार नहीं होनेवाले हैं। यह ठीक है कि हमारे यहां सिविल सर्विस पड़ी है, लेकिन हम लोग जितने यहां पड़े हैं, सब-के-सब अपनेको सिपाही समझें और लोगोंकी सेवा करें। अगर हम जिंदा रहते हैं तो भी लोगोंके लिए ऐसा हम लोग सोच लें तो मुझको कोई शक नहीं है कि दाम नहीं बढ़ सकते और आज लोगोंमें जो एक किस्मका पाजीपन या दगाबाजी आ गई है वह भी मिट जायगी और हम सरल होकर सीधा-सादा काम करने लगेंगे। लेकिन आज तो सब इसी तरहसे होता है और मेरे पास तो जगह-जगहसे तार वगैरा आते हैं। मैंने सुना है कि बंबईमें तो इस बारेमें कुछ गोलमाल भी चल रहा है। क्या है, इसका मुझको कुछ पता नहीं। लेकिन यह सब होना ही नहीं चाहिए। मगर अबतक जो शुभ काम हो गया है इसके लिए तो लोगोंको हर प्रकारसे बधाई ही देनी चाहिए। इससे हकूमतको भी उत्साह मिल जाता है। यह तो एक बात हुई।

दूसरी बात यह है कि मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं कि अभी यह कहांकी बात है कि सिविल सर्विसपर इतना खर्च कर रहे हो। एकाएक तो हटा भी कैसे सकते हैं और हटाएं तो काम कैसे चल सकता है। उनमेंसे काफी तो चले भी गए और जो जा रहे हैं उनसे काफी ज्यादा काम ले रहे हैं। हमारे जो सरदार हैं उनके मातहत ये लोग हैं। वे तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। थोड़े हैं तो भी वे कामको पहुंच जाते हैं। इस धन्यवादके लायक हैं तो वह उनको मिले। उनको दरमाहा भी तो काफी मिल जाता है। लेकिन सच्ची सिविल सर्विस तो हम हैं। हकूमतको चाहिए कि सच्ची सिविल सर्विस हमको बना दे और जितना एतबार वह सिविल सर्विसपर रखें उतना हमपर रखें। यह हो सकता है कि अगर सिविल सर्विसवाले दगा दें तो वे सजाके योग्य होते हैं और उनको सजा हो जाती है। इसी तरहसे वह हमको भी सजा दे। किसीको

बुला लें और कहें कि तुम्हें इतना काम करना है। क्या पाजीपन और धोखाबाजी करनेवालेको सजा देनेका कोई कानून नहीं है? अगर नहीं भी है तो मैं कहूंगा कि वे बना लें। जिस तरहसे वे सिविल सर्विसको जिम्मेदार समझते हैं उसी तरह सारी प्रजाको जिम्मेदार समझें। सारी प्रजाका ही यह राज्य चलता है।

मुझको यह क्यों कहना पड़ता है? इसलिए कि अभी जो एक नई बात और हो गई है न, कि कांग्रेसने यह कह दिया कि मंत्रियोंके नीचे पार्लामेंटरी सेक्रेटरी भी होने चाहिएं और वे सिविल सर्विसके लोग नहीं, बल्कि बाहर कांग्रेससे या जो लोग कांग्रेससे अच्छा संबंध रखते हैं, उनमेंसे पार्लामेंटरी सेक्रेटरी बनाए जायं। मुफ्त तो कोई बनता नहीं है, सबको दरमाहा देनेको चाहिए। आज अगर करोड़ों रुपयेकी हकूमत हमारे हाथमें नहीं आती तो हम कहांसे दरमाहा दे सकते थे और कहांसे देते? आज वह अगर हमारे हाथमें आ गई है तो हम डेढ़-दो हजार रुपया दें, मकान दें, यह दें, वह दें और पीछे पार्लामेंटरी सेक्रेटरी बना दें, मुझको तो यह सब चुभता है। चाहे वह पार्लामेंटरी सेक्रेटरी प्रधान मंत्रीका हो, गृह-मंत्रीका हो या किसीका भी हो। और इसके लिए पार्लामेंट उनको मजबूर करें, पार्लामेंट तो क्या कांग्रेस-पार्टी कहो। कांग्रेस-पार्टीका तो शब्द भी मुझको अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस तो सब लोगोंकी है। हिंदू, मुसलमान और पारसी वगैरा आपस-आपसमें दंगा न करें, ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए बड़ा दरमाहा दें तभी क्या हम लोगोंको काम करना है? ऐसा अगर हम करते रहे तो हिंदुस्तान तो एक बिल्कुल निकम्मा देश बन जायगा। हमारी ताकत क्या कल नहीं थी और आज हो गई है? इससे ज्यादा अज्ञान मैं कोई और नहीं समझता। हां, पहले कुछ पैदा तो हम कर लें। जितना १४ अगस्तको पैदा होता था, उससे कितना आगे हमने बढ़ाया, यह हिसाब तो कर लें। पहले हम जो कुछ पैदा करते थे उससे ज्यादा क्या बनाया? क्या हमारे अनाजकी पैदावार बढ़ी, क्या कपड़ा बढ़ा और क्या हमारा उद्योग कुछ बढ़ा? जब लोग सच्चा उद्योग करनेमें लग जाएं, उनकी धन-दौलत बढ़े और वे कहें कि आप क्या पैसा-पैसा करते हो, ले जाओ हमारे पाससे, तब मैं समझूंगा कि हमारा काम बढ़ा है, हिंदुस्तानका नाम आगे बढ़ा है और हमारा दाम भी बढ़ गया

हैं। लेकिन आज तो हमारी पैदावार ७० रुपये फी आदमी प्रति वर्ष है। यह तो कुछ भी चीज नहीं है। जब उसकी आय दुगुनी हो जाय या उससे भी ज्यादा, और देहाती लोग भी यह महसूस करने लगें कि उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, तब आप उनसे ज्यादा पैसे भी मांग सकते हैं। अगर पैदा-वार तो बढ़े नहीं और हम खर्च बढ़ाते ही चले जायं तो हमारा हाल क्या होगा? मान लीजिए, एक दुकान है, क्योंकि हिंदुस्तान भी तो एक बड़ी दुकान है, उसका मालिक हमेशा आकर देखता है और अपने मंत्री या कारकुनसे[1] पूछता है कि आज बिक्री कितनी हुई, साहब? अगर वह कहता है कि आज एक हजारकी बिक्री हुई और कल पांच-सौकी हुई थी तब तो वह राजी हो जाता है। जब वह पूछता है कि आज खर्च कितना किया और वह बताए कि एक हजारकी आमदनी और डेढ़ हजारका खर्च, तब तो सेठका मिजाज खराब हो जायगा। उसकी आंखें लाल हो जायंगी और अपने कारकुनको गालियां भी देगा। खैर, गाली देना तो ठीक नहीं, लाल आंखें करना भी ठीक नहीं, लेकिन वास्तवमें चीज तो उसकी सच ही है, जब वह कहता है कि हजार रुपयेकी आमद और डेढ़ हजारका खर्च तो ५०० रुपए मैं कहांसे लाऊं और कौन मुझको देगा? आज हमारे हाथमें रुपया पड़ा है, इसलिए हम नाचते हैं। लेकिन वह नहीं रहनेवाला है। इस-लिए मुझको वह चुभता है कि हम क्यों इतना पैसा फेंक रहे हैं। बस आज मैं इससे आगे और नहीं जाना चाहता।

: १८१ :

१७ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाई जो होशियारपुरमें रहते हैं, शायद वहींके हैं, नाम वगैरा दिया है, वह सब तो मैं नहीं देना चाहता हूं। काफी प्रश्न भी

---

[1] कर्मचारी।

उन्होंने पूछे हैं, उनको भी मैं छोड़ना चाहता हूं। लेकिन उसमें जो तात्पर्य है वह तो यह है कि पहले पंजाब तो एक ही था, उसके कोई टुकड़े थोड़े ही हुए थे ! इसलिए एक आदमी व्यापार किसी जगह करता था और उसकी जमीन और मकान किसी दूसरी जगह होते थे। यह भाई पश्चिमी पंजाबमें तिजारत करता था और मकान उसका पूर्वी पंजाबमें था। वहांसे उसको भागना पड़ा। जैसे हजारों-लाखों लोग भागे, इसी तरह उसको भी भागना पड़ा। उसने सोचा कि पूर्वी पंजाबमें चला जाता हूं, वहां मेरा मकान है जिसमें जाकर मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन वहां सब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें तो कोई अमलदार[1] रहता है। तब उनको अपने ही घरमें रहनेके लिए सिर्फ दो कमरे मिलते हैं और बाकीके बड़े हिस्सेमें वह अमलदार रहते हैं। मकान कुछ बड़ा है, ऐसा मुझको लगता है; क्योंकि आजही उनका खत मेरे हाथमें आया है। वे पूछते हैं कि मुझको मकान मिलना चाहिए कि नहीं। अगर नहीं मिलता है तो हकूमतको मुझे मदद देनी चाहिए कि नहीं, या मुझको कोर्ट-दरबारमें ही जाना चाहिए ? मेरा खयाल है कि वह मकान उसको मिलना ही चाहिए। कोर्ट-दरबार-में जानेकी उनको क्यों तकलीफ दी जाय ? अगर वह हकूमतका ही कोई अमलदार है तब तो उसपर और भी हक उनका हो जाता है। यह तो मैंने इसका उत्तर दे दिया।

मैंने पहले भी कहा था कि जो दुःखी लोग हैं वे जहां चाहें कब्जा कर लेते हैं और वहां चले जाते हैं। किसी जगहपर अगर ताला-कुंजी लगी हो तो उसको भी तोड़ डालते हैं और वहां जमकर बैठ जाते हैं। जैसे अमलदार रहता है वह किराएसे रहता है, वहांतक तो ठीक है; लेकिन जब उस मकानका मालिक आ जाता है तब वह कैसे उसमें रह सकता है ? अगर रहना भी है तो मालिकसे मशविरा[2] करके केवल एक हिस्सा अपने पास रखे। लेकिन यह तो हो नहीं सकता कि बड़ा हिस्सा तो अपने पास रखे और मालिक-मकान अभ्यागत बन जाए। यह तो ठीक नहीं है। लेकिन जो दुःखी लोग हैं उनका तो घरमें हिस्सा नहीं है। उनका तो इतना ही है

---

[1]अफसर; [2]सलाह।

न कि उनको मजबूरन अपने घरोंमेंसे निकलना पड़ा। इसलिए क्या वे कहीं भी जमकर कब्जा कर लें ? अगर दुर्भाग्यसे वह मुसलमानका घर हुआ तब तो बस खत्म हुआ। उसपर तो वे अपना एक तरहका हक-सा मानते हैं; लेकिन इससे हम अपना या हिंदुस्तानका कोई भला नहीं कर सकते। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि कभी भी वे इस तरहसे अपना भला नहीं कर सकते। इन्सान क्या चोरी या लूट करनेसे या किसीके मकान जलानेसे कभी अपना भला कर सका है, तब इनका कैसे हो सकता है, इस तरहसे अगर मामला चले और पाकिस्तानमें भी ऐसा बन जाए कि वहां सिवाय मुसलमानोंके कोई दूसरा रहता ही नहीं है। मेरे पास तो रोज ऐसा कुछ-न-कुछ आ जाता है कि वे अगर मीठी जबानसे कुछ कहें तो आपको धोखेमें नहीं पड़ना चाहिए। बाकी वहां कोई आरामसे रह नहीं सकता, अगर वह मुसलमान नहीं है। लेकिन आखिरमें वहां अगर सब मुसलमान ही रह गए तो फिर वे आपस-आपसमें लड़ेंगे। यह अगर वहां चलता है तो भी अच्छा नहीं है और यहां चलता है तो भी अच्छा नहीं है। यहां अगर चलता है तब तो मेरी निगाहमें वह और भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने कभी कहा ही नहीं कि हिंदुस्तान हिंदुओंका ही है या उसमें एक ही कौम रह सकती है और दूसरी नहीं। जो लोग यहां पैदा हुए और जो अपनेको हिंदुस्तानके रहनेवाले मानते हैं, उन सबको इस देशमें रहनेका हक है। ऐसा अगर था और आज भी है, तो फिर हमारे पास तो कोई कारण नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तानके लिए तो बहुत वर्षोंसे वे ऐसा कहते आए हैं कि मुसलमानोंके लिए तो कोई जगह होनी चाहिए। उसका मतलब यही हुआ कि उसमें दूसरे चाहे रहें या न रहें, लेकिन बादमें जब यह हो गया और १५ अगस्तका दिन आया, जो पहले ख्वाबमें भी नहीं था, लेकिन वह हुआ और कहा कि अभी तो हमें सबको रखना है। यह आवाज निकली तो मुझको बहुत प्रिय लगी। लेकिन जो बात चुभने लायक है वह यह कि जो कुछ कहा जाता है उसपर अमल नहीं होता। यहां भी हिंदू और सिख अगर वैसा ही करते हैं तो उसमें मैं तो दोनोंका ही संहार और नाश देखता हूं। उसमें मैं कोई और दूसरी चीज नहीं पाता हूं, ऐसा मैंने कह दिया है।

अभी एक भाई हैं, वह कहते हैं कि मैं तो लाहौरमें था। अब तो

वे लाहौरमें नहीं हैं, लेकिन यह बात लाहौरकी है। वह कहते हैं कि मुझको वहांसे निकलना पड़ा, निकलना चाहता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निकला और पश्चिमी पंजाब छोड़कर यहां आ गया। लेकिन जब तुमने कहा कि इस तरहसे वापिस वहीं जाना है तो वहां फिर वापिस चला गया। लेकिन देखता हूं कि मेरी जमीन और मेरे मकानपर तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। मुझको लंबी-चौड़ी बातें सुनाई गईं और जो कुछ मेरा था वह मुझको नहीं मिल सका। ऐसी हालतमें आप कैसे कह सकते हैं कि वापिस वहीं जाओ ?

मैंने कई बार इसका जवाब दिया है और अब भी जब कोई लिखते हैं तो कुछ कहना ही चाहिए। मैंने तो साफ-साफ यह कहा है कि जब वह मौका आएगा तब जाया जायगा। वहां तो मैंने तैयारीकी बात कही थी कि जिसके दिलमें वापिस जानेकी इच्छा हो वह तैयार रहे। पहले तो जिन मुसलमान भाइयोंकी तरफसे यह बात आई है उनको वहां जाना है। अभी तो वह सिर्फ बात ही है, लेकिन वह बात-की-बात रहनेवाली चीज नहीं है। हकूमत-के नामसे वे कहते थे। आखिरमें उनको या तो यह कह देना होगा कि हम हार गए और यह हमने गलत कह दिया था कि पाकिस्तान सरकारने कहा है कि हिंदू वहां वापिस आ सकते हैं। यह भाई लिखते हैं कि कहना तो एक बात है; लेकिन काम असलमें उल्टा ही होता है, इसलिए वह पूछते हैं कि उनको वापिस जाना है ? और यह पूछनेका उनको पूरा हक है। लेकिन जब वे इतना लंबा-लंबा लिखते हैं तो जो कुछ कह चुका हूं वह भी दुहरा देता हूं, क्योंकि आखिर तो यह एक भलाईकी बात है। साफ-साफ जो बात है वह यह कि इस तरहसे किसीको वापिस जानेकी बात ही नहीं है। इस तरह तो दूसरे भी बहुतसे लिखते हैं कि हम भी जानेको तैयार हैं। मैं सबको यही जवाब दे देता हूं कि जब जाना होगा तो मैं कह दूंगा कि फलां तारीख-को आप जानेको तैयार रहें। अभीसे मैं किसीको कोई बात नहीं कह सकूंगा। ऐसी शीघ्रतासे तो यह खयाल भी किसीके दिलमें नहीं आ सकता था, लेकिन जब मुसलमान भाई ही ऐसा कहते हैं तो मुझको वह अच्छा लगता है। अगर वे इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी फ़िज़ा[1] जो आज

[1] वातावरण।

बिगड़ गई है उसको दुरुस्त होनेमें उससे एक बड़ी मदद मिलनेवाली है। उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वह की जायगी। लेकिन ये जो भाई लिखते हैं या दूसरे भी, उनसे मैं कहूंगा कि आपको अभी तो खामोश रहना है, अभी तो कुछ होनेवाला नहीं है। उसकी तजवीज हो रही है। जब हो जायगी तो उसका मैं ऐलान[1] कर दूंगा। किसीके खुफिया तौरसे जानेकी तो बात है नहीं। मेरी तो ऐसी उम्मीद रहती है कि पाकिस्तान उनके लिए गाड़ी यहां भेज दे और फिर उसमें पांच हजार आदमी चले जाएं। वे वहां शौकसे और हकसे जायंगे। इसलिए वे जाएंगे कि उनको वे वहां बुलाते हैं। अगर यह नहीं होता है तो वह चीज भी नहीं हो सकती है।

अभी एक तीसरी चीज और है और वह है पूर्वी अफ्रीकाकी। आपको याद रखना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीकामें नेरोबी करके जो प्रदेश है वही सबसे अच्छा है। वह ऐसे ही है जैसे यहां शिमला है। यहां जैसे चार-पांच महीने तो मौसम अच्छा होता है और फिर गर्मी पड़ने लगती है और मैदानमें तो और भी अधिक गर्मी होती है। लोगोंको ठंडक चाहिए, इसलिए वे शिमला या दार्जिलिंग चले जाते हैं। हिंदुस्तान तो एक बड़ा मुल्क है, मगर पूर्वी अफ्रीका तो छोटा-सा है। इसके अलावा नेरोबीको बनानेवाले भी सिख थे। सिख लोग कोई ऐसे-वैसे थोड़े ही हैं। बड़ी काबिल कौम है और बहुत तगड़े और काम करनेवाले हैं। बड़ी जहमत[2] उठाकर उन्होंने वहांकी रेल बनाई थी। मगर खूबीकी बात यह है कि रेल तो बनाई उन्होंने और नेरोबीमें वे खुद जा भी नहीं सकते। जा तो सकते हैं, मगर मजदूरी करनेके लिए, रहनेके और तिजारत करनेके लिए नहीं। यह तो नेरोबीमें है, लेकिन आदमी जब बिगड़ता है तो स्वभावसे ही कुछ ऐसा है कि जब वह एक चीजमें बिगड़ता है तो पीछे सब चीजोंमें ही बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी हिंदुस्तानी वहां रहते हैं उनके विरुद्ध वे भारतीय प्रवेशविरोधी बिल बनाने जा रहे हैं, जैसा कि दक्षिण अफ्रीकामें भी बन गया है। हिंदुस्तानियोंके जो हक हैं उनको वे छीन लेनेकी कोशिशमें हैं। अभी यह बिल बना तो नहीं है, लेकिन उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली

[1] जाहिर; [2] संकट।

या कौंसिलमें तो आ गया है। इसलिए जो हिंदुस्तानी भाई वहां रहते हैं बेचारे उम्मीद तो हमसे रखते ही हैं। पंडित नेहरूको भी उन्होंने कुछ लिखकर भेजा है, क्योंकि वे हमारे विदेश-मंत्री हैं। बाहर जितनी चीजें होती हैं वे सब उनके हाथमें रहती हैं। इसके अलावा वे हमारे प्रधान मंत्री भी हैं। इसलिए उनको उन्होंने एक तार दिया और तारकी एक नकल मुझको भी दी है। वे कहते हैं कि इस बारेमें कुछ तो कहो। मैं चूंकि अफ्रीकामें रहा हूं, इसलिए मुझपर भी उनका हक है। इसलिए मैं तो आज कुछ कहे देता हूं और पीछे मेरी आवाज वहां पहुंच जायगी। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया है, लेकिन आजाद हिंदुस्तानके साथ ऐसा ही होगा क्या? मुंबासा और पूर्वी अफ्रीका जो है वह ब्रिटिश इलाका है। जो हिंदुस्तानी वहां गए हुए हैं उनके साथ ब्रिटिश इलाकेमें क्या ये हाल होनेवाले हैं? उनके साथ यह सब गोलमाल क्यों चलता है? आपको समझना चाहिए कि वहां हमारे काफी ताजिर लोग हैं, उनमें काफी मुसलमान हैं और खोजा तथा दूसरे मुसलमान भी वहां हैं। हिंदू भी वहां काफी पड़े हैं। हर जगहसे वे वहां गए हैं और पैसे भी काफी वहां कमाए हैं, कोई लूट या चोरी करके नहीं, बल्कि वहां जो हब्शी लोग रहते हैं उनके साथ तिजारत करके। वे अंग्रेजोंके जानेसे काफी पहलेके वहां हैं। यूरोपके अन्य लोग भी तबतक वहां नहीं गए थे और अगर गए भी होंगे तो बहुत कम। हिंदुस्तानियोंने वहां बड़ी-बड़ी हवेलियां बनाईं, क्योंकि वे बनाने लायक थे। उस जमानेमें तो जहाज भी हमारे थे, लेकिन जब हम गिर गए तो हमारे जहाज भी सब गए।

पीछे तो वहां अंग्रेज भी गए और यूरोपके दूसरे लोग भी। वह तो एक लंबा इतिहास है, जिसपर मैं नहीं जाता। हिंदुस्तानी वहांके हब्शी तथा दूसरे लोगोंसे मिल-जुलकर रहे और उनके साथ तिजारत की। उन्होंने शुद्ध कौड़ी ही कमाई हो, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो सही है कि उन्होंने जबर्दस्ती किसीसे कुछ नहीं लिया। मुसलमान भी वहां गए और ऐसा कुछ नहीं था कि जो मुसलमान थे उनको वहां कुछ ज्यादा मिला हो और हिंदुओंको कम। उनमें ऐसा आज भी कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए वे सब मिलकर लिखते हैं कि इस बिलको आप किसी-

न-किसी तरह रोकें, नहीं तो हमारा बड़ा नुक्सान होता है। मैं तो कहूंगा कि वह बिल रुक जाना चाहिए।

हिंदुस्तान आज एक आजाद मुल्क है। मुझको पता है कि जवाहरलालजी तो इस बारेमें जो कुछ हो सकता है वह करनेवाले हैं।

: १८२ :

१८ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाईका एक खत आया है जिसमें यह लिखा है कि जब आपको उर्दू जवानपर एतराज नहीं है तो अंग्रेजीपर क्यों है? जब हिंदुस्तान सारी दुनियाका मित्र है, जैसा कि आप कह चुके हैं तो फिर जैसे मुसलमान हैं, वैसे अंग्रेज हैं।

इस भाईको जो दुःख हुआ है वह केवल अज्ञानताका कारण है। इससे ज्यादा अज्ञानका कारण कोई और हो सकता है मैं तो नहीं समझता। उर्दूपर मुझको एतराज नहीं होता, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं। प्रांतीय भाषाकी हैसियतसे तो उर्दू है, पंजाबी है, मराठी, गुजराती, बंगला और उड़िया वगैरा सब हैं। जितने भाषावार प्रांत हैं उनकी उतनी ही भाषाएं हैं। यों तो हिंदुस्तानमें बहुत अधिक भाषाएं पड़ी हैं, लेकिन सब विद्वानोंने मिलकर जो फैसला किया है उसके मुताबिक तो १४ या १५ भाषाएं हैं जो काफी भव्य हैं, जिनके अपने-अपने साहित्य हैं और जिनसे हम कुछ-न-कुछ सीखते ही हैं। लेकिन १५ या १४ भाषाएं सब प्रांतोंमें तो नहीं चल सकतीं। सब प्रांतोंमें एक दूसरेके साथ व्यवहार करनेके लिए कौन-सी एक भाषा होनी चाहिए, यह सवाल है। जबसे मैं दक्षिण अफ्रीकासे वापस आया हूं तभीसे मैं बराबर यह कहता आया हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा वही हो सकती है कि जिसको हिंदू और मुसलमान ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें बोलते और लिखते हैं। तब तो वह देवनागरी लिपि या उर्दू लिपिमें लिखी हुई हिंदुस्तानी ही हो सकती है। मैंने तो कहा है कि मैं उर्दूका समर्थन करता

हूं, लेकिन सारी दुनियाका मित्र होते हुए भी मैं अंग्रेजीका समर्थन क्यों नहीं करता, यह समझने लायक बात है। अंग्रेजी भाषाका यहां स्थान नहीं है। अंग्रेजोंने यहां राज चलाया और पीछे जो राज चलाता है वह अपनी भाषा भी चलाता है। वह परदेशी भाषा है, स्वदेशी भाषा नहीं है। इसलिए मुझको यह कहते हुए दुःख नहीं, बल्कि फख्र[1] होता है कि उर्दू हिंदुस्तानकी भाषा है और वह हिंदुस्तानमें ही बनी है। तुलसीदासके तो हम सब भक्त हैं और होना ही चाहिए, लेकिन उनकी रामायणमें आपको यह देखकर ताज्जुब होगा कि कितने ही अरबी और फारसीके शब्द ले लिए हैं। जो शब्द बाजारमें लोग बोलते थे वही उन्होंने ले लिए। आखिर उन्होंने लिखा है वह आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। तुलसीदासजीने जो थोड़ेसे संस्कृत बोलनेवाले हैं, उनके लिए थोड़े ही लिखा है! इसलिए जो तुलसीकी भाषा है वही हमारी भाषा है। अगर आपको फैसला करना है कि कौन-सी हमारी राष्ट्र-भाषा है तो मैं यह दावेसे कह सकता हूं, पीछे हिंदू मुझको चाहे मारें, काटें, या कुछ भी करें, कि हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती है जो देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है।

लाला लाजपतरायजी तो पंजाबके शेर माने जाते थे। वह तो चले गए। मैं तो उनका मित्र था और उनके साथ मजाक भी करता था कि हिंदीमें बोलना कब सीखोगे। वह कहते थे, यह नहीं होनेका। याद रखो वह समाजी थे और यह भी याद रखो कि वे हवन इत्यादि भी करवाते थे। चूंकि मैं उन्हींके घरमें ठहरता था, इसलिए मैं यह सब देखता था। हवन-में तो संस्कृत ही काममें आती है और अजीब बात थी कि यह सब होते हुए भी वे थोड़ा-थोड़ा पढ़ तो लेते थे देवनागरीमें, लेकिन उनकी मादरी जबान उर्दू ही थी। वे कहते थे कि उर्दूमें तो मुझसे कहो तो घंटों बोल लेता हूं और बोलते थे, और उर्दूके तो मैं आपको क्या बताऊं, वे बड़े भारी विद्वान थे और बहुत शीघ्रतासे लिख सकते थे। अंग्रेजीमें भी वे घंटों बोल सकते थे, लेकिन संस्कृतमय हिंदी तो उनकी समझमें भी नहीं आती थी। जब मैं चुन-चुनकर अरबी-फारसीके शब्द लाता तब वे मेरी बात समझ सकते

---

[1] अभिमान।

थे। जब उनकी बात मैंने कर ली तो सबकी कर ली। तब वे भाई क्यों कहते हैं कि उर्दूपर एतराज क्यों नहीं है? मैं तो कहूंगा कि किसीको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजीके लिए एतराज है। आखिर हिंदी साहित्य सम्मेलनका भी मैं दो दफा सभापति रह चुका हूं और सभापतिके पदसे मैंने यही चीज कही और किसीने शिकायत नहीं की। की होगी तो शायद १-२ ने की होगी। सब लोगोंने तालियां ही बजाईं और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक बात कहता हूं। आज भी मैं वही आदमी हूं। तब क्यों आप मुझको ऐसा सुनाएंगे कि मैं हिंदीका पक्ष कम लेता हूं और इसलिए कम हिंदुस्तानी हूं। मुझको तो ऐसा लगता है कि जो आदमी उर्दूपर एतराज करता है, वही कम हिंदुस्तानी है।

हम आज अनेक झंझटोंमें पड़े हैं और इस तरहसे आपस-आपसमें विष पैदा हो गया है। अजमेरमें भी तो यही हुआ है। अगर आप हिंदू-धर्मकी रक्षा करना चाहते हैं तो यहां जितने मुसलमान पड़े हैं उनकी दुश्मनी करके नहीं कर सकते। मैं तो आजकलका ही मेहमान हूं। कुछ दिनोंमें यहांसे चला जाऊंगा। पीछे आप याद किया करोगे कि बूढ़ा जो कहता था वह सही बात है। मैं कोई अकेले हिंदू-धर्मकी ही बात नहीं करता। इस्लाम-धर्म भी मर जायगा अगर उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मुसलमानोंको ही पहचानते हैं, बाकी तो हमारे दुश्मन हैं। इस तरह तो वे इस्लामको दफना देंगे, इस बारेमें मुझे कोई शक नहीं है। ईसाई-धर्मके लिए भी मैं यही कहूंगा। अगर वे कहें कि जो ईसाको नहीं मानते वे सब दुश्मन हैं और अहले[1]किताब नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि वे गलती करते हैं। दुनियाके जितने धर्म हैं उनके माननेवाले सब अहले किताब हैं। अगर वे कहें कि जो बाइबिलको माने वह अहलेकिताब है या जो कुरान शरीफको मानते हैं वही अहले किताब हैं, तो मैं कहूंगा कि वे गलत रास्तेपर हैं। दुनियाके जितने धर्म हैं वे सब अच्छे हैं, क्योंकि वे भलाई सिखाते हैं। जो दुश्मनी सिखाते हैं उनको मैं धर्म नहीं मानता।

अंग्रेजोंके जमानेमें भी वही बात मैं कहता था कि यहां अंग्रेजी हो

[1]आस्मानी किताबों वाले।

नहीं सकती। मेरे दिलमें अंग्रेजीकी कद्र है और मैं अंग्रेजी पढ़-लिख भी लेता हूं। सब मानते भी हैं कि मैं न अंग्रेजोंका दुश्मन हूं, न उनकी भाषाका। लेकिन सब चीजें अपनी-अपनी जगहपर हैं। अंग्रेजी दुनियाकी भाषा है। अगर दुनियाके साथ व्यवहार करना है तो अंग्रेजीसे ही हो सकता है। अंग्रेजी बहुत व्यापक बन गई है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापक नहीं है। हम अंग्रेजी राज्यसे तो बरी हो गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता-का जो प्रभाव हमपर पड़ा है, उस असरसे हम अभी नहीं निकले हैं, यह कितने दुःखकी बात है!

याद रखो, मैंने कहा है कि हिंदुस्तानी वह चीज है जो उर्दू और हिंदीके संगमसे बनी है, जैसा गंगा और जमनाका संगम प्रयागमें होता है। उस संगममें तो सरस्वती भी बताई जाती है, लेकिन उसको तो न देखते हैं, न जानते हैं। दोनोंका व्याकरण तो एक होना ही चाहिए और वह हिंदुस्तानी है। उसमें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी वगैरा सब भाषाओंके शब्द भरे पड़े हैं। अंग्रेजीका शब्द जैसे कोर्ट है, तो उसको कोर्ट ही कहेंगे। अगर कचहरी कहो तो वह भी बाहरका ही शब्द है, हमारा तो नहीं है। इसी तरह बाइसिकल है और रेल है। रेलको और क्या कहेंगे? अंग्रेजी शब्द हमारी भाषामें काफी दाखिल हो गए हैं और उनसे हमें घृणा नहीं है। लेकिन अगर ये भाई मुझको अंग्रेजीमें खत लिखें तो मैं फेंक दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे हिंदुस्तानी लिख सकते हैं। इसी तरहसे अगर मेरा लड़का अंग्रेजीमें लिखे, क्योंकि अंग्रेजी तो वह जानता है, तो मैं फेंक दूंगा और नहीं पढ़ूंगा। इसी तरहसे अगर मैं अंग्रेजीमें कुछ लिखकर भेजूं तो उसे फेंकनेका अधिकार है। यह तो बिल्कुल ही सरल चीज है, लेकिन हम तो आज अपना धर्म-कर्म सब भूल गए और हमारे अंदर एक प्रकारकी विकृति पैदा हो गई है। ईश्वर उस बलासे हमें बचा ले।

: १८३ :

१६ दिसंबर १६४७

भाइयो और बहनो,

आज दुपहरको मेवों[1]को देखनेके लिए गुड़गावां चला गया था। वहां तीन तरहके मेव थे: एक तो अलवरसे भागकर आए हुए, दूसरे भरतपुरसे और तीसरे वहींके। पूर्वी पंजाबके प्रधान मंत्री डा० गोपीचंद भार्गव भी साथ थे। उन्होंने मेवोंसे कहा कि जो रहना चाहते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। हकूमत उनकी हिफाजत करेगी। लाखों आदमियों-को अपने मकान छोड़कर वहांसे भागना पड़ा, वह एक वहशियाना बात थी। यहांसे जिनको भागना पड़ा वह भी वहशियाना बात थी। पीछे किसने ज्यादा किया, किसने कम किया और किसने शुरू किया, उसको छोड़ देना चाहिए; क्योंकि ऐसे हिसाबमें अगर हम पड़ें तो दुश्मनी मिट नहीं सकती और कोई आरामसे नहीं बैठ सकता। हमारे नसीबमें एक-दूसरेकी दुश्मनी रहे, वह नहीं रहनी चाहिए। वह अगर रही तो हमारा खात्मा हो जायगा। मैंने तो कहा है न कि मैं तो इसे बर्दाश्त कर नहीं सकता। हां, जिनको जाना है या जो बिदक गए हैं, उनको कोई रोकनेवाला नहीं है। लेकिन किसीको मजबूरीसे न जाना पड़े। जो भी हो, वह आदमीकी इच्छासे हो। उनको भागना पड़े, इस तरह उन्हें कोई मजबूर न करे, न हकूमत करे, न हकूमतके अफसर करें और न जनता करे। अगर कोई करता है तो वह पागलपन है। वहां बहनें भी सब थीं और पुरुष भी। सब परेशानीमें पड़े हैं। कई तो ऐसे हैं कि तंबू हैं, नहीं हैं और ये जाड़ेके दिन! यह सब एक बहुत ही दुःखद किस्सा है। इनको वापिस जाना चाहिए, अगर अलवर रियासत यह कहे कि गलती तो हो गई, लेकिन अब आप आइए। इसी तरहसे भरतपुर है। और पीछे यहां भी जिन्होंने गुनाह किया है और उनको हलाक किया है, उनको उन्हें निभा लेना चाहिए। ऐसा कहनेसे तो काम नहीं चलता कि मेव तो गुनाह करनेवाली कौम है। गुनाह

---

[1] एक जाति।

करनेवाला कौन है और कौन नहीं, इसको कौन जानता है ? जो लोग गुनाह करते भी हैं उनको क्या आप हिंदुस्तानसे जला-वतन[1] करेंगे ? यहांसे निकाल देंगे या मार डालेंगे ? तुम यहांसे चले जाओ, यह कहनेसे तो काम हो नहीं सकता। उनको तो सुधारना चाहिए और सच्ची तालीम देनी चाहिए। जो शराफतका रास्ता है वह उनको बताना चाहिए। एक तो यह बात हुई।

दूसरी बात चीनीकी है। चीनी हर जगहपर तो होती नहीं और शक्कर भी हर जगह नहीं होती। जहां होती है, उस जगहसे उसको लाना है। माना कि यहां नहीं है, तो यू० पी०से उसको लाना है। या कोयम्बटूरसे आ सकती है। लेकिन आए कैसे ? वह तो रेलसे ही आ सकती है। लेकिन गाड़ियां तो आज हैं ही नहीं। डा० जान मथाईके हाथमें वह महकमा[2] है। वह कहते हैं कि मैं कहांसे दूं ! जितने वैगन[3] हैं रेलवेके वे सब-के-सब तो निकाल दिए हैं। जितनी जल्दी वे माल ला सकते हैं, ला रहे हैं। इसके अलावा कोयला कम, लोहा कम और चलानेवाले कम, ये सब झंझट हैं। रेलवे स्टाफ जितना चाहिए उतना नहीं है। पीछे दूसरे-तीसरे काममें भी उनको लेना पड़ता है। वह तकलीफ तो जब रफा होगी तब हो जायगी। लेकिन बीच-बीचमें हम क्या करें ? वह जो चीनी और शक्कर बनानेवाले हैं वे बदमाश हैं और वे दाम बढ़ा देते हैं। आखिर हजारों और सैकड़ों मीलसे माल कोई सिरपर तो ला नहीं सकता। आज तो रेल और हवाई जहाज देखकर लोगोंको ऐसा हो गया है कि उनके हाथ-पैर चलते ही नहीं हैं। तब क्या करना चाहिए ? एक तो मथाई साहबको लिख देना चाहिए। यह सही है कि हमको रेलवे वैगन नहीं मिलते या ऐसा कहो कि रेल ट्रांसपोर्ट[4] नहीं मिलता। मगर हिंदुस्तानमें ऐसा भी तो बन गया है कि एक तरफ रेलवे चलती है तो साथ-साथ दूसरी ओर मोटर भी चलती है। जितनी तेज रफ़्तारसे रेल जाती है उतनीसे ही मोटर जाती है। रेलके लिए तो लोहेकी पटरी भी होनी चाहिए, लेकिन मोटरके लिए तो कुछ भी नहीं। साफ रास्ता हो तो अच्छा है, लेकिन रास्ता जैसा-तैसा हो तो भी जीप तो

[1] देश निकाला; [2] विभाग; [3] डिब्बे; [4] यातायात।

चली जाती है। काफी तादादमें ये मोटरें हिंदुस्तानमें चलती हैं। लेकिन उनके लिए पेट्रोल चाहिए और उसपर अभीतक अंकुश है। मैंने बताया कि अभी सब अंकुश तो छूटे नहीं हैं। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश हटा लें तो सब लारियां चलने लगें और माल लाएं—और ले जाने लगें। उनमें तो पीछे नमक भी आ सकता है। यह कैसी भयानक बात है कि आज हमारे मुल्कमें नमक बन सकता है, उसपरसे कर भी चला गया है, तो भी वह महंगा है; क्योंकि वह पूरा आता ही नहीं है। मेरी निगाहमें तो कुछ लोगोंको नमक बनाने और लानेका जो ठेका दिया गया है वह एक बड़ी गलती हुई है। सबको नमक लानेकी छूट होनी चाहिए। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश निकल जाए तो ये मोटर-लारियां नमक भी ला सकती हैं और दूसरी चीजें भी। एक चीजपरसे अंकुश हटा लिया और दूसरीपर रखा तो वह ठीक नहीं बैठता। जब एक नीति हमने ग्रहण कर ली कि अंकुश निकालना है तो पीछे सबको ही निकाल देना है और देखना है कि लोग क्या करते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बाजारमें पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलका तो चोर-बाजार चलता है और जबतक उसपर अंकुश चलेगा तबतक यह चोर-बाजार चलता रहेगा। चोर-बाजार तो अंधेरेमें चलना चाहिए, लेकिन वह तो साफ-साफ जाहिरमें चलता है। तब उसे ब्लैक मार्केट कहें या सफेद मार्केट कहें या उसको और कोई नाम दें? पीछे क्या होता है, सुना है उसके पीछे रिश्वत भी बहुत बढ़ गई है। जो पेट्रोलका अफसर है, थोड़ा पैसा उसके हाथमें रखना ही चाहिए। थोड़ा पैसा कोई रुपया, दो रुपया नहीं, बल्कि सैकड़ोंकी बात चलती है। जब एक चीज बुरी हो जाती है तो और भी बुराइयां उसके साथ चलती रहती हैं। जिन चीजोंपरसे अंकुश निकल गया उससे लोग तो मानते हैं कि उनको राहत मिली है। फिर पेट्रोल तो कोई खानेकी चीज भी नहीं है और न हरएक आदमीके दरकारकी चीज है। जो लोग मोटर ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनको पेट्रोल चाहिए। हकूमतको जितना पेट्रोल चाहिए उतना वह अपने लिए रख लें और बाकीको खुले बाजारमें रख दें। अगर माना कि बाजारमें वह बिल्कुल मिलता ही नहीं और रेलें भी सब-की-सब मिट गईं तो भी हिंदुस्तानका कारोबार पेट्रोलके बिना बंद नहीं होनेवाला है। सिर्फ इधर-उधर माल ले जानेका तरीका, जो आज है वह बदल जायगा।

तब हम पुराने जमानेके तरीकेपर चले जायंगे। अगर पेट्रोलका जो अंकुश है वह निकल जाय तो मुझको उससे कुछ डर नहीं है।

एक बात यह भी है कि हमारे यहां पूरी खुराक तो पैदा नहीं होती है। तब लोगोंको कहो कि वे जमीनको बो लें, उसमेंसे पैदा हो जायगी। बात तो सच्ची है, लेकिन उसके लिए बाहरसे जो बनी बनाई खाद आती है, जिसको कि रसायन खाद बोलते हैं, उसमें हम चंद करोड़ रुपये मुफ्तके दे देते हैं या ऐसा कहो कि जमीनको बिगाड़नेके लिए वह पैसे देते हैं। यह मेरा कहना नहीं है, मैं तो वह जानता ही नहीं; लेकिन जो इसका ज्ञान रखते हैं वे ऐसा कहते हैं। मीराबेनने ही यह सब किया है और उसने ही इस चीजके जानकार लोगोंको इकट्ठा किया। उसको शौक है और वह सचमुच किसान बन गई है।

और भी बड़े-बड़े आदमी इस काममें उसके साथ थे। राजेंद्र बाबू तो हैं ही, सर दातारसिंह हैं और भी दूसरे अच्छे-अच्छे खेतीका थोड़ा-बहुत जाननेवाले हैं, वे आ गए थे। वे मिले और जो किया वह अखबारोंमें भी आ गया है। उन्होंने यह निकाला है कि खाद किस तरह बना सकते हैं। उसको जिंदा खाद कहते हैं। हमारे यहां गोबर तो काफी होता है और जहां मनुष्य हैं वहां उनका विष्टा भी रहता है, उससे खासा अच्छा खाद बन जाता है। उसको मिश्रण करनेके बाद, यह कोई कह नहीं सकता कि वह कैसे बना है। अगर बननेके बाद उसको हाथमें ले लो तो सुगंधि निकलती है, दुर्गन्धि नहीं। इस तरहसे उसका परिवर्तन हो जाता है। जो भी घास-पत्ता और कूड़ा-कचरा होता है वह सब मिला लिया जाता है और इस तरह वह मुफ्तमें खाद बन जाता है। कचरेमेंसे करोड़ों रुपए कैसे निकल सकते हैं, यह इल्म लोगोंको बतानेके लिए दो-तीन रोजके लिए ये कुछ लोग बैठ गए थे।

: १८४ :

२० दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

बड़े दुःखकी बात है कि यहां (दिल्लीमें) फिर थोड़ेसे पैमानेपर दंगा शुरू हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि सब मुसलमानोंको यहांसे जाना है तो फिर हमको साफ कह देना चाहिए, वह शराफत होगी या हकूमत कहे कि आप लोगोंका यहां रहना मुफीद[१] नहीं है ? हम आपको थोड़ा-थोड़ा हलाक करके नहीं निकालना चाहते, लेकिन सचमुच तो आपको जाना ही है। मुझको तो इसका बड़ा दुःख होता है।

क्या ही अच्छा हो अगर हम सब अच्छे हो जायं, शरीफ बन जायं और बहादुर हो जायं। वह तो एक डरपोकका काम हो जाता है कि जो यह कहे कि मुसलमान मेरे पास नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता ? अगर वह खराब है तो उसको ठीक करना है—शराफतसे, मारपीटकर नहीं। इसलिए मुझको तो यह बड़ा चुभता है कि हम क्यों ऐसे बन गए कि जिससे मुसलमान यहां डरें और हिंदू तथा सिख पाकिस्तानमें डरें। और पीछे बड़ी-बड़ी बातें हम करें कि यहां सब लोग आरामसे रह सकते हैं। कहां आरामसे रह सकते हैं ? मैं तो हमारी हकूमतसे भी कहता हूं कि अगर वह सच्ची बनना चाहती है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने सारे अफसरोंको साफ-साफ यह कह दे कि हमारे रहते हुए ऐसे नहीं बन सकता है। आखिर आप ही लोगोंके तो हम नुमायंदे हैं, क्योंकि सरकारी अफसर भी तो मतदाता होते हैं। इसलिए अफसरोंको क्या, फौजको क्या और पुलिसको क्या, सबको शराफतसे चलना है। अगर हम लोग शराफतसे चलेंगे तो हमारी गाड़ी आगे चल सकती है, नहीं तो जो लगाम हमारे हाथमें आ गई है उसको हम छोड़ रहे हैं, इसका मुझको दुःख होता है। लेकिन आज तो मैं वह बात नहीं करना चाहता था। मैं तो आपको वह सुनाना चाहता हूं जो मैंने छोड़ रखी है।

[१] लाभदायक।

चरखा-संघकी जो बैठक हुई थी उसमें ग्राम-उद्योगसंघकी बात मैंने अभीतक छोड़ रखी थी। थोड़ा-सा इशारा जरूर कर दिया था। चरखा तो ग्राम-उद्योगका मध्य-बिंदु है। अगर सात लाख गांवोंमें चरखा न चले तो अन्य गृह-उद्योग भी नहीं चल सकते हैं। चरखा तो सूरज है और दूसरे जो उद्योग हैं वे ग्रह हैं, जो सूरजके इर्द-गिर्द घूमते हैं। उनको ग्रह भी इसलिए कहा गया कि वे सूरजके इर्द-गिर्द फिरते रहते हैं। अगर सूरज डूब जाय तो दूसरे ग्रह चल नहीं सकते, क्योंकि वे सब सूरजपर ही आश्रित हैं, ऐसा दुनियामें बन गया है। लेकिन देहातका सूरज किसको कहें? हिंदुस्तानका सूरज तो वह चक्र है कि जो झंडेमें मौजूद है, पीछे चाहे आप उसको सुदर्शन चक्र कहें या अशोक राजाका चक्र कहें। मेरी निगाहमें तो वह चरखेकी निशानी है। अगर वह देहातोंमें चलता रहे तो अन्य ग्राम-उद्योग भी रुक नहीं सकते, लेकिन उसके चलते रहनेपर भी दूसरोंको देखना तो है। अगर उनको संभाले ही नहीं और वे सब इर्द-गिर्द चलना छोड़ दें तो फिर जो सूरज है, वह भी बेहाल हो जायगा। जितने हमारे खगोल-शास्त्री कहे जाते हैं उन्होंने यह नहीं देखा है और उन्होंने देखा होगा तो मैं मूर्ख हूं, जानता नहीं हूं। लेकिन मैं तो मानता हूं कि अगर सब ग्रह डूब जाते हैं तो सूरजको भी डूबना है। यह मैं शास्त्रीय तरीकेसे तो सिद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि जो दूसरे इर्द-गिर्दके उद्योग न चलें तो चरखा बेचारा अकेला क्या कर सकता है? दिल्लीके इर्द-गिर्द क्या थोड़े ग्राम पड़े हैं। अगर वे सब दिल्लीको आश्रय दें और उनको दिल्लीका आश्रय लेना है तो पीछे वह सब बहुत खूबसूरत काम बन जाता है और आपस-आपसकी लड़ाईका सारा झगड़ा भी मिट जाता है। आखिर देहातोंमेंसे सब चीजें हमको चाहिएं। आज तो वे चीजें आ नहीं सकती हैं। आप अगर न जानते हों तो जानना चाहिए कि दिल्लीमें बहुतसे कारीगर मुसलमान थे। वे चले गए। पानीपतमें देखो, कितने मुसलमान कंबल वगैरा बनाते थे। आज तो वह धंधा अस्त-व्यस्त हो गया। पीछे अगर हिंदू और सिख वहां गए तो देखा जायगा। लेकिन वे क्यों वहां जाएं? वे कोई भूखे थोड़े ही मरते हैं! हिंदूके पास जो पेशा है उसमेंसे वह कमा लेता है और मुसलमानके पास जो पेशा है उसमें वह कमा लेता है। अगर तब

मुसलमान अपना काम छोड़कर यहांसे चले जाते हैं तो उसमें हिंदुस्तानका नुकसान ही होता है। इस लिहाजसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों डूब रहे हैं। क्या वजह है कि हम काश्मीरमें लड़ते हैं? वहां जो बागी लोग आ गए हैं वे लड़ें और फिर हम यहांसे उसके लिए लश्कर भेज दें, वह तो एक वहशियाना बात मैं समझता हूं।

ग्राम-उद्योगकी बात तो एक बड़ी बुलंद बात है। कल मैंने आपको बताया था कि मीरा बेन उस कामको कर रही है और उसमें तो हमारी हकूमतके लोगोंका भी हाथ है। वह खाद हम सब अपने घरोंमें बना सकते हैं। हम लोग जो मैला करते हैं वह और गोबर तथा और भी जो कूड़ा-कचरा जमा हो जाता है, वह सब मिला लें। वह इस खूबीसे मिल जाता है कि पीछे एक खूबसूरत और सुगंधित खाद बन जाती है।

इसलिए ग्राम-उद्योग और चरखा-संघका जो काम है वह तभी चल सकता है जब करोड़ों आदमी उसमें मदद दें। अगर वे न दें तो वह काम बिल्कुल चल नहीं सकता। चार चीजें, जहांतक मुझको याद हैं, अर्थात् चरखा-संघ, हरिजन-सेवक संघ, ग्राम-उद्योग संघ और तालीमी संघ—जो बनी हैं, वे चारोंकी चारों धनिकोंके लिए नहीं, बल्कि गरीबोंके लिए हैं। सब लोगोंको इनके काममें हाथ बटाना है। अगर हाथ न बटाएं तो वह काम चल नहीं सकता। अगर हम हिंदुस्तानमें पंचायत राज्य या लोगोंका राज्य चाहते हैं, तो सब लोगोंको उस काममें मदद देनी है। वह कोई हवामेंसे तो आता नहीं है और न हिमालयसे चलकर आता है। वह तो यहांकी जनताके द्वारा ही हो सकता है। जनता एक तरहकी नींव है, जिसपर हम एक बहुत ऊंचा मकान बना सकते हैं। अगर उसमें सब हाथ दें, तब तो खैर है और अगर न दें तो ठीक है। हम एक-दूसरेसे लड़ तो रहे ही हैं और नतीजा भी उसका वही आकर रहेगा जो यादव लोगोंका हुआ था। यदुवंशी तो कृष्ण भी हुए थे, लेकिन पीछे क्या हुआ कि सब लड़ते थे और दूसरोंको डराते रहते थे। शराब पीना, व्यभिचार करना और आपसमें लड़ना, उनका काम रह गया था। नतीजा यह हुआ कि वह उस चीजमें जो घासकी थी, खत्म हो गए। यादवस्थल उसको हम कहते हैं। वह नतीजा या तो हिंदुस्तानको आनेवाला है और अगर नहीं

आनेवाला है तो केवल इससे कि ये चार चीजें बनी हैं उनको हम करते रहें। तभी हम सब आरामसे रह सकते हैं।

: १८५ :

मौनवार, २२ दिसंबर १९४७

(लिखित संदेश)

भाइयो और बहनो,

यहांसे आठ-दस मीलके फासलेपर महरौलीमें कुतुबुद्दीन बखतियार चिश्तीकी दरगाह है। वह पवित्रतामें अजमेरकी दरगाहसे दूसरे नंबरपर मानी जाती है। इन दरगाहोंपर न सिर्फ मुसलमान जाते थे, बल्कि हजारों हिंदू और दूसरे गैर-मुस्लिम भी वहां पूजाभावसे जाया करते थे। पिछले सितंबरमें यह दरगाह हिंदुओंके गुस्सेका शिकार बनी। आस-पासमें रहनेवाले मुसलमान अपने ८०० साल पुराने घरोंको छोड़नेपर मजबूर हुए। इस किस्सेका जिक्र करनेका कारण इतना ही है कि दरगाहके प्रति प्रेम और वफादारी रखते हुए भी, वहां आज कोई मुसलमान नहीं है। हिंदुओं, सिखों, वहांके सरकारी अफसरों और हमारी सरकारका यह फर्ज है कि जल्दी-से-जल्दी पहलेकी तरह उस दरगाहको खोलकर, यह कलंकका टीका धो डालें। यह चीज देहलीमें और देहलीके इर्द-गिर्दके मुसलमानोंकी सब धार्मिक जगहोंपर लागू होती है। वक्त आ गया है कि दोनों तरफकी सरकार सख्तीके साथ अपनी-अपनी अक्सरियत[1]के सामने यह साफ कर दे कि अब धार्मिक स्थलोंका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायगा, चाहे वह स्थल छोटा हो और चाहे बड़ा। इन स्थलोंका जो नुक्सान किया गया है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए।

मुस्लिम लीगकी सभाने कराचीमें जो फैसला किया है उसे देखते हुए मुसलमान मुझे पूछते हैं कि जो लीगके मेंबर हैं वे, जो सभा लखनऊमें मौलाना आजाद बुला रहे हैं, उसमें जावें या न जावें ? क्या मुस्लिम लीगके

---

[1] बहुसंख्यक।

मेंबरोंकी जो सभा मद्रासमें होनेवाली है, उसमें भी जावें ? हर हालतमें यूनियनमें रहनेवाले मुस्लिम लीगके मेंबरोंका क्या रवैया[1] होना चाहिए ? मेरे दिलमें कोई शक नहीं कि अगर उन्हें व्यक्तिगत या जाहिर निमंत्रण मिले, तो उन्हें लखनऊकी मीटिंगमें जाना चाहिए, और मद्रासकी मीटिंग-में भी। दोनों जगह उन्हें अपने विचार निर्भयतासे और खुली तरह जाहिर करने चाहिएं। अगर उन्होंने पिछले ३० सालमें हिंदुस्तानकी अहिंसाकी लड़ाईका अभ्यास किया है तो उन्हें इस बातसे घबराहट नहीं होनी चाहिए कि यूनियनमें वे अकलियतमें[2] हैं, और पाकिस्तानकी अक्सरियत उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। यह चीज समझनेके लिए उन्हें अहिंसामें विश्वास रखनेकी जरूरत नहीं कि अकलियतको, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, अपनी इज्जत और इन्सानको जो भी प्रिय और निकट लगता है, वह सब कुछ, बचानेके लिए डर रखनेका कभी कारण नहीं रहा। इन्सान ऐसा बना है कि अगर वह अपने बनानेवालेको समझ ले और यह समझ ले कि मैं उसी भगवानका प्रतिबिंब हूं तो दुनियाकी कोई ताकत उसके स्वमानको छीन ही नहीं सकती। उसके स्वमानका हनन कोई कर सकता है तो वह खुद ही कर सकता है। जिन दिनों मैं ट्रांसवालकी जबर्दस्त हकूमतके साथ लड़ रहा था, मेरे एक प्रिय अंग्रेज मित्रने मुझे जोहांसबर्गमें कहा, "मैं हमेशा अकलियतका साथ देना पसंद करता हूं, क्योंकि अकलियत आम तौरपर कभी गलती नहीं करती है, और करती है तो उसे सुधारा जा सकता है। मगर अक्सरियतको सत्ताका मद होता है, इसलिए उसे सुधारना कठिन रहता है।" अगर अक्सरियतसे हथियारोंकी एकतरफा ताकतका भी मतलब हो तो इस दोस्तकी बात सही थी। हम अपने कड़वे अनुभवपरसे जानते हैं कि कैसे मुट्ठीभर अंग्रेज यहां हथियारोंकी ताकतसे अक्सरियत बने बैठे थे और सारे हिंदुस्तानको दबाए हुए थे। हिंदुस्तानके पास वे हथियार नहीं थे, और रहते भी तो हिंदुस्तानी उनका इस्तेमाल नहीं जानते थे। यह दुःखकी बात है कि हमारे मुल्कमें अंग्रेजोंकी हकूमतसे हिंदुओं और सिखों-ने पाठ नहीं सीखा। यूनियनके मुसलमानोंको पश्चिममें और पूर्वमें अपनी

[1] तरीका; [2] अल्पसंख्यक।

अक्सरियतका झूठा घमंड था। आज उस बोझसे मुक्त हो गए हैं। अगर वे अकलियतमें रहनेके गुणोंको समझेंगे तो वे अपने तरीकेसे इस्लामकी खूबियोंका प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस्लामका अच्छे-से-अच्छा जमाना हजरत मुहम्मदके मक्केके दिनोंमें था। कान्सटेनटेन-की शहनशाहीके वक्तसे मिस्त्री धर्मका अस्त होने लगा। इस दलीलको यहां लंबा करना नहीं चाहता। मेरी सलाहका आधार मेरा पक्का अकीदा[1] है, इसलिए अगर मुस्लिम मित्रोंके मनमें इस चीजपर विश्वास नहीं है तो बेहतर होगा कि वे मेरी सलाहको फेंक दें।

मेरी रायमें उन्हें कांग्रेसमें आनेके लिए तैयार रहना चाहिए। मगर जबतक कांग्रेसमें उनको हार्दिक स्वागत न मिले, और समानताका बर्ताव न मिले, तबतक वे कांग्रेसमें भर्ती होनेकी अर्जी न करें। सिद्धांतके तौरपर तो कांग्रेसमें अक्सरियत और अकलियतका सवाल उठता ही नहीं। कांग्रेसका कोई धर्म नहीं, एकमात्र मानवताका धर्म है। उसमें हरएक स्त्री-पुरुष समान है। कांग्रेस एक शुद्ध राजनैतिक संस्था है, जिसमें सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब बराबर हैं। कांग्रेस हमेशा अपने कहनेपर अमल नहीं कर सकी। इससे कभी मुसलमानोंको लगा है कि यह तो मुख्यतः सवर्ण हिंदुओंकी ही संस्था है। जो भी हो, जहांतक खेंचतान जारी है मुसलमान बाइज्जत अलग खड़े रहें। जब उनकी सेवाओंकी कांग्रेसको जरूरत होगी वे कांग्रेसमें आ जावेंगे। उस वक्त-तक जिस तरह मैं कांग्रेसका हूं, वे कांग्रेसके रहें। कांग्रेसका चार आनेका मेंबर न होते हुए भी कांग्रेसमें मेरी हैसियत है, तो उसका कारण यह है कि जबसे १९१५ में मैं दक्षिण अफ्रीकासे आया हूं, मैंने वफादारीसे कांग्रेसकी सेवा की है। हरएक मुसलमान आजसे ऐसा कर सकता तो वे देखेंगे कि उनकी सेवाओंकी भी उतनी ही कदर होती है जितनी कि मेरी सेवाओंकी।

आज हरएक मुसलमान लीगवाला और इसलिए कांग्रेसका दुश्मन समझा जाता है। बदकिस्मतीसे लीगका शिक्षण ही ऐसा रहा है। आज तो दुश्मनीका तनिक भी कारण रहा नहीं। कौमीवादके[2] जहरसे मुक्त

[1] विश्वास; [2] सांप्रदायिकता।

होनेके लिए चार महीनेका अर्सा बहुत छोटा अर्सा है। इस दुःखी देशका दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुओं और सिखोंने जहरको अमृत समझ लिया और लीगी मुसलमानोंके दुश्मन बने। ईंटका जवाब पत्थरसे देकर उन्होंने कलंक-का टीका मोल लिया और मुसलमानोंके बराबर हो गए। मेरा मुसलमान अकलियतसे अनुरोध है कि वे इस जहरी वातावरणसे ऊपर उठें, अपने आदर्श बर्तावसे उनके बारेमें जो वहम भर गया है, उसे वे गलत सिद्ध करें और बता दें कि यूनियनमें इज्जत-आबरूसे रहनेका एक यही तरीका है कि वे मनमें किसी तरहकी चोरी न रखकर हिंदुस्तानके शहरी बनें।

इसमेंसे यह परिणाम निकलता है कि लीग राजनैतिक संस्थाके रूपमें नहीं रह सकती। इसी तरह हिंदू-महासभा, सिख-सभा और पारसी-सभा भी नहीं रह सकती। धार्मिक संस्थाओंके रूपमें वे भले रहें। तब उनका काम अंदरूनी सुधार होगा, धर्मकी अच्छी चीजें ढूंढ़ना और उनपर अमल करना होगा। तब वातावरणमेंसे जहर निकल जाएगा और ये संस्थाएं एक दूसरेके साथ भलाई करनेमें मुकाबला करेंगी। वे एक दूसरे-के प्रति मित्रभाव रखेंगी और हकूमतकी मदद करेंगी। उनकी राजनैतिक महात्वाकांक्षाएं तो कांग्रेसके ही द्वारा पूर्ण हो सकती हैं, चाहे वे कांग्रेसमें हों या न हों। जब कांग्रेस, जो कांग्रेसमें है उन्हींका विचार करेगी, तो उसका क्षेत्र बहुत संकुचित हो जायगा। कांग्रेसमें तो आज भी बहुत कम लोग हैं। कांग्रेसकी आज कोई बराबरी नहीं कर सकता तो उसका कारण यह है कि वह सारे हिंदुस्तानकी नुमायंदगीका प्रयत्न कर रही है। वह गरीब-से गरीब, दलित-से-दलितकी सेवाको अपना ध्येय बनाए हुए है।

: १८६ :

२३ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज तो मैंने विचार कर लिया है कि तीन चीज कहूंगा। एक

चीज तो यह है कि कल आपने देखा होगा कि यहां बहावलपुरके लोग आ गए थे। बड़े परेशान हैं। उन लोगोंने बताया कि वहां जितने हिंदू और सिख हैं उन सबको बुला लेना चाहिए, नहीं तो उनकी जान खतरेमें है। आज वहांसे दो भाई भी आ गए थे। उन लोगोंने भी यही बात बताई। उन लोगोंने कहा कि अगर कुछ नहीं होता है तो गवर्नर-जनरलके घरके सामने जाकर भूख-हड़ताल करेंगे। तो मैंने कहा कि वहां भूख-हड़ताल करनेसे न तो आ सकते हैं और न बच सकते हैं और गवर्नर-जनरल तो अब नामके रह गए हैं। दस्तखत कर देते हैं, उनके पास तो आज सत्ता है नहीं। वे तो आज जैसे आप हैं वैसे हैं। अपने बलसे ऐसा कहो कि हमारे बलसे खड़े हैं। हमारे प्रधान हैं, हमारे बलपर खड़े हैं। तो सोचोगे कि पंडित नेहरू या सरदारके घरके सामने भूख-हड़ताल करें, यह भी अज्ञानता है। उनमें एक-दो डाक्टर थे। वे समझ गए, इसलिए हड़ताल नहीं की। कल तो मेरी खामोशी थी, इसलिए कुछ नहीं कह सका। बहावलपुरके नवाबको चाहिए कि वे सब हिंदू सिखको जहां वे जाना चाहते हैं, भेज दें, नहीं तो उनके धर्मका पतन हो जायगा। नवाब साहबके होते हुए क्या हुआ, वह क्या बताऊं ? वह काफी खतरनाक बात है। वहां काफी हिंदू, सिख मारे गए और परेशान भी हुए। सिखोंने तो बहावलपुरको बनाया है—वे बहादुर हैं, वे लड़ सकते हैं, किसानका काम कर सकते हैं और वे वहां किसान बनकर रहते हैं, खाते-कमाते हैं। वैसे ही हिंदू भी हैं। आलसी बनकर बैठे हैं, ऐसे थोड़े हैं। उन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, गुनाह इतना ही है कि वे हिंदू हैं या सिख हैं। बिना गुनाहके काफी हिंदू और सिखोंको मार डाला और बाकी भाग गए। जब हिंदू और सिख वहां आरामसे रह नहीं सकते तो नवाब साहब कुछ भी कहें तो उससे क्या ! मैं तो कहूंगा कि नवाब साहब अपने धर्मका पालन करें, इसीमें उनकी शोभा है। अगर वे वहां उन लोगोंको इज्जतसे रख नहीं सकते तो उनको चाहिए कि वे प्रबंध कर उन लोगोंको भेज दें, नहीं तो उन्हें ऐलान कर देना चाहिए कि वहां जितने हिंदू, सिख पड़े हैं उनके बालको भी कोई छूनेवाला नहीं है। वे आरामसे पड़े रह सकते हैं और अगर भूखों मरते हैं तो उनकी रोटीका प्रबंध कर दिया जाय।

जो पागलपन हो गया वह हो गया। वैसा पागलपन तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनोंमें हो गया। उस पागलपनको अब छोड़ दें और शराफतसे काम करें।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह आजके 'स्टेट्समैन' में है। वह यह कि लाहौरमें जो शिविर पड़े हैं—उसमें तो दुःखी लोग हैं, वहां तो मुसलमान पड़े हैं—वे बहुत गंदे हैं, वहां हैजा हो रहा है, सीतला निकल रही है और काफी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन ठंडमें पड़े रहते हैं। कुछ लोग ठंडके कारण भी मरते हैं, क्योंकि बाहर पड़े रहते हैं। बाहर रहें तो रहें, लेकिन आकाशके नीचे कैसे रह सकते हैं ? पानीसे बचनेको कुछ रहना चाहिए, तन ढकनेको चाहिए और रोटी भी चाहिए। ये न रहें तो मरनेका चारा हो गया। बाकी मैं नहीं जानता कि वहां क्या-क्या हो रहा है। हां, ऐसा भी है कि वहां स्यालकोटसे भंगी बुलाए गए हैं, जो शिविरोंकी सफाईका काम करेंगे, मैला उठाएंगे। वहांके अफसर कहते हैं कि वहां उनसे पूरा-पूरा काम होता नहीं है—मैं तो जानता नहीं हूं कि क्या है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि परेशानीमें पड़े हैं। वे लोग पाकिस्तानमें हैं तो क्या हुआ, मुसलमान हैं तो क्या हुआ, इन्सान ऐसे क्यों बनें, मुझे इसका दुःख होता है। हमारी ज्यादतीके कारण वे लोग यहांसे जान बचाकर भागे, यहांसे घर-बार छोड़कर चले गए। वहां उनका घरबार तो है नहीं तो तकलीफ तो होगी ही; लेकिन यह क्या बात है कि वे अपनी सफाईतक न रख सकें। मैं तो हर दुःखीको—वहां पड़े हैं उनको, और यहां पड़े हैं उनको, सबको—कहूंगा कि उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि हमें खाना बनानेवाले दो, झाड़ू करनेवाले दो, मैला उठानेवाले दो। जब घर छोड़कर भाग गए तो ऐसी मांग क्यों करनी चाहिए। वे तो करोड़पतिके लिए हैं। वह चाहे तो एक आदमीके बदले दस आदमी रख सकता है, लेकिन सब कैसे रख सकते हैं ? मैं तो कहूंगा कि यह हमारे गिरनेके लक्षण हैं। उनको दृढ़तासे, हिम्मतसे कहना चाहिए कि हम स्यालकोटसे भंगी नहीं बुलाएंगे और अपने शिविरको हमें ही साफ रखना है। पाकिस्तानके अफसर और वहांकी हकूमतको भी कहना चाहिए कि हम आपके लिए स्यालकोटसे झाड़ू देनेवाले नहीं बुलाएंगे। इन्सानसे जितना हो सकता है उतना तो करें। उसके बाद

मरे वह बात दूसरी है, लेकिन नहीं करते हैं तो गुनाह इन्सानका है और इन्सानपर खूनका बोझ पड़नेवाला है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि शरणार्थियोंको शराफतसे रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि उनसे जितना काम हो सकता है, करें, किसीपर बोझ नहीं होना चाहिए। पंजाबका नमूना देकर सबको कहूंगा कि सफाईका काम खुद करना चाहिए। काम करनेमें कोई शर्म नहीं है।

एक बात और कहूंगा। वह अच्छी बात है। आपको मैंने एक वक्त शायद सुनाया तो था कि प्यारेलाल यहां आ गए हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि वे कौन हैं। वे तो मेरा मंत्रीका काम करते हैं—वे बहुत दिनोंसे नोआखालीमें काम करते थे। उनके साथ और लोग भी थे—वे सब-के-सब जानपर खेल रहे थे, उससे वहां जितने हिंदू कष्टमें थे उन सबको सहारा मिल गया और मुसलमान भी समझ गए कि वे हमारे दोस्त हैं, सेवक हैं, मारने-पीटने नहीं आए हैं, वे तो दोनोंके बीचमें, अगर हो सके तो मेल कराने आए हैं। वे कहते हैं कि वहांकी एक चीज जानने लायक है, ऐसी तो कई चीज हैं; लेकिन यह एक बड़ी चीज है। वहां किसी मंदिरको मुसलमानोंने तोड़ दिया था और उसपर लोगोंने अधिकार कर लिया था। तो यह तो झगड़ेकी बात हो गई। पीछे उन मुसलमानोंने कहा कि हम हिंदुओंके साथ मिल-जुलकर रहनेवाले हैं, लेकिन जब हिंदू मंदिरको नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते तो यह जंचनेवाली बात नहीं हुई। वह सब तो दुबारा सुनाऊंगा, क्योंकि अब वक्त हो रहा है। पीछे मुसलमानोंने कहा कि वे अपने मंदिरोंमें जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हम भी जाकर उनके साथ पूजा करेंगे तो प्यारेलालने कहा कि क्या करोगे, मंदिर तो है नहीं, मंदिर तो होना चाहिए, तो उन लोगोंने कबूल कर लिया कि ठीक है और मेहनत कर मंदिर बना दिया और कहा कि आप लोग आरामसे रह सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, रामधुन चला सकते हैं। वहां प्रतिष्ठा हो गई। इस तरहसे अब सब बड़े आरामसे रहते हैं। अमलदारोंने भी इसमें हिस्सा लिया। वह अच्छी चीज है। अगर सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें ऐसा हो जाय तो हमारी शक्ल बदल जाती है। अगर हम अपने धर्मपर कायम रहें और दूसरोंके धर्ममें दखल न दें तो हमारा सब काम हो सकता है।

: १८७ :

२४ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मेरे पास हमेशा सिख भाई आते रहते हैं। मैं अखबारोंमेंसे थोड़ा पढ़ लेता हूं, मिलने आनेवाले लोग भी मुझे सुनाते रहते हैं। वे लोग कहते हैं कि मैं तो सिखोंका दुश्मन बन गया हूं। उन्होंने इसकी परवा न की होती, अगर मेरी बात हिंदुस्तानके बाहर कुछ-न-कुछ वजन न रखती। दुनिया मानती है कि हिंदने अहिंसाके, शांतिके जरिये आजादी ली है। अगर ऐसा ही होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मगर पंगु और नामर्दोंसे अहिंसा चल नहीं सकती। यह पंगुपन और गूंगा-पन शारीरिक नहीं। शरीरसे पंगु बननेवाले तो ईश्वरकी मददसे अहिंसापर खड़े रह सकते हैं। एक बच्चा भी अहिंसापर खड़ा रह सकता है—जैसे प्रह्लाद। ऐसा हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता, पर कहानी बन गई है कि प्रह्लादने अपने पिताको साफ कह दिया था कि मेरी कलमसे रामके सिवा कुछ निकलेगा ही नहीं। मेरे सामने १२ बरसका बच्चा प्रह्लाद आज भी खड़ा है। मगर जो आदमी आत्मासे लूला है, पंगु है, अंधा है, वह अहिंसाको समझ नहीं सकता। अहिंसाका पालन कर नहीं सकता। मैंने गलतीसे यह सोच लिया था कि हिंदुस्तानकी आजादीकी लड़ाई अहिंसक लड़ाई थी। लेकिन पिछली घटनाओंने मेरी आंखें खोल दी हैं कि हमारी अहिंसा असलमें कमजोरोंका मंद विरोध था। अगर हिंदुस्तानके लोग सचमुच बहादुरीसे अहिंसाका पालन करते, तो वे इतनी हिंसा कभी नहीं करते।

सिख भाइयोंके गुस्सेपर मुझे हँसी आती है। सिखों और हिंदुओंमें मैं फर्क नहीं समझता। गुरु ग्रंथसाहब मैंने पढ़ा है। सिख कहते हैं कि मैं गुरु गोविंदसिंहके बारेमें क्या समझूं? अगर मैं इस दिशामें अज्ञान होता, तो उनके बारेमें मैंने जो लिखा है वह नहीं लिख सकता था। मैं किसीका दुश्मन नहीं हूं। उन्हें समझना चाहिए कि जब मैं सिखोंकी शराबखोरी या जुआ खेलनेकी बात करता हूं, तो वह सारे सिखोंपर लागू नहीं होती। हिंदुओंमें भी ऐसे बहुत लोग पड़े हैं। मगर जहां सिखोंकी

तलवार नहीं चलनी चाहिए, वहां चलती है यह-बुरी बात है। बुरा बरताव करनेवाला कोई भी क्यों न हो, वह ईश्वरके सामने गुनाह करता है।

आज २४ दिसंबर है, कल २५। क्रिस्मस[१] ईसाइयोंके लिए वैसा ही त्योहार है, जैसी हमारे लिए दीवाली। न दीवाली नाचरंगके लिए हो सकती और न क्रिस्मस। जीसस क्राइस्टके नामसे यह चीज बनी है। इस मौकेपर सारे ईसाई भाइयोंको मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने जीवनमें जीसस क्राइस्टके उपदेशोंपर अमल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदू, मुसलमान या सिख यह चाहे कि हिंदुस्तानके थोड़ेसे ईसाई बरबाद हो जायं या अपना धर्म बदल डालें। 'धर्म-पलटा' शब्द मेरी डिक्शनरी[२]में ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर ईसाई अच्छा ईसाई बने। हर हिंदू अच्छा हिंदू बने। वह हिंदू-धर्मकी मर्यादा और संयमका पालन करे और उसमें जो तपश्चर्या बताई गई है, उसे अपने सामने रखकर जीवन व्यतीत करे। उसी तरह मैं चाहता हूं कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बने और सिख अच्छा सिख बने। पाजी हिंदू अगर मुसलमान बने, तो वह अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता। अगर मैं अच्छा हिंदू बनता हूं और ईसाईको अच्छा ईसाई बननेकी प्रेरणा देता हूं, तो मैं अपने धर्मका प्रचार करता हूं।

ईसाई लोग जीसस[३]के धर्मपर कायम रहें। दुनियामें धर्मकी वृद्धि हो। मैंने अखबारोंमें देखा है कि चूंकि अब ईसाई धर्म या दूसरे किसी धर्मको राजसे पैसेकी मदद नहीं मिलनेवाली है, बाहरसे भी बहुत पैसे नहीं आनेवाले हैं, इसलिए हिंदुस्तानके ७५फी सदी गिरजे बंद हो जायंगे। हमारे यहांके ज्यादातर ईसाई गरीब हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं। मगर पैसेसे धर्म नहीं चलता। ईसाइयोंको खुश होना चाहिए कि पैसेकी यह बला दूर हुई। हजरत उमरके घर एक वार बहुत-सा इनामइकराम आ गया। वह बहुत गंभीर होकर अपनी बीबीसे कहने लगे कि यह बला आ गई है। पता नहीं, अब मैं अपने धर्मपर कायम रह सकूंगा या नहीं। भगवान तो हमारे पास पड़ा है, उसे हम पहचानें। सबसे बड़ा गिरजाघर है ऊपर आकाश और

[१] बड़ा दिन; [२] कोष; [३] ईसा।

नीचे धरती माता। खुलेमें क्या मैं भगवानका नाम नहीं ले सकता ? भगवानकी पूजाके लिए न सोना चाहिए न चांदी। अपने धर्मका पालन हम खुद ही कर सकते हैं, और खुद ही उसका हनन कर सकते हैं।

: १८८ :

२५ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

काश्मीरमें जो कुछ हो रहा है, उसके बारेमें थोड़ा बहुत मुझे और आपको मालूम है। एक चीजकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अखबारोंमें आ गया है कि यूनियन और पाकिस्तान काश्मीर-के बारेमें फैसला करनेका किसीको निमंत्रण दें। यह पंच नियुक्त करनेकी बात हुई ? कहांतक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान और यूनियन आपसमें फैसला कर ही नहीं सकते ? कहांतक हम आपसमें लड़ते रहेंगे ? दोनों काश्मीर और जम्मू एक हैं। वहां मुसलमानोंकी अधिकता है। काश्मीरके दो टुकड़े करें, तो यह टुकड़े करनेकी बात कहां जाकर रुकेगी ? हिंदुस्तानके दो टुकड़े हुए, इतना बस है, बससे ज्यादा है। हिंदुस्तानको ईश्वरने एक बनाया, उसके टुकड़े मनुष्य कैसे कर सकता था ? पर वह हुआ। लीग और कांग्रेस अलग-अलग कारणोंसे उसमें राजी हुईं। आज काश्मीरके टुकड़े करें तो दूसरी रियासतोंके क्यों नहीं ?

काश्मीरमें झगड़ा क्यों हुआ ? कहा जाता है कि हमला करनेवाले डाकू हैं, लुटेरे हैं, वे बाहरसे आते हैं, रेडर्स[1] हैं। मगर जैसे-जैसे वक्त बीतता है, वैसे-वैसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है। उर्दूके कुछ अखबार यहां आ जाते हैं। मैं थोड़ा-बहुत खुद पढ़ सकता हूं। कुछ मुझे आसपास वाले सुना देते हैं। आज 'जमींदार' नामके अखबारमेंसे मुझे थोड़ा सुनाया गया। 'जमींदार'के एडीटर[2]को मैं पहचानता हूं। उनकी जबानपर कभी लगाम

[1] आक्रमणकारी; [2] सम्पादक।

नहीं रही। अब तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला निमंत्रण दिया है कि सब मुसलमान काश्मीरपर हमला करनेके लिए भर्ती हों। डोंगरोको, सिखोंको, सबको उन्होंने गालियां दी हैं। काश्मीरकी लड़ाईको जिहाद[1] कहा है। मगर जिहादमें तो मर्यादा होती है—संयम होता है। यहां तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ चल रहा है, वह होना नहीं चाहिए। क्या वह यह चाहते हैं कि हिंदू, सिख और मुसलमान हमेशा अलग ही रहें? मुसलमान अगर हिंदुओं और सिखोंको मारें-काटें, फिर भी हमारा धर्म क्या है? यह मैं आपको रोज बतलाता हूं। हिंदू और सिख कभी बदला न लें।

सीधी बात यह है कि काश्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढ़ाई है। हिंदुस्तानका लश्कर वहां गया हुआ है, मगर चढ़ाई करनेको नहीं। वह महाराजा और शेख अब्दुल्लाके बुलानेपर वहां गया है। काश्मीरके सच्चे महाराजा शेख अब्दुल्ला हैं। हजारों मुसलमान उनपर फिदा हैं।

अपना गुनाह हरएकको कबूल कर लेना चाहिए। जम्मूके सिखों और हिंदुओंने या बाहरसे आए हुए हिंदुओं और सिखोंने वहां मुसलमानोंको काटा। काश्मीरके महाराजा इंग्लैंडके राजाकी तरह नहीं हैं। उनकी रियासतमें जो भी बुरा-भला होता है, उसकी जिम्मेदारी उनके सिरपर है। वहां काफी मुसलमान कतल किए गए, काफी लड़कियां उड़ाई गईं। शेख अब्दुल्ला साहबने बचानेकी कोशिश की। जम्मूमें जाकर उन्होंने बहस की, लोगोंको समझाया। काश्मीरके महाराजाने अगर गुनाह किया है तो उन्हें या जिस किसीने गुनाह किया है, उसे हटानेकी बात मैं समझता हूं। पर काश्मीरके मुसलमानोंने क्या गुनाह किया है कि उनपर हमला होता है?

पाकिस्तानकी हकूमतसे मैं अदबसे कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि इस्लामकी सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान है। मगर आपको उसका फख्र तभी हो सकता है, जब आपके यहां एक-एक हिंदू-सिखको इन्साफ मिले। पाकिस्तान और हिंदुस्तानको आपसमें बैठकर फैसला करना चाहिए, लेकिन तीसरी ताकतके मार्फत नहीं। दोनों तरफके प्रधान

---

[1] मजहबी लड़ाई।

बैठकर बातें करें। महाराजा अपने आप समझकर अलग बैठ जायं और लोगोंको फैसला करने दें। शेख अब्दुल्ला तो उसमें होंगे ही। मगर महाराजा समझ लें और कह दें कि यह हकूमत मेरी नहीं, काश्मीरके लोगोंकी है। यहांके लोग जो चाहें, सो करें। काश्मीर, काश्मीरके मुसलमानों, हिंदुओं और सिखोंका है, मेरा नहीं। महाराजा और उनके प्रधान अलग हो जाते हैं, तो शेख साहब और उनकी आरज़ी हकूमत रह जाती है। सब बैठकर आपस-आपसमें फैसला करें। उसमें सबका भला है। यूनियन सरकारने काश्मीरकी मदद की तो वहांकी प्रजाके खातिर; महाराजाके खातिर नहीं। कांग्रेस प्रजाके विरुद्ध किसी राजाका पक्ष नहीं ले सकती। राजाओंको प्रजाका ट्रस्टी बनकर रहना है, तभी वे रह सकते हैं।

एक उर्दू मैगजीन[1]में आज मैंने एक शेर देखा। वह मुझे चुभा। उसमें कहा है—'आज तो सबकी जबानपर सोमनाथ है। जूनागढ़ वगैराका बदला लेनेके लिए गजनीसे किसी नए गजनवीको आना होगा।' यह बहुत बुरा है। यूनियनके किसी मुसलमानकी कलमसे ऐसी चीज नहीं निकलनी चाहिए। एक तरफसे मित्रभाव और वफादारीकी बातें और दूसरी तरफसे यह ! मैं तो यहां यूनियनके मुसलमानोंकी हिफाजतके लिए जीवनकी बाजी लगाकर बैठा हूं। मैं तो यही करूंगा, क्योंकि मुझे बुराईका बदला भलाईसे देना है। आप लोगोंको यह सुनाया, ताकि आप ऐसी चीजोंसे बहक न जावें। गजनवीने जो किया था, बहुत बुरा किया था। इस्लाममें जो बुराइयां हुई हैं, उन्हें मुसलमानोंको समझना और कबूल करना चाहिए। काश्मीर, पटियाला वगैराके हिंदू-सिख राजाओंको उनके यहां जो बुराई हुई हो उसे कबूल कर लेना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं। गुनाह कबूल करनेसे वह हलका होता है। यूनियनमें बैठकर मुसलमान अगर अपने लड़कोंको सिखावें कि गजनवीको आना है, तो उसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तानको और हिंदुओंको खा जाओ। इसे कोई बर्दाश्त करनेवाला नहीं। दोनों आपसमें मिलकर चाहे कुछ भी कर लें। अगर यह शरारतभरा शेर एक महत्वपूर्ण मैगजीनमें न छपा होता, तो मैं उसका जिक्र भी न करता।

---

[1] अखबार।

: १८९ :

२६ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मैं आपको यहांके तिबिया कॉलेजके बारेमें एक बात सुनाना चाहता हूं। इस कॉलेजके जन्मदाता हकीम अजमलखां थे। आज कमनसीबीसे हम मुसलमानोंको दुश्मन मानकर बैठ गए हैं। मगर जब तिबिया कॉलेज बना था, तब ऐसा नहीं था। हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबोंने और हिंदू-मुस्लिम जनताने उसके लिए पैसा दिया था। हकीम साहब बड़े तबीब (डॉक्टर) थे। वह इस कालेजको चलाते थे। इसका एक ट्रस्ट भी बना था। ट्रस्टमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। डॉ० अन्सारी भी उसके ट्रस्टियोंमें थे। आज कुछ हिंदू सज्जन मेरे पास आए थे। उन्होंने पूछा कि तिबिया कॉलेजका क्या होगा? अगर तिबिया कॉलेज बंद हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत दुःख और शर्मकी बात होगी। आज तो वह बंद पड़ा है। कॉलेज करोलबागमें है। हमने बहुतसे मुसलमानोंको अपने पाजीपनसे भगा दिया। मगर दिल्लीमें आज मुसलमान कहां रह सकते हैं और कहां नहीं रह सकते, यह बड़ा प्रश्न है। दूसरोंको मिटानेकी चेष्टा करनेवालोंको खुद मिटना होगा। यह जीवनका कानून है। यह अपने आपको और अपने धर्मको मिटानेकी बात है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह पहले कह चुका हूं। मगर वह बार-बार कही जा सकती है। हजारों हिंदू और सिख लड़कियोंको मुसलमान भगा ले गए हैं। मुसलमान लड़कियोंको हिंदुओं और सिखोंने भगाया है। वे सब कहां हैं? उनका पता भी नहीं है। लाहौरमें सबने मिलकर यह फैसला किया था कि सारी भगाई हुई हिंदू, सिख और मुसलमान औरतोंको निकाला जाय। मेरे पास पटियाला और काश्मीरसे भगाई हुई मुसलमान लड़कियोंकी एक लंबी लिस्ट[1] आई है। उनमेंसे कई अच्छे और मशहूर घरोंकी लड़कियां हैं। अगर वे लड़कियां मिलें तो उन्हें वापस

---

[1] सूची।

लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हमारे हिंदू लोग खोई हुई हिंदू और सिख लड़कियोंको आदरसे वापिस लेंगे या नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। अगर उनके साथ किसीने निकाह भी कर लिया, उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, तो भी मेरे विचारसे वे मुसलमान नहीं हुईं। उन्हें में आदरसे अपने पास रखूंगा। उनकी जो संतान होगी उसे भी आदरसे रखूंगा। वे दिलसे तो नहीं बिगड़ीं। अगर वे दुष्टोंके पंजेमें फंस गईं तो मेरे मनमें उनके प्रति घृणा नहीं हो सकती, रहम ही हो सकता है। समाजको उन्हें वापस ग्रहण करना ही चाहिए। अगर उन्हें आदरसे वापस नहीं लेना हो तो उन्हें लोगोंके घरोंसे निकालनेकी चेष्टा ही क्यों की जाय ? किसी लंपटने उनपर जबरदस्ती की और उन्हें हमल[1] रह गया, तो क्या उन्हें मैं ठुकरा दूं ? नहीं, उन्हें मैं अपनी गोदमें बिठाऊंगा।

ऐसी जो लड़कियां हिंदू थीं, वे हिंदू रहेंगी, और जो सिख थीं वे सिख रहेंगी। बच्चोंका धर्म मांका ही धर्म रहेगा, बड़े होकर वे स्वेच्छासे भले किसी धर्ममें चले जायं। सुनता हूं कि कई लड़कियां आज कहती हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहतीं। क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मां-बाप या पति उनकी तौहीन[2] करेंगे। जिन लड़कियोंके रिश्तेदार हैं, उन्हें ऐसी लड़कियोंको आदरपूर्वक वापिस लेना चाहिए। जिनका कोई नहीं है, उन्हें हम कोई धंधा सिखा दें, ताकि वे अपने पाँवोंपर खड़ी रह सकें। मेरे पास ऐसी कोई लड़की आ जायगी तो उसे मैं लाकर आपके सामने यहां बिठाऊंगा। जैसा इन लड़कियोंका आदर है, वैसा ही उसका भी होगा। वह मेरी गोदमें बैठेगी। अगर मैं बेरहम बन जाऊं, तो मैं हिंदू नहीं रह जाऊंगा। गुंडा मुसलमान हो या हिंदू, वह बुरा है। मुसलमान लड़कियोंको हमें वापिस करना चाहिए और पंचके सामने अपने गुनाहका प्रायश्चित्त करना चाहिए। यह लिस्ट देखकर मैं कांप उठता हूं। जम्मूमें भी यही हुआ। मर्दों और बूढ़ी औरतोंको मार डाला और जवान लड़कियोंको उठा ले गए। मैं नहीं जानता कि वे कहां हैं। अगर मेरी आवाज वहांतक पहुंच सकती हो, तो मेरा उन लोगोंसे अनुरोध है कि उन सब लड़कियोंको वे लौटा दें।

[1] गर्भ; [2] अनादर।

कहते हैं कि काफी हिंदू और सिख लड़कियां किसी पीरके यहां पड़ी हैं। वे कहते हैं कि उन्हें किसी तरहका नुकसान नहीं पहुंचाया जायगा। मगर हम उन्हें तबतक वापिस नहीं करेंगे, जबतक हमारी मुसलमान लड़कियां वापिस नहीं आएंगी। लकिन ऐसी चीजोंमें सौदा क्या? हमें दोनों तरफसे सब लड़कियां अपने-आप लौटा देनी चाहिएं। वही आराम और शराफतसे रहनेका रास्ता है, नहीं तो हमारा मुल्क ४० करोड़ गुंडोंका मुल्क बन जायगा।

: १९० :

२७ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मैं आज इस देहात[1]में प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे प्रार्थनामें यहां धन्यवाद करते हैं या मान-पत्र देते हैं या हार पहनाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रार्थना करना तो हमारा धर्म है। प्रार्थना तो जब प्रातःकाल हम उठते हैं तभी करते हैं। अगर हम नियमित रूपसे प्रार्थना करें तो फजर[2] और शाम को करें। शामको पांच बजे अगर हो सके तो मिलकर करें, लेकिन जाड़ेके दिनोंमें जितनी जल्दी कर सकें, अच्छा है। सोते हैं तब, और उठते हैं तब, ईश्वरकी याद करें। बीचमें जब काम करते हैं तब ईश्वरका काम करें, स्वार्थका काम न करें, सेवा करें। प्रार्थनामें क्या भरा है यह मैं आज नहीं समझा सकता; क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है।

मैंने जब कह दिया कि मान-पत्र नहीं चाहिए, हार नहीं चाहिए तो भी आप लोगोंने दिया तो मैं इसके लिए आभारी हूं। आपने मान-पत्र-में सत्य और अहिंसाका जो उल्लेख किया है वह बहुत भारी चीज है। अगर हमारे आचार-विचार ऐसे नहीं हैं तो हम नाम लेनेसे घातक बनते

[1] दिल्लीसे बारह मील दूर सिंभालका नामक गांवमें; [2] सुबह।

हैं। मैं तो ऐसा धोखा दे नहीं सकता हूं। जबसे मैं दक्षिण अफ्रीकासे हिंदुस्तान आया हूं तबसे मैं हिंदुस्तानका भ्रमण कर रहा हूं। एक दफा नहीं, कई दफा सारे हिंदुस्तानका मैंने भ्रमण किया है, हजारों देहातोंको देखा है। लोग ऐसी बातें कह तो देते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। उनको मानते हैं या नहीं, उसकी परवाह नहीं करते। हम ऐसा कभी न करें। खयाल एक चीजका करें, उच्चारण दूसरेका और आचरण तीसरी चीजका करें तो बात बनती नहीं है। हिंदुस्तानमें आपस-आपसमें हिंदू, सिख और मुसलमान एक दूसरेको काटें, गाली दें, हटा दें तो हमारे लिए शर्मकी बात है। दैवयोगसे आपके यहां झगड़ा नहीं है, क्योंकि मुसलमानोंकी ज्यादा आबादी नहीं है। अगर है तो थोड़ी-सी। तो वे बेचारे क्या करनेवाले हैं? अगर मैं जान लेता कि यहां कितने हैं तो अच्छा होता और कुछ ज्यादा सुना सकता था। अगर हम आपस-आपसमें दुश्मनी करते हैं तो अहिंसा छोड़ दें। हम कम-से-कम इतने सच्चे तो हो जायं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह दुःखकी बात है। हम आजाद हुए हैं तो एक दूसरेको काटनेके वास्ते नहीं। आजादीके माने यह हैं कि हम बिना किसी दबावके धर्मका पालन करें—धर्मकी आजादी मिली है, अधर्मकी नहीं। ईश्वरसे कोई ऐसी प्रार्थना थोड़े करता है कि हमको झूठ बोलने दे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शैतानकी बंदगी करते हैं, उसके पंजेमें पड़ते हैं और गुलाम बन जाते हैं।

आप लोगोंने पंचायत बनाई है तो अच्छा किया, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अगर पंचायतका काम नहीं किया तो मैं कहूंगा कि पंचायतका नाम किया, लेकिन काम नहीं किया। आपकी पंचायत सच्चे मानेमें पंचायत नहीं है। पहले हिंदुस्तानमें सच्ची पंचायत थी—आपने तथा मैंने वह देखी नहीं है; लेकिन चीन और यूनानसे जो लोग हिंदुस्तान आए वे सब कहते हैं। उनकी किसीने खुशामद नहीं की, उनको किसीने पैसा नहीं दिया, उनको किसीने बुलाया भी नहीं। वे खुद बड़ी तकलीफ उठाकर आ गए—वे ज्ञान पाने आए, तो वे लिखते हैं कि हिंदुस्तानमें कहीं चोरी देखनेमें नहीं आई, किसी जगह ताला-कुंजी नहीं देखा, यह कोई हजारों वर्षकी बात नहीं है। हजारों वर्षका इतिहास कहां है?

वह तो रामायण-महाभारतसे निकलता है; लेकिन किसीने देखा नहीं है—वह कहांतक ठीक है यह मैं नहीं कह सकता। एक-दो हजार वर्षकी बात इतिहाससे पता चलती है; लेकिन आज हम उस ढंगसे नहीं रहते, जैसे एक-दो हजार वर्ष पहले रहते थे।

पहले चार वर्ण थे। मैं उनके वर्णनमें नहीं जाना चाहता हूं। आज तो कितने ही वर्ण हो गए हैं। उनको वर्ण कहना अनर्थ हो जाता है। आज आपने पंचायत कर ली तो आपने कितनी जिम्मेदारी ले ली। गाय आज इतना कम दूध देती है कि कई लोग कहते हैं कि उनको काट डालो। मुसलमान तो काटते हैं, लकिन हिंदू जितनी गाएं काटते हैं उतनी गाएं जगतमें कोई नहीं काटता। हिंदू अच्छी तरहसे रखते ही नहीं, किस तरहपर गाएं रखनी चाहिएं, यह जानते ही नहीं। यह तो आहिस्ता-आहिस्ता काटनेकी बात हो गई। इससे अच्छा तो जल्दीसे काट दें तो वे खत्म हो जायं। हम उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन कष्ट इतना देते हैं जितना दुनियामें कहीं नहीं दिया जाता। आज अगर एक गाय तीन सेर दूध देती है तो एक वर्षके बाद मैं सुनना चाहता हूं कि वह ६ सेर दूध देती है, तब मैं समझूंगा कि आपने कुछ किया।

इसी तरह आप अनाज दुगुना पैदा करें। आप कहेंगे—कैसे? मैं कहूंगा कि आप जमीनको पेटभर खानेको दें। मीराबेन आई थी, उसने सभा बुलाई। उसमें बहुत लोग आए। उन लोगोंने तय किया कि गांवमें जितना कूड़ा-कचरा, गोबर, विष्ठा होता है उनमेंसे सुनहरी खाद पैदा कर सकते हैं। इसमें पैसे भी नहीं लगते, हां, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इससे जमीनकी पैदा करनेकी शक्ति बढ़ जाती है।

आज यहां कितनी स्वच्छता है, मैं यह नहीं जानता हूं; लेकिन आपका परम कर्तव्य है कि आप तगड़े हों। आप भीतर भी स्वच्छ रहें और बाहर भी। आपका देहात ऐसा होना चाहिए कि किधर भी जाएं कूड़ा-कचरा न मिले, गोबर पड़ा हुआ न मिले और दुर्गंध न आए। आपको स्वच्छताके नियम पूर्णतः पालन करने चाहिए।

मैं कहूंगा कि यहां सिनेमा-घर रखकर क्या करोगे? हमारे जमानेके कितने खेल पड़े हैं, नाटक हैं, ये सब करो। सिनेमा आएगा तो पैसे खर्च

करोगे, पीछे जुआ खेलोगे। इससे और भी कई बुराइयां सीखोगे। जब तालीम दी जायगी तब भले ही कुछ फायदा हो, लेकिन अभी तो मैं ये बुराइयां देख रहा हूं। अभी तो आपमेंसे कई भाई शराब, गांजा, भांग पीते हैं, लेकिन जब सब भाई ये व्यसन छोड़ दें तब मैं समझूंगा कि आपने सचमुच पंचायत बनाई। तब दिल्लीके लोग यहां देखने आएंगे। पीछे आप अस्पृश्य बन जायं और छूआछूतको भूल जायं। आप जब यह समझने लगें कि मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिस्टी, पारसी सब भाई हैं तब आप हिंदुस्तानकी आजादी किसको कहते हैं, यह सिद्ध करके बतानेवाले हैं। तब हिंदुस्तान आपके गांवका नमूना देखकर नकल करेगा। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप यह सब काम कर सकें।

आप लोग तालियां न बजाएं, क्योंकि मैंने जो कहा है वह भी प्रार्थनामें शामिल है और प्रार्थना तो ईश्वरका नाम है। मुझे आपलोगोंका आशीर्वाद चाहिए और मैंने जो कहा है वह पूरा कर दिया तो मुझको आपने सब दे दिया, मेरा काम पूरा कर दिया, ऐसा मैं माननेवाला हूं।

: १६१ :

२८ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मैं व्यापारियोंकी सभामें चला गया था। उन लोगोंने भी बताया कि कुछ अन्य चीजोंकी तरह कपड़ेपरसे भी अंकुश हटा लिया जाय। मुझको इसमें शक नहीं है कि अंकुश छूट जाना चाहिए। उस सभाकी सब चीज तो आप अखबारमें देख ही लेंगे; लेकिन एक चीज कहने लायक है। वह यह कि व्यापारियोंने बताया कि अंकुश हटनेका ऐसा चमत्कार हो गया है कि कपड़ेपरसे अंकुश न हटनेपर भी कपड़ेके दाम कम होने लगे हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि लोगोंको ऐसा खयाल हो गया है कि अब चूंकि गांधीजी लोगोंकी आवाजको हकूमततक पहुंचा रहे हैं, इसलिए कपड़ेपरसे शीघ्र अंकुश हट जायगा। इसीसे चोर-

बाजारका कपड़ा बाहर आ गया और दाम कम हो रहा है।

उसी तरह चीनीका हो गया है। मुझको बताते हैं कि जिधर जाओ उधर चीनीका ढेर पड़ा है। वहांसे सब लोग ले जाते हैं। एक रुपया सेरके भावसे लेते हैं। आज मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इस भावसे नहीं ले सकते, तो पंद्रह आना सही, चौदह आना सही। यह तो व्यापार है। अंकुश छूट जानेसे लोग आरामसे ले जाते हैं। इसमें ऐसी खूबी है। हर जगहसे इस तरहसे मेरे पास तार और खत आ रहे हैं। अंकुश छूट जानेसे आराम महसूस करते हैं। पीछे मुझको लिखते हैं कि करोड़ोंकी दुआ तुमको मिलती है। मैं समझता हूं कि मुझको दुआ क्यों मिले—करोड़ोंको मिले। मैंने तो करोड़ोंकी आवाज उठाई—न उठाऊं तो मेरी आवाजको क्यों सुनें? जब मैं अपनी आवाज उठाता हूं तब कौन सुनता है? मैं कहता हूं कि मुसलमानोंको दुश्मन मत मानो तब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। लोग कहते हैं कि यह क्या पागलपन करता है। मेरी ऐसी आवाज कोई नहीं सुनता। हां, मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि अगर करोड़ों लोग मेरी आवाज नहीं सुनते हैं तो अपने धर्मको हानि पहुंचाते हैं। लोगोंको समझना चाहिए कि मैं जब हमेशा अच्छी बात कहता हूं तो अभी बुरी बात क्यों कहूंगा? मैं गलत बात कहता ही नहीं। इसमें गलत बात क्या कहनी थी! मैं जो कहता हूं कि धर्मकी जड़ दया है वह तो तुलसीदासका है। उससे कहो कि तू दीवाना है। लेकिन उसकी रामायण जितनी चलती है उतनी सारे हिंदुस्तानमें दूसरी कोई पुस्तक नहीं चलती—शायद ही दुनियामें इतनी कोई दूसरी पुस्तक चलती होगी। वह पुस्तक सिर्फ बिहारमें चलती है या युक्तप्रांतमें चलती है, ऐसी बात नहीं है। वह सब जगह चलती है। मैंने तो उनका काम किया, उनकी आवाज उठाई। इसमें मुझको पागल कहनेकी क्या बात है। लकड़ीपर क्या अंकुश रखना था! वह खानेकी चीज तो है नहीं कि न मिले। मानो कि मिलने लग जाय तो सब खा जायंगे यानी जला डालेंगे? लेकिन उतनी ही जलाएंगे जितनी जरूरत होगी। कोई फालतू तो जलाएगा नहीं। तब उसपर अंकुश क्यों? मुझको तबतक संतोष नहीं जबतक लकड़ीपरसे अंकुश न हट जाय। आज उसका मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि गरीबोंकी हानि होती है।

पीछे मुझको सुनाते हैं कि आपने इतना तो किया तो पेट्रोलपरसे अंकुश हटानेके लिए आवाज उठाओ। मैं तो कहूंगा कि पेट्रोलपरसे भी अंकुश हट जाना चाहिए और कल हट जाना चाहिए तभी हमारी भलाई होनेवाली है। पेट्रोलपरसे अंकुश हट जायगा तब ज्यादा मोटरें चलेंगी। इससे गरीबोंको नुकसान नहीं होगा—फायदा होगा। अगर रेलगाड़ियां ज्यादा चलें तो पेट्रोलकी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा रेल बनाएं तो करोड़ों रुपया खर्च होगा। जितना है उतना तो हजम होने दो। ज्यादा क्या करोगे? रेलके लायक बनें तो सही। हमको जितना चाहिए उतना है। जल्दीसे एक जगहसे दूसरी जगह जानेके रास्ते तो हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं है। एक जगहसे दूसरी जगह हम जितनी चीज भेजना चाहें भेज सकते हैं। इसके लिए हमें रेल-यातायात नहीं, सड़क-यातायातके साधनोंकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर पेट्रोलपरसे अंकुश उठ गया तब यह हो सकता है। अंकुश हटानेसे सब दाम कम हो रहे हैं। किसी चीजका दाम बढ़ नहीं रहा है। अगर कोई ऐसा कहे तो वह गलत बात है। अगर दाम बढ़ते तो मेरे पास इतने तार कहांसे आते! क्योंकि दाम गिर रहे हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ। पेट्रोलपरसे अंकुश हट जाय तो सड़क-यातायात बढ़ जायगा। इसके बढ़नेसे सब जगह अनाज और कपड़ा जा सकेगा। नमकका आना-जाना बढ़ जाएगा।

सबसे ज्यादा तो नमकका दाम कम होना चाहिए, लेकिन वह सबसे ज्यादा है। नमकपर कर बंद हो गया, इसलिए दाम बढ़ गया, यह गलत बात है। हां, लेकिन नमकका दाम बढ़ गया है। हमारी आदत नहीं हुई है कि नमक पैदा कर लें। नमक बनाना हमने सीखा नहीं है। हिंदुस्तानके पास दरियाका किनारा इतना पड़ा है कि नमककी कमी हो नहीं सकती। दरियाके पानीसे बच्चा भी नमक बना सकता है। नमक बड़े आरामसे बनाया जा सकता है। एक बहन बना सकती है। बंगालसे नमकका पानी लाऊं तो बड़े आरामसे नमक बन सकता है। इसके लिए इतना पैसा देना पड़ता है, इतने झंझटमें पड़ते हैं। इसका सबब यह है कि जिस जगह नमक बनता है वहांसे वह आ नहीं रहा है—वहांसे शीघ्रतासे हम ला नहीं सकते। मैं मानता हूं कि उसमें एक गलती हो गई है। वह यह कि किसीको ठेका दे दिया है कि

तुम लाओ। वे बदमाशी करना सीख गए हैं, जिससे बहुत पैसा कमाते हैं। वहांसे दूसरे ला नहीं सकते। इस ठेकेकी तबदीली[1] होनी चाहिए। अगर नमकको सस्ता करना है तो अंकुश हटाकर चमत्कार देखो। हां, दो चीजें जरूरी हैं, एक यह कि ठेका-प्रणालीमें तबदीली हो और दूसरी सड़क-यातायातकी व्यवस्था हो। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

: १९२ :

२९ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल हकीम अजमल खां साहबकी वार्षिक तिथि थी। वह हिंदुस्तानके हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिस्टी, पारसी, यहूदी सबके प्रिय थे। वह पक्के मुसलमान थे, मगर वह इस खूबसूरत देशके रहनेवाले सब लोगोंकी समान सेवा करते थे। उनकी मेहनतकी सबसे बढ़िया यादगार दिल्लीका मशहूर तिबिया कालेज और अस्पताल था। वहांपर हर श्रेणीके विद्यार्थी पढ़ते थे और वहां यूनानी, आयुर्वेदिक और पश्चिमी डाक्टरी सब सिखाई जाती थी। सांप्रदायिकताके जहरके कारण यह संस्था भी, जिसमें किसी तरह सांप्रदायिकताको स्थान न था, बंद हो गई है। मेरी समझमें इसका कारण इतना ही हो सकता है कि इस कालेजको बनानेवाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वे चाहे कितने ही महान् और भले क्यों न रहे हों, और भले ही उन्होंने सबका मान संपादन क्यों न किया हो। उस स्वर्गवासी देशभक्तकी स्मृति, अगर वह हिंदू-मुस्लिम फिसादको दफन नहीं कर सकती, तो कम-से-कम इस कालेजको तो नया जीवन दे सके।

कल मैंने जिक्र किया था कि हमारी सभाएं वगैरा खुलेमें, आकाशके मंडपके नीचे हों। यह बहुत इष्ट चीज है। अगर यह आम रिवाज हो जावे

---

[1] परिवर्तन।

तो इस कामके लिए विचारपूर्वक जगह वगैराका प्रबंध करना होगा। छोटे-बड़े शहरोंमें इस कामके लिए मैदान रखने होंगे; अपनी आदतें हमें बदलनी होंगी; शोरकी जगह शांति और बेतरतीबीकी जगह करीने[1]से बैठना सीखना होगा। हमारी आदतें सुधरेंगी तो हम तभी बोलेंगे जब हमें बोलना ही चाहिए और जब बोलेंगे तब हमारी आवाज उतनी ही ऊंची होगी, जितनी कि उस मौकेके लिए जरूरी होगी, उससे ज्यादा कभी नहीं। हम अपने पड़ोसीके हकका मान रखेंगे, और व्यक्तिगत रूपसे या सामूहिक रूपसे कभी दूसरोंके रास्तेमें नहीं आएंगे; दूसरोंके कामोंमें दखल नहीं देंगे। ऐसा करनेके लिए कई बार अपने आपपर बहुत संयम रखना पड़ेगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्थामें दिल्लीके सबसे ज्यादा कारोबारवाले हिस्सेमें जो शोर और गंदगी आज देखनेमें आती है, वह नहीं मिलेगी, चाहे कितने ही बड़े हजूम[2] क्यों न हों, धक्कम-धक्का या फिसाद नहीं होगा। हम ऐसा न सोचें कि इस लक्ष्यको तो हम पहुंच ही नहीं सकते। किसी-न-किसी तबके[3]को इस सुधारके लिए दिली कोशिश करनी होगी। जरा विचार कीजिए इस किस्मके जीवनमें कितना समय, शक्ति और खर्च बच जायगा।

मैंने काश्मीर और वहांके महाराजा साहबके बारेमें जो कुछ कहा है उसके लिए मुझे काफी डांट खानी पड़ी है। जिन्हें मेरा कहना चुभा है उन्होंने मेरा निवेदन ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं लगता। मैंने तो वह सलाह दी है जो मेरी समझमें एक मामूली-से-मामूली आदमी दे सकता है। कभी-कभी ऐसी सलाह देना फर्ज हो जाता है और वही मैंने किया। ऐसा किया इसलिए कि मेरी सलाह अगर मानी जाती तो महाराजा साहब अपनी और जगतकी आंखोंमें बहुत ऊंचे चले जाते; उनकी और उनकी रियासतकी हालत आज ईर्ष्याके लायक नहीं। काश्मीर एक हिंदू राज है और उनकी प्रजामें बहुत बड़ी अक्सरियत मुसलमानोंकी है। हमलावर अपने हमलेको 'जिहाद' कहते हैं। वे कहते हैं कि काश्मीरके मुसलमान हिंदू राजके जुल्मके नीचे कुचले जा रहे थे और वे उनकी रक्षा करनेको आए हैं।

[1] सलीका; [2] भीड़; [3] गिरोह

शेख अब्दुल्ला साहबको महाराजाने ठीक वक्तपर बुलाया है। शेख साहबके लिए यह काम नया है। अगर महाराजा उन्हें इस लायक समझते हैं तो उन्हें हरएक तरहका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे यह स्पष्ट है और बाहरके लोगोंके सामने भी स्पष्ट होना चाहिए कि अगर शेख साहब अक्सरियत और अकलियत दोनोंको अपने साथ न रख सके तो काश्मीरको सिर्फ फौजी ताकतसे हमलावरोंसे बचाया नहीं जा सकता। महाराजा साहब और शेख साहब दोनोंने हमलावरोंका सामना करनेके लिए यूनियनसे फौजी मदद मांगी थी।

महाराजाको मेरे यह सलाह देनेमें कि वे इंगलैंडके राजाकी तरह वैधानिक राजा रहें, और अपनी हकूमत और डोंगरा[1] फौजको शेख साहब और उनके संकटकालीन मंत्रिमंडलके कहनेके मुताबिक चलावें, आश्चर्यकी बात क्या है? रियासतोंके यूनियनके साथ जुड़नेका शर्तनामा तो पहले ही जैसा है। वह राजाको अमुक-अमुक हक देता है। मैंने एक सामान्य व्यक्तिकी हैसियतसे महाराजाको यह सलाह देनेका साहस किया है कि वे अपने आप अपने हकोंको छोड़ दें या कम कर दें और एक हिंदू राजाकी हैसियतसे वैधानिक कर्तव्यका पालन करें।

अगर मुझे जो खबरें मिली हैं उनमें कोई गलती है तो उसे सुधारना चाहिए। अगर हिंदू-धर्मके बारेमें और हिंदू-राजाके फर्जके बारेमें मेरे ख्यालात भूलभरे हैं तो मेरी सलाहको वजन देनेकी बात नहीं रहती। अगर शेख साहब मंत्रिमंडलके मुखियाकी हैसियतसे या एक सच्चे मुसलमानकी हैसियतसे अपना फर्ज पूरा करनेमें गलती करते हैं तो उन्हें एक तरफ बैठ जाना चाहिए, और बागडोर अपनेसे बेहतर आदमीके हाथोंमें सौंप देनी चाहिए।

आज काश्मीरकी भूमिपर हिंदू-धर्म और इस्लामकी परीक्षा हो रही है। अगर दोनों सही तरीकेसे और एक ही दिशामें काम करें तो मुख्य कार्यकर्ताओंको यश मिलेगा और कोई उनका यश और नाम और इज्जत छीन नहीं सकेगा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि इस अंधकारमय

[1] राजपूतोंकी जाति।

देशमें काश्मीर रोशनी दिखानेवाला सितारा बने।

यह तो हुआ महाराजा साहब और शेख साहबके बारेमें। क्या पाकिस्तान सरकार और यूनियन सरकार साथ बैठकर तटस्थ हिंदुस्तानियोंकी मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फैसला नहीं कर लेंगी? क्या हिंदुस्तानमें निष्पक्ष लोग रहे ही नहीं? मुझे यकीन है कि हमारा ऐसा दिवाला नहीं निकला।

मुझे मथुरासे एक बहिनने ५०)का मनीआर्डर शरणार्थियोंके लिए कंबल खरीदने को भेजा है, वह अपना नाम मुझे भी बताना नहीं चाहतीं और लिखती हैं कि प्रार्थना-सभामें अपने भाषणमें मैं उन्हें पहुंच दे दूं; मैं आभारके साथ उनके ५०) रु० की पहुंच देता हूं।

आश्चर्यकी बात है कि जिन रियासतोंके राजाओंने यूनियनमें जुड़ जानेका इरादा जाहिर किया है वहांकी प्रजाकी तरफसे मुझे शिकायतके तार आ रहे हैं। अगर किसी राजा या जागीरदारको यह लगे कि वह अकेला रहकर अपने आप अच्छी तरहसे अपना राज नहीं चला सकता तो उसे अलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है? जो लोग तारोंपर इस तरहसे रुपया खर्च करते हैं उन्हें मेरी सलाह है कि वे ऐसा न करें। मुझे लगता है कि ऐसे तार भेजनेवालोंके बारेमें कुछ दालमें काला है। वे गृह-मंत्रीके पास सलाह लेने आवें।

कई मुसलमान, खास तौरपर डाक और तारके महकमेवाले कहते हैं कि उन्होंने प्रचारकी खातिर यूनियनमें रहनेकी बात की थी, अब वे अपना विचार बदलना चाहते हैं। ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें नौकरीसे बरखास्त किया गया है। उसका कारण तो मेरे खयालमें यही होगा कि उनपर शक किया जाता है कि वे हिंदुओंके विरोधी हैं। मेरी उन लोगोंके प्रति पूरी सहानुभूति है। मगर मैं महसूस करता हूं कि सही तरीका यह है कि व्यक्तिगत किस्सोंमें यह शक कितना ही बेजा क्यों न हो, उसको क्षम्य समझा जाय और गुस्सा न करें। मैं तो अपना पुराना आजमाया हुआ नुस्खा ही बता सकता हूं। सरकारी नौकरियोंमें बहुत थोड़े लोग जा सकते हैं। जिंदगीका मकसद सरकारी नौकरी पाना कभी नहीं होना चाहिए। जीवनके इस क्षेत्रमें ईमानदारीकी जिंदगी बसर करना ही एकमात्र ध्येय

हो सकता है। अगर आदमी हर तरहकी मेहनत-मजदूरी करनेको तैयार रहे तो ईमानदारीसे रोटी कमानेका जरिया तो मिल ही जाता है। मेरी सलाह यह है कि आज जो सांप्रदायिक जहर हमपर सवार है जबतक वह दूर न हो तबतक मुक्ति नहीं। मैं समझता हूं, मुसलमानोंके लिए अपना स्वाभिमान रखनेके लिए यह जरूरी है कि वे सरकारी नौकरियोंमें हिस्सा पानेके पीछे न दौड़ें। सत्ता सच्ची सेवामेंसे मिलती है। सत्ता पाकर बहुत बार इन्सान गिर जाता है। सत्ता पानेके लिए झगड़ा शोभा नहीं देता। उसके साथ-ही-साथ सरकारका यह फर्ज है कि जिन स्त्री-पुरुषोंके पास कोई काम न हो, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो, उनके लिए वह रोजी कमानेका साधन पैदा करे। अगर अक्लसे यह काम किया जाय तो सरकार-पर बोझ पड़नेके बदले इससे सरकारको फायदा होगा। मैं इतना मान लेता हूं कि जिनके लिए काम ढूंढ़ना है वे शरीरसे स्वस्थ होंगे, और काम-चोर नहीं, बल्कि खुशीसे काम करनेवाले होंगे।

: १६३ :

३० दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मैंने कलके भाषणमें कहा है कि हमारी सभ्यता कहांतक जानी चाहिए। हमें कब बोलना, कैसे चलना चाहिए कि करोड़ों आदमी साथ चलें, तो भी पूरी शांति रहे। ऐसी लश्करी तालीम हमें मिली नहीं। मैं यहांसे जानेके बाद घूमता हूं, तब लोग मुझे इधर-उधरसे देखनेकी कोशिश करते हैं। वे ऐसा न करें। प्रार्थनामें देख लिया, वह बस हुआ। वहां जो लाभदायक बातें सुनीं, उनका वे मनन करें और अपने-अपने घर चले जाएं।

बहावलपुरके बारेमें एक भाई लिखते हैं कि मैं बहावलपुरके लिए एक बार कुछ और कहूं। वहांके नवाब साहबने तो कहा है कि उनके नजदीक उनकी सारी रैयत बराबर है। तो मैं क्यों कहूं कि यह सच्चा नहीं

है ? अगर सचमुच उनके लिए सारी रैयत एक-सी है तो उनको चाहिए कि अगर वे हिंदू-सिखोंकी संभाल नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी गाड़ीमें बिठाकर यहां भेज दें और आरामसे आने दें। जबतक उनको वहांसे लानेका प्रबंध नहीं होता तबतक उनकी खानेकी, कपड़ेकी, ओढ़नेकी व्यवस्था उन्हें अच्छी तरह कर देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे।

मैं तो कायदे आजमसे कहना चाहता हूं कि सिंधमें हिंदुओंका रहना दुश्वार हो गया है। वहां हरिजन परेशान हैं। उनको भी वहांसे आने देना चाहिए। सिंध जैसा पहले था वैसा आज नहीं है। इस यूनियनसे जो मुसलमान वहां गए हैं वे लोग वहांके हिंदुओंको घर छोड़नेपर मजबूर करते हैं, उनके घरोंमें घुस जाते हैं। अगर वे ऐसा करें तो कौन हिंदू वहां रह सकता है ? तब क्या पाकिस्तान इस्लामिस्तान हो जायगा ? क्या इसीलिए पाकिस्तान बना है ? कोई हिंदू वहां चैनसे रह ही नहीं सकता, यह दुःखकी बात है।

पंढरपुरमें विठोबाका मंदिर है। महाराष्ट्रमें इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। वह मंदिर हरिजनोंके लिए वहांके ट्रस्टियोंने खुशीसे खोल दिया है, ऐसा तार आया था। अब वे लिखते हैं कि बड़े-बड़े ब्राह्मण पुजारी इसपर नाखुश हैं और अनशन कर रहे हैं। यह सुनकर मुझको बहुत बुरा लगा। मैं वहां जा तो नहीं सकता, मगर यहांसे दृढ़तासे कहना चाहता हूं कि पुजारी लोग अपने आपको ईश्वरके पुजारी मानते हैं, लेकिन वे सच्चे तरीकेसे पूजा नहीं करते। आज तो वे लोगोंको लूटते हैं। विष्णु भगवान ऐसे नहीं हैं कि कोई भी उनके पास जावे और वे दर्शन न दें। ईश्वरके लिए सब एक हैं। सो उन पुजारी लोगोंको अनशन छोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सब हरिजनोंके लिए मंदिर खोलनेमें राजी हैं। हमारी धर्मकी आंख खुल गई है। मंदिरमें जानेसे पापका नाश होता है, यह माना जाता है। अगर सच्चे दिलसे पूजा करें तो पापका नाश होगा ही। ऐसा थोड़े ही है कि पापी मंदिरमें नहीं जा सकते और पुण्यशाली ही जा सकते हैं। तब वहां पाप धुलेंगे किसके ? जिन हरिजनोंको हमने ही अछूत बनाया है वे क्या पापी हो गए ? मुझे आशा है कि अनशन करनेवाले समझ जाएंगे कि यह बात कितनी असंगत है।

बंबईमें चावल बहुत कम मिलते हैं। एक हफ्तेमें एक रतलसे ज्यादा नहीं मिलते। सो लोग काले बाजारसे चावल लेते हैं। अंकुश छूटनेपर भी उस शहरमें अभी राहत नहीं मिली। अगर शहरी लोग ईमानदार बन जायं, तो ये तकलीफें मिटनी ही हैं। लोगोंका पेट भर जाय तो चोरीका कारण ही क्यों रहे?

: १६४ :

३१ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मेरे पास कई खत आए हैं। सबका जवाब अभी नहीं दे सकूंगा। जिनका दे सकता हूं, देता हूं।

एक भाईने लिखा है कि सिंधमें जब हिंदुओंपर सख्ती होती है और वहां हिंदू और सिख नहीं रह सकते, तो पंजाबमें या पाकिस्तानके और हिस्सोंमें फिरसे जाकर वे कैसे बस सकते हैं? खत लिखनेवाले भाईने मेरी इस बाबतकी सब बातोंपर ध्यान नहीं दिया। कुछ मुसलमान भाई पाकिस्तान होकर मेरे पास आए थे। उन्होंने उम्मीद दिलाई थी कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आ गए हैं, वे वहां वापिस जा सकेंगे, ऐसी आशा होती है। मैंने वही आपसे कह दिया था। पर मैं यह भी कह चुका हूं कि अभी वह वक्त नहीं आया। अभी मैं किसीको वापिस जानेकी सलाह नहीं दे सकता। जब वक्त आवेगा तब मैं कहूंगा। अभी तो सुनता हूं कि सिंधमें भी हिंदू नहीं रह सकते। यह ठीक है। चितरालसे एक भाई मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि वहां ढाई सौके करीब हिंदू-सिख अभी पड़े हैं, जो निकलना चाहते हैं। सिंधमें तो अभी बहुत हैं, हजारों हैं, जो वहांसे निकलना चाहते हैं। वे सब जबतक नहीं आ जायंगे, हिंद सरकार चुप नहीं बैठेगी। वह कोशिश कर रही है।

पर आखिरमें तो मैं उसी बातपर जमा हूं। जबतक सब हिंदू और सिख भाई, जो पाकिस्तानसे आए हैं, पाकिस्तान न लौट जावें और सब

मुसलमान भाई, जो यहांसे गए हैं, यहां न लौट आवें, तबतक हम शांतिसे नहीं बैठ सकते हैं। मैं तो तबतक शांतिसे बैठ ही नहीं सकता। हो सकता है कि कोई शरणार्थी भाई यहां खुश हो, पैसा भी कमाने लगे, फिर भी, उसके दिलसे खटक कभी नहीं जायगी। उसे अपना घर तो याद आवेगा ही, दिलमें गुस्सा और नफरत भी रहेगी। हमने दोनोंने बुरा किया है। दोनों बिगड़े हैं। इसलिए दोनों भोग रहे हैं। किसने पहले किया, किसने पीछे; किसने कम, किसने ज्यादा, यह सोचनेसे काम नहीं चलेगा। हम सब अपने-अपने बिगाड़को नहीं सुधारेंगे तो हम दोनों मिट जायंगे। जबतक हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें दिलका समझौता नहीं होता हमारा दोनोंका दुःख नहीं मिट सकता। दोनों अपना-अपना बिगाड़ सुधार लें तो हमारी बिगड़ी बाजी फिर सुधर जाय।

उन्हीं भाईने लिखा है कि शरणार्थियोंके कैंपोंमें कुछ घरेलू धंधे सिखाए जावें तो अच्छा है, जिससे वे कमाकर अपना खर्च निकाल सकें। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। सब चाहेंगे तो मैं सरकारसे कहूंगा और सरकार बड़ी खुशीसे इसका इंतजाम कर देगी। सरकारके तो इससे करोड़ों रुपये बचेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस भाईने खत लिखा है, वह इसके लिए आंदोलन करें, सब शरणार्थियोंको राजी करें। शरणार्थी खुद यह कहें कि मुफ्तकी मिली खीरसे अपनी मेहनतका रूखा-सूखा टुकड़ा कहीं अच्छा है। इससे उनका मान बढ़ेगा, मर्यादा भी बचेगी।

अभी तो एक हिंदू बहन मेरे पास आई थी। कहती थी कि वह अपने घरका ताला बंद करके कहीं गई तो पांच-छः सिखोंने आकर ताला तोड़ लिया और घरमें रहना शुरू कर दिया। बहनने आकर देखा तो पुलिसमें रिपोर्ट लिखाई। सुना है, कुछ सिख पकड़े भी गए। एक भाग गया। हिंदुओं और दूसरोंने भी ऐसी गंदी बातें की हैं। इससे हमारे धर्मपर बड़ा कलंक लगता है। ऐसी बातें बंद होनी चाहिए। उस बहनने मुझसे पूछा, क्या मैं घर छोड़ दूं ? मैंने कहा, कभी नहीं। सिख भाई अपना मान रखें, अपनी मर्यादासे रहें। हम सब अपनी मान-मर्यादासे रहें तो सारा झगड़ा खत्म हो जावेगा।

एक और खत आया है उससे मैं और भी खुश हुआ। एक भाई

लिखते हैं कि आपका रोजका भाषण तो सब रेडियोपर सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना और भजन रेडियोपर सबको नहीं मिलते। वह भी सब सुन लें तो अच्छा हो। रेडियो क्या कर सकता है, मैं नहीं जानता। रेडियो अगर भजन भी ले ले तो मुझे अच्छा लगेगा। वह भाई अपना नाम भी नहीं देना चाहते। पर मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मैं रोज बोलता हूं, जो बहस करता हूं, वह भी प्रार्थना ही है, उसीका हिस्सा है। मेरा यह सब भी भगवानके लिए है। लड़कियां जो भजन गाती हैं, वह भगवानके लिए गाती हैं। फिर उसमें सुरकी मिठास हो या न हो, भक्ति तो है। जिन्हें सुरकी मिठास चाहिए उनके लिए रेडियोपर बहुतेरे गाने होते हैं। जिन्हें भक्तिकी मिठास चाहिए, उनके लिए रेडियोपर ये भजन जा सकें तो लाभ ही होगा।

कुछ भाइयोंने जूनागढ़ और अजमेरकी बाबत मुझे तार भेजे हैं। जूनागढ़में, जो काठियावाड़में है, तो मैं पला हूं। वहांका हाल मैं कह चुका हूं। अजमेरमें तो बहुत बुरी बातें हुई हैं, इसमें शक नहीं। वहां जलाया भी है, लूट भी हुई, खून भी हुआ। पर बुरी बातको भी ज्यादा बढ़ाकर कहनेसे हम अपना मामला कमजोर कर लेते हैं। इन तारोंमें बात बढ़ाकर कही गई है। अजमेरमें दरगाह शरीफ तो ठीक है। जितना है, उतना कहिए। सरकार अमन कायम करनेकी कोशिश कर रही है। हम उसपर भरोसा करें। भगवानपर भरोसा करें। सब अपनी-अपनी गलतियोंको ठीक नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिट जावेंगे।

: १६५ :

१ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

आज अंग्रेजी सालका पहला दिन है। आज इतने ज्यादा आदमियोंको यहां जमा देखकर मैं खुश हूं। पर मुझे दुःख है कि बहनोंको बैठनेकी जगह देनेमें सात मिनट लग गए। सभामें एक मिनट भी बेकार

जानेका मतलब है कि करोड़ों जनताके बहुतसे मिनट बेकार गए। फिर तो हमारा खात्मा है न ? भाइयोंको चाहिए कि बहनोंको पहले जगह देना सीखें। जिस देशमें औरतोंकी इज्जत नहीं, वह सभ्य नहीं। दोनोंको अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। यही मनु महाराजने बताया है। आजादी मिल जानेके बाद, हम सबको और भी मर्यादाके साथ बरतना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इससे भी ज्यादा लोग आवेंगे। पर जितने लोग आवें, वे प्रार्थनाकी भावना लेकर आवें; क्योंकि प्रार्थना ही आत्माकी खुराक है। भगवानके पाससे हमें जो खुराक मिल सकती है, वह और जगह नहीं मिल सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग आए हैं, वे सब यहां भी शांति रखेंगे और जाते वक्त घरोंको भी अपने साथ शांति ले जावेंगे।

यू० पी०में हालमें एक हरिजन कान्फ़रेंस हुई थी। कहते हैं, उसमें एक वजीरने हरिजनोंको उपदेश दिया कि आप गंदे रहना, गंदे कपड़े पहनना और शराब पीना छोड़ दें। इसपर कोई हरिजन बोल पड़ा कि जैसे सरकार ताड़ीके दरख्तोंको उखाड़कर फिकवा सकती है और शराबकी सब दुकानें बंद करा सकती है, वैसे ही वह गंदे कपड़े भी फुंकवा दे, हम नंगे रहेंगे, पर गंदे नहीं। मैं उस हरिजन भाईकी हिम्मतको सराहता हूं। मैं तो ताड़ीका गुड़ बना लेता हूं। पर मैं हरिजन भाइयोंसे कहूंगा कि असली इलाज उनके अपने हाथोंमें है। शराब अगर दुकानपर बिकती भी हो तब भी उन्हें जहरकी तरह उससे बचना चाहिए। सच यह है कि शराब जहरसे भी ज्यादा बुरी है। मजदूर लोग घरमें आकर जो दुःख देखते हैं उसे भुलानेके लिए शराब पीते हैं। जहरसे शरीर ही मरता है, शराबसे तो आत्मा सो जाती है। खुद अपने ऊपर काबू पानेका गुण ही मिट जाता है। मैं सरकारको सलाह दूंगा कि शराबकी दूकानोंको बंद करके उनकी जगह इस तरहके भोजनालय खोल दे जहां लोगोंको शुद्ध और हल्का खाना मिल सके, जहां इस तरहकी किताबें मिलें जिनसे लोग कुछ सीखें और जहां दूसरा दिल बहलानेका सामान हो। लेकिन सिनेमाको कोई स्थान न हो। इससे लोगोंकी शराब छूट सकेगी। मेरा यह कई देशोंका तजुरबा है। यही मैंने हिंदुस्तानमें भी देखा और दक्षिण अफ्रीकामें भी देखा था। मुझे इसका पूरा यकीन है

कि शराब छोड़ देनेसे काम करनेवालोंका शारीरिक बल और नैतिक बल दोनों बहुत बढ़ जाते हैं और उनकी कमानेकी ताकत भी बढ़ जाती है। इसलिए सन् १६२०से शराबबंदी कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल है। अब, जब हम आजाद हो गए हैं सरकारको अपना वादा पूरा करना चाहिए और आबकारीकी नापाक आमदनीको छोड़नेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आखिरमें सचमुचमें आमदनीका भी नुकसान नहीं होगा और लोगोंका तो बहुत बड़ा लाभ होगा ही। हमारे लिए तरक्कीका यही रास्ता है। यह हमें अपने आप, अपने पुरुषार्थसे करना है।

: १६६ :

२ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

नोआखालीमें किसान लोग धूपसे बचनेके लिए यह टोप ओढ़ते हैं।[1] मैं दो बातोंकी वजहसे इसकी बड़ी कदर करता हूं। एक तो मुझे यह एक मुसलमान किसानने भेंट किया है। दूसरे यह छतरीका अच्छा काम देता है और उससे सस्ता है, क्योंकि सब गांवकी ही चीजोंसे बना है।

प्रार्थनामें जो भजन गाया गया है, आपने सुना कितना मीठा है। पर यह भजन असलमें सुबहका है। इसमें भगवानसे प्रार्थना की गई है कि उठकर इंतजारमें खड़े भक्तोंको दर्शन दो। यह सत्य है कि ईश्वर कभी सोता नहीं है। भजनमें तो भक्तके दिलकी भावना है।

हालमें इलाहाबादसे मेरे पास एक खत आया है। भेजनेवाले भाईने लिखा है कि थोड़ेसे भले लोगोंको छोड़कर किसी मुसलमानपर यह एतबार नहीं किया जा सकता कि वह हिंद सरकारका वफादार रहेगा—

[1]पानी बरसनेके कारण गांधीजी नोआखालीका टोप पहनकर आए थे जिसे देखकर लोग हंसने लगे। इसलिए गांधीजीने टोपसे ही शुरू किया।

खासकर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हुई। इसलिए थोड़ेसे नेशनलिस्ट[1] मुसलमानोंको छोड़कर और सब मुसलमानोंको निकाल देना चाहिए। मैं कहता हूं कि हर आदमीको यही चाहिए कि जबतक कोई बात इसके खिलाफ साबित न हो, वह मुसलमानोंकी बातका एतबार करे। अभी पिछले हफ्ते करीब एक लाख मुसलमान लखनऊमें जमा हुए थे। उन्होंने साफ शब्दोंमें अपनी राष्ट्रभक्तिका ऐलान किया। अगर किसीकी बेवफाई या बेईमानी साबित हो जावे तो उसे गोलीसे मारा भी जा सकता है, गो कि यह मेरा तरीका नहीं है। पर फिजूलकी बेएतबारी जहालत और बुजदिलीकी निशानी है। इसीसे सांप्रदायिक नफरतें फैली हैं, खून बहे हैं और लाखों बेघरबार किए गए हैं। यह अविश्वास जारी रहा तो देशके अलग-अलग टुकड़े हमेशाके लिए बने रहेंगे और आखिरमें दोनों डोमिनियन नष्ट हो जावेंगी। भगवान न करे, अगर दोनोंमें लड़ाई छिड़ गई तो मैं तो जिंदा रहना पसंद न करूंगा। पर जो मेरी तरह लोगोंमें भी अहिंसामें विश्वास होगा, तो लड़ाई नहीं होगी और सब ठीक ही होगा।

: १९७ :

३ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मुझे खुशी है कि आज मैं अपना बहुत दिनोंका वादा पूरा कर सका और इस कैंप[2]के शरणार्थियोंसे बातें कर सका। मुझे बड़ी खुशी है कि यहां जितने भाई हैं, उतनी ही बहनें हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पास इस प्रार्थनामें शामिल हों कि हमारे मुल्कमें और दुनियामें फिरसे शांति और प्रेम कायम हो। शांति बाहरकी किसी चीजसे, जैसे दौलतसे या महलोंसे, नहीं मिलती। शांति अपने अंदरकी चीज है। सब धर्मोंने इस सचाईका ऐलान किया है कि जब आदमीको

---

[1] राष्ट्रीय; [2] केवल कैंटीन।

इस तरहकी शांति मिल जाती है तो उसकी आंखों, उसके शब्दों और उसके कामों—सबसे वह शांति टपकने लगती है। इस तरहका आदमी झोंपड़ीमें रहकर भी संतुष्ट रहता है और कलकी चिंता नहीं करता। कल क्या होगा, यह भगवान ही जानते हैं। श्रीरामचंद्रको, जो हमारी तरह आदमी थे, यह पता नहीं था कि ठीक उस वक्त जब उनके गद्दीपर बैठनेकी आशा थी, उन्हें बनवास दे दिया जायगा। पर वह जानते थे कि सच्ची शांति बाहरकी चीजोंपर निर्भर नहीं है। इसीलिए वनवासके खयालका उनपर कुछ भी असर न हुआ। अगर हिंदू और सिख इस सचाईको जानते होते तो यह पागलपनकी लहर उनपरसे फिर जाती, और मुसलमान चाहे कुछ भी करते, वे खुद शांत रहते। अगर ये शब्द हिंदुओं और सिखोंके दिलोंमें घर कर लें तो मुसलमानोंपर तो अपने आप उसका असर जरूर होगा ही।

मैंने सुना है कि यह कैंप कुछ अच्छी तरह चल रहा है। मैं यह बात तबतक पूरी तरह नहीं मान सकता, जबतक सब शरणार्थी मिलकर इस कैंपमें उससे ज्यादा सफाई और तरतीबी न रखें जितनी दिल्ली शहरमें दिखाई देती है। आपको जो मुसीबतें भोगनी पड़ी हैं वह मैं जानता हूं। आपमेंसे कुछ बड़े-बड़े घरोंके लोग थे। पर आपके लिए उतने ही आराम-की उम्मीद यहां करना फिजूल है। आप सबको सीखना चाहिए कि नई जरूरतोंके मुताबिक अपनेको कैसे ढाला जाय और जहांतक बन पड़े इस हालत[1]को ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए। मुझे याद है कि सन् १८९९की बोअर वारसे[2] ठीक पहले अंग्रेज लोग ट्रांसवालको छोड़कर वहांसे नेटाल गए थे। वे जानते थे कि मुसीबतका कैसे सामना किया जावे। वे सब-के-सब बराबरकी हैसियतसे रहते थे। उनमेंसे एक इंजीनियर था और मेरे साथ बढ़ईका काम करता था। हम सदियोंसे विदेशियोंके गुलाम रहे हैं, इसलिए हमने यह बात नहीं सीखी। अब जब हम आजाद हुए हैं—और आजादी कैसी अनमोल बरकत है— मैं उम्मीद करता हूं कि शरणार्थी भाई-बहन अपनी इस मुसीबतसे भी पूरा फायदा उठाएंगे। वे अपने इस कैंपको एक ऐसा आदर्श कैंप बना देंगे कि अगर सारी दुनियासे नहीं तो सारे हिंदुस्तानसे

---

[1] व्यवस्था; [2] बोअर युद्ध।

लोग आ-आकर इसपर फख्र करें। प्रार्थनामें जो मंत्र पढ़ा गया है उसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सब भगवानके अर्पण कर दें और फिर जितनेकी हमें सचमुच जरूरत हो, उतना ही उसमेंसे ले लें। अगर हम इस मंत्रके अनुसार रहें तो इस कैंपमें ही नहीं, सारी दिल्लीमें, जो हालमें बदनाम हो गई है, फिरसे नई जान आ जावेगी और हमारे सबके जीवन अंदरके सुखसे भर जावेंगे।

: १६८ :

४ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज यहां तो हर जगह लड़ाईकी ही बात हो रही है। कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानके बीच शायद लड़ाई छिड़ जायगी। अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो हम दोनोंका बड़ा दुर्दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। और बस हम दोनों आपस-आपसमें सुलहसे नहीं बैठ सकते हैं। अभी मैं हैरान हुआ कि हिंदुस्तानकी यूनियनने, जो सारी प्रजाका या समग्र प्रजाका मंडल बन गया है, पाकिस्तानको लिखा है। ऐसी जब कोई बात हो जाती तो इस मंडलको इन्साफ करने और लड़ाई रोकनेके लिए कहा जाता है। इसलिए उनको इंडियन यूनियनने लिखा है कि यह जो कुछ भी है, चाहे मामूली चीज ही हो, लेकिन इसमेंसे लड़ाई छिड़ सकती है। अच्छा लंबा-चौड़ा लिखकर भेजा है और चूंकि वह तारसे जा सकता था इसलिए उससे भेज दिया। उसपर पीछे पाकिस्तानसे एक तो जफरुल्ला साहब और दूसरा लियाकतअली साहबने एक बहुत लंबा बयान निकाला है। वे दोनों भाई मुझको कहने देंगे कि वह मुझको कोई अच्छी बात नहीं लगी। तब कहो कि यूनियनके जो सचिव हैं, उन्होंने जो चीज भेजी वह अच्छी लगी क्या? मैं कहूंगा कि मुझको अच्छी भी लगी और बुरी भी। अच्छी तो यों लगी कि आखिर वे करें क्या? उन्होंने मान लिया है कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। अगर काश्मीरकी सरहदके बाहरसे लड़ाई

होती रहे तो जाहिर है कि उनके दिलमें यही होगा कि उसमें पाकिस्तानका कुछ-न-कुछ हिस्सा तो है ही। वह नहीं है, ऐसा वह कहते हैं। लेकिन उनके कहनेसे तो काम नहीं निपट सकता। काश्मीर हमारे पास आ गया है। एक शर्तसे हमने उसको यूनियनमें ले लिया है। अगर पाकिस्तान उसको नाराज करे और काश्मीरके नेता शेख अब्दुल्ला यह मांगें कि हमको मदद दे दो, तो यूनियन तो मदद देनेके लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए मदद तो दी, लेकिन यहां तो इस तरहसे हो रहा है कि पाकिस्तानसे मिन्नत करते हैं कि जो हमलावर हैं उनको वहांसे निकल जाना चाहिए और कोई आपसी निपटारा हो जाना चाहिए। अगर यह निपटारा नहीं होता है तो फिर तो लड़ाईमें ही फंस जाना पड़ेगा। इस लड़ाईमें न फंसनेके लिए ही उन्होंने ऐसा कर लिया है। यह सब ठीक है या नहीं, यह तो ईश्वर ही जानता है। न मैं जानता हूं, न कोई और जानता है।

पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी था, लेकिन मैं तो ऐसे करता कि उनको यहां आनेके लिए कहता। वे यहां आ सकते थे या किसीको भेज सकते थे। इस बारेमें कोई समझौता करनेके लिए हम मिल तो लें। सारी दुनियाको जाहिर तो यह करते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलनेका सामान पैदा नहीं करते, ऐसा मुझको लगता है। इसलिए पाकिस्तानके जो जिम्मेदार आदमी हैं उनसे मैं तो मिन्नत करूंगा कि हमारे दो टुकड़े तो हो गए, हालांकि मुझको तो अच्छा नहीं लगा कि दो टुकड़े हो गए, लेकिन हो गए, क्योंकि आप लोग चाहते थे। दो टुकड़े होनेके बाद अब ऐसा इकरार तो होना ही चाहिए था कि हम आपसमें सुलहसे रहेंगे। मान लिया कि हिंदुस्तानमें तो सब बुरे आदमी रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो एक नई पैदाइश है और वह भी धर्मके नामपर या इस्लामके नामपर। तब उसको तो साफ ही रहना चाहिए था। लेकिन वह नहीं है, ऐसा वे खुद भी तो कबूल करते हैं। पाकिस्तानमें मुसलमानोंने ज्यादतियां नहीं कीं, ऐसा वे खुद भी नहीं कहते हैं। की हैं, इसलिए मैं तो उनसे मिन्नत करूंगा कि आपका तो परम धर्म हो जाता है कि जहांतक हो सकता है हिंदुस्तानके साथ मिल जाना चाहिए और दोनोंको साथ-साथ काम चलाना चाहिए। गलतियां हो गई हैं दोनोंसे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम गलतियां

करते ही रहें। आखिरमें नतीजा तो यही होगा कि हम दोनों आपसमें लड़ें और मरें। तब तो सारा हिंदुस्तान एक तीसरी ताकतके हाथ चला जाता है। इससे बुरी बात हिंदुस्तानके लिए, या किसी भी हिंदुस्तानीके लिए, कोई और हो क्या सकती है, यह मेरे जहनसे[१] तो बाहरकी बात है। इसलिए दोनों ताकतोंको ईश्वरको दरमियान रखकर आपस-आपसमें मिल जाना चाहिए। आखिर यू० एन० ओ०में तो यह मामला चला ही गया है। उससे तो कौन छीन सकता है। लेकिन एक ताकत तो उनसे भी यह मामला छीन सकती है और वह यह कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिल जाते हैं तब यू० एन० ओ० में जो बड़े-बड़े लोग पड़े हैं, वे तो राजी होनेवाले हैं। वे कोई नाराज थोड़े ही होंगे। आखिर उनके हाथमें तो कलम पड़ी है। वे तो यही कहेंगे कि हमारे पास जो चीज आती है उसके लिए हम भी कोशिश करेंगे कि दोनों आपसमें मिल जाएं, ताकि हमें कुछ करना ही न पड़े। ऐसी अगर वे कोई कोशिश न करें तो वे भी आखिर खिलौना थोड़े ही हैं कि कोई हरएक बात उसमें ले जाई जाय। जब दोनों मजबूर हो जाएं कि आपसमें उनका कोई फैसला हो ही नहीं सकता है तब वे उसको यू० एन० ओ० में ले जाते हैं। एक तो मैं यह बात आपको कहना चाहता था। इसलिए हम ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं और जो प्रार्थना यहां करें, वही हम हमेशा अपने घरमें भी करें कि किसी-न-किसी तरह भगवान दोनों हकूमतोंको लड़नेसे बचा ले। लेकिन हर तरहसे लड़नेसे बचा ले, वह प्रार्थना भी हम न करें। मैं तो कहता हूं कि हे ईश्वर ! या तो दोनोंको आदर और मोहब्बतके साथमें रख या अगर भीतरसे दुश्मन ही रहते हैं तो बेहतर यही है कि हमको पेटभरके लड़ने दे। हम भले ही मूर्ख हों, लेकिन लड़ने तो दो। पीछे कभी-न-कभी तो शुद्ध हो ही जायंगे। आप भी यही प्रार्थना करें।

अब कुछ दिल्लीके बारेमें भी कहना मैं मुनासिब समझता हूं। यहां क्या हो गया, इसका मुझको रातको ही पता चल गया था। मुझको बृजकिशनजीने बता दिया था। मैं भी कल उस तरफ प्रार्थना करने चला

---

[१] अक्लसे।

गया था। मैं तो आ गया था, लेकिन वह कैंप[1] देखने और लोगोंसे बात करनेके लिए वहीं ठहर गए थे। वहांके कुछ फासलेपर ही चार-पांच सौ आश्रित दुःखी स्त्रियां, थोड़े बच्चे और बाकी पुरुष गए। उन लोगोंने क्या किया? किसीसे मारपीट तो नहीं की, ऐसा मैं सुनता हूं। कुछ मुसलमानोंके घर थे, थोड़े उनमें खाली भी थे, मगर जो भी खाली हों, उन्हींमें वे जाकर बैठ जायं, ऐसा थोड़े ही है। लेकिन जिन घरोंमें लोग रहते थे उनपर भी जबर्दस्ती कब्जा करनेकी उन्होंने कोशिश की। पुलिस तो नजदीक ही थी। सुनते ही वह वहां पहुंच गई और सात या साढ़े-सात बजेसे यह शुरू हुआ और ९ बजेके बाद वह तो अखबारोंमें है। मैंने सुना है, ११ बजेके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस वहीं रही और जो एक नया शस्त्र निकला है न, अश्रु-गैस, वह भी चलाया गया। उससे लोग परेशान हो जाते हैं, मरते तो नहीं हैं; लेकिन परेशानी तो बहुत होती है। पीछे ये लोग वहांसे गए और सुना है कि आज दिनमें भी कुछ हो रहा था। वे वहांसे चले नहीं गए थे।

मैं तो कहूंगा कि इससे हमको लज्जित होना चाहिए। जो आश्रित लोग हैं वे दुःखमेंसे भी इतना नहीं सीखे कि हम मर्यादित हैं। यह कोई मर्यादा नहीं है कि हम किसीके घरमें जाकर बैठ जायं। उनके लिए घर या कुछ भी चाहिए वह हकूमतका काम है। आज तो हकूमत भी हमारी हो गई है; लेकिन उस हकूमतको भी वे बेकार करें और जो पुलिस है उसकी भी कोई परवा न करें और किसीके घरमें घुसकर बैठ जायं तो इस तरह तो हमारी हकूमत चलनेवाली नहीं है। और पीछे दिल्लीमें अर्थात् हिंदुस्तानके पाया-तख्त[2]में ऐसा हो, जहां इतने लोग पड़े हैं, बाहरसे बड़े-बड़े एलची यहां आए हुए हैं! क्या उनको यह देखनेको मिले कि लोग जहां चाहें वहां कब्जा करके बैठ जाते हैं। पुलिस अगर मिन्नत करे कि मेहरबानी करके जाइए तो कोई मेहरबानी करनेका ही नहीं। इसपर भी औरतों और बच्चोंको आगे रखना तो कोई इन्सानियत नहीं है। मैं तो उसको हैवानियत मानता हूं। हम कोई जंगली थोड़े ही हैं! पुरुष

[1] बेवल कैंटीन; [2] राजधानी।

स्त्रियोंको आगे रखें वह तो ऐसे ही हुआ जैसा कि मुसलमान बादशाहोंके वक्तमें गायोंको फौजके आगे रखते थे, ताकि हिंदू लड़ें ही नहीं। मैं तो उसको भी सभ्यता नहीं, असभ्यता मानता हूं। लेकिन उससे भी बड़ी असभ्यता मैं यह मानूंगा कि औरतों और बच्चोंको आगे रखें ताकि पुलिस उनपर गैस या डंडा न चला सके। वह तो औरतका बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है, ऐसा मैं मानूंगा। इसलिए जितने दुःखी लोग, औरत-बच्चे, सब पड़े हैं, उन सबको मैं कहूंगा और बहुत विनयके साथ कि वे ऐसा न करें। वे सब शांतिसे बैठ जाएं। अगर नहीं बैठते हैं तो दो हकूमतोंका लड़ना तो दरकिनार रहा, हम आपस-आपसमें ही लड़कर ख्वार हो जायंगे। हम दिल्लीको गंवा बैठेंगे और सारी दुनिया हमपर हँसेगी कि ये लोग हकूमतको नहीं चला सकते हैं। इनका लोगोंपर कोई काबू नहीं है। हिंदुस्तान आजाद रहे, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो जो चीजें आज हिंदुस्तानमें हो रही हैं उनसे हम बच जायं। यहां किसी किस्मका उपद्रव न हो, इसके लिए कोई और दूसरा चारा हमारे पास नहीं है।

: १६६ :

५ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

अंकुश निकल जानेके कारण बाजारमें बेतहाशा ऊनी और रेशमी कपड़ा आ गया है। ऊनी और रेशमी कपड़ेकी कीमत कम-से-कम ५० फी सदी गिर गई है। काफी जगह ६६ प्रतिशत गिरी है।

इस आशासे कि सूती कपड़े और सूतपरसे भी अंकुश जल्दी ही निकल जायगा, कीमतें धीरे-धीरे गिर रही हैं। अगर सूती कपड़ेपरसे पूरी तरह अंकुश उठा लिया जाय तो कीमत कम-से-कम ६० प्रतिशत गिर जायगी और कपड़ा भी ज्यादा अच्छा मिलने लगेगा। मिल-मालिकोंको एक दूसरेके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। रेशमी और ऊनी कपड़ेकी तरह, अंकुश हट जानेसे सूती कपड़ा भी ढेरों मिलने लगेगा। सूती कपड़ेपरसे अगर

अंकुश उठाया गया तो उसे सफल बनानेके लिए कम-से-कम तीन सालतक हिंदुस्तानसे बाहर कपड़ा भेजनेकी मनाही होनी चाहिए।

सरकारी दफ्तरोंके आंकड़े तो जादूका खेल-सा रहते हैं। वे खुराक और कपड़ेपरसे अंकुश उठानेके रास्तेमें नहीं आने चाहिएं।

पेट्रोलपर अंकुश तो युद्धके कारण लगाया गया था, अब उसकी जरूरत नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि इस कंट्रोलसे थोड़ी-सी ट्रांसपोर्ट कंपनियोंको फायदा पहुंच रहा है और वे इसे रखना चाहती हैं। करोड़ों जनताका तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि एक भी बस या ट्रामका मालिक, जिसके पास एक ही रास्तेका लाइसेंस है, आज दस-पंद्रह हजार रुपया हर महीने कमा रहा है। अगर पेट्रोलपर अंकुश न रहे, और गाड़ियां चलानेमें भी किसी एकके इजारे (स्वत्व) का रिवाज न रहे, तो एक गाड़ीका मालिक महीनेमें ३०० रु० से ज्यादा नहीं कमा सकता। आज तो पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी[1] तिजारत होती है। एक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठी आज किसी ट्रांसपोर्ट डीलरके पास दस हजारमें बेची जा सकती है। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश हटा दिया जाए तो खुराक, कपड़े और मकानोंका प्रश्न और कई दूसरे प्रश्न, जो आज देशके सामने हैं, अपने आप हल हो जाएंगे। पेट्रोलके राशनिंगसे ट्रांसपोर्ट कंपनियां पैसे कमा रही हैं, और करोड़ों लोगोंका जीवन बर्बाद हो रहा है। अंकुश निकलवाकर आप दुःखी जनताकी सहायता करें तब यह देश चंद खुशकिस्मतोंके रहने लायक ही नहीं, पर करोड़ों बदकिस्मतोंके रहने लायक भी बनेगा। अंकुश लड़ाईके जमानेके लिए थे। आजाद हिंदमें उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

मुझे लगता है कि इन आंकड़ोंके[2] सामने कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है यह बात मेरा अज्ञान मुझसे कहला रहा है। अगर ऐसा है तो ज्यादा जानकार लोग दूसरे आंकड़े बताकर मेरा अज्ञान दूर करनेकी

[1] कूपन।

[2] गांधीजीने नीचेके भाव बताते हुए कहा कि देखिए, चीनी इत्यादिका भाव सौ प्रतिशत गिर गया है।

कृपा करें। मैंने ये बातें मान ली हैं, क्योंकि जानकार लोगोंका मत भी इसी तरफ है।

जब जनता किसी बातको मानती है और कोई चीज चाहती है तब लोकतंत्रमें झिझकको स्थान नहीं रहता। जनताके प्रतिनिधियोंको जनताकी मांग ठीक स्वरूपमें रखनी चाहिए, ताकि वह पूरी हो सके। जनताका मानसिक सहकार तो बड़ी-बड़ी लड़ाइयां जीतनेमें बहुत मदद दे चुका है।

कहते हैं कि दुनियामें जितना पेट्रोल निकलता है, उसका एक

आजकलका भाव	**नवंबरमें अंकुश उठानेसे पहलेका भाव**
चीनी ३७॥) मन	......८०)से ८५) मन
गुड़ १३)से १५) मन	......३०)से ३२) मन
शक्कर १४)से १८) मन	......३७)से ४५) मन
चीनीके क्यूब ॥≡) फी पैकेट	......१॥)से १॥) फी पैकेट
चीनी देशी ३०)से ३५) मन	......७५)से ८०) मन
अनाज	
गेहूं १८)से २०) मन	......४०)से ५०) मन
चावल बासमती २५) मन	......४०)से ४५) मन
मकई १५)से १७) मन	......३०)से ३२) मन
चना १६)से १८) मन	......३८)से ४०) मन
मूंग २३) मन	......३५)से ३८) मन
उड़द २३) मन	......३४)से ३७) मन
अरहर १८)से १६) मन	......३०)से ३२) मन
दालें और तेल	
चनेकी दाल २०) मन	......३०)से ३२) मन
मूंगकी दाल २६) मन	......३६) मन
उड़दकी दाल २६) मन	......३७) मन
अरहरकी दाल २२) मन	......३२) मन
सरसोंका तेल ६५) मन	......७५) मन

प्रतिशत ही हिंदको मिलता है। निरुत्साह या निराश होनेका कारण नहीं। हमारी मोटरें तो चलती ही हैं। क्या इसका यह मतलब है कि क्योंकि हम युद्ध करनेवाले लोग नहीं, इसलिए हमें ज्यादा पेट्रोलकी जरूरत ही नहीं, और अगर हमें ज्यादा जरूरत पड़े और दुनियामें जितना पेट्रोल निकलता है, उतना ही निकले तो दुनियाके लिए पेट्रोल कम पड़ेगा? टीकाकार मेरे घोर अज्ञानकी हँसी न करें। मैं तो प्रकाश चाहता हूं। अगर मैं अपना अंधेरा छिपाऊं तो प्रकाश पा नहीं सकता। सवाल यह उठता है कि अगर हमारे हिस्सेमें बहुत कम पेट्रोल आता है, तो काले बाजारमें पैट्रोलका अटूट जखीरा कहांसे आता है, और गाड़ियोंका अनावश्यक आना-जाना, बिना किसी तरहकी रुकावटके कैसे चलता है?

पत्र लिखनेवाले भाईने जो हकीकत बयान की है वह सच्ची हो तो चौंकानेवाली चीज है। अंकुश अमीरके लिए आशीर्वादरूप है और गरीबके लिए शापरूप, और अंकुश रखा जाता है गरीबोंकी खातिर। अगर इजारेका रिवाज इसी तरह काम करता है तो उसे एक क्षण भी विचार किए बिना निकाल देना चाहिए।

कपड़ेके बारेमें तो, अगर खादीको, जिसे आजादीकी वर्दी कहा गया है, हम भूल नहीं गए तो कपड़ेपर अंकुश रखनेके पक्षमें तो एक भी दलील नहीं है। हमारे पास काफी रुई है और काफी हाथ हैं जो देहातोंमें चर्खा और कर्घा चला सकते हैं। हम आरामसे अपने लिए कपड़ा तैयार कर सकते हैं। न उनके लिए शोरगुलकी जरूरत है, न मोटर-लारियोंकी। पुराने जमानेमें हमारी रेलवेका पहला काम फौजकी सेवा था, दूसरे नंबरपर बंदरगाहोंपर रुई ले जाना और बाहिरसे बना कपड़ा भीतर ले आना। जब हमारी कैलिको, जिसे खादी कहते हैं, देहातोंमें बनती है, और वहीं खपती है, तब इस केंद्रीकरणकी कोई जरूरत नहीं रहती। अपने आलस्य या अज्ञान, अथवा दोनोंको छिपानेके लिए हम अपने देहातोंको गाली न दें।

: २०० :

६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज भी मैंने सुना है कि कई आदमी मुसलमानोंके घरमें जानेकी कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस अपना फर्ज अदा करती है और रोकनेकी कोशिश करती है। पुलिस आखिर क्या करे ? वह अश्रु-गैस चलाती है। आज मैंने सुना कि पुलिसकी तरफसे ऐसी कोशिश हुई। यहां काफी जगह है। दिल्लीमें जगह नहीं है ऐसा तो नहीं है। हां, यह है कि दुःखी लोग परेशानीमें पड़े हैं। वे लोग आकाशके ही नीचे रहें, यह तो ठीक नहीं है। पानी पड़ जाता है उस समय उनके और आकाशके बीच सिर्फ कपड़ा रहे तो वह काफी नहीं है। इसलिए परेशानीमें वे लोग सब कुछ कर लेते हैं। अगर सचमुच इतनी ही बात है तब तो उन्हीं घरोंमें जायं, मुसलमानोंके ही मकानोंका कब्जा लें, यह जमता नहीं है। तब मैंने एक भाईको कह दिया कि यह बड़ा मकान है। इसमें तो काफी लोग आ सकते हैं, मुझको निकाल दो, एक बीमार औरत है उसको भी निकाल दो, पीछे मालिकको निकाल दो, इसको मैं समझ सकता हूं। तो वह भाई कहता है कि तुमको तो मिल जायगा, लेकिन हमको कहां मिलेगा ! मैं तो कहता हूं कि वे ऐसा करें, लेकिन कब ? जब उनके पास जितना इलाज है, वह न चले और दिल्लीवाले कुछ न करें तब। इसको मैं समझ सकता हूं। तब मैं उनमें कुछ शराफत पाऊंगा, लेकिन जिनको हमने डरा रक्खा है या जो भाग गए हैं, उनके घरोंपर कब्जा कर लें या जिनके नजदीकके घर खाली हो गए हैं, उनके घरोंपर कब्जा कर लें या उनके घरोंमें बैठना चाहें तो वह अच्छी बात नहीं है। उससे हमारी भलाई नहीं हो सकती, शरणार्थियोंकी भी भलाई नहीं हो सकती। हिंदू, मुसलमान, सिख या हिंदुस्तान, किसीकी भलाई नहीं हो सकती।

आज तो पुलिसने ऐसा किया कि किसी-न-किसी तरहसे उन लोगोंको कुछ मकान दे दिए, लेकिन उन लोगोंने कहा कि ये मकान नहीं चाहिए, हमें तो वे ही मकान चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि साफ कह दो कि हमें

यहां मुसलमान नहीं चाहिए। यह शराफत तो नहीं है, लेकिन इतना तो होगा कि टेढ़ी तरहसे निकालनेके बदले सीधे तौरसे निकाल दें। साफ-साफ कह दो कि हम पाकिस्तानमें हलाक हो गए हैं तो हम तुमको भी हलाक करेंगे। हमको तुम्हारा एतबार नहीं है। इसको तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आज जैसा हो रहा है वह पागलपन है।

हमारे मुल्कमें बदकिस्मतीसे ऐसा हो गया है कि बिना सोचे-बिचारे कई काम इधर-उधर ऊटपटांग कर बैठते हैं। लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि हमारा मुल्क आजाद हो गया है, हमारा राज हो गया है तो हम जैसा चाहें वैसा करें। बंबईसे खबर आई है कि वहां सल्तनत बड़ी मुसीबतमें पड़ी है। बंदरगाहके मजदूरोंने हड़ताल कर दी है। इस तरहकी हड़तालसे हम मरनेवाले हैं। इससे जो मजदूर हड़ताल करते हैं उनका भी कोई भला नहीं होनेवाला है। उसमें चाहे किसी दलका हाथ हो, चाहे कांग्रेसका हो या समाजवादी दलका हो, या कम्यूनिस्टका हो या और किसी दलका हो, मुझे इसकी परवा नहीं है। मैं तो सबके लिए कहूंगा कि इस तरहसे कारोबार नहीं चलेगा। ऐसा करनेसे हम मरनेकी कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देशकी स्थिति नाजुक है, इसलिए हमें तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम बच जायं।

मुझको औंधसे वहांके महाराजा साहबने लिखा है। औंध महाराष्ट्रमें एक छोटी-सी रियासत है। उन्होंने तो जब अंग्रेजी सल्तनत थी तभीसे अपनी रियासतका सब काम वहांके लोगोंके हाथ सौंप दिया था। उनके और उनके पुत्रके दिलमें हुआ कि प्रजाकी सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने वहांके लिए खासा निजाम बना लिया, पंचायत राज बना दिया और सत्ता उसके सुपुर्द कर दी। तो महाराजा साहब लिखते हैं कि सब ऐसा कहते हैं कि आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते, सब करें तब आप करें। उन्होंने हिंदुस्तानमें अपनी रियासतको मिलानेका तय तो करीब-करीब कर ही लिया है, तो भी राजा तो रह जाते हैं, लेकिन लोगोंका दास होकर रहते हैं, लोग उन्हें जितना दें उतना ही वे ले सकते हैं। खालसा हो गया है, उसके माने यह हैं कि जैसी रैयत है वैसा ही राजा है। उन्होंने ऐसा कर दिया है। सरदार साहबने उड़ीसासे शुरू

किया कि राजा लोगोंको भी कुछ पेंशन दे दी जाय, काम करें चाहे न करें। औंधके राजा साहबको भी पेंशन दे दी जाय और बैठ जायं तो इसे मैं अच्छा नहीं समझता। हां, वे दखल न दें। वे कहते हैं कि पंचायत राज दे दिया है तो उसके मुताबिक रियासतमें काम चल सकता है या नहीं; क्योंकि उनसे कहा गया है कि हिंदुस्तानसे जैसी अन्य मिली हुई रियासतोंमें काम चलेगा वैसे ही वहां चलेगा, अलग कानून नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा कि उसमें कानूनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि राजा तो है नहीं, तो कानून कौन बनाए। मैं तो कहूंगा कि जब हमारी हकूमत है—वह खालसा तो है ही, पंचायत है—उसका हक तो कोई एक आदमी छीन नहीं सकता, तब उसमें डरनेकी क्या बात है! सच्चा हक तो वही है जो छीना नहीं जा सके। वह तो धर्मके अमलसे पैदा होता है। उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अपना फर्ज अदा करें। अगर कुछ लोग मिल जाते हैं और कोई गिरोह बना लेते हैं तो भी क्या? पूछना क्या था? पंचके मार्फतसे न्याय करेंगे। जो अदालतें बनी हैं उनमें नहीं जायंगे। अपने आप सब कर लेंगे। वहां ज्यादा लोग गुनाह नहीं करते हैं—थोड़े आदमी करते हैं। जो करते हैं वे भी पंचायतके बाहर जानेवाले नहीं हैं। सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं। इसका नाम सचमुच प्रजासत्ता या प्रजाराज है। प्रजासत्ता बन गई इसका मतलब यह नहीं है कि राज दिल्लीसे चले। अगर सचमुच वैसी सत्ता बन जाती है तब तो वह प्रजाके मार्फत ही बनेगी और उसमें देहातके लोग रहेंगे। ऐसी जो पंचायत है वह काम चलाए। उसमें दखल देनेकी गुंजाइश नहीं। उसमें कोई दखल दे नहीं सकता। दखल देनेका कानून भी नहीं बनाया जा सकता; नहीं तो वह लौकिक राज या पंचायत राज नहीं होगा। तलवारके जरिए पंचायत राज नहीं हो सकता।

तीसरी बात मैं और अभी कह देना चाहता हूं। एक भाई लिखते हैं—वह खासा खत है, हिंदुस्तानीमें है—कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि जो मुल्क हमेशा सुखी है वहीं राम-राज्य हो सकता है। बाहरके मुल्कसे कोई माल लेता नहीं, ऐसा नहीं है; लेकिन उतना ही लेना चाहिए जितनी कीमतका माल हम भी भेज सकें। तब हिसाब सीधा हो जाता है। अगर

हम बाहरसे माल खरीदनेमें पचास रुपए खर्चें तो उतना बाहरसे भी आना चाहिए, तब तो ठीक है। वह कहते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा ऐसा रहा नहीं है। हमेशा हम कर्जदार रहे हैं। अभी ऐसा हो गया है कि हम लेनदार हो गए हैं, लेकिन कबतक रहेंगे अगर हम अभी खर्च ही करते रहें? कहनेका मतलब यह है कि हम बाहरसे उतना माल मंगाते नहीं रहें जितना हम भेजते नहीं। अगर भेजते हैं तब ठीक हो जाता है, लेकिन नगद भेजकर मंगाते हैं तो ठीक नहीं। आज तो हमें ऐसा करना चाहिए कि बाहरसे जो माल मंगवाते हैं वह ज्यादा होना ही नहीं चाहिए—हम बाहरसे कम माल मंगवाएं और ज्यादा भेजें तब तो हमारा देश लेनदार देश हो सकता है, तब हमारी जमा बढ़ जाती है, यानी हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तब हम जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो नहीं।

एक बात यह है कि हम बाहरसे जो मंगवाते हैं वह हमारे कच्चे मालका पक्का माल बनकर आता है। इससे हमारा सिलसिला बदल जाता है। हमें तो अपने देशको ऐसा बना लेना चाहिए कि बाहरसे मंगवानेकी जरूरत ही न रहे। अगर मंगवाते हैं तो दूसरोंकी सहायता करनेके लिए। कोई कहे कि हमको कुछ पैसेकी दरकार है तो पैसे हैं तो भेज दो। वह ठीक कहते हैं कि ऐसे ही अमरीका बना है। हमें अमरीका-जैसे नहीं बनना है; लेकिन हम इतना तो कर लें कि हम बाहर ज्यादा भेजें नहीं तो बाहरसे मंगवाएं भी नहीं। तभी हमारी खैर है।

: २०१ :

७ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

अभी सुना है कि विद्यार्थी लोग हड़ताल करनेवाले हैं—वह ९ तारीखसे शुरू होनेवाली है। मुझको इसके बारेमें इतना ही कहना है कि यह बहुत गलत बात है। इस तरहसे हड़ताल करना और उससे

अपना काम निकालना कोई बेहतर चीज नहीं है—यह अहिंसक चीज तो है ही नहीं, इसके बारेमें मेरे दिलमें कोई संदेह ही नहीं। मैंने बहुत अहिंसक हड़ताल कराई हैं। हरएक हड़ताल अहिंसक है या हरएक हड़ताल उचित है, यह नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थी जब विद्याभ्यास करते हैं तब उनको हड़ताल क्या करना था और इस तरहसे तो हमारा काम बिगड़ता है। अगर वे लोग मेरी प्रार्थना मानें तो अच्छी बात है। इसके बारेमें भी कहूंगा कि अनुभव लेते हुए मुझे करीब पचास वर्ष हो गए। यह अनुभव हिंदुस्तानसे नहीं, दक्षिण अफ्रीकासे शुरू किया और कामयाब हुआ। मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि जिसमें पड़ा उसमें कामयाब नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वह सचमुच न्याय है और उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है तो कामयाबी मिलती ही है।

मेरे पास आज पंजाब, सिंध, सरहदी-सूबा और कहां-कहांके नहीं थे—सब जगहके भाई आ गए थे, लेकिन सब पाकिस्तानवाले थे। प्रतिनिधि मिलने आए। सब थोड़े आ सकते थे। वे अपने दुःखकी कहानी सुना रहे थे। कहते थे कि आप इसके बारेमें दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं? बात तो यह है कि वे बेचारे कहांसे जान सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो यहां इसी कामसे बैठा हूं कि किसीके पाससे करवा सकता हूं तो करवाऊं। आज तो मेरी दीन हालत हो गई है। एक जमाना था, जब कि मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाता था। आज ऐसी बात नहीं रही। मैं तब भी एक अहिंसक सेनापति था—अब जब कोई मानता नहीं है तो सेनापति कैसा? वह जमाना चला गया। लेकिन उस जमानेमें भी मैंने ऐसा कभी दावा नहीं किया कि मैं जो कहता था उसको सब मानते थे, लेकिन लोग मानते थे, जगत मानता था। आज मेरी बात कौन मानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। मैं जो आज कहता हूं वह अरण्यरोदन है; लेकिन धर्मराजने तो ऐसा कहा है कि अकेले रहनेपर भी क्या हुआ; धर्मकी बात तो करनी ही चाहिए। लोग कहते हैं कि हकूमत है, उसमें तो तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम जो कहोगे उसको तो वे लोग माननेवाले हैं। उसके मुताबिक उनको चलना ही चाहिए। बात सच्ची है—वे मेरे दोस्त हैं; लेकिन मेरे कहनेके मुताबिक वे क्यों चलें? आप सब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब

ऐसा थोड़ा है कि मैं जैसा कहूं वैसा करें। दिलमें घुसता है, जमता है तब करें और न करें तो आलसी हैं। हकूमतमें मेरे दोस्त हैं तो उनसे बहस करूंगा और कहूंगा। मान जायंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं लाचार हूं। वे लोग मुझसे कह सकते हैं कि हकूमत चलानेमें कई मुश्किलोंका सामना करना पड़ता है, तुम भी हकूमत चलाओगे तब भी वैसा नहीं कर सकोगे। हकूमतमें आज जो मेरे दोस्त हैं वे करें, पीछे उनके सेक्रेटरी हैं वे भी मेरे दोस्त हैं; क्योंकि वे लोग जानते हैं कि मैं किसीका शत्रु नहीं हूं, वे मानें, पुलिस हैं वे भी मानें, तो पीछे क्या चाहिए? अगर इस तरहसे हो तो आज जो हिंदुस्तानमें हो रहा है वह होनेवाला नहीं था। हकूमत कह सकती है कि हमारे पास ऐसे सिपाही, कारकून, कहां हैं? जो अंग्रेजोंके जमानेमें थे वे ही हैं। निकल जायं तो भी काम नहीं चलता है। ऐसा उन्हें कहनेका अधिकार है। चाहे कुछ भी हो, मैं आज जो चाहता हूं वैसा करवा नहीं सकता हूं। मैं तो आप लोगों-जैसे मिस्कीन हूं। मैं परमेश्वर तो हूं नहीं। मेरी जितनी ताकत है उतना करता हूं।

तो भी वे लोग कहते हैं—ठीक कहते हैं—कि इसके बारेमें हम क्या करें। रहनेके लिए कुछ तो होना चाहिए, पहननेको चाहिए और खानेके बारेमें होना चाहिए—तीनों चीजें चाहिएं। मेरे पास है तब उनके पास क्यों नहीं होनी चाहिए—सबके पास क्यों नहीं होनी चाहिए। उन लोगोंने कोई गुनाह किया है, ऐसी बात नहीं है। शरणार्थियोंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन लोगोंने मारा नहीं है, पीटा नहीं है, हकीकतमें उन्हें डराकर मार-पीटकर, भगा दिया है। वे इस तरहसे हैं, बेगुनाह हैं। मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनपर ऐसा दबाव डाला जाय, अन्याय हो और यहां आनेपर भी आरामसे नहीं रह सकें तो उन्हें ऐसा कहनेका हक़ है कि तुमको तो सब मिलता है, हमको नहीं मिलता है, यह कहांका न्याय है? मुझको यह कबूल करना होगा कि यह अन्याय है। तो वे क्या करें? यह तो मैंने बता दिया है। किसीके मकानमें जाकर बैठ जायं, यह कहांका तरीका है? हमला करनेका तरीका मैंने बता दिया है, अहिंसक हमला करें। किस घरपर हमला करें, यह भी बता दिया है।

मैं तो कहता हूं कि आप सीधी बात करें और कह दें कि जो काम

हमको दिया जायगा उसको करेंगे—आगे न चले तो बात दूसरी है। जैसे एक आदमीको लिखनेका काम दिया, लेकिन लिख नहीं सकता था तो क्या करे! एकको कुदाली दी तो वह कहे मुझसे कलम चलती है, इसलिए मुझको वही दो। ऐसा मैं नहीं सुन सकता हूं। जो काम दिया जाय उसको करना चाहिए। इसी तरहसे जिस जगह मकान दिया जाय, तंबू दिया जाय, उसमें रहें। घास-फूसके जो मकान दें उनमें भी रहना चाहिए। हां, मकान होना चाहिए—ऊपर छत होनी चाहिए। मैं उसमें रहा हूं, इसलिए कहता हूं। चारपाईकी कोई दरकार नहीं। मैं तो बताता हूं कि घासमें—हरी घासमें नहीं, सूखी घासमें—भी कोई भी आदमी आरामसे सो सकता है। उसमें हर्ज नहीं होता है। रुईवाले गद्देमें सोनेसे जितनी गर्मी मिलती है, उतनी गर्मी सूखी घासमें भी मिलती है, यह मैं तजुर्बेकी बात कहता हूं। किसी एकके पास गद्दा है तो मुझको भी गद्दा चाहिए, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहूंगा, ऐसा कहना नादानी है। जो मिलता है उसको ईश्वरका अनुग्रह मानकर ले ले, तब तो सब काम हो सकता है। ऐसा करें तो आज जो हमारे साथ चंद लाख शरणार्थी पड़े हैं, उतना ही नहीं, अगर करोड़ भी हों तब भी काम अच्छी तरह चल सकता है। यहां काफी जगह पड़ी है। सीधी बात यह है कि उनका दिल साफ होना चाहिए; लेकिन होता है उल्टा।

आपने देखा होगा कि कराचीमें क्या हो गया। लोग कहते थे कि सिंधमें ऐसा नहीं हुआ है, हो नहीं सकता है। मैं तो कहता था कि सिंधमें हिंदू आरामसे रह नहीं सकते, हिंदूके सिवा दूसरे भी नहीं रह सकते, उनका भी रहना दुश्वार है—हिंदू और सिख वहां रह नहीं सकते। वे वहांसे निकलनेके लिए गुरुद्वारा आए थे। तो गुरुद्वारापर हमला शुरू कर दिया, उनपर हमला हुआ, चंद आदमी मारे गए, चंद जख्मी हुए। इस तरहसे सिंधमें हुआ। हकूमत कहती है कि हालत जितनी जल्दी काबूमें की जा सकती थी, कर ली गई। ठीक है; लेकिन मैं इस चीजको इसलिए कहता हूं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मैं पाकिस्तानकी हकूमतको कहूंगा कि या तो ऐसा होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हकूमत छोड़ देनी चाहिए। हां, ऐसा करनेसे कुछ दिन लुटेरोंका राज कायम हो जाएगा; लेकिन पीछे

हालत सुधरने लगेगी। जो मैं वहांकी हकूमतको कहता हूं वही बात यहांकी हकूमतको भी कहता हूं। मैं हकूमतकी ऐसी बात नहीं सुनना चाहता कि लोग नहीं मानते हैं। मैं कहूंगा कि लोग नहीं मानते हैं तो आप हकूमत मत चलाइए। हकूमत अगर कहे कि मजबूरी है तो मैं कहूंगा कि मजबूर होनेकी क्या जरूरत है। थोड़ा यहां किया, थोड़ा वहां किया, मनको फुसला लिया कि सब चलता है। तो इससे काम बनता नहीं है, ऐसा मेरा तजुरबा है। हां, मैं ऐसा मान सकता हूं कि गाड़ी हमारी चल तो रही है चाहे वह एक ही कदम आगे गई हो। लेकिन आज तो वह पीछे जा रही है, यह खराब है। पाकिस्तानकी हकूमतको कहता हूं तो यहांकी हकूमतको न कहूं, यह बात नहीं हो सकती। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं।

अगर पाकिस्तानकी हकूमत इस तरह लोगोंको मरने देगी तो उससे बेहतर है कि हकूमत चलाना छोड़ दे। सो नहीं होता तो हकूमतको भी मरना है। मैं आप लोगोंको भी बता देना चाहता हूं कि इसके कारण आप दीवाने न बनें। दुःखी हैं तो गुस्सेसे भरे हैं—गुस्सेके सिवा ऐसा बन नहीं सकते। इस गुस्सेको पीना इन्सानियत है। गुस्सेका जवाब गुस्सेसे दें और कहें कि कराचीके गुरुद्वारामें ऐसा हुआ तो हम भी मस्जिदोंको ढा डालें, उनपर कब्जा कर लें, पीछे मुसलमानोंको मार डालें, यह न्याय नहीं है। इस तरहसे बदला लेनेसे हकूमत रहती कहां है ! हकूमतका काम इस तरहसे चलता नहीं है। ऐसा करनेसे आखिरमें हमें बिगड़ना होगा। हां, शरणार्थियोंके लिए इन्सान जितनी सहूलियतें पैदा कर सकता है, करना चाहिए, नहीं तो शर्मकी बात है। कराचीमें ऐसा हो गया, उससे न डरना है, न घबराहटमें पड़ना है और न गुस्सा करना है। उसका बदला हम ऐसे ले सकते हैं कि हम अच्छी तरहसे रहें। हम यहां ठीक तरहसे रहें, मुसलमानोंको रखें और शरणार्थी सभ्यतासे रहें तो आज जो दर्द पैदा हो गया है उसको हम मिटा देनेवाले हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।

: २०२ :

८ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

अभी एक भाई लिखते हैं कि मैंने हरिजनोंको शराबके बारेमें लिखा था। मैंने तो हरिजनोंके लिए ही नहीं, सबके लिए लिखा था। वे लिखते हैं कि क्या हरिजनोंको शराब छोड़ देनी चाहिए और पीछे फौजी पड़े हैं, धनिक पड़े हैं उनको क्या छोड़नेकी जरूरत नहीं है? सच्ची बात यह है कि यह प्रश्न पूछने लायक नहीं है। धनिक न छोड़ें, फौजी न छोड़ें तो क्या दूसरे भी न छोड़ें! कानून भी न हो कि शराब न पीएं तो वह धर्म थोड़े हो जाता है। दूसरे पाप करें तो क्या हम भी पाप करें; ऐसा बन नहीं सकता है। वे पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि इस तरहसे जो शराब पीते हैं उनको तो छोड़नी ही चाहिए। हरिजन हैं, मजदूर हैं वे इसे समझ नहीं सकते तो कानून बताता है कि मत पीओ। उनके पास आरामकी चीजें नहीं रहती हैं तो शराब पीकर दर्द दूर करना चाहते हैं। कंगालपन है उसको भी वे इसीसे भुलाना चाहते हैं। इस तरहसे उनके ऐसा करनेका कुछ सबब हो सकता है; लेकिन धनिक हैं, फौजी हैं उनको पीनेकी क्या जरूरत है? मैं धनिकोंको क्या समझा सकता हूं? फौजी कहें कि इसके बिना काम कैसे चल सकता है; लेकिन मैं तो फौजको मानता ही नहीं हूं तो फिर इसको क्या माननेवाला हूं! मेरे दोस्त भी पड़े हैं जो शराब नहीं पीते हैं। हमारे यहां सब पीते हैं, ऐसा नहीं है। सब फौजी पीते हैं ऐसा भी नहीं है। अंग्रेजोंमें भी ऐसे पड़े हैं जो शराब नहीं पीते। ऐसे थोड़ा है कि मैं चाहता हूं कि हरिजन ही छोड़ दें। मैं तो कहता हूं कि सबको छोड़ना चाहिए। कानूनकी बात तो सबके वास्ते है। कानून थोड़े कहता है कि धनिक पी सकते हैं और हरिजन नहीं।

अभी विद्यार्थियोंकी हड़तालकी बात करना चाहता हूं। सुनता हूं कि कांग्रेसके विद्यार्थी हड़तालमें शामिल नहीं होंगे। यह तो कम्यूनिस्ट विद्यार्थियोंकी हड़ताल है। विद्यार्थियोंमें सब होते हैं—कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी—इससे मेरा वास्ता नहीं है। मैं तो सबके लिए कहता हूं। कांग्रेसके

विद्यार्थी हड़ताल नहीं करते हैं तो वे धन्यवादके पात्र हैं। कम्यूनिस्ट हड़ताल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। जैसे शराबके बारेमें कहा है, वैसा यह भी है। कांग्रेस क्या, मैं तो सबको कहूंगा कि उन लोगोंको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझको दर्द होता है कि कम्यूनिस्ट भाई ऐसा कर रहे हैं। कम्यूनिस्ट भाई होशियार होते हैं, वे देशकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस तरहसे देशकी सेवा नहीं हो सकती। फिर विद्यार्थी किसी दलका पक्ष क्यों लें—विद्यार्थियोंका पक्ष एक है। विद्यार्थी तो विद्याभ्यास करते हैं सारे मुल्कके लिए—अपने कामके लिए नहीं, अपना पेट भरनेके लिए नहीं। अपना काम निकालनेका तो दूसरी तरहसे हो सकता है—पहले ऐसा होता था, आजतक ऐसा होता था, लेकिन अब तो बागडोर हमारे हाथमें आ गई है तो विद्यार्थी ज्यादा चाहिए और सच्चे विद्यार्थी चाहिए। उनको सबकी सेवा करनी चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए, उनको उसको हजम करना चाहिए, उसपर अमल करना चाहिए। विद्यार्थियोंके लिए समाजवाद है नहीं; कम्यूनिज्म है नहीं, कांग्रेस है नहीं—उसका एक काम है विद्याभ्यास करना, जिससे ज्ञानकी वृद्धि हो। हड़ताल उनके लिए निकम्मी है—यह सबके लिए घातक है।

एक प्रश्न आ गया है, अच्छा है। वे लिखते हैं कि आप तो बुरी वस्तुका त्याग करवाना चाहते हैं, आप भी करते हैं, यह अच्छी चीज है। तो वे कहते हैं कि आप पाकिस्तानमें जाकर क्यों नहीं करते ? वहां सत्याग्रह क्यों नहीं चलाते ? यहां तो काफी कह दिया, अब वहां तो जाओ। मैंने तो इसका जवाब दे दिया है। हां, सत्याग्रह करनेका जवाब नहीं दिया है। मैंने तो कह दिया है कि मैं किस मुंहसे पाकिस्तान जा सकता हूं। यहां हम पाकिस्तानकी चाल चलें तो कैसे बन सकता है !

ऐसा आप पूछते हैं तब जवाब देता हूं। मैं पाकिस्तान तभी जा सकूंगा जब हिंदुस्तानमें साफ हो, कहने लायक कुछ चीज नहीं हो। मुझे तो यहां करना या मरना है। दिल्लीके हिंदू, सिख पागल हो गए हैं। वे चाहते हैं कि यहांसे सब मुसलमानोंको हटा दिया जाय, काफीको हटा भी दिया है। बाकी बचे हैं वे भी हटा दिए जाएं। ऐसेमें मेरा जाना फजूल है। वहां पाकिस्तानमें जितने हिंदू, सिख पड़े हैं वे आना चाहते हैं तो

सत्याग्रह कौन करे ? आज सत्याग्रह कहां रहा ? सत्याग्रह नहीं तो अहिंसा नहीं। अहिंसाको आज कौन मानता है ? सब हिंसाको मानते हैं। सब फौज मांगते हैं और जब यह मिले तब राजी हो सकते हैं, चैनसे बैठ सकते हैं, नहीं तो चैनसे नहीं बैठ सकते। आज ऐसा हो गया है कि ईश्वर-का स्थान फौजको मिल गया है। इसका मतलब यह है कि लोग हिंसाके पुजारी हो गए हैं। तो हिंसाके पुजारी होते हुए सत्याग्रह कैसे चलाएं ? मेरी सुनें तो अखबारोंकी शकल बदल जाय। आज हमारे अखबार भी काफी गंदगी फैला रहे हैं। आज तो हम सत्याग्रहको भूल गए हैं। वह हमेशा चलनेवाली चीज है, लेकिन चलानेवाले सत्याग्रही नहीं हैं।

फिर वह भाई कहते हैं कि जब पाकिस्तानसे इतने हिंदुओं और सिखोंको यहां हटा लिया तब मुसलमानोंके लिए जगह कहां है ? जबतक उतने मुसलमानोंको यहांसे हटा नहीं देते तबतक उनको कहां रखोगे ? तो जितने हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आए हैं उतने मुसलमान तो यहांसे वहां जायं। मैं ऐसा मानता हूं कि करीब-करीब उतने मुसलमान तो चले गए। बाकी पड़े हैं। पाकिस्तानसे सब हिंदू और सिखोंको हटानेकी चेष्टा हो रही है, इसलिए यहांसे सब मुसलमानोंको हटाया जाय, यह पागलपन है। यहां मुसलमानोंकी काफी तादाद रह जाती है। इसलिए मौलाना साहबने लखनऊमें सम्मेलन बुलाया। वहां, कहते हैं, कम-से-कम सत्तर हजार लोग आ गए थे—काफी तादाद हो गई। इस जमानेमें मुसलमानोंकी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई। उसके बारेमें भली-बुरी बातें निकलती हैं। उनको मैं छोड़ देता हूं। यहां जो मुसलमान पड़े हैं उनके प्रति-निधि उसमें गए। क्या हम इन मुसलमानोंको मार डालें या पाकिस्तान भेज दें ? भेजें तो किस वास्ते ? यह समझने लायक चीज है। आज मैं यही कहूंगा कि ऐसा कहना कि मुसलमानोंको यहांसे हटा दें, मुझको लज्जा-स्पद बात लगती है। मेरी जबानसे ऐसी चीज निकलनेवाली नहीं है। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो हिंदुस्तानमें सांप्रदायिकता फैल गई, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा दुनियामें कहां नहीं है ? है, तो भी मुझको परवाह नहीं है। दुनियाकी बुराइयोंकी नकल थोड़ी करनी है, हमें नेकियोंकी नकल करनी है।

आज मेरे पास बहावलपुरके काफी लोग आ गए थे। मीरपुर काश्मीरके लोग भी आ गए थे। वे परेशान हैं। वे अदबसे बातें करते थे। वे बैठे थे, इतनेमें पंडितजी आ गए। तो मैंने पंडितजीको कहा कि इनकी बातें सुन लें। मीरपुरवाले पंडितजीसे बातचीत कर गए। मेरी उम्मीद है कि कुछ-न-कुछ हो जायगा। पूरा हो जायगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। आज लड़ाई छिड़ तो नहीं गई है, लेकिन एक किस्मकी चल रही है। तब ऐसा रास्ता निकालना और सबको एकाएक लाना हो नहीं सकता। जितना हो सकेगा, करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इतना करनेपर भी अगर कोई न बच सका, न लाया जा सका तो क्या करें। हमारे पास, जितनी चाहिए, उतनी गाड़ियां नहीं हैं। आज तो काश्मीरका रास्ता इतना नहीं खुला है कि लाखों आ-जा सकें। है, थोड़ा-सा रास्ता है, उस रास्तेसे इतनी तादादमें लाना मुश्किल है।

बहावलपुरकी बात सुनने लायक है। वहांके जो लोग आज मुझसे मिले, उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि मेरेसे जितना हो सकेगा कोशिश करूंगा। वे लोग कहते हैं और ठीक कहते हैं कि जो सूबेसे आए वे भी शरणार्थी और बहावलपुर रियासतसे आए वे भी शरणार्थी, लेकिन सूबेसे आए वे तो नौकरीके लिए दरखास्त कर सकते हैं—ऐसा सिलसिला हो गया है कि नौकरी वगैरा दिलानेके लिए नाम रजिस्ट्री करवाने हैं—तो हमारा नाम क्यों न उसके लिए दर्ज किया जाय? इतनी तकलीफ हम क्यों गवारा[1] करें? मैं समझता हूं कि ऐसा है नहीं और होना नहीं चाहिए। लेकिन वे लोग कहते हैं—अच्छे आदमी हैं तो मैंने कहा कि पता लगाऊंगा। हकूमतमें ऐसे पड़े हैं, उनके पास सब पहुंच नहीं सकते हैं। मेरे पास तो सब आ सकते हैं। मैं तो इसी कामके लिए पड़ा हूं। मेरा दूसरा काम नहीं है। तो वे सब आ गए थे, सब अदबसे बातचीत करते थे, वहशियाना बात नहीं करते थे। वे कहते थे कि ऐसा नहीं है तो ठीक है; लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं हैं; क्योंकि हम रियासतसे आए और खालसासे आते तो बात दूसरी थी। यह कहांका न्याय है?

---

[1] सहें।

सरहदी सूबा, पंजाब, सिंधसे आते हैं उनकी दरखास्त ली जाती है, नहीं तो नहीं। मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुआ है तो गलतीसे हुआ है। सरदारने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता और हुक्म भी यह निकाला तब भी नहीं होता है। है कि नहीं, मैं पता लगाऊंगा; लेकिन मुझको लगा कि इतना भी कह दूं तो इतमीनान हो जायगा कि चलो, हमारा काम भी चलता है।

: २०३ :

९ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज बहावलपुरके मंदिरके मुखिया मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे बताया कि वहां उस मंदिरमें शरणार्थियोंको किस तरह मारा गया। उन्होंने कहा कि अब वहांके बचे हिंदुओंको लानेके लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक इन्सानसे जितना हो सकता है कर रहा हूं। आज हकूमत दो हो गई तो दो राजा हो गए हैं, इसलिए इस राज्यको उस राज्यमें दखल देनेका ऐसा कोई हक नहीं है। आजका समय इतना नाजुक है कि लोगोंमें धैर्य होना चाहिए और लोगोंको मरनेसे डरना नहीं चाहिए; क्योंकि आज नहीं तो कल आखिर मरना ही है तो बहादुरीके साथ क्यों न मरें? (सत्याग्रही की तरह क्यों न मरें?)

एक भाईका पत्र आया है। वे कहते हैं कि आप बिड़ला-भवनमें हैं तो भी प्रार्थना तो होती ही है; लेकिन गरीब वहां नहीं जा सकते। पहले भंगी बस्ती या बाल्मीकि-बस्तीमें रहते थे, उसमें गरीब भी जाते थे; लेकिन अब उनको बिड़ला-भवनमें जानका मौका नहीं मिलता। मेरा तो खयाल है कि मैं जब य हांआया था तभी इसके बारेमें कह दिया था, लेकिन आज दुबारा कहनेकी आवश्यकता है। मैं अबकी बार जब यहां आया उस समय मार-पीट हो रही थी। दिल्ली श्मशान-सी लगती थी। उस समय भंगी-बस्तीमें शरणार्थी भी पड़े थे। फिर उस समय कहांपर क्या

होगा कोई नहीं जानता था। तो सरदारने कहा कि हम तुमको वहां नहीं रखेंगे, बिड़ला-भवनमें रखेंगे, तो मैं यहां आ गया। मैंने कहा कि मैंने ऐसी कोई शपथ थोड़ी ले ली है कि मैं हर हालतमें वहीं रहूंगा। मुझको किसी जगह एक कमरा दे तो उससे गुजर हो नहीं सकती; क्योंकि मेरे साथ दफ्तर रहता है, रसोई-घर रहता है, और भी लोग रहते हैं। भंगी-बस्तीमें गरीबोंके मकान हैं, फिर उसमें स्कूल है, उसमें एक कमरा मिले तो काम चल नहीं सकता। इसलिए वहां कैसे जाऊं? मैं यह भी नहीं जानता कि आज वह खाली है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां रहनेका मेरा धर्म नहीं है। मैं चला जाऊं पीछे शरणार्थी आएं तो उनको कहां रखोगे—रखना तो है ही। मैं रहूंगा तो कोई निकालेगा नहीं, निकाले तो अच्छा है। वे कह सकते हैं कि तुम भाग जाओ, यहां रहनेका तुम्हारा क्या अधिकार है, हम बाहरसे आए हैं। इसलिए मुझको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मुझे वहां रहनेका शौक है, लेकिन शौक छोड़कर यहां पड़ा हूं। फिर ऐसा नहीं है कि गरीब यहां नहीं आ सकते। ऐसी मनाही नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इतनी दूरसे नहीं आ सकते। वे अगर आना चाहते हैं तो पैदल ही आ सकते हैं, मोटरसे तो गरीब आ नहीं सकते। अमीर मोटरसे आ सकते हैं।

फिर आज मैं यहां पड़ा हूं तो मुसलमानोंको तो कुछ मदद पहुंचा सकता हूं—उस कामके लिए मेरा यहां रहना बड़ा मुफीद है। मैं यहां रहता हूं तो हकूमतके लोगोंसे जल्दी मिल सकता हूं, क्योंकि वे पासमें रहते हैं—वे मुझको नहीं बुलाते हैं, खुद आ जाते हैं, यह उनकी मेहरबानी है। वे लोग यहां दो मिनटमें आ जाते हैं। भंगी-बस्ती जानेमें दस-पंद्रह मिनट लगते हैं। इसलिए यहां पड़ा हूं। मुसलमान भाइयोंको भी यहां आनेमें सुविधा है, वहां जानेमें डर रहता है। आज जो रह गए हैं उनको बचा लें तो अच्छा है। आज तो जिधर सुनता हूं उधर ऐसा हो रहा है कि एकाएक लुटेरे निकल आते हैं और कोई आदमी बाइसिकलमें बैठा हो तो उसको उतार देते हैं और उसके पास जो कुछ पैसा, रुपया, घड़ी रहती है उसको ले लेते हैं। कोई मोटरमें रहता है उसको भी रोककर उसके पाससे सब छीन लेते हैं। हम आज ऐसे बन गए हैं। यह हमारे हिंदुस्तानके लिए शर्मकी बात है।

: २०४ :

१० जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

यह देखने लायक बात है कि आज हम कहांतक गिर गए हैं। साधु होनेका, संयमका, गीता आदि पढ़नेका जो दावा करते हैं, वे इतना संयम क्यों न रखें ? उन्हें एक बार कहनेसे ही बैठ जाना चाहिए[1]। इतनी दलील भी क्यों ? आजकल प्रार्थना-सभामें आम तौरसे सब लोग इतनी शांति रखते हैं, वह अच्छा लगता है।

बहावलपुरके भाइयोंकी भी ऐसी ही बात है। अपने दुःखकी बात कहिए, फिर प्रार्थनामें शांत रहिए। मुझसे किसीने कहा था कि बहावलपुर-वाले भाई आज हमला करनेवाले हैं। प्रार्थनामें चीखते ही रहेंगे। मैंने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। उनका नमूना सबके सामने रखता हूं। उनके *दुःखका मैं साक्षी हूं। वे इतमीनान रखें कि वहांके सब हिंदू-सिख आ जायंगे।* नवाब साहबका वचन है—अगरचे मैं नहीं जानता कि राजा लोगोंके वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता है—पर नवाब साहब कहते हैं, "जो हो चुका सो हो चुका। अब यहांपर हिंदुओं और सिखोंको कोई दिक नहीं करेगा। जो जाना ही चाहेंगे उन्हें भेजनेका इंतजाम होगा। जो रहेंगे, उन्हें कोई इस्लाम कबूल करनेकी बात नहीं कहेगा।" हो सकता है, वहां सब सही-सलामत हों। यहांकी हकूमत भी बेफिकर नहीं है। मैं आशा रखता हूं कि अभी वहां सब लोग आरामसे हैं। आप कहेंगे, वे आज ही क्यों नहीं आते ? आपको समझना चाहिए कि पहले मुल्क एक था। अब हम दो हो गए हैं। वह भी एक दूसरेके दुश्मन। अपने देशमें परदेशी-से बन गए हैं। सो जो हो सकता है सो करते हैं। वहां तो सत्तर हजार हिंदू-सिख पड़े हैं। सिंधमें और भी ज्यादा हैं। वे वहां सुरक्षित नहीं।

[1] **भाषणसे पहले साधुके कपड़े पहने हुए एक भाईने जिद की कि वे अपना खत गांधीजीको पढ़कर सुनावेंगे। गांधीजीको काफी दलील करके उन्हें रोकना पड़ा। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने भाषण उसीसे शुरू किया।**

कराचीसे एक तार आया है। वह मैंने यहां आनेसे पहले पढ़ा। उसमें लिखते हैं कि अखबारोंमें जो आया है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान वहां हुआ है। आज ऐसा जमाना है कि हमें शांति और धीरज रखना है। हम धीरज खो दें, तो हम हार जाएंगे। हार शब्द हमारे कोषमें होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए यह जरूरी है कि गुस्सेमें न आवें। गुस्सेसे काम बिगड़ता है। ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए सो हमें सोचना है। मैं तो आपको वह बताता ही रहता हूं।

मेरे पास आज ईरानके एलची आए थे। वह यहांकी हकूमतके मेहमान हैं। वे मिलने आए और कहने लगे, "कि एक काम है। ईरान और हिंदमें बड़ी पुरानी दोस्ती रही। ईरानी और हिंदी दोनों आर्य हैं। हम तो एक ही हैं।" यह भी ठीक है। जेंदावस्ताको देखें, उसमें बहुत संस्कृत शब्द हैं। हमारा व्यवहार भी साथ-साथ रहा है। वे कहते हैं, "एशियामें आप सबसे बड़े हैं। आपकी बदौलत हम भी चमक सकते हैं। हम दिलसे एक होना चाहते हैं।" गुरुदेव वहां गए थे। वे ईरानको देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा—हमारे ही लोग वहां रहते हैं।

ईरानके एलचीने कहा, ईरान और हिंदका संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। मैंने कहा, कैसे बिगड़ सकता है? उन्होंने बंबईका एक किस्सा सुनाया। वहां काफी ईरानी हैं। चायकी दूकान रखते हैं। वहां काफी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जाते हैं। उनकी चायमें कुछ खूबी है। वहां कुछ फसाद हुआ होगा। मैं नहीं जानता। सुनता हूं, कुछ ईरानी मारे गए। ईरानी मुसलमान तो हैं ही। ईरानी टोपी पहनते हैं। आज हम दीवाने बन गए हैं। किसीके दिलमें हुआ होगा कि वे मुसलमान हैं तो काटो उनको। अगर ऐसा हुआ है तो बुरी बात है। मैंने पूछा, वहांकी हकूमतके बारेमें क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा, वहांकी हकूमत तो शरीफ है। उन्होंने जल्दीसे सब ठीक कर लिया। यहांकी हकूमत भी बड़ी शरीफ है, ऐसा वे कहते थे। यहां जो मुसलमान भाई हैं, उनके लिए गार्ड रखे गए हैं। उन्हें आदरसे रखते हैं। हकूमतसे हमें कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानमें भी हिंदू, सिख, मुसलमान सौदागर सब मिल-जुलकर रहते हैं। हिंदसे बढ़ा-चढ़ाकर

खबरें जाती हैं। उससे आगे क्या होगा, सो पता नहीं। मगर हम इस बारेमें होशियार हैं।

एक भाई लिखते हैं—"अनाज वगैराका अंकुश हटवा दिया और हट-वानेकी कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं, यह अच्छा है। पर दरअसल ऐसा नहीं। मैं आपको जताए देता हूं।" मैं इन भाईको जानता हूं। मैंने उन्हें लिखा है—आपने कहा तो अच्छा किया; पर मुझतक लिखकर ही मौकूफ रखेंगे तो हारेंगे। एक तरफसे मुझे इतने मुबारकबादीके तार आते हैं, उनको मैं फेंक नहीं सकता। मैं भविष्यवेत्ता नहीं और न मेरे दिव्यचक्षु हैं। जितना इन आंखोंसे देख सकूं, कानोंसे सुन सकूं, वही मेरे पास है। मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, सब जनता है। आप अपने विचार सबसे कहें। धन्यवाद देनेवाले बहुत हैं, मगर मैं दूसरा पहलू भी जानना चाहता हूं। मैं कहूं इसलिए आप कोई बात न मानें। अपनी आंखोंसे देखें सो करें; मेरे कहनेसे नहीं। २० महात्मा कहें तो भी नहीं। तजरबेसे गलती करके आप सीखेंगे। जो ठीक लगे सो करें। ऐसा करेंगे तभी आप आजादीको रख सकेंगे और उसके लायक बन सकेंगे।

: २०५ :

११ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

अभी एक चीज आई है—वह करुणाजनक है। आंध्रसे दो खत आए हैं। एक तो बूढ़े बुजुर्गका है, मैं उनको पहचानता हूं। वह हमेशा कहांसे खत लिखें, लेकिन इस वक्त लिखा। दूसरा खत एक नौजवान भाईका है, उनको मैं नहीं पहचानता हूं। मेरे पास नाम दोनोंके हैं; लेकिन नामको आप जानते नहीं हैं तब देनेसे क्या फायदा। दोनोंका मतलब यह है कि जबसे पंद्रह अगस्त आया है तबसे लोगोंके दिलमें ऐसा आ गया है कि अभी हमारा क्या है। अंग्रेजोंका डर था वह रहा नहीं, सजाका डर नहीं है, अब किसीका डर नहीं है। भगवानका डर कौन

पहचानता हूं। आंध्रमें तो लोग तगड़े रहते हैं। जब ऐसे रहते हैं और आजाद हो जाते हैं तब काबूके बाहर चले जाते हैं। तो अब ऐसे बाहर चले गए हैं कि पेट भरनेका काम करते हैं, दूसरा नहीं करते। एक भाई लिखते हैं कि कांग्रेसमें ऐसे-ऐसे लोग थे, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था–हिंदुस्तानको आजाद करनेके लिए बलिदान कर दिया तो क्या इस कारण किया? आज कांग्रेस गिरती जा रही है। कांग्रेसमें जितने हैं वे सब असेम्बलीके सदस्य बनते हैं। सदस्य बनकर देशका काम नहीं करते, अपना करते हैं। सदस्य बनते हैं तो कम पैसे नहीं मिलते—मैं भूल गया हूं कि कितना मिलता है, लेकिन काफी मिलता है जिससे सदस्य बननेवालेका पेट भर जाता है। तो वे लिखते हैं कि इस तरहसे पैसा खाते हैं। इतना ही नहीं, सिविल कर्मचारियोंको डराते हैं। कहते हैं कि नहीं मानोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जायगा। बेचारे पेट भरनेके लिए तो काम करते हैं, क्या करें। इस तरहसे दोनों तरफसे बिगड़ते हैं—हमारे दफ्तरमें पड़े हैं वे बिगड़ते हैं और प्रतिनिधि कहलाते हैं वे बिगड़ते हैं। लोगोंको समझना चाहिए कि किसको अपना मत दें, लेकिन आज तो ऐसा है नहीं। वे दुःखसे यह बात लिखते हैं—दोनों ऐसा लिखते हैं। बुजुर्ग आदमीको बुरा लगता है तो वे कहते हैं कि यहां तुम रहो कुछ दिन और देखो–यह अच्छा लगता है। मैं आंध्र क्या, सबके बीच रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। यह आंध्रका है, या मद्रासका है या किसी भी प्रांतका है, मुझसे छिपा नहीं है। मेरे लिए तो सब हिंदुस्तानके हैं। हिंदुस्तानमें पड़े हैं, फिर अलग-अलग भाषा है तो उसमें क्या। कोई कहे कि मैं तो आंध्रका हूं, देशसे मेरा वास्ता नहीं हो सकता है। तो मुझको भी उनसे वास्ता नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि इतना कह तो दूं। मेरी आवाज वहांतक पहुंचे तो अच्छा है, जिससे वे समझ जायं कि किस तरहसे काम करें।

वे लिखते हैं कि इस तरहसे हमारा दुःख है और यह गंदगी हमारेमें फैल गई है। इसको मिटानेके लिए ज्यादा भेजें तो ज्यादा गंदगी होती है। दूसरा वे कहते एक जगह एक हजार भेजने हैं तो हजारमें गंदगी फैलती है, यह मेरी निगाहमें ऐसा है कि एक ही आदमीको गंदा करने दो, उसको हटानेमें दुश्वारी नहीं होती है, लेकिन अगर एकके बदलेमें एक हजार भेजें

तो ज्यादा बिगड़ता है। तो वे लिखते हैं कि जितने सदस्य हैं उन्हें कम तो करो, इससे कम गंदगी होगी—पीछे ज्यादा गंदे आदमी जा नहीं सकते—वे सच्चे प्रतिनिधि तो बनते नहीं हैं, वे पेट भरते हैं, यह बुरी बात है। पीछे कांग्रेसपर कब्जा करनेकी कोशिश करते हैं। फिर और दूसरी बातें पड़ी हैं, कम्यूनिस्ट हैं, समाजवादी हैं, ऐसे लोग पड़े हैं। वे भी आपसमें ऐसा कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हम सारे हिंदुस्तानपर कब्जा कर लेंगे। तो हिंदुस्तान किसपर कब्जा करेगा। कांग्रेसमें भी यही है, समाजवादियोंमें भी यही है, कम्यूनिस्टमें भी यही है, तो मैं सबसे कहूंगा कि हम हिंदुस्तानके बनें; हिंदुस्तान हमारा न बने। हिंदुस्तान एक-एकका बने तो हिंदुस्तान कहां जाय। इसलिए हिंदुस्तानको अपनाते हैं तो अपना पेट भरनेके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारोंको पैसा देनेके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारोंको नौकरियां देनेके लिए नहीं। मैं तो कहूंगा कि यह काम हमारा पहले दर्जेका होना चाहिए, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाता है।

बहनें बातें कर रही हैं, यह बुरी बात है। ऐसा करना है तो यहां आकर भाषण दें। मैं जो यह कह रहा हूं उसे शायद सुनती ही नहीं हैं—सुननेके लिए यहां थोड़े आती हैं। इतवार है तो गुनाह हो गया। सब आ जाते हैं, सुननेको नहीं, जिसको कुछ काम नहीं यहां आकर बैठ जाते हैं।

: २०६ :

मौनवार, १२ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

सेहत सुधारनेके लिए लोग सेहतके कानूनोंके मुताबिक उपवास करते हैं। जब कभी कुछ दोष हो जाता है और इन्सान अपनी गलती महसूस करता है तब प्रायश्चित्तके रूपमें भी उपवास किया जाता है। इन उपवासोंमें उपवास करनेवालेको अहिंसामें विश्वास रखनेकी जरूरत नहीं, मगर ऐसा मौका भी आता है जब अहिंसाका पुजारी समाजके किसी अन्यायके सामने विरोध प्रकट करनेके लिए उपवास करनेपर मजबूर हो जाता है। वह

ऐसा तब ही करता है, जब अहिंसाके पुजारीकी हैसियतसे उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता। ऐसा मौका मेरे लिए आ गया है।

जब ९ सितंबरको मैं कलकत्तेसे दिल्ली आया था तब मैं पश्चिमी पंजाब जा रहा था। मगर वहां जाना नसीबमें नहीं था। खूबसूरत रौनकसे भरी दिल्ली उस दिन मुर्दोंके शहरके समान दीखती थी। जैसे ही मैं ट्रेनसे उतरा, मैंने देखा कि हरएकके चेहरेपर उदासी थी। सरदार जो हमेशा हँसी-मजाक करके खुश रहते हैं, वे उस उदासीसे बचे नहीं थे। मुझे उस समय इसका कारण मालूम नहीं था। वे स्टेशनपर मुझे लेनेके लिए आए थे। उन्होंने सबसे पहली खबर मुझे यह दी कि यूनियनकी राजधानीमें झगड़ा फूट निकला है। मैं फौरन समझ गया कि मुझे दिल्लीमें ही करना या मरना होगा। मिलिटरी या पुलिसके कारण आज दिल्लीमें ऊपरसे शांति है, मगर दिलके भीतर तूफान उछल रहा है। वह किसी भी समय फूटकर बाहर आ सकता है। इसे मैं अपनी करनेकी प्रतिज्ञाकी पूर्ति नहीं समझता, जो ही मुझे मृत्युसे बचा सकती है—मृत्युसे, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं। मुझे बचानेके लिए पुलिस और मिलिटरीके द्वारा रखी हुई शांति ही बस नहीं। मैं हिंदू, सिख और मुसलमानोंमें दिली-दोस्ती रखनेके लिए तरस रहा हूं। कल तो ऐसी दोस्ती थी। आज उसका अस्तित्व नहीं है। यह ऐसी बात है कि जिसको कोई हिंदुस्तानी देशभक्त, जो इस नामके लायक है, शांतिसे सहन नहीं कर सकता।

मेरे अंदरसे आवाज तो कई दिनोंसे आ रही थी, मगर मैं अपने कान बंद कर रहा था। मुझे लगता था कि कहीं यह शैतानकी यानी मेरी कमजोरीकी आवाज तो नहीं है। मैं कभी लाचारी महसूस करना पसंद नहीं करता। किसी सत्याग्रहीको नहीं करना चाहिए। उपवास तो आखिरी हथियार है। वह अपनी या दूसरोंकी तलवारकी जगह लेता है।

जो मुसलमान भाई मुझसे मिलते रहते हैं उनके इस सवालका कि 'वे अब क्या करें' मेरे पास कोई जवाब नहीं। कुछ समयसे मेरी यह लाचारी मुझे खाए जा रही है। उपवास शुरू होते ही यह मिट जाएगी। मैं पिछले तीन दिनसे इस बारेमें विचार कर रहा हूं। आखिरी निर्णय बिजलीकी तरह मेरे सामने चमक गया है और मैं खुश हूं। कोई भी इन्सान, जो पवित्र

है, अपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज कुरबान नहीं कर सकता। मैं आशा रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझमें उपवास करनेके लायक पवित्रता हो। नमक, सोडा और खट्टे नीबूके साथ या इन चीजोंके बगैर पानी पीनेकी मैं छूट रखूंगा। उपवास कल सुबह पहले खानेके बाद शुरू होगा।

उपवासका अर्सा[१] अनिश्चित है और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कौमोंके दिल मिल गए हैं, और वह बाहरके दबावके कारण नहीं; मगर अपना-अपना धर्म समझनेके कारण, तब मेरा उपवास छूटेगा।

आज हिंदुस्तानका मान सब जगह कम हो रहा है। एशियाके हृदयपर और उसके द्वारा सारी दुनियाके हृदयपर हिंदुस्तानका रामराज्य आज तेजीसे गायब हो रहा है। अगर इस उपवासके निमित्त हमारी आंखें खुल जायं तो यह सब वापिस आ जायगा। मैं यह विश्वास रखनेका साहस करता हूं कि अगर हिंदुस्तानकी आत्मा खो गई तो तूफानोंसे दुःखी और भूखी दुनियाकी आशाकी आंखकी किरणका लोप हो जायगा।

कोई मित्र या दुश्मन—अगर ऐसे कोई हैं तो—मुझपर गुस्सा न करें। कई ऐसे मित्र हैं, जो मनुष्य-हृदयको सुधारनेके लिए उपवासका तरीका ठीक नहीं समझते। वे मेरी बर्दाश्त करेंगे और जो आजादी अपने लिए चाहते हैं, वह मुझे भी देंगे। मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है। मुझे किसी औरकी सलाहके बिना यह निर्णय करना चाहिए। अगर मैंने भूल की है और मुझे उस भूलका पता चल जाता है तो मैं सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करूंगा और अपना कदम वापस लूंगा। मगर ऐसी संभावना बहुत कम है। अगर मेरी अंतरात्माकी आवाज स्पष्ट है, और मैं दावा करता हूं कि ऐसा है, तो उसे रद नहीं किया जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ इस बारेमें दलील न की जाय और जिस निर्णयको बदला नहीं जा सकता, उसमें मेरा साथ दिया जाय। अगर सारे हिंदुस्तान-पर या कम-से-कम दिल्लीपर, ठीक असर हुआ तो उपवास जल्दी भी छूट सकता है। मगर जल्दी छूटे या देरसे छूटे या कभी भी न छूटे, ऐसे नाजुक मौकेपर किसीको कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए।

---

[१] अवधि।

मेरे जीवनमें कई उपवास आए हैं। मेरे पहले उपवासोंके वक्त टीकाकारोंने कहा है कि उपवासने लोगोंपर दबाव डाला और अगर मैं उपवास न करता तो जिस मकसदके लिए मैंने उपवास किया, उसके स्वतंत्र गुण-दोषके विचारसे निर्णय विरुद्ध जानेवाला था। अगर यह साबित किया जा सके कि मकसद अच्छा है तो विरुद्ध निर्णयकी क्या कीमत है। शुद्ध उपवास भी शुद्ध धर्मपालनकी तरह है। उसका फल अपने आप मिल जाता है। मैं कोई परिणाम लानेके लिए उपवास नहीं करना चाहता। मैं उपवास करता हूं, क्योंकि मुझे करना ही चाहिए।

मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शांत चित्तसे इस उपवासका तटस्थ वृत्तिसे विचार करें और यदि मुझे मरना ही है तो मुझे शांतिसे मरने दें। मैं आशा रखता हूं कि शांति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिंदुस्तानका, हिंदू-धर्मका, सिखधर्मका और इस्लामका बेबस बनकर नाश होते देखना इसकी निस्बत मृत्यु मेरे लिए सुंदर रिहाई होगी। अगर पाकिस्तानमें दुनियाके सब धर्मोंके लोगोंको समान हक न मिलें, उनकी जान और माल सुरक्षित न रहे और यूनियन भी पाकिस्तानकी नकल करे तो दोनोंका नाश निश्चित है। उस हालतमें इस्लामका तो हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें ही नाश होगा—बाकी दुनियामें नहीं—मगर हिंदू-धर्म और सिख-धर्म तो हिंदुस्तानके बाहर है ही नहीं।

जो लोग दूसरे विचार रखते हैं, वे मेरा जितना भी कड़ा विरोध करेंगे, उतनी मैं उनकी इज्जत करूंगा। मेरा उपवास लोगोंकी आत्माको जाग्रत करनेके लिए है, उसे मार डालनेको नहीं। जरा सोचिए तो सही, आज हमारे प्यारे हिंदुस्तानमें कितनी गंदगी पैदा हो गई है। तब आप खुश होंगे कि हिंदुस्तानका एक नम्र पूत, जिसमें इतनी ताकत है, और शायद इतनी पवित्रता भी है, इस गंदगीको मिटानेके लिए ऐसा कदम उठा रहा है, और अगर उसमें ताकत और पवित्रता नहीं है तब वह पृथ्वीपर बोझरूप है। जितनी जल्दी वह उठ जाए और हिंदुस्तानको इस बोझसे मुक्त करे, उतना ही उसके लिए और सबके लिए अच्छा है। मेरे उपवासकी खबर सुनकर लोग दौड़ते हुए मेरे पास न आवें। सब अपने आसपासका वातावरण सुधारनेका प्रयत्न करें तो बस है।

: २०७ :

१३ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मेरी उम्मीद है कि मैं पंद्रह मिनटमें जो कहना है, कह सकूंगा। बहुत कहना है, इसलिए शायद कुछ ज्यादा समय भी लगे।

आज तो मैं यहां (प्रार्थना-सभामें) आ सका, क्योंकि जब कोई फाका करता है तब पहले दिन—चौबीस घंटेतक—तो किसीको कुछ लगना न चाहिए। मैंने तो आज साढ़े नौ बजे खाना शुरू किया। उसी समय लोग आते रहे, बात करते रहे तो खाना ग्यारह बजे पूरा कर सका। सो आजके दिनकी तो कीमत नहीं। इसलिए आज प्रार्थना-सभामें आ सका हूं तो किसीको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तो आ-जा सकता हूं, बैठ सकता हूं और सब काम भी किया है। कलसे डर है। मैं यहां आऊं और फिर न बोलूं, इससे अच्छा तो वहीं पड़ा रहकर विचार कर सकता हूं। आखिर भगवानका नाम लेना है तो वहीं लूंगा। कलसे आपके सामने प्रार्थनामें आना मेरे लिए मुश्किल मालूम होता है। मैं आना चाहूं और न आ सकूं; लेकिन प्रार्थना आप सुनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लड़कियां तो प्रार्थना करने आएंगी— सब नहीं तो एक आ जायगी। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। मेरे यहां आनेकी आशासे तो आपको निराशा हो सकती है।

मैंने उपवास किया तो है, लेकिन कई पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मुसलमानने गुनाह किया, हिंदूने गुनाह किया या सिखने गुनाह किया? किसने गुनाह किया? फाका कबतक चलनेवाला है? ठीक है, जो पूछते हैं कि क्या इल्जाम हमपर है? मैं कहता हूं कि इल्जाम किसीपर नहीं है। मैं इल्जाम लगानेवाला कौन हूं? हां, मैंने सुनाया तो कि हम गुनहगार बन गए हैं, लेकिन कोई एक आदमी गुनहगार थोड़ा है! हिंदू मुसलमानको हटाते हैं तो अपने धर्मका पालन नहीं करते और आज तो हिंदू और सिख दोनों साथ करते हैं। लेकिन मैं सब हिंदुओं या सब सिखोंपर भी इल्जाम नहीं लगाता हूं; क्योंकि सबने थोड़े किया।

यह समझने लायक बात है । न समझें तो मेरा काम नहीं होगा और फाका भी बंद नहीं होगा । अगर मैं अपनेको जिंदा नहीं रख सका तो इसका इल्जाम किसीपर नहीं है । मैं नालायक सिद्ध होता हूं तो ईश्वर उठा लेगा । मुझको उठा ले तो कौन-सी बड़ी बात है ? तो मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुसलमान भाईके लिए करते हो ? ठीक कहते हैं । मैं कबूल करता हूं कि मैंने उनके लिए तो किया । क्यों ? क्योंकि आज मुसलमान यहां तेजी[1] खो बैठे हैं—हकूमतका एक किस्मका सहारा था कि इतनी जगह मुसलमानोंकी है, मुस्लिम लीगकी भी यहां चलती है, वह अब रही नहीं । आज यहां मुस्लिम लीग नहीं रही, मुस्लिम लीगका सहारा सच्चा नहीं है—पीछे लड़ाई करते हैं, यह बात दूसरी है—बाकी उनकी हकमत नहीं रही । लीगने दो टुकड़े करवा दिए । इसीलिए दो हिस्से बन गए । इसके बाद भी मुसलमान यहां रहते हैं । मेरा तो हमेशा ऐसा मत रहा है कि जो थोड़े रहते हैं, उनकी मदद की जाय । ऐसा करना मनुष्यमात्रका धर्म है ।

यह आत्म-शुद्धिका उपवास है तो सबको शुद्ध होना चाहिए । सबको शुद्ध होना ही नहीं है तो मामला बिगड़ जाता है । सबको शुद्ध होना है तो मुसलमानको भी होना है । सबको साफ-सुथरा और शुद्ध बन जाना है और मुसलमान कुछ भी करें, उनका कोई दोष नहीं निकालना है । आत्म-शुद्धिका उपवास इस तरहसे नहीं हो सकता । अगर मैं कहूं कि मैंने किसीके सामने गुनाह किया तो वह प्रायश्चित्त है । जिसके सामने हम गुनाह कबूल करते हैं वह प्रायश्चित्त है ।

मैं जब कहता हूं तब मुसलमानकी खुशामद करने या किसी और दूसरेकी खुशामद करनेके लिए नहीं कहता हूं । मैं तो अपनेको राजी रखना चाहता हूं । इसका मतलब यह है कि मैं ईश्वरको राजी रखना चाहता हूं । मैं ईश्वरका गुनहगार नहीं बनना चाहता । मैं तो कहूंगा कि मुसलमान-को भी शुद्ध बनना है और यहां रहना है । बात ऐसी है कि चुनावमें—सही हो या गलत—हिंदू-सिखने मुस्लिम लीगको मान लिया, उसके पहले भी

[1] (गुज०) हिम्मत, उत्साह ।

मानते थे और कहते भी थे। मैं उसके इतिहासमें नहीं जाऊंगा। इसके बाद देशके हिस्से हो गए— उसके पहले दिलके हिस्से हो गए। उसमें मुसलमानोंने भी गलती की। सब गलती उन्हींकी थी, ऐसी बात नहीं है। हिंदू, सिख, मुसलमान—तीनों गुनहगार थे। अब तीनों गुनहगारोंको दोस्त बनना है। इन तीनोंके बीचमें एक चीज पड़ी है। वह है ईश्वरको सब मानें, शैतानको नहीं, तो यह काम बन सकता है। मुसलमान भी काफी पड़े हैं, जो शैतानकी पूजा करते हैं, खुदाकी नहीं। काफी हिंदू भी शैतान-राक्षसकी पूजा करते हैं, सिख भी गुरु नानक और दूसरे गुरुओंकी पूजा नहीं करते— ऐसे हम बन गए हैं। हम तो धर्मके नामपर अधर्मी बन गए। अगर हम तीनों धर्म-पथपर चलें तो किसी एकको डरनेकी आवश्यकता नहीं है।

मैंने मुसलमानोंके नामसे उपवास शुरू किया है, इसलिए उनके सिरपर जबरदस्त जिम्मेदारी आती है। क्या जिम्मेदारी आती है? उनको यह समझना है कि हम हिंदू सिखके साथ भाई-भाई बनकर रहना चाहते हैं, इसी यूनियनके हैं— पाकिस्तानके नहीं सही— हम वफादार बनकर रहना चाहते हैं। मैं यह नहीं पूछता हूं कि आप वफादार हैं या नहीं? पूछकर क्या करना है! मैं तो कामोंसे देखता हूं।

पीछे सरदारका नाम आ जाता है। वे कहते हैं कि सरदारको हटा दो, तुम अच्छे हो। पीछे सुनाते हैं कि जवाहर भी अच्छा है। तुम हकूमतमें आ जाओ तो हकूमत अच्छी चले। सब अच्छे हैं, सरदार अच्छे नहीं हैं। तो मैं मुसलमानोंसे कहूंगा कि मुसलमान ऐसा कहेंगे तो कोई बात चलनी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपका हाकिम वह मंत्रिमंडल है। हकूमतमें न अकेला सरदार है और न जवाहर है। वे आपके नौकर हैं। उनको आप हटा सकते हैं। हां, ऐसा है कि सिर्फ मुसलमान तो हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो करें कि सरदार जितनी गलती करते हैं— लोगोंमें आपस-आपसमें बात करनेसे निपटता नहीं है— उनको बताओ। ऐसा नहीं कि उन्होंने यह बात कही, वह बात कही; लेकिन उन्होंने किया क्या, यह बताओ। मुझको बता दो। उनसे मैं मिलता रहता हूं और सुनता भी हूं तो मैं कह दूंगा। वही जवाहर, वही सरदार दोनों हकूमत चलाते हैं।

जवाहर तो उनको निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ है। वे उनकी तारीफ करते हैं। फिर मंत्रि-मंडल है, वह हकूमत है। सरदार जो कुछ करता है उसके लिए सारी हकूमत जवाबदार है। आप भी जवाबदार हैं; क्योंकि वे आपके नुमायंदे हैं। इस तरहसे हमारा काम चलता है। इसलिए मैं कहूंगा कि मुसलमानोंको बहादुर, निर्भय बनना है। उसीके साथ खुदा-परस्त बनना है। वे ऐसा समझें कि हमारे लिए लीग नहीं है, कांग्रेस नहीं है, गांधी नहीं है, जवाहर नहीं है, कोई नहीं है, खुदा है। उसके नामपर हम यहां पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि हरएक मुसलमान इस तरहका बने। हिंदू, सिख चाहे कुछ भी करते हैं, आप बुरा न मानें। मैं आपके साथ पड़ा हूं। मैं आपके साथ मरना या जिंदा रहना चाहता हूं। मैं मरनेकी क्या कोशिश करनेवाला हूं? मैं करूंगा या मरूंगा। अगर आप लोगोंको साथ नहीं रख सकता हूं तो मेरा जीना निकम्मा बन जाता है। इसलिए मुसलमानपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इसे आप भूलें नहीं। ऐसी बात नहीं करता कि मैं मुसलमानकी गलती न निकालूं। क्यों न निकालूं?

सरदार सीधी बात बोलनेवाले हैं। वे बोलते हैं तो कड़वी लगती है। वह सरदारकी जीभमें है। मैंने उनसे कहा कि आपकी जीभसे कोई बात निकली कि कांटा हो गई। तो उनकी जीभ ही ऐसी है कि कांटा है, दिल वैसा नहीं है। उसका मैं गवाह हूं। उन्होंने कलकत्तेमें कह दिया, लखनऊमें कह दिया कि सब मुसलमानोंको यहां रहना है, रह सकते हैं। साथ ही मुझको यह भी कहा कि उन मुसलमानोंका एतबार नहीं करता हूं, जो कलतक लीगवाले थे और अपनेको हिंदू-सिखका दुश्मन मानते थे— वे जब कलतक ऐसे थे तब आज एक रातमें दोस्त कैसे बन सकते हैं? पीछे ऐसा है कि लीग रहेगी तो वे लोग किसकी मानेंगे— हमारी हकूमतकी या पाकिस्तानकी? लीग अभी भी वैसा ही कहती है तो उनको शक होता है। उनको शक करनेका अधिकार है। सबको शक करनेका अधिकार है। सरदारने जो कहा है, उसका सीधा अर्थ निकाल लें तो काम बन जाता है। जैसे कोई मेरा भाई है, लेकिन उसपर शक है तो क्या करूं? शक साबित हो तब काटूं, यही मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं पहलेसे ही भाईकी बुराई करूं, ऐसा कैसे हो सकता

है ? वे कहते हैं कि हमारे दिलमें आज मुस्लिम लीगके मुसलमानोंके बारेमें एतबार नहीं है, उनपर कैसे भरोसा रखें ? मुसलमान सबूत दें कि वे ऐसे नहीं हैं। ऐसा करें तो सब अंजाम पहुंच जाता है। पीछे मुझे यह कहनेका हक मिल जाता है कि हिंदू, सिख क्या करें। इस यूनियनमें सरदार क्या करें, जवाहर क्या करें, उसमें कोई भी क्या करें, मैं क्या करूं ?

इन लड़कियोंने अभी जो गीत सुनाया है वह गुरुदेवका प्रसिद्ध गीत है। नोआखालीमें पैदल चलते थे तब इस गीत[1] को गाते थे। उसमें एक बात है। अकेला जब कोई आदमी चलता है तो किसीको कैसे बुलाते हैं: आओ ऐ भाई, आओ ऐ भाई, मदद तो दे दो। कोई नहीं आता है, अंधेरा है तो गुरुदेव कहते थे कि अकेला चले तो भी क्या, क्योंकि उसका एक साथी— ईश्वर तो साथ है ही। मैंने आज लड़कियोंसे इस गीतको गानेको कहा तो गा दिया, नहीं तो यहां बंगाली गीत क्या गाना था ! हिंदुस्तानी चलता था। उसमें बड़ा गुण पड़ा है।

यदि तोर डाक शुने केउ न आसे तबे एकला चलो रे,
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे ॥
यदि केउ कथा न कय, ओरे, ओरे, ओ अभागा !
यदि सबाई थाके मुख फिराये, सबाई करे भय—
तबे परान खुले
ओ तूई मुख फूटे तोर मनेर कथा, एकला बोलो रे।
यदि सबाई फिरे जाय, ओरे, ओरे, ओ अभागा !
यदि गहन पथे जाबार काले, केउ फिरे ना चाय—
तबे पथेर कांटा
ओ तूई रक्तमाखा चरनतले एकला दलो रे।
यदि आलो ना धरे, ओरे, ओरे, ओ अभागा !
यदि झड़ बादले आंधार राते दुआर देय घरे—
तबे वज्रानले

तो मैंने कहा कि आज इसे गाओ। गुरुदेवका यह प्रिय भजन है। तो मैं कहूंगा कि अगर हिंदू-सिख ऐसा नहीं बनते हैं तो सच्चे नहीं हैं। उनमें इतनी बहादुरी नहीं होती कि थोड़ेवालोंको भी नहीं रहने दोगे—क्या मारोगे-पीटोगे— मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, लेकिन ऐसी हवा पैदा कर दो कि सब मुसलमान जानेको मजबूर हो पाकिस्तान जायं, तो काम कैसे बन सकता है ? इसलिए कहता हूं कि हिंदू-सिखको यहांतक बहादुर बनना है कि पाकिस्तानमें मुसलमान चाहे कुछ भी करें, चाहे सभी हिंदू और सिखोंको मार डालें तो भी यहां ऐसा न हो। मैं वहांतक जिंदा रहना नहीं चाहता कि पाकिस्तानकी नकल हो। मैं जिंदा रहूंगा तो सब हिंदू, सिखको कहूंगा कि एक भी मुसलमानको न छूवें, एक भी मुसलमानको मारना बुजदिली है। हमें तो यहां बहादुर बनना है, बुजदिल नहीं।

फाका छूटनेकी शर्त यह है कि दिल्ली बुलंद हो जाय। अगर दिल्ली बुलंद हो जाती है तो सारे हिंदुस्तान ही क्या, पाकिस्तानपर भी

आपन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एकला जलो रे।

अर्थात्—

यदि तेरी पुकार सुनकर कोई नहीं आता तो तू अकेला ही चल !
अकेला चल, अकेला चल, अकेला ही चल !
यदि कोई बात नहीं करता, अरे, अरे, ओ अभागे !
यदि सभी मुंह मोड़े रहते हैं, सभी डरते हैं,
तो दिल खोल कर तू अपने मनकी बात अकेला ही कह।
यदि तेरे सभी लौट जायं, अरे, अरे, ओ अभागे !
यदि गहन पथमें जाते समय कोई तेरी ओर फिर कर न देखें।
तो राहके कांटोंको
लोहू लुहान पैरोंसे अकेले ही दल,
यदि कोई रोशनी नहीं दिखाता
यदि आंधी पानी और अंधकार भरी रात में कोई घरका दरवाजा बंद कर देता है तो बज्राग्नि से अपने हृदय-पंजर को प्रज्वलित करके तू अकेला ही जल।

असर पड़ेगा। अगर दिल्ली ठीक हो जाती है और यहां कोई मुसलमान भी अकेला घूम सकता है तो मेरा फाका छूट जाता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली पायातख्त है। सब दिन यह हिंदुस्तानका पायातख्त रही है। दिल्लीमें सब ठीक नहीं होता है तो सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें ठीक नहीं हो सकता। यहां कहें कि हम भाई-भाई बन गए हैं, यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हैं। पीछे चाहे सुहरावर्दी साहब हों—गुंडोंके सरदार माने जाते हैं तो उससे मुझको क्या—अब वह गुंडा बनें तो गोलीसे उड़ा दें। सुहरावर्दीको मैं यहां क्यों नहीं लाता हूं? क्योंकि डर है कि उनका कोई अपमान न कर दे। अगर कोई उनका अपमान करता है तो मेरा भी अपमान होगा। आज ऐसा थोड़ा है कि वे दिल्लीकी गलियोंमें घूम सकते हैं। घूमेंगे तो काट डाले जायंगे। मैं तो कहूंगा कि उन्हें अंधेरेमें भी घूमनेकी आजादी रहनी चाहिए। ठीक है कि कलकत्तेमें मुसलमानोंपर आ पड़ी तो किया, लेकिन बिगाड़ना चाहते तो बिगाड़ सकते थे— वे बिगाड़ना नहीं चाहते थे। कलकत्तेमें जिस चीज-पर मुसलमान कब्जा लेकर बैठ गए थे उनको उन्होंने खींच-खींचकर निकाला और कहा कि मैं प्रधान-मंत्री था, ऐसा कर सकता हूं। मुसलमानोंने जिनपर कब्जा किया था वह हिंदुओं और सिखोंका था, तो भी उन्होंने किया। तो मैं कहूंगा कि यहां असली शांतिके लिए एक दिनके बदले एक महीना लगे तो क्या, मेरा उपवास बीचमें ही छुड़वानेके लिए कोई ऐसा काम न करें। इससे सारा हिंदुस्तान तो बच जाता है। आज तो गिरा हुआ है। ऐसा करें तो हिंदुस्तान ऊंचा जानेवाला है।

तो मैं यही चाहता हूं कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो हिंदुस्तानमें पड़े हैं, यहीं रहें। हिंदुस्तान ऐसा बने कि किसीके जान-मालको नुकसान न पहुंचे। तब हिंदुस्तान ऊंचा होगा।

: २०८ :

१४ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

कल तो मैंने आपको बताया था कि आज मैं यहां आ सकूंगा या नहीं, इसमें शक है। हो सका तो आज आ गया। कल-परसों ऐसे दिन आनेवाले हैं कि मैं घूम नहीं सकूंगा। डाक्टर तो ऐसे हैं कि आजसे ही मनाही करते हैं। लेकिन मैं तो डाक्टरोंके हाथमें नहीं हूं, ईश्वरके हाथमें पड़ा हूं। मुझे ऐसा मोह नहीं है कि जिंदा रहूं तो ठीक है। जिंदा रखेगा तो वही रखेगा और मारेगा तो वही मारेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी अटल श्रद्धा कायम रहे और उम्मीद करता हूं कि उस श्रद्धामें कोई विघ्न न डाले। आज ऐसा हो गया है कि आदमी दुर्बल पड़ा है। कहता है कि ईश्वर कहां है? ऐसे दुर्बल आदमी पड़े हैं। तो मैं कहता हूं कि सब सबल बनें, इर्द-गिर्द सबल बनें। तभी आदमी आपत्तिसे निकल सकता है। तो मैंने अपनी रामकहानी कह दी।

मैं तो आज आपको दो-चार चीज कह देना चाहता हूं। सचमुच मैंने अंग्रेजीमें तो लिख डाला है या लिखा दिया है। पीछे ऐसा था कि दिल कैसे चलेगा। नहीं जानता था। ताकत नहीं हो तो तर्जुमा करके सुना देंगे। ऐसा हो सकता था। पीछे मैंने सोचा कि मैं सुना दूं तो अच्छा है। यह आपके लिए ही नहीं है। इसे रेडियोके जरिये सारे हिंदुस्तानके लाखों आदमी सुन लेते हैं। वे सुनना चाहते हैं कि मैं क्या कहता हूं, मेरी आवाज कैसी है। मैं तो प्रेमके बसमें हूं। तो मुझको लगा कि आज भी मेरी आवाज सुन लें तो अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ३६ घंटेका उपवास तो कामकी चीज है — शरीरको स्वच्छ करता है। इतनेसे हानि किसीको नहीं पहुंचती है। हां, यह ठीक है कि भविष्यके लिए ताकतको इकट्ठा रखना है, लेकिन वह तो भगवान करा लेगा।

मेरे पास काफी तार आए हैं, मुसलमानोंके भी काफी तार आए हैं हर जगहसे। हिंदुस्तानके बाहरके भी काफी तार आए हैं। तो मैंने प्यारे-लालको कह दिया कि उनमेंसे कामके निकालो। सबको छपवाना थोड़े

है ! उससे फायदा क्या ? कितने ही ऐसे तार आए हैं। एक किस्मके तार तो ऐसे हैं कि जिनमेंसे लोगोंको शिक्षा मिलेगी। ऐसे भी तार हैं कि हम सब कर लेंगे, उपवास छोड़ दो। उपवास ऐसे कोई छुट सकता है ? ईश्वरने करवाया है, ईश्वर ही छुड़वा सकता है। दूसरी कोई ताकत नहीं। वह ताकत तो वही है जो मैंने लिखा है।

मृदुलाबेनका टेलीफोन आया। वह लाहौरमें पड़ी है। उसके काफी मुसलमान दोस्त हैं। वह हिंदू लड़की है। वह तो व्याकुल बन गई है। छोटी थी तबसे मेरी गोदमें पड़ी थी। अब तो बड़ी हो गई है। हर जगह घूमती है—अकेली। तो कहती है कि सब मुसलमान मुझसे पूछते हैं, अफसर भी पूछते हैं—गांधी जो कर रहे हैं वह हमारे लिए कर रहे हैं तो पूछो—क्या हमको बता देंगे कि हमसे क्या उम्मीद रखते हैं ? मुझको यह अच्छा लगा। तो उत्तर देनेके लिए कहे देता हूं। टेलीफोन वहां पहुंचा या नहीं, एक रातमें क्या होगा, कल तो वहां यह पहुंच ही जायगा। और जो तार भेजते हैं उनको कहूंगा कि यह कौन-सी बड़ी बात है कि आप मेरे बारेमें पूछते हैं ? पूछनेकी क्या जरूरत है ? यह दिल्लीका यज्ञ तो है, लेकिन सारे देशके लिए भी है। यह यज्ञ अकेलेके लिए है या सबके लिए, ऐसा सवाल ही नहीं है।

यह उपवास आत्म-शुद्धि करनेके लिए है। जहां आज शैतान बैठा है वहां ईश्वरको बैठा दो कि शैतान उसे हटा न सके। तो उसकी कुछ निशानी होनी चाहिए। इसके लिए सब तो फाका कर नहीं सकते। यह मेरे शुभ नसीबमें है। सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेमसे चलें। हिंदू कहता है कि मुसलमानको मारो, मुसलमान हिंदूको मारनेके लिए तैयार होता है, और सिख कहता है कि मुसलमान को मार डालो। इस तरह सिख, हिंदू, मुसलमान झगड़ा करें तो बुरी बात है। यज्ञमें हिस्सा लेना है, लेना चाहते हैं तो सब भाई-भाई बन जायं, वैर-भावके बदले प्रेम-भाव करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख—सब ऐसा बनें तो उस जगह शराब नहीं देखूंगा, अफीम नहीं देखूंगा, व्यभिचारी लोगोंको नहीं देखूंगा, व्यभिचारिणी औरतोंको नहीं देखूंगा। सब ऐसा समझेंगे कि यह मेरी बहन है या मां है या पत्नी है या लड़की है। सब परहेजसे रहें, साफ-सुथरे रहें तो भी अगर

मैं समझूं कि मैं पाकिस्तानका दुश्मन हूं, पाकिस्तान पापसे भरा है तो मुझे प्रायश्चित्त करना होगा और कहना होगा कि पाकिस्तान पाप-भूमि नहीं, पाक-भूमि है। ऐसा बनना है तो अच्छा है। कहनेसे नहीं बने, करनेसे बने। पाकिस्तानमें जितने मुसलमान पड़े हैं वे ऐसे रहें तो इसका असर इधर भी होगा। पाकिस्तानने हिंदुओंके साथ गुनाह किया है यह मैंने कभी छिपाया नहीं है।

अभी कराचीमें क्या हो गया? बेगुनाह सिख मार डाले गए, जायदाद लूट ली गई। अब सुनता हूं कि गुजरातमें भी हो गया। वे बेचारे बन्नूसे या कहांसे, मुझको पता नहीं, आ रहे थे। सब शरणार्थी थे। वहांसे जान बचानेके लिए भाग रहे थे यहां आनेके लिए। रास्तेमें काट डाले गए। मैं सब किस्सा नहीं कहना चाहता हूं। मैं मुसलमानोंको कहता हूं कि आप-के नामसे पाकिस्तानमें ऐसा बनता रहे तो पीछे हिंदुस्तानके लोग कहां-तक बर्दाश्त करेंगे? मेरी तरह सौ आदमी भी फाका करें तो भी नहीं रुक सकता है। मेरे-जैसे मिस्कीनके फाका करनेसे क्या होगा? तो आप ऐसा करें कि सब अच्छे बन जायं। कोई मुसलमान हो, कबीलेवाले हों तो उनको भी अच्छा बनना है। और कहें कि हम सब सिख, हिंदूको यहां लानेवाले हैं।

कविने कहा—मैंने यह पढ़ा है—कि अगर आपको जन्नत देखना है, तो यहां है, बाहर नहीं है। वह तो एक बगीचेके लिए कहा है। लिखनेवाले उस्ताद रहते हैं। क्या खूबसूरत चीज है, यह उर्दूमें लिखा है। मैंने इसे वर्षों पहले—बचपनमें पढ़ा था। जन्नत ऐसे आता नहीं है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख—सब ऐसे शरीफ बनें, सब-के-सब भाई-भाई बनें तो कहूंगा कि वही शेर सब दरवाजेमें लगाए जायं। पीछे कहूंगा कि वहीं नहीं, यहां भी लगाए जायं। लेकिन कब लगाया जायगा, जब पाकिस्तान पाक हो जायगा। कहना एक और करना दूसरा तो दोजख हो जायगा। दिलको साफ कर लो, उसमें शैतान नहीं, खुदाको विराजमान करो। ऐसा करोगे तो जन्नत यहीं है। जन्नत देखना हो तो वहां देखो। अगर वहां ऐसा हो जाय तो हम यहां मुकाबला करेंगे और उससे भी आगे बढ़नेकी कोशिश करेंगे। हिंदुस्तानके दो टुकड़े हैं तो क्या, दिल तो एक हो गया है। भूगोलमें टुकड़े

रहें तो क्या हुआ, हकूमत अलग है तो उससे क्या? सारी दुनियामें हकूमत अलग-अलग हैं। हकूमत पचास रहें, पांच-सौ रहें तो क्या? मैं तो कहूंगा कि सात लाख गांव हैं तो सात लाख हकूमत बनी ऐसा मानो, तो छोटी वह होगी, अच्छी रहेगी। पीछे देहातोंका काम, बहनें पड़ी हैं उनके हाथ छोड़ सकते हैं। यह ऐसी खूबसूरत चीज है।

मुझसे कहते हैं—कहते-कहते घूट पी लेते हैं—कि यह पागल है। एक छोटी-सी चीजको लेकर फाका कर लेता है; लेकिन मैं क्या करूं? मैं बचपनसे ऐसा बना हूं। जब छोटा था तब अखबार भी नहीं पढ़ता था। मैं सच कहता हूं कि अखबार नहीं पढ़ता था। मैं अंग्रेजी मुश्किलसे पढ़ सकता था, गुजराती भद्दी जानता था तो मैं अखबार कैसे पढ़ सकता था? तबसे मेरा खयाल रहा है कि सारे हिंदुस्तानमें—राजकोटमें ही नहीं—हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान एक बनकर रहें तो पीछे हम यहां आरामसे रह सकते हैं। मेरा ऐसा ख्वाब रहा है। अभी जो स्वराज आया है वह निकम्मा है। जवानीमें मैंने जो ख्वाब देखा है वह अगर सच्चा होता है—मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मरनेके किनारे हूं—तो मेरा दिल नाचेगा, बच्चे नाचेंगे और देखेंगे कि हिंदुस्तानमें सब खैर हो गया, लड़ते-भिड़ते नहीं, साथ रहते हैं। आप सब इस काममें मदद करें। पाकिस्तानके लोग सुनेंगे तो वे भी नाच उठेंगे। सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब भूल जायं कि हम दुश्मन थे, अलग-अलग थे। अगर हम अपने-अपने धर्ममें कायम रहें और अच्छे बनें तो सब धर्म एक साथ चल सकते हैं। पीछे धर्म नहीं देखेंगे, शरीफ रहेंगे। इस तरहसे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जायं तो मैं नाचूंगा। आपको भी नाचना पड़ेगा। वह तो एक नशा है—ईश्वर ऐसा नशा देगा और हमें किसीका डर नहीं रहेगा। हम ऐसे नहीं डरनेवाले हैं कि यह सिख है या ऊंचा पठान है। हमें तो सिर्फ ईश्वरसे डरना है। मैं ऐसा देखना चाहता हूं।

आप अपनेको ऐसा बना सकते हैं। समाज क्या है? आप सबसे समाज बना है। हम उसमें हैं तो समाज बनता है। समाज हमको नहीं बनाता है। हम उसको बनाते हैं। हम सोए हुए पड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि समाज ऐसा है और हम समाजसे लाचार हैं। उसी तरह हकूमत है।

हकूमत तो हम हैं। एक आदमी ऐसा कर सकता है। एक है तो अनेक बनेगा, एक नहीं तो शून्य है।

आपको पता नहीं था कि मैं आज बोलूंगा। कल आनेमें शक है; लेकिन प्रार्थना होगी और लड़कियां भजन सुनाएंगी।

: २०६ :

१५ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मेरे लिए यह एक नया अनुभव है। मुझको इस तरहसे लोगोंको सुनानेका कभी अवसर नहीं आया है, न मैं चाहता था। मैं इस वक्त जिस जगह प्रार्थना हो रही है वहां नहीं जा सकता हूं। इसलिए प्रार्थनामें जो लोग आए हैं वहांतक मेरी आवाज यहांसे नहीं पहुंच सकती है। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगोंतक, जिधर आप बैठे हैं, मेरी आवाज पहुंच सके तो आपको आश्वासन मिलेगा और मुझको बड़ा आनंद होगा। जो मैंने लोगोंके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिखवा दिया था। ऐसी हालत कल रहेगी कि नहीं, मैं नहीं जानता।

आपलोगोंसे मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर एक आदमी दूसरे क्या करते हैं उसे न देखें, बल्कि अपनी ओर देखें और जितनी आत्म-शुद्धि कर सकते हैं, करें। मुझे विश्वास है कि जनता बहुत परिमाणमें आत्म-शुद्धि कर लेगी तो उसका हित होगा और मेरा भी हित होगा। हिंदुस्तानका कल्याण होगा और संभव है कि मैं जल्दीसे जो उपवास चल रहा है उसे छोड़ सकूं। मेरी फिक्र किसीको नहीं करनी है, फिक्र अपने लिए की जाय। हम कहांतक आगे बढ़ रहे हैं और देशका कल्याण कहांतक हो सकता है, इसका ध्यान रक्खें। आखिरमें सब इन्सानोंको मरना है। जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्युसे मुक्ति मिल नहीं सकती। ऐसी मृत्युका भय क्या? शोक भी क्या करना? मैं समझता हूं कि हम सबके लिए मृत्यु एक आनंददायक मित्र है, हमेशा धन्यवादके लायक है, क्योंकि मृत्युसे अनेक प्रकारके दुखोंमेंसे हम एक समय तो निकल जाते हैं।

(लिखित संदेश)

कल शामकी प्रार्थनाके दो घंटे बाद अखबारवालोंने मुझे संदेश भेजा कि उन्हें मेरे भाषणके बारेमें कुछ बातें पूछनी हैं। वे मुझसे मिलना चाहते थे। मगर मैंने दिनभर काम किया था, प्रार्थनाके बाद भी काममें फंसा रहा। इसलिए थकान और कमजोरीके कारण उन्हें मिलनेकी मेरी इच्छा नहीं हुई। इसलिए मैंने प्यारेलालसे कहा कि उनसे कहो कि मुझे माफ करें और जो सवाल पूछने हों वह लिखकर कल सुबह नौ बजे बाद मुझे दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया है।

पहला सवाल यह है—"आपने उपवास ऐसे वक्त शुरू किया है जब कि यूनियनके किसी हिस्सेमें कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा।" लोग जबरदस्ती मुसलमानोंके घरोंका कब्जा लेनेकी बाकायदा, निश्चयपूर्वक कोशिश करें, यह क्या झगड़ा नहीं कहा जायगा? यह झगड़ा तो यहांतक बढ़ा कि फौजको इच्छा न रहते हुए भी अश्रुगैस इस्तेमाल करनी पड़ी और, भले ही हवामें हो, मगर कुछ गोलियां भी चलानी पड़ीं। तब कहीं लोग हटे। मेरे लिए यह सरासर बेवकूफी होती कि मैं मुसलमानोंका ऐसे टेढ़ी तरहसे निकाला जाना आखिरतक देखता रहता। इसे मैं रुला-रुलाकर मारना कहता हूं।

दूसरा प्रश्न यह है—"आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने डरकी और अपनी असुरक्षितताकी कहानी लेकर आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। उनकी शिकायत है कि सरदार जिनके हाथोंमें गृह-विभाग है, मुसलमानोंके खिलाफ हैं। आपने यह भी कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी 'हां-में-हां' मिलाया करते थे, 'जी-हजूर' कहलाते थे, मगर अब ऐसी हालत नहीं रही। इससे लोगोंके मनपर यह असर होता है कि आप सरदारका हृदय पलटनेके लिए उपवास कर रहे हैं। आपका उपवास गृह-विभागकी नीतिकी निंदा करता है। अगर आप इस चीजको साफ करेंगे तो अच्छा होगा।"

मैं समझता हूं कि मैं इस बातका साफ-साफ जवाब दे चुका हूं। मैंने जो कहा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है,

वह मेरी कल्पनामें भी नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा अर्थ किया जा सकता है तो मैं पहलेसे इस चीज़को साफ कर देता।

कई मुसलमान दोस्तोंने शिकायत की थी कि सरदारका रुख मुसलमानोंके खिलाफ है। मैंने कुछ दुःखसे उनकी बात सुनी मगर कोई सफाई पेश न की। उपवास शुरू होनेके बाद मैंने अपने ऊपर जो रोक-थाम लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मैंने टीकाकारोंको कहा कि सरदारको मुझसे और पंडित नेहरूसे अलग करके और मुझे और पंडित नेहरूको खामख्वाह आसमानपर चढ़ाकर वे गलती करते हैं।

इससे उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। सरदारके बात करनेके ढंगमें एक तरहका अक्खड़पन है, जिससे कभी-कभी लोगोंका दिल दुख जाता है, अगरचे सरदारका इरादा किसीको दुःखी बनानेका नहीं होता। उनका दिल बहुत बड़ा है। उसमें सबके लिए जगह है। सो मैंने जो कहा उसका मतलब यह था कि अपने जीवनभरके वफादार साथीको एक बेजा इल-जामसे[1] बरी[2] कर दूं। मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले कहीं यह न समझ बैठें कि मैं सरदारको अपना 'जी हुजूर' मानता हूं। सरदारको प्रेमसे मेरा 'जी हुजूर' कहा जाता था। इसलिए मैंने सरदारकी तारीफ करते समय कह दिया कि वे इतने शक्तिशाली और मनके मजबूत हैं कि वे किसीके 'जी हुजूर' हो ही नहीं सकते। जब वे मेरे 'जी हुजूर' कहलाते थे तब वे ऐसा कहने देते थे; क्योंकि जो कुछ मैं कहता था वह अपने आप उनके गले उतर जाता था। वे अपने क्षेत्रमें बहुत बड़े थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी-में उन्होंने शासन चलानेमें बहुत काबलियत[3] बताई थी। मगर वह इतने नम्र थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे नीचे शुरू की। उन्होंने उसका कारण मुझे बताया था कि जब मैं हिंदुस्तानमें आया था उन दिनों जिस तरहका राज-काज हिंदुस्तानमें चलता था, उसमें हिस्सा लेनेका उन्हें मन नहीं होता था। मगर अब जब सत्ता उनके गले आ पड़ी तब उन्होंने देखा कि जिस अहिंसाको वे आजतक सफलतापूर्वक चला सके अब वही नहीं चला सकते। मैंने कहा है कि मैं समझ गया हूं कि जिस चीजको मैं

[1] अपराध; [2] मुक्त; [3] योग्यता।

और मेरे साथी अहिंसा कहा करते थे वह सच्ची अहिंसा न थी। वह तो नकली चीज थी और उसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध। हां, किनके हाथोंमें निष्क्रिय प्रतिरोध किसी कामकी चीज है? जरा सोचिए तो सही कि एक कमजोर आदमी जनताका प्रतिनिधि बने तो वह अपने मालिकोंकी हँसी और बे-इज्जती ही करवा सकता है। मैं जानता हूं कि सरदार कभी उन्हें सौंपी हुई जिम्मेदारीको दगा नहीं दे सकते। वे उसका पतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब सुननेके बाद कोई ऐसा खयाल नहीं करेंगे कि मेरा उपवास गृह-विभागकी निंदा करनेवाला है। अगर कोई ऐसा खयाल करनेवाला है तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि वह अपने-आपको नीचे गिराता है और अपने-आपको नुकसान पहुंचाता है, मुझे या सरदारको नहीं। मैं जोरदार लफ़्जोंमें कह चुका हूं कि कोई बाहरी ताकत इन्सान-को नीचे नहीं गिरा सकती। इन्सानको गिरानेवाला इन्सान खुद ही बन सकता है। मैं जानता हूं कि मेरे जवाबके साथ इस वाक्यका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौकेपर दोहराया जा सकता है।

मैं साफ लफ्जोंमें कह चुका हूं कि मेरा उपवास यूनियनके मुसलमानों-की खातिर है। इसलिए वह यूनियनके हिंदू और सिखों और पाकिस्तानके मुसलमानोंके सामने है। इस तरहसे यह उपवास पाकिस्तानकी अकलियत[1] की खातिर भी है। जो विचार मैं पहले समझा चुका हूं उसीको मैं यहां थोड़ेमें दोहरानेकी कोशिश कर रहा हूं।

मैं यह आशा नहीं रख सकता कि मेरे-जैसे अपूर्ण और कमजोर इन्सानका फाका दोनों तरफ की अकलियतोंको सब तरहके खतरोंसे पूरी तरह बचानेकी ताकत रखे। फाका सबकी आत्म-शुद्धिके लिए है। उसकी पवित्रताके बारेमें किसी तरहका शक जाना गलती होगी।

तीसरा सवाल यह है, "आपका उपवास ऐसे वक्तपर शुरू हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र-संघकी सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ ही अभी ही कराचीमें फिसाद हुआ है और गुजरात (पंजाब) में कत्लेआम

[1] अल्पसंख्यक।

हुआ है। हम नहीं जानते कि विदेशके अखबारोंमें इन वाकयातकी तरफ कहांतक ध्यान दिया गया है। इसमें शक नहीं कि आपके उपवासके सामने यह वाकयात छोटे लगने लगे हैं। पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंके पिछले कारनामोंसे हम समझ सकते हैं कि वे जरूर इस चीजका फायदा उठाएंगे और दुनियाको कहेंगे कि गांधीजी अपने हिंदू अनुयायियोंसे, जिन्होंने हिंदुस्तानमें मुसलमानोंकी जिंदगी आफतमें डाल रखी है, पागलपन छुड़ानेके लिए उपवास कर रहे हैं। सारी दुनियाभरमें सच्ची बात पहुंचनेमें देर लगेगी। इस दरमियान आपके उपवासका यह नतीजा आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र-संघपर हमारे विरुद्ध प्रभाव पड़े।" इस सवालका लंबा-चौड़ा जवाब देनेकी जरूरत थी। दुनियाकी हकूमतों और दुनियाके लोगोंको जहांतक मैं जानता हूं मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि उपवासका असर अच्छा ही हुआ है। बाहरके लोग, जो हिंदुस्तानके वाकयातको निष्पक्षतासे देख सकते हैं, मेरे फाकेका उलटा अर्थ नहीं लगाएंगे। फाका यूनियनके और पाकिस्तानके रहनेवालोंसे पागलपनको छुड़ानेके लिए है।

अगर पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी अकसरियत सीधी तरहसे न चले, वहांके मर्द और औरतें शरीफ न बनें तो यूनियनके मुसलमानोंको बचाया नहीं जा सकता। मगर मुझे खुशी है कि मृदुला बेनके कलके सवालपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी आंखें खुल गई हैं और वे अपना फर्ज समझने लगे हैं।

संयुक्त राष्ट्र-संघ यह जानता है कि मेरा फाका उसे ठीक निर्णय करनेमें मदद देनेवाला है, ताकि वह पाकिस्तान और हिंदुस्तानका उचित पथ-प्रदर्शन कर सके।

: २१० :

१६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मुझे आशा तो नहीं थी कि आज भी मैं बोल सकूंगा, लेकिन यह सुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाजमें जितनी शक्ति थी उससे आज ज्यादा महसूस करता हूं। इसका मतलब तो यही किया जाय कि ईश्वरकी बड़ी कृपा है। चौथे रोज मुझमें (पहले) जब मैंने फाका किया, तब इतनी शक्ति नहीं रहती; लेकिन आज तो है। मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि अगर आप सब लोग आत्म-शुद्धि करनेका यज्ञ करते रहेंगे तो बोलनेकी मेरी शक्ति आखिरतक रह सकती है। मैं इतना तो कहूंगा कि मुझे किसी प्रकारकी जल्दी नहीं है। जल्दी करनेसे हमारा काम नहीं बनता है। मैं परम शांतिमें हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई अधूरा काम करे और मुझे सुना दे कि ठीक हो गया है। सारा-का-सारा जब यहां ठीक होगा तो सारे हिंदुस्तानमें ठीक होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जब इर्द-गिर्दमें, सारे हिंदुस्तानमें और सारे पाकिस्तानमें, शांति नहीं हुई है तो मुझे जिंदा रहनेमें दिलचस्पी नहीं है। यह इस यज्ञके माने हैं।

(लिखित संदेश)

किसी जिम्मेदार हकूमतके लिए सोच-समझकर किए हुए अपने किसी फैसलेको बदलना आसान नहीं होता। मगर तो भी हमारी हकूमतने, जो हर मानेमें[1] जिम्मेदार हकूमत है, सोच-समझकर और तेजीसे अपना तय किया हुआ फैसला बदल डाला है।

उनको काश्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक और कराचीसे लेकर

[1] पाकिस्तानका जो पचपन करोड़ रुपया निकलता था उसे भारत-सरकारने काश्मीरका मामला तय हो जानेपर दिलानेका निश्चय किया था। गांधीजीके उपवास प्रारंभ करते ही भारत सरकारने उसे दे देनेका फैसला कर लिया।

डिबरूगढ़तक सारे मुल्कको मुबारकबाद देना चाहिए। मैं जानता हूं कि दुनियाके सब लोग भी कहेंगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी हकूमतके जैसी बड़े दिलवाली हकूमत ही कर सकती थी। इसमें मुसलमानोंको संतुष्ट करनेकी बात नहीं है। यह तो अपने आपको संतुष्ट करनेकी बात है। कोई भी हकूमत, जो बहुत बड़ी जनताकी प्रतिनिधि है, बेसमझ जनतासे तालियां पिटवानेके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। जहां चारों तरफ पागलपन फैला हुआ है, वहां आकर बड़े-से-बड़े नेता बहादुरीसे अपना दिमाग ठंडा रखकर जो जहाज चला रहे हैं क्या उसको डूबनेसे न बचावें?

हमारी हकूमतने क्यों यह कदम उठाया? इसका कारण मेरा उपवास था। उपवाससे उनकी विचारधारा ही बदल गई। उपवासके बिना वे, कानून जितना उनसे करवाता, उतना ही करनेवाले थे। मगर हिंदुस्तानकी हकूमतका यह कदम सच्चे मानेमें दोस्ती बढ़ाने और मिठास पैदा करनेवाली चीज है। इससे पाकिस्तानकी भी परीक्षा हो जायगी। नतीजा यह होना चाहिए कि न सिर्फ काश्मीरका, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें जितने मतभेद हैं सबका सम्मानजनक आपस-आपसमें फैसला हो जावे। आजकी दुश्मनीकी जगह दोस्ती ले। न्याय कानूनसे बढ़ जाता है। अंग्रेजीमें एक घरेलू कहावत है, जो सदियोंसे चली आई है, उसमें कहा है कि जहां मामूली कानून काम नहीं देता, वहां न्याय हमारी मदद करता है। बहुत वक्त नहीं हुआ जब कानूनके लिए और न्यायके लिए वहां अलग-अलग कचहरियां हुआ करती थीं। इस तरहसे देखा जाय तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानकी हकूमतने जो किया है वह सब तरहसे ठीक है। अगर मिसालकी जरूरत है तो मेकडॉनल्ड एवार्ड (निर्णय) हमारे सामने है। वह सिर्फ मेकडॉनल्डका निर्णय न था, बल्कि सारे ब्रिटिश मंत्रिमंडलका और दूसरी गोलमेज परिषद्के अधिकतर सदस्योंका भी निर्णय था। मगर यरवदाके उपवासने तो रातों-रात वह निर्णय बदल दिया। मुझे कहा गया कि यूनियनकी हकूमतके इस बड़े कामके कारण तो अब मैं अपने उपवासको छोड़ दूं। काश कि मैं अपने दिलको ऐसा करनेके लिए समझा सकता!

मैं जानता हूं कि उन डाक्टर लोगोंकी चिंता जो अपनी इच्छासे काफी त्याग करके मेरी देख-भाल कर रहे हैं, जैसे-जैसे उपवास लंबा होता जाता है, बढ़ती जाती है। गुरदे ठीक तरहसे काम नहीं करते। उन्हें इस चीजका इतना खतरा नहीं कि आज मर जाऊंगा, मगर उपवास लंबा चला तो हमेशाके लिए शरीरकी मशीनको जो नुकसान पहुंचेगा, उससे वे डरते हैं। मगर डाक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मैंने उनकी सलाहसे उपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईश्वर रहा है, वह कभी गलती नहीं करता। वह सर्वशक्तिमान है। अगर उसे मेरे इस कमजोर शरीरसे कुछ और काम लेना होगा तो डाक्टर लोग कुछ भी कहें वह मुझे बचा लेगा। मैं ईश्वरके हाथोंमें हूं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका डर है, न अपंग होकर जिंदा रहनेका। मगर मुझे लगता है कि अगर देशको मेरा कुछ भी उपयोग है तो डाक्टरोंकी इस चेतावनीके परिणामस्वरूप लोगोंको तेजीके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनतसे आजादी पानेके बाद हमें बहादुर तो होना ही चाहिए। बहादुर लोग, जिनपर दुश्मनीका शक होता है, उनपर भी विश्वास रखते हैं। बहादुर लोग अविश्वासको अपनी शानके खिलाफ समझते हैं। अगर दिल्लीके हिंदू, मुसलमान और सिखोंमें ऐसी एकता स्थापित हो जाय कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानके बाकी हिस्सोंमें आग भड़के तो भी दिल्ली शांत रहे तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी। खुश-किस्मतीसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफके लोग अपने-आप समझ गए लगते हैं कि उपवासका अच्छे-से-अच्छा जवाब यही है कि दोनों उपनिवेशोंमें ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्मके लोग दोनों तरफ बिना किसी खतरेके आ-जा सकें और रह सकें। आत्म-शुद्धिके लिए इतना तो कम-से-कम होना ही चाहिए।

हिंदुस्तान और पाकिस्तानके लिए दिल्लीपर बहुत ज्यादा बोझ डालना ठीक न होगा। यूनियनके रहनेवाले भी आखिर तो इन्सान हैं। हमारी हुकूमतने लोगोंके नामसे एक बहुत बड़ा उदार कदम उठाया है और उसको उठाते समय उसकी कीमतका खयालतक नहीं किया। इसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा? इरादा हो तो रास्ते तो बहुत हैं। मगर क्या इरादा है?

: २११ :

१७ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

ईश्वरकी ही कृपा है कि आज पांचवां दिन है तो भी मैं बगैर परिश्रमके आपको दो शब्द कह सकता हूं। जो मुझको कहना है वह तो मैंने लिखवा दिया है, जिसे प्रार्थना-सभामें सुशीला बहन सुना देगी।

इतना है कि जो कुछ भी आप करें, उसमें परिपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। अगर यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा खयाल रखें कि इसे कैसे जिंदा रखा जाय तो बड़ी भारी गलती करनेवाले हैं। मुझको जिंदा रखना या मारना किसीके हाथमें नहीं है। वह ईश्वरके हाथमें है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। किसीको भी शक नहीं होना चाहिए।

इस उपवासका मतलब यह है कि अंतःकरण स्वच्छ हो और जाग्रत हो। ऐसा करें तभी सबकी भलाई है। मुझपर दयाकर आप कुछ न कीजिए। जितना दिन उपवासका काट सकता हूं काटूंगा। ईश्वरकी इच्छा होगी तो मर जाऊंगा।

मैं जानता हूं कि मेरे काफी मित्र दुःखी हैं, और सब कहते हैं कि आज ही उपवास क्यों नहीं छोड़ा जाय। आज मेरे पास ऐसा सामान नहीं है। ऐसा मिल जाय तो नहीं छोड़नेका आग्रह नहीं करूंगा। अहिंसाका नियम है कि मर्यादापर कायम रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। नम्र होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसमें अभिमान नहीं है। शुद्ध प्यारसे कह रहा हूं। ऐसा जो जानता है वही रहनेवाला है।

(लिखित संदेश)

मैं पहले भी कह चुका हूं और फिरसे दोहराता हूं कि फाकेके दबावके नीचे कुछ भी न किया जाय। मैंने देखा है कि फाकेके दबावके नीचे कई बातें कर ली जाती हैं और फाका खत्म होनेके बाद मिट जाती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसा कभी होना ही

नहीं चाहिए। आध्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है, वह है दिलकी सफाई। अगर दिलकी सफाई ईमानदारीसे की जाय तो जिस कारणसे सफाई की गई थी वह कारण मिट जानेपर भी सफाई नहीं मिटती। किसी प्रियजनके आनेके कारण कमरेमें सफेदी की जाती है तो जब वह आकर चला जाता है तो सफेदी मिट नहीं जाती। यह तो जड़ वस्तुकी बात है। कुछ अर्सेके बाद सफेदी मिटने लगती है और फिरसे करवानी पड़ती है। दिलकी सफाई तो एक दफा हो गई तो मरनेतक कायम रहती है। फाकेका दूसरा कोई योग्य मकसद नहीं हो सकता।

राजा, महाराजा और आम लोगोंके तारोंका ढेर बढ़ रहा है। पाकिस्तानसे भी तार आ रहे हैं। वे अच्छे हैं, मगर पाकिस्तानके दोस्त और शुभचिंतककी हैसियतसे मैं पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको पाकिस्तानका भविष्य बनाना है उनको कहना चाहता हूं कि अगर उनका जमीर[1] जाग्रत न हुआ और अगर वह पाकिस्तानके गुनाहको कबूल नहीं करते तो पाकिस्तानको कभी कायम नहीं रख सकेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि मैं यह नहीं चाहता कि हिंदुस्तानके दोनों टुकड़े अपनी खुशीसे फिरसे एक हों। मगर मैं वह साफ कर देना चाहता हूं कि जबरदस्तीसे मिटानेका मुझे खयालतक नहीं आ सकता। मैं उम्मीद रखता हूं कि मृत्यु-शय्यापर पड़े मेरे यह वचन किसीको चुभेंगे नहीं। मैं उम्मीद रखता हूं कि सब पाकिस्तानी यह समझ जायंगे कि अगर कमजोरीकी वजहसे या उनका दिल दुखानेके डरसे मैं उसके सामने अपने दिलकी सच्ची बात न रखूं तो मैं अपने प्रति और उनके प्रति झूठा साबित होऊंगा। अगर मेरे हिसाबमें कुछ गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। मैं वायदा करता हूं कि अगर मैं गलती समझ गया तो अपना वचन वापस लेलूंगा। मगर जहांतक मैं जानता हूं, पाकिस्तानके गुनाहके बारेमें दो विचार हो ही नहीं सकते।

मेरे उपवासको किसी तरहसे भी राजनैतिक न समझा जाय। यह तो अंतरात्माकी जबरदस्त आवाजके जवाबमें धर्म समझकर किया

---

[1] विवेक।

गया है। महायातना भुगतनेके बाद मैंने फाका करनेका फैसला किया। दिल्लीके मुसलमान भाई इस बातके साक्षी हैं। उनके प्रतिनिधि करीब-करीब रोज मुझे दिनभरकी रिपोर्ट देने आते हैं। इस पवित्र मौकेपर मेरा उपवास छुड़वानेके हेतु मुझको धोखा देकर राजा, महाराजा, हिंदू, सिख और दूसरे लोग न अपनी खिदमत करेंगे, न हिंदुस्तानकी। वे सब समझ लें कि मैं कभी इतना खुश नहीं रहता, जितना कि आत्माकी खातिर उपवास करते वक्त। इस फाकेसे मुझे हमेशासे ज्यादा खुशी हासिल हुई है। किसीको इसमें विघ्न डालनेकी जरूरत नहीं है। विघ्न इसी शर्तपर डाला जा सकता है कि ईमानदारीसे आप यह कह सकें कि आपने सोच-समझकर शैतानकी तरफसे मुंह फेर लिया है और ईश्वरकी तरफ चल पड़े हैं।

: २१२ :

१८ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मैंने थोड़ा तो लिखवा दिया है। वह सुशीला बहन आप लोगोंको सुना देंगी।

आजका दिन मेरे लिए तो है, आपके लिए भी मंगल-दिन माना जाय। कैसा अच्छा है कि आज ही गुरु गोविंदसिंहकी जन्म-तिथि है। उसी शुभ तिथिपर मैं आपलोगोंकी दयासे फाका छोड़ सका हूं। जो दया आप लोगोंसे—दिल्लीके निवासियोंसे, दिल्लीमें जो दुःखी शरणार्थी पड़े हैं, उनसे, यहांकी हकूमतके सब कारोबारसे —मुझे मिली है उसे, मुझे लगता है, कि मैं जिंदगीभर भूल नहीं सकूंगा। कलकत्तेमें ऐसे ही प्रेमका अनुभव मैंने किया। यहांपर मैं कैसे भूल सकता हूं कि शहीद साहबने कलकत्तेमें बड़ा काम किया। अगर वह नहीं करते तो मैं ठहरनेवाला नहीं था। शहीद साहबके लिए हम लोगोंके दिलमें बहुत शकूक[1] थे। अभी भी हैं। उससे हमको

---

[1]संदेह।

क्या ? आज हम सीखें कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उससे हमको दोस्ताना तौरसे काम करना है। हम किसीके साथ किसी हालतमें दुश्मनी नहीं करेंगे, दोस्ती ही करेंगे। शहीद साहब और दूसरे चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं। वे सब-के-सब फरिश्ते तो हैं ही नहीं। ऐसे ही सब हिंदू और सिख भी फरिश्ते थोड़े ही हैं! अच्छे और बुरे हममें हैं; लेकिन बुरे कम हैं। हमारे यहां जिसको हम जरायम पेशा जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। हमारे यहां जिनको जंगली जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। उन सबके साथ मिल-जुलकर रहना है।

मुसलमान बड़ी कौम है, छोटी कौम नहीं है। यहीं नहीं है, सारी दुनियामें पड़ी है। अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनियाके साथ हम मित्र-भावसे रहेंगे, दोस्ताना तौरसे रहेंगे तो क्या वजह है कि हम यहांके जो मुसलमान हैं उनसे दुश्मनी रखें?

मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं। फिर भी मुझे ईश्वरने अक्ल दी है, मुझको ईश्वरने दिल दिया है। उन दोनोंको टटोलता हूं और आपको भविष्य सुनाता हूं कि अगर हम किसी-न-किसी कारणसे एक दूसरेसे दोस्ती न कर सके, वह भी यहांके ही नहीं, पाकिस्तानके और सारी दुनियाके मुसलमानोंसे दोस्ती न कर सके, तो समझ लें, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो आजादी हमने पाई है उसे हम खो बैठेंगे।

आज इतने लोगोंने आशीर्वाद दिए हैं। सुनाया है कि हम सब हिंदू, सिख, मुसलमान भाई-भाई बनकर रहेंगे और किसी भी हालतमें, कोई भी कुछ कहे, दिल्लीके हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब जो यहांके बाशिंदे हैं और सब शरणार्थी हैं वे भी दुश्मनी नहीं करनेवाले हैं। यह थोड़ी बात नहीं है। इसके माने यह हैं कि अबसे हमारी कोशिश यह रहेगी कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें जितने लोग पड़े हैं वे सब एक मिलकर रहेंगे। हमारी कमजोरीके कारण भले ही हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो गए, लेकिन वे भी दिलसे मिलाने हैं। अगर इस फाकेके छूटनेका यह अर्थ नहीं है तो बड़ी नम्रतासे कहूंगा कि यह फाका छुड़वाकर आपने

कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई काम ही नहीं किया। अभी फाकेकी आत्माका भलीभांति पालन होना चाहिए। भेद क्यों हो ? जो दिल्लीमें हो, वही सारे यूनियनमें हो और जो सारे यूनियनमें होगा तो पाकिस्तानमें होना ही है, इसमें आप शक न रखें। आप न डरें, एक बच्चेको भी डरनेका काम नहीं। आजतक हम, मेरी निगाहमें, शैतानकी ओर जाते थे। आजसे मैं उम्मीद करता हूं कि हम ईश्वरकी ओर जाना शुरू करते हैं। लेकिन हम तय करें कि एक वक्त हमने अपना चेहरा, मुंह ईश्वरकी ओर रखा तो वहांसे कभी नहीं हटेंगे। ऐसा हुआ तो सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दोनों मिलकर इस सारी दुनियाको ढाक सकेंगे, सारी दुनियाकी सेवा कर सकेंगे और सारी दुनियाको ऊंची ले जा सकेंगे। मैं और किसी कारणसे जिंदा रहना नहीं चाहता हूं। इन्सान जिंदा रहता है तो इन्सानियतको ऊंचा उठानेके लिए। ईश्वर और खुदाकी तरफ जाना ही इन्सानका फर्ज है। जबानसे ईश्वर, खुदा, सतश्री अकाल कुछ भी नाम लो, वह झूठा है अगर उनके दिलमें वह नाम नहीं है। सब एक ही हस्ती है तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम उस चीजको भूल जायं और एक दूसरेको दुश्मन मानें।

आज तो मैं आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नहीं हूं, लेकिन आजके दिनसे हिंदू निर्णय कर लें कि लड़ेंगे नहीं। मैं चाहूंगा कि हिंदू कुरान पढ़ें, जैसे वे भगवद्गीता पढ़ते हैं। सिख भी वही करें। और मैं चाहूंगा कि मुस्लिम भाई-बहन भी अपने घरोंमें ग्रंथ साहब पढ़ें, उनके माने समझें। जैसे हम अपने धर्मको मानते हैं, वैसे दूसरेके धर्मको भी मानें। उर्दू-फारसी किसी जबानमें भी बात लिखी हो, अच्छी बात तो अच्छी बात है। जैसे कुरान शरीफ वैसे गीता और ग्रंथ साहब हैं। मेरा मकसद यही है। चाहे आप मानें या न मानें, अभीतक मैं ऐसा करता रहा हूं। मैं आपको कहूंगा और दावेसे कहूंगा कि मैं पत्थरकी पूजा नहीं करता हूं। मगर मैं सनातनी हिंदू हूं। पत्थरकी पूजा करनेवालोंसे मैं नफरत नहीं करता। खुदा पत्थरमें भी पड़ा है। जो पत्थरकी पूजा करता है वह उसमें पत्थर नहीं, खुदा देखता है। पत्थरमें ईश्वर न माने तो कुरान शरीफ खुदाई किताब है, यह क्यों माना जायगा ?

तो यह क्या बुतपरस्ती नहीं है ? दिलोंमें भेद न रखें तो हम सब यह सीख सकते हैं। ऐसा हो तो फिर यह नहीं होगा कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह मुसलमान है। सब भाई-भाई हैं, मिल-जुलकर रहनेवाले हैं। ऐसा होना चाहिए। फिर ट्रेनमें आज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती है—लड़का फेंक दिया जाता है, आदमी फेंक दिया जाता है, औरतें फेंक दी जाती हैं, वह सब मिट जायगा, हर कोई आसानीसे हर जगह रह सकेंगे, कहीं किसीको डर न होगा। यूनियन ऐसा बने। पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए। मुझको तबतक परम शांति नहीं होनेवाली है जबतक यहांके शरणार्थी, जो पाकिस्तानसे दुखी होकर आए हैं, अपने घरोंको वापस न जा सकें और जो मुसलमान यहांसे हमारे डरसे, मार-पीटसे भागे हैं और जो वापस आना चाहते हैं वे आरामसे यहां न रह सकें।

बस इतना ही कहूंगा। ईश्वर हम सबको, सारी दुनियाको अच्छी अक्ल दे, सन्मति दे, होशियार करे और अपनी ओर खींच ले, जिससे हिंदुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो।

(लिखित संदेश)

मैंने यह उपवास सत्यके, जिसका परिचित नाम ईश्वर है, नामपर किया था। जीते-जागते सत्यके बिना ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वरके नामपर हम झूठ बोले हैं, हमने बेरहमीसे लोगोंकी हत्याएं की हैं और इसकी भी परवाह नहीं की कि वे अपराधी हैं या निर्दोष; मर्द हैं या औरतें; बच्चे हैं या बूढ़े! हमने अपहरण व बलात् धर्म-परिवर्तन किए हैं और हमने यह सब बेहयाईसे किया है। मैं नहीं समझता कि किसीने यह काम सत्यके नामपर किए हों। इसी नामका उच्चारण करते हुए मैंने उपवास तोड़ा है। हमारे लोगोंका दुःख असह्य था। राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू हिंदुओं, मुसलमानों व सिखों, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शरणार्थियोंके सौसे अधिक प्रतिनिधियोंको लेकर मेरे पास आए। इन प्रतिनिधियोंके दलमें पाकिस्तानके हाई कमिश्नर जाहिदहुसैन साहब, दिल्लीके कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर और आजाद हिंद फौजके जनरल शाहनवाज भी शामिल थे। नेहरूजी भी एक मूर्तिकी तरह चुपचाप मेरे पास बैठे हुए थे और ऐसे

ही मौलाना आजाद। राजेन्द्र बाबूने एक दस्तावेज[1] पढ़कर सुनाया, जिसपर

[1] वह शांति-प्रतिज्ञा, जिसपर हिंदुओं, सिखों व मुसलमानोंके सौसे अधिक प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किए और जिसपर गांधीजीने उपवास समाप्त किया, इस प्रकार है—

हम यह घोषित करना चाहते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हिंदू, मुसलमान और सिख और दूसरे धर्मके सब माननेवाले फिरसे आपसमें मिलकर भाई-भाईकी तरह दिल्लीमें रहें और हम उनसे यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मुसलमानोंकी जान, धन और धर्मकी हम रक्षा करेंगे और जिस तरहकी घटनाएं यहां पहले हो गई हैं, उनको फिर न होने देंगे।

१. गांधीजीको हम इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह ख्वाजा कुतुबुद्दीनके उर्सका मेला पहले हुआ करता था, वैसे ही अब भी होगा।

२. जिस तरह मुसलमान दिल्लीके सभी मुहल्लोंमें और खास तौर-पर सब्जीमंडी, करौलबाग और पहाड़गंजमें आया-जाया करते थे, वैसे ही बेखटके और बेखतरे फिरसे आ-जा सकेंगे।

३. उन मस्जिदोंको, जिनको मुसलमान छोड़कर चले गए हैं, या जो हिंदुओं और सिखोंके कब्जेमें हैं, वापिस दे देंगे। जिन जगहों-को खास मुसलमानोंके बसनेके लिए गवर्नमेंटने रख छोड़ा है, उनपर जोर-जबर्दस्तीसे कब्जा करनेकी कोशिश नहीं की जायगी।

४. जो मुसलमान दिल्लीसे बाहर चले गए हैं, वे अगर वापिस आना चाहें तो हमारी तरफसे कोई बाधा न दी जायगी और मुसलमान अपने कारबार जिस तरहसे करते थे, करने पाएंगे। हम यह इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि ये सब चीजें अपनी कोशिशसे पूरी करेंगे और सरकारी पुलिस या फौजकी ताकत इसकी खातिर इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

५. महात्माजीसे हमारा अनुरोध है कि वे हमारी बातोंपर विश्वास करके अपना उपवास छोड़ दें और जिस तरह आजतक देशके रहनुमा रहे हैं, बने रहें।

आगत प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर थे। इस दस्तावेजद्वारा मुझसे कहा गया कि उनपर अधिक चिंताका दबाव न डाला जाय और मैं अपना उपवास तोड़कर उनके दुःखका अंत कर दूं। पाकिस्तान व भारतीय यूनियनसे भी मेरे पास तार-पर-तार आए थे कि मैं उपवास तोड़ दूं। मैं इन सब मित्रोंकी सलाहका विरोध न कर सका। मैं उनकी इस प्रतिज्ञापर अविश्वास नहीं कर सका कि हर हालतमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या पारसियों व यहूदियों सबमें मित्रता रहेगी और इस मित्रताको कभी भंग नहीं किया जायगा। इस दोस्तीको तोड़नेका मतलब राष्ट्रको तोड़ना होगा।

जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी कामनावाले तारोंका तांता लगा हुआ है। ईश्वर मुझे काफी सेहत और विवेक दें जिससे मैं मानव-जातिकी सेवा कर सकूं। यदि यह आश्वासन, जो आज मुझे दिया गया है, पूरा हो जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं चौगुनी शक्तिसे प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीने दे और मैं अंततक मानव-जातिकी सेवा करूं। विद्वानोंका मत है कि पूरी उम्र कम-से-कम १२५ वर्ष है और कुछ लोग १३३ वर्ष कहते हैं। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होनेमें जितना समय लगनेकी आशा थी वह दिल्लीके नागरिकोंकी, जिनमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके नेता भी सम्मिलित हैं, सद्भावनाके कारण उससे पहले पूरी हो गई। मुझे पता चला है कि कलसे हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग भी मेरी सहानुभूतिमें उपवास कर रहे हैं। तो ऐसी हालतमें इसका परिणाम दूसरा निकल ही नहीं सकता था। हजारों व्यक्तियोंने मेरे पास लिखित आश्वासन भेजे हैं कि लोगोंके दिलोंमें परिवर्तन हो गया है और वे सबको भाई मानते हैं। सारी दुनियासे मेरे पास आशीर्वादके तार आए हैं। क्या इस बातका इससे अच्छा कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवासमें ईश्वरका हाथ था? लेकिन मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोंके पालनके बाद उसकी आत्मा भी है, जिसके पालनके बिना शब्दोंका पालन बेकार हो जाता है। मेरी प्रतिज्ञाका उद्देश्य यूनियन तथा पाकिस्तानमें हिंदू, मुस्लिम, सिखमें मित्रता स्थापित करना है। यदि यूनियन (हिंदुस्तान) में ऐसा हो जाता है तो जैसे रातके बाद दिन होता है वैसे ही पाकिस्तानमें भी ऐसा होना ही चाहिए। यदि यूनियनमें अंधेरा

हो तो पाकिस्तानमें उजालेकी आशा करना मूर्खता है, किंतु यदि यूनियनमें रात मिट जानेका कोई शक नहीं रह जाता तो पाकिस्तानमें भी रात मिटकर ही रहेगी। पाकिस्तानसे बहुतसे संदेश आए हैं। उनमेंसे एकमें भी इस बातका विरोध नहीं किया गया है। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि जिस तरहसे इन छः दिनोंतक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह आगे भी हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे।

: २१३ :

१९ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

सारी दुनियासे हिंदुस्तानियों और दूसरे लोगोंने मेरी सेहतके बारेमें चिंता और शुभेच्छा बतानेवाले अनेक तार भेजे हैं। उनके लिए मैं उन सब भाई-बहनोंका आभार मानता हूं। ये तार जाहिर करते हैं कि मेरा कदम ठीक था। मेरे मनमें तो इस बारेमें कोई शक था ही नहीं। जिस तरहसे मेरे मनमें कोई शक नहीं कि ईश्वर है और उसका सबसे तादृश्य नाम सत्य है, उसी तरहसे मेरे दिलमें कोई शक नहीं है कि मेरा फाका सही था। अब मुबारकबादके तारोंका तांता लगा है। चिंताका बोझ हल्का होनेसे लोग आरामकी सांस लेने लगे हैं। मित्रगण मुझे क्षमा करेंगे कि मैं सबको अलग-अलग पहुंच नहीं भेज सकता, ऐसा करना नामुमकिन है। मैं यह भी आशा रखता हूं कि तार भेजनेवाले पहुंचकी आशा भी नहीं रखते होंगे।

तारोंके ढेरमेंसे मैं दो तार यहां देता हूं। एक पश्चिमी पंजाबके प्रधान मंत्रीका है और दूसरा भोपालके नवाब साहबका। उन लोगोंका आज लोग काफी अविश्वास करते हैं। तार तो आप सुनेंगे ही। उस बारेमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर ये तार उनके दिलोंके सच्चे भावको जाहिर करनेवाले न होते तो क्यों वे उपवास जैसे पवित्र और गंभीर मौकेपर मुझे तार भेजनेकी तकलीफ उठाते ?

भोपालके नवाब साहब अपने तारमें लिखते हैं :

"सब कौमोंके दिली मेलके लिए आपकी अपीलको हिंदुस्तानके दोनों हिस्सोंके सब शांतिप्रिय लोग जरूर मानेंगे। इसी तरहसे, हिंदुस्तानके दोनों हिस्सोंमें दोस्ती और समझौता होने की इस अपीलको भी सब लोग जरूर मानेंगे। खुशकिस्मतीसे इस रियासतमें, पिछले सालमें हमारी कठिनाइयोंका सामना हम सब कौमोंके समझौते, प्रेम और मेलके उसूलपर कर सके हैं। नतीजा यह है कि इस रियासतमें शांति-भंग करनेवाला एक भी किस्सा नहीं बना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी ताकतसे इस मेल-जोल और मित्र-भावको बढ़ानेकी कोशिश करेंगे।"

पश्चिमी पंजाबके प्रधान मंत्रीका तार भी मैं पूरा-पूरा देता हूं। वे लिखते हैं :

"आपने एक भले कामको बढ़ानेके लिए जो कदम उठाया है, पश्चिमी पंजाबकी वजारत[1] उसकी तहेदिलसे[2] तारीफ करती है और सच्चे हृदयसे उसकी कदर करती है। इस वजारतने अकलियतोंकी जान-माल और इज्जत बचानेके लिए, जो भी हो सके वह करनेका उसूल[3] हमेशा अपने सामने रखा है। यह वजारत मानती है कि अकलियतोंको अन्य नागरिकोंके बराबर हक मिलने चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह वजारत इस नीतिपर अब और दुगने जोरसे अमल करेगी। हमें यही फिकर है कि हिंदुस्तानके भूखण्डमें एक जगह फौरन हालत सुधरे, ताकि आप अपना उपवास छोड़ सकें। आपके-जैसी कीमती जिंदगीको बचानेके लिए इस सूबेमें हमारी कोशिशमें कोई कसर नहीं रहेगी।"

आजकल लोग बिना सोचे-समझे नकल करने लगते हैं। इसलिए मुझे चेतावनी देनी होगी कि कोई इतने ही समयमें इस तरहके परिणामकी आशा रखकर इस तरहका उपवास शुरू न करे। अगर कोई करेगा तो उसे निराश होना पड़ेगा और ऐसे अचूक और शाश्वत उपायकी बदनामी होगी। उपवासकी शर्तें कड़ी हैं। अगर ईश्वरमें जीता-जागता विश्वास नहीं है और अंतरात्मासे आवाज, ईश्वरीय हुकम नहीं निकलता है तो

---

[1] मंत्रि-मंडल; [2] हृदयसे; [3] सिद्धांत।

उपवास करना फिजूल है। तीसरी शर्त भी लगानेकी इच्छा होती है, मगर इसकी जरूरत नहीं है। ईश्वरका हुकम तभी मिल सकता है जब उपवासका मकसद सच्चा हो, सही हो और बामौका[1] हो। इसमेंसे यह भी निकलता है कि ऐसे कदमके लिए पहलेसे लंबी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए कोई झटसे उपवास करने न बैठे।

दिल्लीके शहरियोंके सामने और पाकिस्तानसे आए हुए दुःखी लोगोंके सामने बहुत बड़ा काम है। उनको चाहिए कि पूरे विश्वासके साथ आपस-आपसमें मिलनेके मौके ढूंढ़ें।

कल बहुत-सी मुसलमान बहनोंसे मिलकर मुझे निहायत खुशी हुई। मेरे साथकी लड़कियोंने मुझे बताया कि वे बिरला हाउसमें बैठी हुई हैं, मगर जानती नहीं कि अंदर आएं या न आएं। उनमेंसे अधिकतर पर्देमें थीं। मैंने उन्हें लानेके लिए कहा और वे आईं। मैंने उनसे कहा कि वे अपने पिता और भाईके सामने पर्दा नहीं रखतीं तो मेरे सामने क्यों? फौरन हरएकने पर्दा निकाल दिया। यह पहला मौका नहीं है कि मेरे सामने पर्दा निकाला गया है। मैं इस बातका जिकर यह बतानेके लिए करता हूं कि सच्चा प्रेम—और मैं दावा करता हूं कि मेरा प्रेम सच्चा है—क्या कर सकता है।

हिंदू और सिख बहनोंको मुसलमान बहनोंके पास जाना चाहिए और उनसे दोस्ती करनी चाहिए। खास-खास मौकोंपर, त्योहारोंपर, उनको निमंत्रण देना चाहिए और उनका निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। मुसलमान लड़के-लड़कियां आम स्कूलोंकी तरफ खिंचें, सांप्रदायिक स्कूलोंकी तरफ नहीं, वे स्कूलोंके खेलोंमें हिस्सा लें।

मुसलमानोंका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें अनुरोध करना चाहिए कि वे जो धंधे करते थे उन्हें फिरसे करने लगें। मुसलमान कारीगरको खोकर दिल्लीने नुक्सान उठाया है। हिंदू और सिखोंके लिए यह खाहिश रखना कि वे मुसलमानोंसे उनकी रोटी कमानेका जरिया छीन लें, बहुत बुरी कंजूसी होगी। एक तरफसे तो कोई

[1] समयानुसार।

चीज या कामपर किसी एकका इजारा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफसे किसीको बाहर करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारा देश बड़ा है, उसमें सबके लिए जगह है।

जो शांति-कमेटियां बनी हैं वे सो न जायं। सब मुल्कोंमें बहुत-सी कमेटियां दुर्भाग्यसे सो जाया करती हैं। आप लोगोंके बीच मुझे जिंदा रखनेकी शर्त यह है कि हिंदुस्तानकी सब कौमें शांतिसे साथ-साथ रहें। और वह शांति तलवारके जोरसे नहीं, मगर मुहब्बतके जोरसे हो। मुहब्बतसे बढ़कर जोड़नेवाली चीज दुनियामें दूसरी कोई नहीं है।

: २१४ :

२० जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

पहली बात तो मैं आपसे यह कह दूं कि जिन लोगोंने दस्तखत किए उन्होंने, मेरी उम्मीद है, सत्यरूपी ईश्वरको साक्षी रखकर दस्तखत किए हैं, तो भी कलकत्तेसे ऐसी आवाज आ रही है कि यहां जो काम हुआ है उसमें भी कुछ घोटाला न हो। अगर दिल्लीके निवासी और दिल्लीमें जो दुःखी आ गए हैं, वे सब साबित कदम रहेंगे चाहे बाहरमें कुछ भी हो—हिंदुस्तानके और हिस्सेमें कुछ भी हो, पाकिस्तानमें कुछ भी हो—तो मेरा दृढ़ मत है कि आप हिंदुस्तानको बचा लेंगे और पाकिस्तानको भी बचानेवाले हैं। आखिर दिल्ली आजकलका नहीं, पुराना शहर है। आज दिल्लीमें जो काम हो गया है—इतना बड़ा काम, जो सत्यमय और अहिंसामय है—उसका प्रभाव सारे हिंदुस्तानमें, सारे पाकिस्तानमें और सारी दुनियामें पड़ेगा।

सरदारने बंबईमें क्या कहा, उसे गौरसे पढ़ें तो पता चल जायगा कि सरदार और पंडित नेहरू दूर नहीं हैं, अलग-अलग नहीं हैं। कहनेका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करते एक ही चीज हैं। वे हिंदुस्तान या मुसलमानके दुश्मन नहीं हो सकते। जो मुसलमानका दुश्मन है वह

हिंदुस्तानका भी दुश्मन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि हम कम-से-कम इतना तो सीख लें। सारी दुनियामें लोग सीख चुके हैं। हां, अमरीका एक ऐसा मुल्क है, जहां हब्शी लोगोंको मार डाला जाता है। वहां काफी ऐसे गोरे लोग हैं जो बुरा नहीं मानते, उनके लिए दिलमें शर्म नहीं है, लेकिन दुनियाके दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते। उसको हम वहशियाना मानते हैं। हमारे ही अखबारोंने लिखा है कि वे लोग कितने वहशियाना काम करते हैं। अमरीकाके लोग इतने सुधारक हैं, तो भी ऐसा करते हैं। हम ऊंचे हैं, हम ऐसा कर नहीं सकते। वह तो है, लेकिन आज क्या होता है। तो मैं कहूंगा कि आप सब बता दें कि गैर-इन्साफ, बाहर हो या यहां, उसका बदला हम न लेंगे, हकूमतपर छोड़ देंगे। कम-से-कम इतना करें, तब लोग आरामसे आ-जा सकते हैं।

मैंने कहा कि मुमकिन है, मैं यहांसे पाकिस्तान जाऊं, लेकिन पाकिस्तानको तब जाऊंगा जब हकूमत बुलाएगी और कहेगी कि तू तो भला आदमी है, ख्वाबमें भी मुसलमानोंका बुरा नहीं कर सकता, हिंदुओंका भी बुरा नहीं करता, सिखोंका भी बुरा नहीं करता। हर हालतमें तेरी हाजिरी पाकिस्तानमें चाहते हैं। या तो एक-एक हकूमत कहे—तीन हकूमतें हैं, बलूचिस्तानको छोड़ दो—या पाकिस्तानकी मरकजी[1] हकूमत है वह कहे तो जा सकता हूं। तब आप समझें कि मैं चला गया। हां, डाक्टर कहते हैं कि फाकेसे जिस्मको इतना नुक्सान पहुंचा है कि पंद्रह दिन कहीं नहीं जा सकता— सूखी चीज भी नहीं खा सकता—तुमको तो पानी ही पीना है। पीछे पानीमें दूध आ जाता है, फलका रस आ जाता है। दूधसे तो आदमी जिंदगीभर रह सकता है।

दूसरी बात यह है। यहां जितने दुःखी लोग हैं, उनके लिए तो पंडित-जी—उनको मैं बहुत पहचानता हूं—ऐसे हैं कि दूसरोंको सुलाकर सोनेवाले हैं। मानो एक ही बिछौना है, जो सूखा है, बाकी गीला है, तो वह सूखेमें दुःखीको सुलाएंगे खुद चाहे घूमते रहें। मैं यह पढ़कर बहुत खुश हुआ। वे कहते हैं कि उनके घरमें जगह नहीं है, दूसरे आदमी भी चले आते हैं,

[1] केन्द्रीय।

इसलिए जगह नहीं रहती है। वह तो मुख्य प्रधान है। तो मिलनेवाले जाते हैं, दोस्त हैं, अंग्रेज भी जाते हैं तो क्या वहांसे उनको निकाल दें ? तो भी कहते हैं कि मेरी तरफसे एक कमरा या दो कमरा, जितना निकल सकता है निकालूंगा और दुःखी लोगोंको रखूंगा। फिर दूसरे मुख्य प्रधान भी करे, फिर फौजके अफसर हैं वे भी ऐसा करें। इस तरहसे सब अपने धर्मका पालन करें तो कोई दुःखी नहीं रहेगा। ऐसा जो जवाहरने किया, उसे देखा तो मैं उनको और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां एक रत्न है। पीछे कहते हैं कि दूसरे धनिक लोग जैसे बिड़ला या दूसरे हैं, उनको भी यही करना है। जब प्रधान ऐसा करता है तो और भी क्यों न ऐसा करें ? बड़ी तेजीसे दुःखी लोगोंके दुःखको दूर करनेकी कोशिश हो रही है। इससे हम सीखें कि हम मुसलमानोंसे दुश्मनी नहीं करेंगे।

एक खत आया है। मेरा फाका चलता था तब १५ जनवरीको आया था। लोगोंमें बदमाश भी पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि व्यापार करो। उन्होंने बड़े-बड़े नोट निकाल दिए और गरीबोंको बेचने लगे। सस्ते मिलते हैं, इसलिए गरीब बेचारे ले लेते हैं। लेकिन इन नोटोंकी तो कोई कीमत नहीं, आखिर मामूली कागजके ही होते हैं। ऐसे नोट निकालने-वालोंसे मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि ऐसा मत करो। क्या सच्चा मार्ग नहीं मिलता है, जिससे अपना काम चला सकें ? मैं गरीबोंको भी, जो भोले हैं, कहूंगा कि कहांतक ऐसे भोले रहोगे ! करोड़ों भोले रहेंगे तो काम नहीं चलेगा।

मुझको एक तार लाहौरसे आया है। वे भाई काश्मीर स्वातंत्र्य लीग-के अध्यक्ष हैं। वे लिखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह बहुत बुलंद काम है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती, जबतक काश्मीरका जो मसला है उसका फैसला नहीं हो जाता। इसके लिए तुमको ऐसा करना चाहिए कि भारत-सरकारने वहां जो फौज भेजी है उसको हटाले; क्योंकि उस फौजने काश्मीरमें हमला किया है। और काश्मीर जिसका है उसको दे दो तब फैसला होगा। इससे मुझको दुःख होता है। क्या काश्मीरका फैसला नहीं होता है तो आज ऐसा ही रहेगा—क्या मुसलमान हिंदू-सिखके, दुश्मन रहेंगे और हिंदू-सिख मुसलमानके दुश्मन रहेंगे, सिर्फ काश्मीर-

के लिए ? पीछे लिखा क्या है उसे समझना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं कि हमारी हकूमतने जो फौज भेजी है वह हमला करनेके लिए है। काश्मीरकी संकटकालीन सरकारके प्रधान शेख अब्दुल्लाने लिखा और महाराजाने लिखा कि हमको इमदाद[1] भेजो, नहीं तो काश्मीर गया—वह तो उनकी निगाहसे है, लिखनेवालेकी निगाहसे नहीं सही। तो मैं उस भाईको और ऐसे जितने हैं उन सबको कहूंगा कि वे ऐसा न करें। हां, यह ठीक है कि जिसका है उसको दे दो। तो जितने बाहरसे आए हैं—अफरीदी हों या कोई भी हों—हट जायं। पुंछके लोग बागी बने हैं तो मुझको शिकायत नहीं है, वे रहें तो भी बागी बनकर समूचे काश्मीरको ले लें, यह अच्छा नहीं है। वहांसे बाहरके सब लोग निकल जायं, बाहरसे कोई गोलमाल न करें, शिकायत न करें और बाहरसे भीतरवालोंको मदद न करें तो मैं समझ सकता हूं; लेकिन कहें कि हम रहेंगे और उनको निकाल दो तो बात बनती नहीं है। पीछे यह कहना कि काश्मीर जिसका है उसको दे दो, तो किसका है ? मैं कहूंगा कि अभी तो काश्मीर महाराजाका है, क्योंकि महाराजा तो वहां है। आज हमारी निगाहमें, हकूमतकी निगाहमें, महाराजाको निकाल नहीं सकते। हां, ऐसा समझें कि महाराजा बदमाश है, रैयतके लिए कुछ करता नहीं है तो मेरा खयाल है कि हकूमतका हक है कि उसे निकाल दें, लेकिन अभी ऐसी बात तो है नहीं। वहां जो मुसलमान हैं वे कहें कि हमें महाराजा नहीं चाहिए, हम सीधा-सीधा पाकिस्तान या हिंदुस्तानमें जाना चाहते हैं तो इसमें कोई शिकायत नहीं हो सकती। मैं तो फाका करके उठा हूं। मैं किसीका दुश्मन नहीं हूं तो मुसलमानका दुश्मन कैसे हो सकता हूं ! मेरे पास आएं और समझाएं कि मेरी क्या गलती है। समझा सको तो मैं मान जाऊंगा।

पीछे एक भाई ग्वालियरसे लिखते हैं—तार रतलामसे आया है, मुसलमान भाईका है। सही क्या है, मैं नहीं जानता हूं। तो वे लिखते हैं कि हमारे वहां ग्वालियर रियासतमें कोई देहात है—हम वहां मजबूर हो गए तब हिंदुओंने हमें ले तो लिया; लेकिन मारना शुरू कर दिया—एक-दो

[1] मदद।

मारे गए, अनाज वगैरा लूट लिया। मकानोंको जला दिया। पंद्रह-सोलह जनवरीको लिखा। उन दिनों मेरा फाका चलता था। फाकासे उसको क्या मतलब हो सकता है ? अगर यह सही है तो मैं ग्वालियरके हिंदुओंसे कहूंगा कि दिल्लीमें जो बन गया है उसको आप लोग बिगाड़नेवाले हैं। वे कहते हैं कि जो हकूमत चलानेवाले हैं वे भी इमदाद नहीं देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ? हिंदुस्तानके एक कोनेमें भी ऐसा हो तो मैं कहूंगा कि हकूमतको शर्मिंदा होना है और हमको भी शर्मिंदा होना है। मेरी उम्मीद है कि ऐसा हुआ हो तो आखिरमें उसको ठीक कर दिया जायगा।

मैंने सुना है, अखबारोंमें पढ़ा है कि काठियावाड़के जितने राजा हैं—काफी हैं, दो सौसे ज्यादा हैं—उन सबने मिलकर इकरार कर लिया है कि हम सब एक रियासत बनाएंगे और असेम्बली बना लेंगे, प्रजाका भी काम करेंगे और अपना भी काम करेंगे। अगर अखबारोंमें जो बात आई है वह सही है तो बड़ी चीज है। इसके लिए काठियावाड़के सब राजाओंको और वहांके लोगोंको मैं धन्यवाद देता हूं। भावनगरमें सब सत्ता प्रजाके हाथ सौंप दी और राजा प्रजाका सेवक बन गया। इस बड़े कामके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

: २१५ :

२१ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

पहले तो मैं माफी मांग लूं कि मैं १० मिनिट देरसे आया हूं। बीमार हूं, इसलिए समयपर नहीं आ सका।

कलके बम फूटनेकी बात कर लूं। लोग मेरी तारीफ करते हैं और तार भी भेजते हैं। पर मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई। मैंने तो यही समझा था कि फौजवाले कहीं प्रैक्टिस[1] करते हैं। बादमें सुना कि

[1] अभ्यास।

बम था। मुझसे कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर ईश्वरकी कृपासे बच गए। अगर सामने बम फटे और मैं न डरूं, तो आप देखेंगे और कहेंगे कि वह बमसे मर गया, तो भी हँसता ही रहा। आज तो मैं तारीफके काबिल नहीं हूं। जिस भाईने यह काम किया, उससे आपको या किसीको नफरत नहीं करनी चाहिए। उसने तो यह मान लिया कि मैं हिंदू-धर्मका दुश्मन हूं। क्या गीताके चौथे अध्यायमें यह नहीं कहा गया है कि जहां कहीं दुष्ट धर्मको नुकसान पहुंचाते हैं, वहां उन्हें मारनेके लिए भगवान किसीको भेज देता है। उसने बहादुरीसे जवाब दिया। हम सब ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह उसे सन्मति दे। जिसे हम दुष्ट मानते हैं और वह दुष्ट है, तो उसकी खबर ईश्वर लेगा।

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमें बैठ गया था। जगह नहीं थी, तो वह हकूमतको दोषी ठहरावे, पर पुलिसका या किसीका कहना न माने, यह तो ठीक नहीं।

इस तरह हिंदू-धर्म नहीं बच सकता। मैंने बचपनसे हिंदू-धर्मको पढ़ा और सीखा है। मैं छोटा-सा था और डरता था, तो मेरी दाई कहती थी कि डरता क्यों है, राम-नाम ले। फिर मुझे ईसाई, मुसलमान, पारसी सब मिले, मगर मैं जैसा छोटी उमरमें था, वैसा ही आज भी हूं। अगर मुझे हिंदू-धर्मका रक्षक बनना है तो ईश्वर मुझे बचावेगा।

कुछ सिखोंने आकर मुझसे कहा कि हम नहीं मानते कि इस काममें कोई सिख शामिल था। सिख होता तो भी क्या? हिंदू या मुसलमान होता, तो भी क्या? ईश्वर उसका भला करे। मैंने इंसपेक्टर जनरलसे कहा है कि उस आदमीको सताया न जाय। उसका मन जीतनेकी कोशिश की जाय। उसे छोड़नेको मैं नहीं कह सकता। अगर वह इस बातको समझ ले कि उसने हिंदू-धर्म, हिंदुस्तान, मुसलमानों और सारे जगतके सामने अपराध किया है तो उसपर गुस्सा न करें, रहम करें। अगर सबके मनमें यही है कि बूढ़ेका फाका निकम्मा था, पर इसे मरने कैसे दें, कौन उसका इलजाम ले, तो आप गुनहगार हैं न कि बम फेंकनेवाला नौजवान। अगर ऐसा नहीं है, तो उस आदमीका दिल अपने आप बदलेगा ही; क्योंकि इस जगतमें पाप कभी अपने आप रह नहीं सकता। वह किसीके सहारे ही टिक

सकता है। सिर्फ भगवान और भगवानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। इसीमेंसे हमारा असहयोग निकला। अहिंसात्मक असहयोग यहां भी ठीक है।

आप भी भगवानका नाम लेते हैं। हमला हो, कोई पुलिस भी मददपर न आवे, गोलियां भी चलें और तब भी मैं स्थिर रहूं और राम-नाम लेता और आपसे लिवाता रहूं, ऐसी शक्ति ईश्वर मुझे दे, तब मैं धन्यवाद-के लायक हूं।

कल एक अनपढ़ बहनने इतनी हिम्मत दिखाई कि बम फेंकनेवालेको पकड़वा दिया। यह मुझे अच्छा लगा। मैं मानता हूं कि कोई मिस्कीन हो, अनपढ़ हो, या पढ़ा-लिखा हो, मन है तो सब कुछ है। मन चंगा तो भीतरमें गंगा। मुझपर तो सबने प्रेम ही बरसाया है।

बहावलपुरवालोंने लिखा है कि हमें जल्दी निकालो, नहीं तो सब मरनेवाले हैं। मैं कहता हूं कि वे घबराएं नहीं। वहांके नवाब साहबने आज भी मुझे तार दिया है कि वे सब कोशिश करेंगे। मैं उस चीजको भूल नहीं गया हूं।

बंबईके सिंधी सिख भाइयोंकी तरफसे एक तार आया है। वे कहते हैं कि सिंधमें १५००० सिख हैं। कुछको तो मार डाला है। ये १५००० इधर-उधर पड़े हैं। उनकी जान और उनका ईमान खतरेमें है। उन्हें वहांसे निकालनेकी तजवीज कीजिए—हवाई जहाजसे ही कोशिश कीजिए। मैं यहां जो कहता हूं, वह बात उन तक जल्दीसे पहुंचेगी। तार देरसे पहुंचते हैं। मुझसे यह बरदाश्त नहीं होगा कि १५००० सिख काटे जायं, या उनके ईमान-इज्जतपर हमला हो। तो मैं एक इन्सान जो कर सकता है वह करूंगा। दूसरे, पंडितजी तो सबका ध्यान रखते ही हैं। सिंध और पाकिस्तानकी हुकूमतको मैं कहूंगा कि वे सिखोंको इतमीनान दिला दें कि जबतक वे वहां हैं, उनको किसी तरहका खतरा नहीं। अगर वे यह नहीं कर सकते, तो सबको एक जगह रखें या हिफाजतके साथ भेज दें। सिख बहादुर हैं। उनके ईमानपर हमला कौन करनेवाला है। तो सिख भाई इतमीनान रखें। मैंने कुछ पारसी भाई वहां देखनेको भेजे हैं।

एक भाई लिखते हैं कि जब आप १९४२ में जेलमें थे तब हमने हिंसाका भी काम कर लिया था। उपवासमें अगर कहीं आपका अंत हो

गया तो देशमें ऐसी हिंसा फूटेगी कि आपका ईश्वर भी रो उठेगा। इसलिए आपका उपवास हिंसक होगा। आप उपवास छोड़ दीजिए। यह बात प्रेमसे लिखी है और अज्ञानसे भी। यह सही है कि मेरे जेल जानेके बाद हिंसा हुई। उसीका यह नतीजा है। उस वक्त सारा हिंद अहिंसक रहता तो उसका आजका हाल कभी न होता। मेरे मरनेसे सब आपस-आपसमें लड़ेंगे, इस बारेमें भी मैंने सोच लिया है। ईश्वरको बचाना होगा तो बचावेगा। अहिंसासे भरा आदमी मरता है तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। पर कृष्ण भगवानके मरनेके बाद यादव ज्यादा भले या पवित्र नहीं हुए। सब कट-कटकर मर गए। तो मैं उसपर रोनेवाला नहीं। भगवानने इरादा कर लिया है कि इन्हें मरने दो, तो ऐसा होगा। लेकिन मैं दीन, मिस्कीन आदमी हूं। मेरे मरनेसे क्या लड़ना मारना? पर भगवान मिस्कीनको भी निमित्त बनाकर न मालूम क्या-क्या कर सकता है? कहते हैं, अब यहांके हिंदू-मुसलमान नहीं लड़ेंगे। मुसलमान औरतें भी दिल्लीमें घरसे बाहर आने लगी हैं। मुझे खुशी है। मैं सबसे कहता हूं कि अपने-अपने दिलको भगवानका मंदिर बना लो।

: २१६ :

२२ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आप देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ईश्वरकी तरफसे मुझमें ताकत आ रही है। उम्मीद है कि जल्दी पहले-जैसा हो जाऊंगा। पर यह ईश्वरके हाथोंमें है।

एक भाई लिखते हैं कि जवाहरलालजी, दूसरे वजीर और फौजी अफसर वगैरा सब अपने-अपने घरोंमेंसे कुछ जगह शरणार्थियोंके लिए निकालें तो भी उनमें कितने लोग बस सकेंगे? कहनेवाले ज्यादा हैं, करनेवाले कम।

ठीक है, कुछ हजार ही उनमें रह सकेंगे। काम इतना बड़ा नहीं,

पर करनेवाले एक मिसाल कायम करेंगे। इंगलैंडके राजा कुछ भी त्याग करें, एक प्याली शराब भी छोड़ें, तो भी उनकी कद्र होती है। सब सभ्य देशोंमें ऐसा होता है। सब दुःखी लोगोंपर अच्छा असर होता है। अगर दूसरे लोग भी उनकी तरह करेंगे, तो उनके लिए मकान वगैरा बनानेवालोंको तसल्ली मिलेगी। अगर नतीजा यह होगा कि दूसरी जगहसे भी लोग दिल्ली आने लगें, तो काम बिगड़ेगा। लोगोंने समझा कि दिल्लीमें हमारी पूछ-ताछ ज्यादा होगी।

दूसरी कठिनाई यह है—लोग कहते हैं कि पहले कांग्रेसको एक लाख रुपये जमा करनेमें भी मुसीबत होती थी। लोग देते तो थे, पर हम भिखारी थे। आज करोड़ों रुपये हमारे हाथमें आ गए हैं। करोड़ों लेनेकी ताकत भले आई, पर खर्च तो वही अंग्रेजी जमानेवाला है। जितना रुपया उड़ाना है, उड़ावें। शानसे न रहें, तब उसका असर देशसे बाहर भी पड़ेगा। उन्हें समझना चाहिए कि पैसा शौकके लिए खर्चना चाहिए या देशके कामके लिए? यदि यह बात ठीक है कि हम इंगलैंडके साथ मुकाबला करें तो कर सकते हैं, पर वहां एक आदमीकी जो आमदनी है, उससे यहां बहुत कम है। ऐसा गरीब मुल्क दूसरे मुल्कोंके साथ पैसेका मुकाबला करे तो वह मर जावेगा। दूसरे देशोंमें हमारे प्रतिनिधि भी यह बात समझें। अमेरिकाका मुकाबला रहने दो। खानेमें, पीनेमें और पार्टियां देनेमें वे जो दावा करते थे कि हमारी हकूमत आवेगी तो हमारा भी रंग-ढंग बदल जायगा वह उन्हें झुठला देना चाहिए। हमारे त्यागी कांग्रेसवाले भी ऐसी गलती करें तो यह सोचनेकी बात है।

फिर लोग कहते हैं कि ये लोग इतने पैसे लेते हैं, तब हम हकूमतकी नौकरी करें, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिएं। सरदार पटेलको अगर १५०० रुपए मिलें, तो हमें ५०० तो मिलने ही चाहिएं। यह हिंदुस्तानमें रहनेका तरीका नहीं है। जब हरएक आत्म-शुद्धिका प्रयत्न करता हो, तब यह सब सोचना कैसा? पैसेसे किसीकी कीमत नहीं होती।

ग्वालियर रियासतके एक गांवमें मुसलमानोंपर जो गुजरी है उसे बतानेवाले तारकी बात मैंने की थी। उस बारेमें मुझे वहांके एक कार्यकर्ताने सुनाया कि आपको मैं एक खुशखबरी देने आया हूं। ग्वालियरके

महाराजाने सब सत्ता प्रजाको दे दी है। थोड़ी जो रखी है उसमें भी हमारा बहुमत होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि लोगोंको जो सत्ता मिलनी चाहिए वह मिली, यह सुनकर आप खुश होंगे। हां, मगर प्रजा-मंडलवालोंमें भेद-भाव आ जाय और वे मुसलमानोंको निकालें, तो मुझे क्या खुशी? अगर आप कहें कि भेदभाव नहीं होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, किसीके साथ बैर नहीं करेंगे, तब तो वह मेरा ही काम हुआ। उसमें मेरा धन्यवाद और आशीर्वाद मिलेगा ही। महाराजाको लोगोंका सेवक बनना है। इस आत्म-शुद्धिके यज्ञमें राजा-प्रजा सबको अच्छी तरह भाग लेना है। तब तो हम सारी दुनियाके सामने खड़े रह सकते हैं। अगर हमें दुनियाकी चालको ठीक रखना है और उसके रक्षक बनना है तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

: २१७ :

२३ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज मेरे पास काफी चीजें पड़ी हैं। जितना हो सकेगा उतना कहूंगा।

आज सुभाषबाबूकी जन्म-तिथि है। मैंने कह दिया है कि मैं तो किसीकी जन्म-तिथि या मृत्यु-तिथि याद नहीं रखता। वह आदत मेरी नहीं है। सुभाष बाबूकी तिथिकी मुझे याद दिलाई गई। उससे मैं राजी हुआ। उसका भी एक खास कारण है। वे हिंसाके पुजारी थे। मैं अहिंसाका पुजारी हूं। पर इसमें क्या? मेरे पास गुणकी ही कीमत है। तुलसीदासजीने कहा है न:

"जड़-चेतन गुन-दोषमय विश्व कीन्ह करतार।
संत-हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार॥

हंस जैसे पानीको छोड़कर दूध ले लेता है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। मनुष्यमात्रमें गुण और दोष दोनों भरे पड़े हैं। हमें गुणोंको ग्रहण

करना चाहिए। दोषोंको भूल जाना चाहिए। सुभाषबाबू बड़े देश-प्रेमी थे। उन्होंने देशके लिए अपनी जानकी बाजी लगा दी थी और वह करके भी बता दिया। वह सेनापति बने। उनकी फौजमें हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सब थे। सब बंगाली ही थे, ऐसा भी नहीं था। उनमें न प्रांतीयता थी, न रंगभेद, न जातिभेद। वे सेनापति थे, इसलिए उन्हें ज्यादा सहूलियत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं था।

एक बार एक सज्जन, जो बड़े वकील थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि हिंदू-धर्मकी व्याख्या क्या है ? मैंने कहा, मैं हिंदू-धर्मकी व्याख्या नहीं जानता। मैं आप-जैसा वकील कहां हूं ? मेरे हिंदू-धर्मकी व्याख्या मैं दे सकता हूं। वह यह है कि जो सब धर्मोंको समान माने वही हिंदू-धर्म है। सुभाषबाबूने सबका मन हरण करके अपना काम किया। इस चीजको हम याद रखें।

दूसरी चीज—ग्वालियरसे खबर आई है कि रतलामसे जो आपको एक गांवके झगड़ेके बारेमें खबर मिली थी, वह सर्वथा ठीक नहीं है। वहां कुछ दंगा हुआ तो सही; लेकिन आपस-आपसमें उसमें हिंदू-मुसलमानकी कोई बात न थी। मुझे इससे बड़ी खुशी होती है। उसपरसे मैं मुसलमान भाइयोंको जाग्रत करना चाहता हूं। मैं तो, जो चीज मेरे सामने आती है, उसे जनताके सामने रख देता हूं। अगर ऐसी बनी-बनाई बात कहते रहेंगे, तो सबके दिलमें गलतफहमी हो जायगी। कोई भी चीज बढ़ाकर न बतावें। अपनी गलती बढ़ाकर बता दें, दूसरोंकी कम करके। तब यह माना जायगा कि हम आत्मशुद्धिके नियमका पालन करते हैं।

मैसूरसे तार आया है कि आपने जो व्रत लिया उसका मैसूरकी जनतापर असर नहीं पड़ा। वहां झगड़ा हो गया है। मैं मैसूरके हिंदू-मुसलमानोंको जानता हूं। जिनके हाथमें हकूमत है उनको भी जानता हूं। मैंने मैसूर सरकारको लिखा है कि वे, जो कुछ हुआ है, उसे साफ-साफ दुनियाको बता दें।

जूनागढ़से मुसलमान भाइयोंका तार आया है। वे लिखते हैं कि जबसे कमिश्नर और सरदारने हकूमत ले ली है, तबसे यहां हमें न्याय ही मिल रहा है। अब कोई भी हममें फूट नहीं डाल सकेगा। यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है।

मेरठसे एक तार आया है। उसमें लिखा है कि आपके उपवासका नतीजा ठीक आ रहा है। यहांपर जो नेशनलिस्ट[1] मुसलमान हैं, उनसे हमें कोई नफरत नहीं है। पर लीगी मुसलमान सीधे हो गए हैं या हो जाएंगे, ऐसा मानोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। आपकी अहिंसा अच्छी है, मगर राजनीतिमें नहीं चल सकती। फिर भी हम आपको कहना चाहते हैं कि आजकी जो हकूमत है वह अच्छी है, इसमें किसी तरहकी तबदीली नहीं होनी चाहिए।

मैं तो नहीं समझता कि तबदीलीका सवाल उठता कहां है। मगर तबदीलीकी गुंजाइश हो तो जिनके हाथमें हकूमत है, उन्हें निकालना आपके हाथोंमें है। मैं तो इतना जानता हूं कि उनके बिना आज आप काम नहीं चला सकेंगे।

आज यह कहना कि राजनीतिमें अहिंसा चल नहीं सकती, निकम्मी बात है। आज जो काम हम कर रहे हैं, वह हिंसाका है। मगर वह चल नहीं सकता। मेरठके मुसलमानोंने आजादीकी लड़ाईमें काफी हिस्सा लिया है। आजकलकी राजनीति अविश्वाससे चल ही नहीं सकती। इसलिए हमें मुसलमानोंपर विश्वास रखना ही होगा। यदि हमने तय कर लिया है कि भाई भाई बनकर रहना है, तो फिर हम किसी मुसलमानपर खामखाह अविश्वास न करेंगे; फिर भले वह लीगी हो। मुसलमान कहें कि हिंदू-सिख बदमाश हैं, तो यह निकम्मी बात है। ऐसे ही हरएक लीगीके लिए यह मान लेना भी बुरा है। अगर कोई लीगी या दूसरा कोई भी बुरी बात करता है, तो आप उसकी खबर सरकारको दें। हमारा परम धर्म मैंने सबको बता दिया है कि न्याय हकूमतके हाथोंमें रहने दें, अपने हाथमें न ले लें। वह वहशियाना काम होगा। मेरे पास बहुतसे तार आ रहे हैं। सबका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए सभाके मारफत मैं आप सबका अहसान मानता हूं। आपकी दुआ सफल हो।

[1] राष्ट्रीय।

: २१८ :

२४ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मैंने आपसे प्रार्थना की है कि सब लोगोंको प्रार्थना-सभामें शांत रहना चाहिए। आज तो मैंने प्रार्थनाके आरंभमें भी कहा था कि सब शांत हो जाएं। तब तो आप शांत हो गए, लेकिन बादमें जब प्रार्थना चलती थी तब कुछ बहनें आपसमें बातें भी करती थीं और बच्चे चीखते रहते थे। वह कोई अच्छा नहीं लगता था। मैं बार-बार यही कहता हूं कि सबको जब बच्चे चीखते हों या रोते हों, तो उनको बाहर ले जाना चाहिए। उन्हें भीतर लेकर बैठनेकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, अगर वे सभ्यता सीखना चाहती हैं तो।

आज एक तार मेरे पास है। इसकी बात तो मैं कल ही करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। बहुत लंबा तार है; लेकिन उसमें इतना लिखा है कि दोनों हकूमतोंमें यह समझौता तो हो गया है कि जो कैदी एक हकूमतमें हो गए थे, उनको दूसरी हकूमतमें भेज देना। जैसा कि अगर पश्चिमी पंजाबमें या कहो पाकिस्तानके पंजाबमें, जो आदमी कैदमें हैं, वे तो हिंदू और सिख ही हो सकते हैं, कोई अन्य और तरहसे हों, वह दूसरी बात है। इसी तरहसे जो पूर्वी पंजाबमें हैं, वे मुसलमान कैदी हैं। उनमें वे लड़कियां भी हैं जिन्हें लोग भगा ले गए थे। तारमें वे कहते हैं कि ऐसा समझौता हो तो गया, लेकिन थोड़े अर्सेतक चला। अभी वह टूट गया है और कहा यह जाता है कि जो टूटा उसका कारण यह है कि पश्चिमी पंजाबकी जो हकूमत है उसने कैदियोंको रख लिया और कहा कि यह तभी हो सकता है जब कि पूर्वी पंजाबमें जितनी रियासतें हैं, या राजा हैं और जहांतक उनका कार-बार चलता है, वहां भी जो कैदी हैं, वे वापिस आने चाहिए और वहां जो लड़कियां हैं उनको भी वापिस करना चाहिए।

मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ऐसे ही पश्चिमी पंजाबकी जो रियासतें हैं, वहांसे होना चाहिए। वहां कम रियासतें हैं और यहां ज्यादा हैं, उससे क्या हुआ? कहीं भी हो, इस बारेमें समझौता हो

जाना चाहिए। इसमें दिक्कत आती है, यह तो सही है। पूर्वी पंजाबसे जब यह समझौता कर लिया था तब तो यह नहीं था, ऐसा मैं अखबारोंसे समझता हूं। नहीं था, तो भी क्या? जितनी लड़कियां उठा ले गए हैं, इधर या उधर, वे सब वापिस होनी चाहिएं। मेरी निगाहमें तो यह नहीं होता कि पश्चिमी पंजाबसे दस लड़की आती हैं तो पूर्वी पंजाबसे भी दस ही जानी चाहिएं, ग्यारहवीं नहीं जा सकती। जितनी लड़कियां पूर्वी पंजाबमें पड़ी हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं या दूसरे कैदी हैं, उन सबको वापस कर देना चाहिए और यह सब बिना शर्त होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैमनस्य भरा हुआ है। वे ऐसा करनेमें कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन यह तो होना ही चाहिए कि पूर्वी पंजाबसे तो सबको वापस कर दें। उसमें क्या होगा? माना कि कुछ ज्यादा तादादमें पश्चिमी पंजाबमें और थोड़ी तादादमें पूर्वी पंजाबमें हैं। मैंने कहा है कि मुझको तो इसकी परवा नहीं है। सब गलती ही है, एकको ले गए वह गलती है और सौको ले गए वह भी गलती है। ज्यादा नहीं ले सके, उसका कोई दूसरा सबब नहीं है। दिलमें तो ऐसा नहीं था कि एक ही लड़कीको ले जाएं या इतने पुरुष ही कैद रखें। जब सब बिगड़ा तो उसमें पीछे मुकाबला क्या करना था! जो चलता रास्ता है उसमें तो रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दूसरी चीजें भी करें, समझौता करके। अगर दोनों हकूमत दोस्ताना तरीकेसे करें और यह समझें कि लड़ाई हम आपस-आपसमें नहीं करना चाहते हैं, तो फिर रास्ता सीधा और साफ हो जाता है। इसीलिए मैं दोनों हकूमतोंसे बड़े अदबसे कहूंगा कि जो कुछ भी हो गया है उसे भूलकर अब भी दुरुस्त हो जाएं। दिलको दुरुस्त करना है और अगर दिल दुरुस्त हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो फिर हमें तो अपने धर्मका पालन करना ही है, लेकिन झगड़ेका सबब तो रह ही जाता है, फिर चाहे मुझको आप तार भेजते रहें कि हमारे झगड़ोंका कारण कोई रहता ही नहीं। ये सारी चीजें आत्मशुद्धिमें आ जाती हैं। आत्मशुद्धिके माने यही हैं कि हम अपने दिलोंको साफ करें।

लेकिन मेरे पास इल्जाम तो यह आ रहा है कि पश्चिमी पंजाबमें जो औरतोंको उठा ले गए हैं उनको वे उतनी तादादमें वापस नहीं करते।

ऐसी शिकायत पूर्वी पंजाबके बारेमें भी करते हैं। मैंने तहकीकात तो नहीं की है कि कौन झूठा है और कौन नहीं। मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन पश्चिमी पंजाबके बारेमें अगर यह शिकायत सही है तो शर्मकी बात है, पूर्वी पंजाबके बारेमें भी ऐसा ही है। लेकिन पश्चिमी पंजाबके बारेमें तो यह शिकायत भी है कि वे कहते हैं एक चीज, और करते हैं दूसरी। मैं इस बारेमें इतना ही कह सकता हूं कि यह सब दुरुस्त होना चाहिए। नहीं होता है तो बड़े शर्मकी बात है। और पीछे मैं तो यही कहूं कि मैंने जो फाका किया उसके अक्षरोंपर तो दिल्लीमें अमल हो भी गया, लेकिन उसमें जो भेद या रहस्य है, उसका पालन नहीं हुआ।

: २१६ :

२५ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

अभी हमारेमें दिलका समझौता हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं मुसलमानोंसे पूछता हूं और हिंदुओंसे भी। सब यही कहते हैं कि हम सब समझ गए हैं कि अगर आपस-आपसमें लड़ते रहेंगे तो काम हो नहीं सकेगा। इसलिए आप अब बेफिक्र रहें। मैं यह पूछना तो नहीं चाहता हूं कि इस सभामें कितने मुसलमान हैं। मगर मैं सबको भाई-भाई बननेको कहूंगा। किसी भी मुसलमानको अपना दोस्त बना लें, या यह मानो कि जो मुसलमान हमारे सामने आता है वह हमारा दोस्त है और उससे कहो कि चलो, वहां आरामसे बैठो। यहां किसीसे नफरत तो है ही नहीं। दो दिनसे तो यहां काफी आदमी आ रहे हैं। अगर सब अपने साथ एक-एक मुसलमान लाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। इससे हम यही बता सकते हैं हम भाई-भाई हैं।

महरौलीमें जो दरगाह है, वहां कलसे मुसलमानोंका उर्सका मेला शुरू होगा। वैसे तो वह हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष तो हमने उसको ढहा दिया था या बिगाड़ दिया था। जो पत्थरकी चित्रकारीका काम

था वह भी ढहा दिया था। अब कुछ ठीक कर लिया है, इसलिए उर्स जैसा पहले मनता था ऐसा ही अब मनेगा। वहां कितने मुसलमान आते हैं इसका मुझको कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि वहां दरगाहमें मुसलमान भी काफी जाते थे और हिंदू भी। मेरी तो उम्मीद है सब हिंदू इस बार भी शांतिसे और पक्की भावनासे जाएं तो बड़ा अच्छा है। मुझको पता तो लग जायगा कि कितने हिंदू गए थे और कितने नहीं। लेकिन वे जो मुसलमान वहां जाते हैं उनका मजाक न करें और किसी तरहकी निंदा न करें। पुलिसके लोग वहां होंगे तो सही, लेकिन कम-से-कम रहने चाहिएं। आप सब पुलिस बन जाएं और सब काम ऐसी खूबीसे हो कि वह चीज सारी दुनियामें चली जाए। इतना तो हो गया कि आप बड़े मशहूर हो गए हैं। अखबारोंमें भी आता है और मेरे पास तो तार और खत दुनियाके हर हिस्सेसे आ रहे हैं। चीनसे तथा एशियाके सब हिस्सोंसे आ रहे हैं और अमरीका तथा यूरोपसे भी। दुनियाका कोई भी देश बाकी नहीं बचा है और सब यही कहते हैं कि यह तो बहुत बुलंद काम हो गया है। हम तो ऐसा मानते थे कि अंग्रेज तो वहांसे आ गए, अब वे तो जाहिल आदमी हैं और जानते नहीं हैं कि अपना राज कैसे चलाना चाहिए और आपस-आपसमें लड़ते-भिड़ते थे। १५ अगस्तको यह सारी चीज़ तो हो गई और हम तारीफ भी कर रहे थे कि हम तलवारके जोरसे नहीं लड़े। हमने शांतिसे लड़ाई की या ठंडी ताकत की लड़ाई की, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी गोदमें आकर आजादी देवीने रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी घटना १५ अगस्तको हो गई।

मैं २ फरवरीको वर्धा चला जाऊंगा। राजेंद्र बाबू भी मेरे साथ जाएंगे; लेकिन मैं वहांसे जल्दी ही लौटनेकी कोशिश करूंगा। अखबारोंमें प्रकाशित यह समाचार गलत है कि मैं वहां एक महीनेतक ठहरूंगा। लेकिन मैं वर्धा तभी जा सकता हूं जब आप लोग आशीर्वाद देंगे और यह कहेंगे कि अब आप आरामसे जा सकते हैं, हम यहां आपसमें लड़नेवाले नहीं हैं।

उसके बादमें मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान सरकारको कहना है कि तू आ सकता है और अपना काम कर सकता है।

अगर पाकिस्तानकी एक भी सूबेकी हकूमत बुलाएगी तो भी मैं वहां चला जाऊंगा।

जब-जब कांग्रेसकार्य-समितिकी बैठक मेरी उपस्थितिमें होती है, तब-तब मैं आपको उसके बारेमें कुछ-न-कुछ बता देता हूं। आज कार्य-समितिकी दूसरी बैठक हुई और उसमें काफी बातें हुईं। सब बातोंमें तो आपकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन एक बात तो आपके बताने लायक है। कांग्रेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमें जितनी बड़ी-बड़ी भाषाएं हैं उतने प्रांत होने चाहिएं। कांग्रेसने यह भी कहा था कि हकूमत हमारे हाथमें आते ही ऐसे प्रांत बनाए जायंगे। वैसे तो आज भी ९ या १० प्रांत बने हुए हैं और वे एक मरकजके मातहत[1] हैं। इसी तरहसे अगर नए प्रान्त बनें और सब दिल्लीके मातहत रहें तबतक कोई हर्जकी बात नहीं। लेकिन अगर वे सब अलग-अलग होकर आजाद हो जाएं और एक मरकजके मातहत न रहें तो फिर वह एक निकम्मी बात हो जाती है। अलग-अलग प्रांत बननेके बाद वे यह न समझ लें कि बंबईका महाराष्ट्रसे कोई संबंध नहीं, महाराष्ट्रका कर्नाटकसे और कर्नाटकका आंध्रसे कोई संबंध नहीं। तब तो हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए सब आपसमें भाई-भाई समझें। इसके अलावा अगर भाषावार प्रांत बन जाते हैं तो प्रांतीय भाषाओंकी भी तरक्की होती है। वहांके लोगोंको हिंदुस्तानीमें तालीम देना तो वाहियात है और अंग्रेजीमें देना तो और भी वाहियात है।

: २२० :

२६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज २६ जनवरी स्वतंत्रताका दिन है। जबतक हमारी आजादी-की लड़ाई जारी थी और आजादी हमारे हाथमें नहीं आई थी, तबतक इसका

---

[1] अधीन।

उत्सव मनाना जरूर मानी रखता था। किंतु अब आजादी हमारे हाथमें आ गई है और हमने इसका स्वाद चखा है तो हमें लगता है कि आजादीका हमारा स्वप्न एक भ्रम ही था जो कि अब गलत साबित हुआ है। कम-से-कम मुझे तो ऐसा लगा है।

आज हम किस चीजका उत्सव मनाने बैठे हैं ? हमारा भ्रम गलत साबित हुआ, इसका नहीं। मगर अपनी इस आशाका उत्सव हमें मनानेका जरूर हक है कि काली-से-काली घटा अब टल गई है और हम उस रास्तेपर हैं कि जिसपर आते-जाते हुए तुच्छ-से-तुच्छ ग्रामवासीकी गुलामीका अंत आएगा और वह हिंदुस्तानके शहरोंका दास बनकर नहीं रहेगा; बल्कि देहातोंके विचारमय उद्योगोंके मालकी विज्ञप्ति और बिक्रीके लिए शहरके लोगोंका उपयोग करेगा। वह यह सिद्ध करेगा कि वह सचमुच हिंदुस्तानकी भूमिका जायका[1] है।

इस रास्तेपर आगे जाते हुए अंतमें सब वर्ग और संप्रदाय एक समान होंगे। यह हर्गिज न होगा कि बहुसंख्या अल्पसंख्यापर—चाहे वह कितनी ही कम या तुच्छ क्यों न हो—अपना प्रभुत्व जमाए या उसके प्रति ऊंच-नीचका भाव रखे। हमें चाहिए कि इस आशाके फलीभूत होनेमें हम ज्यादा देरी न होने दें कि जिससे लोगोंके दिल खट्टे हो जाएं।

दिन-प्रतिदिनकी हड़तालों और तरह-तरहकी बदअमनी जो देशमें चल रही है वह क्या इसी चीजकी निशानी नहीं कि आशाएं पूरी होनेमें बहुत देर लग रही है ? यह हमारी कमजोरी और रोगकी सूचक है। मज-दूर-वर्गको अपनी शक्ति और गौरवको पहिचानना चाहिए। उनके मुका-बिलेमें वह शक्ति या गौरव पूंजीपतियोंमें कहां है, जो कि हमारे ग्रामवर्गमें भरा है ! सुव्यवस्थित समाजमें हड़तालोंका बदअमनीके लिए अवसर या अवकाश ही नहीं होना चाहिए। ऐसे समाजमें न्याय हासिल करनेके लिए काफी कानूनी रास्ते होंगे। खुली या छुपी जोरावरीके लिए स्थान ही न होगा। कानपुर या कोयलेकी खानोंमें या और कहीं भी हड़-तालें होनेसे सारे समाज और खुद हड़तालियोंको आर्थिक नुक्सान उठाना

[1] स्वाद—व्यंजन।

पड़ता है। मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लंबा लेक्चर मेरे मुंहमें शोभा नहीं देता, जब कि मैंने खुद इतनी सफल हड़तालें करवाई हैं। अगर कोई ऐसे टीकाकार हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उस वक्त न तो आजादी थी और न इस किस्मके कानूनी जाब्ते थे जो कि आजकल हैं। कई बार तो मुझे ताज्जुब होता है कि क्या हम सचमुच ताकतकी सियासी शतरंज और सत्तापर चुंगल[1] मारनेकी वबा (बीमारी) से, जो कि पूर्व और पाश्चात्यके सब देशोंमें फैल रही है, बच सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस विषयको यहां छोड़ूं, मैं यह आशा प्रकट किए बिना नहीं रह सकता कि यद्यपि भौगोलिक व राजनैतिक दृष्टिसे हिंदुस्तान दो भागोंमें बंट गया, पर हमारे दिल जुदा नहीं हुए और हम हमेशाके दोस्त बनकर भाइयोंकी तरह एक दूसरेकी मदद करते रहेंगे और एक दूसरेको इज्जतकी निगाहसे देखेंगे। जहांतक दुनियाका ताल्लुक है हम एक ही रहेंगे।

कपड़ेपरसे अंकुश उठानेके फैसलेका सब तरफसे स्वागत किया गया है। कपड़ेकी कमी कभी थी ही नहीं, और हो भी कैसे सकती है, जब कि देशमें इतनी रुई, और कातनेवाले और बुननेवाले मौजूद हैं। कोयले और जलानेकी लकड़ीपरसे अंकुश उठनेपर भी इतना ही संतोष प्रकट किया गया है। यह बड़ी देखनेकी चीज है कि अब बाजारमें गुड़ जरूरतसे ज्यादा आकर जमा हो रहा है, और गुड़ ही गरीब आदमीकी खुराकमें गर्मी देनेवाली चीजके अंशको पूरा कर सकता है। गुड़के इन जमा हुए ढेरोंको घटाने या जहां गुड़ बनता है वहांसे गुड़ पहुंचानेकी कोई सूरत नहीं, अगर तेजीसे सामान ढोनेका बंदोबस्त न हो। एक मित्र, जो इस विषयको खूब समझते हैं, एक पत्रमें लिखते हैं, वह ध्यान देने लायक है :

"यह कहनेकी जरूरत नहीं कि अंकुश उठानेकी नीतिकी सफलताका ज्यादा आधार इस चीजपर ही है कि रेलगाड़ी या सड़कसे सामानकी नकली हरकत[2] का ठीक-ठीक बंदोबस्त किया जाए। अगर रेलसे माल इधर-उधर ले जानेके तंत्रमें सुधार न हुआ तो देशभरमें कहत[3] फैलने और

[1] चुंगल (गुजराती) पंजा;　　[2] हरकत (गुज०) अड़चन।
[3] अकाल।

अंकुश उठानेकी सब योजना अस्त-व्यस्त हो जानेका डर है। आज जिस तरहसे माल ले जानेका हमारा तंत्र चल रहा है उससे दोनों, अंकुश चलाने और उठानेकी नीति, सख्त खतरेमें है । हिंदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोंमें भावोंमें इतना भयंकर फर्क होनेकी वजह भी माल उठानेके साधनोंकी यह कमी ही है। अगर गुड़ रोहतकमें आठ रुपए मन और बंबईमें पचास रुपए मनके हिसाब बिकता है तो यह साफ बताता है कि रेलवे तंत्रमें कहीं सख्त गड़बड़ है। महीनोंतक मालगाड़ीके डिब्बोंमेंसे सामान नहीं उतारा जाता, डिब्बों और कोयलेकी कमी और तरह-तरहके मालको तरजीह[१] देनेके बहाने, मालगाड़ीके डिब्बोंपर माल लादनेमें सख्त बेईमानी और घूसका बाजार गर्म है। एक डिब्बेको किरायेपर हासिल करनेके लिए सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और कई-कई दिनोंतक स्टेशनोंपर झक मारनी पड़ती है। डिब्बोंकी मांग पूरी करने और डिब्बोंको चलते रखनेमें ट्रांसपोर्ट-के मंत्रीकी भी अभीतक कुछ चली नहीं। अगर अंकुश उठानेकी नीतिको सफल बनाना है तो ट्रांसपोर्टके मंत्रीको रेल और सड़ककी सारी ट्रांसपोर्ट-व्यवस्थाकी फिरसे जांच-पड़ताल करनी होगी । तभी यह नीति जिन गरीब लोगोंको राहत देनेके लिए चलाई जा रही है, उनको फायदा पहुंचा सकेगी। आज इस ट्रांसपोर्टके कसूरसे लाखों और करोड़ों देहातियोंको सख्त तकलीफ उठानी पड़ती है और उनका माल मंडीतक पहुंचने ही नहीं पाता।"

जैसा मैं पहले लिख चुका हूं, पेट्रोलका राशनिंग बंद करना ही चाहिए और सड़कसे सामान ढोनेके साधनोंका इजारा[१] और परमिटका तरीका बिल्कुल बंद होना चाहिए। इजारेमें थोड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियोंका ही लाभ होता है और करोड़ों गरीबोंका जीवन दूभर हो रहा है । अंकुश उठानेकी नीतिकी ९५ फी सदी सफलता उपरोक्त शर्तोंपर ही निर्भर है। जो सूचनाएं ऊपर दी गई हैं उनपर अमल हुआ तो परिणामस्वरूप देहातोंसे लाखों टन खाद्य पदार्थ और दूसरा माल देशभरमें आने लगेगा। बेईमानी और घूसखोरीका विषय कोई नया नहीं है, केवल अब वह पहलेसे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाहरका अंकुश तो कुछ रहा ही नहीं है। इसलिए यह

विशेषता;   [१] (गुज०) ठेका।

घूसखोरी तबतक बंद न होगी जबतक जो लोग इसमें पड़े हैं वे समझ न लें कि वे देशके लिए हैं, न कि देश उनके लिए। इसके लिए जरूरत होगी एक ऊंचे दर्जेके नैतिक शासनकी। उन लोगोंकी तरफसे, जो खुद घूसखोरीके इस मर्जसे बचे हुए हैं और घूसखोर अमलदारोंपर जिनका प्रभाव है, ऐसे मामलोंमें उदासीनता दिखाना गुनाह है। अगर हमारी संध्याकालकी प्रार्थनामें कुछ भी सचाई है तो घूसखोरीके इस दौरको खत्म करनेमें उससे काफी मदद मिलनी चाहिए।

: २२१ :

२७ जनवरी १६४८

(आज गांधीजीकी प्रार्थना-सभामें एक ही मुसलमान उपस्थित था। गांधीजीने कहा कि मैं इतनेसे ही संतुष्ट नहीं हूं। प्रार्थनामें आनेवाले सब हिंदू और सिख भाई-बहन अपने साथ एक-एक मुसलमान लाएं।

इसके बाद गांधीजीने महरौलीकी दरगाह शरीफमें मुसलमानोंके उर्सके मेलेका जिक्र किया जिसे वे स्वयं आज सवेरे देखने गए थे। उन्होंने कहा :)

किसीको वहां आने-जानेमें झिझक नहीं थी। मैंने जान-बूझकर मुसलमानोंसे पूछा कि हमेशा जितने आते थे उतने तो नहीं आ सके होंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ डर तो रहा होगा ही। हमारेमें ऐसे लोग भी हैं न, कि जो डर-सा बता देते हैं। वे कहते हैं कि इलाहाबादमें भी कुछ हो गया है, वही यहां हुआ तो हिंदू क्या करेंगे। इन्सान इन्सानसे डरे, यह तो हमारे लिए शर्मकी बात है। लेकिन कम-से-कम इतना तो मैंने पाया कि जितनी तादाद मुसलमानोंकी थी उतनी ही तादाद हिंदुओंकी थी और सिख भी काफी थे। पीछे एक दुःखद बात भी मैंने देखी। वह दरगाह तो बादशाही जमानेकी है, कोई आजकी थोड़े ही है। बहुत पुराने जमानेकी है। अजमेरकी दरगाह शरीफसे दूसरे नंबरपर है, तो जो मुख्य वस्तु है वह तो वहां नक्काशीका काम ही था और बड़ा खूबसूरत था। वह सब तो

नहीं, लेकिन काफी ढहा दिया है और जो नक्काशीकी जालियां थीं वे भी काफी तोड़ डालीं। मुझको तो यह देखकर बहुत दुःख हुआ। मैं तो उसे वहशियाना चीज ही कह सकता हूं। क्या हम इतने गिर गए हैं कि एक जगहपर किसी औलियाकी कब्र बनाई गई है और कब्र भी बहुत आलीशान, हजारों रुपया उसपर खर्च किया है—उसको हम इस तरह नुक्सान पहुंचाएं, माना कि इससे भी बदतर पाकिस्तानमें हुआ है। यहां एक गुना हुआ और वहां दस गुना हुआ, इसका हिसाब मैं नहीं कर रहा। मेरे नजदीक तो चाहे थोड़ा गुनाह करो या ज्यादा, इसकी कोई तुलना मैं नहीं करता। वह शर्म-नाक बात है। अगर सारी दुनिया शर्मनाक बात करती है तो क्या हम भी करें? नहीं करना चाहिए, ऐसा आप भी मानेंगे।

मुझको पता चला कि दरगाहमें हिंदू और मुसलमान दोनों काफी तादादमें आते हैं और मिन्नत भी करते हैं। उसका बड़ा दर्जा वे रखते हैं और जो औलिया हो गए हैं, यहां या अजमेर शरीफमें, उनके दिलमें भी हिंदू, मुसलमानका कोई भेदभाव नहीं था। यह तो एक ऐतिहासिक बात थी और सच तो है ही। झूठ बतानेमें तो उनका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे जो औलिया हो गए उनका आदर होना ही चाहिए। पाकिस्तानमें क्या होता है, उस तरफ हम न देखें।

आज ही मैंने अखबारोंमें देखा है कि पाकिस्तानमें एक जगह १३० हिंदू और सिख कत्ल हो गए हैं। और पीछे वहां लूटपाट भी हुई। किसने उनको कत्ल किया? सरहदी सूबेके ऊपर जो छोटी-छोटी कौमें मुसलमानोंकी रही हैं, उन्होंने बस उनपर हमला किया और उन्हें मार डाला। कोई गुनाह उन्होंने किया था ऐसा कोई नहीं कहता। पाकिस्तानकी हकूमतने जो कुछ लिखा है उसमें यह भी है कि हकूमतने कई हमलावरोंको मार डाला। मार डाला या नहीं मार डाला, लेकिन जब वे कहते हैं तो हमें मान ही लेना चाहिए। इसपर हम गुस्सा करें और हम भी यहां मारना शुरू कर दें तो वह एक वहशियाना चीज होगी। आज तो आप भाई-भाई होकर मिलते हैं, लेकिन दिलमें अगर गंदगी रखते हैं और वैर या द्वेष करते हैं तो फिर आपने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि हम दिलमें भी ऐसा नहीं रखेंगे, उसे आप झुठला देते हैं। पीछे हम सबका खाना खराब होनेवाला

है। यह वहां सबने महसूस किया। किसीसे मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन आंखोंसे मैं समझ गया। पाकिस्तानमें जो कुछ हुआ, उसका हिसाब लेना तो हमारी हकूमतका काम है, वह जाने। हमारा काम तो यही है कि एक दूसरेका दिल साफ करनेकी जो कसम हमने खाई है, उसे कायम रखें और वही चीज हम करें।

अभी अजमेरमें राजकुमारी बहन चली गई थीं। उन्होंने वहांकी एक बड़ी खतरनाक और हमारे लिए तो शर्मकी बात सुनाई। वहां जो हरिजन रहते हैं, उनसे वहांवाले काम लेते हैं और वे करते भी हैं। लेकिन जिस जगहमें वे रहते हैं वह बहुत गंदी और मैली है। वहां तो हमारी ही हकूमत है और अच्छी खासी हकूमत है। जो हिंदू और सिख वहां अमलदार हैं, वे इसी हकूमतके मातहत काम करते हैं। क्या उन्हें ख्याल नहीं आता कि ऐसा शर्मका काम हम कैसे करते हैं? वहां सफेद पोशाक पहननेवाले बहुत हिंदू हैं। पैसा खासा कमाते हैं और खुश हालतमें रहते हैं। वे क्यों नहीं वहां एक दिनके लिए भी हरिजनोंकी बस्तीमें जाकर रहें? वे अगर जाएं तो कै[1] कर लेंगे और कोई तो शायद उनमेंसे मर भी जाएं। ऐसी जगह इन्सानोंको रखना—क्योंकि उनका यह गुनाह है कि वे हरिजन पैदा हुए हैं—बहुत बुरी बात है। यहां दिल्लीमें भी मैं हरिजनोंकी बस्तीमें गया हूं। वह भी खराब तो बहुत है, लेकिन अजमेर तो इससे भी बदतर है। यह तो बड़ी शर्मनाक बात है। क्या ऐसी शर्मनाक बातें ही हम लोग करते रहेंगे? हमने आजादी तो पाई, लेकिन उस आजादीकी कोई कीमत नहीं, जबतक हम इस तरहका काम भी नहीं बंद कर सकते। यह तो एक दिनमें हो सकता है। क्या हम इन हरिजनोंको सूखी जगहमें नहीं रख सकते? उनको मैला उठानेका काम करना है, वह तो करें, लेकिन मैलेमें ही पड़े रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी तो आज अक्ल चली गई है, हमारा हृदय नहीं रहा है और ईश्वरको हम भूल गए हैं। इसीलिए तो गुनाहके काम हम करते जाते हैं। और पीछे हम दूसरोंका ऐब निकालें, दूसरोंको दोष दें और खुद निर्दोष बनें, यह बड़ी खतरनाक बात है।

---

[1] उल्टी।

अंतमें एक और बात मैं कहना चाहता हूं और वह है मीरपुरके बारेमें। एक दफा तो थोड़ा-सा मैंने कह भी दिया था। मीरपुर काश्मीरमें है। अब वह हमलावरोंके हाथमें चला गया है। वहां हमारी काफी बहनें थीं। उनको वे उठा ले गए हैं। उनमें बुड्ढी भी हैं और नौजवान भी। वे उनके कब्जेमें पड़ी हैं और उनको वे बेआबरू भी कर लेते हैं, इसमें मेरे दिलमें कोई शक नहीं है। खाना भी उनको बुरा दिया जाता है। चंद बहनें तो पाकिस्तानके इलाकेमें हैं। गुजरात[1] जिलेमें झेलमतक तो शायद पहुंची होंगी ही।

मैं तो कहूंगा कि जो हमलावर हमला कर रहे हैं, उसमें कुछ भी तो मर्यादा या कुछ हद तो होनी ही चाहिए। मैं इन हमलावरोंसे कहता हूं कि आप इस्लामको बिगाड़नेके लिए यह काम कर रहे हैं और कहते ये हैं कि आजाद काश्मीरके लिए करते हैं।

कोई खानेके लिए लूटपाट करे वह मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो छोटी लड़कियां हैं, उनको बेइज्जत करना, उनको खाने और पहननेको न देना, वह भी क्या आपको कुरान शरीफने सिखाया है? और जो पीछे पाकिस्तानमें लड़कियोंको उठाकर चले गए हैं, उनके बारेमें मैं पाकिस्तान हकूमतसे मिन्नत करूंगा कि इस तरहसे जो भी कोई लड़कियां हैं, उनको वापस करो और उन्हें अपने घरोंपर जाने दो।

बेचारे मीरपुरके लोग मेरे पास आए हैं। काफी तगड़े हैं और शर्मिंदा होते हैं। मुझको वे सुनाते भी हैं कि क्या वजह है कि हमारी इतनी बड़ी भारी हकूमत पड़ी है, वह इतना काम भी नहीं कर सकती। मैंने समझानेकी कोशिश तो की। जवाहरलालजी खुद कोशिश कर रहे हैं और बहुत दुःखी हैं। लेकिन उनके दुःखी होनेसे और उनके कोशिश करनेसे भी क्या है! जो लोग लुट गए हैं, बरबाद हो गए हैं और जिन्होंने अपने रिश्तेदारोंको गंवा दिया है, उनको कैसे संतोष दिलाया जाय? आज जो आदमी आया उसके पंद्रह आदमी वहां कत्ल हो गए। उसने कहा कि अभी जो वहां बाकी पड़े हैं उनका क्या हाल होनेवाला है? मैंने सोचा कि

[1] पंजाबमें 'गुजराना' नामका एक शहर है।

दुनियाके नामसे और ईश्वरके नामसे वे जो हमलावर पड़े हैं, उनको और पीछे पाकिस्तानको भी मैं यह कहूं कि आपको बगैर मांगे हुए और शोहरत-के साथ उन बहनोंको वापिस कर देना चाहिए। यह उनका धर्म है। मैं इस्लामको काफी जानता हूं और काफी पढ़ा भी है। वह कभी नहीं सिखाता कि औरतोंको उठा ले जाओ और उनको इस तरहसे रखो। वह धर्म नहीं, अधर्म है। वह शैतानकी पूजा है, ईश्वरकी पूजा नहीं।

: २२२ :

२८ जनवरी १९४८

(आरंभमें गांधीजीने बहावलपुरसे आए हुए कुछ लोगोंकी शिकायतका जिक्र किया कि उन्हें उनसे मिलनेका समय नहीं दिया गया। गांधीजीने उनके लिए कुछ समय निकालनेका वचन दिया और उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा :) उनके लिए जो भी किया जा सकता है वह हो रहा है। डा० सुशीला नायर और श्री लेसली क्रास बहावलपुर चले गए हैं और नवाब साहबने उनकी पूरी सहायता करनेके लिए कहा है। भगवानकी कृपासे यूनियनकी राजधानी दिल्लीमें तीनों जातियोंमें फिरसे शांति कायम हो गई है। इससे सारे हिंदुस्तानमें हालत जरूर सुधरेगी।

आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीकामें हमारे लोग अपने हकोंके लिए लड़ रहे हैं। यहां तो कोई ऐसे हक छीनते नहीं हैं कि लोग कहीं जमीन न रख सकें या कहीं भी रहना चाहते हैं, वहां न रह सकें। हरिजनोंका तो हमने जरूर ऐसा हाल कर दिया है, बाकी हिंदुस्तानमें ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन दक्षिण अफ्रीकामें तो ऐसा है, इसका मैं गवाह हूं। इसलिए वे वहां हिंदुस्तानका मान रखनेके कारण और हिंदुस्तानके हकके लिए लड़ रहे हैं। बहुत तरीकोंसे वे लड़ सकते हैं, लेकिन वे तो सत्याग्रही होनेका दावा करते हैं। इसलिए सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके तार भी आ जाते हैं। वे बिना परवानेके कहीं जा भी नहीं सकते—जैसे नेटाल, ट्रांसवाल, हिल स्टेट, केप कोलोनी वगैरा, ऐसा सिलसिला

वहां रहा है। दक्षिण अफ्रीका एक खंड जैसा है, कोई छोटा-मोटा मुल्क नहीं है। बहुत बड़ा है। नेटालसे अगर परवाना मिले तो वे ट्रांसवाल जाएं, नहीं तो नहीं। तो उन सबने कहा कि यह हमारा भी मुल्क है, तब क्यों हमारे इधर-उधर आनेमें किसी तरहकी रुकावट हो? बहुतसे तो वहां चले भी गए और मुझको यह तो कहना ही पड़ेगा कि वहांकी हकूमतने इस वक्त तो कुछ शराफत बताई है। उनको अभीतक पकड़ा नहीं। ट्रांसवालका जो पहला शहर आता है फाकसेस, वहां वे चले गए हैं। पीछे कहीं उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन अभीतक पकड़ा नहीं है। हकूमतके सिपाही तो वहां मौजूद थे, लेकिन वे सब देखते रहे और उनको कुछ नहीं कहा। वहां तो उन्हें मोटर भी खड़ी मिली और उसमें बैठकर वे आगे चले गए और वहांपर उनका जलसा हुआ, जिसमें उनका स्वागत-सत्कार किया गया। वह सब हुआ। मैंने सोचा कि आपको इतनी खबर तो दे दूं। यह एक बड़ी बहादुरीका काम है। वहां हिंदुस्तानी छोटी तादादमें हैं, लेकिन छोटी तादादमें रहते हुए भी अगर सब हिंदी सत्याग्रही बन जाएं तो उनकी जय ही है। कोई रुकावट उनके आगे नहीं ठहर सकती। लेकिन ऐसा तो नहीं बना है। हर किस्मके लोग वहां रहते हैं जैसे यहां भी रहते हैं। वहां थोड़े हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। वे सब मिल-जुलकर यह काम करते हैं। वे जानते हैं कि इसमें कोई गमानेकी बात नहीं है। और अकेले आदमियोंसे तो यह लड़ाई लड़ी भी नहीं जाती। इसलिए वे जोहान्सवर्गमें पहुंच तो गए हैं, लेकिन आखिरतक तो अलग नहीं रह सकते, ऐसा मेरा खयाल है। उनको चलते ही जाना है, आखिर तक भी जाना है जबतक कि पकड़े न जायं। पकड़नेका वहांकी हकूमतको हक है, क्योंकि सत्याग्रहमें यह चीज तो पड़ी है कि जब कानून भंग किया है तो उनको पकड़ें और जेलके भीतर जाकर भी वे कानूनकी पाबंदी करते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारी तरफसे धन्यवाद तो उनको मिलना ही चाहिए और वह है ही; क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें कोई दूसरी आवाज निकल ही नहीं सकती। वहांकी हकूमतसे भी मैं कहता हूं कि जो लोग ऐसे लड़ते हैं और इतनी शराफतसे लड़ते हैं उनको हलाक क्या करना है! उनकी चीजको समझ लें और फिर आपसमें समझौता क्यों न कर लें? ऐसा

क्यों हो कि जिसकी सफेद चमड़ी है वह काली चमड़ीवालेके साथ कुछ बहस नहीं कर सकता ? या हिन्दुस्तानियोंको जो संतोष देना है या इन्साफ करना है तो उसके लिए उनको लड़ना क्यों पड़े ? अगर हिंदुस्तानी भी उसी जगहमें रहें तो उन्हें (गोरोंको) कौन-सा कष्ट हो सकता है ? उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको उनके साथ सलाह-मशवरा करके सलूकसे रहना चाहिए और उनको संतोष दिलाना चाहिए। आज हम भी आजाद हैं और वे भी आजाद हैं और एक ही हकूमतमें हिस्सेदारकी हैसियतसे रहते हैं। अर्थात् दक्षिण अफ्रीका भी एक डोमीनियन[1] है, इंडियन यूनियन भी डोमीनियन है और पाकिस्तान भी डोमीनियन है। तब सब भाई-भाई जैसे बनकर रहें, यह सब उनके गर्भमें पड़ा है। इसके विपरीत वे आपस-आपसमें लड़ें और हिंदुस्तानको अपना दुश्मन मानें—हिंदुस्तानियोंको जब वहां शहरी हक भी न मिलें तो फिर वे दुश्मन नहीं हैं तो और क्या हुए ? तो यह समझमें न आ सके, ऐसी चीज है। क्यों ऐसा माना जाय कि जो काली चमड़ीवाले हैं वे निकम्मे हैं या वे जो उद्यम कर सकते हैं और थोड़े पैसेमें रह सकते हैं, तो क्या यह कोई गुनाह है ? लेकिन वह गुनाह बन गया है। इसलिए इस सभाकी मार्फत मैं दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको कहता हूं कि वह सही रास्तेपर चले। मैं भी वहां २० वर्षतक रहा हूं। इसलिए मेरा भी वह मुल्क बन गया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। यह सब कहना तो मुझको कल ही चाहिए था, लेकिन कह नहीं पाया।

मैसूरके मुसलमानोंने कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा था कि तुम्हारे उपवासका वहां कोई असर नहीं पड़ा और मुसलमानोंको हलाक किया जा रहा है। इसके बारेमें मैंने कुछ कहा भी था। उसके उत्तरमें मैसूरके गृह-मंत्रीकी ओरसे एक तार मिला जिसमें पहले तारका खंडन किया गया और यह बताया गया है कि वहां मुसलमानोंके साथ इन्साफ करनेकी पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे मैं सबसे कहता हूं वैसे मैं मैसूरके उन मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि वे किसी बातमें भी अतिशयोक्ति न करें।

---

[1] उपनिवेश।

ऐसा कहनेसे मेरे हाथ-पैर बंध जाते हैं और मैं कुछ काम नहीं कर सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर मुसलमान भाइयोंसे कहता हूं कि वे किसी चीजको ज्यादा बढ़ाकर न बताएं। अगर कर सकते हैं तो कम करें। यही रास्ता है हिंदू, मुसलमान और सिखोंके मिल-जुलकर तथा भाई-भाई बनकर रहनेका। मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूं, तो भी सारी दुनियामें दूसरा कोई रास्ता मैंने नहीं पाया।

हमारे लोग इतने भोले हैं कि डाकमें ही पैसा भेज देते हैं। मुझे अपने बापके समयसे तजुर्बा है। उनके पास कुछ जेवर था। एक छोटा-सा मोती था। लेकिन था कीमती। उसे उन्होंने डाकसे भेज दिया। तबसे मैं जानता हूं कि ऐसा करना नहीं चाहिए। उसमें कोई चोरी तो नहीं थी, लेकिन खतरा तो लेना पड़ता ही है। कोई डाकमें देख ले और खोल ले तो फिर मोती कोई छुपा थोड़े ही रह सकता है। और पैसे तो फिर भी देने ही पड़े, क्योंकि उसकी पहुंचका तार मंगवाया। तो मेरे पिताको इस चीजका दुःख हुआ। लेकिन आज भी मेरे पिताके जैसे भोले आदमी हैं। समझ लेते हैं कि पैसेको भेजना है, तो कौन बीचमें उसको छुएगा? आजतक तो खैर ऐसे ही पैसे आते रहे। एक भाईने तो एक हजारसे ऊपरके नोट बंद करके भेज दिए। उसकी रजिस्टरी भी नहीं कराई और न बीमा। जो लिफाफेपर मामूली टिकट लगते हैं वे लगाकर भेज दिया। आजकल तो सब लोग वहुत बिगड़ गए हैं, पैसे खा जाते हैं और रिश्वत भी लेते हैं। तब यह तो अच्छी बात है और हमारे पोस्ट-आफिसके लिए यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस तरहसे इतने सुरक्षित पैसे भी आ जाते हैं। उसे वे देखना भी नहीं चाहते कि उसमें क्या भेजा है। ऐसे जब वे मुझको सब कुछ सुरक्षित भेज देते हैं तो दूसरोंको भी इसी तरहसे भेज देते होंगे। लेकिन जो लोग पैसा भेजते हैं वे चाहे इतना पैसा कम करके भेजें, लेकिन तो भी इस तरहसे खतरेमें नहीं पड़ना चाहिए; क्योंकि कोई बदमाश भी तो रहते हैं। डाकको खोल लें तब मेरे और जिन हरिजनोंके लिए पैसा भेजा है उनके क्या हाल होनेवाले हैं और जो दान देनेवाले हैं उनका क्या हाल होगा? लेकिन डाकखानेमें जो आदमी काम करते हैं उनको तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस

तरहसे काम करते हैं कि कोई घूस नहीं लेते। बाकी जो सब महकमे हैं वे भी सब ऐसा ही करें कि जो लोगोंका पैसा हो उसकी हिफाजत करें, किसीसे रिश्वतका पैसा न लें, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा लालच किसीको होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं इन दानियोंसे कहूंगा कि आप मनिआर्डर भेज दें। उसमें कितना पैसा लगता है? ऐसा भी न करें तो रजिस्टरी करा दें। इसमें कुछ थोड़ा-सा पैसा ज्यादा भी लगता है तो वह खैरियतसे तो पहुंच जाता है। ऐसा आप न करें कि मामूली डाकसे हजारों रुपयेके नोट भेज दिए।

: २२३ :

२६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मेरे सामने कहनेको चीज तो काफी पड़ी हैं, उनमेंसे जो आजके लिए चुननी चाहिए, वे चुन ली हैं। छः चीजें हैं। पंद्रह मिनटमें जितना कह सकूंगा, कहूंगा।

एक बात तो देख रहा हूं कि थोड़ी देर हो गई है—यह होनी नहीं चाहिए थी। सुशीला बहन बहावलपुर चली गई है। बहावलपुरमें दुःखी आदमी हैं उनको देखनेके लिए चली गई हैं—दूसरा अधिकार तो कोई है नहीं और न हो सकता था। फ्रेंड्स सर्विसके लेसली क्रॉसके साथ चली गई हैं। फ्रेंड्स यूनिटमें से किसीको भेजनेका मैंने इरादा किया था, ताकि वह वहां लोगोंको देखें, मिलें और मुझको वहांके हाल बता दें। उस वक्त सुशीला बहनके जानेकी बात नहीं थी, लेकिन जब सुशीला बहनने सुन लिया तो उसने मुझसे कहा कि इजाजत दे दो तो मैं क्रास साहबके साथ चली जाऊं। वह जब नोआखालीमें काम करती थी तबसे वह उनको जानती थी। वह आखिर कुशल डाक्टर है और पंजाबके गुजरातकी है, उसने भी काफी गंवाया है; क्योंकि उसकी तो वहां काफी जायदाद है, फिर भी दिलमें कोई जहर पैदा नहीं हुआ है। तो उसने बताया कि मैं वहां

क्यों जाना चाहती हूं; क्योंकि मैं पंजाबी बोली जानती हूं, हिंदुस्तानी जानती हूं, उर्दू और अंग्रेजी भी जानती हूं तो वहां मैं क्रास साहबको मदद दे सकूंगी। तो मैं यह सुनकर खुश हो गया। वहां खतरा तो है; लेकिन उसने कहा कि मुझको क्या खतरा है, ऐसा डरती तो नोआखाली क्यों जाती ? पंजाबमें बहुत लोग मर गए हैं, बिल्कुल मटियामेट हो गए हैं; लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं है, खाना-पीना सब मिल जाता है, ईश्वर सब करता है। अगर आप भेज दें और क्रास साहब मेरेको ले जायं तो मैं वहांके लोगोंको देख लूंगी। तो मैंने क्रास साहबसे पूछा कि क्या आपके साथ सुशीला बहनको भेजूं? तो वे खुश हो गए और कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उनके मारफत दूसरोंसे अच्छी तरह बातचीत कर सकूंगा। मित्रवर्गमें हिंदुस्तानी जाननेवाला कोई रहे तो वह बड़ी भारी चीज हो जाती है। इससे बेहतर क्या हो सकता है ? वे रेडक्रासके हैं। रेड क्रासके माने यह हैं कि लड़ाईमें जो मरीज हो जाते हैं उनको दवा देनेका काम करना। अब तो दूसरा तीसरा भी काम करते हैं। तो डाक्टर सुशीला क्रास साहबके साथ गई हैं या डाक्टर सुशीलाके साथ क्रास साहब गए हैं यह पेचीदा प्रश्न हो जाता है। लेकिन कोई पेचीदा है नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरेके दोस्त हैं और दोनों एक दूसरेको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। वे सेवा-भावसे गए हैं, पैसा कमाना तो है नहीं। वे जो देखेंगे मुझे बताएंगे और सुशीला बहन भी बताएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा गुमान रखे कि वह तो डाक्टर हैं और क्रास साहब दूसरे हैं। कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ऐसा कोई भेदभाव न करें; लेकिन क्रास साहब, उनके साथ औरत हैं तो औरतको आगे कर देते हैं और अपनेको पीछे रखते हैं। आखिर वे उनके दोस्त हैं। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि नवाब साहब तो मुझको लिखते रहते हैं। मुझको कई लोग झूठ बात भी लिखते हैं तो उसे माननेका मेरा क्या अधिकार है। मैंने सोचा कि मुझको क्या करना चाहिए। तो बहावलपुरके जो आए हैं उनको बता दूं कि वे वहांसे आएंगे तो मुझको सब बात बता देंगे।

अभी बन्नूके भाई लोग मेरे पास आ गए थे—शायद चालीस आदमी थे। वे परेशान तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं कि चल नहीं सकते थे।

हां, किसीकी अंगुलीमें घाव लगे थे, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, ऐसे थे। मैंने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना है बृजकिशनजीसे कह दें, लेकिन इतना समझ लें कि मैं उन्हें भूला नहीं हूं। वे सब भले आदमी थे। गुस्सेसे भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे मेरी बात मान गए। एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे, मैंने पूछा नहीं। उसने कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या और करते जाओगे? इससे बेहतर है कि जाओ। बड़े हैं, महात्मा हैं तो क्या, हमारा काम तो बिगाड़ते ही हो। तुम हमको छोड़ दो, भूल जाओ, भागो। मैंने पूछा, कहां जाऊं? उन्होंने कहा, तुम हिमालय जाओ। तो मैंने डांटा। वे मेरे-जितने बुजुर्ग नहीं हैं—वैसे बुजुर्ग हैं, तगड़े हैं, मेरे-जैसे पांच-सात आदमीको चट कर सकते हैं। मैं तो महात्मा रहा, घबराहटमें पड़ जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने हँसकर कहा कि क्या मैं आपके कहनेसे जाऊं, किसकी बात सुनूं? क्योंकि कोई कहता है कि यहीं रहो, कोई तारीफ करता है, कोई डांटता है, कोई गाली देता है। तो मैं क्या करूं? ईश्वर जो हुक्म करता है वही मैं करता हूं। आप कह सकते हैं कि आप ईश्वरको नहीं मानते हैं तो इतना तो करें कि मुझे अपने दिलके अनुसार करने दें। आप कह सकते हैं कि ईश्वर तो हम हैं। मैंने कहा तो परमेश्वर कहां जायगा? ईश्वर तो एक है। हां, यह ठीक है कि पंच परमेश्वर है, लेकिन यह पंचका सवाल नहीं है। दुःखीका बेली[1] परमेश्वर है; लेकिन दुःखी खुद परमात्मा नहीं। जब मैं दावा करता हूं कि जो हरएक स्त्री है, मेरी सगी बहन है, लड़की है तो उसका दुःख मेरा दुःख है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं दुखको नहीं जानता, आपके दुःखोंमें मैं हिस्सा नहीं लेता, मैं हिंदुओं और सिखोंका दुश्मन हूं और मुसलमानोंका दोस्त हूं। उसने साफ-साफ कह दिया। कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेकसे लिखता है कि हमको छोड़ दो, चाहे हम दोजखमें जायं तो क्या? तुमको क्या पड़ी है, तुम भागो? मैं किसीके कहनेसे कैसे भाग सकता हूं? किसीके कहनेसे मैं खिदमतगार नहीं बना हूं, किसीके कहनेसे मैं मिट नहीं सकता हूं, ईश्वरके चाहनेसे

[1] (गुज०) मुरब्बी, सहायता करनेवाला।

में जो हूं बना हूं । ईश्वरको जो करना है सो करेगा । ईश्वर चाहे तो मुझको मार सकता है । मैं समझता हूं कि मैं ईश्वरकी बात मानता हूं । एक डांटता है, दूसरे लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं क्या करूं । मैं हिमालय क्यों नहीं जाता ? वहां रहना तो मुझको पसंद पड़ेगा । ऐसा नहीं है कि मुझको वहां खाने-पीने-ओढ़नेको नहीं मिलेगा—वहां जाकर शांति मिलेगी, लेकिन मैं अशांतिमेंसे शांति चाहता हूं, नहीं तो उस अशांतिमें मर जाना चाहता हूं । मेरा हिमालय यहीं है । आप सब हिमालय चलें तो मुझको भी आप लेते चलें ।

मेरे पास शिकायतें आती हैं—सही शिकायतें हैं—कि यहां शरणार्थी पड़े हैं, उनको खाना देते हैं, पीना देते हैं, पहननेको देते हैं, जो हो सकता है सब करते हैं; लेकिन वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं । जो उनकी खिदमत करते हैं उन लोगोंने लंबा-चौड़ा लिखकर दिया है, उसमेंसे में इतना ही कह देता हूं । मैंने तो कह दिया है कि अगर दुःख मिटाना चाहते हैं, दुःखमेंसे सुख निकालना चाहते हैं, दुःखमें भी हिंदुस्तानकी सेवा करना चाहते हैं, साथमें अपनी भी सेवा हो जाती है, तो दुःखियोंको काम तो करना ही चाहिए । दुःखीको ऐसा हक नहीं है कि वह काम न करे और मौज-शौक करे । गीतामें तो कहा है, 'यज्ञ करो और खाओ'—यज्ञ करो और शेष रह जाता है उसको खाओ । यह मेरे लिए है और आपके लिए नहीं है ऐसा नहीं है—सबके लिए है । जो दुःखी है उनके लिए भी है । एक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाय तो ऐसा हो नहीं सकता । करोड़पति भी काम न करे और खावे, तो वह निकम्मा है, पृथ्वीपर भार है । जिस आदमीके घर पैसा भी है वह भी मेहनत करके खाए तब बनता है । हां कोई लाचारी है—पैर नहीं चल सकता है या अंधा है, या वृद्ध हो गया है तो बात दूसरी है; लेकिन जो तगड़ा है, वह क्यों न काम करे ? जो काम कर सकता है वह काम करे । शिविरमें जो तगड़े पड़े हैं वे पाखाना भी उठाएं । चर्खा चलाएं । जो काम बन सकता है करें । जो काम नहीं जानते हैं वे काम लड़कोंको सिखाएं, इस तरहसे काम लें । लेकिन कोई कहे कि केम्ब्रिजमें जैसे सिखाते हैं वैसे सिखाएं । मैं, मेरा बाबा तो केम्ब्रिजमें सीखा था तो लड़कोंको भी वहां भेजें, तो यह

कैसे हो सकता है ? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जितने शरणार्थी हैं वे काम करके खाएं। उन्हें काम करना ही चाहिए।

आज एक सज्जन आए थे। उनका नाम तो मैं भूल गया। उन्होंने किसानोंकी बात की। मैंने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल किसान होगा, हमारा बड़ा वजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, क्योंकि यहांका राजा किसान है। मुझे बचपनसे सिखाया था—एक कविता है, "हे किसान, तू बादशाह है।" किसान जमीनसे पैदा न करे तो हम क्या खाएंगे ? हिंदुस्तानका सचमुच राजा तो वही है। लेकिन आज हम उसे गुलाम बनाकर बैठे हैं। आज किसान क्या करें ? एम० ए० बनें ? बी० ए० बनें ?—ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा। पीछे वह कुदाली नहीं चलाएगा। जो आदमी अपनी जमीनमेंसे पैदा करता है और खाता है, सो जनरल बने, प्रधान बने, तो हिंदुस्तानकी शकल बदल जाएगी। आज जो सड़ा पड़ा है, वह नहीं रहेगा।

मद्रासमें खुराककी तंगी है। मद्रास सरकारकी तरफसे दूत यह कहनेके लिए श्रीजयरामदासके पास आए थे कि वे उस सूबेके लिए अन्न देनेका बंदोबस्त करें। मुझे मद्रासवालोंके इस रुखसे दुःख होता है। मैं मद्रासके लोगोंको यह समझाना चाहता हूं कि वे अपने ही सूबेमें मूंगफली नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थोंके रूपमें काफी खुराक पा सकते हैं। उनके यहां मछली भी काफी है, जिन्हें उनमेंसे ज्यादातर लोग खाते हैं। तब उन्हें भीख मांगनेके लिए बाहर निकलनेकी क्या जरूरत है ? उनका चावलका आग्रह रखना—वह भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके सारे पोषक तत्त्व मर जाते हैं—या चावल न मिलनेपर मजबूरीसे गेहूं मंजूर करना ठीक नहीं है। चावलके आटेमें वे मूंगफली या नारियलका आटा मिला सकते हैं और इस तरह अकालके भेड़ियेको आनेसे रोक सकते हैं। उन्हें जरूरत है आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी। मद्रासियोंको मैं अच्छी तरहसे जानता हूं और दक्षिण अफ्रीकामें उस प्रांतके सभी भाषावाले हिस्सोंके लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह-कूचके वक्त उन्हें रोजानाके राशनमें सिर्फ डेढ़ पौंड रोटी और एक औंस शक्कर दी जाती थी। मगर जहां कहीं उन्होंने रातको डेरा डाला, वहां जंगलकी घासमेंसे खाने लायक चीजें चुनकर

और मजेसे गाते हुए उन्हें पकाकर उन्होंने मुझे अचरजमें डाल दिया। ऐसे सूझ-बूझवाले लोग कभी लाचारी कैसे महसूस कर सकते हैं? यह सच है कि हम सब मजदूर थे। और, ईमानदारीसे काम करनेमें ही हमारी मुक्ति और हमारी सभी आवश्यक जरूरतोंकी पूर्ति भरी है।

: २२४ :

पुण्यदिवस, ३० जनवरी १९४८

आज सायंकाल ५ बजकर १० मिनटपर प्रार्थनाके लिए आते समय प्रार्थना-स्थलपर एक व्यक्तिने पिस्तौलसे गांधीजीके तीन गोलियां मारीं और वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। गिरनेसे पहले उन्होंने नमस्कार करनेके लिए हाथ उठाये और उनके मुंहसे निकला :

"हे राम"

निर्देशिका

अकलियत–२३०–३१, २५१
अक्सरियत–२३०–३१, २५१
अखिल भारतीय चर्खासंघ–५०, ६२, १७०, १८४, १८७–८८, २२७–२८
कांग्रेस-कमेटी–५६, ७३–७४ ८५, ८७, ९४, १०१, १७७, ३३८
कांग्रेस महासमिति–७५, ७७, ९०
ग्रामोद्योगसंघ–६२,१७०,२२७–२८
अजमलखां, हकीम–७९, २४१, २४९
अजमेर–१९०, १९६, २५७, ३४४
अपहृत लड़कियां–१३३, १७८, १८६, २४१, ३३५
अफ्रीका, दक्षिण–७७, ८०–८१, ८३–८४, १६२, १६४, ३४६–४७, –पूर्वी २१६, ३५४
अफ्रीदी–९, २१, ३२
अब्दुल्ला, शेख मुहम्मद–१०, १२, २६, ३२, ६६, ९४, १२३, १२९ –३०, २३९, २५१, ३२५
अमरीका–१६३, ३३७
अमलदार–३
अमृतकौर, राजकुमारी–६१, ३४४,
अरविंद–८
अलीभाई–७९, २१६, ३५४
अलीशाह–९५
अल्ला–१९१, २२०,
अशोक, सम्राट–२२७
अहिंसा–१४–१५, १७, २०१, २०३, २३६
अंकुश–१७२, १८२–८३, २०८–०९, २२४, २४६–४७, २६६–२६८ २८६, ३४०–४१
अंग्रेजी–१६६, २१८–१९, २२१
अंसारी, डाक्टर–७९, २४१
आगाखां महल–७५
आज़ाद, मौलाना अबुलकलाम–२२९, ३१७
–हिन्द फ़ौज–२९
आत्मा–१५, १६३
आरेंजिया–८२
आर्यनायकम्–२०३
आर्यावर्त–१००
आशादेवी–२०३

आंध्र—२८६-८७
इस्पहानी—८०
इस्लाम—१८०
इंग्लैण्ड—३३०
इंडियन चेम्बर—१३१
—यूनियन—३४८
ईरानके एलची—२८५
ईश्वर—१९१-९२,३१०,३१६,३५३
(देखिये 'परमेश्वर')
उड़िया—२१८
उपनिषद्—१४
उपवास—२८८-९२, ३००, ३०३, ३०६, ३११-१२, ३२१
(देखिये 'फ़ाक़ा')
उर्दू—२१८-१९, २२१
उर्सका मेला—३३६-३७
(देखिये 'दरगाह' और 'महरौली')
एवार्ड, मेकडानेल्ड—३०६
एशिया—३३७
एसोसियेटेड प्रेस—१८५
ओखला—९६, १०१
ओज अबिल्ला—११
औंध—२७१-७२
कनाट प्लेस (नई दिल्ली)—१४७
कन्याकुमारी—८६
कन्हाई—१०२
कम्यूनिस्ट—२७१, २८८
कराची—१८२, ३०१
कलकत्ता—१९७
कस्तूरबा ट्रस्ट—१७०
—स्मारक—१८६
कंट्रोल—५०, ७७-७८, ८४-८५, ८७, १०५, १२१, १३८, १७०
काठियावाड़—१४३, १४६, १६१, १७५, १९६, ३२६
कालाबाज़ार—९६
काश्मीर—९-१०, २१, २५, २६, ६५, ८६, १२४-२५, १३०, २३८-३९, २५०, ३२४
कांग्रेस—७०, २०३, २३१
—कार्यसमिति—७०,७३ (देखिये, कांग्रेस कमेटी)
कांस्टेनटेन—२३१
क्राइस्ट, जीसस—२३७
क्रास, लेसली—३४६, ३५०-५१
किसान—३५४
कृपाण—९२-९३, १११-१३, ११८
कृपालानी, जे० बी०—७०, ९७
—सुचेता—२३, ९६
कृष्ण—२२८, ३२९
क्रिस्मस—२३७
कुरान—१५, १७, २८, १९१, १९५, २२०
कुरुक्षेत्र—२४,७२,५६-५७,६८,१०४
कुंभ—६
केम्ब्रिज—३५४
केसी—४९
कोयम्बटूर—२२३

कौरव–२४
खन्ना, मेहरचंद–१६२
खादी–५०, १८८
–प्रतिष्ठान–१००
–बोर्ड–५०
खुराक २२५
–विभाग–१८३,
गजनफरअली–१७८-७६
गजनवी, महमूद–२४०
गवर्नर जनरल- १२२
गंगा–२२१
–ग्रहन–१६६
ग्रंथसाहब–३२, ५४, ६३, १४८, १६६, ३१५
गांधी, सांवलदास–१२७, १३३, १६४-६५, १६८
ग्रामोद्योग–२२८
ग्वालियर–३२५, ३३०, ३३२
गिरनार–६४
गीता–२०, ३१५, ३५३
गुजरात (पंजाब)–३०१, ३४५
गुजराती–२१८
गुड़गांव–६२, ८६, १०२, २२२
गुप्त, सतीशचंद्रदास–१००
गुप्ता, देशबंधु–१५३
गुरुद्वारा–२७६
गुरुदेव (रवीन्द्रनाथ ठाकुर)–२८५, २६६-६७
गुरु नानक–१२६, १३२, १३६, १६५-६६
गोविन्दसिंह, गुरु–१३२, २३६, ३१३
गोशाला–६७, ६६
–सेवा–६७
घूसखोरी–३४२ (देखिये 'रिश्वत-खोरी')
चर्खा–१७२, १८६, १६६–२०१, २२७
चंद्रनगर–५६
चांदनी चौक (दिल्ली)–६०, ६२, १३२
चीन–३३७
जगजीवनराम–१६१
जपजी–५४
जफरुल्ला, मुहम्मद–८०, २६२
जमनालाल बजाज–५०
जमींदार–२३८
जमुना–२२१
जयरामदास, दौलतराम–३५४
जाकिरहुसेन, डाक्टर–२०३
जामनगर–१३३
जाहिदहुसेन–३१६
जिन्ना, कायदेआज़म–३१, ६०
जिहाद–२३६, २५०
जूनागढ़–६०, ६३, ६५, १२६-२८, १३३, १४५–४६, १५१, २५७, ३३२
जेन्दावस्ता–२८५

जोहान्सबर्ग—२३०
जोन्स, मेजर हारवे—६०
ट्रांसपोर्ट—३४१
ट्रांसवाल—२३०, २६१, ३४७
डॉन—१२६-२७
ढेबर भाई—६७, १४४, १६४
तारासिंह, मास्टर—१६६
तिबिया कॉलेज—२४१, २४६
तिहाड़—५१-५२
तुलसीदास—१०१, २१६, २४७
दरगाह (कुतुबुद्दीन बख्तियार चिश्ती की)—२२६, २३६, ३४२ (देखिये 'उर्स का मेला' और 'महरौली')
दशहरा—१११
दातारसिंह, सर—२२५
दिलीपकुमार राय—८, १८, २१, २३
दिल्ली—६०, १०१, २६४-६५, २८६
दिवाली—५७, ६६, ६८, २३७
दु:खी—२१३ (देखिये 'शरणार्थी' और 'निराश्रित')
देवनागरी—२१८-१६
देहाती जीवन—१८७
नई तालीम—१७०, २०२
नवाब, भोपाल—३१६-२०
नायडू, सरोजिनी—७५
नायर, डा० सुशीला—२४, ३११, ३१३, ३४६, ३५०-५१
नारायणसिंह—६५
नियोगी, के० सी०—४
निराश्रित—५३, ६६-६७, १०४ (देखिये 'दु:खी' और 'शरणार्थी')
निशात टाकीज़—६४
नेटाल—२६१, ३४७
नेशनल कान्फ्रेंस (काश्मीर)—६४
नेहरू, जवाहरलाल—३१, ६७, १२२, १५८, २१७, २६५, ३२२-२३, ३४५
नैरोबी—२१७
नोआखाली—१८-१६, १२१, २३५, २५६, २६६, ३५०-५१
पटियाला—२४०
पटेल, सरदार—४, १२६, १८४, २१०, २८६, २६४—६५, ३०४-०५, ३२२
परमेश्वर—१६, ३५२, (देखिये 'ईश्वर')
पंचम स्तम्भ—५६ (देखिये 'फिफ्थ कालम')
पंचायत—२४४-४५
पंजाब, पूर्वी—६२, १२५, १७६, १६३, ३३४
—पश्चिमी—१७६, ३३४
पंजाबी—२८१
पंडित, विजयालक्ष्मी—८०, १६२
प्रह्लाद—२३६

पाकिस्तान–११४, १८५, २०५, २३९, २६३, २७६, ३०२, ३१८, ३२३, ३३७
–टाइम्स–१२६
पानीपत–५७, ६०, ६२, ८९-९०, १५२, १६०
पालंद्री–९४
पार्लमेण्टरी सेक्रेटरी–२११
पांडेचरी–८
प्यारेलाल–२३५, ३०४
प्रार्थना–१३, १७, २४३
पिता–३५०
पुंछ–३२५
फाकसेस–३४७
फाका–२९७ (देखिये 'उपवास')
फारसी–२२१
फिफ्थ कालम–११९ (देखिये 'पंचम-स्तंभ')
फ्रेंच भारत–५९
बक़रीद–१११
बगैर टिकट–५
बन्नू–१६२, ३५१
बम–३२६
बरतानवी कामनवेल्थ (राष्ट्रसमूह) –८२-८३
बर्नार्ड, डा० एस० पी०–८२
बर्माके प्रधान मंत्री–१६६
बहावलपुर–२३३, २५३, २८१-८२, २८४, ३२८, ३४६, ३५०
बंगला–२१८
बंगाल–१३०
बंबई क्रॉनिकल–१२६
ब्रजकिशन–२२, २८, ५४, १६६, २०८, २६४, ३५२
ब्रह्मदेश–१९६
बाइबिल–२२०
बापा, ठक्कर–१०८
बारामूला–६७, ९४–९५
बाल्मीकि-बस्ती–२८२
बिड़ला, घनश्यामदास–१६, ४६, ८६, १३०, १७०-७१
–भवन–२८२-८३
–हाउस–३२१
बीजापुर–१९९
बेनिइजराइल–१००
बोर–१६३
भगवद्गीता–२३, ३१५
भंगी–१६०
–बस्ती–२८२-८३
भार्गव, डा० गोपीचन्द–६२, १५३–५४, १६१, २२२
भावनगर–१४५, ३२६
भूख हड़ताल–२३३
मक्का शरीफ–१३२
मथाई, डाक्टर जान–२२३
मद्रास–३५४
मराठी–२१८

महरौली—२२६, ३४२
(देखिये 'दरगाह' और 'उर्स का मेला')
महादेव भाई—७५, १६३
महाभारत—२४५
माउंटबेटन, लार्ड—६, ६०, १३१
—लेडी—५६
मारवाड़ी चेम्बर—१६५
मृदुला, साराभाई—१७८, ३००
मीरपुर—२८१, ३४५
मीराबहन—७५, २२५
मीराबाई—६०, ७६
मुम्बासा—२१७
मुसलमान—१६४, २०५, ३१६
मुस्लिम चेम्बर ग्राव कॉमर्स—१३०
—लीग—२२६, २३२
मुहम्मद, हजरत—१६१, २३१
मेरठ—३३३
मेव—२२२
मैसूर—३३२, ३४८
यरवदा—५०, ३०६
यादव—२२८
युधिष्ठिर—२४
युक्तप्रांत—१६३
यूनियन—२४०, २६२
यू० एन० ओ०—२६४ (देखिये 'राष्ट्रसंघ')
यूरोप—३३७
यूरोपियन चेम्बर—१६६
रचनात्मक कार्यक्रम—११०
रतलाम—३२५
राजकोट—६०, १४३
राजेन्द्रप्रसाद, डा० ४६, २०६, २२५, ३१६
राम—२७, ६६, ६६, ३५५
—चन्द्र—२६१
—राज्य—६७
रामपुर स्टेट—७६, ८१
रामायण—२१६, २४५, २४७
रामेश्वरी बहन—१७८
रावण—२७, ६६, ६६
राष्ट्रभाषा—२१८-१६
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—७६-८०, १४४, १४६, १४८, १६१, ३१६, ३१८
रिश्वतखोरी—२०४ (देखिये 'घूस-खोरी')
रेडक्रास—३५१
रेडियो—२५७
रोमन कैथोलिक—१०२
रोहतक—१०८
लश्कर—२०१
लाजपतराय, लाला—२१६
लायलपुर—११२, १६६, १७७
लाहौर—३२, १६३-६४, २१५
लियाकतअली खां—२१, ३१, १२२, १२८, १६८, २६२
लोकराज्य—१४१, २१०

लोहिया, राममनोहर—५०
वर्ण—२४५
वर्धा—३३७
विचित्रसिंह, बाबा—१२६
विठोबा का मंदिर (पंढरपुर) —२५४
विद्यार्थी—२७३, २७६
विष्णु, भगवान्—२५४
शरणार्थी—८७, ११४, १५३, १५७, २५६, २६१, ३३५ (देखिये 'दुःखी' और 'निराश्रित')
शराब—२७८
शहीद साहब—३१३—१४ (देखिये सुहरावर्दी)
शाहनवाज, जनरल—३१६
शांतिदल—१६३
—प्रतिज्ञा—३१७
—मिशन—१६४
शुभ लक्ष्मी—१७३
शेरवानी, मीर मकबूल—६४-६५
सत्य—१४-१५, १७, २०२-०३
सत्याग्रह—८०, २८०
—कूच—३५४
समाजवादी पार्टी—६७, २७१, २८८
सरस्वती—२२१
सभ्यता—२५३
संतसिंह, सरदार—११२
संयुक्त राष्ट्रसंघ—८०-८१, ३०६ (देखिये 'यू० एन० ओ०')
संस्कृत—२१६, २२१
स्यालकोट- २३४
स्वतंत्रता दिन—३३८
स्वर्णसिंह, सरदार—१५३-५४, १६१
सिकंदर महान्—१००
सिविल-मिलिटरी गजट—२०५
सिविल सर्विस—१७२, २१०-११
स्मिथ, कर्नल—९९
सीता—२७, १२१
सुखमणि—५४
सुदर्शनचक्र—२२७
सुभाष बोस—२६, ३०, ३३१-३२
सुहरावर्दी—२९८ (देखिये 'शहीद साहब')
सेवाग्राम—१७०
स्टेट्समैन—२३४
सोनीपत—१०३
सोमनाथ (मंदिर)—१३२-३३, १९७' २४०
हक—१०६
हड़ताल—२७१, २७३-७४, २७८
हनुमान—१४७
हब्शी—२१७
हरिजन—१०७—०८, १८५, ३४४
—कान्फ्रेंस—२५८
—निवास—१९९, २०२
—बस्ती—१९२

—सेवक संघ—१०९, १६०-६१, २२८
हिन्दी साहित्य सम्मेलन—२२०
हिन्दुस्तान—२६३, ३०२, ३१८
—टाइम्स—१२६, २०५
हिन्दुस्तानी—२१८, २२१
—तालीमी संघ—२०३, २८८
हिन्दू-धर्म—३२७, ३३२
—महासभा—१४४, १४६, १४८, १६१, ३१६, ३१८
—मुसलमान—६०
हिमालय—२२८, ३५२-५३
हिंसा—१०६
हैदराबाद—६५
हैदरी, अकबर—६
होशियारपुर—२१२
होशंगाबाद—१६५

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय
L.B.S. National Academy of Administration, Library
मसूरी
MUSSOORIE 122533
यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है।
This book is to be returned on the date last stamped

दिनांक Date	उधारकर्त्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्त्ता की संख्या Borrower's No.

122533
LBSNAA

H

अवाप्ति सं०
ACC. No.

वर्ग स.
Class No.... .... Book No..............
लेखक
Author..
शीर्षक

H
320.55 LIBRARY 55H
LAL BAHADUR SHASTRI
National Academy of Administration
MUSSOORIE
भाग-2, प्रति-1
Accession No. 122533

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.